

Social Studies - VIII Class - Hindi Medium

सामाजिक अध्ययन 8वीं कक्षा

IN ANY EMERGENCY
DIAL 100
 TELANGANA POLICE
www.tspolice.gov.in
 @ Telangana State Police

తెలంగాణ ప్రభుత్వం
 మహిళాభివృద్ధి మరియు శిశుసంక్షేమ శాఖ - చైల్డ్ లైన్ ఫౌండేషన్

బడిలోని, బడి బయటలో
 వెంటనే సహాయం

అవినయ, బిచ్చం వంటి
 దుష్టతలకు వ్యతిరేకంగా

బిల్లులతో సంబంధం లేకుండా
 ఎవరికి మనసుకొస్తే
 కాల్ చేయండి

పాఠశాల పట్టణ గానీ,
 అందరికీ గారి ఇబ్బందేమీగా,
 అందరికీ ప్రయోజనంగా

CHILD LINE 1098
 NIGHT & DAY
 24 HOUR NATIONAL HELPLINE

1098 (పది-నాల్గూరు-ఎనిమిది) అంత చిరుకాన్ సేవ నిర్వహించి భారత రేయింటి



राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद,
 తెలంగాణా, హైదరాబాద్

తెలంగాణ ప్రభుత్వం
 విద్యా శాఖ

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद,
 తెలంగాణా, హైదరాబాద్

తెలంగాణా సరకార ద్వారా నిశుల్క వితరణ



सामाजिक अध्ययन 8वीं कक्षा

Social Studies - VIII Class - Hindi Medium

Free



తెలంగాణా సరకార ద్వారా ప్రకాశిత
 హైదరాబాద్

తెలంగాణా సరకార ద్వారా నిశుల్క వితరణ

सामाजिक अध्ययन 8वीं कक्षा

RIGHTS OF A CHILD

India is a signatory to the 'Convention on the Rights of the Child'. Thus India is obliged to protect the Rights of Children. Some of them are:

- *The Right to Survival*: which includes the Right to life, health, nutrition and adequate standards of living;
- *The Right to Protection*: which includes the Freedom of all forms of exploitation, abuse, inhuman or degrading treatment and neglect;
- *The Right to Development*: which includes the Right to Education, support for early childhood development and care, social security and the right to leisure, recreation and cultural activities;
- *The Right to Participation*: which includes respect for the views of the Child, freedom of expression, access to appropriate information and freedom of thought, conscience and religion.

The Indian state has made some significant Laws for Children such as:

- The Children (pledging of labour) Act, 1933 aims at eradicating the evil of pledging the labour of young children by their parents to employers in lieu of loans and advances;
- The Employment of Children Act, 1938 lays down that children cannot be employed in hazardous works;
- The Factories Act, 1948 provides that children shall not be required or allowed to work in any factory.



CHILDLINE 1098 is a national, 24 hour, free, emergency telephone help line and outreach service for children in need of care and protection.

**Dial 1098 when you see a child in distress.
Help is just a phone call away.**



One can feel secured about one's land rights only when there is a patta in the hand; name in the record; and land in physical possession.



Land is immortal

सामाजिक अध्ययन

कक्षा VIII

Social Studies

Class VIII

(Hindi Medium)

संपादक

- श्री सी.एन. सुब्रमण्यम,
एकलव्य, म. प्र.
- प्रो. जी. ओमकारनाथ, अर्थशास्त्र विभाग,
हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद
- प्रो. आई. लक्ष्मी, इतिहास विभाग,
उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद
- प्रो. कोदण्डराम, रजनीति शास्त्र विभाग,
P.G. कॉलेज सिकिन्द्राबाद, हैदराबाद
- प्रो. के. विजय बाबू, इतिहास विभाग,
काकतीय विश्वविद्यालय, वरंगल
- डॉ. एम. वी. श्रीनिवासन, असिस्टेंट प्रोफेसर,
डीईएसएसएच, एनसीईआरटी, नई दिल्ली
- श्री के. सुरेश,
मंची पुस्तकम, हैदराबाद
- प्रो. एस. पद्मजा, भूगोल विभाग,
उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद
- डॉ. आई. तिरूमलि, वरिष्ठ व्यक्ति,
आईसीएसएसआर, नई दिल्ली
- श्री अरविंद सरदाना, एकलव्य, म. प्र.
- प्रो. ए. सत्यनारायणा (सेवा निवृत्त),
इतिहास विभाग, उस्मानिया विश्व विद्यालय, हैदराबाद
- डॉ. के.के. कैलाश, राजनीति शास्त्र विभाग,
हैदराबाद केंद्रीय विश्व विद्यालय, हैदराबाद
- डॉ. के. नारायण रेड्डी, असिस्टेंट प्रोफेसर,
भूगोल विभाग, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद
- डॉ. सुकन्या बोस, परामर्शदाता, NIPFP, नई दिल्ली
- श्री अलेक्स. एम. जॉर्ज, एकलव्य, म. प्र.

सलाहकार, लिंग सवेदनशीलता तथा बाल लैंगिक प्रताड़ना

सुश्री चारु सिन्हा, आई.पी.एस., निदेशक, एसीबी, तेलंगाणा, हैदराबाद

पाठ्यपुस्तक विकास समिति

- श्री ए. सत्यनारायण रेड्डी, निदेशक,
एस.सी.ई.आर.टी., तेलंगाणा, हैदराबाद
- श्री बी. सुधाकर, निदेशक,
सरकारी पाठ्यपुस्तक मुद्रण प्रेस, हैदराबाद
- डॉ. एन. उर्पेदर रेड्डी,
प्रोफेसर एवं अध्यक्ष पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक विभाग
एस.सी.ई.आर.टी., हैदराबाद



तेलंगाणा सरकार द्वारा प्रकाशित, हैदराबाद

कानून का आदर करो।
अधिकार प्राप्त करो।

विद्या से आगे बढ़ो।
विनम्रता से रहो।



© Government of Telangana, Hyderabad.

First Published 2013

New Impression 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means without the prior permission in writing of the publisher, nor be otherwise circulated in any form of binding or cover other than that in which it is published and without a similar condition including this condition being imposed on the subsequent purchaser.

The copy right holder of this book is the Director of School Education, Hyderabad, Telangana. We have used some photographs which are under creative common licence. They are acknowledged at later (page viii).

This Book has been printed on 70 G.S.M. Maplitho,
Title Page 200 G.S.M. White Art Card

తెలంగాణా సర్కార ద్వారా నిశుల్క వితరణ 2020-21

Printed in India
at the Telangana Govt. Text Book Press,
Mint Compound, Hyderabad,
Telangana.

पुस्तक के बारे में

यह पुस्तक सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम तथा आपके द्वारा अध्ययन किये जा रहे समाज का हिस्सा है। जो भी हो, याद रहे कि यह पाठ्यक्रम का छोटा-सा भाग है। सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में जो कुछ आप जानने हैं उसे आपके द्वारा कक्षा में विश्लेषण व साझा करने की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए आपके प्रश्न पूछने तथा कोई वस्तु ऐसी है, तो क्यों है, के बारे में सोचने की आवश्यकता होती है। इसके लिए आपको और आपके मित्रों को कक्षा से बाहर बाज़ार, पंचायत या नगरपालिका कार्यालय, गाँव के खेत, मंदिर व मस्जिद तथा संग्रहालय जाकर पता लगाने की आवश्यकता है। आपको कई लोगों, किसानों, दुकानदारों, अधिकारीगण, पुजारी आदि से मिलकर चर्चा करनी होगी।

यह पुस्तक आपको समस्याओं के दायरे से परिचय करायेगी और स्वयं अध्ययन करने के योग्य व स्वयं परिकल्पना हेतु योग्य बनाएगी। इस पुस्तक की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें उत्तर नहीं है। वास्तव में यह पुस्तक पूर्ण रूप में नहीं है। यह पुस्तक तभी संपूर्ण कहलाएगी जब आप और आपके मित्र, अध्यापक स्वयं के प्रश्नों व अनुभवों को बिना डरे चर्चा करें और अपने कारण बताएँ। हो सकता है कि आपके मित्र आपसे सहमत न हों, किंतु पता करो कि उनका दृष्टिकोण क्या है। अंततः अपने उत्तर पर आइए। आपको अपने उत्तर पर अभी उतना विश्वास नहीं है। आप अपना मन बनाने के लिए बहुत प्रयास-खोजबीन करेंगे। ऐसी स्थितियों में अपने प्रश्नों की सूची ध्यान से बनाइए और अपने मित्रों, अध्यापकों अथवा बड़ों की सहायता से प्रश्न हल करें।

यह पुस्तक आपको हमारे सामाजिक जीवन के विभिन्न दृष्टिकोणों- भूमि व जनता की भिन्नता, आजीविका, नित्योपयोगी वस्तुओं की पूर्ति व प्रबंधन, सभी लोग समाज में समान क्यों नहीं है, किस तरह लोग समाज में समानता लाने का प्रयास कर रहे हैं, किस तरह लोग भिन्न-भिन्न भगवानों को भिन्न-भिन्न तरह से पूजा करते हैं, और अंत में किस तरह एक-दूसरे से संपर्क करते हैं तथा संस्कृति का निर्माण कर साझा करेंगे, के बारे में अध्ययन करने में सहायता करती है।

इन अंशों को समझने के लिए आपको भूमि, पर्वत, मैदान व नदियों व समुद्रों के बारे में समझना चाहिए; दूसरों को समझने के लिए आपको सैकड़ों या हज़ारों साल पहले के बारे में जानना होगा; किंतु आप में से अधिक लोगों को बाहर जाकर अलग-अलग तरह के लोगों से मिलकर बातचीत करनी चाहिए।

जैसे ही इस पुस्तक को आप कक्षा में पढ़ेंगे, आपके सामने कई प्रश्न आयेंगे। अतः ऐसे स्थानों पर रुककर उनके उत्तर देने का प्रयास करें अथवा सुझाये गये क्रियाकलाप करें और आगे बढ़ें। पाठ को तेजी से पढ़ाकर समाप्त करना नहीं है, बल्कि प्रश्नों की चर्चा करते हुए सुझाये गये क्रियाकलाप करें।

कई पाठ परियोजना कार्य सुझाते हैं, जिन्हें करने के लिए आप कुछ दिन ले सकते हैं। इन परियोजनाओं से आपमें सामाजिक विज्ञान के पूछताछ एवं विश्लेषण तथा प्रस्तुतीकरण के कौशलों का विकास होता है। ये परियोजनाएँ पाठ में लिखी सामग्री को स्मरण करने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।

कृपया आप याद रखें कि पाठ में जो दिया गया है उसे स्मरण न करें, बल्कि उनके बारे में सोचिए और स्वयं की अपनी विचारधारा बनाइए।

निदेशक, एससीईआरटी,
तेलंगाणा, हैदराबाद

लेखक

डॉ. एन. चंद्रायुडु, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विभाग, एस.वी. विश्वविद्यालय, तिरुपति

श्री एम. नरसिंहा रेड्डी, जीएचएम जेडपीएचएस पेददाजंगमपल्ली, वाईएसआर कड़पा

श्री के. सुब्रमण्यम, प्राध्यापक सरकारी डायट, कर्नूल

श्री टी. रविंदर, प्राध्यापक सरकारी डायट, वरंगल

श्री के. लक्ष्मीनारायण, प्राध्यापक, DIET, अंगालुरू, कृष्णा

श्री एम पापय्या, प्राध्यापक, एस.सी.ई.आर.टी., तेलंगाणा

डॉ. राचर्ला गणपति, एसए, जेडपीएचएस लाडेल्ला, वरंगल

श्री एस. रहमुतल्ला, जेडपीएचएस भाकरपेट, वाईएसआर कड़पा

डॉ. बी.वी.एन.स्वामी, एसए, जीएचएस हुजुराबाद, करीमनगर

श्री कोरिवी श्रीनिवास राव, एसए, एमपीयूपीएस पी.आर.

पल्ली, टेक्कली, श्रीकाकुलम

श्री पी.वी. कृष्णा राव, एलएफएल हेचएम, पीएस मोहल्ला नं.

सोलह, येल्लंदु, खम्मम

श्री टी. वेंकटय्या, एस ए., जेडपीएचएस एगुवावीधि, चिन्नूर

श्री कासम कुमारस्वामी, एस ए, जेडपीएचएस दौडेपल्ली, आदिलाबाद

श्री वी. गंगी रेड्डी, एस ए, जेडपीएचएस कोंदुर्गा, महबूबनगर

श्री अयाचितुला लक्ष्मण राव, जीएचएस धांगरवाड़ी, करीमनगर

श्री उन्देटी आनंद कुमार, एस ए, जेडपीएचएस सुजातानगर, खम्मम

श्री पी. श्रीनिवासुलु, एस ए, जेडपीएचएस हवेली घनपुर, मेदक

श्री पी. जगनमोहन रेड्डी, एस ए, जेडपीएचएस पिड्चेडु,

गजवेल, मेदक

श्री ए. रविंदर, एस ए, जीएचएस ओरस, वरंगल

श्री ए. एम. श्रीनिवास राव, जेडपीएचएस कोलालपुडी, प्रकाशम

श्री के. मुखर्लिंगम, एस ए, जेडपीएचएस तिलरु, श्रीकाकुलम

श्री एन. सुब्रमण्यम, एस ए, जेडपीएचएस टंगटुरु, नेल्लूर

श्री पी. रत्नगपाणि रेड्डी, एस ए, जेडपीएचएस पोल्कमपल्ली,

महबूबनगर

श्री बी. मरिया रानी, एसए, एमपीयूपीएस चिलकुरनगर, रंगारेड्डी

श्री एस. लक्ष्मी, जीपीएस बाघमूसरिमो, हैदराबाद

श्री एन.सी.जगन्नाथ, जीहेचएस कुलसुमपुरा, हैदराबाद

श्री टी. प्रभाकर रेड्डी, एस ए, जेडपीएचएस शाहबाद, रंगारेड्डी

श्रीमती हेमाखत्री, हैदराबाद, IGNIS (प्रूफ रीडिंग)

समन्वयक

श्री एम. पापय्या, प्राध्यापक, एससीईआरटी, हैदराबाद

श्री एस विनायक, समन्वयक, एससीईआरटी, हैदराबाद

श्री एम. नरसिंहा रेड्डी, जीएचएम, जेडपीएचएस पेददाजंगमपल्ली,

वाईएसआर कड़पा

डॉ. राचर्ला गणपति, एसए, जेडपीएचएस लाडेल्ला, वरंगल

श्री अयाचितुला लक्ष्मण राव, जीएचएस धांगरवाड़ी, करीमनगर

श्री कासम कुमारस्वामी, जेडपीएचएस दौडेपल्ली, आदिलाबाद

श्री उन्देटी आनंद कुमार, जेडपीएचएस सुजातानगर, खम्मम

हिंदी अनुवाद समन्वयक

डॉ. राजीव कुमार सिंह,

यू.पी.एस., याडारम, मेडचल, रंगारेड्डी

हिंदी अनुवाद संपादक

डॉ. सुरभि तिवारी, उप प्राचार्या,
हिंदी महाविद्यालय, नल्लाकुंटा, हैदराबाद।

डॉ. ज्योति श्रीवास्तव, प्रवक्ता,
हिंदी महाविद्यालय, नल्लाकुंटा, हैदराबाद।

हिंदी अनुवाद समूह

डॉ. राजीव कुमार सिंह, यू.पी.एस., याडारम, मेडचल, रंगारेड्डी

डॉ. सैयद एम.एम.वजाहत, जी.एच.एस. शंखेश्वर बाज़ार, हैदराबाद

डॉ. यात्री बुच, प्रवक्ता, हिंदी महाविद्यालय, हैदराबाद

डॉ. विनीता सिंहा, प्रवक्ता, हिंदी महाविद्यालय, हैदराबाद

डॉ. अर्चना झा, प्रवक्ता, हिंदी महाविद्यालय, हैदराबाद

श्री सी.पी. सिंह, प्रवक्ता, हिंदी महाविद्यालय, हैदराबाद

डॉ. रजनी धारी, प्रवक्ता, हिंदी महाविद्यालय, हैदराबाद

सुश्री के. भारती, यू.पी.एस. मदनपल्ली, शमशाबाद, रंगारेड्डी

मो. सुलेमान अली, यू.पी.एस. गाँधी पार्क, मिर्यालगुडा, नलगोंडा

श्री सय्यद मतीन अहमद, राज्य हिंदी संसाधक

श्रीमती संगीता पाण्डेय, कीस हाई स्कूल, सिकंदराबाद

श्री सुरेश कुमार मिश्रा, राज्य हिंदी संसाधक

डॉ. शेख अब्दुल गनी, जी.एच.एस. भुवनगिरि, नलगोंडा

श्रीमती शोभा माहेश्वरी, एस.जी.वी.एम.हाई स्कूल, हैदराबाद

श्रीमती गीता रानी, आर्य कन्या विद्यालय, कोटी, हैदराबाद

श्रीमती जी. किरण, जी.एच.एस. डी एंड डी मलकपेट, हैदराबाद

श्रीमती कविता, जी.एच.एस. चादरघाट-२, हैदराबाद

सुश्री ऋतु भसीन, यू.पी.एस., दोड्डे अलवाल, रंगारेड्डी

श्रीमती अमृत कौर, सेंट अंड्रूज स्कूल, बोयनपल्ली, सिकंदराबाद

चित्रकार

श्री कुरेल्ला श्रीनिवास, जीएचएम,
जेडपीएचएस, कुरमेडु, नलगोंडा

लेआऊट एवं डिजाइन

श्री कुरा सुरेश बाबू,
मन मीडिया ग्राफिक्स, हैदराबाद

इस पुस्तक के उपयोग के लिए अध्यापक तथा विद्यार्थियों के लिए कुछ सूचनाएँ

- इस पुस्तक पर हमने समाजशास्त्र के समस्त पहलुओं पर विचार करने का प्रयत्न किया है। यह राष्ट्रीय और राज्यीय पाठ्यक्रम गठन के कार्यक्रमानुसार बताया गया है कि अध्यापन का अनुशासनिक निवेदन सिर्फ पाठशाला के माध्यमिक स्तर से आरंभ होना चाहिए। आपको भूगोल, इतिहास, नागरिकशास्त्र तथा अर्थशास्त्र का अध्यापन कुछ परंपरागत विधियों से किया गया था। माना गया है कि उनमें की संकल्पनाएँ अनदेखी रह गयी थी। जैसा कि आपने विषय सूचि के पन्ने पर देखा छः विषयों को साथ लाकर उसकी चर्चा की गयी है।
- इस पुस्तक को इस पद्धति और विचार से बनाया गया है कि समाज शास्त्र के अध्यापक तथा विद्यार्थी उसका उपयोग कक्षा में विषय अध्ययन के लिए करे। यह आवश्यक है कि कक्षा में पाठ्यपुस्तक का वाचन हो तथा उस पर चर्चा की जाय।
- पाठ की भाषा शैली : इस पाठ्यपुस्तक को बाल-सहयोगी बनाने का प्रयत्न किया गया है। कुछ ऐसे पद और शब्दावली है जिनका स्पष्टीकरण आवश्यक है। पाठ से संबंधित कुछ ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जिनकी चर्चा की जा सके। प्रत्येक अध्याय को केन्द्रिय विषय पर कई उपशीर्षक दिए गए हैं। आप एक कक्षा की कालावधि में दो या तीन उपशीर्षकों की चर्चा कर सकते हैं।
- इस पुस्तक में विशेष प्रकार के लेखन शैली का उपयोग किया गया है। कुछ स्थानों पर वे उपन्यस्त तथा वर्णनात्मक रूप से दिए गए हैं जैसे कि अध्याय 9 के किरण और सरिता। अधिकतर ये उपन्यस्त है लेकिन पाठ की रूपरेखा के सुसंगत समझाया गया है। कुछ अनुच्छेदों में जैसे अध्याय 6 में सिंगरेनी के कोयला खदान की स्थिति का अध्ययन भी किया गया है। अध्याय 14 में कानून बनाने के अधिकार को तुलनात्मक तत्वों द्वारा सारिणी रूप में भी दिया गया है। विषयों को विभिन्न भाषा शैलियों में प्रस्तुत किया गया है।
- पाठ के मध्य में प्रश्नों का उपयोग तथा पाठ के अंत में प्रश्न : इन गद्यांशों के मध्य में की महत्वपूर्ण प्रश्न दिये गए हैं। इन प्रश्नों को मत छोड़िए, ये प्रश्न अध्ययन-अध्यापन विधि को पूर्ण करते हैं। ये प्रश्न अलग प्रकार के हैं। इनमें से कुछ पढ़े गये अनुच्छेद के संक्षेपण तथा मूल्यांकन में सहायक होते हैं। या वे पूर्व उपशीर्षक के लिए अधिक जानकारी प्राप्त करने में भी सहायक बनते हैं उन प्रश्नों के उत्तरों को प्रत्यक्ष रूप से निर्देशन मत कीजिए। उन्हें स्वयं के उत्तर को प्राप्त करने दीजिए। उन प्रश्नों पर विद्यार्थियों के बीच चर्चा कर उन प्रश्नों के उत्तर ढूँढे जाएंगे।
- पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का उपयोग : 1) विद्यार्थियों को अपने अनुभवों को लिखने के लिए कहना। 2) उनके अनुभवों को गद्यांशों के उदाहरण से तुलना करना। 3) पाठ्यपुस्तक में दिये गये तीन परिस्थितियों की तुलना करना। 4) ऐसे प्रश्न जो विद्यार्थियों की स्थिति अध्ययन तथा घटनाओं पर अपने विचार प्रदर्शन का अवसर देते हैं। 5) ऐसे प्रश्न जो अध्याय के विशेष स्थिति का मूल्यांकन करते हैं।
- कक्षा में शिक्षक इन प्रश्नों का प्रयोग करने के लिए विभिन्न कार्यनीतियों को अपना सकते हैं। कुछ प्रश्नों को उत्तरपुस्तिका में लिखा जा सकता है। कुछ की छोटे समूह में चर्चा की जा सकती है और कुछ प्रश्नों को व्यक्तिगत कृत्यक के रूप में लिखा जा सकता है। सभी परिस्थितियों में विद्यार्थी को अपने शब्दों में लिखने के लिए प्रेरित किया जाय। सभी विद्यार्थियों को एक ही शैली और ढाँचे में लिखने के लिए बाध्य न करें।

- प्रत्येक अध्याय में कुछ डिब्बे दिये गये हैं । उनमें अध्याय से संबंधित कुछ मुख्य सूचनाएँ दी गयी है। उनकी कक्षा में चर्चा करना आवश्यक है। इससे संबंधित क्रियाकलापों को देना चाहिए। लेकिन उन्हें योगात्मक मूल्यांकन में मत जोड़िए ।
- पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त चित्र परंपरागत पाठ्यपुस्तकों में चित्र केवल दृश्य राहत छवियों के रूप में है। हालांकि चित्रों के उपयोग का उद्देश्य गद्यांशों जितना ही महत्वपूर्ण है। कानून और न्याय संबंधित कुछ चित्रों का वर्णन या विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों में नेताओं की छवियों का उपयोग किया जाता था। अन्य सभी मौकों पर विषयों को समझाने के लिए छवियों का उतना ही महत्व है जितना गद्यांशों का है। हमने विभिन्न प्रकार के छवि चित्रण जैसे फोटो, रेखाचित्र, कार्टून पोस्टर आदि का विभिन्न ऐतिहासिक अंशों से रूप में लिया है। जैसे पाठ्यपुस्तक में गद्यांशों के विभिन्न शैलियों को उपयोग किया गया है। उसी प्रकार छवियों को भी भिन्न रूपों में दर्शाया गया है।
- मानचित्र सारणियाँ तथा आलेख : इस पाठ्य पुस्तक में दिए गए मानचित्र हमें भौगोलिक, ऐतिहासिक राजनीतिक तथा अर्थशास्त्रिक विषयों की जानकारी देते हैं। वे सूचनाओं को अत्यंत रोचक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। समाज शास्त्र में सारिणी तथा आलेखों का अध्ययन आवश्यक है। अक्सर ये हमें विषयों की गहन सूचनाएँ प्रदान करते हैं ।
- परियोजना : इस पाठ्यपुस्तक में विभिन्न परियोजनाओं को उल्लेखित किया गया है। सभी परियोजनाये पूरी करना संभव नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिए कि सिर्फ पुस्तक के वाचन से विषयों का अध्ययन नहीं हो सकता । परियोजनाएँ विद्यार्थियों को समाज के व्यक्तियों से मेलजोल बनाने में सूचनाओं को एकत्रित करने में तथा उन्हें व्यवस्थित रूप से प्रदर्शित करने में सहायक बनते हैं । साक्षात्कार के लिए प्रश्न तैयार करने, बैंकों के सर्वेक्षण की योजना या छवि, सारिणी तथा आलेखों के आधार पर विषयों को एकत्रित कर प्रस्तुत करना सामाजिक शास्त्र की कुशलता होती है। ये सभी कार्य विद्यार्थियों को मिल जुलकर सामूहिक कार्यों में विचारों के आदान-प्रदान को प्रेरित करती हैं।
- हम पाठ्यपुस्तक के अभ्यास एवं मूल्यांकन के लिए सामग्री से जुड़े मानचित्रों, तालिकाओं एवं प्राजेक्टों का प्रयोग करें।
- चर्चा साक्षात्कार लेना, वादविवाद, एवं प्राजेक्टों पाठ के बीच-बीच सीख में सुधार के बाद दिए जाते हैं। बच्चों में सामाजिक जागृकता, संवेदनशीलता और सकारात्मक रवैये के विकास करने हेतु इस का उपयोग करना चाहिए।

ACKNOWLEDGEMENT

हम उन सभी को धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने पाठ्यपुस्तक निर्माण में अपना योगदान देकर इस पुस्तक को अधिक गुणशाली बनाया। हम धन्यवाद करते हैं, श्री के. जोशी राज्य सह समन्वयक, तेलंगाना मानवाधिकार शिक्षा, डॉ. रमनी अटकूरी चिकित्सा व्यवसायी, भोपाल श्री वेलिना मुरारी बेंगलूर श्रीमती भाग्यलक्ष्मी, मंची पुस्तकम, हैदराबाद, प्रोफेसर के. के. कैलाश पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, प्रोफेसर ई.शिवानाशी रेड्डी, पुरातत्व विभाग और संग्रहालय तेलंगाना डायरेक्टर राज्य केंद्रीय पुस्तकालय और संदर्भ अनुभाग कर्मचारी और इस कार्यशाला में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं। तेलंगाना सरकार के शिल्पकला संग्रहालय को हमारा धन्यवाद। पुस्तक में प्रयुक्त कुछ चित्रों को विकिपीडिया व इन्टरनेट और क्रिएटिव कामन्स लाइसेंस द्वारा प्राप्त किया गया है।

हमें अनेकों शिक्षकों, शिक्षाविदों तथा अन्यो से जो प्रतिपुष्टियाँ प्राप्त हुई हैं उससे हमें पुस्तकों के अद्यतन और पुनरावृत्ति में बहुत सहायता मिली है। उनकी इन प्रतिपुष्टियों के लिए हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। विशेषकर, हम भारतीय इतिहास जागरूकता एवं अनुसंधान (IHAR), हॉस्टन, यू.एस.ए. के विशेष आभारी हैं जिन्होंने हमारी पाठ्यपुस्तकों की विस्तृत समीक्षा की है जिसके फलस्वरूप पाठ्यपुस्तकों में अनेक सुधार किये गये।

विषयसूची

क्र.सं.	विषयसूची	पृष्ठ सं.	पृष्ठ सं.
भाव - I: भू-विविधता			
1.	मानचित्र पठन तथा विश्लेषण	1-17	जून
2.	सूर्य से प्राप्त ऊर्जा	18-32	जून
3.	पृथ्वी की गति और मौसम	33-39	जुलाई
4.	ध्रुवीय क्षेत्र	40-48	जुलाई
5.	वन : सदुपयोग-संरक्षण	49-61	जुलाई
6.	खनिज एवं खनन	62-74	जुलाई
भाव - II: उत्पादन, विनिमय तथा आजीविका			
7.	मुद्रा एवं बैंकिंग	75-87	अगस्त
8.	आजीविका पर प्रौद्योगिकी का प्रभाव	88-98	अगस्त
9.	सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सरकार	99-108	अगस्त
भाव - III: राजनैतिक व्यवस्था तथा प्रशासन			
10.	अंग्रेज़ और निज़ाम शासन में ज़मींदार और किसान	109-118	सितंबर
11A.	राष्ट्रीय आंदोलन - आरंभिक काल 1885-1919	119-126	सितंबर
11B.	राष्ट्रीय आंदोलन - स्वतंत्रता की ओर 1919-1947	127-137	सितंबर
12.	हैदराबाद राज्य में स्वतंत्रता आंदोलन	138-150	सितंबर
13.	भारतीय संविधान	151-161	अक्तूबर
14.	संसद तथा केन्द्र सरकार	162-173	अक्तूबर
15.	कानून तथा न्याय - एक केस अध्ययन	174-185	नवंबर
भाव - IV: समाजिक संगठन तथा अन्याय			
16.	जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन	186-192	नवंबर
17.	निर्धनता को समझना	193-204	नवंबर
18.	विकास के सही उपागम	205-211	दिसंबर
भाव - V: धर्म तथा समाज			
19.	सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन	212-223	दिसंबर
20.	धर्मनिरपेक्षता को समझना	224-227	दिसंबर
भाव - VI: अध्याय			
21.	आधुनिक समय में कला एवं कलाकारों का प्रदर्शन	228-237	जनवरी
22.	सिनेमा तथा मुद्रण माध्यम	238-244	फरवरी
23.	राष्ट्रीयता, वाणिज्य और खेल-कूद	245-252	फरवरी
24.	प्राकृतिक आपदा प्रबंधन	253-260	फरवरी
पुनरावृत्ति तथा वार्षिक परीक्षा			मार्च

राष्ट्र-गान

- रवींद्रनाथ टैगोर

जन-गण-मन अधिनायक जय हे!

भारत भाग्य विधाता।

पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा,

द्राविड़, उत्कल बंग।

विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा

उच्छल जलधि-तरंग।

तव शुभ नामे जागे।

तव शुभ आशिष मांगे,

गाहे तव जय गाथा।

जन-गण-मंगलदायक जय हे!

भारत-भाग्य-विधाता।

जय हे! जय हे! जय हे!

जय, जय, जय, जय हे!

प्रतिज्ञा

- पैडिमरि वेंकट सुब्बाराव

भारत मेरा देश है और समस्त भारतीय मेरे भाई-बहन हैं। मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ और इससे प्राप्त विशाल एवं विविध ज्ञान-भंडार पर मुझे गर्व है। मैं सर्वदा इस देश एवं इसके ज्ञान-भंडार के अनुरूप बनने का प्रयास करूँगा। मैं अपने माता-पिता और अध्यापकों तथा समस्त गुरुजनों का आदर करूँगा और प्रत्येक व्यक्ति के प्रति नम्रतापूर्वक व्यवहार करूँगा। मैं जीव-जंतुओं से भी प्रेमपूर्वक व्यवहार करूँगा। मैं अपने देश और उसकी जनता के प्रति अपनी भक्ति की शपथ लेता हूँ। उनके मंगल एवं समृद्धि में ही मेरा सुख निहित है।

मानचित्र पठन तथा विश्लेषण

Reading and Analysis of Maps



चित्र 1.1: विश्व का चित्र (उपग्रह द्वारा चित्रित)

आप को याद होगा, हमने कक्षा 6 में मानचित्र बनाये थे जो ऊँचाई दिखाते थे। अब तक आप सबने अलग-अलग जगहों को दिखाते हुए कई नक्शों के बारे में पढ़ा होगा। क्या आप बता सकते हैं कि मानचित्र और उसी स्थान का बादलों में से लिये हुए चित्र इन दोनों में क्या भेद है ? उदाहरण के रूप में इस चित्र को देखिये (चित्र 1.1) और मानचित्र (मानचित्र 1) देखिये। क्या आप दोनों में भिन्नता और समानता पहचान सकते हो?



मानचित्र 1: विश्व का बाह्य रेखीय मानचित्र

मानचित्र की तरह, कोई वास्तविक लक्षण दिखाता नहीं है। भूगोलवेत्ता काफी महत्व के लक्षण दिखाने के लिये मानचित्र का उपयोग करते हैं। उदा. के रूप में बारिश कितनी होगी, भिन्न लोगों की भिन्न-भिन्न भाषाएँ, कितना खाद्य-उत्पादन होगा, बाजार, पाठशाला, आदि है। मानचित्र बनाने वाला कई सारे लक्षणों को मानचित्र से निकाल देता है जो चित्र में दिखाई पड़ते हैं। उदा. व्यक्तिगत घर, पेड़-पौधे, आदि। मानचित्र बनानेवाला मानचित्र को वही स्वरूप देता है जो इसके हिसाब से काफी महत्व के लक्षण दिखाये। जैसे कि चित्र ये नहीं बता सकते कि बारिश कहाँ होगी, कहाँ ज्यादा धूप गिरेगी, लोग कौन-सी भाषाएँ बोलते हैं, परंतु यह सभी मानचित्र में दिखाई पड़ता है। यही कारण है कि लोग तरह-तरह के परिणाम के लिये तरह-तरह के मानचित्र बनाते हैं। अब आप पुराने बने हुए मानचित्र देखो। वे अपने उद्देश्य के लिए कितनी भिन्न तरह से निर्भर हैं।


पुराने मानचित्र

भारत में मानचित्र का निर्माण : प्रारंभिक प्रागैतिहासिक काल से ही लोग पृथ्वी, नदियों,



Map 4.2 Round World surrounded by water as conceived in Mahabharata

समुद्रों, आसमान आदि विश्व व्यवस्था के बारे में कल्पना करते हैं। अक्सर ये कल्पनाएँ दृश्य रूप में दिखायी देती हैं। हमारे पास मध्य प्रदेश के जाओरा से एक पेंटिंग है जो भूमि, जल और आसमान को दर्शाती है। विश्व तत्व संबंधी कल्पनाएँ वैदिक और पौराणिक काल में भी चलती रही जब, यह सोचा जाता था कि पृथ्वी पर सात समुद्रों से घिरे सात द्वीप हैं जो केंद्र में माउण्ट मेरू के साथ



Map 4.1 Seven Dvipas of the World as conceived in Ancient India

समकेंद्रित वृत्त में व्यवस्थित है। भारत (भारतवर्ष) इनमें से एक द्वीप- 'जांबद्वीप' में स्थित है। वास्तुकारों ने वैदिक बलि वेदियों और भवनों के लिए विस्तृत योजना तैयार की और इनमें से कुछ रेखा चित्र बचे हैं जो विशेषतः मध्ययुग के हैं। हमें स्थानों को दर्शाने वाले कई चित्रिय मानचित्र भी प्राप्त हुए हैं जो विशेषतः तीर्थ स्थलों के हैं। हिंद महासागर के तट से यात्रा करने वाले नाविक भी बंदरगाहों, शोलों, द्वीपों की स्थिति को दर्शाते विस्तृत मानचित्र या तटीय रेखा के रेखाचित्र रखते थे।

अक्षांशों और देशांतरों की समझ ने विभिन्न स्थानों की स्थिति निर्धारित करने में सहायता की है। पाँचवीं शताब्दी CE में हमने आर्यभट्ट ने इन संकल्पनाओं का उपयोग करते पाया है। यह स्पष्ट नहीं है कि इनका उपयोग मानचित्र बनाने में कब हुआ है।

मुगल काल में भारतीय मानचित्र निर्माताओं के समक्ष केंद्रीय एशियाई मानचित्र निर्माताओं के तरीके प्रस्तुत किये गये और सत्रवही शताब्दी में सादिक इस कहानी के द्वारा जौनपुर में एक एटलस तैयार किया गया। इसने अपने मानचित्रों में स्थानों को निश्चित करने के लिए अक्षांशों और देशांतरों का उपयोग किया। मुगल काल की समाप्ति के पश्चात जब ब्रिटिशों ने भारत का मानचित्रण आरंभ किया, हमने कई विभिन्न प्रकार के प्रचलित मानचित्रों के बारे में जाना। दुर्भाग्य से इनमें से कई मानचित्र गुम गये और कुछ ही शेष बचे हैं।

मानचित्रों का अपना बड़ा लंबा अतीत है। पहले में से कुछ बचे हुए मानचित्र सुमेरियनों (इराक) द्वारा चार हजार साल पूर्व बनाये गए थे। ये मानचित्र (क्ले टैबलेट) पर बनाये गये थे।



चित्र 1.2: सुमारियन क्ले टैबलेट

सुमेरियनों के मंदिरों की काफी बड़ी मात्रा में जमीने थी और उन लोगों को इन मंदिरों और जमाने के द्वारा उपजाऊ वेतन का हिसाब रखना होता था। यही उपजाऊ वेतन का हिसाब रखने में मानचित्रों की सहायता लेते थे।

दुनिया के सबसे पुराने मानचित्रों बेबिलोनिया (इराक के लोग) ने बनाये थे। यही दुनिया थी जो उन लोगों ने सोची थी। इन्हीं में से औशती ही एक

पत्थरों पर बनाये गये मानचित्र, जो 2600 साल पुराना मानचित्र नीचे दिखाया गया है। उन लोगों ने इस दुनिया को कोल प्लेट की तरह माना था। अंदर के वर्तुक्त में सभी शहरों को दिखाया गया। (छोटे वर्तुक्त), गाँव, नदियाँ, पहाड़ सभी कुछ जो वे लोग जानते थे। बेबिलोन का शहर बीच में दिखाया गया। अंदर के छोटे वर्तुक्त के बाद एक कड़वी नदी थी या नमक के स्वाद का पानी से भरा हुआ समुद्र था जिसमें सात त्रिकोणीय टापु थे।



चित्र 1.3: बेबिलोन का पत्थार पर बना मानचित्र

इसी समय ग्रीक के भूगोलवेत्ता जैसे कि एनोक्सिममेन्डर और मिलेहस (टर्की) का हेकाटियस और हेरोडोहस ने भी विश्व के मानचित्र बनाये



मानचित्र 4: हेकाटियस द्वारा बनाया गया विश्व का नक्शा

जिसमें पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण बताया गया। उनके विचार बेबिलोनवासियों से मिलते थे। वे मानते थे कि विश्व एक गोल प्लेट है जो समुद्र के आसपास है। उन्होंने लंबी यात्राएँ की और वहाँ की भूमि, लोग और उनके इतिहास का वर्णन किया जो उन्होंने देखा था और सुना था। उन्होंने अपनी यात्रा और वर्णन के आधार पर मानचित्र बनाये। ये बात सच है कि यह मानचित्र आज उपलब्ध नहीं हैं। इतिहासकारों ने इसे वापस बनाने की कोशिश की। उनके वर्णनों के आधार पर ऐसा ही एक मानचित्र चित्रित है।

जैसा कि आप देख सकते हैं, वे नक्शे के बीच में ग्रीस रखा है। यूरोप, लीबिया (आफ्रीका) और एशिया, जो सभी भूमध्य सागर (नक्शा 4) से अलग हो गए थे। ग्रीक और फिर रोमन की प्रजा भी मानचित्र बनाने लगी। वे पास और दूर के स्थानों के बारे में रुचि रखते थे। वो दुनिया को जीतना चाहते थे। इसलिए वे दूर-दूर के स्थानों में पर व्यापार करके कॉलनियों का निर्माण करना चाहते थे। आपने अलेक्जेंडर के बारे में सुना होगा, यह ग्रीक राजा पूरे विश्व को जीतना चाहता था। 2300 साल पहले वह भारत पर विजय पाने आया था। इसी तरह रोमन व्यापारी जो जहाज के द्वारा भारतीय तटों पर आये और व्यापार केंद्रों की स्थापना की, उनके लिए मानचित्र उपयोगी था और आवश्यक था।

मानचित्र नाविकों को सटीक होने में सहायता करते थे। यूनानिनी मानचित्र में देशांतर और अक्षांश की सहायता से सटीक बनते थे। यह देखना है कि यह कैसे किया गया था? ये मेरिडीयन या देशांतर था। वे उत्तर-से दक्षिण की एक पंक्ति के साथ शामिल होते थे-जहाँ पर एक ही समय पर दोपहर

होती थी। उन्होंने दोपहर में जिन स्थानों पर छाया की लंबाई बराबर थी उन्हें अक्षांश में शामिल किया। इन दो प्रकार की लाइनों को नक्शे की मदद से आकर्षित किया। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की इन पंक्तियों के स्थानों में स्थित है। ये सरल नहीं था पर इन दोनों रेखाओं की सहायता से नक्शे पर स्थान ढूँढना व्यापारियों के लिये सरल था। पूर्णतः सही देशांतर और अक्षांश की खोज में 2000 वर्ष लग गए। जिन्हें उनकी मंजिल तक ये पहुँचाते थे। साथ-साथ व्यापारी अपनी की गयी यात्रा के स्थानों को नक्शों बनाने वालों से बताते थे।

प्राचीन विश्व के प्रसिद्ध भूगोलशास्त्री टोलेमी थे जिन्होंने विश्व का नक्शा इन्हीं रेखाओं का प्रयोग करके बनाया। हालांकि यह मानचित्र लंबे समय तक खो गये थे।

आपने ध्यान दिया होगा कि इन नक्शों में आसपास के देशों से यूरोप सबसे अधिक सही जानकारी देता है। वास्तव में नक्शे के बीच ग्रीस या रोम है। ये लोग सबसे सही जानकारी व्यापारियों द्वारा की गई यात्रा द्वारा प्राप्त स्थानों को देते थे। लेकिन उन्हें बहुत गहरे स्थानों के बारे में पता नहीं था। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि एशिया के नक्शे में भारत श्रीलंका से छोटा बनाया गया है क्योंकि नाविक इससे अधिक परिचित थे।

टोलेमी के पुस्तके नाविकों और व्यापारियों के लिए नक्शा तैयार करने में सहायक थी। अल इदरिसी एक प्रसिद्ध अरब नक्शा निर्माता था, जो 1154 में अपने राजा के लिए नक्शे बनाता था। अरबी में लिखा है जबकि यूरोशिया महाद्वीप पूरी तरह दिखता है, केवल आफ्रिकी महाद्वीप के उत्तरी भाग से पता चलता है और दक्षिण आफ्रिका और दक्षिण एशिया की जानकारी का अभाव है।



मानचित्र 5: अल इदरिसी द्वारा बनाया गया नक्शा (1154)

इस मानचित्र के बारे में दिलचस्प बातें हैं। सबसे पहले यह नक्शा दक्षिण के ऊपर की ओर और उत्तर को नीचे की (5 नक्शा) ओर दिखाता है। नक्शे के प्रमुखता केन्द्र में अरब हैं।

- क्या आप अनुमान कर सकते हैं ? आप भारत और श्रीलंका को (जो बहुत बड़ा दिखाया है) ढूँढ सकते हैं ?

इससे पहले की वे टोलेमी की पुस्तकें खोजे, वे बाइबल के धार्मिक विचारों से प्रभावित थे और उन विचारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए दुनिया के नक्शे बनाये। उस समय के नक्शे को देखिए।



नक्शा 6:
बाइबल के
अनुसार दुनिया
का मॉडल।

यह वास्तव में बाइबल के अनुसार विश्व का नमूना था। यह महासागरों से घिरा हुआ है और उन महाद्वीपों एशिया, आफ्रिका और यूरोप में विभाजित है। इनमें एशिया सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण माना जाता था। सबसे बड़ा पर जेरूसलम ईशू का जन्मस्थान माना जाता था। इसीलिए शीर्ष पर दिखाया गया है। यूरोप और आफ्रिका को तल पर दिखाया है और छोटे आकार में है।

1480 CE के आस पास युरोपियनों ने टोलेमी की पुस्तकें खोजी और स्थानों का सटीक वर्णन देखकर दंग रह गये। उन्होंने नये नक्शे तैयार किये। आप इस प्रकार का एक (नक्शा 7) में देख सकते हैं।



नक्शा 7: गणितीय गणना पर आधारित टोलेमीकी पुस्तक को पढ़ने के बाद तैयार नक्शा।

ऊपर दिखाए गए नक्शे के विपरित यह दूरी और दिशाओं की वास्तविक गणितीय गणना पर आधारित है।

15 वीं शताब्दी के दौरान टोलेमी ने अरबी दुनिया में एक नया उत्साह प्रेरित किया और कुछ महत्वपूर्ण शाखाएँ जैसे कि इटली की स्कूल, फ्रेंच स्कूल, अंग्रेजी स्कूल जर्मन स्कूलों को विकसित किया। सौभाग्य से यह खोज जो नक्शे और उसके महत्व को लोकप्रिय बना पायी। अरबों ने भूमध्य सागर से भारत आने का रास्ता रोक रखा था। पश्चिम यूरोपीय व्यापारी (स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, और इंग्लैण्ड से) को व्यापार करने के लिए भारत का नया मार्ग खोजने की शुरुआत की। इस प्रकार कोलंबस पश्चिम चला गया और अमेरिका को खोजा, जबकि वास्को डी गामा आफ्रिका के आसपास चला गया और वहाँ से भारत पहुँच गया। इन सब से पता चलता है होता है कि पृथ्वी सपाट डिस्क की भाँति नहीं परन्तु गेंद की तरह गोल है।

16वीं शताब्दी में हॉलैंड एक प्रमुख व्यापारी केन्द्र बना। उसने समुद्री वर्चस्व और व्यापार में वृद्धि के साथ-साथ नक्शा निर्माताओं को भी बड़ी सफलता प्रदान की। डच मानचित्रों के जनक गेराडस (1512-94) मर्केटर, जिन्होंने पिछले कार्यों की जांच की



नक्शा 8: गेराडस मर्केटर द्वारा 16वीं शताब्दी में बनाया गया विश्व नक्शा

और अधिक नक्शों पर काम किया था। उसका कार्य मर्केटर चित्र प्रदर्शन के नाम से जाना जाता है। दुनिया के नक्शे का उपयोग हम इस चित्र प्रदर्शन के आधार पर कर रहे हैं।


मानचित्र में चित्र प्रदर्शन

जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व एक गोले की तरह है, लेकिन जब हम उसे कागज पर उतारते हैं तो वह सपाट दिखता है। यह कुछ विकृति का कारण बनता है-या तो महाद्वीपों और दूरी का आकार अलग हो जाएगा या तो चीजें गलत दिशा में हो जाएगी। नाविकों को सही दिशा और आकार की जानकारी की आवश्यकता होती है, जिससे वे स्थलों को पहचान सकते हैं। मर्केटर ने सही दिशा और महाद्वीपों की दिशाओं को बताने के लिए एक पद्धति तैयार की है इस पद्धति का (मर्केटर अनुमान कहा जाता है) अभी भी प्रयोग में है।

- आप को क्या लगता है कि नाविकों ने आरम्भ में नक्शों के निर्माण को प्रभावित किया है ?
- आपको ऐसा क्यों लगता है कि नक्शा निर्माता नक्शे के बीच में अपने ही देश को रखते हैं ?

उपनिवेशीकरण, खोज, सैन्य उपयोग और नक्शा बनाना :

जब यूरोपीय शक्तियाँ पूर्ण खंड उत्तर से दक्षिण अमेरिका, आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया को जानने की आवश्यकता है तो उनकी जलवायु, फसलों, खनिज संसाधनों और लोगों के बारे में पता करना आवश्यक हो जाता है। तब वैज्ञानिकों और नक्शा निर्माताओं को विश्व के विभिन्न भाग में



नक्शा 9: भारत का ब्रिटेनकालीन नक्शा

नक्शा निर्माण के लिये भेजा जाता है। इन समूहों ने महाद्वीपों, पहाड़, रेगिस्तान और नदियों को पार किया और जानकारी प्राप्त की। इस जानकारी और नक्शे का ज्ञान लेकर ये उपनिवेशक शक्तियाँ इन क्षेत्रों पर अपना शासन स्थापित करना चाहती थी। वे इस क्षेत्र के संसाधनों का शोषण करना चाहती थी।

जब ब्रिटिश भारत में अपनी शक्ति स्थापित करने लगे तब उन्होंने यहाँ के आंतरिक स्थानों के नक्शे बनाना शुरू कर दिया था। उन्होंने पूरे देश के नक्शे और सर्वेक्षण के लिए 'भारतीय सर्वेक्षण' नामक विभाग की स्थापना की। जेम्स रेनक 'सर्वेक्षक जनरल' के पद पर नियुक्त किया गया। जिसने भारत के पहले सर्वेक्षण पर आधारित नक्शे तैयार करवाये। भारत का नक्शा (नक्शा 9) ब्रिटिश काल के समय बनाया गया है और इस की तुलना वर्तमान नक्शे से करो।

1802 में विलियम मेम्बटन का विश्व में सबसे महत्वपूर्ण सर्वेक्षण करवाया। दक्षिण में चेन्नई से शुरू करके हिमालय तक बनवाया, जिसमें देशांतर की ऊँचाई और लंबाई निर्धारित की गई। ये सर्वेक्षण सर जार्ज एवरेस्ट ने पूर्ण किया। ये यह सर्वेक्षण है जिसे विश्व की सबसे बड़ी चोटी (चट्टान) माउंट एवरेस्ट का नाम दिया गया। इसमें पहली बार वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया गया था। सर्वेक्षण चेन्नई से आरम्भ हुआ क्योंकि सभी ऊँचाईयाँ समुद्र तल से मापी जाती है।

नक्शे की सबसे अधिक आवश्यकता युद्ध के समय सेना और हवाई सेना को द्वारा होती थी। दोनों विश्व युद्धों में इसका प्रयोग किया गया था। कई सरकारों ने इस प्रकार के नक्शे गुप्त रखने की कोशिश की जिससे दुश्मन उसका उपयोग न कर पाये। हाँलांकि हमारे समय ये मानचित्र उपग्रह द्वारा

लिया जाता है। हमारे पास सटीक और विस्तृत नक्शे ही नहीं हैं, बल्कि अब ये सरकारों के लिये गुप्त रखने के लिए संभव नहीं है। यह जानकारी आज कल अध्ययन के लिए उपलब्ध है।

- क्या आप को लगता है कि नक्शे के लिए इस निःशुल्क उपयोग करना एक अच्छी बात है? क्यों?
- आप क्या सोचते हैं कि उपनिवेशिक शक्तियाँ विस्तृत नक्शे तैयार करने पर इतना पैसा क्यों निवेश कर रही है ?
- पता लगाइये कि कुछ महान खोजकर्ताओं जैसे कि डेविड लीपिंगस्टन, स्टेनली, एम्यूडसन आदि में से किसने और क्यों उनके अभियानों को आर्थिक संरक्षण दिया ?

हमारे समय में नक्शे के प्रयोग

जैसा कि हमने देखा कि नक्शे बनाये नये और उनका प्रयोग विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया गया जैसे कि व्यापार, नौकायान, विजय अभियान, युद्ध के लिए आदि। हमारे समय में नक्शों का प्रयोग देशों के विकास की योजनाओं के लिए किया जाता है। यह योजनाकारों को एक क्षेत्र की समस्याओं को पहचानने में नक्शे से मदद मिलती है, संसाधनों की खोज भी इस नक्शे की मदद से की जा सकती है। उदा. के रूप में हम बहुत कम मीठे पानी के क्षेत्रों का नक्शा बना सकते हैं। वर्षा, भूजल और नदियों जैसे जल संसाधनों को नक्शों के द्वारा दिखा सकते हैं और नक्शों की तुलना कर सकते हैं कि कम पीने के पानी वाले क्षेत्र में किस प्रकार से पानी उपलब्ध करवाया जा सके। वर्षा से भौम जलस्तर से, नदियों से इस तरह हम कृषि विकास योजना में उद्योग नक्शे की मदद से सड़कों, अस्पतालों और स्कूलों की निर्माण भी कर सकते हैं। इस तुलना के आधार पर इस क्षेत्र के लोगों को पीने के पानी की उपलब्धता नलकूपों, बाँधों, प्रवाहों एवं टंकियों के (चेरुवु) निर्माण या बड़ि नलियों द्वारा सुधूर प्रांतों से पानी लाना।

नए स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना की योजना का इस्तमाल नक्शे के द्वारा कैसे कर सकते हैं ? इस के लिए नक्शे के विभिन्न प्रकार का अध्ययन करना होगा ?

आप सुझाव दे? कंपनियाँ अपने काम को बढ़ाने के लिए भी नक्शों का प्रयोग करती है। उदा. के तौर पर एक मोबाइल कंपनी अपने नेटवर्क का प्रसार करना चाहती है। इसके लिए गाँवों और कस्बों के नक्शे तथा पहाड़ियों और बनों के नक्शे से माइक्रोवेव टावरों को बना सकती है।

- अगर किसी को उपयुक्त स्थानों का चयन करने के लिए एक अस्पताल स्थापित करा है तो वह किस तरह नक्शे का उपयोग करेगा ? एक सूची बनाओ।
- क्या युद्ध में सेना के लिए नक्शों की आवश्यकता है? आप का क्या विचार है?

विषयगत नक्शे पढ़ना

आपने ऊपर देखा कि नक्शे सिर्फ जगह के नाम और दूरिया ही नहीं दिखाते हैं। वह दूसरे प्रकार की सूचनाएँ देने में भी प्रयोग में आते हैं। जैसे कि क्षेत्र (पहाड़, चट्टान, मैदान, आदि) के लोगों की आर्थिक गतिविधियाँ, बोली जानेवाली भाषाएँ, साक्षरता, आदि प्रकार के पहलू पर नजर डालता है। आम तौर पर यह नक्शा किसी भी एक पहलू पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार के नक्शों का विभिन्न नाम दिये जाते हैं- जैसे कि राजनीतिक नक्शे जो मंडल, जिलों, राज्यों, देशों, राजधानियों के बारे में जानकारी देते हैं। कुछ भौतिक नक्शे जो पहाड़ों, नदियों, आदि जो भूमिगत मानचित्र बताते हैं कि कैसे लोग किस प्रकार लोग भूमि का प्रयोग कर रहे हैं। उदा. के रूप में गाँव की कुछ भूमि का प्रयोग चरावाहे के लिए किया जा सकता है। खाद्य फसलों को विकसित करने के लिए, कपास जैसी नकदी फसलों को ऊपर विकसित के लिए है, जबकि कुछ

हिस्सों में निवास, स्कूलों, पूजा के स्थानों और दुकानों के लिए आरक्षित किया जा सकता है। कुछ मार्गों को बेकार या बंजर भूमि को पानी के लिए जलाशयों के रूप में रखा जा सकता है। जब नक्शे बनाते हैं तो गाँव में भूमि का उपयोग विभिन्न रूप से करने के लिये उसे चिन्ह, रंग और पैटर्न से बता सकते हैं। नीचे दिए गए रंग और काड भूमि का उपयोग करने के लिए नक्शे में प्रयोग करते हैं।

रंग	भू-आवरण/ भू-उपयोग
गहरा हरा	वन
हल्का हरा	हरे मैदान
भूरा	खेती योग्य भूमि
पीला (स्थलाकृति के मानचित्र)	फसल क्षेत्र
गहरा (Gray) रंग	पर्वत
हल्का (Gray) रंग	पहाड़, चट्टान
हल्का पीला	मैदान तथा दलदल, पठार
हल्का लाल	व्यर्थ भूमि
हल्का नीला	टैंक, नदियाँ, नहर, कुएँ आदि।
गहरा नीला	महासमुद्र एवं सागर
सफेद	खनिज उपलब्धियों के स्थान
काला	सीमाएँ

विभिन्न सामाजिक-आर्थिक विषयों के विवरण के लिए हम नक्शे में अंक, प्रतीक, रेखाओं, आदि का प्रयोग करते हैं। ज्यादा सूचनाओं का डोट विधि, चाहे, रेखांकन आदि के माध्यम से नक्शे में दिखा सकते हैं। इस प्रकार की पैटर्न तकनीक का उपयोग नक्शे में किया जाता है।


जनसंख्या का नक्शा बनाओं!

उदा. के लिए अपने स्कूल के अलग वर्ग का एक चित्र नक्शे में दिखाएँ। प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या का पता लगाये और वर्ग के हर पाँच छात्र के लिए बिंदु बनाइये। यह आपके स्कूल की आबादी का नक्शा है। कुंजी बाक्स में कितने छात्रों को बिंदु का प्रतिनिधित्व दिया है वह याद करके लिखिए।

जनसंख्या को छायांकन के माध्यम से भी नक्शे में पर दिखाया जा सकता है। जनसंख्या घनत्व नक्शे के लिए किया जाता है। पहले हम एक जगह में रहने वाले लोगों की कुछ संख्या का अनुमान करते हैं। फिर हम जगह के कुछ क्षेत्र को मापने के लिए तैयारी करेंगे और जगह के क्षेत्र के लोगों को विभाजित करेंगे। उदा. के लिए यदि एक गाँव का क्षेत्र दस किलोमीटर वर्ग है और यहाँ एक हजार लोग रहते हैं, तो गाँव की जनसंख्या घनत्व सौ प्रति वर्ग किलोमीटर है। एक ही पद्धति का उपयोग करके हम बाहर समस्त राज्यों की जनसंख्या के घनत्व को पा सकते हैं। निम्न तालिका देखिये जो भारत के विभिन्न राज्यों की जनसंख्या घनत्व को दिखाता है।

जनसंख्या घनत्व

राज्य	घनत्व	राज्य	घनत्व	राज्य	घनत्व
आंध्र प्रदेश	309	झारखंड	414	पंजाब	550
अरुणाचल प्रदेश	17	कर्नाटक	319	राजस्थान	201
असम	397	केरल	859	सिक्किम	86
बिहार	1102	मध्य प्रदेश	236	तमिलनाडू	555
छत्तीसगढ़	189	महाराष्ट्र	365	त्रिपुरा	350
गोआ	394	मणिपुर	122	उत्तराखंड	189
गुजरात	308	मेघालय	132	उत्तर प्रदेश	828
हरियाणा	573	मिज़ोरम	52	पश्चिम बंगाल	1030
हिमाचल प्रदेश	123	नागालैंड	119		
जम्मू व कश्मीर	56	ओड़िशा	269		




मानचित्र 9: भारत - जनसंख्या घनत्व

नक्शे पर परंपरागत प्रतीक

सामान्यतः नक्शा निर्माता नक्शा बनाते समय अपने स्वयं के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जिसमें कुछ प्रतीक पारंपरिक हैं, जो नक्शा निर्माता द्वारा प्रयोग किया जाता है। भारत में हम आम तौर पर सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रयुक्त परंपरागत चिन्हों का पालन करते हैं। उदा. के लिए नीचे दिए गये पारंपरिक चिन्ह देखिये जो सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा दिये गये हैं-

Towns or Villages: inhabited: deserted Fort			
Huts: permanent: temporary. Tower. Antiquities			
Temple. Chhatra Church. Mosque. Idgah. Tomb. Graves			
Lighthouse Lightship Buoys: lighted: unlighted Anchorage			
Mine Vine on trellis Grass. Scrub			
Palms: palmyra: other Plantain Conifer Bamboo Other trees			
Boundary, international			
.. State: demarcated: undermarked			
.. district: subdivn., tahsil or taluk forest			
Boundary pillars: surveyed; unlocated; village trijunction			
Heights, triangulated; station; point, approximate			
Bench-mark: geodetic; tertiary: canal			
Postoffice. Telegraph office Combined office, Police station			
Bungalows: dak or travellers, inspection. Rest-house			
Circuit house. Camping ground, Forest: reserve: protected			
Spaced names: administrative; local: tribal			

Roads, metalled: according to importance: distance stone....			
.. unmetalled: do. do. bridge			
Cart-track Pack-track and pass. Foot-path with bridge			
Bridges: with piers: without. Causeway. Ford or Ferry			
Streams: with track in bed: undefined. Canal			
Dams: masonry or rock-filled: earthwork Weir			
River banks: shelving: steep. 3 to 6 metres over 6 metres. ...			
dry with water channel: with island & rocks Tidal river ...			
Submerged rocks Shoal Swamp Reeds			
Wells: lined: unlined Tubewell Spring. Tanks: perennial; dry			
Embankments: road or rail tank Broken ground			
Railways, broad gauge: double: single with station: under constrn. ...			
.. other gauges: do : do. with distance stone do.			
Mineral line or tramway Telegraph line. Cutting with tunnel			
Contours with sub-features. Rocky slopes. Cliffs			
Sand features: (1)flat (2)snad-hills and dunes (surveyed), (3)shifting dunes			




(चित्र 1.4: धन्यवाद उन्होंने इनके लिए प्रतीक नहीं बनाये।)

समोच्च रेखा को आमतौर पर ऊँचाई के 20 मीटर, 50 मीटर, या 100 मीटर के रूप में निश्चित अंतराल पर तैयार करते हैं। समान समोच्च अंतराल एक दिए गए मानचित्र पर बनाए गए हैं।

कांटूर लाइन समुद्र तक से ऊपर ऊँचाई तक भूमि के ढलान का संकेत देती है। समोच्च लाइनों को दूर कर, जो कि एक हल्की ढलान का प्रतिनिधित्व करता है, समोच्च रेखा वह है जो नक्शा जुड़ने वाले ऊँचाई के स्थानों को समुद्री सतह से नापा जाता है। दूसरे शब्दों में


सुविधानुसार मानचित्रों का प्रस्तुतीकरण

रिलीफ सुविधा का मतलब है पृथ्वी की सतह पर उच्च और निम्न स्थान। मुख्यतः राहत विशेषताएँ हैं पहाड़ी, घाटियाँ, पठार, मैदान, नदी घाटियों, पथरीला, और रेतीला स्थान। चूँकि नक्शे हैं इसलिए हम विषयों की ऊँचाई नहीं दिखा सकते। इसलिए हमें कहा जाता है कि ऊँचाई के स्थानों के लिए नक्शे पर विशेष चिन्ह का प्रयोग करो। आपने कक्षा 7 में उनके बारे में पढ़ा। ऊँचाई को समुद्र तक से नापा जाता है दूसरे शब्दों में समुद्र तल से समोच्च रेखा द्वारा नापा जाता है।




चित्र 1.5: आइसोप्लेय नक्शा


Contour Lines




चित्र 1.6: चट्टाने




चित्र 1.7: 'V' आकार की घाटी



चित्र 1.8: हल्की ढलान



चित्र 1.9: खड़ी ढलान



चित्र 1.10: पठार


समुद्री तल से समोच्च रेखा के स्थानों की समान ऊंचाई होती हैं। समोच्च रेखा को आइसो लाइन्स या सुविधानुसार जुड़ने वाले रेखाएँ भी कह सकते हैं। पास की लाइने खड़ी ढलान का प्रतिनिधित्व करती है और समान रूप से दी गई लाइने ढलान का प्रतिनिधित्व करती है।

- इस पुस्तक में उभारदार एवं निकास (पी14) यानि विभिन्न विषयगत नक्शे हैं, वार्षिक वर्षा(पृष्ठ15), मिट्टी (पृष्ठ16), वन (पृष्ठ 55) और खनिज (पृष्ठ 66) आदि। अब उपरोक्त नक्शे से अलग अपने जिले के लिए दी गई जानकारी की पहचान के लिए एक तालिका बनाइये।


एटलस

एटलस मानचित्रों का संग्रह है। आमतौर पर उसमें विभिन्न विषयों के अनुसार व्यवस्था की गयी है। स्कूल एटलस खोले और सभी दिखाये गए नक्शे की सूची बनाइए। आप बाहर के विभिन्न स्थानों की जानकारी इससे पा सकते हैं। उसका उपयोग करके वहाँ रहने वाले लोगों की कल्पना कर सकते हैं। क्या आप एटलस के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले लोगों की कल्पना कर सकते हैं ?


तेलंगाना - नदी व्यवस्था निकास



तेलंगाना - वार्षिक वर्षा



तेलंगाना - मिट्टी



ऐरियल फोटोग्राफी

(हवाई छाया चित्रण) :

हवाई छायाचित्रण एक ऐसी तकनीक है जिससे ऊँची स्थिति जैसे विमान, हेलिकाप्टर, हॉटएअर बलूनस आदि के चित्र जमीन से लिए जाते हैं। हवाई छाया चित्रण मानचित्र नहीं है।



उपग्रह प्रतिमावली

ऐसे धरती के फोटोग्राफ हैं जो अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कृत्रिम उपग्रह के माध्यम से लिए जाते हैं। उन्हें की प्रकार से प्रयोग में लाया जा सकता है जैसे मानचित्र बनाना, योजना बनाना, मौसम विज्ञान, वनविधा, युद्ध आदि।

आपने समाचार पत्रों और दूरदर्शन के समाचार चैनलों पर मौसम संबंधी मानचित्रों को एकत्रित कर उनकी व्याख्या लिखिए।



मुख्य शब्द

1. प्रक्षेपण
2. चिह्न
3. भौगोलिक
4. परिरेखा(contour)
5. मान चित्रकार

सीखने में सुधार

1. स्कूल एटलस का सावधानी से अध्ययन करके विभिन्न विषयों के नक्शे देख सकते हैं।
2. क्या आपको लगता है कि नक्शे का प्रयोग प्राचीन यूनानी और वर्तमान समय के बीच बदल गया है? यह किस प्रकार से और कैसे तरह अलग है?

	ग्रीक के समय	अब
समानता		
अंतर		

3. कई लोगों का मानना है कि उपनिवेशिक शक्तियाँ नक्शों के द्वारा अपने उपनिवेश का शोषण करते थे? क्या आप इससे सहमत हैं?
4. कौन से कारणों से लगता है कि ब्रिटिश द्वारा तैयार किये नक्शे पटोलेमि या इदरिसी से अलग थे?
5. एटलस में अपने पसंद के स्थान को चुने और पाँच अलग-अलग विषयगत नक्शे बनाएँ। फिर दो स्थानों के जीवन की तुलना करें-उसमें क्या अलग है?
6. पृष्ठ संख्या 8 पेज जिसमें हमारे वर्तमान नक्शे का प्रयोग करो और प्रश्न के उत्तर दीजिए। वर्तमान नक्शे का प्रयोग विभिन्न उपयोग के लिए किया जाता है -क्या हम ऐसा कर रहे हैं?

सूर्य से प्राप्त ऊर्जा

ENERGY FROM THE SUN

पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, विविधताओं से भरपूर है। पिछली कक्षाओं में हमने विविधताओं के कुछ रूप जैसे- महाद्वीप और महासागर, पर्वत, महाद्वीपों के पठार, मैदान और अधिक वर्षा और अल्प वर्षा वाले प्रदेशों को देखा है। इस पाठ में हम विविधता के एक और रूप के विषय में पढ़ेंगे। जिसे हम देख नहीं सकते किन्तु अनुभव कर सकते हैं। ये है तापक्रम में विविधता। आपने ध्यान दिया होगा कि प्रातः काल ठंडा होता है और दिन में गरम हो जाता है। परन्तु रात में फिर ठण्डा हो जाता है। इसी प्रकार आपने ध्यान दिया होगी कि वर्ष के कुछ महीने अधिक गरम और कुछ महीने कम गरम होते हैं। यह भी एक स्थान में तापक्रम में हुआ परिवर्तन है। पृथ्वी पर एक स्थान से दूसरे स्थान के तापक्रम में भिन्नता होती है। कुछ प्रदेश अत्यधिक गरम और कुछ प्रदेश पूरे वर्ष बर्फ से ढके रहने के कारण अत्यधिक ठंडे होते हैं। आपने भूमध्य रेखीय प्रदेशों के बारे में पढ़ा होगा, जो पूरे वर्ष गरम रहते हैं। आगे आप ध्रुवीय प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे जो अत्यधिक ठंडे होते हैं।

विभिन्न स्थानों के बीच तापक्रम के अंतर, वायु और वर्षा का कारण होते हैं। किसी स्थान पर हुई वर्षा की मात्रा बहुत कुछ विभिन्न स्थानों के मध्य तापक्रमों में अंतर द्वारा निर्धारित होती है।

तापक्रम और वर्षा जीवन को कई शोचनीय तरीकों से प्रभावित करते हैं। पौधे और जन्तु ताप और जल पर आधारित रहते हैं। कुछ प्रकार के पेड़ पौधे गर्म प्रदेशों में विकसित होते हैं और कुछ ठंडे प्रदेशों में विकसित होते हैं। अत्यधिक ठंडे प्रदेशों

में कुछ भी विकसित नहीं होता है। इसलिए हमें इन स्थानों पर वनस्पति वृद्धि और प्राणी जीवन में भेद मिलता है। इस पाठ में हम विश्व के विभिन्न भागों में तापक्रम में परिवर्तन के विषय का अध्ययन करेंगे।

- क्या आप कभी ऐसे स्थानों पर गये हो जहाँ का तापक्रम उस स्थान से एकदम अलग है जहाँ आप रहते हो? कक्षा में इसका विवरण कीजिए।
- आप जानते हो कि पृथ्वी पर सूर्य ही ताप का मुख्य आधार है। फिर आप ऐसा क्यों सोचते हो कि ये प्रातःकाल से रात, एक मौसम से दूसरे मौसम या स्थान-स्थान पर अलग होता है। हम यहाँ भिन्नता की सूची बनाते हैं। इसका कारण सोचने का प्रयास कीजिए और इस पाठ को पढ़ने से पहले अपनी कक्षा में इस पर चर्चा कीजिए।

1. प्रातः काल में ठंड और दोपहर में गरम।
2. ग्रीष्म काल में गरम और शीतकाल में ठंड।
3. पहाड़ी स्थान ठंडे और मैदानी स्थान गरम।
4. भूमध्य रेखा के भाग गरम और ध्रुवीय भाग ठंडे

सौर ऊर्जा और सूर्य की किरणें

पृथ्वी की सतह पर ऊर्जा का प्रमुख आधार सूर्य है। यह एक ऐसा ऊर्जा घर है, जहाँ से उत्पादित ऊर्जा, प्रकाश और ताप के रूप में बाहर निकलती है। यह ऊर्जा सूर्य द्वारा निरंतर निकलती है।

हरित ग्रह

रोचक यह है कि मानव समाज ने सभी जगह पौधों के लिए कृत्रिम वातावरण की रचना के द्वारा फसल विकसित करने का प्रयास किया है। इसलिए हम वनस्पतियों और फलों का विकास अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में भी हरित गृह की रचना के द्वारा करसकते हैं। इसकी पारदर्शक छत और दीवारे ताप को भीतर तो आने देती है, किन्तु बाहर नहीं जाने देती। हम खेती के लिए दलदली वातावरण बना कर सिंचा के द्वारा धान की फसल ऊपजा सकते हैं।



चित्र02.1: पौधों के लिए कृत्रिम वातावरण

इसे सौर विकिरण कहते हैं। सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा हमारे पास सूर्य कि किरणों के रूप में पहुँचती है। ऊर्जा के कुछ रूपों को हम अनुभव कर सकते हैं और देख सकते हैं। जैसे प्रकाश और ताप। वैसे सूर्य द्वारा ऊर्जा कई दूसरे रूपों में भी प्राप्त होती है। जैसे पराबैंगनी किरणें, रेडियो तरंगें, किरणें जिन्हें न हम देख सकते हैं और न ही अनुभव कर सकते हैं।

सूर्य द्वारा वितरित ऊर्जा की किरणें पूरे वर्ष और कई वर्षों तक बहुत कम परिवर्तन के साथ लगभग स्थिर होती है। फिर क्या कारण है कि पृथ्वी पर तापक्रम बदलता रहता है। पृथ्वी की सतह पर वितरित और किरणों को धूप कहते हैं। अर्थात् शुद्ध सूर्य की किरणें। यथार्थ में सौर ऊर्जा का जो भाग धरती की सतह पर पहुँचता है। वायुमंडल में पहुँचने वाले भाग से बहुत कम होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल

द्वारा एक तिहाई सौर ऊर्जा का कुछ और भाग वायुमंडल में पहुँचने से पहले ही ऊँचाई पर बिखर जाता है और कुछ सोख लिया जाता है। सच तो यह है कि सूर्य की कुछ हानिकारक किरणें जैसे परा बैंगनी किरणें धरती तक पहुँच नहीं पाती। इस कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ है। सौर ऊर्जा की कुछ मात्रा वायुमंडल में उपस्थित बादल, धुँआ और धूल के कणों द्वारा सोख ली जाती है या प्रतिबिंबित हो जाती है। आपने ध्यान दिया होगा जिन दिनों बहुत बादल होते हैं वे दिन अधिक गरम नहीं होते।


- क्या आप धूप (सूर्य की शुद्ध किरणें) और विकिरण में अंतर बता सकते हैं।
- क्या होगा यदि धूल और धुँएँ से वायुमंडल और अधिक प्रदूषित हो जायेगा।

सूर्य की किरणें और पृथ्वी की सतह

धरती पर पहुँचने वाली सौर किरणें, पृथ्वी की सतह को समान रूप से गरम नहीं करती। इसका कारण पृथ्वी की सतह की वक्र (टेढा-मेढा) प्रकृति। ये समझने के लिए दिये गये दोनों चित्रों की तुलना कीजिए।

आप ऊपर से देख सकते हैं कि पृथ्वी की सतह के वक्र होने के कारण, सौर ऊर्जा की समान मात्रा भूमध्य रेखा के छोटे से हिस्से पर पड़ती है और जैसे-जैसे हम उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, बड़े हिस्से पर पड़ती है। इसलिए ध्रुवीय भागों की अपक्षा भूमध्य रेखा का भाग अधिक गरम होता है।

आप देख सकते हैं कि भूमध्य रेखा पर जब सूर्य की किरणें 90° कोण से पड़ती है तो ये ध्रुवीय



चित्र-2.2: धूप और मरुस्थलीय विकिरण


भाग की ओर तिरछी पड़ती है। इसे कोणीय घटना कहते हैं। यह समझने के लिए नीचे दिया गया चार्ट देखिए, कोणीय घटना से कितना अंतर पड़ जाता है, उस ऊर्जा की मात्रा के लिए जो सतह तक पहुँच जाती है।

यदि भूमध्य रेखा पर (0° डिग्री) पड़ने वाली धूप की 100 इकाई है तो		
45° पर	(उत्तरी जापान)	75 इकाईयाँ प्राप्त हुई
$66\frac{1}{2}^\circ$ पर	(ध्रुवीय चक्र)	50 इकाईयाँ प्राप्त हुई
90° पर	(उत्तर और दक्षिण ध्रुव)	40 इकाईयाँ प्राप्त हुई

- किस स्थान पर किरणें अधिक तिरछी पड़ती है? जापान में या उत्तरी ध्रुव में ?
- सूर्य की किरणें कहाँ अधिक तीव्रता से पड़ती है? तेलंगाना या राजस्थान।

- यदि पृथ्वी वक्र न होकर चपटी होती तो क्या जापान अधिक गरम होता या भूमध्य रेखा या दोनों बराबर।
- ग्लोब की ओर देखिए कि कौन से देश अधिक गरम, और कौन से ठंडे हैं।

चित्र 2.3: कोण की व्यापकता



भूमध्य रेखीय प्रदेशों पर तीव्र सूर्य की किरणें पड़ती है। परन्तु अधिकतर दोपहर तक बादल होते हैं और बहुत कम सूर्य की किरणें इस धरती पर पड़ती है। इसीलिए भूमध्य रेखीय प्रदेश उतने गरम नहीं होते जितने इसके निकट के उत्तर और दक्षिण वाले प्रदेश होते हैं।

इस प्रकार तल पर पड़ने वाली किरणों का कोण परन्तु यह संपूर्ण नहीं है। उत्तर दिशा की ओर नवम्बर-दिसम्बर महीनों में बढ़ता है। और मई - जून के महीनों में घटता रहता है। अगले पाठ में हम इस विषय में विस्तार से पढ़ेंगे।

भूमि और जल में अंतर

भूमि और महासागरों पर तापक्रम के वितरण में बहुत अंतर होता है और ये परिवर्तनशील होता है। महाद्वीपों और महासागरों के अलग-अलग स्थानों पर यदि हम तापक्रम को मापते हैं तो हमें ये अंतर स्पष्ट देता है। भूमि को ताप का अच्छा संवाहक माना जाता है। किन्तु जल को नहीं, ये अलग होता है। भूमि शीघ्र से गरम या ठंडी होती है। किन्तु समुद्र को गरम और ठंडा होने में समय लगता है।

- क्या आप बता सकते हो धरती और जल के गरम होने में इतना अंतर क्यों है?

दिये गये नक्शे में (पृष्ठ 22) वे प्रदेश जो भूरे रंग से चिन्हित किये गये हैं अत्यधिक गरम होते हैं और वो प्रदेश जो नीले रंग से चिन्हित किये गये हैं यहाँ बहुत कम गर्मी पड़ती है।

वायुमंडल का गरम होना

आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वायुमंडल या हमारे चारों ओर की वायु, सूर्य की किरणों से सीधा गरम नहीं होते। जबकि यह सूर्य की किरणों से गरम हुए बिना ही गुजरने की अनुमति देते हैं। पहले सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह को गरम करती हैं, बदले में पृथ्वी की सतह गरमी को विकसित करना प्रारंभ करती है। जिसके द्वारा हमारे चारों ओर की वायु गरम होती है। इसलिए वायुमंडल के ऊँचाई वाले भागों की तुलना में पृथ्वी की सतह के निकट का भाग अधिक गरम होता है। ऊँचाई पर बहुत अधिक ठंडा होता है।




ताप संतुलन

ताप जो भूमि को सूर्य से प्राप्त होता है, भूमि द्वारा विभिन्न प्रकार से वापस विकीर्ण हो जाता है। जैसे हमने देखा कि एक तिहाई ताप तत्काल ही अंतरिक्ष की ओर प्रतिबिम्बित हो जाता है। शेष से भूमि की सतह गरम होती है, जिससे वायुमंडल गरम होता है और अंततः यह पीछे आकाश की ओर विकसित हो जाता है। सूर्य द्वारा प्राप्त ताप का पूर्ण विकिरण प्रमुख होता है। यदि संपूर्ण ताप पीछे की ओर विकसित नहीं होगा तो प्रतिदिन की बची हुई ताप की मात्रा एकत्रित होती जाती है और इससे गरमी बढ़ती जाती है। दूसरी ओर यदि भूमि पर ताप कम पहुँचता है और यह विकिरण से निकल जाता है तब भूमि अधिक ठंडी होती है।

क्या आपने दूर तक पूर्ण समतल भूमि को देखा है? भूमि सभी जगह थोड़ी ऊपर नीचे या ढलान रूप में दिखाई देती है। इस कारण भूमि को प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा में भिन्नता होती है। क्या ये समतल भूमि पर अधिक और ढलान पर कम होती है? क्या पर्वत के दोनो ओर सूर्य की किरणें समान मात्रा में पड़ती हैं? इसका कारण क्या हो सकता है?

कुछ जैसे जैसे कार्बन-डाई-ऑक्साईड धरती पर ताप के विकिरण को रोकती है। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते उपयोग से और वनों की कटाई के कारण वायुमंडल में कार्बन-डाई आक्साईड बढ़ती जा रही है। यदि वायुमंडल में कार्बन डाई आक्साईड का अनुपात बढ़ जाता है तो कम ताप वितरित होता होगा, जिस से विश्व में तापक्रम बढ़ता जायेगा। इसे भूमण्डलीय तापक्रम या ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे।

विश्व मध्यमान वार्षिक तापमान



Designed and Compiled By: Saubhika Phadnis
 Project Name: The world of each day is an ever-changing
 place. It is full of life and movement. It is a world of
 change and growth. It is a world of
 opportunity and hope. It is a world of
 possibility.

Note: The above can be equated as - 1 Sq. Meter of space in that region may use 2.5 Celsius heat on an average per minute through 241 Per year.

वायुमंडल का तापमान

The Temperature of Atmosphere

कक्षा में एक सेल्सियस थर्मामीटर लाईए और उसमें दिखाई देने वाले तापमान को नोट कीजिए। यह कक्षा में पाई जाने वाली वायु का तापमान होता है।

- दूसरे तापमानों का अभिप्राय प्राप्त करने के लिए निम्न वस्तुओं का तापमान माप कर नोट कीजिए। मापना शुरू करने से पहले प्रत्येक के तापमान का अनुमान लगाईए।

वस्तु	तापमान	
	अनुमान	माप
बाल्टी का पानी		
बर्फ		
गिलास का पानी		
नहाने का पानी		

- सुरक्षा की दृष्टि से यह सलाह है कि हमेशा ऐसे थर्मामीटरों का उपयोग करना चाहिए जिन पर 10°C से 110°C . की चिन्हित मापन पट्टी होती है। इस प्रकार के थर्मामीटर का प्रयोग कर उबलते पानी या गर्म चाय का तापमान मापिए और नोट कीजिए।

यदि आप एक वर्ष के हर महीने के एक सप्ताह का तापमान मापेंगे तब आप देखेंगे कि ग्रीष्मकाल, शीतकाल, मानसून और दूसरे मौसम में तापमान में कितना अंतर होता है।

- अगले सप्ताह प्रतिदिन एक ही समय पर एक ही स्थान की वायु का तापमान

थर्मामीटर



मापिए। (ध्यान रहे कि वह स्थान छायादार हो) प्रतिदिन मापने से पहले अनुमान लिखिए और एक अलग पुस्तिका में प्रमाण लिख कर रखिए।

स्थान _____

समय _____

माह _____


दिनांक	वायु का तापमान	
	अनुमान	माप

- कुछ महीनों तक हर महीने के एक सप्ताह के प्रतिदिन का तापमान लिखिए।
- प्रति सप्ताह आपके द्वारा मापे गये औसतन
- कौन सा तापमान उच्च है: 5°C या -5°C ?

उच्चतम न्यूनतम तापमान

वैज्ञानिकों के पास पृथ्वी पर पहुँचने वाले उच्चतम और न्यूनतम तापमानों के प्रमाण हैं। उदा. उच्चतम तापमान-लिबिया (अफ्रीका) के अलजिरिया स्थान का जुलाई 1922 का तापक्रम 57.8 डिग्री अंकिता किया गया। वैसे ही अंटार्कटिका के वास्टोक स्टेशन पर न्यूनतम तापमान-89.2 सेल्सियस जुलाई 1983 को अंकिता किया गया है।

क्या आप जानते हैं -5°C या -89°C तापमान का मतलब क्या है? ये तो आप जानते हैं कि जल का तापमान जब 100°C पहुँचता है तब यह उबलना शुरू हो जाता है। और 0°C पर यह जम कर बर्फ में बदल जाता है। सबसे न्यूनतम तापमान -273.16°C है। इसके नीचे तापमान कभी नहीं जाता। जब तापमान 0°C से नीचे जाता है तो उसे $-x^{\circ}\text{C}$ में लिखा जाता है। नीचे लिखी संख्या की कतार को देखिए आप देखेंगे कि कैसे + और - संख्या अंकिता की जाती है।



- उन दोनों तापमानों में से हम किस तापमान में अधिक ठंड अनुभव करते हैं।
- 5° के 5° बीच कितने डिग्री का अंतर है।

- निम्न तापमानों को छोटे रूप में लिखिए। शून्य से 88 डिग्री सेल्सियस नीचे ? जमने से 38 डिग्री सेल्सियस ऊपर जमने से 32 डिग्री सेल्सियस ऊपर
- क्या आज आपने अपनी कक्षा का तापमान नोट किया। शून्य से 88 डिग्री सेल्सियस तापमान आपके द्वारा मापे गये तापमान से कितने डिग्री कम है ?
- एक सामान्य मानव शरीर का तापमान 37°C होता है 50°C तापमान सामान्य शरीर के तापमान से कितना अधिक गरम होता है ?
- 5°C सामान्य शरीर के तापमान से कितना अधिक होता है ?
- निम्न तापमानों को उच्चतम से निम्नतम क्रम में व्यवस्थित कीजिए... 12°C , -16°C , 29°C , 0°C , -4°C .
- ऊपर दिये गये तापमानों में से कौन से तापमान पर हम अत्यधिक गरमी अनुभव करते हैं ।
- ऊपर दिये गये कौन से तापमान पर हम अत्यधिक ठंड का अनुभव करते हैं।



चित्र-2.4: तापमान को प्रभावित करने वाले कारक

तापमानों के प्रमाण रखना

छ: अधिकतम और निम्नतम थर्मामीटरों का उपयोग करते हुए दिन के उच्चतम और न्यूनतम तापमान को नोट कीजिए। महीने के अंत में सभी अधिकतम तापमानों की गणना कर उस स्थान के अधिकतम तापमान का औसत निकालिए। (सभी अधिकतम तापमानों को जोड़ कर उस संख्या को

कुल दिनों से विभाजित कीजिए। इस प्रकार आप अधिकतम तापमान का औसत और निम्नतम तापमान का औसत प्राप्त कर सकते हैं।

नीचे हैदराबाद की मासिक औसतन तापमान की तालिका देखिए ।

तालिका-1: (हैदराबाद का मासिक औसतन तापमान)

माह	अधिकतम	न्यूनतम
जनवरी	28	16
फरवरी	32	18
मार्च	35	21
अप्रैल	38	24
मई	39	26
जून	34	24
जुलाई	31	23
अगस्त	30	22
सितम्बर	31	22
अक्टूबर	31	21
नवंबर	28	17
दिसंबर	28	15

ग्राफ-1 (हैदराबाद का मासिक औसत तापमान)



—●— अधिकतम
—■— न्यूनतम

तालिका-1 से हैदराबाद का अंकित किया गया मासिक तापमानों को दिये गये आरेख -1में उतारिए। जिसमें आपको समझने के लिए अधिकतम तापमान का ग्राफ बना दिया गया है और निम्नतम तापमान के पहले दो महीनों का पहले से ही आरेख-1 में लिख दिया गया है।

हैदराबाद के बारे में नोट किये गये तापमान और आरेख को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।

- हैदराबाद में सामान्य नवंबर में कितनी ठंड पड़ती है?
- हैदराबाद में अधिकतम तापमान वाला माह कौनसा है?
- वर्ष के अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान के मध्य क्या अंतर है?

- हैदराबाद में सबसे गरम कौन से तीन महीने होते हैं?
- सबसे ठंडे तीन महीने हैदराबाद में कौन से हैं?
- हैदराबाद में जनवरी का औसतन उच्च तापमान कितना होता है?
- हैदराबाद में जून से दिसंबर तक औसतन निम्न तापमान की मात्रा गिरती रहती है, क्या हर माह में औसतन अधिकतम तापमान की मात्रा भी गिरती होगी?
- मई के महीने के अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्या अंतर है?
- अगस्त के महीने के अधिकतम और निम्नतम तापक्रम में क्या अंतर है?
- उपर्युक्त दो प्रश्नों के उत्तरों के आधार पर क्या ग्रीष्म एवं वर्षाकाल के अधिकतम एवं न्यूनतम तापमानों अधिक अंतर है?

भिन्न स्थानों का तापमानों भिन्न होता है:

आप जानते हो कि विभिन्न स्थानों का तापमान में अलग-अलग होता है। क्या आप जानते हो कि तापमान में इतनी भिन्नता क्यों होती है? इसके कई कारण हैं। अब हम सभी संभावित कारणों पर दृष्टि डालेंगे।

समुद्र के निकट और इससे दूर के स्थानों का तापमान सामान्यतया बहुत भिन्न होता है।

पर्वत की ऊँचाई का तापमान तल से अलग होता है और आप जानते ही होंगे कि हम जैसे ही भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते जाते हैं, तापमान बदलता रहता है।

समुद्री और महाद्वीपीय जलवायु

हम पहले ही हैदराबाद का औसतन तापमान देख चुके हैं। हैदराबाद समुद्र से बहुत दूर है। अब हम ऐसे शहर के तापमानों को देखेंगे जो समुद्र के निकट हैं। ये हैं-पणजी।


तालिका 2: (पणजी का मासिक औसत तापमान)

माह	अधिकतम	न्यूनतम
जनवरी	32	19
फरवरी	32	21
मार्च	32	23
अप्रैल	33	25
मई	33	26
जून	30	24
जुलाई	29	24
अगस्त	28	24
सितम्बर	29	24
अक्टूबर	32	24
नवम्बर	33	22
दिसम्बर	32	21

ग्राफ 2 में मासिक अधिकतम औसत तापमान और न्यूनतम औसत तापमानों को दर्शाया गया है।

- पणजी का सबसे कम निम्नतम तापमान किस माह में होता है?
- पणजी का सबसे गरम महीना कौन सा है? उस महीने का उच्चतम तापमान क्या है?

ग्राफ 2 (मासिक अधिकतम तापमान और न्यूनतम औसत तापमानों को दर्शाया गया है)



हैदराबाद और पन्नाजी के तापमानों की तुलना करते हुए निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

- जनवरी में कौन सा स्थान ठंडा होता है?
- जून में कौन सा स्थान गरम होता है?
- पन्नाजी और हैदराबाद के किस स्थान पर वर्ष भर तापमान समान होता है।

पणजी में वर्ष भर तापमान में अधिक परिवर्तन नहीं होता? क्योंकि यह शहर समुद्र के किनारे है। सूर्य के लिए गरम या ठंडा करना कठिन हो जाता है। जब तक समुद्र का तापमान अधिक गरम या ठंडा नहीं होता समुद्र के ऊपर की वायु में भी परिवर्तन नहीं होता। इसलिए समुद्र के निकट वाले स्थानों का तापमान सामान्यतः वर्ष भर लगभग स्थिर होता है। इस प्रकार की जलवायु संतुलित जलवायु कहलाती है।

इसके विपरीत हैदराबाद शहर समुद्र से बहुत दूर है। हैदराबाद में समुद्र का सामान्य कारक प्रभाव नहीं होता। ग्रीष्मकाल में धरती का तापमान बहुत बढ़ जाता है जो वायु को भी गरम कर देता

है। शीतकाल में धरती का तापमान गिरता है, इसलिए वायु भी ठंडी होती है। इसे अति तीव्र जलवायु कहते हैं। यह एक बड़ा परिवर्तन अधिकतम या न्यूनतम तापमान में देखा जा सकता है।


ऊँचाई और तापमान

ग्रीष्म काल जब शिखर पर होता है तब लोग गर्मी से बचने के लिए समतल भूमि से ऊँचे पहाड़ी स्थानों पर जैसे ऊटी, शिमला जाते हैं। गर्मी के महीनों में भी पहाड़ों पर तापमान कम होता है। पर्वतों के सबसे ऊँचे भागों का तापमान सामान्यतया सबसे कम होता है। जैसे-जैसे ऊँचाई बढ़ती है, तापमान कम होता जाता है।


दिये गये ग्राफ को देखिए जिसमें दिल्ली और शिमला का मासिक औसत तापमान दर्शाया गया है। इसमें आप स्पष्ट देख सकते हैं कि वर्ष के प्रत्येक महीने में शिमला का तापमान दिल्ली की तुलना में अधिक कम होता है।

दिल्ली समुद्र की सतह से 200 मीटर की ऊँचाई पर है। जबकि शिमला समुद्र की सतह से 2200 मीटर की ऊँचाई पर है। सामान्यतः प्रति 1000 मीटर की ऊँचाई बढ़ने पर तापमान 6.4°C कम होता है। ठंडे तापमान के कारण वहाँ पहाड़ों

ग्राफ-3 (दिल्ली का मासिक औसत तापमान)



आरेख ४ (शिमला का मासिक औसतन तापमान)



और पर्वतों पर विकसित होने वाले विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों में भी अंतर होता है।

- दिल्ली से कितने अधिक मीटरों की ऊँचाई पर शिमला है?
- ऊँचाई के अंतर के आधार पर इन दोनों स्थानों के तापमानों में अंतर की गणना कीजिए।
- शिमला का सबसे उच्चतम तापमान कितना और किस महीने में होता है।
- दिल्ली का सबसे उच्चतम तापमान कितना और किस महीने में होता है?
- सितम्बर में शिमला का अधिकतम औसतन तापमान _____ °C दिल्ली में _____ °C.
- कहाँ अधिक ठंड होती है? जनवरी में दिल्ली तथा जुलाई में शिमला में ?

तापमान का उलटाव

कभी-कभी विशेषकर शीतकालीय प्रभात में धरती के निकट का तापमान ठंडा रहता है आप घाँस पर संक्षेपन द्वारा ओस की बूंदों को जमा हुए

देख सकते हैं। धरती की सतह के निकट तापमान के ठंडे होने के कारण दिन का छोटा होना और अत्यधिक अत्यधिक विकिरण की कमी रात का बहुत लंबा होना आदि उलटाव की परिस्थिति में देख सकते हैं।

- क्या आप तापमान की इस अवस्था का कोई और कारण सोच सकते हैं ?
- क्रम उलटने से क्या होगा ?

भूमध्य रेखा के निकट के और दूर के स्थानों का तापमान

7 वीं कक्षा में हमने नाइजीरिया के बारे में पढ़ा जो भूमध्य रेखा के पास स्थित है। हमने फ्रांस के बारे में भी पढ़ा जो इसके थोड़ा उत्तर में है और अब आर्कटिक टुंड्रा के बारे में पढ़ेंगे जो और ऊपर उत्तर दिशा में है। हमें पता चला है कि भूमध्य रेखीय प्रदेश जैसे इंडोनेशिया पूरे वर्ष गरम रहता है। यहाँ शीतकाल होता ही नहीं। जैसे हम भूमध्य रेखा के उत्तर में या दक्षिण की ओर जाते हैं, ठंडा होता जाता है। यहाँ के ग्रीष्मकाल और शीतकाल अलग होते हैं। इसे भूमध्य रेखा के निकट के स्थानों के और दूर के स्थानों के तापमानों को देख कर स्पष्ट समझा जा सकता है।




- पृथ्वी के नक्शे में सिंगापूर, शंघाई और व्लादिवोस्तोक स्थानों को ढूँढ कर चिन्हित कीजिए।

ग्राफ 5 में सिंगापूर, शंघाई और व्लादिवोस्तोक तीनों जगहों के अधिकतम औसत तापमानों की व्यवस्था की गई है इसके अंतिम स्तंभ में पूरे वर्ष का औसत तापमान दिखाया गया है। इसकी गणना प्रत्येक महीने के अधिकतम और न्यूनतम तापमानों को जोड़कर तत्पश्चात कुल महीनों में विभाजित की गई है। इस प्रकार हम पूरे वर्ष में एक दिन का औसतन तापमान की संख्या पता लगा सकते हैं।

हम इस संख्या का इस प्रश्न द्वारा उत्तर निकाल सकते हैं - क्या औसतन सिंगापूर शंघाई से गर्म है? सामान्यता भूमध्य रेखा के पास के स्थानों पर अधिक गर्मी पड़ती है। भूमध्य रेखा से दूर, इन स्थानों में सारा वर्ष औसतन तापमान रहता है।

ग्राफ 5 शंघाई, सिंगापूर और व्लादिवोस्तोक का मासिक अधिकतम औसतन तापमान



जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितम्बर अक्टूबर नवम्बर दिसम्बर

व्याख्या

शहर	वर्ष का औसतन तापमान
व्लादिवोस्तोक	3.9 °C
शंघाई	15.3 °C
सिंगापूर	27.8 °C

- ग्राफ में वे कौन से तीन स्थान दर्शाए गए हैं जो भूमध्य रेखा के निकट हैं?
- उन स्थानों का वार्षिक औसतन तापक्रम क्या है?

- क्या शीतकाल की अपेक्षा सामान्यता वहाँ ग्रीष्मकाल में अधिक गर्मी है?
- व्लादिवोस्तोक गर्मी में ज्यादा गर्म है या सिंगापूर अधिक शीत हैं?
- सामान्यतया क्या जुलाई में सिंगापूर या शंघाई गर्म होते हैं?
- ग्राफ में दर्शाए गए तीनों स्थानों में सबसे अधिक तीव्र जलवायु वाला स्थान कौन-सा है?
- शंघाई का सबसे गरम महीना कौन-सा है?
- वहाँ का औसत वार्षिक तापमान क्या है?
- किस माह में इस स्थल पर लघु औसत अधिकतम तापमान होता है?

तापमान के मानचित्र

भारत एक विशाल एवम् विस्तृत देश है जहाँ प्रदेशों अनुसार तापमान की भिन्नता पायी जाती है। यदि हम गर्म एवं ठंडे प्रदेशों का पता लगाना चाहते हैं तो तापमान का मानचित्र सहायक होगा।

एटलस में भारत के मानचित्र में जनवरी माह के औसत तापमान पता लगाए। यही औसतन तापमान उस माह का अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान की जानकारी देगा।

मानचित्र में भारत को विभिन्न खंडों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक खंड अलग रंगों से चिन्हित है। ध्यान पूर्वक हम प्रत्येक खंड के औसतन तापमान का पता लगा सकते हैं।

- एटलस में मानचित्रों के प्रयोग द्वारा निम्न स्थानों के जनवरी माह के अक्षांश एवं औसतन तापमान का पता लगाए। एक स्थान का उदाहरण यहाँ प्रस्तुत है।

स्थान	अ.रे.	जनवरी का तापक्रम
हैदराबाद तेलंगाना		17°N मध्य 20 और 22.5°C
आगरा(यू.पी.)		
मदुराई(टी.एन)		
नागपुर(महा.)		

इस मानचित्र अनुसार भारत में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ जनवरी माह का औसत तापमान 30°C से अधिक हो। (ध्यान रहे - यह औसत है, कुछ स्थलों पर जनवरी दिनों का 30°C से अधिक तापमान होता है।)

मानचित्र देखकर पता लगाइए, जनवरी माह में भारत के कौन से भाग में उच्च औसत तापमान होता है।

यदि आप मानचित्र में इस स्थान की उत्तर दिशा की ओर देखते हैं तब क्या जनवरी माह का औसत तापमान अधिक होगा या कम?

शीतकाल में उत्तरी भाग क्यों ठंडे होते हैं?

दी गई तालिका को देखिए जिसमें 10 जनवरी के दिन भारत के विभिन्न शहरों का सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शाया गया है और नीचे दिये गये प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

स्थान	सूर्योदय	सूर्यास्त
हैदराबाद (तेलंगाना)	6:49	5:58
आगरा (यू.पी.)	7:09	5:42
मदुराई (तमि.)	6:37	6:12
नागपुर (महा.)	6:53	5:48

- इन छः शहरों में सबसे पहला सूर्योदय किस शहर में होता है?
- इन छः शहरों में सबसे अंतिम सूर्यास्त किस शहर में होता है?
- प्रत्येक शहर की दिन की अवधि क्या है? (दिन की अवधि का अर्थ सूर्योदय से सूर्यास्त तक के घण्टे)
- उत्तर दिशा से आगे के शहरों के दिन की अवधि दक्षिण की अपेक्षा लंबी होती है या छोटी?
- उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तरों के आधार पर यह सोचिए। दक्षिण की अपेक्षा क्यों उत्तर भारत में शीत अधिक पड़ती है ?

मुख्य शब्द

1. वायुमंडल
2. भूमध्यीय क्षेत्र
3. सौर विकिरण
4. सौर तपन
5. कोणीय आपतन
6. अधिकतम तापमान
7. न्यूनतम तापनाम
8. तापमान का उलटाव
9. भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि

सीखने में सुधार

- 1) असत्य कथनों को सुधारिए।
 - अ) यदि कोई स्थान समुद्र के निकट है, भूमध्य रेखा से दूरी पर ध्यान दिये बिना वह हमेशा ठंडा रहेगा
 - आ) जैसे-जैसे आप पृथ्वी से ऊँचाई की ओर अग्रसर होंगे गर्मी भी बढ़ेगी। क्योंकि सूर्य निकट हो जाता है।
 - इ) सूर्य, वायु को पहले गर्म करता है बाद में पृथ्वी को।
 - ई) भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि प्राणवायु से जुड़ी है।
2. तालिका 2 के अधिकतम तापमान और तालिका 1 के न्यूनतम तापमान के मध्य क्या अंतर है?
3. मान लो छ- दिसम्बर प्रातः 10 बजे मोस्को का तापमान 8°C था। चौबीस घंटे के बाद ये 12°C हो गया। 7 दिसम्बर प्रातः 10 बजे तापमान क्या होगा ?
4. दिल्ली और मुंबई दोनों मैदानी भाग में स्थित है और इनकी समुद्री सतह से ऊँचाई 300 मी. है। इनके मासिक औसत तापमानों में इतना अंतर क्यों है? किस महीने में इन दोनों शहरों का औसतन तापमान अधिक समान होता है? ऐसा क्यों? समझाइए।
5. निम्न तालिका में जोधपुर के औसत मासिक न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान दिये गये हैं।

औसत मासिक तापमान-जोधपुर-राजस्थान (°C)

माह	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर
न्यूनतम	9	12	17	22	27	29	27	25	24	20	14	11
अधिकतम	25	28	33	38	42	40	36	33	35	36	31	27

6. यहाँ पर तीन स्थानों का औसत अधिकतम तापमान दिया गया है। अ, ब, और स इसका ग्राफ बनाइए। प्रत्येक स्थान का ग्राफ और तालिका देख कर आप क्या अनुमान लगाओगे ?

स्थान	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर
अ.	23	26	33	38	41	39	34	33	33	33	29	25
ब.	-3	1	6	12	17	20	25	24	21	14	8	2
स.	31	32	33	32	32	29	29	29	30	30	30	31

7. एटलस की सहायता से जनवरी माह में तिख्वंतपुरम और शिमला के मध्य औसत तापमानों

के अंतर के तीन संभावित कारणों का वर्णन कीजिए ।

8. भोपाल, दिल्ली, मुंबई और शिमला के मध्य कौन से दो स्थान समान तापमानों का नमूना दर्शाते हैं? इन दो स्थानों के मध्य की समानताओं का वर्णन आप कैसे करेंगे ?

9. न्यूनतम और अधिकतम तापमानों के ग्राफ को दायीं ओर देखिए और नीचे दिये गये प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।

अ) जुलाई का औसत उच्चतम तापमान क्या है ?

आ) सामान्यतया यह दिसम्बर माह में कितना गरम होता है ?


इ) सामान्यतया यह जून माह में कितना ठंडा होता है ?

ई) क्या मई में या अगस्त में दिन और रात के तापमान में बहुत बड़ा अंतर होता है ?

उ) ग्रीष्म काल कब होता है ?

10. सौर ऊर्जा या ऊष्म ऊर्जा से अधिक उपयोगी है? क्यों ?

11. पृष्ठ संख्या 27 पर छपा अंश उँचाई और तापमान पढ़कर अपनी टिप्पणी दीजिए।



बैंगलुरु का तापमान दर्शाता आलेख

परिचर्चा :

ऊर्जा का मूल स्रोत सूर्य है। सूर्य की किरणों से ही वृक्ष रूपी कारखानों को भोजन उत्पन्न होता है। हम वृक्षारोपण कर रहे हैं या वृक्षों को काट रहे हैं? वृक्षों के लाभ और वृक्षारोपण की हमारी जिम्मेदारी पर विचार विमर्श कीजिए।

परियोजना

गाँव/मुहल्लों के कुछ परिवारों से मिलकर सर्वेक्षण कर निम्न तालिका की पूर्ति कीजिए।

क्र. सं.	परिवार का मुखिया	बिजली के बल्बों की संख्या	वर्ग			बिजली बिल भुगतान रूपयों में
			बल्ब	ट्यूब	सीएफएल	

उन परिवारों को ऊर्जा बचत उपायों से अवगत करवाकर पुनः तीन माह के उपरान्त सर्वेक्षण कर अंतर जाँचे।

पृथ्वी की गति और मौसम

EARTH MOVEMENTS AND SEASONS

बदलती ऋतुएँ

मनुष्य पौधों और पशुओं के बड़े समुदाय के साथ रहता है। पिछले कई वर्षों में हमने लगातार बदलाव की ओर ध्यान दिया।-पेड़ और पौधों का फूल और फल देना और हमारे आस पास पशुओं की गतिविधियों में बदलाव। तुमने देखा होगा कि जैसे-जैसे महीने बीतते हैं पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं, बिना पत्तों के पेड़ खड़े रहते हैं, नई शाखाएँ निकलती हैं, फूल और फल लगते हैं। तुमने यह भी देखा होगा कि वर्ष के भिन्न-भिन्न समय में तुम्हें भिन्न-भिन्न प्रकार की सब्जियाँ और फल मिलते हैं। कुछ महीनों में बहुत गर्मी होती है और कुछ में सर्दी या बरसात।

- क्या आप बता सकते हो कि आपने कौनसे मुख्य मौसम देखे हैं ?
- क्या आप वर्णन कर सकते हो कि प्रत्येक में क्या हुआ-गर्मी कैसे होती है, कितनी वर्षा

होती है, पेड़-पौधों और पशुओं को क्या हुआ, तुम्हें खाने के लिए क्या खाद्य-सामग्री मिली आदि।

- पता लगाइए कि कक्षा में कोई है जो दूरस्थ स्थानों में पर रहता है जहाँ मौसम अलग होता है। उन्हें बताने के लिए कहिए कि वहाँ क्या होता है?

भारत के अधिकतर उप महाद्वीपों में मोटे तौर पर ग्रीष्म, मानसून और शीत ऋतुएँ देखी जाती है। तमिलनाडु या केरला या अंडमान आदि दूरस्थ दक्षिणी प्रदेशों में शीतकाल में अधिक सर्दी का अनुभव नहीं होता। इसी प्रकार उत्तर पूर्वी राज्यों में गर्मी का मौसम बहुत अल्पकालीन होता है। लेकिन अधिकतम उत्तर भारत में गर्म ग्रीष्म, सर्द शीत और बरसाती मानसून के साथ सभी तीन मौसमों को देखा गया है।

प्राचीन संस्कृत साहित्य तीन मुख्य मौसमों में प्रत्येक के बीच में एक मध्यवर्ती मौसम को जोड़ते

चित्र 3.1: सं. रा. अ के लांस्टर में 3 .मौसम में एक पेड़



हुए एक वर्ष को छह मौसमों में विभाजित किया है। इन्हें ऋतुएँ कहते हैं; छह ऋतुएँ वसंत (Spring), ग्रीष्म (Summer), वर्षा (Monsoon), शरद (Autumn), हेमंत (Prewinter) और शिशिर (Winter) हैं। प्रत्येक मौसम नियत कृषि कार्य और त्योहारों से जुड़ा है। वसंत पेड़ों के कुसुम होने के साथ सर्द सर्दियों की समाप्ति को सूचित करता है और यह शीत फसल के काटने का काल भी है। भारत के कई समुदाय इस मौसम में उनका नया वर्ष मनाते हैं और इसे वसंत पंचमी, होली, उगादी, गुड़ीपड़वा, विशु, बिहु, बैसाखी और पुलनंदू जैसे त्योहारों के नाम से मनाते हैं। ग्रीष्म वह समय है जब भारत के अधिकतर भाग अत्यधिक गर्म होते हैं। वर्षा ऋतु वर्षा के आरंभ और भारत के अधिकतर भागों में कृषि कार्यों को अंकित करती है। शरद में आसमान साफ होता है और मानसून फसल पक जाती है। इस मौसम में दीपावली जैसे त्यौहार मनाये जाते हैं। इस मौसम के बाद हेमंत ऋतु आती है। देशभर का एक और सुहावना समय होता है। अगली शिशिर (शीत) ऋतु है जो वर्ष का सबसे सर्द समय है। इस काल में हिमालय क्षेत्र में बर्फ गिरती है। इस मौसम के अंत में लोहड़ी, पोंगल और मकर संक्रांति जैसे कई फसल कटाई के त्यौहार मनाये जाते हैं।

विश्व के उप-ध्रुवीय और समशीतोष्ण प्रदेशों में आम तौर पर चार मौसम-ग्रीष्म, वसंत, शरद और शीत होते हैं।

नीचे दिये गए चित्र को ध्यान से देखिए। (3.1)

- आपके विचार में चित्र में दिखाये गए पेड़ एक समान है या भिन्न-भिन्न है ?
- आप पेड़ों में क्या-क्या परिवर्तन देख सकते हो ?

पहले चित्र में आप देख सकते हो कि पेड़ और उसके आस-पास का क्षेत्र बर्फ (एक प्रकार की चिकनी बर्फ) से ढका हुआ है। तीसरे चित्र में आप

देख सकते हैं कि उसी पेड़ पर नये पत्ते निकल रहे हैं (वहाँ बर्फ नहीं है) दूसरे चित्र में उसी पेड़ पर बड़ी-बड़ी पत्तियाँ हैं। अंतिम चित्र में पकी हुई लाल पत्तियाँ उसी पेड़ से गिर रही हैं। क्या आप जानते हो यह परिवर्तन क्यों हो रहा है ? जी हाँ, यह सही है, मौसम।

क्या आपने कभी अपने चारों ओर का क्षेत्र बर्फ से ढका देखा है ? आपने उसे पानी से भरा देखा होगा लेकिन कभी भी बर्फ से नहीं ? लेकिन पृथ्वी के कुछ भाग कुछ महीनों में इतने ठंडे होते हैं कि वहाँ बर्फ भी गिरती है। यह चित्र सं.रा.अ.(USA) के लानसेस्टर (Lancaster) का है। सर्दियों के समय उत्तरी देशों में भारी बर्फ पड़ती है, गर्मियों में ज्यादा सर्दी नहीं होती लेकिन फिर भी हमारे राज्य से अधिक ठंडा होता है। लेकिन, सबसे मजे की बात यह है कि उन देशों में गर्मियों में दिन अधिक लंबे होते हैं-इतने अधिक कि आप आधी रात में भी सूर्य देख सकते हो।

पता लगाइए कि कौनसा देश 'अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि' कहलाता है और उसे ग्लोब में दर्शाइए। उसका अक्षांस पता लगाइए और उसकी तुलना तेलंगाना के अक्षांस से कीजिए।

ग्लोब पर आस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका और चिलीको दर्शाइए। ये दक्षिणी महाद्वीप के देश भी कहलाते हैं, अर्थात् भूमध्य रेखा के दक्षिण के महाद्वीप। इन देशों में मौसम का चक्र भिन्न होता है। जब हमारे पास ग्रीष्म ऋतु होती है तब वहाँ सर्दियाँ होती हैं और जब हमारे पास सर्दियाँ होती हैं तब वहाँ गर्मी। सच तो यह है कि भूमध्यरेखा के दक्षिण में सभी स्थानों का यही रूप होता है।

- ग्लोब देखिए और भूमध्यरेखा के दक्षिण में स्थित देशों के नाम पता लगाइए।

एशिया :

आफ्रीका :

यूरोप :

उत्तर अमेरिका :

दक्षिण अमेरिका :

ऑस्ट्रेलिया:

- क्या आपने ऐसा महाद्वीप देखा जो पूर्णरूप से भूमध्यरेखा के उत्तर में है ?
- क्या आपने ऐसा महाद्वीप देखा जो पूर्णरूप से भूमध्यरेखा के दक्षिण में है ?
- क्या आपने ऐसा महाद्वीप देखा जो भूमध्यरेखा के उत्तर और दक्षिण दोनों ओर फैला है ?
- क्या कक्षा के सभी विद्यार्थी इस मौसम के जादू के संबंध में तीन प्रश्न लिख सकते हैं? हम उनका उत्तर जानने का प्रयत्न करेंगे।

आप इन प्रश्नों को पूछने वाले अकेले नहीं हो। हजारों वर्षों से मनुष्य इन मामलों के लिए उत्सुक है और समय की गति ने हल खोज लिया है। चलिए यह समझने की कोशिश करते हैं कि मौसम क्यों होते हैं, क्यों हमारी पृथ्वी के कुछ भाग गर्म और कुछ ठंडे हैं और क्यों उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में मौसम विपरीत होते हैं।

ऋतुओं को प्रभावित करने वाले तत्व

इसे समझने के लिए हमें विभिन्न तत्वों के पारस्परिक प्रभाव को जानना होगा। वे हैं -

- 1) पृथ्वी का गोलाकार एवम् सतह का धुमावदार होना।
- 2) हर दिन पृथ्वी का अपनी धूरी पर घूर्णन।
- 3) धूरी के घूर्णन के झुकाव की तुलना उस समतल से की गई, जिस पर पृथ्वी भ्रमण करती है।

4) वर्षा में एक बार सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति (परिभ्रमण)

1. पृथ्वी का घुमावदार होना

पृथ्वी के गोल आकार के प्रभाव और कैसे इससे पृथ्वी की सतह पर गर्मी का वितरण अलग-अलग होता है, कैसे भूमध्य रेखा के आस पास का क्षेत्र ध्रुवों के आसपास के क्षेत्र से अधिक गर्म होता था, इस बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हो।


2. पृथ्वी का अपनी धूरी पर घूमना

पृथ्वी घूमती है या 'लट्टू' की तरह गोल घूमती है। यह किसके चारों ओर घूमती है ? यह दरअसल एक काल्पनिक रेखा के चारों ओर घूमती है जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को जोड़ती है। यह रेखा पृथ्वी के भ्रमण की धूरी कहलाती है। पृथ्वी के सभी भाग इस रेखा के चारों ओर दिन में एक बार घूमते हैं। दूसरे शब्दों में पृथ्वी को अपनी धूरी के चारों ओर घूमने या भ्रमण करने के लिए लगभग 24 घण्टे लगते हैं। यह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है- अर्थात् यदि आप अपने सामने ग्लोब रखेंगे तो आप उसे अपनी बाँयी ओर से दाँयी ओर घुमाओं। आप देखेंगे कि पश्चिमी भाग पूर्व की ओर घुमेगा।

जब पृथ्वी भ्रमण करती है, हमारे चारों ओर की वायु, बादल और पक्षी पृथ्वी के साथ घूमते हैं। इसीलिए हम रेलगाड़ी या बस से यात्रा करते समय जैसी गति अनुभव करते हैं। यह कैसी गति है? सामान्य रूप से इसे नहीं अनुभव करते हैं।

इसीलिए सूर्य, चंद्रमा और तारे पूर्व में उदित और पश्चिम में अस्त होते हुए दिखाई पड़ते हैं-सच में, यह पृथ्वी के पूर्व की ओर नियमित रूप से घूमने से उत्पन्न भ्रम है।

पृथ्वी के भ्रमण का प्रथम और मुख्य प्रभाव प्रतिदिन दिन और रात में परिवर्तन है, जैसे पृथ्वी की सतह का भाग पहले सूर्य की ओर और तत्पश्चात् सूर्य से दूर जाता है। सूर्य के प्रकाश के अनावरण का यह बदलाव स्थानीय तापमान और वायु की गति को प्रभावित करता है।



चित्र 3.2: पृथ्वी का भ्रमण पश्चिम से पूर्व की ओर

क्रियाकलाप :

एक ग्लोब लीजिए और उस पर कुछ दूरी से टार्च का प्रकाश डालिए। टार्च गेंद के आधे भाग को प्रकाशित कर देगी। यदि आप ग्लोब को प्रकाश के सामने घुमाओगे, तो भी गेंद की आधी परिधि ही प्रकाशित होगी।

उसी प्रकार, सूर्य किसी भी समय पृथ्वी के आधे भाग को ही प्रकाशित करता है। सूर्य द्वारा प्रकाशित गोलार्ध का किनारा, प्रकाश का वृत्त कहलाएगा, यह एक बड़ा वृत्त है जो पृथ्वी को आधे प्रकाश और आधे अंधकार में विभाजित करता है।

यदि पृथ्वी ऊपरी धूरी पर न घूमे तो क्या होगा? तब पृथ्वी के एक भाग को जो सूर्य के सामने है हमेशा सूर्य की गर्मी और प्रकाश मिलता रहेगा और दूसरा भाग हमेशा ठंडा और अंधकारमय रहेगा। इससे दोनों भाग जीवन के लिए अयोग्य बन जायेंगे, प्रकाशित आधा भाग बहुत गर्म रहेगा और आधा अंधकारमय भाग बहुत ठंडा रहेगा। इस प्रकार भ्रमण पूरी पृथ्वी को प्रतिदिन गर्मी और प्रकाश पाने में सहायता करता है।

3. पृथ्वी का झुकाव और सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण

पृथ्वी अपनी धूरी पर गोल घूमते हुए सूर्य के चारों ओर भ्रमण करती है। अर्थात्, यह लट्टू की तरह घूमती है और साथ ही साथ आगे बढ़ती हुई सूर्य के चारों ओर घूमती है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति 'परिभ्रमण' कहलाती है। प्रत्येक परिभ्रमण में लगभग 365 दिन और 5.56 घंटे लगते हैं। यह पृथ्वी पर एक वर्ष की लंबाई है। इससे पृथ्वी पर मौसम किस प्रकार बनते हैं?

यदि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर ही घूमती-तो इसका यह अर्थ होता कि सभी स्थानों में वर्षभर समान मौसम होता। वह भाग जिसे अधिक सूर्य का प्रकाश मिला उसे वर्षभर वह उसी प्रकार मिलता रहता है और ठीक उल्टा। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि पृथ्वी के भ्रमण की धूरी झुकी हुई (तिरछी) है और वर्ष भर एक ही दिशा कि और संकेत करती है। झुकी हुई धूरी (inclined axis) का क्या अर्थ है?

पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक नियमित पथ (ग्रहपथ भी कहलाता है) पर एक खुली जगह में एक समान स्तर पर घूमती है। यह ग्रहपथ स्तर कहलाता है। पृथ्वी के भ्रमण की धूरी इस स्तर पर (अर्थात् 90° कोण पर) नहीं होती लेकिन उस पर झुकी हुई होती है जिससे 66.5° कोण बनाती है। दूसरे शब्दों में यह 23.5° (90°-66.5°= 23.5°) झुकी हुई होती है। यह भाव समझने के लिए, निम्न चित्र को देखिए।


वास्तव में यदि हम पृथ्वी को आकाश से देखते हैं, तो हम कोई भी झुकाव या धूरी नहीं देख सकते। यह वैसी ही दिखाई देती है जैसे चंद्रमा और सूर्य हमें दिखाई देते हैं - एक गोल चकली (disc) 'झुकाव' काल्पनिक रेखा का झुकाव होता है-धूरी, और इसीलिए आँखों से नहीं देखा जा सकता।

चूँकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी की धूरी वर्षभर एक ही दिशा में झुकी हुई होती है। वह ध्रुव तारे (जो रात के समय उत्तरी आकाश की ओर देखा जा सकता है) की ओर संकेत करती है और यह धूरी का ध्रुवीयकरण कहलाता है।

आप चित्र में देख सकते हैं कि जब पृथ्वी इस प्रकार सूर्य के चारों ओर घूमती है तो क्या होता है? कुछ महीनों में (जून) उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है और कुछ महीनों में दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के समक्ष होता है। इसके फलस्वरूप उत्तरी गोलार्ध में जब गर्मी होती है, तब दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी होती है। छः महीने (दिसम्बर) बाद स्थिति बदल जाती है, उत्तरी गोलार्ध में सर्दी



चित्र: 3.4: चंद्रमा से पृथ्वी



चित्र 3.3: मौसम और सूर्य और ग्रहपथ स्तर - उत्तर दक्षिणार्ध और ऋतुएँ

होती है और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है। आप यह भी देख सकते हैं कि कुछ महीनों जैसे मार्च और सितम्बर में भूमध्यरेखा पर सूर्य का सीधा प्रकाश पड़ता है और उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों को सूर्य से ऊर्जा समान रूप से प्राप्त होती है।

- कल्पना कीजिए कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है लेकिन अपनी धूरी पर झुकी हुई नहीं है: यह तेलंगाना के मौसमों पर क्या प्रभाव डालेगा? यह उत्तरी क्षेत्रों के मौसमों को, जिसके चित्र आपने अध्याय के आरंभ में देखे हैं, कैसे प्रभावित करेगा?

पृथ्वी पर तापमानी पटी(Temperature Belt)

आइए देखते हैं कैसे पृथ्वी का गोलाकार और धूरी का झुकाव का प्रभाव मिलकर पृथ्वी पर सूर्य के ताप के वितरण को प्रभावित करते हैं। हमने पहले देखा कि जब सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर पड़ती हैं, वे उन भागों पर सीधी पड़ती हैं जो सीधे सूर्य के समक्ष होते हैं और आप जैसे-जैसे उस भाग से दूर जाते हैं यह एक कोण पर पड़ती है।

जैसे-जैसे हम दोनों ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं कोण बढ़ता जाता है। परिणामस्वरूप उन क्षेत्रों में जहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं अधिक गर्मी होती है और जहाँ सूर्य की किरणें एक कोण पर पड़ती हैं वहाँ कम गर्मी होती है।

धूरी के झुकाव के फलस्वरूप, वह क्षेत्र जो सूर्य के ठीक सामने होता है वर्षभर बदलता रहता है। मार्च में सूर्य की किरणें सीधे भूमध्यरेखा पर पड़ती हैं, जबकि जून में यह सीधे उत्तरी ध्रुव की कर्क रेखा पर पड़ती है। तत्पश्चात सितम्बर में जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर आगे बढ़ती है, सूर्य की किरणें सीधे भूमध्यरेखा पर पड़ती हैं और दिसम्बर में यह दक्षिणी ध्रुव की मकर रेखा पर पड़ती है।

इस प्रकार आप देख सकते हैं कि एक पट्टी होती है जिसके भीतर सूर्य की किरणें वर्ष के किसी न किसी समय पर सीधी पड़ती हैं। यह पट्टी जो कर्क रेखा से मकर रेखा तक होती है, उष्ण कटिबंधीय पट्टी कहलाती है। यह पट्टी सूर्य से अधिकतम गर्म ऊर्जा प्राप्त करती है।

जून 21 - सूर्य कर्क रेखा पर

मार्च 21, सितम्बर 23 - भूमध्य रेखा पर सूर्य

दिसम्बर 22, सूर्य मकर रेखा पर

विश्वभर में मार्च 21 एवं सितम्बर 23 को दिन व रात एक ही समान होते हैं। इसलिए इन्हें 'विषुव' 'इक्विनोक्स' कहा जाता है।

हम जैसे-जैसे पट्टी के उत्तर या दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, हम ऐसे स्थानों पर पहुँच जाते हैं जहाँ गर्मियों में गर्मी होती है लेकिन साथ ही सर्दियों में बहुत ठंड होती है। यह समशीतोष्ण कटिबंध है। इस क्षेत्र के उत्तरी भागों में सर्दियों में बर्फ पड़ती है।

- पता लगाइए कि तेलंगाना उष्णकटिबंध में आता है या समशीतोष्ण कटिबंध में।
- क्या किसी महीने में तेलंगाना में सूर्य की किरणें सीधी हमारे सिर पर पड़ती हैं? यदि हाँ, तो कौन से महीने में?
- पता लगाइए कि दिल्ली किस पट्टी में है और क्या वहाँ सर्दियों में बर्फ गिरती है।

यदि आप तापमानी पट्टी के उत्तर या दक्षिण में आगे बढ़ते रहेंगे तो आप ध्रुवीय क्षेत्र में पहुँच जाएँगे। इस क्षेत्र का मौसम बहुत विचित्र होता है। यह क्षेत्र सर्दियों के महीनों में सूर्य से दूर रहता है- और दिन में भी सूर्य का ज़रा सा भी प्रकाश नहीं मिलता। अर्थात् छः महीनों तक ध्रुवों पर सूर्य नहीं होता। अगले छः महीने यह दिन के 24 घंटे सूर्य का प्रकाश पाता रहता है-यहाँ रात या अंधेरा नहीं होता ! एक जहाँ छः महीनों का दिन और छः महीनों की रात होती है। 'दिन' के समय भी यहाँ सूर्य की बहुत ही तिरछी किरणें पड़ती हैं। सूर्य आसमान में सीधे नहीं होता लेकिन केवल सूर्योदय बिंदु (क्षितिज भी कहलाता है) से कुछ ऊपर रहता है। इसीलिए यहाँ कभी भी बहुत गर्मी नहीं होती। इसीलिए यहाँ छः महीने बर्फीली सर्दियाँ होती हैं- इतनी अधिक सर्दियाँ कि पूरा महासागर-आर्कटिक महासागर वर्ष भर बर्फ से ढका होता है। इतना ठंडा कि मिट्टी भी सख्त पत्थर की तरह जम जाती है और पेड़ों की जड़ें भी उसके भीतर नहीं जा सकती। इसीलिए इस क्षेत्र में पेड़ नहीं उगते। जब सूर्य छः महीने के लिए आता है, बर्फ पिघलती है, समुद्र का भाग भी पिघलता है। छोटे पौधे जैसे कार्ड, शैवाल और कुछ फूल के पौधे उगते हैं।

चित्र 3.6:

उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में दिखाई देती उत्तरी रोशनी, जब सूर्य क्षितिज के ऊपर नहीं उदित होता उस मौसम में दिखाई देती है।



मुख्य शब्द

- | | | |
|---------------|-------------------|--------------------|
| 1. मौसम | 2. पृथ्वी का मोड़ | 3. पृथ्वी का झुकाव |
| 4. बर्फ पड़ना | 5. तापमानी पट्टी | 6. क्षितिज |


सीखने में सुधार

1. आपके विचार में आपके क्षेत्र में पैदा होने वाली फसल और मौसम में क्या आपस में कोई संबंध है? अपने बड़ों और दोस्तों से चर्चा करके पता लगाइए और उस पर एक छोटा अनुच्छेद लिखिए।
2. आपके विचार में सर्दियों के महीनों में तेलंगाना में बर्फ क्यों नहीं गिरती?
3. हमारे पास वर्षा का मौसम होता है-आपके विचार में यह पृथ्वी की परिक्रमा और सूर्य की किरणों से कैसे संबंधित है? यह गर्मियों में होता है या सर्दियों में या बीच के मौसम में होता है?
4. अपने क्षेत्र में विभिन्न महीनों में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए। (आप इसके लिए स्थानीय समाचार पत्र देख सकते हैं।) दिन और रात के समय की गणना कीजिए-प्रतिदिन कितने घंटे-प्रत्येक महीने के लिए। क्या आपने इसके लिए कोई नमूना देखा है?
5. अपने माता-पिता या बहनों या भाइयों को पृथ्वी के भ्रमण के बारे में समझाइए। उनके प्रश्न या संदेह लिखिए।
6. कल्पना कीजिए कि पृथ्वी भ्रमण नहीं करती, बल्कि पूरे वर्ष सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। मौसमों और तापमान के वितरण में इससे क्या अंतर आता है?
7. तापमान पट्टी के अंतर्गत आने वाले उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के एक-एक देश का नाम पहचानिए।
8. भारतीय जलवायु के छह मौसम कौनसे हैं?
9. इस अध्ययन का पहला अनुच्छेद पढ़िए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
मनुष्य जीवन पर मौसम का क्या प्रभाव पड़ता है?

ध्रुवीय क्षेत्र

THE POLAR REGIONS

इस अध्याय में आप एक क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे जो दूसरी जगहों से पूरी तरह से अलग है जो 6 और 7 कक्षा में देखा है उससे ये अलग है। इस क्षेत्र में रात और दिन निरंतर कई महिनों तक रहते हैं। हमारे देश की तरह यहाँ कोई प्रतिदिन सूर्यादय और प्रतिदिन सूर्यास्त नहीं होता। आप ऐसी जगह की कल्पना कर सकते हैं ? इस क्षेत्र में बहुत ठंड है। यह स्थान इतना ठंडा है कि केवल बर्फ और बर्फ को ही देखा जा सकता है- धाराओं, नदियों पर बर्फ और यहां तक कि पूरे समुद्र पर, भूमि पर, बर्फ जमी होती है (याद कीजिए 6वीं कक्षा में अध्याय 2 जहाँ जमे हुए महाद्वीप का जवाब दिया हुआ है।)



नक्शा 1: दुनिया के नक्शे
ध्रुवीय क्षेत्र

मानचित्र 2: ध्रुवीय क्षेत्र

ध्रुवीय क्षेत्र कहाँ है ?

आपने ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव देखा है। इस क्षेत्र को ध्रुवों के पास “ध्रुवीय” क्षेत्र कहा जाता है। आप इस अध्याय में उत्तरी ध्रुव क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। नक्शा 1 देखिये यहाँ उत्तरी ध्रुव और उसके आसपास के क्षेत्रों का पता चलता है। पूरे ध्रुवीय क्षेत्र हल्के ढंग से छायांकित है। इस क्षेत्र की सीमा पर ध्यान दें, यह आर्कटिक सर्कल के रूप में जाना जाता है।

ध्रुवीय क्षेत्र के भीतर महाद्वीपों के उत्तरी भागों को Tundra के रूप में जाना जाता है। Tundra का अर्थ है ज्यादा ठंड। Tundra क्षेत्र में सूरज की गर्मी कम हो जाती है। यहाँ वनस्पति का एक अनूठा प्रकार Tundra वनस्पति के रूप में जाना जाता है।

- कौन से महाद्वीपीय य भाग जो इस क्षेत्र से भीतर गिर जाते हैं?

- याद करों की क्या होता है, जब हम भूमध्य रेखा से दूर स्थानांतर करने की कोशिश करते हैं?



चित्र 4.1 तुंड्रा प्रांत की सर्दियाँ

तुंड्रा में मौसम

Tundra क्षेत्र बहुत ही ठंडा है। Tundra में ठंड की कल्पना करना भी मुश्किल है। हमारे देश में सूरज उगता है और हर दिन अस्त होता है, लेकिन इस क्षेत्र में नहीं होता। यहाँ नवम्बर, दिसम्बर और जनवरी में लगभग अंधेरा रहता है, उसके बाद सूरज कभी जाता नहीं है। यहाँ इन महीनों में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। आप जानते हैं यहाँ इतनी ठंड होती है कि पानी बर्फ बन जाता है। इस अत्यधिक ठंड में नदियों, झीलों का पानी और समुद्र भी बर्फ बन जाता है। ठंडी हवाओं में बर्फबारी होती है।

यहाँ कड़ाके की ठंड, अंधेरे और बर्फीले मौसम के कारण सभी पौधे मर जाते हैं। यहाँ तक कि पक्षी और जानवर भी इस क्षेत्र को छोड़ कर कहीं और जगह पलायन करते हैं। पूरा क्षेत्र अंधकारमय, सूनसान और उजाड़ होता है।

गर्मी

फरवरी-मार्च के आसपास tundra में सूरज की चमक शुरू होती है। इसके आरम्भिक दिनों में सूरज एक घंटे और आधे घंटे के लिए चमकता है और फिर अस्त हो जाता है। धीरे-धीरे ये दो घंटे

के लिए और अंत में 24 घंटे के लिए निकलता है। यहाँ मई से जुलाई तक सूरज तीन महीने के लिए अस्त नहीं होता है, 24 घंटे चमकता है। लेकिन सूरज ऊपर की ओर बढ़ता नहीं है। यह क्षितिज के ऊपर सतह बनाता है। (क्षितिज वह जगह है जहाँ पृथ्वी आकाश मिलता हुआ दिखाई देता है।) चूंकि यहाँ सूर्य

आकाश में ऊपर नहीं जाता है इसलिए यह बहुत गर्म नहीं होता है।

गर्मियों के तीन महीनों में भी यह ठंडा रहता है। लेकिन यह अपेक्षाकृत कम ठंड के महीनों की तुलना में है। अपेक्षाकृत गर्म मौसम के कारण बर्फ पिघलता है। नदियाँ जो बर्फ से जमी होती हैं वह पिघल कर बहना शुरू हो जाती हैं। झीलों को भरने के लिए, और बर्फ का बड़ा हिस्सा टूटने और icebergs के रूप में समुद्र में बड़ा हिस्सा बहता है।

सर्दियों में जो उजाड़ भूमि होती है वह गर्मियों में रंग के साथ जिंदा होती है। गर्मियों में कई रंग के पौधे, क्षोपाल, घाँस और जामुन सबके अंकुर देखने मिलते मिलते हैं। वहाँ अलग-अलग रंग के फूल और फल उगते हैं। जिससे कई पशु-पक्षी आकर्षित होकर आते हैं।

- क्या आप पिछले पृष्ठ के चित्रों में किसी भी पेड़ को देख रहे हो ?

पेड़-पौधे

यहाँ साल के मध्य में ठंड के कारण ऊपरी मिट्टी की सतह एक चट्टान बन जाती है।

इसे 'permafrost' योही जहाँ थोड़ी मिट्टी कहा जाता है, और केवल कुछ पौधों को ही वे विकसित कर सकते हैं। यहाँ तक कि यहाँ अगर पौधों को विकसित करने का प्रबंध किया जाये तो तेज़ हवा उसे उखाड़ देगा। tundra क्षेत्र में अधिकांश पेड़ कम होते हैं।



चित्र: 4.2 तुंड्रा प्रांत की गर्मियाँ

- tundra में गर्मियों के बारे में पाँच विषय।
- रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
 - सूरज _____ के महीनों में उदित नहीं होता और _____
 - इस _____ समय पानी _____ और पौधों _____
- tundra के लोगों को सर्दियों में प्रकाश पाने के लिए क्या करना पड़ता है?

टुंड्रा प्रदेश के लोग Eskimos (एसकिमोस)

आर्कटिक विशाल, विरान मैदानों, बर्फीले समुद्र और बजर, चट्टानी द्वीप का एक क्षेत्र है। इस कठोर भूमि में Eskimos लोग रहते हैं, जो ग्रीनलैंड, कनाडा, अलास्का और साइबेरिया में बिखरी बस्तियाँ का घर हैं। हजारों सालों से Eskimos ने अन्य लोगों ने अपने आप को अलग किया है। वे शिकार

करते हैं और मछली पकड़ते हैं और उन्होंने अच्छी तरह से अपने देश के लिए अनुकूल जीवन का एक तरीका विकसित किया।

Eskimos विकसित जीवन के पारंपरिक तरीके से सुदूर उत्तर की चुनौतियों का सामना करने के लिए हैं। ये अनुभाग उनके जीवन का वर्णन करना है जो

Eskimos आज तक जी रहे हैं।

Eskimo का सबसे ज्यादा स्वीकार किया

चित्र: 4.3 1930 से ध्रुवीय क्षेत्रों में लोगों की एक तस्वीर





चित्र 4.4: A वालरस दाँत पकड़े साइबेरिया युपिक महिला की एक बहुत पुरानी तस्वीर holding walrus tusks

हुआ है अर्थ है समूह "snowshoe-netter" यहाँ दो समूहों को Eskimos के रूप में जाना जाता है इनयुट और युपिक। इनयुट की भाषा में उनका अर्थ है "लोग" या "असली लोग"। Eskimos साइबेरिया के वंराज है, अब यह एशिया में रूस का एक हिस्सा है।

Eskimo की भाषा हजारों साल पुरानी है पर इसे आज तक भी नहीं लिखा गया है। यहाँ प्रमुख तीन भाषाएँ हैं एल्युट, युष्टिक और इनयुपिक। इनयुपिक उत्तरी अलास्का से ग्रीनलैंड तक बोली जाती है। बोलियों के बीच छोटे मतभेद हैं। युपिक भाषा दक्षिण-पश्चिम अलास्का और साइबेरिया में बोली जाती है।

Eskimos ने सबसे पहले उत्तरी अमेरिका में 5,000 साल पहले प्रवेश किया, एशिया से ब्रेरिंग जलडमरू को पार करके वह न्यूजीलैंड के लिए कनाडा के उत्तरी भाग में तेजी से चले गए। कुछ एस्किमो समूह पश्चिम की ओर चले गये। वे बेरिंग सागर क्षेत्र में भी हैं। आज Eskimos की बड़ी आबादी नहीं है लेकिन वह बढ़ा रहे हैं।

- आप को क्या लगता है tundra में लोग हमेशा नहीं रह सकते हैं?

समूह जीवन

Eskimos काफी छोटे समूह में रहते हैं। उत्तरी अलास्का तट पर 500 से अधिक लोगों के गाँव हैं। (ग्रीनलैंड, बेफीन लीप और लैब्राडोर) के पूर्ण क्षेत्र में एक विशिष्ट समूह में 25 से 45 लोग रहते हैं। एक काफी निश्चित क्रम के बाद मौसम की गतिविधियों के कारण साल भर में पूर्ण समूह को स्थानान्तरण करना पड़ता है।

वे शीतकाल में तट के किनारे जलव्याघ्र (seals) एवं मछली का शिकार हुए बिताते हैं। गर्मियों में अंतर्देशीय कदम कारिब शिकार और जामून इकट्ठा करते हैं। कभी-कभी वे 1,100 से अधिक किलोमीटर बढ़ाते हैं। वे बर्फ को पार करते हैं और कुत्तों के द्वारा बर्फ सफेज करते हैं और खुली नौका में यात्रा करते हैं - उन्हें युमैक कहा जाता है।

नजदीकी सहयोग उनके लिये जरूरी है। अगर एक Eskimos समूह कठोर भूमि में जीवन बिताता है, तो समूह के सदस्यों को एक साथ शिकार जैसी गतिविधियों में भाग लेना पड़ेगा। उदाहरण के लिए पूर्ण समूहों में दस से बारह शिकारी सर्दियों में बर्फ में उनके पास लिए हार्पून हथियार की जरूरत रहेगी।

बहुत बड़े समूह - 100 से ज्यादा लोग मिलकर कारिबू और जल व्याघ्र, व्हेल जैसे बड़े समुद्री प्राणियों का शिकार करते हैं। कुछ गतिविधियों में



चित्र 4.5 हार्पून हथियार जो जलव्याघ्र के शिकार में प्रयोग होता है

व्यक्तियों और छोटे परिवार शामिल होते हैं जैसे कि भालू पकड़ना, जाल से मछली पकड़ना और जामून इकट्ठे करना ।

शिकार और मत्स्यपालन :

मत्स्यपालन एवं शिकार करने में एस्किमों बहुत कुशल होते हैं इनके समूह में केरिबो नामक शिकार प्रचलित एवं आवश्यक है। केरिबो अंतः स्थलीय रूप से ग्रीष्म एवं शरद ऋतुओं में शिकार करते हैं। कुछ स्थानों में केरिबो (Caribous) लोगों की पंक्तियाँ झीलों में संचालन कर रहे हैं जहाँ वे धनुष और तीर के साथ गोली या यहाँ तक कि संकीर्ण धाराओं में मारते हैं। कभी-कभी लंबी पत्थरों की पंक्तियों को सजाकर मनुष्याकृति जैसे भ्रम में डालते हैं जिसे केरिबो मनुष्य जानकर शिकार में फँस जाते हैं।

कुछ समूहों के लिए मत्स्यपालन शिकार की ही भाँति महत्वपूर्ण होता है। मछली को गहरे गंदे जल में बर्फ में छेद के माध्यम से जाल में फँसाते हैं। वे उनके वयस्क कम बाँधों की धाराओं के पार रखे पत्थरों पर उथले साफ पानी में मछली पकड़ते हैं। मछली को पानी की धाराओं में चलता



चित्र: 4.6: केरिबू

देख तीन नुकीले आयामी बरछों से कुशल शिकारी द्वारा पकड़े जाते हैं। एस्किमो हिड्डियों से बने कांटों से सर्दियों में बर्फ में छोटी रेखाओं से छेद करते हैं। बसंत में यही प्रक्रिया बर्फ के किनारों पर की जाती है। बर्फ के किनारों को बंद कर कायाक नौका का प्रयोग करते हैं। (कायाक एक छोटी सी डोंगी के समान नौका है जो पशु चर्म के खिचाव से लकड़ी के ढाँचे पर बनाई जाती है)



चित्र 4.7: स्लेडज वाहन (Sledge Vehicle)

भोजन :-

Eskimos के आहार का एक बड़ा हिस्सा माँस और मछली है। सब्जियों का मिलना दुर्लभ है। भोजन व्यर्थ नहीं किया जाता है। लेकिन जैसा कि Eskimos शिकार और मत्स्यपालन पर निर्भर रहते हैं, भूख और भूखमरी आम बात है। जब माँस मछली पर्याप्त नहीं होते हैं तो भूख एवं भुखमरी का भी उन्हें सामना पड़ता है। गिरमियों में माँस मछली को के एक गहरे गड्ढे में खोद कर, भूखे जानवरों से बचाव के लिए, गाढ़ कर रखा जाता है।

एस्किमो वाले स्थलो में अधिकतर लकड़ी जो ईंधन का कार्य करती है जिससे माँस को भूना जाता है उसकी भी कमी पाई जाती है। माँस-मछली अक्सर कच्चे ही खाए जाते हैं। कच्ची

मछली-मांस को काट कर बारीक टुकड़े बनाकर ह्वेल या सील मछली के तेल में डुबोते हैं। अधिकतर समुद्री स्तनपायी जीवों के मांस को सड़ाकर (सड़ाने के बाद मांस मुलायम और पचने में आसान होता है) खाया जाता है।

आश्रय

एस्किमो शब्द इग्लू यानि आश्रय। इसे एक घर की ही संज्ञा दी जाती है ये ही नहीं कुछ लोग इसे गुंबद के आकार के घर मानते हैं।

गर्मियों में ज्यादातर Eskimo जानवर की खाल से बने तंबू में रहते हैं। पश्चिम अलास्का में सर्दियों में वालरस की खाल से तंबू बनते हैं। जिन्हें लकड़ी के ढाँचे पर बनाया जाता है। अलास्का के उत्तरी तट पर, लोग ह्वेल की हड्डियों से गुंबद बनाते हैं। ये गुंबद धरती में जमें हुए क्षेत्र के साथ ढक दिए जाते हैं। ग्रीनलैण्ड में घरों की छत पत्थरों से बनाई जाती है।

बर्फीले घर केवल पूर्व एवं मध्य क्षेत्र में ही प्रयोग किए जाते हैं। गुंबद बनाने के लिए हिमसीलों का प्रयोग होता है। जिन्हें हम बर्फ नहीं कहेंगे। यात्रा करने के लिए इन घरों में छोटी सुरंगों का सहारा लिया जाता है। सर्दियों में आश्रय के लिए बड़े बर्फीले घर का प्रयोग होता है। लम्बे सुरंगों को बड़े घरों का गोदाम मानते हैं। इस सुरंग का मार्ग घर के निचले स्तर में खुलता है।

घर के आधे भाग के दोनों दरवाजों के पास एक मीटर की ऊँचाई तक की बर्फीली चादर बिच



चित्र 4.8: अलास्का क्यूमुटिक 1999 से इग्लू लोग

जाती है। इसी सतह को जानवरों की खाल से ढक कर सोने के योग्य बनाया जाता है। दूसरी ओर जिस पर कपड़े सुखाने, भोजन आपूर्ति के लिए खूँटी गाढ़ दी जाती है। गर्मी और रोशनी के लिए सील के तेल के दीपक (लालटेन) की जरूरत पड़ती है। कभी-कभी दो विशाल बर्फीले घर सुरंग की मदद से जोड़ दिये जाते हैं। कुछ बर्फीले मकानों को सील मछली के चर्म को पंक्तिबद्ध सिलाईकर गुंबद के ऊपरी हिस्से में लटका दिया जाता है।

- घर बनाने के परिवेशों में कौन से संसाधन उपलब्ध है ?
- मौसम द्वारा मकान किस प्रकार प्रभावित होते हैं ?

पहनावा और शिल्पकला

एस्कीमों जानवरों की खाल से जूते पहनते हैं जिन्हें मुकलुक्स कहा जाता है। पतलून एवं टोपीदार आवरणों को परकास कहा जाता है। स्त्री और पुरुषों के पहनावे में गहरा अंतर होता है। पुरुष के परकों में आगे और पीछे लम्बे पल्ले (फ्लैप्स) होते



चित्र 4.9: अलास्का से इनपुट लोगों का 1912 में लिया गया चित्र

है। सिर्दियों में एस्कीमों के पहनावों की दोहरी परत होती है। मुलायम और गर्म होने के कारण वे हल्के पीले रंग के केरिबो चर्म का ही प्रयोग करते हैं। तटीय प्रांत के लोग बसन्त एवं गर्मीयों में जल व्याघ्रों के चर्म का प्रयोग करते हैं। उस खाल की विशेषता यह है कि वह बरसाती के रूप में भी उपयोग की जाती है परन्तु बड़ी सख्त होती है। पहनावे नक्काशी एवं किनारी दार होते हैं। विभिन्न रंगीले जानवरों के चर्म टके टुकड़ों को परका पर लगाकर सजाते हैं।

एस्किमो रोजमर्रा उपयोग होने वाले साधनों एवं उपकरणों को सजाते हैं। इसे अपनी निजी संपत्ति मानते हैं। छोटे-छोटे मनुष्य, जानवर, उपकरण, औजार, हथियारों की आकृति बनाने में अस्थियों, हाथीदांत, लकड़ी एवं मुलायम पत्थरों का उपयोग करते हैं। उपकरणों को उभोक्ता की उपयुक्ता के अनुसार नक्काशा जाता है। प्रशान्त महासागरीय एवं सुदूर पश्चिमी क्षेत्रों में नक्काशीदार लकड़ी से रंग कर, जानवरों के चर्म एवं पंखों से सजाकर, मुखौटे बनाते हैं।

धार्मिक भावना

Eskimo का धर्म हमें जीवन, स्वास्थ्य, भूखमरी, बिमारी और मौत के लिए गहरे संबंध

को दर्शाता है। Eskimo का मानना है कि आत्मा इन चीजों को नियंत्रित करती है। सभी Eskimo समूह सिला और आत्माओं (जैसे जीवन, स्वास्थ्य और भोजन की देवी के रूप में) नामक एक अलौकिक शक्ति में विश्वास करते हैं। वे मानते हैं कि मनुष्य और जानवरों की आत्मा मरने के बाद भी जीवित रहती है। परन्तु प्रत्येक समुदायों के अपने कुछ विशेष भावनाएँ एवं संस्कार होते हैं। हर मनुष्य, परिवार एवं समूह वर्जित कार्य प्रतिबद्ध एवं कुछ कृत्यों से निषिद्ध होते

है जैसे विशेष प्रकार का भोजन। हर समूह जन्म-मृत्यु, अच्छे-बुरे, शिकार रोजगार संबंधी समारोह मनाते हैं। (शमन्स नामक जाति के लोग विशेषकर इन भावनाओं का अनुष्ठान करते हैं) उनकी धारणा है कि इसके द्वारा विश्व भर की आत्माओं से वे जुड़ सकते हैं। शमन्स मूर्च्छा, नाटक एवं जादू द्वारा यह क्रिया करते हैं।

मनोरंजन

कुश्ती, दौड़ बछ्छी फेंक प्रतियोगिताओं और अन्य खेल लोकप्रिय हैं। कौशल का खेल कभी-कभी धार्मिक संस्कार के लिये आवश्यक होता है जिसमें कहानी, गायन, ढोल और नृत्य करते हैं। प्रीति भोज एवं सामाजिक मिलन पर अक्सर वे मांस एवं वसा का प्रयोग करते हैं।

बाहर की दुनिया के साथ संपर्क

एस्किमो द्वारा प्रथम देखे जाने वाले यूरोपी आइसलैण्ड के विकिन्स है जिन्होंने ग्रीन लैण्ड से समझौता स्थापित किया था। आइसलैण्ड वासी एवं एस्किमों के मध्य संपर्क वर्ष १२०० से प्रारंभ होकर वर्ष १४०० तक रहा। जब अंग्रेज नाविक मार्टिन फ्रांसबिशर ने बफिन द्वीप की यात्रा की, तब अन्य

यूरोपियों ने सन् १५७६-७८ के पश्चात् एस्किमों क्षेत्र की गहराई से खोज-बीन की।

डानिशा, नार्वे एवं अंग्रेजो ने सुदूर उत्तर की समुद्री यात्रा द्वारा चीन के प्रसिद्ध उत्तर पश्चिमी मार्ग को खोजने के लिए यात्रा की। सन् १७२८ तक रूसी साईबेरिया एवं उत्तरी अलस्का पहुँच चुके थे। प्रशान्त एवं अटलांटिक महासागरों से उत्तर पश्चिमी मार्ग का गंभीर रूप से खोज करने का यूरोपियों से संपर्क हुआ। परन्तु १९वीं शताब्दी तक उत्तरी आर्टिक द्वीपक एस्किमो समूह का बाहरी दुनिया के साथ अधिक संपर्क नहीं था। १८५० के उपरान्त यूरोपी एवं अमेरिकी ह्वेल और लोम व्यापारियों के आगमन से कई परिवर्तन आये। एस्किमों इन व्यापारियों के लिए काम कर के इन्हें लोम (फर) बेचने लगे। बदले में बाहरी उन्हें स्थायी रूप से लोहे के बन्दूक-औजार दिए गए। नवीन उपकरणों एवं औजारों के कारण लोम की माँग बढ़ गई। जिससे अधिक संख्या में जानवरों का शिकार होने लगा। कुछ क्षेत्रों में केरिबो एवं जल व्याघ्रों का शिकार इतना हुआ कि उनके विलोपन की स्थिति उत्पन्न हो गई।

बाहरी लोग अपने साथ नई बिमारियों भी ले आए जिससे लड़ने के लिए एस्किमो के पास प्रतिरक्षा

या प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता न के बराबर थी। जिनमें चेचक, इन्फ्लुएन्ज़ा, काली खाँसी, निमोनिया, गलसुआ, स्कारलट ज्वर, डिफ्थीरिया आदि अधिक खतरनाक बीमारियाँ थी। सन् १८०० के उपरान्त अधिक संख्या में यूरोपी आर्टिक में वर्षों तक वास करने लगे जिससे इन बिमारियों के प्रचंडता बढ़ गयी।

एस्किमो एवं बाहरियों के इस रूप के रिश्तों को तेजी-ठप्प कहा गया (बूम एवं बस्ट) बाहरी संपर्क की लहर अल्प समय के लिए धन दौलत, शिक्षा एवं रोजगार का अवसर दे सकी। जो लम्बे समय तक गरीबी एवं अव्यवस्था बनी रही। ह्वेल व्यापार (१८५९ से १९१०) नवीन लोम व्यापार (१९२५ से लगभग १९५० तक) सेना एवं सुरक्षा का निर्माण (मध्य-१९५०) शहरी केन्द्रों का निर्माण (मध्य १९६०)।

विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक शक्तियों के संपर्क ने एस्किमो की गर क्रिया के लहर को क्लान्त हर दिया। एकान्त सूनसान उत्तरी द्वीप वायु, यात्रा, राजमार्गों, शक्तिशाली आधुनिक जहाजों एवं उपग्रह संचालनों के लिए खुल गया। ये परिवर्तनों ने एस्किमो के जीवन शैली पर बहुत क्षति पहुँचायी।



चित्र 4.10: चुकोरा में 2000 के समय वालरस का शिकार

- बाहरी दुनिया के संपर्क एवं वार्ता से क्या तुन्द्रा वासियों का जीवन स्तर बढ़ा या घटा? अपने उत्तर का कारण बताइए?
- इस अध्याय के चित्रों को देखिए पहनावे एवं शिकार में किस प्रकार के बदलाव आए?

मुख्य शब्द

- | | | |
|----------------------|-----------------------|-------------|
| 1. उत्तरी ध्रुववृत्त | 2. तुंड्रा की वनस्पति | 3. आइस बर्ग |
| 4. एस्किमो | 5. कायाक्स | 6. इग्लू |

अर्जित ज्ञान का विकास कीजिए।

- सही तथ्यों के साथ सही उत्तर के साथ फिर से लिखिए।
 - पशु शरीर के अंगों को केवल कपड़ों में उपयोग किया गया।
 - सब्जियाँ भोजन के प्रमुख हिस्सों में शामिल हैं।
 - Tundra में लोगों का प्रिय खेल दैनिक जीवन से संबंधित है।
 - बाहरी लोगों के संपर्क से उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ा।
- आपने कक्षा-7 में भूमध्यीय क्षेत्र का अध्ययन किया। ध्रुवी क्षेत्र किस प्रकार भिन्न है?
- टुंड्रा में लोगों का जीवन किस प्रकार से वातावरण पर निर्भर है? उसका वर्णन निम्न प्रकार के कोष्ठक से कीजिए।

भोजन	पहनावा	यात्रा	आश्रय

- इस अध्याय में कई ऐसी चीजे हैं जो बहुत अलग हैं, जो आपके जीवन से अलग हैं। जहाँ आप रहते हो। इस अध्याय में छोटे-छोटे उपशीर्षकों की सूची बनाइए। वॉल पेपर बनाकर आपके एवं तुंड्रा वासियों के जीवन का वर्णन कीजिए।
- कल्पना कीजिये कि जब सूर्य सारा दिन (२४ घण्टे) अस्त नहीं होता और दूसरे दिन सूर्य उगता ही नहीं है - आप के जीवन में क्या परिवर्तन होगा? इस पर टिप्पणी लिखिये।
- विश्व के मानचित्र में एस्किमों के पाँच रहने योग्य स्थान अंकित कीजिए।

वन : सदुपयोग और संरक्षण FORESTS - USING AND PROTECTING

- आप में से कुछ छात्र अपने पास के वन उसके पेड़-पौधों, पशु-पक्षियों, कीड़े-मकोड़ों, नदी-चट्टानों से परिचित होंगे। कक्षा में विस्तार पूर्वक वन का वर्णन करें और छात्रों से पूछें कि उन्होंने वहाँ क्या किया?
- क्या आप कभी कंदमूल, फल, पत्ते, लकड़ी इकट्ठा करने वन गए हैं? कक्षा में सभी को इसकी जानकारी दे और उसकी सूची बनाइए।
- पिछली कक्षाओं में जंगल एवं उसमें रहने वाले लोगों के बारे में ज्ञान अर्जित किया। क्या आप वहाँ के लोगों के बारे में कुछ याद करके बता सकते हैं?
- क्या आप सभी जंगल का चित्र उतारकर उसकी तुलना कर सकते हैं?
- लोक कथाओं, पुराणों एवं कहानियों में लगातार जंगलों का उल्लेख आता है। क्या आप कक्षा में जंगलों से जुड़ी कुछ कहानियाँ सुना सकते हैं?
- कई जंगलों को पवित्र मानकर लोगों द्वारा पूजा जाता है। कुछ जंगल देवी देवताओं के डेरे के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन का पता लगाकर कक्षा में चर्चा कीजिए।

वन क्या हैं?

वन भिन्न लोगों के लिए भिन्न अर्थ रखता है। कुछ लोगों का मानना है कि वन, जंगली जानवरों, कीड़े-साँप बिच्छुओं का निवास गहरी घाटियाँ, पत्थर, चट्टानों का खतरनाक स्थल मानकर डरते हैं। कई बिना किसी भय के अपना घर मानकर वनों में खेलकूद एवं भ्रमण करते हैं और कुछ वनों को देवी-देवताओं का तीर्थ स्थान मानकर पूजते हैं। कुछ का मानना है कि कच्चे वस्तु जैसे लकड़ी, बाँस, बीड़ी पत्तों के इकट्ठा कर जानवरों का शिकार करके, वनों के बाजार एवं व्यापार का स्रोत।

इस प्रकार भिन्न लोग वनों का भिन्न रूप में उपभोग करते हैं। फल कंदमूल, साग-सब्जी उगाकर शिकार करके साधारण रूप से कुछ लोग वन में निवास करते हैं। कुछ गाय, भेड़ बकरी जैसे जानवरों

के चरने के स्थान के रूप में उपयोग करते हैं। कुछ पेड़ों की कटाई कर खेती योग्य भूमि बनाकर वनों में खेती करते हैं। जिन्हें पोड़ू भी कहा जाता है। इसके विषय में कक्षा छठवीं में पेनुगोलु नामक अध्याय में आपने पढ़ा होगा। कुछ पेड़ों और बाँसों को काटकर शहर में बसे कागज़ एवं फर्निचर के कारखानों के भेजते हैं और कुछ वनों को खेत, पर्यटन आश्रय एवं पानी संग्रहण के लिए बाँध के रूप में परिवर्तित कर देते हैं।

हाँ, हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि मनुष्य ही केवल ऐसा प्राणी नहीं है जिन्हें वनों की आवश्यकता है। घाँस, पेड़-पौधे, पशु-पक्षि, कीड़े-मछली अनगिनत कई जीवन, वन में पनप कर उस का उपयोग करते हैं। वनों के विषय में सोचते समय इन जीवों का भी ध्यान रखना होगा।

- वन क्या है? विभिन्न रूप से इसे परिभाषित किया जा सकता है। वनों की एक परिभाषा दीजिए।
- कक्षा में सामूहिक चर्चा द्वारा सही मुख्य बिंदु लिखिए।

हम वनों को किस प्रकार परिभाषित करेंगे ये हमारे वनों के प्रति दृष्टिकोण पर निर्भर करेगा। उदाहरणतः एक सरल परिभाषा में पेड़ों द्वारा आवृत भूमि के एक विशाल क्षेत्र को हम वन मान सकते हैं। हालांकि यह एक उपयोगी परिभाषा हो सकती है। इसकी कई सिमाएँ हैं। उदा: हमें पूछने की आवश्यकता है कि कितना बड़ा क्षेत्र? पेड़ों द्वारा आवृत भूमि से हमारा तात्पर्य क्या है? आवृत भूमि की गहराई? बाग जो वृक्षों से घिरे रहते हैं क्या हम उनकी तुलना वनों से कर सकते हैं? बिना पशु-पक्षी, पेड़-पौधे, जाड़ियों, कीड़े-मकोड़ों के वन पूर्ण होगा? ऐसे किसी भी परिभाषा में कई प्रश्न हो सकते हैं।


तब भी, हमें सामान्य समझबूझ से वन को समझ कर कार्य करना होगा। संभवतः हम कह सकते हैं कि वनों में निम्न कई विशेषताएँ हैं।

- १) विशाल क्षेत्र में फैलाव जिसकी लम्बाई एवं चौड़ाई कई किलोमीटर है।
- २) घने पेड़ों का आवरण एवं जाड़-झंखाड़ (झाड़ी, पौधे, घास, लता) जो मनुष्य के छोटे से हस्तक्षेप से उगते हैं।

३) महत्वपूर्ण जैव-विविधता-बिना किसी हस्तक्षेप के पशु-पक्षी, पेड़-पौधों का स्वाभाविक रूप से अपनी नस्ल को बढ़ाना।

४) भारत में कम से कम, अधिक वनों में लोग बसे हुए हैं। जिन्होंने अधिक बदलाव किए बिना वनों की परिस्थितियों के अनुकूल अपने आपको ढाल लिया है।

वनों के आसपास रहने वाले लोग जंगल का विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोग करते हैं - भोजन के लिए, घर निर्माण और कृषि उपकरणके लिए लकड़ी, ईंधन, पशुओं की चराई, पूजा और एकांत के लिए, आदि। जंगलों से दूर रहने वाले लोग भी जंगलों का उपयोग कई प्रकार से करते हैं जैसे कि लकड़ी, दवाएँ आदि, जो बाजार से खरीद थे हैं। इस प्रकार कई लोग वनोपज इकट्ठा करने और उन्हें बेचकर अपनी आजीविका चला सकते हैं। बाद में हम देखेंगे कि किस प्रकार के वनों के विभिन्न उपभोग एक दूसरे से द्वंद्व में आकर एक दूसरे कैसे सुलझाते हैं?



चित्र 5.1: वन के संदर्भ में ऊपर दिये गये कार्टून पर एक अनुशीर्षक लिखिए।

- आपको क्या लगता है कि वनों का होना महत्वपूर्ण है? यदि सभी वनों को साफ करके फसल उगाने, कारखाने, रहने के लिए भवन निर्माण, खदान के लिए इस्तेमाल हो। तब क्या होगा? क्या हम वनों के बिना रह सकते हैं? अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए।

वनों का स्थापन एवं प्रकार

जंगल कहाँ उगते हैं? यह एक उत्तर देने के लिए मुश्किल सवाल है क्योंकि कई हजार साल पहले लगभग हर उस जगह जंगल हुआ करते थे, इस प्रकार जहाँ मिट्टी, धूप और बारिश हुआ करती थी। इस प्रकार बर्फ से ढके आर्कटिक और हिमालय या रेतीले या चट्टानी रेगिस्तान, या रेतीले समुद्र तटों पर ही वन विकसित नहीं हुए। ऐसे स्थानों को छोड़कर वन लगभग हर जगह विकसित हुए। जैसे ही मनुष्य ने खेती करना और गांवों और कस्बों में रहना शुरू किया, कृषि, खानों, बागानों, कारखानों, आदि के लिए वन काटे जाने लगे। धीरे-धीरे बीसवीं सदी के प्रारंभ से वन केवल कृषि के लिए अनुपयुक्त क्षेत्रों तक ही सीमित रह गए। ऐसे क्षेत्र जो पहाड़ी, दलदली, चट्टानी आदि। जो बहुत ठंडे या आबादी क्षेत्रों से दूर थे। अपने वनों को बचा सके।

- आपके गाँव या शहर से निकटतम वन क्षेत्र कौन सा है? अभी तक इस क्षेत्र में पेड़ है और इसे खेतों, बस्तियाँ या खानों में नहीं बदला गया। क्यों? पता लगाइए।

वनों को विभिन्न मानदंडों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हम उन्हें घनी या अपर्याप्त वनस्पति के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। हमारे पास बहुत, घने वन, खुले झाड़ी वाले

वन, विकृत वन आदि हो सकते हैं। इस वर्गीकरण से यह पता लगता है कि कहाँ घने वन हैं और कहाँ क्षीण अवस्था के वन हैं। वनों का वर्गीकरण हम पेड़-पौधों की उत्पत्ति के द्वारा भी कर सकता है। जहाँ एक विशेष जलवायु - वर्षा, तापमान तथा शुष्क, नम और गर्म महीने का क्रम, आदि का मिश्रण होता है। उन स्थानों पर विभिन्न प्रकार के पेड़ उगते हैं। उदाहरण के लिए शंकुधारी वृक्ष जैसे देवदार के वृक्ष केवल बहुत ठंडी जलवायु जहाँ बर्फबारी भी होती है वहाँ उगते हैं। कुछ वृक्ष जैसे सागौन मध्यम बारिश और गर्म तापमान के क्षेत्रों में विकसित होते हैं। वृक्षों का घनत्व वर्षा और प्राकृतिक तापमान पर निर्भर करेगा।

हम वनों के कुछ मुख्य प्रकार की यहाँ जानकारी लेंगे।

1. सदाबहार वनम: वह क्षेत्र जहाँ बहुत अधिक वर्षा और ऊष्ण जलवायु हो जैसे भूमध्यवर्तीय क्षेत्र या भारत में केरल और अंडमान में सदाबहार जंगल हैं। पेड़, पौधे, लताओं से भरे घने वन हैं। ये वन हमेशा सदाबहार रहते हैं क्योंकि पुराने पत्तों के गिरते ही बहुत जल्द नए पत्ते आ जाते हैं। जब कोई पेड़ अपनी पत्ते गिरता है तो दूसरा पत्तों से लदा रहता है। यह लगातार नमी और ऊष्णता मिलने का परिणाम है। जामुन, बाँस, कदम, आदि इसी क्षेत्र के वृक्ष हैं। विशेषकर तेलंगाना में इस प्रकार के वन नहीं हैं।

हिमालय में विशेष प्रकार के सदाबहार वन हैं। वे देवदार के वन हैं। जो वर्ष भर हरे रहते हैं। देवदार के पत्ते, पतले और सूई के आकार के होते हैं। इन वृक्षों पर फूल नहीं खिलते लेकिन शंकु होते हैं और इसलिये इन्हें शंकुधारी वृक्ष कहा गया है। ये पेड़ बर्फबारी प्रदेशों में पनपते हैं। सूई के आकार के पत्ते होने के कारण इन पर बर्फ नहीं जमा होती।



चित्र 5.2: (ऊपर) पश्चिमी घाट अनिमुड़ी के सदाबहार वन, (वन) गुलमार्ग हिमालय में हिम से ढके देवदार वृक्ष

2 पतझड़ी वन (Deciduous Forests) : इन वनों का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहाँ केवल कुछ महीने बारिश होती है और वर्ष का अधिक भाग उष्ण और शुष्क रहता है। ज्यादा शुष्क महीनों के दौरान पेड़ अपने पत्ते गिराते हैं क्योंकि पत्तों के माध्यम से पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है। शुष्क महीनों के दौरान पेड़ अपने पत्तों को गिरा कर नमी को संरक्षित करने की कोशिश करते हैं। बरसात आने से नवीन पत्तों का आगमन होता है। जिससे वृक्ष स्वयं के लिए भोजन उत्पन्न कर सकते हैं। तेलंगाना के अधिकांश वन इस श्रेणी में आते हैं

क्योंकि यहाँ कुछ महीनों के लिए वर्षा होती है। कम वर्षा के कारण वर्ष का ज्यादातर समय गर्मी में कटता है।

सामान्यतः पतझड़ी वन दो प्रकार के होते हैं - एक वह जहाँ अधिक वर्षा होती है दूसरे वह जहाँ वर्षा कम होती है। अधिक वर्षा में पाये जाने वाले पतझड़ी वृक्ष हैं - वेगी, अगेसा, मड्डी (अर्जुन) भन्डारू गित्तेगी, सागौन। ये वन तेलंगाना में कोमरमभीम, आदिलाबाद, मंचीरियाला, नागरकर्नूल, जयशंकर और भद्राद्री जिलों में पाए जाते हैं।



चित्र 5.3: ग्रीष्म में आदिलाबाद के सागौन वन




Fig 5.3(b) : Tiger Reserve Forest - Amarabad

कम वर्षा वाले क्षेत्रों में हमें मदि, सागौन, वेलगा, अगेसा, येपि, तुनिकि, चिगुरु, बिल्लू, नीम, दिरिसेना, बुरुगा जैसे पेड़ मिलते हैं। इस तरह के जंगल हमारे राज्य में दूर-दूर तक फैले हुये हैं और तेलंगाना के आदिलाबाद, वरंगल, निजामाबाद, करीमनगर, खम्मम।

3 काँटेदार वन (Thorny Forests):

अधिक शुष्क क्षेत्र जहाँ कम वर्षा एवं उच्च तापमान रहता है वहाँ काँटेदार वन पनपते है। काँटेदार पेड़ है - बबूल (थुम्मा) बुलुसुरेगा, सीताफल, मोदुगा, नीम आदि। तेलंगाना में भी नलगोण्डा, महबूबनगर और मेदक कुछ प्रांतों में पाये जाते है।



चित्र 5.4: कंटीली झाड़ियाँ

स्मरण कीजिए। कम वर्षा के कारण इन जिलों की स्थिति रेगिस्तान जैसे हो जाती है। काँटेदार वृक्षों के पत्ते छोटे एवं कंटीले होते है जिससे पानी का संरक्षण होता है। काँटेदार वनों में वनों का घनत्व कम होता है। खुले प्रान्तों में कुछ पेड़ और अधिक झाड़ झंखाड़ भरे होते है।

4 समुद्र तटीय और दलदली वन (Littoral (sea coast) and swamp forests) :

यह वन ज्यादातर समुद्र तट के रेतीले किनारों और दलदली भूमि तथा ज्वार-भाटा की लहरों से प्रभावित भूमि पर पनपते हैं। यहाँ पेड़ खारे पानी और ज्वार- भाटा के अनुकूल हैं। (ज्वार - ऊर्ची लहर) - आमतौर पर इस क्षेत्र को कुछ घंटे डूबा रखती है और भाटा - नीची लहर - में पानी पीछे चला जाता है, इस प्रकार खारे पानी की बाढ़ और सूखा क्रमबार आते हैं)

इन्हें मेंगरोव वन या सदाबहार वन भी कहा जाता है - पेड़ों ने इस कठिन वातावरण में अद्वितीय लक्षण विकसित हैं।

उप्पू पोन्ना, बोडु पोन्ना, उरदा, मदा, तेल्लि मदा, गुन्डु मदा, कदिलि और बेल्ला तटीय क्षेत्र की विशिष्ट वनस्पति हैं।

- पता लगाएँ कैसे सदाबहार पेड़ समुद्र तटों की विशेष परिस्थितियों के अनुकूल है।
- आपको आफ्रिका के भूमध्यवर्तीय वनों की जानकारी होगी। तेलंगाना और भूमध्यवर्तीय वनों के बीच मुख्य अंतर क्या होगा ?
- अगले पन्ने पर तेलंगाना के मानचित्र में वनों का वितरण देखिए। पता लगाएँ कि आपके जिले में कोई वन है और यदि है तो कौन से वन है ?

तेलंगाना में वनों की स्थिति

आपने हमारे राज्य में महत्वपूर्ण वनों के प्रकार के बारे में कुछ पढ़ा है। लेकिन हमारे जंगल कितने बड़े हैं? वे बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? हम पता लगायेंगे।

राज्य का लगभग २६,९०४ वर्ग किलोमीटर सरकार द्वारा वनों के रूप में घोषित हैं। यह हमारे राज्य की संपूर्ण भूमि का २४% लगभग एक चौथाई है। बहरहाल, वास्तव में ऐसा नहीं है क्योंकि हमारे प्रदेश में केवल १६.७४% भूमि में ही वन के रूप मान्यता प्राप्त करने योग्य पेड़ों का घनापन है। कारण है कि हमारी वन भूमि के ७% में खुला मैदान है और कुछ ही पेड़ हैं। यहाँ तक कि ये वन कटाई, खनन, अतिक्रमण आदि की वजह से घट रहे हैं। हमारे राज्य में हर वर्ष एक तीस वर्ग किलोमीटर वन का नुकसान होता है।

- क्या यह एक संतोषजनक स्थिति है? अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए।

तेलंगाणा में हरियाली के लिए पहल

वन आवरण को बढ़ाने के उद्देश्य से तेलंगाणा सरकार ने 2015 में व्यापक वृक्षारोपण कार्यक्रम आरंभ किया। इसने 4 वर्ष में 230 करोड़ पौधे लगाने की योजना बनायी। इस कार्यक्रम के भाग के रूप में लोगों के निवास स्थानों के समीप खाली स्थानों में, सड़कों के दोनों ओर, सभी तालाबों पर, पाठशालाओं, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, अस्पतालों जैसे सभी सार्वजनिक स्थानों और कार्यालयों के प्रांगणों में पौधे लगाये गये।

बड़ी हुयी हरियाली अधिक वर्षा और प्रचुर जल स्रोतों में सहायक हुयी है। यह भू-क्षरण को भी रोकती है। यदि हम प्रकृति की रक्षा करेंगे, तो वह हमारी रक्षा करेंगी। इस प्रकार राज्य सरकार गंभीर रूप से पौधों के रोपण पर ध्यान केंद्रित कर रही है। प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण का संरक्षण, पुनस्थापन और सुधार संपूर्ण विश्व का प्रमुख मुद्दा है। इसमें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, प्रदूषण की रोकथाम और भूमि का दीर्घकालिक उपयोग सम्मिलित हैं।

- पेड़ों के आच्छादन के उच्च धनत्व से किस प्रकार की जलवायु होगी?
- पौधों के उचित कार्यान्वयन और सुरक्षा के लिए सुझाव दीजिए।

आदिवासी और वन


हमारे देश में जंगलों की कल्पना उन लोगों के बिना मुश्किल है, जो उन में रहते हैं और उनका उपभोग करते हैं। वन हमारे राज्य के बहुत गरीब लोगों की आजीविका के लिए महत्वपूर्ण संसाधन प्रदान करते हैं। तेलंगाणा में लगभग ७५ प्रतिशत लोग लघु वनोपज (जिसे गैर इमारती लकड़ी वन उपज कहा जाता है) को इकट्ठा कर आजीविका के लिए उसे बाजार में बेच कर कमाई करते हैं। यहाँ लोगों द्वारा एकत्रित वन उपज की एक लंबी सूची है, लेकिन पूरी सूची लगभग साठ से अधिक वस्तुओं के साथ बहुत ज्यादा लंबी है!

वह लोग जो वनों पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर रहते हैं उनमें आदिवासी लोग सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। आदिवासी लोग इन जंगलों में रहते हैं, उनकी रक्षा करते हैं और उनसे अपनी आजीविका अर्जित करते हैं। आपने उनके बारे में पिछली कक्षाओं में पढ़ा है।

इसी तरह हमारे राज्य के ६०% जनजातीय लोग आज भी जंगलों में रहते हैं। जनजातीय लोग जंगलों का उपयोग कैसे करते हैं? आप याद कर सकते हैं कैसे पेनुगोलु पहाड़ि लोग पोदु का उपयोग करते हैं - पोदु के खेतों के लिए, जंगल से खाद्य वस्तुओं (फल, कंद-मूल आदि), बिक्री के लिए बीड़ी पत्ते, औषधीय पौधों, बाँस, इमली, आदि वस्तुओं का संग्रह करते हैं।

व्यवस्थित गांवों के विपरीत, जनजातीय लोगों में भूमि में निजी संपत्ति की अवधारणा नहीं है और कबीले के सभी सदस्य गाँव के बुजुर्गों की सहमति से जंगल का उपभोग करते हैं। प्रत्येक परिवार का उस भूमि पर प्रथागत अधिकार है जिस पर वे खेती करते हैं और आने वाले वर्षों में उसे बदलेंगे। चूंकि पोदु का स्थान हर कुछ वर्षों में बदलता है वहाँ

तेलंगाणा में वन



स्वामित्व का कोई निश्चित विवरण नहीं है। इसके अलावा जब जनसंख्या बढ़ जाती है और नए परिवारों का गठन होता है गाँव के बुजुर्ग उन्हें नए भूखंड साफ करने की अनुमति देते हैं। ब्रिटिश राज से पूर्व आदिवासी लोग जंगलों को अपना मानते थे। लेकिन यह उनके लिए एक पवित्र भूमि थी। उस में रहने वाले पशुओं को बिना नुकसान पहुँचाए उस भूमि का उपभोग किया जाता था। यहाँ तक कि जब वे जानवरों के शिकार करते मा पोडु क्षेत्रों के लिए जंगलों को साफ करते, वे पशुओं और पेड़ों के पुनः उत्थान को सुनिश्चित करने का ध्यान रखते थे। इस प्रकार वे जंगल की देखभाल और इस्तेमाल दोनों करते थे, जैसे एक किसान परिवार अपने खेतों का ख्याल रखता है।

- क्या आपको लगता है कि यह संभव है कि लोग वनों का ख्याल रखें और साथ ही उनका उपभोग भी करें? अगर कोई व्यक्ति पेड़ों को काट कर उन्हें बाजार में बेचने के लिए बहकाता है तो आप क्या कर सकेंगे?

हमारे देश में ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद पिछले दो सौ वर्षों के दौरान जनजातीय लोगों का जंगल पर नियंत्रण और अधिकार चला गया, तब से जंगल तेजी से काटे गये। यह दो कारणों से हुआ। सबसे पहले, विभिन्न प्रयोजनों के लिए लकड़ी की अधिक माँग थी जैसे रेलवे, जहाजों, कारखानों, खानों, घरों, फर्नीचर, आदि का निर्माण। इसी तरह, आपने सातवीं कक्षा में पढ़ा है कि कई उद्योगों जैसे कागज उद्योग में लकड़ी की लुगदी, को बनाने में लकड़ी की बड़ी मात्रा की आवश्यकता है। इन दबावों के परिणाम स्वरूप जंगल के बड़े हिस्से काटे जाने लगे और लकड़ी को बेचा गया। कई क्षेत्रों में, जंगलों को काट कर चाय, कॉफी या रबर के बागान बनाये गये और बाद में नीलगिरी या बाँस की

तरह जल्दी से बढ़ने वाले पेड़ों का वृक्षारोपण किया गया। इस प्रकार वनों का कुल क्षेत्रफल बहुत कम होता चला गया है।

- क्या आपको लगता है कि नीलगिरी के पेड़ों या चाय के बागानों और एक जंगल के बीच कोई अंतर है? कक्षा में चर्चा करें।

निजाम सरकार द्वारा भी इसी तरह के कानूनों को पारित किया गया जो उसके नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में लागू किये गये। कानूनों द्वारा आरक्षित और संरक्षित वनों के रूप में वर्गीकृत कर आदिवासियों और वन उपभोगकर्ताओं के जंगल पर पारंपरिक प्रथागत अधिकारों को प्रतिबंधित किया गया। आरक्षित वन वह वन थे जिसमें कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता था। संरक्षित वन लोगों द्वारा इस्तेमाल किये जा सकते थे, वे अपने स्वयं के उपभोग के लिए लकड़ी और लघु वन उपज जंगल से ले सकते थे और वह अपने गाय, बैलों को चरा सकते थे। लेकिन वहाँ भी वन विभाग द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक पेड़ों की कटाई और चीराई पर कई प्रतिबंध थे।

जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में लोग इन जंगलों में रहते थे और उसका उपभोग भी करते थे। इस बिंदु पर सरकार ने वास्तव में उनकी देखभाल की परवाह नहीं की। जब सरकार का इस क्षेत्र को वन के तहत परिभाषित करना था,



तब उन्होंने आदिवासियों द्वारा उपयोग की जाने वाली अधिकांश भूमि को सरकार की घोषित कर दी। इसका कारण था कि जिस प्रकार समतल गाँवों में भूमि स्वामित्व का विवरण मिलता था, उसके विपरीत ज्यादातर आदिवासी स्वामित्व के रिकॉर्ड के बिना भूमि पर खेती करते थे। तेलंगाना के उत्तरी जिलों में गोंड आदिवासी समतल भूमि पर खेती करते थे, जबकि कोलम आदि पहाड़ी ढलानों पर पोडू खेती करते थे। यहाँ तक कि गोंड जो भूमि पर खेती करते थे हर दो साल परिवर्तन के चक्र में वैकल्पिक भूमि पर खेती करने के आदि थे। आरक्षित वनों के सीमांकन में इन प्रथाओं पर विचार नहीं किया गया था और एक ही झटके में, कई आदिवासियों को स्वामित्व के बिना पाया गया और उन्हें बलपूर्वक निष्कासित किया गया।

एक ही झटके में आदिवासी अपने घरों से बेघर हो गए थे! इसके ऊपर, सरकार जमींदारों और अन्य क्षेत्रों के किसानों की भूमि हस्तांतरित करने के लिए उत्सुक थी, जिससे वे बसें और भूमि पर खेती कर सकें और सरकार को राजस्व का भुगतान कर सकें। निकाले गए आदिवासी लोगों को अब इन जमींदारों के लिए काम करना था। आदिवासी लोगों को जिस भूमि पर खेती की अनुमति दी गई थी, उसका उच्च राजस्व का भुगतान तय किया था। अधिकतर उन्हें साहूकारों से पैसे उधार लेकर इस राशि का भुगतान करना पड़ता था। अंत में उन्हें साहूकारों को अपनी भूमि बेचनी पड़ती थी। इस प्रकार जितनी भी भूमि उनके पास होती थी वह फिर से खो देते थे।

इस अवधि में जो वन विभाग स्थापित किए गए थे उन वनों की रक्षा करने, नए पौधे लगाने और वन की कटाई के प्रबंधक के अधीन परिपक्व पुराने पेड़ों की कटाई कर उन्हें बेचकर सरकार के लिए पैसे

कमाने का कार्य सौंपा गया था। वन विभाग के अधिकारी आम तौर पर दूर से आये अमीर समुदायों के थे, जो आदिवासी लोगों को अज्ञानी और हानिकारक मानते थे और उनके लिए कोई सहानुभूति नहीं रखते थे। उन्होंने असहाय जनजातियों का शोषण किया। उन्हें धोखा दिया और लगातार परेशान किया। वन संरक्षण के नाम पर बड़े पैमाने पर निष्कासन १९२० के दशक में शुरू हुआ और यह झाड़ू लगाने का कार्यक्रम १९४० तक जारी रहा जिससे जनजातियों के लिए अंतहीन असुरक्षा का वातावरण बन गया था।

जनजातीय आरम्भ से ही इसके विरोध में लड़े और उत्तर पूर्व जैसे कुछ क्षेत्रों में सरकार की ओर से सुरक्षा पाने में सफल रहे।

- पिछले २०० वर्षों में वनों की गिरावट के सभी कारणों की सूची बनायें। क्या आपको लगता है कि पोडू खेती भी इस बात के लिए उत्तरदायी थी? अपने तर्क दें।
- आदिवासी और वन विभाग द्वारा जंगल के संरक्षण के बीच क्या अंतर था?
- आप को क्यों लगता है कि आदिवासी सरकार द्वारा भूमि राजस्व की माँग का भुगतान करने में सक्षम नहीं थे?

स्वतंत्रता के समय हमारे राष्ट्रीय नेता चर्चा कर रहे थे कि क्या यह बेहतर होगा यदि आदिवासी लोगों को वन में अपने पारंपरिक जीवन जीने के लिये अकेला छोड़ दें या उन्हें व्यवस्थित कृषि, आधुनिक शिक्षा और औद्योगिक काम को अपनाने के लिए कहा जाना चाहिए।

- कक्षा में चर्चा करें कि कौन सा विकल्प बेहतर होता है।

1988-1990 से बदलाव

वर्ष 1988 में सरकार ने यह अनुभव किया कि जनजातीय लोगों का विकास उन्हें जंगलों का अधिकार दिये बिना नहीं सोचा जा सकता और इसी तरह, उनकी सक्रिय भूमिका के बिना वनों का संरक्षण असंभव था। राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में घोषणा की कि प्राथमिक कार्य आदिवासी लोगों को वनों के संरक्षण, उत्थान और विकास में सहयोगी बनाना चाहिए और जंगलों के चारों ओर रहने वाले लोगों को लाभकारी रोजगार उपलब्ध कराना चाहिये। सरकार ने वनों के संरक्षण और विकृत वन भूमि के विकास में वनों के पास रहने वाली गाँव समितियों को शामिल करने की कोशिश की। यह भी निर्धारित किया कि गाँव समितियों को उनकी आवश्यकता अनुसार वनोपज का उपयोग का अधिकार होगा और वन्य कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदार होंगे। यह वन/ ग्राम समितियों और वन विभाग के बीच पुनरुद्धार, बहाली और विकृत वनों के विकास के लिए एक सक्रिय सहयोग की शुरुआत थी। इस प्रकार यह नई नीति वर्ष 1988 में लागू हुई जिसने अंत में संयुक्त वन प्रबंधन की राह दिखाई। इसका वास्तविक मतलब था कि वन विभाग और स्थानीय समुदाय विकृत वनों की बहाली और पेड़ लगाने में सहयोग करेंगे। समुदायों को घाँस और अन्य लघु वनोपज का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी।

तेलंगाना में इस कार्यक्रम को सामुदायिक वन प्रबंधन कार्यक्रम का नाम दिया गया था। जबकि यह कार्यक्रम वन विभाग और स्थानीय समुदायों को एक साथ लाने के लिये था, इससे जनजातीय लोगों को वन के उत्थान के लिए अपनी पुरानी पोड़ू भूमि को विवश होकर छोड़ना पड़ा था। इसी समय कई बाघ अभयारण्य वनों में वन्य जीवन की रक्षा के लिए स्थापित किए गए थे।


- अपने बुजुर्गों से उनके सामुदायिक वन प्रबंधन और सामाजिक वन्य परियोजनाओं के अनुभव के बारे में पता लगाए।
- आप क्या सोचते हैं कि सरकार सोचती थी कि वन आदिवासी लोगों के विकास के लिए महत्वपूर्ण नहीं थे?

वन अधिकार कानून -2006


आदिवासी लोग इन प्रक्रियाओं का विरोध कर रहे थे और इनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे और उनके पक्ष को कई गैर सरकारी एजेंसियों ने जंगल में आदिवासी अधिकारों के लिए एक राष्ट्रीय अभिमान बनाकर अपना लिया गया था। लंबे समय तक बहस के बाद संसद ने वर्ष 2006 में वन अधिकार कानून पारित कर दिया। यह पहली बार स्वीकार किया गया था कि पिछले 200 वर्षों के दौरान जनजातीय लोगों और दूसरों के साथ जबकि जंगल उनकी सम्पत्ति थे उनके पारंपरिक अधिकारों को नकार कर घोर अन्याय किया गया था। यह भी माना गया कि आदिवासियों आदि के अधिकारों को बहाल किए बिना जंगलों को बनाए रखना असंभव था। अधिनियम में नए कानून को पारित करने के तीन मुख्य कारण दिए हैं-

सबसे पहले, वनों के संरक्षण के लिए और साथ ही साथ वन में रहने वाले लोगों की आजीविका और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने;


दूसरे, उपनिवेशी राज्य के समय और स्वतंत्र भारत में भी वन अधिकारों में पैतृक भूमि और उसमें प्राकृतिक निवास को पर्याप्त रूप से मान्यता नहीं दी गई थी जिसके फल स्वरूप वनवासियों जो वन के अस्तित्व और स्थिरता के अभिन्न अंग रहे थे के साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ; तीसरा, वनवासियों के भूमि अधिकार और उसके उपयोग के अधिकार की लंबे समय से चली आ रही असुरक्षा की भावना से निपटना आवश्यक हो गया है। इन वनवासियों में वे भी सम्मिलित हैं जिन्हें राज्य के विकास हेतु हस्तक्षेप (जैसे बांधों या टाइगर रिजर्व) के कारण निवास स्थानान्तरित करने को मजबूर किया गया था।



एक समय मनुष्य भी हमारे साथ रहा करते थे।



तब हमें वे बाड़े के बाहर रखा करते थे।



वे भवन, शहर और अधिक गाँव बनाने लगे। धीरे-धीरे जंगल घटने लगे। फिर भी वे ज़रूरत जंगल की हामी भरते हैं।



क्या आपको लगता है कि जानवर मनुष्यों से सुरक्षित हैं? क्या कभी आपने सुरक्षित जंगलों के बारे में सुना है?

यह अधिनियम वनवासियों और जंगलों के अन्य पारंपरिक उपयोगकर्ताओं को जंगलों पर उनके पारंपरिक अधिकारों को प्रदान करता है और साथ ही उनके द्वारा प्रमुक्त भूमि का स्वत्वाधिकार देता है। यदि ठीक से पालन हो तो पीढ़ियों से आदिवासी लोगों के साथ की गलतियों को सुधारने के लिए इस अधिनियम का इस्तेमाल किया जा सकता है।

- आपको किस तरह से लगता है कि पिछले २०० वर्षों के जनजातीय लोगों पर हुए अन्याय की पूर्ति की जा सकती है।

बहुत से लोग जो वनों के संरक्षण के साथ जुड़े हैं डरते हैं कि अधिनियम वनों की कटाई का कारण हो सकता है क्योंकि लोग वनों का पारंपरिक

घरेलू प्रयोजनों के बजाय वाणिज्य प्रयोजनों में उपयोग करने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरी ओर अन्य लोगों को लगता है कि परंपरागत रूप से वनों की देखभाल करने वाले वनवासियों को यदि मुख्य संरक्षक बनाया जाता है तो हम वनों को बचाने में अधिक सक्षम हो जाएंगे।

- कक्षा में इस पर चर्चा करें - क्या आपको लगता है कि आदिवासी लोगों के साथ किये अन्याय के निवारण का यह सही उपाय है? यह जंगलों की रक्षा करने में कैसे सहायता करेगा? इस के लिए अन्य क्या कदम उठाए जाने की आवश्यकता है?

अध्यापक की सहायता से निम्नलिखित अधिनियम के प्रावधानों को समझने का प्रयास करें:

1. वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासियों के किसी समुदाय या किसी सदस्यों द्वारा निवास के लिए या जीविका के लिए स्वयं खेती करने के लिए, व्यक्तिगत या सामूहिक अधिभाग के अधीन वन भूमि को धारित करने उसमें रहने का अधिकार;
2. निस्तार के रूप में सामुदायिक अधिकार, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जिनके अंतर्गत तत्कालीन राजाओं के राज्यो, जमींदारी या ऐसे अन्य मध्यवर्ती शासनों में प्रयुक्त अधिकार भी सम्मिलित है;
3. गौण वन उत्पादों के, जिनका गाँव की सीमा के भीतर या बाहर पारंपरिक रूप से संग्रह किया जाता रहा है स्वामित्व संग्रह करने के लिए पहुँच, उनका उपयोग और व्यधान का अधिकार है;
4. यायावरी या चरागाही समुदायों की मत्स्य और जलाशयों के अन्य उत्पाद, चरागाह के उपयोग या उन पर हकदारी और पारंपरिक मौसमी संसाधनों तक पहुँच के अन्य सामुदायिक अधिकार है;
5. वे अधिकार, जिनके अंतर्गत आदिम जनजाति समूहों और कृषि पूर्व समुदायों के लिए गृह और आवास की सामुदायिक भू-धृतियाँ हैं;
6. किसी ऐसे राज्य में, जहाँ दावे विवादग्रस्त हैं, किसी नाम पद्धति के अधीन विवादित भूमि में या उस पर के अधिकार;
7. वन भूमि पर हक के लिए स्थानीय प्राधिकरण या किसी राज्य सरकार द्वारा जारी पट्टों या धृतियों या अनुदानों के संपरिवर्तन के अधिकार;
8. वनों के सभी वन ग्रामों, पुराने आवासों, असर्वेक्षित ग्रामों के बसने और संपरिवर्तन के अधिकार;
9. ऐसे किसी सामुदायिक वन संसाधन का संरक्षण, पुनरुज्जीवित या संरक्षित या प्रबंध करने का अधिकार, जिसकी वे सतत् उपयोग के लिए परंपरागत रूप से संरक्षा और संरक्षण कर रहे हैं।

मुख्य शब्द

1. वनीकरण (Afforestation)
2. वन कटाई (Deforestation)
3. वन प्रबन्ध (Forest management)
4. वन अधिकार अधिनियम (Forest Rights Act)
5. आरक्षित वन (Reserved forest)

अर्जित ज्ञान का विकास

1. क्या आप निम्नलिखित कथन से सहमत हैं और अपने सहमति या विरोधाभास के कारण दे।
निजी संपत्ति की धारणा जंगल की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
सभी जंगल मनुष्य द्वारा संरक्षित होने चाहिये।
सदियों से पृथ्वी पर रहने वाले लोगों ने अपनी आजीविका की जंगल पर अपनी निर्भरता को कम कर दिया है।

2. समय रेखा बनाकर यह बताइए कि पिछली शताब्दियों तक क्या बदलाव आये हैं? यह आवश्यक है कि इसके लिए आप पूर्व कक्षाओं की पुस्तकों को भी देखें।

घटना	जनजातीय जीवन को प्रभावित करने वाले परिवर्तन	वन पर प्रभाव
कृषि की शुरुआत		
विदेशियों का आगमन		
सरकारी नियम		

3. ऊपर दिये गये विवरणों से या आप जंगल के बारे में जानते हैं, के आधार पर बताइए कि आपके घर के पास निम्नलिखित दृष्टिकोण के अनुरूप कैसे जंगल हैं:

पेड़ों का घनत्व:	किस प्रकार के पेड़ हैं:	पेड़ों की विशेषता:

4. तेलंगाणा का व मानचित्र देखिए। बताइए किन जिलों में ज्यादातर वन आवृत क्षेत्र है?
5. कुछ बालकों ने वन महोत्सव में भाग लिया और कुछ पौधे लगाये। आप इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया देंगे?
6. 'तेलंगाणा के जंगल' शीर्षक के अंतर्गत दिया गया अनुच्छेद पढ़िए और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए।
तेलंगाणा में वन की अभिवृद्धि के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे?
7. सदाबहार वनों एवं पतझड़ी वनों में क्या अन्तर है?
8. पृष्ठ संख्या 59 पर चित्रों को देखकर एक टिप्पणी लिखिए।

खनिज और खनन

Minerals and Mining

खनिज अपने घरों में

जब आप अपने घरों के चारों ओर देखते हैं तो आपको मिट्टी के ईंटों से और मिट्टी में मिली सीमेंट और बालू से दीवारे बनी हुई मिलती हैं। आपके घर की सफेदी भी चूने से होती है। घर के फर्श को कड़प्पा पत्थर से बनाया जाता है। घरों के खम्भे और बारजे (रेलिंग) भी ग्रेनाइट के पत्थरों से बनते हैं। इनमें से अधिकतर खनिज हैं जो पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं। जैसे - मिट्टी, बालू (रेत) चूना, कड़प्पा पत्थर अथवा ग्रेनाइट। दुबारा यदि आप अपने घरों के आस-पास घूमते हैं तो आप (मेटल) तत्व से बने बहुत सी वस्तुएँ पाते हैं। जैसे-लोहा, ताम्बा शीशा, क्रोम, एलुमीनियम, इत्यादि। आप सोने और चाँदी के बने हुए गहने पहनते हैं। ये एक तत्व है जो प्राकृतिक खाने से अलग कर शब्द किए जाते हैं जो वास्तव में खनिज है। हम ईंधन के रूप में पेट्रोल, डीजल मिट्टी का तेल (केरोसिन) ये सब भी खनिज तेलों से निकाले जाते हैं जिन्हें कच्चा पेट्रोल कहते हैं। दूसरे प्रकार के ईंधन जैसे कोयला और गैस भी खनिज के रूप हैं। यहाँ तक की जमीन के अंदर का पानी (भूजल) जो कूओं और ट्यूबवेल से प्राप्त किए जाते हैं वे सभी खनिज हैं। दूसरे शब्दों में अधिकतर वस्तुएँ जो जमीन के अन्दर से प्राप्त की जाती है। (जो पौधे और जानवर के रूप में नहीं है।) प्राकृतिक रूप से ये खनिज हैं।

अक्षय एवं गैरअक्षय संसाधन

पर्यावरणविदों ने अक्षय और गैरअक्षय दो प्रकार के संसाधनों को परिभाषित किया है। अक्षय संसाधन वे संसाधन हैं जिन्हें पुनरुत्पादित किया जा सकता

है। जैसे-लकड़ी यदि हम किसी पेड़ को काटते हैं तो हम दूसरा पेड़ इस आशा से लगाते हैं कि कुछ सालों बाद से पेड़ उसी मात्रा में लकड़ी उत्पन्न करेगा। जहाँ तक, यदि हम ग्रेनाइट के टुकड़े बनाकर खेती करना चाहे और बेचना चाहे तो क्या हम दूसरे ग्रेनाइट की चट्टान उगा सकते हैं ? अथवा किसी दूसरे तरीके से बना सकते हैं ? चूंकि इस संसाधन को पुनरुत्पादित करना सम्भव नहीं है इसलिए इसे गैरअक्षय या सीमित संसाधन कहा जाता है। अधिकतर खनिज गैरअक्षय हैं। यदि हम इनका प्रयोग करते जाएँ तो हम ऐसी स्थिति में पहुँचते हैं जहाँ यह संसाधन अधिक नहीं होगा। उदाहरण में हम सोने को ले सकते हैं। यह बहुत कम मात्रा में गहरी खानों से पाया जाता है। भारत के एक मात्र सोने की खान-कोलार गेल्डफील्ड इस समय बंद हो गया। इसी तरह कोयले और पेट्रोलियम की सामित मात्रा पृथ्वी के अंदर उपस्थित है। यदि हम इन्हें समाप्त कर दें तो इसकी अधिक मात्रा नहीं मिलेगी। यह ऊर्जा के गैरअक्षय संसाधन कहलाते हैं।

- क्या आप उस दुनिया की कल्पना भी कर सकते हैं जिसमें हम मोटर और ट्रेन नहीं चला सकते हैं ?
- क्या आप उन खनिज पदार्थों के बारे में भी सोच सकते हैं जो कि स्वयं अक्षय हो और हम उसे बढ़ाने में उसकी सहायता करें ?
- क्या तुम ऊर्जा के कुछ ऐसे संसाधनों के बारे में विचार करते हो जो प्रयोग करने से नहीं घटता है? यदि हम कुछ न करें तो भी वह स्वयं अक्षय होता है।

- अक्षय और गैरअक्षय संसाधनों का वर्गीकरण प्राकृतिक वस्तुओं के आधार पर कीजिए। खनिज पदार्थों के सामने (✓) का निशान लगाएँ और जो खनिज नहीं हैं उसके लिए (×) का निशान लगाएँ। बाँस, कोयला, समुद्र, पानी, कीचड़, चींटी, रेत कच्चा लोहा, हीरा, पेड़, पेट्रोलियम, घास, हवा, संगमरमर के पत्थर मछली, कुँए का पानी, सूर्य की किरणें।

अक्षय संसाधन	गैरअक्षय संसाधन	खनिज
1 बाँस		×
2	कोयला	✓
3		
4		

- क्या आप निम्न खनिजों में से धातु, गैरधातु और ऊर्जा के स्रोतों को वर्गीकृत कर सकते हैं? कच्चा लोहा, बाक्साइट, (कच्चा एल्यूमीनियम), कोयला, कच्चा ताँबा, चूना, जिप्सम, अभ्रक, भूजल, पेट्रोलियम, नमक की चट्टान, बालू, रत्न (जेम स्टोन)।

धातु	गैरधातु	ऊर्जा के संसाधन

कुछ महत्वपूर्ण खनिज और उनके प्रयोग

आप पहले से कुछ खनिजों के प्रयोग के बारे में जानते हैं, जैसे- कच्चा लोहा, रेत, पेट्रोलियम, चूना, कोयला इत्यादि। आधुनिक उद्योगों में कई प्रकार के खनिजों के प्रयोग होते हैं। अतः ये खनिज हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम यहाँ कुछ महत्वपूर्ण खनिजों के प्रयोग के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इनके बारे में आप पुस्तकालय से जानकारी ले सकते हैं अथवा इण्टरनेट से जान सकते हैं।

लौह अयस्क : हेमटाइट एवं मैग्नेटाइट लौह अयस्क भंडार हमारे राज्य में उपलब्ध है। यह मुख्य रूप से इस्पात, पेलिटैजेशन (Pelitization) स्पांज इस्पात, पिग इस्पात उद्योगों में प्रयोग में लाया जाता है और ये जापान को निर्यात किया जाता है।

अभ्रक: यह चमकीला खनिज है। इसका प्रयोग अधिकतर इलेक्ट्रीकल और इलेक्ट्रनिक उद्योगों में होता है। इसको बनाने की अनेक विधियाँ हैं जिनके कारण यह अधिक उपयोगी है। यह पतली परत के रूप में पाया जाता है। यह बिजली और ऊष्मा कशा कुचालक होता है।

चूना : यह सिमेंट, कार्बाइड, इस्पात और स्टील, सोडे की राख, रासायनिक, चीनी, पेपर, उर्वरक एवं काँच उद्योगों में प्रयोग किया जाता है।

ग्रेनाइट : यह काटने और चमकाने वाले उद्योग सजावटी पैनलो स्मारकों एवं फर्शपैनलो में प्रयोग में लाया जाता है।

मैंगनीज : यह पोटेशियम परमैंगनेट, फेरो एलॉयज, इस्पात, बैटरीस रासायनिक चीनीमिट्टी एवं काँच उद्योगों में प्रयोग किया जाता है।

बेराइट : यह अयस्कों का समूह है इसको एक तत्व निकाला जाता है जिस बोरियम कहते हैं। बोरियम का उपयोग उद्योग और चिकित्सा के लिए किया जाता है। इसका उपयोग पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों को निकालने के लिए गहरे सुराख को तैयार करने में किया जाता है।

फेल्डस्पर: यह एक कच्चा खनिज है इसका प्रयोग काँच तथा चीनीमिट्टी के पात्र को बनाने में किया जाता है जैसे वास बेसिन, इत्यादि।

तेलंगाणा के खनिज संसाधन

विभिन्न भौगोलिक स्थिति होने से हमारे राज्य में विशिष्ट खनिज उद्योगों के लिए उपयुक्त खनिजों की एक समृद्ध और व्यापक विविधता मिलती है। तेलंगाणा राज्य विभिन्न खनिजों का घर है। विशेष रूप से कोयला, लौहअयस्क, चूना, डोलामाईट, मैंगनीज़, बिल्लौर (स्पटिक), फेलस्फार, चिकनी मिट्टी, बेराइट, यूरेनियम, काले एवं रंगीन ग्रानाइट, संगमरमर आदि।

हमारा राज्य विभिन्न बिकरे हुए मध्यम वर्गीय लौह अयस्क भंडारों से बैयाराम आरक्षित वन और खम्मम भद्राद्रि जिले के राजस्व पट्टा भूमि और निजामबाद, पेद्दापल्ली में कम बिखरे हुए लोहे की जमा राशियों में लोहा जमा प्लाट और वरंगल जिलों से सम्पन्न है। सिमेंट उद्योग द्वारा नलगोण्डा, यादाद्रि, भद्राद्रि, वरंगल ग्रामीण, महबूबाबाद, महबूबनगर, नागरकर्नूल और आदिलाबाद जिलों में सिमेंट उद्योग द्वारा विशाल विशाल चूने के भंडारों का खनन होता है।


करीमनगर जिले की टानभूरे ग्रेनाइट भण्डार अद्वितीय है और निजीक्षेत्रों द्वारा बड़े पैमाने पर निर्यात किए जा रहे हैं। लाल भूरे रंग के अनुपात

के आधार पर संगमरमर ज्यादातर चीन और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को निर्यात किया जाता है। तांडूर नीले चूने पत्थर की पट्टियाँ (शाबाद पत्थर) दक्षिण भारत में फर्श के लिए उपयोग में लाया जाता है और विकाराबाद जिले में उपलब्ध है। यूरेनियम भंडार नलगोंडा जिले के लाम्बापुर, पुलिचेर्ला, नम्मापुरम और येल्लापुरम गाँवों में ११ लाख टन की अनुमानित रिजर्व के साथ पाये जाते हैं।

संपूर्ण दक्षिण भारत में तेलंगाणा ही एक ऐसा राज्य है जहाँ सिंगारेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई) द्वारा विशाल कोयले के भण्डारों का खनन होता है।

तेलंगाणा के खनिज मानचित्र को देखकर दिए गए टेबल को भरिये।

जिला	खनिज



खनिज खनन

खनिज पदार्थों को मनुष्य पृथ्वी के अन्दर से खोदकर अपने प्रयोग के लिए प्राप्त करता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खनन के तरीके पाये जाते हैं। हम पृथ्वी में बड़ा गड्ढा खोदकर उसमें से खनिजों को निकाल सकते हैं। इसमें हम ग्रेनाइट और ब्राइटिस इत्यादि से विस्फोट करते हैं इसे 'ओपन कास्ट माइनिंग'

कहते हैं। हम खानों के अंदर सुरंग बनाकर खनिज पदार्थों को निकालते हैं जो बहुत गहराई में होता है। इसे अंडर ग्राउंड माइनिंग कहते हैं। जैसे कि हम मिनरल वाटर (शुद्ध जल) कुएँ या ट्यूबवेल को खोदकर निकालते हैं। हमें बहुत गहरा ट्यूबवेल प्राकृतिक, गैस, कच्चा तेल पाने के लिए खोदना पड़ता है। कई स्थानों पर इसे समुद्र के किनारे ड्रिलिंग किया जाता है, जैसे- मुम्बई के पास बाम्बे हाई।

अधिकतर खनन के कामों से पृथ्वी का ऊपरी भाग खराब हो जाता है। उसका अर्थ जंगलों के काटने, मैदान और रहने के स्थानों को नष्ट करने, बड़े गड्ढे खोदने अथवा पहाड़ों को नष्ट करने से है। खानों में खनिज को साफ करने के लिए अधिक मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है। इसके परिणाम स्वरूप नदी और पानी प्रदूषित हो जाते हैं। सामान्यतः पुराने समय से किसानों और जनजातियों द्वारा प्रयोग में लाई गई जमीन को छोड़ना पड़ता है। खनन के पास रहने वाले लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। उसे अधिक संख्या में बाहर से आए खनन कर्मचारियों के लिए पास ही नए कस्बे का प्रबंध करना पड़ता है। भारत वर्ष में



लगभग एक करोड़ और आंध्र प्रदेश में एक लाख लोगों के लिए खनन के पास रहने की व्यवस्था करनी पड़ती है। यह कार्य खनन के पास रहने के लिए जोखिम भरा होता है। जैसे यहाँ दुर्घटनाएँ घटित होती हैं। जहरीले पदार्थों के कारण साँस की बिमारी होती है। ये स्वास्थ्य को नष्ट करती है।



- यह चित्र देखकर पता लगाएँ कि इनमें से कौन सा चित्र तेल खनन के लिए है-ओपेन कास्ट माइनिंग अंडरग्राउंड माइनिंग अथवा ड्रील माइनिंग (चित्र संख्या 6.1, 6.2, 6.3)
- यदि आपके क्षेत्र में किसी प्रकार का खनन कार्य चल रहा है तो आप उन लोगों का पता लगाएँ जो खनन के कार्य करते हैं। अथवा वहाँ रहते हैं और यह भी पता लगाएँ कि यह वातावरण को कैसे प्रभावित करती है। यह भी पता लगाएँ कि कितने लोग इससे लाभ पाते हैं।



खनिज किससे संबंधित है ?

खनिज सामान्यतः पृथ्वी की गहराई में पाया जाता है। इसका संबंध किसी एक व्यक्ति से नहीं है जबकि यह देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए है। इसका प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति अपनी रुचियों के अनुसार कर सकते हैं। ये इसलिए है क्योंकि सभी खनिज राज्य की सम्पत्ति है। यह राज्य सरकार के नाम पर अधिकृत है। सरकार स्वविवेक से खनिज का प्रयोग जनता की आवश्यकता के अनुसार करती है।

● सरकार खनिज का प्रयोग कैसे करती है ?

स्वतंत्रता के समय खनन का कार्य निजी मालिकों एवं कम्पनियों द्वारा किया जाता था। वास्तव में ये अधिक से अधिक कार्य कम से कम समय में करवाना चाहते थे। वे खानों की व्यवस्था और कर्मचारियों की सुरक्षा पर ध्यान नहीं देते थे। सन् 1970 में सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में ले लिया। सरकार ने निजी स्तर पर अधिकतर खानों से खनन करवा कर खनिजों को विभिन्न फैक्ट्रियों और व्यापारियों को बेचा अथवा निर्यात किया। इस प्रकार खनन के विसातर को नियंत्रित करते हुए इसके दुरुप्रयोग को रोका गया अथवा इस विधि में जो खतरनाक और नुकसानदायक थी उनसे खनन कर्मचारियों को सुरक्षित किया गया। यह निश्चित किया गया कि महत्वपूर्ण खनिज जैसे-ईंधन और कीमती धातुएँ, इत्यादि को सामाजिक लाभ के लिए निकाला गया है और यह उन कम्पनियों के अधीन नहीं हैं जो केवल लाभ कमाने का उद्देश्य नहीं हैं। जहाँ तक सरकार नई और मिश्रित तकनीक लाने तथा नए खनिज भंडारों के प्राप्त करने और सर्वेक्षण में सक्षम नहीं है। इस प्रकार खनिजों के उत्पादन की गति मंद हो गई। ऐसा अनुभव किया

गया है कि खनिजों का खनन और विक्र को निजी कम्पनियों को देना आवश्यक है और उन पर सरकार का कानूनी नियंत्रण होगा। सन् 1993 में एक नई राष्ट्रीय खनिज नीति घोषित की गई और सरकार ने निजी कम्पनियों को पट्टेदारी पर खानों को ढोने और चलाने की मंजूरी दी। कम्पनियों को खनिज पदार्थों को निकालने और बेचने के लिए सरकारी शुल्क देना निश्चित किया गया। इस प्रकार सरकार खनन की व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाया। तथा उससे लाभ प्राप्त किया साथ ही निजी कम्पनियों को धन लगाने और नई तकनीकी लाने के लिए प्रोत्साहित किया तथापि सरकार ने परमाणु ऊर्जा से संबंधित खनिजों के लगातार खनन पर रोक लगायी।

इस नीति के अंतर्गत पिछले बीस वर्षों से खनन के दौरान धमाके हुए। इससे खानों की संख्या बड़ी और अधिक खनिज निकाले गए तथा खनन के क्षेत्र में रोजगार बढ़े।

दूसरी तरफ निजी कम्पनियों को अनियंत्रित खनन तथा अत्यधिक अनुमति से प्राकृतिक सुरक्षा की उपेक्षा हुई। अत्यधिक खनन का तात्पर्य अधिक मात्रा में लम्बे समय से हो रहे महत्वपूर्ण खनन को रोकना अर्थात्, निजी कम्पनियों द्वारा बिना सरकार को राज शुल्क दिए खनिजों को बाहर ले जाया जा रहा था। इस प्रकार जो लोग खनिजों से वास्तव में संबंधित थे उन्हें कुछ नहीं मिल रहा था। यह उनके लिए प्राकृतिक रूप से हानिकारक था। उदाहरण के लिए यदि नदी के तट से अत्यधिक रेत को निकाल लिया जाए (खनन) तो इसके प्रभाव से नदी में बाढ़ आती है और यह जल्दी सूख जाते हैं। सामान्यतः नई खनन कम्पनी अन्डरग्राउन्ड माइनिंग अधिक खर्चीली होने के कारण उसके बदले में ओपेन

कास्ट माइनिंग का चुनाव करते थे क्योंकि यह खनन की सबसे सस्ती विधि है। लेकिन इसके अलावा गहरे गड्ढा और पहाड़ों से उठे पत्थर समाप्त करने से नदी के बहाव में भंगकर पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न होती है।

- निजी कम्पनियों द्वारा खनिजों के खदान पर टिप्पणी कीजिए। आपके विचार से क्या इन्हें नियमित किया जा सकता है ? प्राकृतिक चीजों को संरक्षित करने के संबंध में अपने विचार बताइए।
- यदि देश की जनता को खनिज संसाधनों का हकदार बना दिया जाए तो कैसे हम सुनिश्चित करेंगे कि उसका लाभ सब उठा सकेंगे ?
- क्या आपने सोचा है कि इन संसाधनों का प्रयोग हमारे बच्चे और आगामी पीढ़ी के बच्चे भी कर सकेंगे ? हम कैसे सुनिश्चित करेंगे ये खनिज उन्हें भी प्राप्त होंगे और इनका समापन नहीं होगा।

सिगरेनी कोयला क्षेत्र (SCCL)

पेद्दापल्ली, मंचिर्याल, भद्राद्रि, अदिलाबाद जगित्याल और जयशंकर जिलों में कोयले के बहुत



बड़े भण्डार हैं। ये खानें सिगरेनी कोलिरीज़ कम्पनी लिमिटेड (SCCL) के द्वारा संचालित की जाती थी। यह कम्पनी प्रारम्भिक तौर पर निजी ब्रिटिश खनन कम्पनी द्वारा 1886 में स्थापित किया गया जिसे 1920 में हैदराबाद के निज़ाम द्वारा खरीदी गयी। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने इसे अपने अधिकार में ले लिया। SCCL संयुक्त रूप से भारत सरकार और

तेलंगाना सरकार के अधिर में है। SCCL वर्तमान में यह कम्पनी पंद्रह खुली खाने पैतीस भूमिगत खानों का संचालन तेलंगाना के चार जिलों में काम कर रही है। इसमें पैसठ हजार कर्मचारी काम करते हैं। (2015).

दो अध्यापकों ने प्रसिद्ध सिगरेनी कोयला क्षेत्र का निरीक्षण किया।

हमने हैदराबाद बस स्टैन्ड से कोत्तगुडम तक की यात्रा की। कोत्तगुडम पहुँचकर हम एस.सी.सी.एल (SCCL) के कार्यालय गये और वहाँ से अनुमति लेकर खान का निरीक्षण किया। तब हमने कोत्तगुडम से एलंदू 40 किमी. की यात्रा की और पुनः हम SCCL कार्यालय पहुँचे और वहाँ



चित्र 6.4 : झुका No. 21 खदान का प्रवेश द्वार

से अनुमति लेकर 21 खान के अंदर गये। नीचे दिये चित्र को देखो।

इसके बाद हम लोगों ने लोहे के रेलवे ट्रैक पर स्थित ओवर ब्रिज को पार किया जिस पर रेलगाड़ी खड़ी थी। हम खान के प्रवेश द्वार पर जहाँ सुरक्षा अधिकारी ने हमारा स्वागत किया। अधिकारी ने बताया कि कोयला जमीन की मोटी परत के नीचे पाया जाता है। यदि हम जमीन की सतह के नीचे

खोदते हैं तो पहले हमें मिट्टी मिलती है इसके बाद चट्टान और पानी मिलता है यदि हम इससे अधिक गहराई लगभग दो सौ या तीन सौ फीट नीचे पहुँचते हैं तो हमें कोयले की सतह मिलती है। एक क्षेत्र में भिन्न प्रकार की परतें पाई जाती हैं। कोयले की परत चट्टानों अथवा भुरभुरी मिट्टी से अलग की जाती है।

खतरा और सुरक्षा उपाय

सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि नीचे जाने में हमेशा खतरा है दुर्घटना कभी भी घट सकती है। सुरंग कभी भी गिर सकती है अथवा इसमें पानी की बाढ़ आ सकती है, आग लग सकती है और विषैली गैसों के कारण घुटन होती है। उसने हमें बताया कि खान के प्रशासन ने दुर्घटना को रोकने के लिए सुरक्षित प्रबन्ध करने का प्रयत्न किया है। और हमें भी आवश्यक सावधानियाँ बरतनी चाहिए। उसने यह भी बताया कि किस तरह हमें दुर्घटनाओं का सामना सुरक्षा कवच से करना चाहिए। हमने सुरक्षा कवच अपने साथ लिया और नीचे जाने के लिए तैयार हो गए। हमने नोटबुक पर ऑनलाइन रेजिस्ट्रेशन के लिए सूचनाएँ लिखी।

- क्या आप इन यंत्रों का नाम बता सकते हो?
 - घड़ी का क्या उपयोग है?
 - हेलमेट के ऊपर लाइट क्यों लगी है?
- अब हम खान के प्रवेश द्वार पर पहुँचे। वास्तव



चित्र 6.5: खान कर्मचारियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सुरक्षा यंत्र

में यह लिफ्ट है जो लोगों को खान के अंदर और बाहर ले जाता है। हम दो और सुरक्षा अधिकारी तथा उनके साथ तीन खान कर्मचारी लिफ्ट में प्रवेश किया। लिफ्ट कर्मी ने दरबाजे को बंद किया और जमीन के अंदर जाने का संकेत किया और कोड का प्रयोग करते ही लिफ्ट घंटी की ध्वनि के साथ चलना प्रारम्भ किया।

खान के अन्दर

हमारी लिफ्ट भूमि की सतह से 500 फीट नीचे पहुँच गई। यह नीचे जाते हुए गहरे कुएँ



चित्र 6.6: बेल्ल कोड बोर्ड की तस्वीर

की तरह लग रहा था। हम बहुत डरे हुए थे जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही थी और पानी के गिरने की आवाज़ हमें सुनाई दे रही थी। सुरक्षा अधिकारी जो हमारे साथ था उसने बताया कि यह भूमिगत जल है। आप जानते हैं कि जब हम खुदाई करते हैं तो हमें जल मिलता है और हम इस जल को पम्प की सहायता से बाहर निकालते हैं नहीं तो खान की सुरंग में पानी की बाढ़ आ जाती है। पूरे पानी को एक जगह इकट्ठा किया जाता है और उसे पम्प करके खान के बाहर निकाला जाता है। उसने बाद में बताया कि कम्पनी ने अपनी परियोजना के तहत खान की रूप रेखा बनाने के लिए योजना विभाग

बनाया है। लिफ्ट रूकी और हम सँकरी सुरंग में पहुँचे जिसे खान शाँफ्ट कहते हैं। जाते हुए हमने बिजली के तार, पानी ले जाते हुए लचीली नली, जमीन पर बिछी पतली रेल की पटरी इत्यादि को देखा। कोयला खोदने के बाद ट्रेन के खुले छोटे डिब्बे में भरा जाता है और रेल की सहायता से खींचकर लिफ्ट तक लाया जाता है और लिफ्ट से जमीन के ऊपर लाया जाता है। हमारे पथ प्रदर्शक ने बताया कि वास्तव में हम कोयले की सतह के ऊपर चल रहे हैं



चित्र 6.7: डोलोमाइट से रंगी कोयले की दीवार

जिसे कोल सीग कहा जाता है। हमारे दोनों तरफ ऊपर और नीचे कोयला था यह देखकर हम आश्चर्यचकित हुए कि खान की दीवारें काली नहीं बल्कि चमकीले थे। हमारे पथप्रदर्शक ने बताया कि यह इसलिए है क्योंकि यह डोलामाइट से पेन्ट किया है कोयले के आक्सीकरण और निम्नीकरण को रोकने के लिए यह प्रकार को परिवर्तित करता है और हमें प्रकाश देता है।

कोयले का विस्फोट

अब हम कोयले के खोदे हुए क्षेत्र पर पहुँचे। प्रत्येक दिन निरीक्षण उस दिन के खनन के स्थान के कोयले की संधि को देखकर यह बताया है कि हमें किस प्रकार सुरक्षा बरतनी चाहिए। अलग-अलग समूह के लोगों को भिन्न प्रकार के कार्य दिए जाते हैं। एक समूह विस्फोटक राँड को रखने के लिए हवा के दबाव और ड्रीलिंग द्वारा सुराख करता है। उन्हें उस स्थान पर रखने के लिए उनके ऊपर राल के पैकेट (कवर) लगाए जाते हैं। ये विस्फोटक बिजली के यंत्रों द्वारा लगाए जाते हैं। इस प्रकार कोयले की मजबूत चट्टान को तोड़कर छोटे टुकड़े काटकर उसे ट्रान्सपोर्ट किया जाता है। इस विधि को विस्फोट कहा जाता है। यह जोखिम भरी विधि

है। कभी कभार विस्फोट से खदान में काम करने वाले लोगों को मृत्यु का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए इस कार्य को सतर्कता पूर्वक सही अनुमान के साथ किया जाता है।

दूसरे समूह के खान कर्मचारी लकड़ी और लोहे के सहारे छत बनाते हैं ताँकी उनके सिर पर कोयले के टुकड़े न गिरे। दूसरे समूह के लोग लचीले घुमने वाले मोटर के साथ तैयार रहते हैं जिसे ड्रीलिंग मशीन कहा जाता है। इसका प्रयोग हम विस्फोट के बाद कोयले को काटने के लिए करते हैं। अब तैयार विस्फोट छिद्र को आप चित्र संख्या 6.8 में देख सकते हैं।

जब विस्फोट की पूरी तैयारी हो जाती है तो प्रत्येक लोग सुरक्षित स्थान पर चले जाते हैं। तब चेतावनी की घंटी बजती है और संकेतक को जोड़ दिया जाता है। एकाएक पूरी खान विस्फोट के बाद भयंकर ध्वनि से गूँजने लगती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे भूकम्प आने से दीवार और ज़मीन हिलने लगती है। वहाँ प्रत्येक जगह धुआँ और धूल हो जाती है। कुछ समय के बाद पुनः सीटी बजी और हम एक बार फिर खान के मुँह की तरफ गए।



चित्र 6.8:

(बायें) संकेतन

(दायें) बैटरी

(नीचे से बाईं ओर) विस्फोटक से

भरा हुआ गड्ढा

(नीचे से दाईं ओर) विस्फोटक



जहाँ धूल बादल की तरह जमे थे वहाँ दो-तीन कर्मचारी पहुँचे। वे विस्फोट से गिरे कोयले के ऊपर से गए और राँड के सहारे उस स्थान का पता लगाया जहाँ से कोयला गिरा था। एक स्थान पर छत कमजोर थी इसलिए वहाँ लकड़ी के बल्ले और खम्भों का सहारा दिया।

कोयले का परिवहन

इस खान में कोयले का परिवहन करके खान के मुँह तक पहुँचाया जाता है। प्रारम्भ में कोयले को रेल के छोटे खुले डिब्बों में कोयले को भरा जाता है। जिसमें उसे ढोया जाता है। गोदाम तक कोयले को पहुँचाने के लिए डम्पर मशीन पर प्रयोग किया जाता है। इसके बाद कोयले को अलग कर रेल के डिब्बे और ट्रक पर (लोड) भरा

जाता है। सिगरेनी से कोयला सरकारी तापीय विद्युत परियोजनाओं को भेजा जाता है। बचे हुए कोयले को दूसरी कम्पनियाँ खरीदती हैं।

कल्याण कार्य (Welfare)

सिगरेनी कोयला कार्यकर्ताओं के लिए रहने का स्थान, सड़के पीने का पानी और सामान्य प्रयोग के पानी तथा बिजली कम दर पर उपलब्ध कराती है। यह उन लोगों के लिए स्कूल और अस्पताल बनवाती है।

सुरक्षा और स्वास्थ्य जाँच

खान का सुरक्षा महानिदेशक (Director General) खान कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित करता है। भूमिगत कर्मचारियों को दुर्घटना के अलावा लगातार कोयले

की धूल के कारण 'ब्लैक लंग डीजीज़' हो जाता है जो कि टी.बी का एक प्रकार है। वहाँ खान कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण होता है और उन्हें विस्तृत परामर्श दिया जाता है। पैतालिस वर्ष के कम आयु के कर्मचारियों का प्रत्येक 5 वर्ष में जाँच रूप से की जाती है। ब्लैक लंग डीजीज़ के कर्मचारियों को सामान्य: दूसरे विभागों में खान के अन्य काम करने के लिए भेजा जाता है।

खान उद्योग और कर्मचारियों के लिए नई तकनीक

तत्काल में कोयले की माँग बढ़ी विशेषकर तपीय उत्क्रमों में, कम उत्पादकता के कारण हमारी खाने इनकी माँगों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। इस प्रकार उत्पादकता को बढ़ाने के लिए SCCL ने ओपन कास्ट माइनिंग (खुली खदान) की परियोजना बनाई। इसके लिए उसने 15 खुली खदान

(ओपन कास्ट माइनिंग) को स्थापित किया और उसके लिए स्वचालित मशीनों का प्रयोग निजी ठेकेदारों के माध्यम से किया। इससे कोयले का उत्पादन तो बढ़ा लेकिन लोगों का रोजगार घटा। यह भी कहा जाता है कि खुली खदानों से कोयले का भण्डार 10 से 15 सालों में खत्म हो जाएगा और इस क्षेत्र में कोई खदान नहीं हो सकती।

कर्मचारी से अनुभव करते हैं कि भूमिगत खदानों के खत्म होने और खुली खदानों के बढ़ने से नियमित कर्मचारियों की नौकरी कम हो गई अथवा कर्मचारी अनुबंध पर कार्य करने लगे। पहले से ही नियमित कर्मचारी की संख्या दस साल पहले कई लाख थी जो घट कर इस समय पैंसठ हजार(65000) ही है। 10-15 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद खोदने के लिए कुछ भी नहीं है।

29 जून 2009 के समाचार रिपोर्ट को पढ़िए:

सिगरेनी कोयला खदान की खुले घाव

हमारे प्रतिनिधि के अनुसार वरंगल जून 28 कोयले की बढ़ती हुई माँग की पूर्ति लिए SCCL ने खुली खदान (ओपन कास्ट माइनिंग को ले लेने का निश्चय किया। इस निर्णय के कारण 20,000 हजार लोग बेघर हुए और दो सौ गाँव प्रभावित हुए। खानों के कारण लगभग 3,000 हेक्टेयर जंगल भी प्रभावित होंगे। SCCL के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार यदि

भूमिगत खदाने एक दिन में 1,500 टन कोयले का उत्पादन करती है तो खुली खदाने उससे भी कम खर्च प्रति दिन 10,000 टन कोयले का उत्पादन कर सकती है।

इससे स्पष्ट होता है कि खुली खदानों में हजारों परिवारों को स्थानांतरित किया उनके निवास स्थानों का तथा स्थानीय लोगों का जीवन नष्ट कर दिया। कम्पनी के कार्यालय के अनुसार इसने

वनरोपण के लिए नष्ट किए गए जंगल के बराबर भूमि दी तथा रूपए भी दिए। उसने कहा कि कम्पनी ने इसके लिए 4.38 लाख से 10.43 लाख प्रति हेक्टर के हिसाब से दिया। स्थानीय लोगों ने शिकायत की कि इन खानों ने पृथ्वी पर गढ़े तथा पहाड़ बनाए जिससे नदी और उसकी धाराएं बंद हो गई भूमि जल दूषित हो गया तथा पीने के पानी की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई।

- क्या आपने सोचा है इस दुविधा की स्थिति को कैसे समाप्त किया जा सकता है ? कम खर्च पर कोयले का उत्पादन जीवन को नष्ट करता है, जमीन और वातावरण को नष्ट करता है क्या यह सही है?

सतुपल्ली में ओपन कास्ट (खुली) खदान

खम्मम जिले के सतुपल्ली में जलगम वेंगलराव ओपेन कास्ट (खुली) खदान स्थित है। जब सतुपल्ली में कोयले के भण्डार का पता चला तब SCCL मालिको द्वारा उसके गुणवत्ता के निर्धारण की जाँच की गई। सर्वेक्षम के अनुसार सतुपल्ली क्षेत्र में कोयले की उपलब्धता 50 वर्षों तक रहेगी।

जिन किसानों को भूमि छोड़नी पड़ी उन्हें मुआवजे के रूप में अन्य स्थान में भूमि दी गई और कुछ को खदान में नौकरी ओपेन कास्ट खनन सतुपल्ली में 2005 में प्रारम्भ हुआ।

इन स्थानों में अधिकतर कार्य मशीनो द्वारा किए जाने है जैसे - कवडे बुलडोजर, मोटर ग्रेडर, फावड़े, ड्रिक्स, जल छिडकाव मशीन, टिप्पर ट्रक, डम्पर और विभिन्न ट्रके जिनसे द्वारा भारी कोयले के भार को उठाया जाता है। कवड़े एवं बुलडोजरों से पहले भार, मिट्टी एवं पत्थरों को उठाया जाता था। बाद में पट्टियों की श्रृंखला बनाई गई। (पट्टियाँ खान के वे ऊर्ध्वाधर वर्ग है जहाँ पर कोयला अतिरिक्त भार खाली किया जाता है) खनन क्षेत्र के नीचे से खाई तक के सभी पट्टियों को जोडते हुए सड़क का निर्माण किया गया। अतिरिक्त भार एवं रही चट्टानों को विस्फोट द्वारा हटाया जाया है। पट्टियों पर विस्फोट किए गए कोयले को बड़ी मशीनों द्वारा उठाकर अधिक क्षमता वाले टिप्पर ट्रको से परिवहन किया जाता है। कोयले का परिवहन कोयला संयंत्र (कोल हेडलिंग प्लांट) और



चित्र6.9: जलगम वेंगलराव ओपेन कास्ट (खुली) खदान, सतुपल्ली

रेलवे मालगाड़ी द्वारा बिजली पवरप्लांटों, सीमेंट, एवं अन्य कारखानों को किया जाता है। जे.वी.आर. खुली खनन द्वारा प्रतिदिन 10,000 टन कोयले खनन किया जाता है।

भूगर्भीय खनन की तुलना में खुला खनन की लागन अधिक होती है। हालांकी इसका प्रभाव वातावरण अनुकूल नहीं है। उदाहरण - लंकापल्ली रिजर्व वन, के साथ-साथ 550 हेक्टार भूमि बंजर हो चुकी है। इस भूमि पर SCCL द्वारा वृक्षारोपण के प्रयास से प्रदूषण को नियंत्रित करने के कदम उठाए जा रहे है।



चित्र6.10: कोयले की खान डम्पर एवं फावड़ो के मेल से चलती है।



चित्र 6.11: सतुपल्ली में खान के द्वारा जमा की गई रद्दी सामग्री का ऊँचा पहाड़

इस खान में लगभग 700 व्यक्ति कार्यरत हैं। इनमें 400 व्यक्ति उच्च वेतन कर्मचारी और बाकि ठेका कर्मचारी (contract workers) हैं। इस खान के अधिकतर कर्मचारी पुरुष हैं। SCCL (एस.सी.सी.एल) भी उत्पादन लागत कम करने (अतिरिक्त भार हटाने के लिए) जैसे कई गतिविधियों के लिए निजी सेवा प्रदाओं का उपयोग करता है।

अब तक आपको कोयला खनन और लोगों पर इसके प्रभाव एवं आजीविका विकल्पों पर कुछ विचार (Ideas) मिल गए होंगे। प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करने से पहले, हम यह आवश्यक है कि



चित्र 6.12: कोयला प्लांट में परिवहन हेतु भार विशेष ट्रकों में भरा जाना

पर्यावरण की सुरक्षा के विभिन्न तरीकों पर अवश्य सोचें।

- सिंगरेनी कोयला खदान में ठेका कर्मचारियों की नियुक्ति क्यों की जाती है?
- खनन क्षेत्र की कृषियोग्य भूमि को त्यागने के पश्चात कृषकों का क्या हुआ होगा?
- क्या आप को लगता है ओपन कास्ट खुली खदान में भारी मशीनों एवं उपकरणों की आवश्यकता है?
- ओपन कास्ट खुली खदानों में केवल पुरुषों की ही नियुक्ति क्यों की जाती है?
- इनमें क्या महत्वपूर्ण है - उत्पादन के कीमत में कमी या प्रदूषण से पर्यावरण का बचाव?
- यदि खदानों में स्थायी कर्मचारियों की ही नियुक्ति होती तो क्या होता?

मुख्य शब्द

1. खनिज
2. भूमिगत खदान
3. खुलीखदान
4. अक्षय संसाधन
5. गैर अक्षय संसाधन
6. कोयला
7. बेराइट्स

अर्जित ज्ञान का विकास कीजिए।

1. भूमिगत खानों(underground mining) के निरीक्षण को दिखाने वाला चार्ट बनाइए।
2. निर्देशानुसार खनन मजदूरों के स्वास्थ्य समस्याओं सावधानियों और सुरक्षा से संबंधित तालिका बनाओं। 1. खदानों में कार्य करते समय की। 2. और रोजगार प्राप्त करने के समय की।
3. खानों में मशीनों के द्वारा खुदाई और श्रमिकों के द्वारा खुदाई करने में मजदूरों की माँग के अन्तर को बताइए?
4. तेलंगाणा के खनिज से संबंधित इस पाठ के मानचित्र को देखें और पहचानो कि कौन सा खनिज आपके जिले में पाया जाता है।
5. 'खनिजो पर किसका आधिपत्य है' इस अंश को पढ़ें और दिए गए नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दो।
'खनिजो पर विशेष व्यक्ति का आधिपत्य नहीं है यह सबके है' इसे आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं?
6. नीचे दिए गए चित्र को देखें। इसमें दो व्यक्तियों द्वारा दो भिन्न कथन कहे गए हैं। वे खनन के किस रूप की बात कर रही हैं?



7. देश के विकास में खनिजों का क्या योगदान है? (AS₆)
8. तालिका बनाकर विभिन्न खनिज एवं उसकी उपयोगिता बताइए? (AS₃)

मुद्रा एवं बैंकिंग

MONEY AND BANKING

मुद्रा के बिना व्यापार

मोहन श्यामला के पास अपनी रागी लेकर बदले में आम खरीदने गया। श्यामला ने रागी के के समान मात्रा के दो अंबार(ढेर) लगाए। उसने मोहन को कुछ आम दिए जिनका वजन रागी के ढेर के बराबर था। मोहन आम अपने घर ले गया और श्यामला ने रागी के दोनों ढेर रख लिए। आम का दाम रागी के आधे ढेर के बराबर था। इसके अलग दाम भी हो सकते हैं जैसे कि धान्य के बराबर।

आदिलाबाद जिले के कुछ गाँवों में वहाँ के बच्चे चावल के बदले में अपने बाँस के खिलौना का आदान-प्रदान करते हैं। उसे वस्तुविनिमय पद्धति कहते हैं।



गाँव के लोहार हर फसल के बाद अनाज के बदले में उनके बैलगाड़ी के पहिए, हल, आदि ठीक कर देते हैं। इस हल एवं बैलगाड़ी के बदले में किसान से कितनी मात्रा में अनाज लिया जाए इसकी एक पारंपरिक विधि होती है। लोग जानते हैं कि यह परंपरा चलती रहेगी और लोहार बिना पैसे मांगे वह सब करता रहेगा जिसकी उससे अपेक्षा है।

- क्या आप किसी ऐसे आदान-प्रदान के बारे में जानते हैं जो बिना मुद्रा के किया जाता है?
- आपने अपने पुराने कपड़े, प्लास्टिक, समाचार पत्र, केश, धान्य, इत्यादि के बदले में कुछ खरीदा होगा। उस आदान-प्रदान के विषय में विचार विमर्श कीजिए।

एक और उदाहरण में गोपाल के पास एक बकरी है और वह उसे चावल के बदले में देना चाहता है। वह सीनू के पास जाता है। सीनू को एक बकरी चाहिए लेकिन उसके पास चावल नहीं जँवार है। गोपाल रामू से मिलता है जिसके पास चाँवल की फसल है। लेकिन रामू अपने चावल के बदले में बकरी नहीं लेना चाहता उसे जँवार खरीदना है।

● इस सारिणी को पूरा करो :

	गोपाल	सीनू	रामू
खरीदना चाहता है			
बेचना चाहता है			

- ऊपर के सारिणी से आप किस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं?
- अपने शब्दों में गोपाल और सीनू के बीच में आदान-प्रदान क्यों संभव नहीं है?
- क्या धन के उपयोग में सहायता मिलेगी? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :
अगर गोपाल धन के बदले में अपनी बकरी.....के साथ बदल ले तब गोपाल इस...का उपयोग.....से चावल खरीदने के लिए कर सकता है। अब.....इस धन का उपयोग सीनू से....खरीदने में कर सकता है।
- अपने माता-पिता से यह जानकारी प्राप्त करें कि उनके गाँव में धोबी, नाई, नीति कावालिकारू को उनके काम श्रम कैसे भुगतान किया जाता है?

धन से अदला-बदली

अगर हम धन का उपयोग करें तो वस्तुओं का अदला-बदली में कोई बाधा नहीं होगी। तब यह आवश्यक नहीं होता है कि व्यक्ति जिसके पास कोई वस्तु अधिक हो ऐसे व्यक्ति को ढूँढे जिसको उसकी आवश्यकता हो और उसके पास वही वस्तु हो जो यह चाहता हो। मुद्रा मध्यस्थ का कार्य करती है या बीच की एक ऐसी सीढ़ी है जिसे हम आगे के उपयोग के लिए सँभाल कर रख सकते हैं। हमने ऐसी स्थिति ऊपर के उदाहरण में देखी है। यह उसे करने लायक है क्योंकि यह सबके लिए स्वीकार्य है। जो बेचना चाहते हैं उन्हें भुगतान के रूप में स्वीकार्य हो और जो खरीदना चाहते हैं उन्हें बदले में धन देना पड़ेगा। कोई भी उत्पादन या सेवा धन से बदली जा सकती है और धन कोई भी सेवा या उत्पादन के बदले में दिया जा सकता है। धन का अपने में कोई उपयोग नहीं है। उसकी माँग का कारण है। विनिमय में उसकी पात्रता। एक व्यक्ति के रूप में भी कर सकता है।

- गोपाल, सीनू और रामू ने मुद्रा का उपयोग लेन-देन के रूप में कैसे किया? इसका विवरण एक फ्लो चार्ट द्वारा दीजिए।
- ऊपर दिये गये विवरण के अनुसार मुद्रा का उपयोग विनिमय के माध्यम के रूप में किया जाय। क्या आप इससे सहमत हैं? कारण बताते हुए विवरण दें।
- वस्तु विनिमय पद्धति में अपने बाल काटने वाले का भुगतान कैसे करेंगे। चर्चा कीजिए।

वस्तु विनिमय पद्धति में एक और समस्या है।
गोपाल: इस बकरी के बदले में आप कितने बोरे चावल दोगे ?

सीतय्या : चार बोरे ।

गोपाल : मुझे दो बोरे गेहूँ चाहिए।

सीतय्या : मैं पास गेहूँ नहीं हूँ। आप चाहे तो मैं खाद्य-तेल व दलहन दे सकता हूँ।
गोपाल : मुझे दलहन नहीं चीनी चाहिए।

सीतय्या:.....दूंगा।

गोपाल:.....दूंगा।

वस्तु विनिमय पद्धति में आदान-प्रदान को संभव करने के लिए यह आवश्यक था कि किसी वस्तु का मूल्य दूसरी वस्तु के बदले में निर्धारित किया जाए। अगर यह आदान-प्रदान अनेक वस्तुओं का हो तो विनिमय संभावित नहीं होगा। यह सुविधाजनक भी नहीं है। विनिमय के कुछ और प्रकार भी थे जिनके विषय में आगे पढ़ेंगे। फिर भी यह पद्धति आज भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में लाभकारी सिद्ध हो रही है।

- कितने थैले चावल के लिए गोपाल को बकरी का आदान-प्रदान करना चाहिए?
- अगर आपके स्थानीय बाजार या संतलू में धन का उपयोग न किया जाए तब क्या होगा?
- आपके विचार में क्या मुद्रा का उपयोग वस्तु और सेवाओं के मूल्य के मापन के रूप में किया जा सकता है। स्पष्ट कीजिए। ?

मुद्रा एवं बैंकिंग

गोपाल के पास एक बकरी है और वह उसके बदले एक माचिस की डिब्बी खरीदना चाहता है। क्या यह एक उचित विनिमय है? वह बकरी का कोई एक भाग माचिस की डिब्बी के बदले से नहीं दिया जा सकता क्योंकि बकरी के टुकड़े नहीं किए जा सकते। लेकिन मुद्रा से आप छोटी वस्तुएँ भी खरीद सकते हैं। मुद्रा का विभाजन किया जा सकता है रूपये एवं पैसे के रूप में।

आपको यह देखना चाहिए कि सब्जियों का आदान-प्रदान तुरंत ही किया जाए क्योंकि वह कुछ समय में ही सूख जाती है या सड़ जाती है। यह समस्याएँ दूर हो सकती हैं जब हम वस्तु खरीदने के लिए मुद्रा का उपयोग करें। मुद्रा टिकाऊ है और हम भविष्य में उपयोग के लिए उसका संचय कर सकते हैं। अगर आपके पास कई सारी भेड़, बकरी या चावल के बोरे हो तो उन्हें रखने के लिए काफी स्थल चाहिए और उन्हें विनिमय के लिए बाजार ले जाने के लिए कई बैलगाड़ियाँ और ट्रक की आवश्यकता होगी। किन्तु मुद्रा को रखने के लिए ऐसी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप उसे अपने बैग या पर्स में ले जा सकते हैं। वह आसानी से कहीं भी ले जाई जा सकती है।

मुद्रा के रूपों के विकास

मानव जाति ने पूरे संसार में इस वस्तुविनिमय पद्धति को अपनाया और उसके कारण होने वाली समस्याओं का सामना भी किया। जब संसार में व्यापार काफी फैल गया तब अधिक वस्तुएँ खरीदी और बेची जाने लगी। ऐसी परिस्थितियों में मुद्रा के किसी एक प्रकार का चलन संसार में विकसित हो गया। उदाहरण के लिए प्राचीन समय में लोग पशु एवं अनाज का उपयोग मुद्रा के रूप में करने लगे। लेकिन ये ढोने एवं संग्रह करने के लिए कठिन थे। यह लंबे समय तक भी नहीं रखी जा सकती थी क्योंकि इनमें बिमारियों का भी आक्रमण हो सकता था।

समय बीतने के साथ लोग विनिमय के लिए ऐसे धातु का उपयोग करने लगे जो न केवल आकर्षक थे बल्कि दुर्लभ भी। जैसे ताँबा, चाँदी, सोना, काँसा, इत्यादि। इन धातुओं को काट कर इनके छोटे-छोटे भाग कहीं भी ले जाए जा सकते हैं। क्योंकि ये धातु दुर्लभ थी इसलिए लोग इन्हें मुद्रा के तौर पर इसे अपनाने लगे। लोग संतुष्टि से वस्तुएँ बेचने और खरीदने लगे क्योंकि वे जानते थे कि जो धातु का उपयोग वे कर रहे हैं उसकी आवश्यकता सभी को है। उन्हें यह चिंता नहीं थी कि उनके धन की कीमत धान्य या पशुओं की तरह कम नहीं होगी। फिर भी कुछ समस्याएँ थी और कुछ नई समस्याएँ आने वाली थी। हर आदान-प्रदान के लिए धातु का भार देखना पड़ता था और यह भी पता नहीं था कि इस धातु की गुणवत्ता कैसी होगी। यह सोना है या चाँदी, शुद्ध नहीं भी हो सकता है। कुछ समय उपरांत लोगों में इस धातु के उपयोग को लेकर एक दूसरे के प्रति विश्वास में कमी आ गई।

इन सभी घटनाओं ने विभिन्न शासकों को एक नई पद्धति अपनाने का अवसर प्रदान किया जो न सिर्फ सभी के लिए उचित होगी बल्कि उससे कुछ समस्याओं का समाधान भी हो सकता है। संसार में सिक्के ढालने का चलन प्रारम्भ हो गया। यह सिक्के एक आकार, एक ही वजन, शुद्ध धातु के होते थे, जिन्हें उस समय के शासक ही तैयार करवाते थे। ये लाने-ले जाने में सुविधाजनक थे उन्हें हर समय मपवाना आवश्यक नहीं था। रोमन राज्य में सोने के सिक्को का चलन था जिन्हें **बेसन्ट** कहते थे और मौर्य साम्राज्य में चाँदी के बने सिक्के **पना** का चलन था। यह सिक्के जनता एवं व्यापारी सभी के स्वीकार्य मुद्रा का प्रकार बन गए।

- लोग धातु का उपयोग मुद्रा के रूप में क्यों करने लगे?
- आपके विचार में सिक्कों का गढ़ना क्या एक अच्छा उपाय था?
- सिक्को को ढालने के कार्य से शासको को क्या लाभ था? क्या आप कोई तीन विभिन्न कारण बता सकते हैं।



चित्र- 7.1: विभिन्न अवधि के राजघरानों के सिक्के

कागज से बनी मुद्रा एवं बैंकों का अभ्युदय

ऐसे व्यक्ति जिन्हें अत्यधिक मात्रा में खरीदना या बेचना होता था उन्हें चाँदी या सोने के सिक्के भी अधिक मात्रा में ले जाने पड़ते थे। ऐसी परिस्थिति में यह लोग अपने सिक्के रखने के लिए सुरक्षित स्थान ढूँढने लगे। वे सुनार के पास जाने लगे ताकि उसके पास उनका धन सुरक्षित रह सके। ये सुनार इन व्यापारियों का धन अपने पास सुरक्षित रखने तथा उसे समय पर वापस करने के लिए उनसे शुल्क माँगने लगे। यह पद्धति लोकप्रिय होने लगी और सुनार परिवार एवं श्रौफ परिवारों में लोगो का विश्वास बढ़ने लगा।

यह सुनार ऋण भी देते थे और इनकी दूसरे शहर में भी कई शाखाएँ थी जिससे एक नई पद्धति को कागजी मुद्रा या हुंडियों का चलन आया। उदाहरण के लिए सोमू एक कपड़े का व्यापारी है। वह विजयवाड़ा का है और उसे हैदराबाद जाकर चन्दू से मशीने खरीदनी है। विजयवाड़ा से हैदराबाद तक सोने के सिक्के ले जाना खतरनाक है। इसीलिए वह अपने दस सोने के सिक्के एक सुनार के पास रखकर उससे कागज पर एक रसीद अपने नाम बनवाकर ले जाता है। उस रसीद पर यह लिखा होता है “ मैं प्रण करता हूँ कि मैं 10 सोने के सिक्के दूँगा” अब सोमू चन्दू को सुनार की रसीद देता है और कहता है कि 10 सिक्के उस सुनार से ले ले जिसका एक कार्यालय हैदराबाद में भी है। चन्दू के सिक्के लेने नहीं जाता बल्कि सईद के पास जाता है जो लौह और इस्पात बेचता है। चन्दू, सईद को सोमू की 10 सोने के सिक्के वाली रसीद देता है। और बदले में उससे इस्पात खरीदता

है। वह सईद से कहता है कि 10 सोने के सिक्के उस सुनार से ले ले। क्योंकि सभी लोग उस सुनार पर विश्वास करते हैं जो हमेशा रसीद मिलने पर तुरंत भुगतान कर देता है। सईद वह रसीद आसानी से ले लेता है। सोनू की मूल रसीद अब आर्थिक चलन में आ चुकी है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के हाथों जा रही है तथा सभी के द्वारा भुगतान के रूप में स्वीकार भी की जा रही है।

विश्वास के आधार पर ऐसी रसीदें मुद्रा के एक नए आकार के रूप में कार्य करने लगीं।

भारत के सबसे पहले महाजन बंगाल के जगत सेठ, पटना के शाह, सूरत के अरूण जी नाथ जी, मद्रास के चेंटीयार्स ये सभी इस धन एवं समान का आनंद उठाने लगे। उनकी रसीदें या कागजी मुद्रा जिसे हुण्डी कहते थे पूरे देश में तथा विदेश में भी सभी के द्वारा स्वीकारी जाती थी।

बैंको का अभ्युदय कैसे हुआ इसकी कहानी जाने। सन् 1606 में यूरोप में आमस्टरडम एक बहुत ही बड़ा व्यापार केन्द्र था। यहाँ पर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 846 चाँदी एवं सोने की मुद्राएँ थी जो विनिमय के लिए स्वीकार की गई थी। किन्तु व्यापारी हमेशा एक दूसरे पर संदेह करते थे। सभी इन सिक्कों की शुद्धता एवं इनके भार पर संदेह करते थे। आमस्टरडम के सभी व्यापारी इकट्ठा हो गये और इस समस्या का समाधान एक अनोखे ढंग से किया। उन्होंने उस शहर द्वारा स्वीकार की गई एक बैंक का आरम्भ किया। एक व्यापारी अपने सिक्के इस बैंक में ले जाता है और उसका वजन करवाकर उसकी शुद्धता का भी जाँच करवा

लेता है। उसे बैंक से एक रसीद मिल जाती है और वह अपना खाता भी खोल लेता है। जब कभी भी अवसर पड़े तो वह बैंक से अपने सिक्के निकाल सकता है या दूसरे के खाते में भी डाल सकता है। यह पद्धति व्यापारियों के लिए काफी सुविधाजनक थी।

बैंक ईमानदारी का पालन करता था और सभी व्यापारी उस पर विश्वास करते थे। वे सिक्कों के बदले में बैंक से रसीद मांगते थे या अपने खाते में तबादला करवाते थे। व्यापारियों को पता था कि मांग करने पर बैंक उन्हें शुद्ध धातु भी देगा। बैंको में धरोहर रखना मुद्रा का एक नया प्रकार बन गया। बैंक का व्यापार लगभग दो दशकों तक सफलतापूर्वक चलता रहा। बैंकों में धरोहर को मुद्रा के रूप में रखना प्रारम्भ हो गया।

आधुनिक बैंकिंग

- क्या कभी आप बैंक के भीतर गए हैं? कुछ बैंकों के नाम बताइए।
- बैंको के भीतर जाने पर आपको वहाँ पर कम्प्यूटर या लेजर पर बैठे कुछ अधिकारी दिखाई देंगे जो ग्राहकों से बात कर रहे हैं। आपको कुछ और लोग भी दिखाई देंगे जो बैंक के खाते में रूपये जमा कर रहे होंगे या किसी और काउन्टर पर पैसे निकाल रहे होंगे। एक केबिन भी होता है जहाँ पर बैंक के मैनेजर बैठते हैं। यह सभी बैंक अधिकारी क्या करते हैं ?

वाणिज्यिक बैंक

बैंकिंग एक वाणिज्य क्रिया है जहाँ पर जनता का धन धरोहर के रूप में एकत्रित किया जाता है और उसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के खाते में भी स्थानांतरित किया जा सकता है। बैंक व्यापारियों को, उद्योगपतियों को, किसानों को एवं आम व्यक्तियों को भी ऋण प्रदान करता है। ऐसे बैंकों को वाणिज्य बैंक कहते हैं। अब इन दोनों पहलुओं की जाँच करें।

- सुनार की रसीदें मुद्रा का काम करती हैं?
- क्या आप ऐसी परिस्थिति के बारे में सोच सकते हैं जहाँ पर सुनार पर विश्वास टूट जाए।
- आमस्टरडम के व्यापारियों की क्या समस्या थी और उन्होंने उससे निकलने का क्या उपाय खोज निकाला।
- दो शताब्दियों के बाद यह बैंक विलुप्त हो गए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसका क्या कारण है। चर्चा कीजिए।
- आज कागज के नोट पर कौन सा प्रण लिखा होता है पढ़िए। यह प्रण कौन कर रहा है और किसके लिए है? यह प्रण क्यों महत्वपूर्ण है? चर्चा कीजिए।

बैंक में पैसे जमा करना

डिपॉजिट या धरोहर राशि का अर्थ है बैंक में पैसे इकट्ठा करना या रखना। ये धरोहर विभिन्न प्रकार की होती हैं।

बचत राशि या बचत खाता

गीता ने अपने वेतन से रु. 5000 बचाये और वह उसे सुरक्षित रखना चाहती है। वह पास ही के एक स्टेट बैंक आफ हैदराबाद की शाखा में जाती है और अपना बचत खाता खोलती है। उसे उस धन पर थोड़ा ब्याज भी मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अपनी राशि किसी भी समय निकाल सकती है। बैंक ने उससे यह प्रण किया है कि उसके माँगने पर कभी भी वह उसे राशि देगा।

पता कीजिए :

- गीता एटीएम द्वारा अपना धन कैसे निकालेगी ?
- अगर वह बैंक गई तो क्या करेगी ?

हम बैंक में धन की बचत क्यों करते हैं?

- घर पर धन रखने से ब्याज नहीं मिलता है, परन्तु बैंक में रखने से ब्याज मिलता है। बैंक में धन रखने से वह बढ़ता है। आपके विचार में धन कैसे बढ़ता होगा?
- धन बैंक में सुरक्षित रहता है। परन्तु यह आवश्यक है कि अपनी मेहनत से कमाये हुये धन को आप जिस बैंक में जमा कर रहे हैं वह लाइसेंसधारी है या नहीं। किसी भी व्यक्ति को अपने बैंक खाते की जानकारी किसी को भी नहीं देनी चाहिए। हमें अपने बैंक खाते की रक्षा करना आवश्यक है।

बुनियादी बचत बैंक जमा खाता

(Basic Saving Bank Deposit Account) (BSBDA)

इस खाते में मिनिमम बलेन्स की आवश्यकता नहीं है।

हर माह में जमा राशि जमा करने की कोई सीमा नहीं है।

खाताधारी माह में कम से कम धनाहरण (withdrawal) ए.टी.एम. को मिलाकर चार बार कर सकता है।

धन भुगतान व जमा, एलक्ट्रानिक भुगतान भुगतान, चेक आदि द्वारा राशि जमा करना आदि सेवाएँ प्राप्त कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री जन धन योजना:

(Pradhanmantri Jan Dhan Yojana) (PMJDY)

केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना

अगस्त 2014 में प्रारंभ हुई। इसका मुख्य उद्देश्य गरीब जनता को शून्य बलेन्स से बैंकों में खाते खोलने की सुविधा उपलब्ध कराना।

इस योजना के द्वारा सरकार एक लाख रुपये तक जीवन बीमा रुपये कार्ड से ओवर ड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध कर रही है।

छोटे खाते

यदि आप बचत खाता शर्तों से आरंभ करें तो छोटे खाते की सीमा में आते हैं। छोटे खाते के लिए निम्न शर्तें हैं:

- छोटे खाते में साल में एक लाख से अधिक राशि जमा नहीं कर सकते।

- इस खाते में अधिकतम राशि 50,000 रुपये से ज्यादा नहीं रहना चाहिए।

- एक महीने में 10,000 से ज्यादा राशि लेन-देन नहीं कर सकते हैं।

- छोटे खातों का समय 12 महीने तक का होता है। उसके बाद उससे संबंधित दस्तावेज के लिए आवेदन पत्र संलग्न करें तो उसे आगे बढ़ाया जा सकता है।

चालू खाता जमा

अनेक उद्योगपति, दुकानदार, कंपनी एवं व्यापारियों की प्रतिदिन बड़ी मात्रा में कमाई एवं भुगतान होता है। उन्हें बैंक से कई बार वस्तुओं को खरीदने एवं मजदूरों को वेतन



चित्र- 7.2: बैंक काउन्टर

देने के लिए राशि निकालनी पड़ती है। उसी तरह बड़े व्यापारी संस्थाओं को भी प्रतिदिन अपने ग्राहकों से धन मिलता है जो उनकी वस्तुओं का या सेवाओं का क्रय करते हैं। वे उन्हें भी धन चुकाते हैं जो उन्हें प्रतिदिन वस्तुएं पहुंचाते हैं या उनके लिए कोई कार्य करते हैं। ऐसी अनेक आवश्यकताओं के लिए बैंक का एक अलग खाता होता है जिसे चालू खाता (Current Account) कहते हैं। चालू खाते में आप जितना धन चाहे निकाल सकते हैं या डाल सकते हैं। यह सभी लेन-देन की कार्यवाही चेक द्वारा की जा सकती है जिनमें कि बड़ी राशि सँभालने में कोई खतरा न हो। यद्यपि चालू खाते पर कोई ब्याज नहीं देता लेकिन अपनी सेवाओं पर ब्याज लेता है।

सरयु के पिता आवर्ती जमा (Recurring deposit) खाता 5 साल की अवधि के लिए 500 रु. हर महीने की राशि जमा करने हेतु खाता खोला। 5 वर्षों का समय पूरा होने के बाद वह ब्याज प्राप्त करेगा।

उन्हें आवर्ती जमा पर अवधि नियत खाते से कम ब्याज मिलता है।

अवधि नियत खाता

मानस्विनी के दादाजी उसे एक भेंट देना चाहते थे। उन्होंने उसे रु.10,000 का एक अवधि नियत पत्र भेंट किया। “दादाजी ने कहा कि पाँच वर्ष बाद इस जमा राशि में काफी वृद्धि होगी जो इसके कालेज में भर्ती के समय काम आएँगे। ये धन कैसे बढ़ सकता है?

अवधि नियत खाते में जमा राशि को जमा किए गए समय से पहले नहीं निकाल सकते। यह एक वर्ष, दो, पाँच या सात वर्ष का हो सकता है। अवधि नियत जमा राशि पर ब्याज भी अधिक मिलता है। नियत खाता कब लेना चाहिए?

- किसी व्यक्ति को बचत के लिए अवधि नियत खाता कब लेना चाहिए?
- मानस्विनी को पाँच वर्ष बाद अपने अवधि नियत खाते पर कितनी राशि मिलने वाली है अगर ब्याज दर 8% है तो ?
- कल्पना कीजिए कि अगर उसे इस धन की अत्यन्त आवश्यकता हो किसी बीमारी के इलाज के लिए क्या वह अवधि नियत खाते से अपना धन निकाल सकती है? तब क्या होगा?

बचत खाते और चालू खाते में क्या अंतर है?



चित्र- 7.3: बैंक किस प्रकार कार्य करता है

यह व्यवस्था कैसे कार्य करती है?

बैंक में जमा किए गए चेक द्वारा आप दूसरे के खाते में धन स्थानांतरित कर सकते हैं। बैंक की इस सुविधा से जमा राशि मुद्रा का कार्य करती है। बैंक में जमा राशि ही मुद्रा है।

हर शहर और गाँव में सभी बैंकों के प्रतिनिधि प्रतिदिन मिलते हैं और आपस के लेन-देन का कार्य पूरा करते हैं। चेकों की जाँच कर लेने के बाद एक दूसरे को दे देते हैं। एक बैंक क्लियरिंग बैंक का काम करता है जहाँ सभी बैंकों का खाता होता है। सभी बैंकों के भुगतान एवं प्राप्त करने का कार्य यह क्लियरिंग बैंक करता है।


नई पद्धति में सभी बैंक और उनकी शाखाएँ कम्प्यूटर से जुड़ी हैं। सभी जमाकर्ताओं के खाते व हस्ताक्षर इन कम्प्यूटरों द्वारा चेक किए जाते हैं। अब प्रतिनिधियों को आपस में मिलना नहीं पड़ता, न ही बैंकों को अपने चेक अपनी दूसरी शाखाओं को भेजना पड़ता है। एक बैंक से दूसरे बैंक के लेन-देन का कार्य कम्प्यूटरों द्वारा किया जाता है। इससे सारा काम काफी सुलभ और तेजी से हो जाता है।

चेक

आजकल बैंक से जमा राशि निकालने या किसी को धन राशि चुकाने के लिए चेक का प्रयोग अधिक हो रहा है। अगर आपको किसी व्यक्ति को धन देना हो तो पहले आप उस व्यक्ति के नाम पर एक चेक लिखेंगे। अगर आप किसी व्यक्ति को जो किसी और स्थान पर रहता है उसे धन भेजना चाहते हैं तब आप उन्हें चेक भेज सकते हैं। आप अपने चेक का उपयोग धन को दूसरे व्यक्ति के खाते में डालने के लिए विद्युत पद्धति द्वारा भी कर सकते हैं। व्यापार से जहाँ धन अधिकतर प्राप्त होता है या चुकाना पड़ता है चेक लेन-देन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।

नीचे आप चेक कैसे लिखा जाता है इसका उदाहरण देख सकते हैं। सुरेशबाबू का स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद में एक खाता है। उसे रु. 1,75,000 कंचरला सुजाता को देना है। वह एक क्रॉस चेक कंचरला सुजाता के नाम पर देता है।

- अपनी पुस्तक में बैंक चेक का एक चित्र उतारिए जिसमें आपने अपने मित्र को जो आपके पड़ोस में बैठा हो उसे रु. 1,50,000 का चेक दिया हो।
- क्रॉस चेक सुरक्षित क्यों होता है? चर्चा कीजिए।



चित्र- 7.4: चेक का नमूना

- अगर सुरेशबाबू रु.1,75,000 बैंक में विद्युत पद्धति द्वारा कंचरला सुजाता के खाते में जमा करना चाहता है तो वह कैसे करेगा? उसे और किस सूचना की आवश्यकता है? बैंक जाकर पता कीजिए।
- चर्चा कीजिए एवं एक सूची तैयार कीजिए कि लोग विद्युत पद्धति द्वारा बिना चेक का उपयोग किए कैसे पैसों का भुगतान करते हैं।

मांग पत्र (Demand Draft)

श्लोका इंटरमीडियट में प्रवेश लेना चाहती है। उसके लिए उसे डिमांड ड्राफ्ट के साथ आवेदन पत्र अधिकारियों को भेजना था।

कुछ संस्थाओं की सेवाएँ प्राप्त करने के लिए पहले उन संस्थाओं को रकम जमा करनी होती है। अगर आपको मांग पत्र जारी करने के लिए सेवा शुल्क लेती है। बैंकों की सेवाओं में डिमांड ड्राफ्ट एक है। उदाहरण के लिए श्लोका अगर एक हजार रुपये का मांग पत्र लेती है तो रु. तीस उसका सेवा शुल्क होता है। उसे रु. एक हजार तीस देकर मांगपत्र (डी.डी.) लेना पड़ता है। डिमांड ड्राफ्ट का विनिमय शुल्क डिमांड ड्राफ्ट के रकम के

बराबर होता है। बैंक जिस संस्था व व्यक्ति के नाम पर डी.डी. जारी करता है वह तुरंत मुद्रा के रूप में ले सकता है। अगर चेक के रूप में हो तो चेक जारी करने वाले व्यक्ति के खाते में निर्धारित राशि न हो तो बैंक वाले धन (राशि) का भुगतान नहीं करते और वह तिरस्कृत होता है।

- चेक व डी.डी. में क्या अंतर है?
- चेक से ज्यादा डी.डी. क्यों स्वीकार्य होती है?

कम वयस्क व्यक्तियों के बैंक खाते की अनुमति

- Minor Accounts कम वयस्क बालक या बालिका अपने सहज अभिभावक या संवैधानिक अभिभावक के द्वारा बचत खाता/अवधि नियमित खाता/आवर्ती खाता (Recurring) खोल सकते हैं।
- Risk mangement system के अनुसार कम वयस्क 10 वर्ष से अधिक आयु वालों को स्वतंत्रतापूर्वक बचत खाना खोलने के भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनुमति दे दी है।
- अतिरिक्त बैंकिंग सुविधा - जैसे इन्टर्नेट बैंकिंग, ATM/debit कार्ड एवं चेक बुक सुविधा भी दी गई क्योंकि इन खानों में जमा पुंजी को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया जाता है। ओवर ड्रान नहीं किया जाता है।



चित्र 7.5: नमूना मांग पत्र

ऋण :

बैंक एक व्यापारिक संस्था है। उसे अपने खातेदारों को ब्याज देना पड़ता है। अपने कर्मचारियों को वेतन देना, बैंक से संबंधित उपयोगी वस्तुएँ खरीदना, किराया भरना एवं बैंक का चलाने का पूरा खर्च का भार उठाना पड़ता है तथा लाभ भी कमाना पड़ता है। तब बैंक की आय का स्रोत क्या है?

बैंक में धन उसके ग्राहकों द्वारा बचत खाते में डालने पर जमा होता है। जब तक लोगों को विश्वास है कि बैंक उनके किसी भी समय माँगने पर उनकी राशि वापस दे देगा। वे धन वापस लेने की जल्दबाजी नहीं करते। कई लोग महीने के प्रारम्भ में ही धन निकाल लेते हैं। अगर खातेदार एक किसान है तो वह कुछ विशेष ऋतुओं में अपने धन की माँग करेगा। (वर्षा ऋतु) बैंकों को कुछ समय उपरांत पता चल गया कि उन्हें धन के रूप में थोड़ी सी ही राशि खातों में रखनी है ताकि वे माँग एवं भुगतान के समय अपना वचन निभा सके। यह विश्वास तब तक रखा जा सकता है जब तक लोग अपनी बचत खातों से अपने जमा पूँजी निकाल सके या उसे भुगतान के लिए सुरक्षित सके।

दूसरी ओर बैंक लोगों को ऋण भी प्रदान करता है। जिसका भुगतान वे ब्याज के साथ करते हैं। बैंक सरकार को भी ऋण देता है और बदले में कुछ ब्याज पाता है। बैंकों द्वारा प्राप्त इन ऋणों पर का ब्याज ही बैंक की आय का स्रोत है।

- क्या बैंक हर प्रकार के ऋणी पर समान मात्रा में ब्याज की दर निर्धारित करता है?
- अगर कोई ऋणी अपना ऋण वापस न करे तो क्या होगा?
- बैंक डिपोजिट पर देने वाले ब्याज से ऋण पर ब्याज ज्यादा क्यों?

ऋण के प्रकार

बैंक अनेक प्रकार के लोगो को जैसे व्यापारी, उद्योगपति, किसान, कलाकार इत्यादि को ऋण देता है। उनमें से हम कुछ लोगों की जाँच करेंगे।

रहीम एक छोटा सा किसान है जो अपने चार एकड़ की भूमि पर धान उगाता है। उसे उर्वरक खरीदने के लिए कुछ धन की आवश्यकता पड़ी। उसने अपनी कटाई को जमानत के रूप में रखकर बैंक से 10,000 रुपये ऋण पर लिए। एक वर्ष में कटाई बेच कर रहीम ब्याज के साथ ऋण का भुगतान कर देगा।

लीला को एक फ्लैट खरीदना है। वह बैंक से 8 लाख का घरेलू ऋण लेती है। यह ऋण वह अपना फ्लैट गिरवी रख कर ऋण लेती है। उसके वेतन से हर माह एक सुनिश्चित राशि बैंक द्वारा काटी जाती है। उसे अपने पूरे ऋण के भुगतान के बाद ही घर के कागज वापस मिलेंगे।

रोहित एक कर्मचारी है। ऑफिस जाने के लिए दुपहिया लेने के लिए बैंक में दस्तावेज़ बैंक में जमा कर वाहन ऋण चार वर्ष की अवधि के लिए लिया था। वह ईएमआई की सुविधा द्वारा वेतन में से भुगतान किया। बैंक वसूल करने वाले ऋण का ब्याज समय व ऋण के द्वारा काल के अंतराल के अनुसार बदलते हैं।



चित्र- 7.6: SHG सदस्यों की मीटिंग

शांता एसएचजी समूह की एक सदस्य है। उसने बैंक से अपने घर की मरम्मत के लिए कुछ पैसे ऋण के तौर पर ले रखे हैं। उसने जमानत के कुछ भी कागजात बैंक में नहीं रखे। उसके समूह ने यह वचन दिया कि ऋण का भुगतान समूह के सदस्यों द्वारा किया जाएगा।

विभिन्न लोगों के विभिन्न प्रकार के ऋण अपनी मांग के अनुसार कुछ नियम एवं शर्तों द्वारा बैंक से प्राप्त होंगे। शर्तों के अंतर्गत ब्याज दर, जमानत, महत्वपूर्ण कागजात, भुगतान की विधि आदि आते हैं।

- बैंक ऋण देते समय जमानत क्यों मांगता है?
- ऋण लेने का सबसे अच्छा साधन क्या है- बैंक या साहूकार? क्यों ?
- एक एसएचजी ऋण, व्यक्तिगत ऋण से किस तरह भिन्न है?



चित्र 7.7: एक व्यक्ति एटीएम से रुपये निकालते हुए

इंटरनेट बैंकिंग

आज के युग में कम्प्यूटर और इंटरनेट का उपयोग हर स्थान पर हो रहा है। आज अनेक बैंकों से खजांची एवं इतर कर्मचारी का स्थान एटीएम (स्वचालित यंत्रों द्वारा) चलने वाली मशीनों ने ले लिया है। बैंक की सभी क्रियाएँ आज कम्प्यूटर से इंटरनेट द्वारा इतर विद्युत द्वारा उपयोगी संचार की क्रियाओं से हो रहा है। इसे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग कहते हैं। कई बैंक उनके ग्राहकों को आज डेविड कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, फोन बैंकिंग, आदि की सुविधाएँ दे रहे हैं ताकि ग्राहक बैंक से ऑन लाइन सेवा प्राप्त कर सकें।

इंटरनेट बैंकिंग एक ग्राहक के खाते से दूसरे ग्राहक के खाते में स्थानांतरण करने में सहायता करता है। खरीदने एवं बेचने में पूँजी, नियोजन, ऋण का भुगतान करने का निवेदन करने बिजली तथा फोन के बिल का भुगतान करने में सहायता प्रदान करता है।

इंटरनेट बैंकिंग के कारण एक ग्राहक यात्रा में आने वाली बाधाएँ कागजी कार्य एवं दूसरी समस्याओं से बच सकते हैं। सिर्फ एक बटन दबाने से हमें हमारे खाते की जानकारी प्राप्त होती है, मुद्रा का स्थानांतरण हो सकता है। हमारे बिलों का भुगतान भी हो सकता है। काम का भार जिन्हें अधिक होती है वे इंटरनेट बैंकिंग को पसंद करते हैं।

श्रीमान रघु एसबीआई बैंक के सिकंदराबाद की शाखा के खातेदार हैं। उन्होंने आन लाइन बैंकिंग के लिए अपना नाम पंजीकृत किया है। अपने फोन का बिल भरने के लिए श्री रघु एसबीआई वेबसाइट लागू करते हैं। इसके लिए अपना नाम एवं पासवर्ड का मनस्विनी के दादाजी उसे एक भेंट देना चाहते थे। उन्होंने उसे रु. १०,००० का एक अवधि नियत पत्र भेंट दिया किया। दादाजी ने कहा कि पाँच वर्ष बाद इस जमा राशि में काफ़ी वृद्धि होगी जो इसके कॉलेज में भर्ती के समय काम आएँगे। ये धन कैसे बढ़ सकता है?

अवधि नियत खाते में जमा राशि को जमा किए गए समय से पहले नहीं निकल सकते। यह एक वर्ष, दो, पाँच या सात वर्ष का हो सकता है। अवधि नियत जमा राशि पर ब्याज भी अधिक मिलता है।

डिजिटल भुगतान के विकल्प

Digital Payment options

1. निफ्ट (NEFT) National Electronic Fund Transfer निफ्ट से एक व्यक्ति या संस्था अपने खाते में जितना चाहे बदली कर सकता है।

2. आर.टी.जी.एस. (RTGS) Real Time Gross Settlement आर.टी.जी.एस. के द्वारा एक व्यक्ति या संस्था द्वारा कम से कम दो लाख या दो लाख से ज्यादा जितनी भी मुद्रा दूसरे खाते में बदल सकते हैं।

3. आई.एम.पी.एस. (IMPS) Immediate Payment Service तत्काल भुगतान या द्वारा एक व्यक्ति या संस्था दूसरे खाते को चलवाणी (Mobile) या अंतर्जाल बैंकिंग (Inter Banking) या ए.टी.एम. से उसी क्षण बदल सकते हैं। खातेदार इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए अपना चलवाणी नंबर (Mobile No.) बैंक खाते से जोड़ना चाहिए। इस सुविधा को पूरे वर्ष में बैंक के अवकाश के दिनों में भी उपयोग कर सकते हैं।

4. यू.पी.आई. (UPI) United Payment interface एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) के द्वारा मुद्रा बदली करने के लिए मुद्रा प्राप्त व्यक्ति का नाम प्राप्त खाता संख्या और बैंक IFSC Code की जरूरत नहीं है। और उनका आभासी भुगतान पता VPA (Virtual Payment Address) या आधार नंबर की आवश्यकता होती है। इन दोनों में किसी एक द्वारा पूरे मुद्रा की बदली कर

सकते हैं। BHIM (Bharat Interface for Money) इस App के जरिए हम UPI विधा के द्वारा बहुत ही सरल व तुरंत मुद्रा का लेन-देन कर सकते हैं।

5. USSD असंरचित पूरक सेवा डेटा (Unstructured Supplementary Service Data) इसके द्वारा छोटी रकम का लेन-देन मोबाइल बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। यह सुविधा को सभी तरह के मोबाइल द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। यह सुविधा कभी भी किसी के लिए भी उपयोग कर सकते हैं।

6. रुपये कार्ड Rupay Card डेबिट या क्रेडिट कार्ड से नगद का भुगतान कर सकते हैं। भारतीय ग्राहक /खातेदारों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (National Payment Corporation of India) कम खर्च सुरक्षा, सुविधा के लिए रुपये कार्ड को आरंभ किया। प्रधानमंत्री जन धन योजना के हरेक खातेदार भी रुपये कार्ड पाने के योग्य हैं।

उपर्युक्त चार सेवाओं के लिए IFSC Code और Internet (अंतर्जाल) की आवश्यकता है। लेकिन USSD के द्वारा लेन-देन के लिए IFSC Code या अंतर्जाल की आवश्यकता नहीं है।

हरेक बैंक को ग्यारह अंकों वाली विशिष्ट संख्या रखती है। उसमें प्रथम चार वर्ण (Alphabets) बैंक के कोड (Code) और बाकी आंकड़े बैंक की शाखा के Code को सूचित करती है।

मुख्य शब्द

- | | | | |
|-----------------------|---------------------|----------|--------|
| 1. वस्तुविनिमय पद्धति | 2. मुद्रा के प्रकार | 3. धरोहर | 4. बचत |
| 5. ऋण | 6. ब्याज | 7. चेक | |

सीखने में सुधार

1. क्या बैंक में धन राशि रखने में कोई कठिनाई या हानि होती है? सोच कर लिखिए।
2. चेक किस प्रकार धन के विनिमय को सुविधाजनक बनाते हैं?
3. कुछ जमा राशि का कुछ भाग ही बैंक में सुरक्षित रहता है। ऐसा क्यों है और बैंक को इससे क्या लाभ है?
4. अगर बड़ी मात्रा में जमाकर्ता अपनी धनराशि बैंक में न रखना चाहे तो बैंक के कार्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?
5. ऋण के प्रकार इस शीर्षक के नीचे का अनुच्छेद पढ़िए और बताइए कि किस प्रकार के ऋण आपके क्षेत्र में अधिक है?
6. कल्पना कीजिए कि इस वर्ष वर्षा बहुत कम हुई और अनाज की उपज भी जितना सोच रहे थे उससे कम हुई। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे में किसानों से उन्होंने जितना ऋण बैंक से लिया उसकी आधी राशि वसूलनी चाहिए। कुछ और लोग कहते हैं कि उन्हें पूरी ऋण राशि चुकानी चाहिए अगले वर्ष की फसल से। आपके विचार में बैंक को क्या करना चाहिए और क्यों ?
7. लोगों को ऋण पर अधिक मात्रा में ब्याज देना पड़ता है तुलना में उनको मिलने वाले अवधि नियत बचत के ब्याज से । जबकि दोनों की अवधि एक ही है। आपके विचार में ऐसा क्यों है?

क्रियाकलाप

कल्पना कीजिए कि आपको ₹. 2000 की आवश्यकता है? आप चेक लिखकर अपनी बहन को दे देते हैं और उसे बैंक जाकर उस राशि को लाने के लिए कहते हैं ।

चर्चा

अपने इलाके के पोस्टमास्टर/(पोस्टमॉन (डाकिये)) को अपनी कक्षा में बुलाकर विभिन्न बचत योजनाओं के बारे में चर्चा कर पूछताछ कीजिए।

परियोजना

1. बैंक जाइए या किसी बैंक अधिकारी को अपनी पाठशाला बुलाईए तथा पता कीजिए ।
 - a) आपके नाम पर बचत खाता कैसे खोल सकते हैं?
 - b) बैंक द्वारा चेक कैसे पास किए जाते हैं?
 - c) बैंक एनईएफटी का स्थानांतरण कैसे करता है ?
 - d) एटीएम का उपयोग करते समय आपको कौन-से सुरक्षा के उपायों को उपयोग करना चाहिए? कम्प्यूटर क्या चेक करता है?
 - e) चेक के अलावा लोग धन का विनिमय बैंक ड्राफ्ट/आन लाइन द्वारा भी कर सकते हैं। पता कीजिए।
 - f) जिस व्यक्ति को राशि प्राप्त हो रही है उसे चेक से अधिक आन-लाईन लेन-देन में क्या लाभ है?
2. कृपया www.rbi.org.in देखें वित्तीय समावेशन/वित्तीय साक्षरता विषयवस्तु पर पुस्तकें पढ़िए।

आजीविका पर प्रौद्योगिकी का प्रभाव

Impact of Technology on Livelihood

प्रौद्योगिकी के बदलाव

प्रौद्योगिकी को हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं तथा इसका प्रयोग करते हैं। आप जब भी अपने मोबाईल फोन पर बात कर रहे हों, टी.वी. का बटन दबा रहे हो या कम्प्यूटर पर काम कर रहे हों तो आप नवीनतम प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहे हैं। प्रौद्योगिकी ज्ञान का व्यावहारिक अनुप्रयोग है जो हमारी जीविका को नए उत्पाद की ओर या किसी कार्यप्रणाली में सुधार लाता है। अगर आप अपनी पेंसिल की नोक बनाते हैं या रसोई में काटने के लिए विभिन्न उपकरण का प्रयोग या खाना बनाने के लिए अलग-अलग बर्तनों का प्रयोग कर रहे हो तो आप प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं। साधारण उपकरणों से लेकर जटिल यंत्रों का प्रयोग चाहे वह घर या फैक्टरी हो या संचार एवं परिवहन के लिए हो प्रौद्योगिकी या तकनीकी का ही अंश है।

सभी जटिल तंत्र प्रशासन और प्रौद्योगिकी पर विचार कीजिए जो आजकल अंतरिक्ष अन्वेषण कारखानों और परिवहन में प्रयुक्त हो रही हैं। इनका विकास समयोपरि हुआ है। आपने औद्योगिक क्रान्ति के बारे में सुना और पढ़ा होगा कि कैसे 18 वीं और 19 वीं शताब्दी के उत्पादन में तीव्र परिवर्तन हुए।

● औद्योगिक क्रान्ति के अंशदाता कौन ?

स्टीम इंजन ने (फैक्टरी) कारखाना उत्पादन विधियों में बदलाव लाए। तत्पश्चात नयी ऊर्जा स्रोत द्वारा विद्युत कारखानों का उद्भव हुआ। पहली बार उत्पादन के लिए किया गया नये यंत्र या विधि का निर्माण आविष्कार कहलाता है। इन विचारों के व्यावहारिक प्रयोग कई कारकों पर निर्भर होते हैं तथा समय पर लेते हैं। ये प्रौद्योगिकी में प्रभावकारी सुधार, तकनीकी के दर को घटाते तथा उत्पादन की नयी विधियों को अपनाते हैं। नये यंत्र प्रशासन द्वारा तकनीकी विकास या तकनीकी सुधार (ऐक्सरे यंत्र, विद्युत करघों) या प्रयोग में लाई जाने गयी कच्ची सामग्री द्वारा (रबड़ के स्थान पर प्लास्टिक का प्रयोग) या उत्पादन विधियों के पुनर्गठन द्वारा।

भारत में पहली बार कम्प्यूटर के प्रस्तुतीकरण से उदाहरणार्थ: अमेरिका के हेनरी फोर्ड जमांत ने



चित्र 8.1 - महिला बुनकर



चित्र 8.2 (बायाँ) ताड़फल का रस निचोड़ते हुए कोया जाति का एक पुरुष एवं स्त्री, 1940 का चित्र (दायाँ) हैदराबाद में चटाई बुनकर ।

उत्पादन हेतु समयानुक्रम विधि की शुरुआत की जिस से वह कारों का अधिक उत्पादन कर सके। परिणामतः फैक्ट्रियों में व्यापक उत्पादन और उत्पाद में बढोत्तरी हुई । आंतरिक ज्वलन ईजन, नयी सामग्री और रसायनिक उत्पादको, संचार प्रौद्योगिकी संचार प्रौद्योगिकी जैसे रेडियो, कम्प्यूटर, इत्यादि प्रभावकारी प्रयोग के उदाहरण है। तकनीकी परिवर्तन उत्पादों को नये नये उत्पादों, उत्पादन सुविधाओं को नये उत्पादित करने के नये मार्ग प्रशस्त करते हैं । कच्ची सामग्री (जैसे: लोहा, कोयला इत्यादि) पूर्ति करने वालों के लिए का उत्पादन किया जाता है, जिसके द्वारा नये कार्य निर्मित होते हैं । उदाहरण के लिए मोटरकार एवं बसों का निर्माण लोहा तथा इस्पात से होता है, साथ ही चालको, यान्त्रिकों और पेट्रोल स्टेशनों की वृद्धि होती है।

- आपके चारों ओर कम्प्यूटर ने जीवन को कैसे परिवर्तित किया है?
- क्या आप समझते हैं कि प्रौद्योगिकी ने मनोरंजन को परिवर्तित किया है?
- प्रथम स्टीम ईजन की कहानी जानिए कि कैसे इसके द्वारा भारत में रेल सेवाएँ निर्मित की गयी ।
- क्या आपने अपने पड़ोस, नगर या शहर में सौर्य ऊर्जा का प्रयोग होते हुए देखा है? सूची बनाईए। इस ऊर्जा का अधिकतर प्रयोग क्यों नहीं हो रहा है? चर्चा कीजिए।

प्रौद्योगिकी हमेशा स्वीकृत नहीं की जाती। लोग भयभीत रहते हैं कि मशीनों के आगमन से उनकी जीविका छूट जाएगी। उदाहरणार्थ १९ वी शताब्दी में इंग्लैंड के कपड़ा कारीगरों ने विद्युत करघों का जमकर विरोध किया जो उनके स्थान पर नियुक्त किये जा रहे थे। साथ ही कृषि क्षेत्र में फसल काटने वालों की भी यही प्रतिक्रिया थी। लोगों को अपनी जीविका खोने का अनुभव हुआ।

क्या यह सत्य है कि कम्प्यूटर के आगमन से कुछ कार्य छूटेंगे, किंतु अन्य कार्य भी निर्मित होंगे। किसी भी तरह प्रौद्योगिकी का अपना प्रभाव समाज के विभिन्न भागों में विभिन्न तरीकों से होता है। क्या इस समस्या का समाधान है? क्या इससे समग्र लाभ है? इस स्थिति का विश्लेषण करने हेतु हम भारत की तीन विभिन्न परिस्थितियों को जानेंगे।

कृषि में प्रौद्योगिकीय परिवर्तन

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हम खेती परम्परागत ढंग से करते हैं। कृषक धान, गेहूँ, सब्जियाँ, कपास इत्यादि की उपज करते थे। मुख्यतः वे वर्षा पर निर्भर करते थे लेकिन कई क्षेत्रों में जलाशय तथा नदियों के जल द्वारा कार्य होता था। अधिकतर कृषक साल में एक बार ही खेत जोतते थे। खेत जोतने के काम में साधारण उपकरण जैसे लकड़ी से बना हल, हँसिया, फावड़ा और सब्बल का प्रयोग होता था। अगली ऋतु के लिए वे बीजों की भी बचत करते थे। सामान ढोने के लिए, हल जोतने तथा अन्य कृषि प्रचालन के लिए बैलों का प्रयोग हाते था। कृषि उत्पादन मुख्यतः परिवार के उपभोग के लिए तथा कुछ मंडी के लिए होता था।


आजादी के बाद सरकार ने बाँधों का निर्माण किया तथा नलकूपों को प्रोत्साहित करने हेतु सिंचाई की सुविधाएँ उपलब्ध करवायी। पानी निकालने के लिए विद्युत तथा डीजल से चलने वाले पंप सैट का प्रयोग हुआ। देश के कई भागों में सिंचाई के लिए

लगातार पानी उपलब्ध कराया गया। अनुसंधान संस्थाओं से अधिक उपज करने वाले बीज किसानों को उपलब्ध कराए गये। सहकारी समितियाँ और मंडी द्वारा उर्वरक तथा कीटनाशक बेचे जाते थे। नये कृषि जैसे ट्रैक्टर इत्यादि को प्रयोग एवं खरीददारी के लिए प्रोत्साहित किया गया।

प्रौद्योगिकी का प्रभाव

उत्पादन में वृद्धि: कृषि में नवीनतम प्रौद्योगिकी ने अधिक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायता की। फसलों की पैदावार भी अधिक हुई। नीचे दी गयी सारिणी को देखें पिछले चार दशक से भारत में खाद्य पदार्थों जैसे-धान, गेहूँ, दालों में दुगुनी वृद्धि हुई। 1990 और 21 सदी के पहले दशक में किसानों ने 200 मिलियन टन से अधिक खाद्य पदार्थों का उत्पादन प्रति वर्ष किया है।

भारत में खाद्य पदार्थों का वार्षिक उत्पादन	
अवधि	प्रति वर्ष मिलियन टन में उत्पादन
1961-75	101
1976-90	157
1991-2009	229




प्रौद्योगिकी यंत्रों के प्रयोग से उत्पादन प्रक्रिया में भी परिवर्तन हुए। कुछ क्षेत्रों में खेत साल में दो बार जोते जाने लगे जिसके फलस्वरूप मजदूरों की रोजी-रोटी बढी।

कृषि यंत्रों के आरंभ होने के कारण कृषि मजदूर वार्षिक व्यवस्था की अपेक्षा दैनिक वेतन श्रम व्यवस्था को पसंद करने लगे हैं। ताकि अधिक मजदूरी देने वाले किसान के पास काम कर सके लेकिन पक्की रोजी का अभाव था। कृषि प्रचलन के चरम कार्य जैसे पौधे लगाना और धान की कटाई के समय मजदूर अधिक मजदूरी की मांग करते हैं। आज लगभग सभी किसान यंत्रों द्वारा ही काम करना पसंद करते हैं। मजदूरों को थोड़ा-बहुत काम तो मिल ही जाता है लेकिन उनकी परम्परागत कार्य प्रणाली छूट रही है।

पशुओं के उपयोग का पतन :-

कृषि प्रचालन एवं परिवहन में ट्रैक्टरों का इस्तेमाल होने लगा। जुताई, बुवाई, कटाई जैसे कामों में भी लगातार परिवर्तन होते रहे। इस परिवर्तन ने वर्षों से पशु उपयोग का पतन किया जो निम्न सारिणी द्वारा दर्शाया गया है।



बड़े क्षेत्र व खेतों के अभाव में छोटे किसान प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने से वंचित रहे जिसके फलस्वरूप उन्हें दूसरों के खेतों या शहरों में रोजी ढूँढनी पड़ी।

समिश्रित कटाई के कारण बेरोजगारी

धान की कटाई में समिश्रित कटाई यंत्र (Combined Harvester) (CH) महत्वपूर्ण है। यह फसल की कटाई गाहना से लेकर भूसी भी साफ करता है।



चित्र 8.3: समिश्रित कल

मिश्रित काम करने के कारण इसे समिश्रित कटाई कल कहा जाता है।

इस कटाई कल द्वारा समय की बचत होती है। फसल की कटाई के समय भी फसल कम नष्ट होती है। मजदूरों की कमी में भी यह सहयोगी होता है।

यह आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में मौसमी तरंगों से भी रक्षा करते हैं, जिससे किसान दूसरी फसल बो सकते हैं।

समिश्रित कटाई कल की 2003 के एक रिपोर्ट के अनुसार किसान एक एकड़ भूमि पर क्विंटल धान की बचत करते हैं जो हाथ से कटाई करने पर नहीं संभव होता है। समिश्रित कटाई कल के परिचालक एवं किसान इसे किराये पर देकर 1100-से 1400 रू. प्रतिघंटा कमा लेते हैं।

समिश्रित कटाई कल से एक एकड़ भूमि के धान की कटाई 1 घंटे में होती है। अगर ये फसल हाथ से काटी जाती तो इसे काटने के लिए 5 मजदूरों को 4 दिन का समय लगता और 10 मजदूरों के लगने पर यह कार्य दो दिन में हो जाता। मान लीजिए किसी गाँव में 250 कृषि मजदूर हैं और 1000 एकड़ भूमि की कटाई (समिश्रित कटाई कल) से होती है तो प्रतिदिन 18 घंटे और 55 दिन में कार्य पूरा होगा लेकिन 250 लोगों की 80 दिन की रोजगारी का नुकसान होगा।

खेतों में व्यापक यांत्रिकरण से मजदूरों तथा कृषि मजदूरों की अजीविका पर प्रभाव पड़ा। उनके रोजगार के अवसर कम हुए। अगर लोगों को गाँवों में पर्याप्त रोजगारी के अवसर न मिले तो वे कहाँ जाएँगे। गाँवों से बाहर भी रोजगारी की संभावना कम है।

- कृषि उत्पादन में समिश्रित कटाई कल के प्रयोग से क्या लाभ है? ऊपर दिये गये विवरण के आधार पर एक सूची बनाईए।
- समिश्रित कटाई कल के प्रयोग से कई गाँवों में कृषि मजदूर और महिला मजदूर क्यों दुखी थे?
- समिश्रित कटाई कल के प्रयोग से कृषि मजदूरों के कौन-कौन से कार्य छूटे? सूची बनाइए।

- भारत जैसे देश में जहाँ अधिक कृषि मजदूर एवं गरीबी और गाँवों में बेरोजगारी है वहाँ समिश्रित कटाई कल का प्रयोग करना, क्या आप इसे सही समझते हैं।

मशीनों के प्रयोग से कृषि मजदूरों का कार्य स्वरूप भी बदला। कृषि प्रचालन में ट्रैक्टर चलाना, छिड़काव करना, उर्वरक डालना, फसल काटना और गाहना के साथ-साथ छोटे शहरों में इन मशीनों की मरम्मत से जीविका के अवसर तो मिलते हैं किंतु मोटे पैमाने में रोजगारी की भरपाई नहीं होती।

- तर्क के अनुसार गाँवों के संबंध में जलाशय और जलाशय बंध के निर्माण योजनाओं द्वारा जीविका का निर्माण हो सकता है। अगर आप किसी ग्रामीण क्षेत्र के निवासी है तो चर्चा करके पता लगाइए कि इन योजनाओं का निर्माण हो रहा है और क्या इनके द्वारा जीविका की पूर्ति संभव है।



चित्र 8.4: असेम्बली लाईन फोटोग्राफ

प्रौद्योगिकी एवं उद्योग

बुनकर जगतय्या तथा उसका परिवार जो इकत साड़ी बनाता था, कक्षा 7 के पाठ को ज्ञात कीजिए। कपड़ा उद्योग में कपड़ा बनाने की विभिन्न प्रणालियाँ होती हैं। 10 करोड़ जनता आज कपड़ा उद्योग के अलग-अलग विभागों में काम करती है। भारत में कृषि के बाद कपड़े का दूसरा स्थान है।

सूती निर्माणशालाओं का हथकरघा विद्युत करघा उत्पादन और नौकरी पर प्रभाव:

भारत में विद्युत करघों की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी। मशीनों द्वारा कपड़ा तैयार होने के कारण हाथ से बुने हुए कपड़े की माँग घट गयी। यह बहुत वर्षों तक चलता था। छोटे कार्यालयों में विद्युत करघों के प्रचालन से निर्माणशालाओं और कार्यालयों में स्पर्धा हुई।



प्रचालन का क्रम ही एक विद्युत करघा अंग और कपड़ा निर्माणशाला (मिल) का प्रधान अंतर है। एक विशाल मिल या फैक्टरी ही दस या सौ कर्मचारियों को अलग-अलग विभागों में नियुक्त करती है।

विद्युत करघा अंग में कम कर्मचारी होंगे और यह घर या कम स्थान में स्थापित होंगे।

कई मिलों में अच्छी क्वालिटी के कपड़ों का उत्पादन होता है लेकिन विद्युत करघों द्वारा तैयार किया कपड़ा हल्का या औसत होता है। विद्युत करघों में शर्टिंग, सूटिंग, साड़ी, धोती, तौलिए, चादर, शॉल, कम्बल, आदि अलग-अलग प्रकार के कपड़े सूती बलेम्डेड, सिंथेटिक रेशम और ऊन से बनाए जाते हैं।

विद्युत करघों का प्रभाव

1940 में केवल 40,000 विद्युत करघे थे। आज लगभग 5 लाख विद्युत करघा अंग 23 लाख करघों से भारत में चलते हैं। इनमें से 1-8 करघा वाले छोटे अंग हैं। तमिलनाडू, महाराष्ट्र और गुजरात में अधिक विद्युत करघा अंग हैं और आन्ध्र प्रदेश में लगभग 50,000 विद्युत करघों का प्रचालन होता है।



वृत्त आरेखों को देखें। 1980 से कपड़ा उत्पादन वृद्धि में वर्षों से विद्युत करघों का बड़ा अंश रहा है।

आज विद्युत करघों का प्रयोग फैक्टरियों से लेकर घरों और छोटे कारखानों तक पहुँच चुका है। इससे सूती उद्योग में बहुत परिवर्तन हुए हैं। इन विद्युत करघों से लगभग 60 लाख लोगों को नौकरी प्राप्त हुई है।

हथकरघों का पतन

हमें साफ दिख रहा है कि हथकरघों का पतन हुआ है। वर्ष 1988 में 33 लाख करघों का विभिन्न राज्यों में प्रचलन वर्ष 2009-2010 में 24 लाख यूनिट हुआ। नीचे दी गयी सारिणी देखिए कि किस प्रकार दो दशक से करघों का पतन हुआ है। परम्परागत कपड़े तथा डिजाइनों के कारण करघों ने अपना बाजार पा लिया है। सरकार की मदद व आर्थिक सहायता के कारण वह विद्युत करघों से स्पर्धा कर आज भी अपना अस्तित्व बनाए हुए है।

हथकरघा उत्पादन में परिवर्तन		
राज्य	1988	2009
आ.प्र.	5,29,000	1,24,700
गुजरात	24,000	3,900
कर्नाटक	1,03,000	40,500
महाराष्ट्र	80,000	4,500
मध्य प्रदेश	43,000	3,600
पंजाब	22,000	300
तमिलनाडू	5,56,000	1,55,000


आरेख को देखिए जो यह दर्शाता है कि विद्युत करघों से तैयार किया कपड़े हथकरघों से छः गुना ज्यादा है। जो प्रौद्योगिकी तकनीकी का फल है।



चित्र: 8.5 पोचमपल्ली साड़ी को बुनते हुए

यही कारण है कि पिछले पाँच दशकों से विद्युत करघे तेजी से बढ़ रहे हैं।

लेकिन विद्युत करघों में कर्मचारियों को उतना वेतन नहीं मिलता जितना बड़ी मिलों तथा फैक्टरी में मिलता है तथा यह वेतन भी मासिक न होकर नग के दर से होता है।



विद्युत करघा यूनिट को स्वास्थ्य संरक्षण, पेंशन तथा सुरक्षा इत्यादि उपलब्ध कराने में कोई बाध्यता नहीं है। विद्युत आपूर्ति के अभाव में कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जाता है लेकिन मिल में मजदूर संघ निर्मित किए जाते हैं जो व्यापारियों तथा व्यापार संघों से मत लेकर वेतन निर्धारित करते हैं। विद्युत करघा समूहों में व्यापार संघ नहीं होते। वर्ष 2008 में विद्युत करघा समूह की एक रिपोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि जो मजदूर चाहे व स्त्री या पुरुष हो वे खून की कमी, दमे की बिमारी, क्षय रोग, कुपोषण, औरतों में गर्भ संबंधी बिमारियों, आवासों की कमी, बच्चों की पढाई के दर में गिरावट इत्यादि समस्याओं से जूझ रहे थे।

- कपड़ा उत्पादन को 4 श्रेणियों में बाँटा गया है। जैसे निर्माणशाला, हथकरघों _____ और _____.
- 1988 राज्य में ----- सबसे ज्यादा हथकरघे थे. -----
- 2009 में कौन से राज्य में सबसे कम हथकरघे थे?



चित्र : 8.6 भारतीय महिलाएँ रेडियो तथा दायी ओर चीनी महिलाएँ टेलीफोन की मरम्मत करती हुई।

- _____ कर्मचारियों को वेतन देता है लेकिन _____ उनको संख्या के दर से धन देता है।

सेवा क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी परिवर्तन

प्रौद्योगिकी परिवर्तन द्वारा सेवा कार्यों में कुछ बदलाव हुए। कृषि तथा उद्योग इन सेवा कार्यों में सम्मिलित हैं। उदाहरणार्थ अगर सूत का उत्पादन होगा तो कपड़ों की बिक्री करने शहरों में जाने के लिए यातायात की आवश्यकता होती है या विद्युत करघों में कपड़े तैयार करने के लिए सूत पहुँचाने के लिए भी यातायात जैसी सेवाओं की आवश्यकता होती है। वस्तुओं के उत्पादन में इन सेवाओं का प्रत्यक्ष योगदान नहीं है। उदाहरण के लिए हमें शिक्षकों डॉक्टरों और वकीलों, धोबी, मोची, नाई, आदि का भी सहयोग चाहिए। इतना ही नहीं हमें



उन लोगों की सेवाएँ भी जरूरी है जो प्रशासनिक लेखा-जोखा, आय-व्यय, बैंकिंग, इत्यादि के कार्य देखते हैं। आओं अब देखें कि संचार सेवा ने व्यवसाय को तेजी से बढ़ाने में किस प्रकार सहायता की है?


प्रौद्योगिकी परिवर्तन ने सभी के लिए संचार को द्रुत एवं सुलभ बना दिया

दारम विनोद करीमनगर में एक वरिष्ठ व्यापारी है। वे पैंतीस साल से भी अधिक समय से आटोमोबाइल्स (मोटर गाड़ी पुर्जों) की दुकान चला रहे हैं। वे सभी प्रकार के अतिरिक्त पुर्जे बेच रहे हैं। उनके पास भू-लाइन फोन है। अपने नगर के बाहर के व्यक्तियों से बात करने के लिए ट्रंक काल बुक करके उसका उपयोग करते हैं। संपर्क बनाने तक उनको प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। कभी-कभी जिस व्यक्ति से बात करना चाहते थे उनसे संपर्क नहीं हो सकता था। यदि लाइन अथवा मशीन में कोई खराबी हो जाती तो उन्हें उसकी मरम्मत के लिए हफ्तों इंतजार करना पड़ता था।

अब समय बदला। मोबाईल फोन का प्रयोग हो रहा है। वे अब किसी भी व्यक्ति से बात करना चाहते हैं तो तुरंत एवं आसानी से संपर्क होता है। सामान का आदेश देने के लिए, दरों की जानकारी और पहुँच के बारे में वे मोबाईल का उपयोग कर रहे हैं। अब वे अपने व्यापार के विवरण आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अपने परिवार के सदस्यों के कॉल के अतिरिक्त दोस्त और संबंधी, कई

मोटरगाड़ी कारखानों के मालिक उनसे मोबाईल फोन कर संपर्क कर सकते हैं और यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि अमुख पुर्जे उपलब्ध है। अगर उनके पास उपलब्ध नहीं है तो दूसरे दुकान मालिकों से बात करके उनसे प्राप्त करके कारखानों को पहुँचाते हैं। यह उनके नित्य ग्राहकों को बनाए रखने में सहायता करता है। दूर के गाँव और नगरों के कारीगर (मोटरगाड़ी की मरम्मत करने वाले) भी इनसे संपर्क करते हैं। बहुत पहले जब वह सामान हैदराबाद से मँगाने का आदेश देते थे तब यह निश्चित नहीं था कि सामान कितने दिनों में पहुँच सकता है। अब वह आदेशित सामान जिस ट्रांसपोर्ट गाड़ी से आ रहा है उसके चालक से भी संपर्क कर सकते हैं।

क्या तुम जानते हो कि दूरसंचार नेटवर्क विश्व में तीसरे स्थान पर है। आज तक फोन पर किसी भी व्यक्ति से संपर्क करना आसान है। आप भी अपने भू-लाइन फोन या अपने मोबाईल का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन 1990 तक ऐसा नहीं था। सरकार द्वारा दिया गया भू-लाइन फोन उपलब्ध था। समूचे भारत में 2001 में 5 मिलियन से मई 2012 तक 929 मिलियन मोबाईल फोन अंशदाताओं का विकास हुआ।



दूरभाषा प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के कारण संचार सूचना की उपलब्धता दरों में कमी आई है। जब मोबाईल फोन सुविधाये पहली बार प्रवेश हुई 1995-2002 तक फोन काल करने वाले और काल प्राप्त करने वालों को भुगतान करना पड़ता था। मोबाईल फोन के लिए बहुत कम लोग रुचि दिखाते थे। 2003 में यह नीति बदल दी गई, केवल उन्हीं को भुगतान करना पड़ता है जो कॉल करते हैं। 1994 में अगर कोई 500 कि.मी. दूर रहने वाले व्यक्ति से भू-लाइन फोन पर 3मिनट बात करना चाहे तो उन्हें 28 रुपये खर्च करना पड़ता था। 2003 में यह कम होकर रु. 2.40 से रु. 4.80 हो गए।



चित्र 8.7: सोलार अभियंता प्रशिक्षक. इस अध्याय में हमने अनेक महिलाओं को विविध प्रौद्योगिकी से जुड़े देखा है। इनमें से बहुत सी ऐसी हैं जिन्होंने इंजिनियरिंग की पढ़ाई नहीं की है।

- वर्तमान दरों की जानकारी प्राप्त करो और चर्चा करो कि विभिन्न कंपनियों के बीच दरों में अंतर क्यों है और उनमें कमी क्यों हो रही है?

नए कौशल और नए रोजगार

कई निजी कंपनियाँ और सरकारी स्वामित्व की दोनों प्रकार की भू-लाइन और मोबाईल संबंधित

जानकारी उपलब्ध करा रही है। निजी कंपनियाँ दूरसंचार सेवाओं में अपनी भागीदारी को विस्तृत करने में लगी हुई हैं। कई कंपनियों ने भारत में हैंडसेट उत्पादन करना शुरू कर दिया है। यह कंपनियाँ विश्व के 10 से ज्यादा देशों को अब हैंडसेट निर्यात कर रही है। टेलीफोन मोबाईल प्रौद्योगिकी में कई नए कौशलों की आवश्यकता है। इसने बहुल राष्ट्रीय कंपनियों में कार्य करने के लिए युवकों के लिए नए रोजगार उपलब्ध कराए हैं। मोबाईल हैंडसेट का उत्पादन, निर्माण, टेलीफोन बूथ मोबाईल विक्रय, मरम्मत और रिचार्ज, टाप अप दुकानें आदि अनेक अवसर उपलब्ध है।

मूल शब्द

- | | | |
|------------------------|---------------|--------------------|
| 1. प्रौद्योगिकी | 2. आविष्कार | 3. सिंचाई सुविधाएँ |
| 4. उर्वरक और पीड़कनाशी | 5. कृषि कार्य | 6. सेवा गतिविधियाँ |

सीखने में सुधार

- नरहरि ने निम्नलिखित कार्यों की सूची बनाई जहाँ प्रौद्योगिकी का प्रयोग नहीं हुआ है। क्या आप उससे सहमत हैं? या असहमत है?
 - गाना गाते समय
 - इडली बनाते समय
 - मंच पर नाटक करते समय
 - बिक्री के लिए फूल मालाएँ बनाते समय
- विद्युत करघों और मिलों में मजदूर की परिस्थिति कैसे बदली व्याख्या कीजिए ? क्या आप समझते हैं कि इस बदलाव से मालिक और मजदूरों को लाभ हुआ ? अपने उत्तर के लिए कारण बताईए।
- संयुक्त हार्वेस्टर के प्रयोग से क्या लाभ हो ? इससे कौन लाभान्वित होते हैं ? किसान संयुक्त हार्वेस्टर का क्यों प्रयोग करते हैं ?
- तकनीकी का परिवर्तन कीजिए और नौकरी के लिए परिवर्तन कीजिए । क्या आप इस उक्ति से सहमत है ? क्यों ?
- प्रभावती यह अनुभव करती है और स्वीकारती है कि दूरभाष प्रौद्योगिकी में परिवर्तन हुआ है। उसका मानना है कि केवल पढ़े-लिखे लोगों के लिए ही नौकरियाँ उपलब्ध है। वह यह भी मानती है कि भारत में अधिक लोग शिक्षित नहीं है और प्रौद्योगिकी मुख्य रूप से शिक्षा पर निर्भर करता है। क्या आप प्रभावती से सहमत हैं ? कारण बताइए ।
- इस पाठ में प्रौद्योगिकी 3 क्षेत्रों की चर्चा हुई है। दी गयी सारिणी में क्षेत्रों के लिए उदाहरण खोजिए जिसकी चर्चा यहाँ नहीं हुई है।

क्र. सं.	क्षेत्र	नयी प्रौद्योगिकी	नयी प्रौद्योगिकी	जीविका पर प्रभाव/उत्पादन की मात्रा/ मानव प्रयासों में उतार-चढ़ाव
1	कृषि			
2	उद्योग			
3	सेवा			

- नये कौशल और नये व्यवसाय शीर्षक के आधार पर गद्यांश पढ़िये। नवयुवकों के लिए आपके क्षेत्र में कौन से नये व्यवसाय निर्मित किए गए हैं ?
- निम्नलिखित को संसार के मानचित्र में खोजिए ।
A) इंग्लैंड B) संयुक्त राष्ट्र अमेरिका C) भारत
- वन या वन के समीप रहने वाले नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। इनके अच्छे जीवन स्तर और जीविका के लिए आप कौन से सुझाव देंगे ।

परियोजना

श्रीपुरम गाँव में मलया एक किसान है। इस गाँव में 100 घर है। आज सारा काम जैसे रोपण, छटाई, कटाई, उर्वरक और कीटनाशक का छिड़काव मशीनों द्वारा किया जाता है। प्राचीन काल यह सब काम हाथों से किए जाते थे। गाँव में 33 ट्रैक्टर और 15 कटाई कल है। इनमें से कुछ किराये पर दिए जाते है। इन ट्रैक्टरों के मालिक 300 रूपये प्रति घंटा खेत की जुताई के लिए पैसे लेते हैं। आज अधिक किसान मशीनों का प्रयोग कर रहे हैं। इस सूचना के आधार पर एक दीवार पत्रिका पर चित्र निरूपण कर गाँव के दो अलग दलों की चर्चा कीजिए ।

सार्वजनिक स्वास्थ्य और सरकार Public Health and the Government

देश के नागरिक होने के नाते आप सरकार से यह अपेक्षा करते हैं कि वह लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं पर ध्यान दे। स्वच्छ पीने का पानी, उचित मल निकासी, भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएँ सभी के लिए आवश्यक हैं। कोई भी छूट न पाए, अमीर या गरीब पर निर्भर न हो। जब हम सभी नागरिकों को समान मानते हैं तो हर स्थिति में सभी को ये मौलिक सुविधाएँ मिलनी चाहिए। इस अध्याय में, स्वास्थ्य में पतन अध्ययन द्वारा हम यह जाँच करेंगे कि संविधान के नियम हमारे देश में किस हद तक संतुष्टि दे सकते हैं।

ज्ञात कीजिए।

- मलेरिया रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाएं?
- डॉक्टरों के ग्रामीण प्रांतों में सेवा कार्य न करने के कारण क्या है?
- क्या आपके पाठशाला में पीने का पानी शुद्ध है?
- बच्चों को आँगनवाड़ी में क्यों भोजन खिलाया जाता है? क्या आपके क्षेत्र में आँगनवाड़ी के बच्चे आवश्यक आहार प्राप्त कर पाते हैं?

स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अनेक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, निदान घर, आपातकालीन वाहन सेवा (एंबुलेंस), रक्त केंद्र, आदि इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें योग्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता, परिचारिका (नर्स), डॉक्टर, प्रयोगशाला तकनीशियन आदि की आवश्यकता है, जो अभी भी इतना सरल कार्य नहीं है। इस कारण रोगों को फैलने से रोकने, उपजने, उनके अध्ययन व निवारण में कठिनाइयाँ आ रही हैं। हमें दवाइयों, उन्हें बनाने वाले और चिकित्सा संबंधी अन्य उपकरणों की भी आवश्यकता है, जिनसे रोगियों का इलाज ठीक एवं प्रभावी ढंग से किया जा सके। बिमारियों को रोकने उनके निर्मूलन हेतु अनेक टीकाकरण कार्यक्रम भी चलाये जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ-साथ हमें कुपोषण से बचने की आवश्यकता है। इसके लिए पौष्टिक एवं संतुलित भोजन, स्वच्छ जल, साफ-सफाई की आवश्यकता

है। साथ ही हम यह भी ध्यान रखें कि पर्यावरण भी शुद्ध रहे।

हमारे देश में डॉक्टरों, अस्पतालों और कर्मचारियों की कमी नहीं है। हमारा देश भी इस प्रकार की सेवाएँ उपलब्ध कराने में आगे है। यहाँ अनेक स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम भी चलाये जा रहे हैं। सरकार द्वारा चलाए जा रहे इन कार्यक्रमों व सेवाओं का लाभ देश में लाखों लोग उठा रहे हैं। किंतु फिर भी हमारे देश में चिकित्सा संबंधी सुविधाओं, अनुसंधानों एवं सेवाओं को विकसित करने की विशेष आवश्यकता है।

भारत विश्व भर में दवाइयों का उत्पादन करने वाले देशों में चौथे स्थान पर है। भारत में विश्व के सभी देशों की तुलना में सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज हैं। भारत में लगभग 15,000 छात्र प्रतिवर्ष डॉक्टरी की परीक्षा पास करते हैं। इनके द्वारा भी स्वास्थ्य कार्यक्रम सालभर चलाये जाते रहते हैं। सन् 1950 में भारत में केवल 2717 अस्पताल थे। सन् 1991 में इनकी संख्या 11,174 हो गई। सन् 2000 में भारत में अस्पतालों की संख्या 18,218 थी।

लेकिन आज भी कुछ लोगों को ही देश में चिकित्सा संबंधी सुविधाओं का लाभ मिल पाता है। बहुत सारे लोगों को तो स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाएँ भी नहीं मिल पातीं। ये सुविधाएँ देश के सभी लोगों तक पहुँच सकें ऐसा प्रयास जारी है। हमारे पास धन, ज्ञान और अनुभव सभी हैं जिनसे हम विपरीत परिस्थितियों को बदल सकते हैं। यह कैसे किया जा सकता है? इस अध्याय में चर्चा की जायेगी।

स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ

करीमनगर के एक विद्यालय में किरण और सरिता सहपाठी हैं। वे दोनों घनिष्ठ मित्र हैं। सरिता एक धनी परिवार के आयी है जबकि किरण के माता-पिता को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संघर्ष करना पड़ता है। वर्षाऋतु समाप्त ही हुई थी कि वायरल बुखार फैल गया था। एक ही समय में दोनों अस्वस्थ हो गये थे। जब वे विद्यालय वापस आये दोनों ने अपनी बीमारी के बारे में बातचीत की।

जैसे ही सरिता बीमार हुई, उसके पिताजी उसे घर के पास ही एक निजी अस्पताल ले गये जो कुछ ही समय पहले नया बना था। वह बहुत विशाल और प्रभावकारी इमारत थी। पंजीकरण काउंटर पर सरिता के पिताजी ने 100 रु.भरे। उन्हें एक कार्ड दिया गया और प्रतीक्षा करने के लिए कहा गया।

जल्दी ही, डॉक्टर ने उसे देखा और अनेक रक्त परीक्षणों और छाती के एक्स-रे की सलाह दी।

वे निर्धारित काउंटरों पर गये। हर चीज बड़ी आसान और आरामदायक थी।

जब वे डॉक्टर के पास आये तो उसने उन्हें बुखार के लिए दवाईयाँ लिख कर दी और दूसरे दिन जाँच रिपोर्टों के साथ आने की लिए कहा। दूसरे दिन, डॉक्टर ने जाँच रिपोर्ट देखी और कहा कि सब कुछ



ठीक-ठाक है। उसका मानना था कि सरिता को वायरल इंफेक्शन है और उसके लिए परेशानी की कोई बात नहीं है। उसने कई दवाईयाँ लिख कर दी। तीन दिनों के बाद वह पहले से अच्छी हो गई और स्कूल वापस आ गई।

किरण को भी बुखार और बदन दर्द था। उसके पिताजी अपने काम से समय नहीं निकाल पाये और वे दो दिनों के बाद पास ही के सरकारी अस्पताल गये। उस दिन वे कुछ जल्दी चले गये थे फिर भी वहाँ लंबी कतार थी। किरण बहुत कमजोर था और खड़ा नहीं हो पा रहा था किन्तु उसके सामने कोई विकल्प नहीं था। अंत में

तीन घंटों की प्रतीक्षा के बाद वे डॉक्टर से मिले।

किरण की जाँच करने के बाद डॉक्टर ने उन्हें रक्त परीक्षण करवाने के लिए कहा। रक्त परीक्षण के लिए और दो घंटे लगे।

रिपोर्ट के लिए उन्हें दूसरे दिन आने को कहा गया।

प्रतीक्षा की वह प्रक्रिया

फिर दुहराई गयी। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी और कहा कि शहर में दूसरे अन्य लोगों के समान किरण को भी वायरल बुखार है। उसने किरण को कुछ साधारण दवाईयाँ लिखकर दी और उसे तरल पदार्थ लेने तथा आराम करने की सलाह दी। किरण को ठीक होने और स्कूल आने में एक सप्ताह लग गया।

सरिता को किरण के लिए बहुत खेद हुआ कि उसे चिकित्सा के लिए इतने कष्ट उठाने पड़े। आधुनिक निजी अस्पताल में जाने के लिए उसने स्वयं को भाग्यशाली माना, क्योंकि वहाँ हर चीज आसान और आरामदायक थी। जब किरण ने उनसे पूछा कि उन्होंने कितना खर्च किया तो उसने

बताया कि - अस्पताल के खर्चों और दवाईयों के लिए 3,500 रु. खर्च हुए। किरण ने कहा “हमने केवल 100 रु. खर्च किये।”

- सरिता को इतने पैसे क्यों खर्च करने पड़े? कारण बताइए।
- सरकारी अस्पताल में किरण को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा।
- निजी अस्पताल में हम किन समस्याओं का सामना करते हैं? चर्चा कीजिए।
- जब हम अस्वस्थ होते हैं तो कहाँ जाते हैं? क्या वहाँ आपको कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है? आपके अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए।

उपर्युक्त कहानी से आप यह समझ गये होंगे कि स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को हम दो वर्गों में बाँट सकते हैं। (अ) सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएँ और (आ) निजी स्वास्थ्य सेवाएँ।

सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएँ

सरकार द्वारा चलाये जाने वाले स्वास्थ्य केन्द्रों और अस्पतालों की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएँ वह पद्धति है जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में साधारण से लेकर विशेष बिमारियों के लिए चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करवायी जाती है। गाँव स्तर पर एक स्वयं सेवक होता है, जिसे आशा सेवक कहा जाता है। वह लोगों को स्वास्थ्य सेवाएँ प्राप्त करने में मदद करता है। गाँवों में आँगनवाड़ी केन्द्र छोटे बच्चों को पोषण देने और संक्रमण से छुटकारा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चों के वजन की जाँच भी यह देखने के लिए की जाती है कि वे अपनी आयु के अनुसार बढ रहे हैं या नहीं। उपकेन्द्र 5000 तक की जनसंख्या को घेरते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों के एक या अधिक गाँवों की हो

सकती है। इन केन्द्रों में बहुउद्देशीय स्वास्थ्य सहायक स्त्री या पुरुष होते हैं। इन्हें साधारण बिमारियों से जूझने, बच्चों को संक्रमण से छुटकारा दिलाने, गर्भवती महिलाओं की देखभाल करने, अतिसार और मलेरिया से बचाव के लिए कदम उठाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। ये केन्द्र मंडल स्तर पर स्थित प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों के पर्यवेक्षण के अधीन काम करते हैं। प्रत्येक प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र के अंतर्गत 30,000 की जनसंख्या होती है। (मोटे तौर पर पाँच उपकेन्द्र क्षेत्र) प्रत्येक 4 से 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र होता है। जिसमें 30 पलंग का अस्पताल और कुछ विशेषज्ञ होते हैं। इस स्तर पर कुछ शल्य चिकित्साएँ (सर्जरी) की जाती है। डिविजनल स्तर पर एक एरिया अस्पताल होता है। बड़े शहरों में अनेक सरकारी अस्पताल होते हैं। ऐसे ही एक अस्पताल में किरण को ले जाया गया था।

इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएँ कहने के कई कारण हैं। अपने द्वारा जनता की स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए दिये गये आश्वासन को पूरा करने के लिए सरकार ने इन अस्पतालों और स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की है और इन सेवाओं को चलाने के लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता



चित्र-9.1: प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र

होती है, उन्हें जनता द्वारा टैक्स के रूप में दिये गये पैसों से प्राप्त किया जाता है। जन स्वास्थ्य पद्धति का एक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि इसका निर्माण निशुल्क या कम खर्च में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना है ताकि निर्धन लोग भी उपचार करवा सके। इसका अन्य टी.बी., मलेरिया, पीलिया, हैजा, अतिसार, चिकनगुनिया जैसी बिमारियों की रोकथाम करना है। इसे प्रभावकारी बनाने के लिए इसमें परिवार के साथ-साथ लोगों की भागीदारी अनिवार्य होती है। उदाहरण स्वरूप यदि मच्छर की



चित्र 9.2: निजी अस्पताल

रोकथाम के लिए प्रचार में कहा जा रहा है कि मच्छरों को कूलर या छत पर जमे पानी में न पनपने दें तो यह तभी संभव हो सकता है जब उस क्षेत्र के सभी घरों के लोग इसमें भाग लें। गाँवों में प्रत्येक को इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि पानी को नलों या हैंडपंप के पास जमने न दें, क्योंकि जमे हुए पानी में मच्छर पनपते हैं।

- जन स्वास्थ्य व्यवस्था के एक भाग के रूप में हर गाँव में क्या उपलब्ध होना चाहिए।

निजी स्वास्थ्य सेवाएँ

हमारे देश में निजी स्वास्थ्य सेवाएँ व्यापक रूप में फैली हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में हमें पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी मिलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अप्रशिक्षित चिकित्सा व्यक्ति भी होते हैं जो स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध करवाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी

संख्या में डॉक्टर होते हैं जो अपने निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम में विशेष सेवाएँ प्रदान करते हैं। इन क्षेत्रों में अनेक निजी प्रयोगशालाएँ होती हैं जिनमें रक्त, मूत्र, मल, आदि का परीक्षण किया जाता है, साथ ही एक्स-रे और अल्ट्रा साउंड की सुविधा भी होती है। यहाँ बड़ी कंपनियाँ ही होती हैं, जो अस्पताल चलाती हैं और दवाईयों का उत्पादन और विक्रय करती हैं। दवाईयों की दुकाने देश के दूर कोनों में मिलती हैं।

नाम के अनुरूप ही, निजी स्वास्थ्य सेवाएँ सरकार द्वारा नहीं चलायी जाती हैं। इसमें बीमार व्यक्ति को बहुत अधिक धन खर्च करना पड़ता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं से भिन्न रोगियों को अपने द्वारा उपयोग में लायी गयी प्रत्येक सेवा के लिए बहुत धन चुकाना पड़ता है। सरकार द्वारा जमा किये गये टैक्सों से सार्वजनिक और सरकारी सेवाएँ वित्तपोषित की जाती हैं। इसी कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में लोगों के द्वारा किया गया खर्च कम होता है। अधिकतर निजी स्वास्थ्य देखभाल के मामले में वास्तविक 'कीमत' और 'लाभ' गणना में लिये जाते हैं और सामान्यतः फीर अधिकतर अधिक होती है।

- निजी स्वास्थ्य सेवाओं के कई अर्थ हो सकते हैं। अपने क्षेत्र का हाल कुछ उदाहरणों द्वारा समझाइए।
- ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अप्रशिक्षित व्यवसायियों के पास क्यों जाते होंगे जबकि उन्हें पता होता है कि वे उचित रूप से प्रशिक्षित नहीं हैं। चर्चा के समय निम्न बातों पर ध्यान दीजिए। प्रशिक्षित डॉक्टर गाँवों में काम करना नहीं चाहते, लोगों को इंजेक्शन में विश्वास होता है, वे उधार में उपचार करते हैं, भुगतान के रूप में अन्न और चिकन स्वीकार करते हैं।

स्वास्थ्य इंशोरेन्स :-

कुछ संक्रामक रोगों की दवाईयाँ साधारण लोगों के लिए महँगी होती है। यदि लोगों को स्वास्थ्य बीमा मिल जाए तो उन्हें अच्छी सुविधा मिलेगी और बीमा एजेन्सी उनकी मदद करेगी। बाजार में कई निजी एवं सार्वजनिक बीमा कम्पनियाँ उपलब्ध हैं।

स्वास्थ्य देखरेख और समानता

भारत में सार्वजनिक सेवाओं की अपेक्षा निजी सेवाएँ तेजी से बढ़ रही हैं। निजी सेवाएँ मुख्य रूप से शहरी इलाकों में होती हैं। क्योंकि ये सेवाएँ लाभ के लिए काम करती हैं, इसलिए इनका मूल्य अधिक होता है।

लेकिन निजी सेवाओं में '108', '104' से परिस्थितियों में सुधार हो रहा है। 108 की सेवा आपातकालीन परिस्थिति में फोन करते ही आकर प्रथम चिकित्सा देने के साथ-साथ व मरीजों को चिकित्सा के लिए नजदीकी अस्पताल तक पहुँचाती है। 104 वाहन व स्वास्थ्य सहायक 108 में स्वास्थ्य सेवक औषधियों के साथ आकर हरेक महीने जाँच करते हैं। और मुफ्त में दवाईयाँ देते हैं।

वास्तव में 20% लोग ही बीमारी के समय आवश्यक दवाईयों को खरीद पाते हैं। जो लोग गरीब नहीं हैं उन्हें भी चिकित्सा का व्यय कठिन लगता है। एक अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि 40% लोग जो अस्पताल में बीमारी या चोट लगने से भर्ती होते हैं। उन्हें या तो कर्ज लेना पड़ता है या खर्च के लिए अपनी चीजें बेचनी पड़ती है।

जो लोग बहुत गरीब होते हैं, उनके लिए बीमारी चिंता और तनाव का कारण बन जाती है। ऐसी परिस्थितियाँ बार-बार उत्पन्न होती हैं क्योंकि गरीबों के पास मूलभूत आवश्यकताएँ जैसे: पीने का पानी, घर, स्वच्छ परिसर, आदि की कमी होती है। इसीलिए उनके बीमार होने की संभावना

अधिक होती है।

ये परिवार आवश्यकता से कम खाते हैं इसीलिए कुपोषण का शिकार होते हैं। बीमारी का खर्च उनकी स्थिति को और खराब कर देता है और उन्हें अपनी चीजें भी बेचनी पड़ती है। एक व्यक्ति को अस्पताल ले जाना या उसे अस्पताल में भर्ती कराने का अर्थ है दूसरे व्यक्ति की एक दिन या अधिक दिनों की मजदूरी का नुकसान।

मूलभूत सार्वजनिक सुविधाएँ

जल हमारे जीवन और उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। हमारी प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जल अनिवार्य होते हैं। स्वच्छ पीने का पानी जल संबंधी बीमारियों की रोकथाम करता है। भारत में अतिसार, आँव और हैजे जैसी बीमारियों की रोकथाम करता है। 1600 भारतीय, उनमें से 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रतिदिन जल संबंधी रोगों के कारण मृत्यु हो जाती है। यदि स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध हो तो मृत्यु को रोका जा सकता है।

पानी के समान ही कुछ अन्य सुविधाएँ भी सभी के लिए उपलब्ध करवाना आवश्यक होता है। स्वास्थ्य देखभाल, स्वास्थ्य शिक्षा, बिजली, सार्वजनिक परिवहन, पाठशाला भी अनिवार्य सेवाएँ हैं। इन्हें सार्वजनिक सुविधाएँ कहा जाता है।

सार्वजनिक सुविधाओं के एक महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि जब ये उपलब्ध करवाई जाती हैं तो इससे अनेक लोग लाभान्वित होते हैं। एक पाठशाला में अनेक बच्चे शिक्षित होते हैं। एक क्षेत्र में होने वाली बिजली की आपूर्ति कई लोगों को लाभ मिलता है। जैसे: अपने खेतों में सिंचाई के लिए किसान पंपसेट चला सकते हैं, लोग बिजली से चलने वाले छोटे कारखाने खोल सकते हैं और विद्यार्थियों को पढ़ने

में आसानी होती है। इस प्रकार बहुत लोगों को किसी न किसी तरह से लाभ होता है।

सरकार की भूमिका

सार्वजनिक सेवाओं की महत्ता का पता चलने के बाद किसी एक को इसे जनता तक पहुँचाने की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। यह किसी एक सरकार की होती है। ये सुविधाएँ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचे, यह देखना सरकार का महत्वपूर्ण कार्य होता है। चलिए हम यह जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार को यह जिम्मेदारी क्यों उठानी पड़ी?

हमने देखा कि निजी कंपनियाँ बाजार में लाभ अर्जित करने के लिए होती हैं। अधिकांश सार्वजनिक सुविधाओं से कोई लाभ नहीं मिलता। उदाहरण के लिए एक कंपनी को नालियों की सफाई या मलेरिया के प्रतिरोध में प्रचार करने से क्या लाभ होगा? निजी कंपनियाँ कभी भी ऐसे कार्य करने में रुचि नहीं दिखलाती हैं। किन्तु दूसरी ओर वे अन्य सार्वजनिक सुविधाएँ जैसे स्कूल और अस्पताल चलाने में रुचि दिखलाती हैं। मुख्य रूप से बड़े शहरों में निजी कंपनियाँ सीलबंद बोतलों में पीने के पानी की आपूर्ति करती हैं। इन विषयों में निजी कंपनियाँ सुविधाएँ देती हैं किन्तु उसके दाम भी लेती हैं, जिसे केवल कुछ लोग ही वहन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इन सुविधाओं को खरीद नहीं पाते हैं। वे एक सभ्य जीवन जीने के अवसर से वंचित रह जाते हैं। यह इस संवैधानिक प्रतिज्ञा के विरुद्ध हो जाता है जिसमें प्रत्येक को सभ्य जीवन जीने के समान अवसर देने की बात कही गयी है।

सार्वजनिक सुविधाएँ लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित होती है। हर समाज को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के

लिए इन सुविधाओं की आवश्यकता होती है। संविधान में जीवन का अधिकार सभी लोगों को दिया गया है। इसीलिए सार्वजनिक सुविधाएँ देने की जिम्मेदारी सरकार की ही है। तुलना करने पर पता चलता है कि सरकार जो खर्च स्वास्थ्य पर करती है वह सशस्त्र सेना पर किए जाने वाले खर्च से बहुत कम है। भारत उन देशों में से एक है जहाँ लोग एक बड़ी धनराशि स्वास्थ्य की देखभाल के लिए अपनी जेब से खर्च करते हैं। स्वास्थ्य संबंधी खर्च भी लोगों के कर्ज में डूबने का एक कारण है, जिसे वे चुका नहीं पाते हैं।


- उन वाक्यों को रेखांकित कीजिए जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और सरकार से अपेक्षाओं के बीच संबंध को दर्शाते हैं ?

केन्द्र और राज्य सरकारें दोनों भी सार्वजनिक सुविधाओं के लिए उत्तरदायी हैं। नीचे दिये गये चित्र में आप पहचान सकते हैं कि किस प्रकार केन्द्र सरकार के संस्थान कार्य करते हैं।

तेलंगाणा और आन्ध्र प्रदेश में पोषण की स्थिति

पर्याप्त भोजन, स्वच्छ पीने का पानी, उचित निकासी और बिमारियों की रोकथाम के उपाय स्वस्थ सजीव पर्यावरण के आधार हैं। स्वास्थ्य देखरेख का अर्थ केवल बिमारियों का उपचार नहीं है बल्कि इन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी है। क्या हम यह करने में समर्थ हैं? चलिए हम स्थिति की जाँच करते हैं। हाल ही में हुए अध्ययन यह बताते हैं कि हमारे देश में लोगों का पोषण स्तर बहुत कम है। जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग कुपोषण का शिकार है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में सबके लिए भोजन ने उपलब्ध हो ने पर भी इस स्थिति को होना लज्जास्पद है। इन लोगों के पास अपने परिवार के लिए पर्याप्त भोजन खरीदने की क्षमता नहीं होती है। देश भर में हुए अध्ययन से हम इस गंभीर स्थिति को समझ सकते हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय



हम सभी को स्वस्थ रहने, कार्य करने की शक्ति प्राप्त करने और स्वयं को संक्रमण से बचाने के लिए चर्बी की आवश्यकता होती है। लोग जो कुपोषण के शिकार हैं या जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है, वे सामान्य क्रियाकलापों के लिए भी अपने भोजन से चर्बी का निर्माण नहीं कर पाते हैं। वे बिमार नहीं हैं किन्तु जल्दी ही कमजोरी अनुभव करते हैं, थक जाते हैं और आसानी से बिमार पड़ जाते हैं। विशेष दवाईयों से नहीं बल्कि पर्याप्त भोजन से इस स्थिति से उभर सकते हैं। यह अदृश्य अनशन की स्थिति होती है। उन्हें भोजन तो मिलता है किन्तु आवश्यकता से कम, इसीलिए उनका अनशन दिखाई नहीं देता है (पृष्ठ 198 पर शरीर द्रव्यमान अनुक्रमणिका से संबंधित बॉक्स पढ़िए ।)

चलिए आंध्र प्रदेश मानव विकास रिपोर्ट 2007 (तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए) से स्थिति की समीक्षा करते हैं जो बताती है कि- भूख से मुक्ति और बहुपोषण मानव और राष्ट्रीय विकास के लिए आधारभूत मानव अधिकार और मौलिक पूर्वांकक्षा है। बेहतर पोषण का अर्थ है- शक्तिशाली स्वास्थ्य।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विकासशील देशों में 2 में से 1 की मृत्यु (53 प्रतिशत) के साथ पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में संक्रामक बिमारियों कुपोषण के कारण होती है। आंध्र प्रदेश में 5 वर्ष से कम उम्र के 33 प्रतिशत बच्चों का वजन बहुत कम है। लगभग 31 प्रतिशत महिलाएँ और 25 प्रतिशत पुरुष कुपोषण का शिकार हैं ।

क्या किया जा सकता है ?

(4 और 5 छात्रों के समूह द्वारा काम किया जा सकता है। हर समूह को प्रस्तुतीकरण करके परिणामों को देना होगा)

- अपने गाँव या शहर में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में संक्षेप में लिखिए। जब आपके पड़ोस के लोग सरकारी अस्पताल जाते हैं तो उन्हें किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है ?
- निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों की अधिकांश स्वास्थ्य सेवाएँ शहरी इलाकों में स्थित हैं। 2003 में चुने हुए क्षेत्रों में किये गये सर्वेक्षण

अध्ययन से पता चलता है कि योग्यता प्राप्त निजी डॉक्टर (79 प्रतिशत) शहरी इलाकों में है। ग्रामीण क्षेत्रों में आधिकारिक रूप से डॉक्टरों की नियुक्ति करने के बावजूद भी उनकी उपस्थिति नहीं के बराबर है जबकि यहाँ उनकी उपलब्धता अति आवश्यक है। इस स्थिति के कारणों की चर्चा कीजिए। अपने क्षेत्रों के लोगों से इस समस्या और इसके समाधान के बारे में बातचीत कीजिए।

- निम्न प्रश्नों के द्वारा अपने क्षेत्र के बच्चों (पाँच घरों के 2 वर्ष से कम उम्र के) इम्युनाइजेशन पर छोटा सर्वे कीजिए ।
 - a. क्या आपके बच्चे का टीकाकरण कार्ड है?
 - b. क्या आपके बच्चे का बायी बाँह पर टीका लगा है और उस पर टीके का निशान है? (यदि आप देख सकते हैं तो देखिए)
 - c. क्या आपके बच्चे ने कूल्हे पर टीका लिया है?
 - d. क्या आपके बच्चे ने पोलियो की बूँदें ली है। कितनी बार ।
 - e. क्या आपके बच्चे में 9 मास की आयु में जाँच पर टीका लिया है? क्या उसने एक चम्मच दवा भी पी है?
 - f. 18 मास की आयु में क्या आपके बच्चे को कोई टीका लगा है? (यदि बच्चा इस उम्र से बड़ा है तो)? क्या उसे कोई दवा भी पिलायी गई थी?

हर प्रश्न के लिए हाँ/नहीं में उत्तर दीजिए। जरूरत के अनुसार खुराक की संख्या लिखिए। जो प्रश्न संगत नहीं है उसके सामने 'असंगत' लिखिए। उदाहरण के रूप में प्रश्न-ऊ. 1 साल के बच्चे के लिए असंगत होगा। जिन प्रश्नों के उत्तर नहीं जानते है, उनके सामने नहीं जानते हैं लिखना चाहिए। परिणामों की चर्चा कीजिए ।

टिप्पणी :

टी.बी.की रोकथाम के लिए दिये जाने वाला बी.सी.जी का टीका बायी बाँह पर लगाया जाता है। डी.पी.टी. (तीन रोगों की रोकथाम के लिए) कूल्हें या जाँघ पर दिया जाता है। इसके साथ ही मुँह में पोलियो की बूँदें दिलायी जाती है। अधिकतर यह 1.5, 2.5 और 3.5 माह की आयु में तीन खुराकों में दिया जाता है। कभी-कभी देर भी हो सकती है।

खसरे का टीका जाँघ के सामने के हिस्से में 9 माह की आयु में दिया जाता है। साथ ही 1 मि.ली. विटामिन ए भी मुँह से दिया जाता है।

18 माह की आयु में डी.टी.टी. और ओ.पी.वी. की बुस्टर खुराक दी जाती है। साथ ही 2 मि.ली. विटामिन ए भी दिया जाता है। (इस बार 1 मि.ली. के स्थान पर 2 मि.ली. दिया जाता है)।

- आरोग्य श्री योजना, अस्पताल में आवश्यक उपचार के लिए, सफेद कार्ड धारक परिवारों के लिए आरंभ की गई चिकित्सा बीमा योजना है। इस योजना से कई बड़ी बीमारियों के उपचार का लाभ उठाया जा सकता है और कई निजी अस्पतालों में भी इसकी सुविधा है। अपने पड़ोस के कुछ लोगों से चर्चा कीजिए और योजना के प्रभाव के बारे में संक्षेप में लिखिए ।

- आपके विचार में आपकी पाठशाला में परोसे जाने वाले मध्याह्न भोजन में कौन-सा महत्वपूर्ण सुधार होना चाहिए ।
- भारत में हर साल गर्भाधान की कठिनाईयों के कारण लगभग प्रसव के समय ही मातृक अस्वस्थता, कुपोषण और अनुपयुक्त श्रम प्रबंध के कारण कई शिशुओं की मृत्यु हो जाती है। 104 और 108 सेवाओं से क्या उपर्युक्त, स्थिति में बदलाव आ सकता है? चर्चा कीजिए।

मुख्य शब्द

- | | | |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1. सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्र | 2. क्षेत्रीय अस्पताल | 3. सार्वजनिक सुविधाएँ |
| 4. पोषण | 5. आरोग्य श्री योजना | |

आपने क्या सीखा?


1. गलत कथनों को सही कीजिए ?
 - a. अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षित डॉक्टर होते हैं ?.
 - b. सार्वजनिक क्षेत्रों के अस्पतालों की अपेक्षा निजी क्षेत्रों के अस्पतालों में अधिक सुविधाएँ होती हैं।
 - c. पोषक भोजन स्वास्थ्य की हानि में सहायक होता है।
 - d. डॉक्टर धन अर्जित करने के लिए अनावश्यक उपचार भी कर सकते हैं ।
2. इनमें से किसे आप मूलभूत सार्वजनिक सुविधाओं में जोड़ सकते हैं ।

(अ) स्कूल तक स्कूटर चलाना (आ) अपने बच्चे को आंगनवाड़ी भेजना (इ) स्वयं का टेलीविजन सेट (ई) मोबाइल फोन का होना (उ) डाकघर द्वारा पत्र भेजना
3. इस अध्याय में उन वाक्यों को पहचानिए जिनमें सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए सरकार की भूमिका की चर्चा की गयी थी ।
4. निम्न में से किन मापदण्डों को आप स्वास्थ्य देखरेख के लिए उचित मानते हैं और क्यों?
 - a. टी.बी. के रोगियों को मुफ्त दवा दी जाती है।
 - b. कुछ गाँवों में स्वच्छ पीने के पानी की सुविधा का प्रबंध किया गया है।
 - c. सर्दी, बुखार और सिरदर्द के लिए दुकानदार दवाईयाँ बेचते हैं ।
 - d. सरकार द्वारा उचित दर की दुकानों में अन्न-धान्य उपलब्ध करवाना ।
5. प्रियंवदा निजी अस्पताल चलाती है। इसमें सरकारी अस्पताल से अधिक सुविधाएँ हैं। सत्यनारायण मंडल में सरकारी डॉक्टर के रूप में कार्यरत है। स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करने के बाद में दोनों की बीच होने वाली बातचीत की कल्पना कीजिए और उसे संवाद के रूप में लिखिए ।
6. स्वास्थ्य केवल दवाओं की उपलब्धता तक ही सीमित नहीं है। इस अध्याय में स्वास्थ्य के अनेक प्रकार के विषयों का उल्लेख किया गया है। (जैसे स्वच्छ जल आदि) उन सभी को एकत्रित कर एक अनुच्छेद लिखिए ।
7. निम्नलिखित आंकड़े दर्शाते हैं कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में लोग अस्पताल के खर्चों के लिए धन कैसे प्राप्त करते हैं। गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले 65% लोग धन उधार लेते हैं। इसे

चार्ट में पहचानिए और प्रतिशत लिखिए । गरीबी रेखा से उपर वाले लोग 45% लोग अस्पताल का खर्च अपनी बचत से करते हैं । इसे चार्ट में पहचानिए और प्रतिशत लिखिए । 35% खर्च के लिए वे उधार लेते हैं। इसे भी चार्ट में पहचानिए और प्रतिशत लिखिए ।

नीचे दिये गये चार्ट से क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अस्पताल के खर्चों के लिए लोग अन्य साधनों के कितने भाग का प्रयोग करते हैं ।

तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में चिकित्सा उपचार के व्यय के लिए विभिन्न साधन एवं अर्थिक स्तर



- सरकार की स्वास्थ्य संबंधी कल्याणकारी योजनाओं पर सर्वे कीजिए । अपने क्षेत्र में इससे लाभान्वित लोगों की सूची बनाइए ।
- आप अपने क्षेत्र के स्वास्थ्य कार्यकर्ता से संक्रामक रोगों की रोकथाम की जानकारी प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे? उन प्रश्नों की सूची बनाइए।
- आपात स्थितियों में '108' द्वारा किस प्रकार की सेवाएँ उपलब्ध करवाई जाती है?

परियोजना :

- अपने क्षेत्र के कुछ सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रों और अस्पतालों की सूची बनाइए। आपके अनुभव अनुसार (या किसी एक से मिलकर) उन केन्द्रों के मालिक और उनके द्वारा दी वाली सुविधाओं का पता लगाएँ।
- अपने कोई पाँच साथियों से निम्न तालिका में दी जा रही जानकारी लेकर, उसका विश्लेषण कर, कक्षा में चर्चा कीजिए।

क्र. सं.	छात्र का नाम	नाखून कितने दिनों के अंतर में काटते है	किन संदर्भों में हाथ को साफ किया जाता है।	मध्याह्न भोजन के पश्चात शेष बचे हुए अन्न को कहाँ फेंका जाता है।	कितने दिनों के अंतर में पाठशाला सफाई अभियान में भाग लेते है।	घर की सफाई के लिए किस प्रकार के कार्य करते है।

1



शासक जमींदारों से कर वसूल करते थे।

2



जमींदार जनता से कर वसूल करके राजा को देते थे।

3



जमींदारों की अपनी भूमि होती थी मजदूर होते थे।

4



किसान जिनकी भूमि होती थी वे कर देते थे।

मुगलों के समय में जमींदार और किसान

मुगल शासकों के समय जमींदार किसानों से भू-राजस्व वसूल करते थे और उसे मुगल अधिकारियों तक पहुँचाते थे। इसके बदले में उन्हें जमा किये हुए राजस्व का कुछ हिस्सा मिलता था और कभी-कभी कुछ छोटे स्थानीय करों को वसूल करने का अधिकार भी प्राप्त होते थे। उनके पास घोड़ों और बंदूकों के साथ सैनिकों की छोटी टुकड़ी भी होती थी। उनके घर छोटे किलों के समान होते थे जिन्हें तेलंगाना में गढी कहा जाता है। ये सभी उन्हें पड़ोसी गाँवों को नियंत्रित करने में सहायक होते थे। राजस्व जमाकर्ता के रूप में जमींदार बहुधा सरकार और किसानों के बीच मध्यस्थ का कार्य करते थे। प्रायः वे किसानों की समस्याओं से सरकार को अवगत कराते थे। वहीं सरकार द्वारा बनाये गये नियमों को किसानों, पर लागू करने के प्रयत्न भी करते थे।

जमींदारों की भी अपनी भूमि होती थी जिस पर काम करने के लिए मजदूर होते थे। ये उनकी स्व खेती भूमि या खुदखश्त भूमि कहलाती थी। उत्पादन में हिस्से के लिए या निर्धारित किराये के लिए वे किसानों को अपनी भूमि भी देते थे। ऐसे भूमि मालिकों को हम जमींदार कहते हैं और जो किसान उनकी भूमि पर खेती करते थे उन्हें किरायेदार किसान कहा जाता था। इस प्रकार जमींदारों की दोहरी छवि थी- साधारण किसानों से भू राजस्व जमा करना और जमींदार के रूप में अपनी स्वयं की भूमि रखना। उस समय किसान भी दो तरह के होते थे, एक वे जो जमींदारों के माध्यम से भू-राजस्व देने वाले स्वभूमि खेतिहर और दूसरे वे जो जमींदारों के काश्तकार या किरायेदार होते थे। भारतीय शहरों और गाँवों में बड़ी संख्या में जुलाहे, रंगरेज, मिस्त्री, लोहार और बढ़ाई जैसे उच्च कुशल करीगर थे। वे कृषि क्रियाकलापों में सहायता के लिए हस्तकला उत्पादनों व सेवाओं से संलग्न थे। साथ ही वैयक्तिक व सामुदायिक सेवाएँ उपलब्ध करवाने के लिए धोबी, बंसोर, नाई, कसाई, गड़रिये और पशु चरवाहे और कृषि मजदूर थे। ये कारीगर और सेवाएँ उपलब्धकर्ता अधिकतर निम्न व पिछड़ी जाती से संबंधित थे। उनमें से कुछ के पास भूमि के छोटे टुकड़े होते थे। परन्तु मुख्य रूप से वे किसानों और जमींदारों की सेवा करके ही अपनी जीविका चलाते थे।

- मुगलों के समय में क्या गाँवों की समस्त भूमि जमींदारों की थी ?
- जमींदार मुगल सरकार के लिए क्या करते थे और उन्हें बदले में क्या मिलता था ?

- जमींदार छोटे किलों के घर में सैनिक क्यों रखते होंगे ?
- क्या जमींदार किसी भी रूप में स्वतंत्र खेतिहारों की सहायता कर सकते थे ? अपने उत्तर के कारण बताओ ।



कंपनी जमींदारों से कर वसूलती थी ।



जमींदारों के पास अधिक अधिकार होने पर अधिक धन वसूल कर सकते थे ।



अधिक कर दो, भूमि पर ध्यान मत दो। यदि मैं जमींदार की माँग के अनुसार उत्पादन नहीं करूंगा तो मुझे जगह खाली करनी पड़ेगी।


स्थायी बंदोबस्त : अंग्रेजों द्वारा लागू किये गये परिवर्तन

जब अंग्रेजों ने भारत पर नियंत्रण कर लिया तब वे व्यापार एवं युद्धों में वित्तीय सहायता के लिए जहाँ तक हो सके भू-राजस्व को बढ़ाना चाहते थे। इससे कृषि में क्षति हुई क्योंकि किसान ऐसी परिस्थिति में खेती नहीं कर सकते थे। उस समय बड़े अकाल पड़े जिसमें लाखों लोग मारे गये। अंग्रेजों ने अनुभव किया कि उन्हें ऐसी भू-राजस्व व्यवस्था की आवश्यकता है जो कृषि , को प्रोत्साहित कर सके। वे ये भी चाहते थे कि किसान अधिक से अधिक भूमि जोतते और उन फसलों को उगाते जिनकी बाजार में माँग अधिक हो मुख्यतः नगदी फसलें जैसे कपास, नील, गन्ना, गेहूँ आदि ताकि इनका निर्यात इंग्लैंड से किया जा सके। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने अनुभव किया कि भूमि में अर्थ विनियोग को प्रोत्साहित करना चाहिए और कृषि में सुधार करना चाहिए । यह कैसे किया जा सकता है ?

इस प्रश्न पर दो शताब्दियों की चर्चा के बाद अंत में कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त को आरंभ कर दिया जब लार्ड कार्नवालिस गवर्नर जनरल थे। इस व्यवस्था के अनुसार जमींदारों को निलामी में स्वीकृत राजस्व को वसूल करने के अधिकार दिये गये । इसीलिए इसे जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। 90% धनराशि सरकार को देकर 10% राशि वे अपने पास रखते थे। दी जाने वाली धनराशि हमेशा के लिए निश्चित कर दी गई थी ताकि भविष्य में उसमें वृद्धि न हो सके। यह अनुभव किया गया कि इस व्यवस्था के द्वारा कंपनी को जहाँ लगातार राजस्व प्राप्त होगा वहीं पर जमींदारों को अपनी भूमि में सुधार के लिए विनियोग करने का प्रोत्साहन भी मिलेगा। जब तक राज्य की राजस्व माँग में वृद्धि नहीं होगी तब तक जमींदारों का भूमि की उत्पादन वृद्धि से लाभ होगा। वैसे भी जमींदार निर्धारित किये गये राजस्व से अधिक राजस्व वसूल करते थे। वे लगातार राजस्व में वृद्धि करते थे और इन किसानों को बदल देते थे जो माँग पूरी नहीं कर पाते थे। इस व्यवस्था ने अनिच्छापूर्वक सभी किसानों को किरायेदारों में बदल दिया और



अधिक कर का भुगतान, भूमि की परवाह नहीं है यदि मैं जमींदार की माँग के अनुरूप उपज नहीं कहेगा तो जमीन छोड़ देनी पड़ेगी।



पिछले कई वर्षों से जमींदार जमीन ज्व्त कर रहे हैं।

जमींदार राजस्व की अपेक्षा अधिक होने के कारण किसान इसे दे नहीं पाते थे और कभी-कभी उन्हें भूमि छोड़ देना पड़ता था। आने वाले समय में जमींदारों को भी हानि हुई और वे भी दोषी बन गये।

- कई पीढ़ियों तक भूमि जोतने वाले किसानों की स्थिति को इन परिवर्तनों ने कहाँ तक प्रभावित किया ?
- राजस्व और किराये में क्या अंतर है?
- स्थायी बंदोबस्त से किसे अधिक लाभ हुआ- ब्रिटिश सरकार, जमींदार या किसान। कारण बताओ।

परिणाम: शीघ्र ही कंपनी अधिकारियों ने यह जान लिया कि वास्तव में जमींदार भू सुधार के लिए धन का निवेश नहीं कर रहे हैं। निर्धारित राजस्व इतना अधिक था कि जमींदार उसे भरने में कठिनाई का अनुभव कर रहे थे। फसल की असफलता और अकाल के समय भी राजस्व में ढील नहीं दी जाती थी। कोई भी जो राजस्व नहीं दे पाता था, वह जमींदारी से वंचित हो जाता था। कंपनी द्वारा आयोजित निलामी में कई जमींदारियाँ बेच दी गयीं इससे गाँवों में अस्थिरता उत्पन्न हो गयी और पुराने जमींदारों का स्थान नये जमींदारों ने ले लिया।

1820 तक परिस्थितियाँ बदल गयीं। बाजार में अनाज के दाम बढ़ गये और खेती धीरे-धीरे विस्तृत हो गयी। इसका अर्थ यह हुआ कि जमींदारों की आमदनी में वृद्धि हुई किंतु कंपनी को कोई लाभ नहीं हुआ क्योंकि स्थायी तौर पर निर्धारित होने के कारण राजस्व की माँग में किसी तरह की वृद्धि नहीं की जा सकती थी।

अभी तक जमींदारों ने भू- सुधार में कोई रुचि नहीं दिखाई। कुछ ने अव्यवस्था के आरंभिक वर्षों में ही अपनी भूमि खो दी और दूसरों ने आय की संभावना को निवेश की कठिनाई और खतरे के बिना देखा। जब तक जमींदारों ने भूमि किरायेदारों को दी और किराया वसूल किया, तब तक उन्होंने भू-सुधार के लिए कोई रुचि नहीं दिखायी।

जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी और जमींदार किसानों को भूमि से बेदखल कर नये किसानों को भूमि अधिक किराये कर दे रहे थे। दूसरी ओर, गाँवों में, किसानों ने देखा कि व्यवस्था अत्यंत क्रूर हो रही है। उसके द्वारा जमींदारों को दिया जाने वाला किराया बहुत अधिक था और भूमि पर उनका अधिकार असुरक्षित था। किराया देने के लिए उन्हें महाजन से ऋण लेना

पड़ता था और जब वे किराया नहीं दे पाते थे तो उन्हें उस भूमि से बेदखल कर दिया जाता था, जिस पर उन्होंने पीढ़ियों से खेती की थी।

- अंग्रेजों द्वारा आरंभ की गयी जमींदारी व्यवस्था अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में किस प्रकार असफल रही?
- भूमि में निवेश के बिना जमींदारों की आमदनी में वृद्धि कैसे संभव थी?
- जमींदारों को ब्रिटिश शासन का पक्ष लेना चाहिए था, या विरोध करना चाहिए था? कारण बताइए।

रखतवारी पद्धति

उन्नीसवीं शताब्दी के आरंभ में कंपनी के अधिकारियों ने यह अनुभव किया कि राजस्व वसूली की पद्धति में फिर से बदलाव होना चाहिए। ऐसे समय में राजस्व स्थायी तौर पर कैसे निधारित किया जा सकता था जब कंपनी को शासन में व्यय और व्यापार में निवेश के लिए अधिक धन की आवश्यकता थी?

अंग्रेजों द्वारा दिये गये कर्ज में संदिग्धता के कारण निजाम ने बेल्लारी, अनंतपूर, कड़प्पा और कर्नूल के जिले अंग्रेजों को सौंप दिये। यह क्षेत्र रायलसीमा के नाम से जाना जाता है। नवम्बर 1800 में थामस मुनरो को इन जिलों के प्रधान जिलाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। उस समय सौंपे गये जिलों में पूर्ण अराजकता थी इस क्षेत्र में आठ पालेगर या फुटकर प्रधान थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन का विरोध किया था और वे लगातार युद्धों और डकैती में लिप्त रहते थे। सबसे पहले मुनरो ने पालेगरों को अपने अधीन कर लिया तथा उनके सशस्त्र अनुयायियों की सेना को भंग कर दिया। कानून और व्यवस्था की स्थापना के पश्चात मुनरो ने अपने सर्वेक्षण और राजस्व के कार्य को आरंभ कर दिया। उसने जान लिया कि उत्तरी भारत दक्षिण में जमींदार जैसे कोई नहीं है जबकि आंध्र और तमिल प्रदेश में आपस से जुड़े हुए किसानों के समुदाय हैं, जिनके पास भूमि है, जो खेती करते हैं और राजस्व भरते हैं। किसानों के महत्व को जानने के पश्चात उसने **रखतवारी पद्धति** का प्रयोग किया जिसे पहले दक्षिण भारत में आरंभ किया गया बाद में इसे पश्चिमी भारत में भी लागू किया गया।

रैयत का अर्थ है-किसान। रखतवारी का अर्थ है- चित्र किसानों का पट्टा। यह तय किया गया कि राजस्व वास्तविक किसानों से वसूला जाय। भू-मालिकों से जो भूमि पर काम करते थे या दूसरों से भूमि पर खेती करवाते



रखतवारी प्रथा में मैंने अधिक फसल का उत्पादन किया



कंपनी रैतु (किसानों) से निश्चित कर वसूल करती थी



जमींदार ने किरायेदारों को जमीन किराये पर दी

थे। इस पद्धति के अंतर्गत खेती करने वाले किसानों की पहचान की गयी, उनके खेतों की पहचान की गयी और उनके कानूनी स्वामित्व को निर्धारित कर प्रत्येक जमीन के टुकड़े को एक सर्वे नंबर दिया गया। हर एकड़ राजस्व के विस्तार को निर्धारित करने के लिए उत्त पादन, मूल्य स्थिति, बाजार परिस्थिति तथा खेती तकने वाले फसल को ध्यान में रखा गया। 1801-02 में खेती की शुरुआत से पहले ही मुनरो ने रय्यतो को आवश्यक बीज, औजार, बैल, पुराने कुँओं को सुधरवाने और नये कुँए खोदने के लिए पेशगी दिलवा दी थी। उसने कहा कि अंग्रेज सरकार को चाहिए कि वह रय्यतों के साथ पितृतुल्य व्यवहार करे। उसके इस कार्य का बड़ा प्रभाव पड़ा और उस वर्ष में बहुत फसल हुई और अच्छा राजस्व भी वसूल हुआ। इस स्थिति ने मुनरो के दृष्टिकोण को सही साबित कर दिया।



चित्र 10.1 : प्रकाशम बैरेज

परियोजनाओं जैसे कुछ क्षेत्रों में, देश के कुछ भागों में लोग अभी भी वर्षा एवं जमींदारों तथा समृद्ध रायट कुँए तथा तालाबों में पूर्ण निवेशकी कोई मान्यता नहीं होती है। व उन पर निर्भर करते हैं।

विकासात्मक क्रियाएँ

कुछ अंग्रेज प्रशासकों को यह विश्वास था कि सरकार को चाहिए कि वह बड़े पैमाने में सिंचाई कार्य में धन का विनियोग करें। इससे किसान खेती कर सकेंगे और उच्च मूल्य की नगदी फसलें उगा सकेंगे। सर आर्थर कॉटन के अथक प्रयासों के फलस्वरूप सन् 1849 ई. में भीषण अकाल से पीड़ित जिले को इससे तत्काल समृद्धि प्राप्त हुई। इसी प्रकार 1854 में विजयवाड़ा में कृष्णा नदी पर भी बाँध बनाया गया, जिससे डेल्टा क्षेत्रों को समृद्धि प्राप्त हुई। 1857 के पश्चात, रायलसीमा के शुष्क क्षेत्रों में जल आपूर्ति के लिए कर्नूल-कड़प्पा नहर का निर्माण किया गया। छोटे क्षेत्रों को घेरने के कारण महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी इन उपायों का प्रभाव सीमित ही रहा। अभी भी देश के अनेक भाग वर्षा पर निर्भर थे और यह अपेक्षा थी कि जमींदार और समृद्ध किसान छोटी सिंचाई

- जब स्थायी व्यवस्था का आरंभ किया गया उस समय किसी प्रकार का विस्तृत भू-सर्वेक्षण नहीं किया गया था। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि रय्यतवारी व्यवस्था के लिए यह आवश्यक था ?
- रय्यतवारी व्यवस्था आरंभ करने के पहले पालेगरो को हराना क्यों आवश्यक था ?
- यदि आप समर्पित जिलों में रहते हैं तो उन पालेगरो के बारे में मालूम कीजिए जिन्होंने अंग्रेजों से युद्ध किया था।
- आरंभिक ब्रिटिश शासन के समय सरकार ने कृषि में धन का विनियोग किन तरीकों से किया था ? आपके विचार में क्या यह स्वयं किसानों द्वारा किया जाना चाहिए था ?

- रय्यतवारी व्यवस्था में किसानों, जमींदारों या अंग्रेजों में से किसे लाभ हुआ? कारण बताइए।

परिणाम: रय्यतवारी क्षेत्रों में भी भू-राजस्व क्रम उच्च स्तर पर निर्धारित किया गया था। जमींदारी क्षेत्रों से भिन्न बीस से तीस वर्षों के लिए निर्धारित किया गया था। पट्ट की अवधि समाप्त कर बदलती परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राजस्व में संशोधन किया गया। भू राजस्व इतना अधिक था कि आरंभ में यह बलपूर्वक वसूल किया गया। शीघ्र ही यह जैसे ही राजस्व की अपेक्षा मूल्यों में वृद्धि हुई। किसान ने यह जान लिया कि किरायेदारों द्वारा उनकी भूमि पर खेती करवाना और उनसे किराया प्राप्त करना अधिक लाभदायक है। जल्दी ही रय्यतवारी क्षेत्रों में भी बहुत सारे जमींदारों से भर गये जो अपनी भूमि बहुत अधिक किराये पर सहायताहीन किसानों को देते थे। किसान सरकार को जितना राजस्व देते थे, उससे तीन से सात गुना अधिक किराया किरायेदारों को देना पड़ता था। (यदि किसान भूमि के एक टुकड़े के लिए सरकार को 1 रु. देते थे तो उन्हें उसी भूमि के लिए किरायेदार से 3 से 7 रुपये तक प्राप्त होते थे।) इसका परिणाम यह हुआ कि इन लोगों ने भी कृषि में सुधार के लिए विनियोग करने के बदले में भूमि अधिक से अधिक किराये पर देने में रुचि दिखाई।

- वास्तविक परिणामों की तुलना आपके द्वारा की जाने वाली भविष्यवाणी से कीजिए। दोनों में कैसी समानता और असमानता है?
- किसान ने कृषि में सुधार या कृषि विस्तार के लिए धन विनियोग क्यों नहीं किया होगा।
- किसान के भूमिहीन किरायेदारों की दशा की कल्पना कीजिए और वर्णन कीजिए।

वाणिज्यिकरण और महाजन

भूमि से आमदनी में वृद्धि की इच्छा से राजस्व अधिकारियों ने राजस्व की माँग को बहुत अधिक निर्धारित कर दिया। इसे देने में असमर्थ किसानों ने देश छोड़ दिया। इसी कारण इस क्षेत्र के कई गाँव रेगिस्थान में बदल गये। आशावादी अधिकारियों की सोच थी कि नई पद्धति किसानों को धनी उद्योगी किसानों में परिवर्तित कर देगी। किन्तु उच्च राजस्व दरों के कारण ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।

किसान राजस्व भरने के लिए प्रायः महाजनों से धन लेते थे। जब वे ऋण समय पर नहीं चुकाते थे तो महाजन अदालत में जाते थे और ऋण वसूल करने के लिए उनकी भूमि की नीलामी करवाते थे। भू राजस्व वसूल करने के ब्रिटिश शासन के इस नये नियम के कारण कई किसान गहरे कर्ज में फँसते चले गये।

कृषि उत्पादों का निर्यात और कृषि मूल्यों का अंतर्राष्ट्रीय बाजार द्वारा निर्धारण भी उनके कर्ज में वृद्धि का एक और कारण था। उदाहरणस्वरूप 1861 ई. में अमेरिका में आंतरिक/ग्रह युद्ध हुआ जिससे ब्रिटिश फैक्ट्रियों में कपास के मूल्यों में अधिक वृद्धि हुई और किसानों ने अधिक मूल्यों की आशा में ऋण लेकर कपास उगाना आरंभ किया। 1865 ई. में अमेरिका में आंतरिक/ग्रह युद्ध समाप्त हो गये। इससे भारतीय कपास की माँग और मूल्यों में गिरावट आ गयी। 1864 में 12 आना प्रति किलो मिलने वाली कपास अब 6 आना प्रति किलो में मिलने लगी। किसान सबसे अधिक पीड़ित हुए क्योंकि उन्हें इतनी आमदनी भी नहीं हुई कि वे ऋण चुका सके। अधिक से अधिक किसानों के वश में आने के कारण महाजन और भी अधिक अमीर बनते चले गये। गंजम के किसान जिन्होंने कपास की फसल से अत्यधिक लाभ की आशा की

थी वे और दरिद्र (कंगाल) बन गये। यही नहीं चावल में भी कमी आ गई क्योंकि पहले जहाँ धान की खेती होती थी वहाँ कपास की खेती होने लगी थी। चावल की कमी ने जनसंख्या के हर वर्ग को प्रभावित किया। गंजाम के अकाल में भूख के कारण हजारों लोग मारे गये। दरिद्रता के कारण, कई लोगों को अफ्रीका, फ़िजी, मारिशस, बर्मा, मलेशिया और कैरिबियन द्वीपों को ठेका मजदूर और कूलियों के रूप में जाना पड़ा क्योंकि गन्ने और कपास के खेतों में कार्य करने की आवश्यकता थी।

खेतों पर काम के लिए बलपूर्वक विदेश भेजे जाने वाले मजदूर ठेका मजदूर कहलाते हैं।

- उच्च राजस्व दरो ने जमींदारों और किसानों को कृषि में सुधार करने से क्यों रोका होगा?
- भू राजस्व ने किसानों को अपनी भूमि महाजनों को सौंपने में कैसे मदद की? महाजन उस भूमि का क्या करते थे?
- निर्यातित बाजार के लिए उत्पादन से अंत में किसे अधिक लाभ हुआ और क्यों?
- अमेरिका में होने वाले युद्ध से भारत में कपास के मूल्यों में क्यों वृद्धि हुई?
- क्या आपने कभी कृषि उत्पादों के मूल्यों में शीघ्र तेजी और कमी के बारे में सुना है? किसानों पर इसके प्रभाव के बारे में पता कीजिए।

किसानों पर जमींदारों के अत्याचार

उपनिवेशी काल के दौरान किसानों को जमींदारों की निजी भूमि पर वेटी (मजदूरी के बिना

काम) करना पड़ता था। यदि वे इंकार करते तो सैनिक उनसे जबरदस्ती वेटी करवाते थे। सैनिक सड़क पर चलते हुए किसानों को पकड़कर बलपूर्वक जमींदारों के खेतों में वेटी करवाते थे।

किसानों को जबरदस्ती से जमींदारों के खेतों में काम करना पड़ता था। इसी कारण वे अपने खेतों में उचित खेती नहीं कर सकते थे। वे खेतों में सुधार भी नहीं कर पाते थे। 1878 ई. में लिखी गयी सरकारी रिपोर्ट में उनकी दशा का वर्णन था। रिपोर्ट कहती थी कि किसान अपनी भूमि पर न तो सिंचाई और न ही कुएँ खोदने की कोशिश करते थे। वे निकासी की व्यवस्था और रसायनों के प्रयोग का प्रयास भी नहीं करते थे। वे अपनी भूमि में सुधार के लिए कुछ भी नहीं करते थे क्योंकि उन्हें भय था कि कभी भी उन्हें भूमि से बेदखल किया जा सकता है। अगर वे कृषि में सुधार करते थे तो जमींदार तत्काल उनके द्वारा लिए गए हिस्से में वृद्धि कर देते थे। किसान कहीं जमीन पर अपना अधिकार न कर ले, इस भय से भी जमींदारों ने किसानों को भू सुधार करने से रोका।

अनगिनत संग्रह, कर और भुगतान

तरह-तरह के बहाने बनाकर जमींदारों ने किसानों से अधिक से अधिक धन वसूल करने के प्रयास किये। किसान घी, दूध, सब्जियाँ, गुड़, भूसा और गोबर की टिकिया जमींदारों को मुफ्त में देते थे। भारत के कई प्रांतों में यही स्थिति थी। बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में कई बड़े और शक्तिशाली जमींदार थे। हर एक के पास दर्जनों और सैकड़ों गाँव थे। किसान जमींदारों की अधिकता पर रोक लगाने का प्रयत्न करते थे।

हैदराबाद राज्य के दोरा और किसान

हैदराबाद राज्य में निजाम के शासन में अधीनस्थ सेनापतियों के अनेक प्रकार जैसे: जागीरदार, संस्थानामदार और ईमानदार थे जो स्वतंत्र मुखिया के रूप में शासन करते थे। वे अपने भूमि से राजस्व वसूल करते थे, उसका छोटा हिस्सा पेशकश के रूप में निजाम को देते थे और शेष अपने पास रखते थे। वे अपने क्षेत्रों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी थे। हैदराबाद राज्य में 6535 में फैली हुई 1500 जागीरे और 497 गाँवों में फैले हुए 14 संस्थान थे। लगभग 1400 गाँव निजी जागीर (जिसे सर्फ-ए-खास कहा जाता था) के रूप में प्रत्यक्ष रूप में निजाम के अधीन थे। बचे हुए साम्राज्य का प्रशासन नीचे दिये गये तरीके से होता था।

हैदराबाद पर शासन करने वाला निजाम अंग्रेजों के अधीन था और उसे उन्हीं की नीतियों का पालन करना पड़ता था। 19 वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में देशमुखों के द्वारा उन्होंने अधिकतम राजस्व वसूल किया जिसका परिणाम यह हुआ कि किसानों ने जमीने छोड़ दी और कृषि की क्षति हुई। इस स्थिति को ध्यान में रखकर निजाम सरकार ने एक नयी भू राजस्व व्यवस्था बनाई जिसमें भू राजस्व की प्रत्यक्ष वसूली के लिए जिलाधिकारी नियुक्त किये गये। पुराने भू-मालिकों को क्षतिपूर्ति के लिए वार्षिक भुगतान किया गया जिसे **रूसुम** कहा जाता है, साथ ही व्यर्थ भूमि और जंगलों से जुड़ी दूसरी भूमि पर पूर्ण मालिकाना रूप में पट्टे का अधिकार दिया गया। जमींदारों को जब यह अनुभव हुआ कि एरंडी और मूँगफली जैसे कृषि उत्पादों के लिए बाजार है तो उन्होने व्यर्थ भूमि पर इन फसलों को उगाना आरंभ किया। किन्तु इस भूमि पर कौन काम करेगा? उन्होंने साधारण किसानों, कारीगरों और सेवा जातियों को इन भूमि मालिकों की भूमि

पर बलपूर्वक वेद्टी (अवैतनिक श्रम) के रूप में काम करवाया। बड़े भू-मालिकों को दोरा कहा जाता था। दोरा बड़े किलेनुमा घरों में रहते थे जिसे गढी कहा जाता था और उनके पास बड़ी संख्या में नौकर-चाकर, सेवक और सैनिक होते थे। उनके पास किरायदारों द्वारा खेती की जाने वाली विशाल भूमि थी और दूसरी भूमि भी थी जिस पर बलपूर्वक खेती करवायी जाती थी। वे गाँव के महाजन के रूप में भी काम करते थे। सारे गाँव के न्यायिक अधिकार उनके पास थे। वे गाँव के सारे विवादों को सुलझाते थे और अधिकतर उच्च जातियों का साथ देते थे। गाँव के अन्य अधिकारियों और छोटे जमींदारों को उनके आदेशों को मानना पड़ता था। वे बलपूर्वक निश्चित करते थे कि निम्न जातियों को उच्च जातियों मुख्यतः जमींदारों के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने ऐसे नियम बनाये थे जिनके अनुसार कोई भी निम्न जाति का व्यक्ति कमीज चप्पल और पगड़ी नहीं पहन सकता था। उसे हमेशा दोरा के सामने झुकना पड़ता था और उन्हें मालिक कहकर पुकारना पड़ता था।

तेलंगाना क्षेत्र के महबूबनगर और नलगोंडा जिलों में 550 दोरा थे जिनके पास कई हजार एकड़ जमीन थी। एक लाख एकड़ तक की भूमि का स्वामित्व रखने वाले अनेक जमींदार थे जैसे: विसनूर रामचंद्र रेड्डी और जानारेड्डी प्रताप रेड्डी।

- किसान अपनी भूमि में धन निवेश क्यों नहीं करना चाहते थे?
- जमींदार किरायेदार के उत्पाद किन रूपों में ले लेते थे?
- पारंपरिक कारीगरों और गाँव के कलाकारों के जीवन में आने वाले परिवर्तनों के बारे में चर्चा कीजिए।

- निजाम राज्य में राजस्व जमाकर्ताओं की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ?
- सभी प्रकार के अत्याचारों में किसान वेट्टी से अधिक घृणा करते थे। क्या आप बता सकते हैं, क्यों?
- एक साधारण जमींदार से दोरा किस तरह भिन्न था?

अकाल

ब्रिटिश शासन के समय अकाल और अनाज की कमी ने घोर कठिनाई उत्पन्न कर दी थी। उच्च करों और किरायों के कारण किसान कठिन मौसम और असफल फसलों को झेलने के लिए बहुत कम धन बचा सकते थे। अनाज को देश के बाहर निर्यात किया जाने लगा था। इससे पूरे देश में अभाव की स्थिति उत्पन्न हो गयी। इस समय भी सरकार बीच में जाने से इंकार करती थी जब बड़े व्यापारी भंडारों में अन्न जमा करके कृत्रिम अभाव की स्थिति उत्पन्न कर देते थे।

देश में कई भागों की तरह 19 वीं और 20 वीं शती में आँध्र में भी कई अकाल पड़े। 1865-66 ई. में घोर अकाल पड़ा जिसे गंजाम कहा जाता है। आपने इसके बारे में पहले पढ़ा है। सिंचाई की सुविधाओं के अभाव के फलस्वरूप रायलसीमा के जिलों में भी अनेक बार अकाल पड़े। हजारों लोग मारे गये। आँध्र के जिले में धान्य दंगे फैल गये और इस हिंसा को दबाने के लिए फौजें भेजी गयीं।

कृषक (किसान) आंदोलन

हमने देखा कि उच्च भू राजस्व दरों तथा जमींदारों और महाजनों के अत्याचारों से किसान बड़े कष्टों में थे। उपनिवेश काल के दौरान देश के विभिन्न भाग के किसानों ने जमींदारों, व्यापारियों और राज्य अधिकारियों का विरोध किया और उनके विरुद्ध लड़ाई छेड़ दी। 1860 इस दशक के दौरान हुए दक्खिनी दंगे, रंपा फिटयूरिस, मोपिल्ला विद्रोह आदि किसान आंदोलन के ही संगठित रूप थे। जब 19 वीं शताब्दी में इस आंदोलन ने खुले विद्रोह का रूप ले लिया तब 20 वीं शती में किसानों ने अधिकांश संख्या में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। 1920-22 में उत्तर प्रदेश के अवध प्रांत के किसानों ने उन जमींदारों के विरोध में जुलूस निकाले जिन्होंने उनसे धन वसूल किया था। कई जमींदारों का सामाजिक विरोध किया गया और उन्हें गाँव से बाहर निकाल दिया गया। किसानों ने उन जमींदारों की भूमि पर काम करने से इंकार कर दिया जो किरायेदारों को जमीन से बेदखल कर देते थे या बहुत अधिक किराया वसूल करते थे। विद्रोह को आगे बढ़ाने के लिए किसानों ने किसान सभाएँ गठित की तथा जमींदारी उन्मूलन, भू राजस्व में कमी और महाजनों पर नियंत्रण की माँग की। विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज सरकार ने जमींदारों की सहायता की। अगले अध्याय में आप तेलंगाना के किसानों के संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे।

मुख्य शब्द

- | | | |
|--------------|------------|----------|
| 1. जमींदार | 2. महाजन | 3. जागीर |
| 4. संस्थान | 5. ईनामदार | 6. पट्टा |
| 7. रय्यतवारी | 8. देशमुख | |

आपने क्या सीखा

1. अध्याय के हर भाग से साधारण प्रश्न बनाइए और एक दूसरे से उत्तर देने के लिए कहिए। जाँच कीजिए की उत्तर सही है या नहीं।
2. स्वतंत्रता पूर्व के किरायेदार किसानों की स्थिति की तुलना आज के किसानों से कीजिए। उनमें क्या विभिन्नताएँ और समानताएँ हैं।
3. स्वतंत्रता आंदोलन के समय जमींदारों ने अंग्रेजों की मदद की। क्या आप बता सकते हैं, क्यों?
4. किसानों के जीवन में महाजनों की क्या भूमिका थी? उन्हें किस प्रकार ब्रिटिश सरकार का समर्थन प्राप्त था?
5. दोरा और अवध के जमींदारों के बीच क्या समानताएँ और विभिन्नताएँ थीं?
6. रय्यतवारी व्यवस्था ने भी जमींदारी व्यवस्था को कैसे बढावा दिया?
7. ब्रिटिश शासन के समय अकाल क्यों पड़े? क्या वे वर्षा और बाढ़ की कमी के कारण हुए थे?
8. फसल की असफलता के समय सरकार किन उपायों से अकाल को रोक सकती है?
9. कल्पना कीजिए कि आप ब्रिटिश सरकार की पूछताछ समिति को एक ज्ञापन दे रहे हैं? किरायेदार किसानों को एक प्रार्थना के रूप में लिखिए।
10. निम्न को भारतीय नक्शे में दर्शाइये -
 1. गंजाम
 2. अवध
 3. हैदराबाद
 4. गोदावरी नदी
11. अनगिनत संग्रह कर और भुगतान - इस अनुच्छेद को पढ़िए और नीचे दिये गये प्रश्न का उत्तर दीजिए- आजकल हम किस प्रकार कर भरते हैं?

परियोजनाएँ

1. पाँच विद्यार्थियों का एक दल बनाइए और ब्रिटिश काल के बारे में जानने के लिए एक गाँव के पाँच बुजुर्गों का साक्षात्कार लीजिए। उनमें कम से कम दो महिलाएँ होनी चाहिए और एक व्यक्ति कारीगर या सेवा जाति से होना चाहिए उनसे बातचीत कीजिए और एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कीजिए।
2. आपके क्षेत्र में हुए अकालों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। उस समय लोग क्या करते थे?
3. आपके क्षेत्र से दूरस्थ स्थानों जैसे कुवैत और साउदी अरब चले जाने वाले परिवारों के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए।

राष्ट्रीय आन्दोलन-आरंभिक काल (1885-1919)

National Movement – The early phase 1885-1919

भारत में राष्ट्रीय आंदोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है, क्योंकि इतिहास में इसने लोगों में अनेकता को मिटा कर समाज के विभिन्न विभागों को एक राष्ट्र में बदल दिया। विभिन्न विभागों का समावेश केवल अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए ही नहीं बल्कि एक नये भारत की स्थापना के लिए किया गया।

आरंभिक संगठन

सातवीं कक्षा में आपने 1857 के विद्रोह के बारे में पढ़ा था, जिसमें सैनिक, साधारण किसान, कलाकार और भूपति ही नहीं राजाओं ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था। जब यह आन्दोलन आरम्भ किया गया तब देश से सामने कोई नई दृष्टि नहीं थी। वास्तव में वे भारत में पुराने राजा एवं रानी का शासन चाहते थे और पुरानी सामाजिक व्यवस्था भी बना था।

उन्नीसवीं शताब्दी के अंत में देश में बड़े शहरों जैसे कोलकत्ता, चेन्नई एवं मुंबई में अंग्रेजी शिक्षा के विकास के कारण लोगों में जागृति उत्पन्न होने लगी। शिक्षित वर्ग ने असमानता तथा अन्याय की पुरानी प्रथा का विरोध किया। वे प्रजातांत्रिक राजनैतिक शासन चाहते थे। साथ ही साथ वे अंग्रेजों द्वारा किए गए शोषण और अन्याय का अन्त

करना चाहते थे। भारत में यह आन्दोल का आरम्भ था।

उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य से ही नई जागृति के बीज अंकुरित होने लगे थे। शिक्षित भारतीय जब अंग्रेजों की नीतियों और शासन से परिचित होने लगे तो वे उनकी निन्दा करने लगे। वे लोग एक साथ मिलकर उन पर चर्चा करने लगे और संगठनों की स्थापना करने लगे। 1866 में ईस्ट इंडिया संगठन की स्थापना लंदन में की जिसमें भारतीय स्थिति पर चर्चा की गई। 1866 से 1885 के काल में संगठनों की स्थापना विभिन्न नेताओं जैसे सुरेन्द्रनाथ बेनर्जी, न्यायाधीश एम.जी. रानाडे, बदरुद्दीन तैयब, के.सी. तेलंग, जी सुब्रह्मण्यम अय्यर आदि ने कोलकत्ता, पूना, मुंबई तथा चेन्नई में की जिसमें उनके क्षेत्रों के भारतीयों की समस्याओं पर चर्चा की गई। इन संगठनों का उद्देश्य राष्ट्रीयता का विकास तथा बुद्धिजीवियों को एकत्रित करना था। इन संगठनों ने कुछ ही क्षेत्रों में कार्य किया परन्तु उनकी उद्देश्य संपूर्ण देश के लिए था ना कि किसी एक जाति, वर्ग या क्षेत्र के लिए था। उन्होंने इस विचार से कार्य किया कि जनता स्वतंत्र हो, आधुनिक



सुरेन्द्रनाथ बेनर्जी



गोपालकृष्ण गोखले



दादाभाई नौरोजी



चित्र IIA.1 :
सूरत का सम्मेलन
जिसमें देशभक्ति
जमा करने के
लिए -लंदन
समाचार, 1855

जागृति एवं राष्ट्रीयता का विकास हो। दूसरे शब्दों में कहाँ जाए तो वे चाहते थे कि जनता स्वयं अपने विषयों में निर्णय लेने में समर्थ हो। कई बुद्धिजीवियों ने अंग्रेजों की नीतियों के विरोध में प्रदर्शन किया। जैसे कपड़ा उद्योग पर अधिक कर, भारतीयों में जाति के आधार पर भेद भाव, समाचार पत्रों के प्रतिबंध के कानून, आदि। उन्होंने अंग्रेजों के नीतियों के प्रचार एवं चर्चाओं के महत्व को पहचाना।

- क्या आप आपके शहर या गाँव में किसी ऐसे संगठन को जानते हैं, जो व्यक्तियों की समस्याओं पर चर्चा करते हैं (किसी एक समूह या वर्ग की नहीं)? वे क्या चर्चा करते हैं? उसे सुलझाने के क्या उपाय निकालते हैं? कक्षा में कुछ उदाहरणों पर चर्चा कीजिए।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस-नरमपंथी काल 1885-1905

1885 दिसम्बर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किया गया जिसमें कई बुद्धिजीवियों

ने भाग लिया। इसकी अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की तथा देश के विभिन्न भागों से 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आरंभिक नेता दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरूद्दीन तय्यबजी, बनर्जी, सुरेन्द्रनाथ बेनर्जी, रमेश चन्द्र दत्त, एस, सुब्रह्मण्यम अय्यर आदि जो कि आधिकतर मुम्बई, चेन्नई और कोलकत्ता से थे। कांग्रेस की स्थापना में सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी ए.ओ. ह्यूम और डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। भारतीय नेताओं ने यह अनुभव किया कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य है भारत के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों को एकत्रित करना तथा उनमें राष्ट्रीय जागृति लाना। इसी के साथ उन्होंने यह भी अनुभव किया कि इसके लिए उन्हें सभी वर्ग के लोगों को आवश्यकता के अनुसार सभी सुविधाएँ देना होगा। इसीलिए उन्होंने यह निर्णय लिया कि प्रति वर्ष देश के हर भाग में सम्मेलन का आयोजन करेंगे। किसी एक धार्मिक समूह के द्वारा विरोध किये जाने पर कानून पारित नहीं करेंगे।



चित्र 11A.2 : 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन.

कांग्रेस का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि सभी के लिए सामान्य राजनैतिक स्तर स्थापित करना या कार्यक्रम का आयोजन करना जिसमें देश के सभी वर्ग के लोग विभिन्न क्षेत्रों से राजनैतिक कार्यों में भाग ले सके, अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षित करना तथा संपर्क में लाना। शासकों के साथ अपने अधिकारों को पाने में संघर्ष कर सके। उन्होंने लोगों की शिकायतों को पढा तथा संस्कार से इसके लिए अपील की तथा लोगों को अपने राजनैतिक अधिकारों के लिए जागृत भी किया।

तीसरा प्रमुख लक्षण था प्रजातंत्र के आदर्शों को फैलाना तथा भारत में लागू करना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रजातंत्र के अनुसार कार्य किया, सभी विषयों पर चर्चा की तथा लोगों की राय भी जानी और मतदान भी किया।

इस परिस्थिति में भा.रा.का. ने सोचा कि इस समय सामाजिक आंदोलन को आरम्भ न करे

क्योंकि वह भारतवासी को विभाजित कर सकता है। आंदोलनों को अन्य तरीके से लागू किया गया।

1886 में कांग्रेस के 436 सदस्य विभिन्न स्थानीय संस्थाओं द्वारा चुने गये और एक वर्ष के भीतर यह विभाग प्रसिद्ध हो गया। इसके पश्चात प्रति वर्ष दिसम्बर में देश के विभिन्न भागों में सम्मेलन आयोजित करने लगे। शीघ्र ही सदस्यों की संख्या हजारों में बढ़ गई। अधिकतर इनमें वकील, पत्रकार, व्यापारी, उद्योगपति, अध्यापक एवं भूपति होते थे। उनमें बहुत कम स्नातक महिलाएँ थीं जैसे कादम्बरी, गांगुली जो कोलकत्ता की स्नातक महिला थीं। अधिकतर उच्च सामाजिक स्तर के पुरुष इस सभाओं में भाग लेते थे।

आरम्भ में 20 वर्षों तक जिन नेताओं ने कांग्रेस का नेतृत्व किया वे आधुनिक राष्ट्रवादी कहलाते थे। उन्होंने सरकार से अनेक परिवर्तनों की माँग

की। उन्होंने भारतीयों के लिए सरकार एवं प्रशासन में महत्वपूर्ण स्थानों की माँग की।

विधान परिषदों में अधिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति अधिक अधिकतर एवं क्षेत्रों पर अधिकार की माँग की। उन्होंने सरकारी पदों के लिए भारतीयों को नियुक्त करने की माँग की। इसके लिए नागरिक सेवा आयोग की परिक्षाएँ केवल लंदन में ही नहीं भारत में भी आयोजित करने की माँग रखी। गोरे यूरापियों ने रंग के आधार पर जो भेदभाव किया था

उसे दूर करना भी इस आंदोलन का एक कार्य था। नारौजी, आर. दत्त और रानाडे ने अंग्रेजी शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर होने वाले प्रभाव का अध्ययन किया और इसे भारतीय अर्थव्यवस्था को दूसरे तरीके बोझ से खोखला बनाने वाली बताया जो कि उन्हें और गरीब बना रही थी। उन्होंने उनका ध्यान गरीबी और अकाल की ओर आकर्षित किया तथा अंग्रेजी पद्धति को दोषी ठहराया कि इसका कारण अधिक करो को लगाना तथा खाद्यान्न का निर्यात करना बताया। कांग्रेस ने नमक कर, विदेशोंमें भारतीय मजदूरी के साथ किया जाने वाला व्यवहार तथा जनजाति की समस्याओं के लिए कई कानून पारित किए। भारत में गरीबी को मिटाने के लिए स्वदेशी उद्योगी में प्रगति करने की माँग की। परन्तु अंग्रेजी शासन इस प्रगति के रास्ते में रुकावट थे। वे न केवल भारतीय संपत्ति को इंग्लैंड भेज रहे थे बल्कि अंग्रेजी वस्तुओं को भारत में सस्ते दामों में बेचकर भारतीय कलाकारों और उद्योगपतियों को शक्तिहीन बनाने लगे।

आधुनिक नेता देश के कोने-कोने में जाकर भाषण, सभाओं तथा यात्राओं के द्वारा लोगों से मिलने लगे। उनका अनुमान था कि सही तरीके से अंग्रेजों के सामने माँगें रखने पर वे हमें आजादी और न्याय देंगे। उन्होंने इन राजनैतिक माँगों को समाचार पत्रों, सार्वजनिक भाषणों और कानून के द्वारा किया और उन्हें सरकार से सामने सामुहिक रूप से याचिका दायर की। संक्षिप्त में कहा जाए तो उन्होंने प्रार्थना, याचिका और विरोध की पद्धति को अपनाया था। वे लोगों तथा सरकार को प्रभावित करने में असफल रहें, परन्तु महत्वपूर्ण विषयों पर भारतीय दृष्टिकोण को बताने में सफल रहे। भविष्य में राष्ट्रीय आंदोलन को विकसित करने में यह महत्वपूर्ण रहा।

- आरम्भिक राष्ट्रवादी ऐसा क्यों सोचते थे कि भारत में गरीबी और अकाल का कारण अंग्रेज थे?
- आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आरम्भिक राष्ट्रवादी नेता भारत में पुराने राजाओं के शासन की स्थापना नहीं चाहते थे। क्या वह अंग्रेजी शासन से उपयुक्त था?

तीव्रवादी काल (स्वदेशी आंदोलन) 1905-1920

लगभग 1903 में स्वदेशी आंदोलन के आरम्भ से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने ऊँची छलाँग लगाई। पहली बार बंगाल और देश के अन्य भागों से महिलाएँ, विद्यार्थी, आदि ने सक्रिय रूप से राजनीति में भाग लिया। इस आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि 1903 में लार्ड कर्जन ने

बंगाल को पूर्वी और पश्चिमी दो भागों में विभाजित करने का प्रस्ताव रखा। राष्ट्रवादियों ने यह शीघ्र जान लिया कि सरकार बंगालवासियों को विभाजित करना चाहती है और राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना चाहती है। इस आंदोलन में सामान्य जनता भी सड़कों पर निकल गई और उसने इस अधिनियम का विरोध किया। इसके विरोध में जुलूस, याचिकाएँ और इसका प्रचार किया, परन्तु इस पर कोई ध्यान न देकर 1905 में सरकार ने बंगाल का विभाजन कर दिया। कई विरोधी सभाओं का आयोजन किया और विदेशी वस्त्रों और नमक का बहिष्कार किया। इस घोषणा को कई लोगों का समर्थन मिला। लोगो ने बंगाल के ग्रामीण क्षेत्र, देश के महत्वपूर्ण शहरों, नगरों में हड़ताल, विदेशी वस्त्रों की होली तथा विदेशी वस्तुओं की दूकानों के आगे पहरा लगा दिया गया। महिलाओं ने विदेशी चूड़ियों और विदेशी बरतनों के उपयोग का विरोध किया तथा धोबियों ने विदेशी वस्त्रों को धोने से इन्कार किया और पुजारियों ने विदेशी शक्कर से बनी मिठाईयों का भोग लगाना छोड़ दिया। विविध सामाजिक दलों की एकता स्वाभाविक राष्ट्रीयता थी। इसे अंकुरित करने में राष्ट्रवादियों ने सफलता प्राप्त की।

सरकारी संस्थाओं जैसे विद्यालय, कालेज, अदालतों आदि में हड़ताल कर दी गई। लोगों ने स्वदेशी विद्यालय, कालेज और अदालतों की स्थापना की जिसमें वे अपने आपसी मामले सुलझाते थे।

सरकार का सहयोग न करना और अपनी स्थिति मजबूत बनाना इसका उद्देश्य था। स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय उद्योगों में शीघ्रता से प्रगति लाई। इन्होंने स्वदेशी नमक, शक्कर और अन्य वस्तुओं का विशाल स्तर पर उत्पादन आरम्भ किया। पी.सी. राय बंगाल केमिकल वर्क्स और मुंबई के जमशेदजी टाटा ने बिहार में लौह-इस्पात कारखाने की स्थापना की। स्वदेशी वस्तुओं की माँग बढ़ने लगी। स्वदेशी आंदोलन से भारतीय कपड़ा उद्योग में प्रगति आई।

नरमपथी एवं तीव्रवादी

कांग्रेस के अगले सम्मेलन (1905) का संचालन तिलक, बिपिन चन्द्र पाल और लाला लाजपतक राय ने आंदोलन को देश के अन्य भागों में फैलाना चाहा और स्वराज की माँग की। बाल गंगाधर तिलक ने प्रसिद्ध नारा **स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है** लगाया। अब ये याचिकाओं एवं प्रार्थनाओं से हटकर अंग्रेजों को छोड़ कर जाने पर विवश करना चाहते थे। आरंभिक योजनाओं को वे मरम्मत कार्य या भीख माँगना मानते थे। प्राचीन नेता तीव्रवादियों को आंदोलन को धीरे से आगे बढ़ाने की सलाह देते थे क्योंकि वे समझते थे कि जनता अभी आंदोलन को पूर्ण रूप से चलाने या शासन करने में असमर्थ है। इस प्रकार दोनों दलों में मतभेद उत्पन्न हुआ तथा कांग्रेस में 1907 में दरार आ गई। तिलक जैसे तीव्रवादी नेता को कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर किया।



लाला लाजपत राय



ऐनी बेसेंट



विपिन चंद्र पाल



बाल गंगाधर तिलक

सरकार ने तीव्रवादी नेताओं को तीव्रता से दबाया। तिलक जैसे कई नेताओं को जेल में बंद कर देश निकाला दे दिया। अंत में आंदोलन समाप्त हो गया। कई नेताओं ने हिंसात्मक कदम उठा लिए और अंग्रेजों पर हमले करने लगे। इसके विरुद्ध में अंग्रेजों ने शारीरिक कष्ट, कठोर एवं निर्दयी शक्तिशाली कदम उठाए। इस प्रकार भी उन्हें सफलता नहीं मिली और उन्हें पकड़ कर फाँसी पर लटका दिया गया। वे अपने पीछे राष्ट्रवादी भावनाओं को छोड़ कर शहीद हो गए।

1915 में जब तिलक के जेल से छूट कर आने पर राष्ट्रीय आंदोलन फिर से तेज हो गया जब उन्होंने ऐनी बेसेंट से हाथ मिलाया और होम रूल आंदोलन आरम्भ किया 1916 में लखनऊ संधि के द्वारा कांग्रेस में फिर से एकता स्थापित हो गई।

- कल्पना कीजिए कि आप विद्यार्थी के रूप में विदेशी वस्त्रों को जला रहे हैं। बताइए उस दिन आपके विचार क्या होंगे और क्या हो सकता है?
- अगर अधिकारी आपकी प्रार्थना मानने के लिए तैयार न हो तो लोग क्या करें।

प्रथम विश्व युद्ध - 1914 to 1919

प्रथम विश्व युद्ध 1914 में फुट पड़ा जिसमें एक तरफ इंग्लैंड, फ्रान्स, रशिया तथा दूसरी तरफ जर्मनी तथा इसके सहयोगी देश थे। यह लगभग 5 वर्ष तक चला जब तक जर्मनी पूरी तरह हार नहीं गया और ऐसा मानव विनाश तथा कष्ट पहले कभी नहीं हुआ। यूरोप में युद्धों का युग समाप्त हुआ और आंदोलन का युग आरंभ हुआ। रशिया में

बंगाल विभाजन के दिन

16 अक्टूबर 1905 के दिन बंगाल विभाजन के अवसर पर बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। पूरे बंगाल में भोजन नहीं बनाया गया और दूकाने और बाजार बंद रहे। कोलकत्ता में हड़ताल कर दी गई, लोगों ने जुलूस निकाले और गंगा में स्नान किया और गलियों में वंदेमातरम का नारा लगाते हुए निकल पड़े। लोगों ने एक दूसरे के हाथों में राखी बाँध कर एकता का प्रदर्शन दिया। उसके बाद आनंद मोहन बोस और सुरेन्द्रनाथ बेनर्जी ने दो अलग-अलग सभाओं का आयोजन किया जिसमें लगभग 75000 लोगों ने भाग लिया।



बंकिमचंद्र चटर्जी

मछलीपट्टनम की कृष्णा पत्रिका

1902 में मछलीपट्टनम में कृष्णा पत्रिका आरम्भ की गई। इस पत्रिका को मुटन्नूरी कृष्णा की सहायता से 1902 में आरंभ किया। 1907 में संपादक बने तथा उनकी मृत्यु 1945 में हो गई। कृष्णा पत्रिका ने स्वतंत्रता संग्राम के प्रत्येक स्तर पच प्रकाश डाला जैसे वंदेमातरम आंदोलन, होम रूप आंदोलन, अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। कृष्णा पत्रिका ने केवल शहरी शिक्षित जनता को ही नहीं बल्कि ग्रामीण जनता पर भी प्रभाव डाला। पत्रिका एवं संपादक दोनों ने अंग्रेजी शासन के अत्याचारों को कई बार दोहराया।



मुटन्नूरी कृष्णा राव

लोगों में असंतोष अधिक बढ़ने लगा और अंग्रेजों की दमनकारी नीति अति होने लगी तो उसी समय दक्षिण अफ्रिका से महात्मा गाँधी लौटे और भारतीय स्वतंत्रता से जुड़ गये।

● प्रथम विश्वयुद्ध के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए, जिसका प्रभाव सामान्य जनता पर हुआ था।

● उस समय लोगों ने सामूहिक रूप से आंदोलन चलाए और युद्ध का विरोध किया तथा दूसरे देशों से युद्ध न करने के लिए कहा और शांति स्थापना की माँग की। आप क्या समझते हैं क्या यह सही था?

सामाजिक आंदोलन आरम्भ हुए जिसमें किसान, श्रमिक और सैनिकों ने राजा का विरोध किया। जमींदारी प्रथा को समाप्त किया और भूमि और उद्योगों का निजीकरण किया गया। वे देशों में समानता की वकालत करते थे तथा उपनिवेश शासन से देशों को मुक्त कराना चाहते थे। इस युद्ध के कारण भारत में कई समस्याएँ उत्पन्न हुईं। सामान्य जनता ने कई कष्ट उठाए जैसे धन प्राप्त करने के लिए सरकार ने कर बढ़ा दिए, खाद्यान्न निर्यात किया, सैनिकों की आवश्यकताएँ पूरी की।

इससे जनता में अंग्रेजी शासन के प्रति असंतोष उत्पन्न हुआ। रूसी क्रान्ति के समाचार से लोगों में यह प्रभाव हुआ कि अन्यायी शासक को भगाकर वे उनके स्थान पर एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे जिसमें सभी के लिए समानता और न्याय हो। सभी को यह आशा थी कि अंग्रेज भारत में प्रजातंत्र शासन के लिए मान जाएंगे और संविधान की रचना की जाएगी। परन्तु यह न होकर अंग्रेजों ने और कठोर कानून लागू किए। ऐसे समय में जब

मुख्य शब्द

1. सर्व प्रभुत्व सम्पन्न राष्ट्र
2. नस्लीय भेदभाव
3. संकल्प
4. नरमपंथी
5. याचिका
6. स्वदेशी
7. बहिष्कार
8. पहरेदारी
9. स्वराज
10. विद्रोह
11. तीव्रवादी

शिक्षा में सुधार

1. गलत वाक्यांश को सही कीजिए :
 - a. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आरंभिक काल में केवल मुंबई के लोगों ने भाग लिया ।
 - b. भारतीय उद्योगपतियों ने देश के विभिन्न भागों में कंपनियाँ खोली ।
 - c. लोगों ने आशा की कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत प्रजातंत्र बनेगा।
2. आधुनिकवादी और तीव्रवादियों के मध्य काल्पनिक संवाद इन संदर्भों पर लिखिए (अ) मुख्य अंग (आ) प्रचार का तरीका ।
3. इस अध्याय को पढ़ने के पश्चात मरिय्यम्मा सोचती है कि राष्ट्रीय आंदोलन के आरंभिक काल में केवल शिक्षित भारतीयों ने भाग लिया । उनके अनेक विचार पाश्चात्य धारा के थे। क्या आप उससे सहमत हैं? कारण बताइए ।
4. भारत में अंग्रेजी शासन के आर्थिक प्रभाव को जानना क्यों महत्वपूर्ण है?
5. स्वदेशी से आप क्या समझते हैं? इससे प्रभावित प्रमुख क्षेत्र कौन से है?
6. बंगाल विभाजन पर भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने क्या प्रतिकार किया ?
7. भारत के मानचित्र में अंकित कीजिए ।
 1. कलकत्ता (कोलकत्ता) 2. मद्रास (चेन्नई) 3. बॉम्बे(मुंबई) 4. लखनऊ
8. विश्व के मानचित्र में निम्न स्थान अंकित कीजिए ।
 1. ब्रिटेन 2. फ्रांस 3. राशिया 4. जर्मनी
9. कुछ महान नेताओं ने जैसे गाँधीजी, तिलक, सुभाष चन्द्र बोस, भगतसिंह ने अपनी देश की रक्षा के लिए प्राण गवाएँ। अगर वे ऐसा न करते तो क्या होता ?
10. आप के क्षेत्र में हाल ही में कोई आन्दोलन चला है? क्यों?

परियोजना

1. राष्ट्रीय नेताओं केचित्र जमा कीजिए जिन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लिया और एक एलबम बनाईए। एक रिपोर्ट तैयार कीजिए और अपनी कक्षा में प्रस्तुत कीजिए ।

राष्ट्रीय आंदोलन स्वतंत्रता की ओर 1919-1947

National movement – The Last Phase 1919-1947

महात्मा गाँधी का आगमन

1915 में महात्मा गाँधी दक्षिण अफ्रिका से भारत आए। उन्होंने उस देश में भारतीय के साथ रंग-भेद नीति के दुर्व्यवहार का विरोध किया था, वह प्रारम्भ से ही आदरणीय नेता था, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक प्रसिद्ध थे। उनके दक्षिण आफ्रिकी प्रचार के कारण वे विभिन्न भारतीय हिन्दु, मुसलमान, पारसी और ईसाई, गुजराती, तमिल, उत्तर भारतीय और व्यापारी, वकील और कर्मचारी संपर्क में आए।

महात्मा गाँधी ने अपना पहला वर्ष पूरे भारत की यात्रा में बिताया, लोगों को समझा, उनकी आवश्यकताएँ और उनकी स्थितियों को पहचाना। उनके आरंभिक प्रयास चम्पारन, केरा के किसानों पर लगाए गए अधिक करो एवं अन्याय के विरुद्ध क्षेत्रीय आंदोलन किए। 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल में सफलता पाई। इन दो



आंदोलनों के कारण वे अनेक नेताओं के संपर्क में आए। जिन्होंने जीवन भर उनका साथ निभाया। जैसे राजेन्द्र प्रसाद और वल्लभ पाई पटेल। चलिए अब 1919 से 1922 से मध्य चलाए गए आंदोलनों पर प्रकाश डालेंगे।

रौलत एक्ट और जलियाँवाला बाग काण्ड

महात्मा गाँधी किसी कांग्रेस दल से नहीं जुड़े थे लेकिन उन्होंने अपनी स्वयं की राजनैतिक योजनाएँ बनाई और राष्ट्रीय राजनीति में जगह बनाई। उनके लम्बे कदम में उन्होंने 1917 में चम्पारन प्रचार 1918 में खैरा विद्रोह आंदोलन और 1919 में अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों के लिए आंदोलन किया। वह एक प्रसिद्ध नेता बन गए और राजनीति के केन्द्र बने। अंग्रेजों के द्वारा पारित 1919 रौलत अधिनियम के विरुद्ध गाँधीजी ने सत्याग्रह किया। इस अधिनियम द्वारा मौलिक अधिकार छीन लिये गए जैसे विचार प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता तथा पुलिस बल अधिक शक्तिशाली बनने लगा। जिस किसी व्यक्ति पर पुलिस को शक हो जाता था उसे बिना किसी सूचना के उसे जेल में बंद कर दिया जाता था तथा उस व्यक्ति को पता नहीं होता था कि उसे किस अपराध की सजा दी जा रही है। महात्मा गाँधी, मोहम्मद अली जिन्नाह तथा अन्य नेताओं को लगा कि सरकार को व्यक्ति के मौलिक अधिकार छीनने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने इस अधिनियम की राक्षसी और अत्याचारी व्यवहार कह कर निंदा की। गाँधीजी ने भारतीयों को 6 अप्रैल 1919 के दिन अहिंसा दिवस के रूप में एक्ट के विरोध में मनाने के लिए कहा। यह दिन प्रार्थना और सांत्वना का था और हड़ताल की गई। आंदोलन के लिए सत्याग्रह सभाएँ आयोजित की गईं। रालेट एक्ट सत्याग्रह अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध अखिल भारतीय स्तर पर आरम्भ किया गया जबकि यह विशाल स्तर पर शहरों में बंद था। 1 अप्रैल 1919

साम्प्रदायिकता और साम्प्रदायिक संस्थाएँ

साम्प्रदायिकता का अर्थ है किसी एक धर्म के समाज को विकसित करना न कि इसमें सामान्य रूचि देखी जाती है। इसे यह विश्वास होता है कि प्रादेशिक एवं केन्द्रीय सरकार भी उसी विशेष धर्म को ध्यान में रखकर काम करे। यह राष्ट्रियता की विरोधी होती है जो व्यक्तिगत समुदायों और प्रतिनिधियों से ऊपर होता है तथा सभी धर्मावलम्बीकी रूचि के अनुसार काम करता है तथा जिसका कोई धर्म न हो उसके लिए भी कार्य करता है। इस दृष्टिकोण को **धर्म निरपेक्षता** कहते हैं जिसमें सरकार किसी के धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करता और न कोई धर्म सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप करता है। यह सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। किसी एक का पक्ष नहीं लेता। जैसा आपने देखा कि धर्मनिरपेक्षता साम्प्रदायिकता का विरोध करता है जो किसी एक धर्म को दूसरे धर्म से अधिक विकसित करना चाहता है और सरकार पर जोर डालते हैं कि किसी विशेष धर्म की आवश्यकताओं का ध्यान रखे।

20 वीं शताब्दी में साम्प्रदायिक संस्थाएँ भारत में उभरने लगी, उसी समय राष्ट्रियता भी पनप रही थी। 1906 में ढाका में मुसलमान भूपतियों तथा नबाब ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की लीग ने बंगाल विभाजन को समर्थन दिया। वे मुसलमानों के लिए अलग मतदान केन्द्र चाहते थे। सरकार ने 1909 में इसे समर्थन दिया। अब परिषद में कुछ सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित की गईं जो कि मुसलमान मतदाताओं द्वारा चुने जाते थे। इससे राजनेताओं का आकर्षण अपने स्वयं के धर्म को विकसित करने में होने लगा।

1915 में हिन्दू महासभा का गठन किया गया जिसका उद्देश्य था हिन्दुओं को एकत्रित करना और धर्म परिवर्तन लोगों को वापस हिन्दु धर्म में परिवर्तित करना। इसका नेतृत्व पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे नेताओं द्वारा किया गया। वे मुस्लिम लीग तथा अन्य धार्मिक समूहों को विरोध करना चाहते थे।

में सभाएँ और देश में हड़ताल की गई और सरकार ने इसको दबाने के लिए अत्याचारी कदम उठाए। इसका सबसे बेकार उदाहरण था बिना सूचना के पंजाब के अमृतसर के जलियाँवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 के दिन जनरल ओ. डायर ने सभा पर गोलियाँ बरसाई जिसमें 400 से अधिक लोग मारे गए और हजारों घायल हो गए। इस नरसंहार घटना के बारे में जब रवीन्द्र नाथ टैगोर ने सुना तो क्रोधित होकर अपनी उपाधि **नॉइटहुड** को त्याग दिया।

रॉलेट सत्याग्रह के समय भागीदारों ने हिन्दुओं और मुसलमानों को एकता में बाँध कर अंग्रेज शासन के विरुद्ध आवाज उठाई। महत्मा गाँधी ने भी लोगों को आवाज दी जो कि हमेशा भारत की

धरती को हिन्दु, मुसलमान और अन्य धर्म वालों की मानते थे। वे चाहते थे कि हिन्दु और मुसलमान दोनों एक दूसरे की मदद करें।

भारतीय राष्ट्रवादियों ने भारत के सभी लोगों में एकता बनाये रखने, भारतीय समाज का सुधार, प्रजातांत्रिक सरकार लाना और भारत के स्वशासन के लिए प्रयास किया।

- क्या आप सोचते हैं कि आंदोलन को दबाने का अधिकार पुलिस को दिया जाय ?
- आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि लोग स्वतंत्रता आंदोलन के समय कानून के इतने विरोधी बन गए ?

खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन

खिलाफत भी इसका एक कारण बना। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की सुल्तान या खलीफा को संधि करने पर विवश किया। लोग इससे क्रोधित हो गए जैसे कि जलियावाला बाग संहार के समय हुए थे। भारतीय मुसलमान भी चाहते थे कि खलीफा को मुगल पवित्र स्थलों पर वापस अधिकार दिया जाय और महासाम्राज्य बने। खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली भी असहयोग आंदोलन का प्रचार करने में सहयोग देने लगे।

गांधीजी ने भी अपना समर्थन दिया और कांग्रेस से निवेदन किया कि वे पंजाब गुनाहो (जलियावाला बाग) का प्रचार करे, खिलाफत की गलतियों का और स्वराज की माँग करे। 1920 के नागपुर कांग्रेस सम्मेलन में गांधीजी को कांग्रेस के नेता बनाया गया। इस सम्मेलन में कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था। शांतिपूर्ण तरीके और कानून द्वारा स्वराज्य में परिवर्तन लाया जाय। स्वराज प्राप्त करने के लिए असहयोग आंदोलन को अपनाया गया।

1921-22 के समय असहयोग आंदोलन अधिक विकसित हुआ। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी विद्यालय एवं कालेज को छोड़ दिया। कई वकील जैसे मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, सी. राजगोपालचारी और आसिफ अली ने वकालत छोड़ दी। अंग्रेजी उपाधियों को त्याग दिया गया और विधान परिषदों में बहिष्कार किया गया। लोगों ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। 1920 और 1922 के मध्य में विदेशी वस्त्रों का आयात कम हो गया। इसके प्रचार में गांधीजी ने चरखे पर सूत कात कर अपने कपड़े बनाने का प्रचार किया। (जिसे खादी कहते हैं) प्रत्येक घर में आत्मनिर्भर बनने की इच्छा उत्पन्न हुई।



चित्र: 11A.3 : भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतिम चरण में गांधीजी ने चरखे को स्वदेशी चिह्न के रूप में अपनाया

परन्तु यह सब हिमशैल बन कर रह गए। देश के विशाल भाग में खतरनाक और शक्तिशाली आंदोलन होने लगे। उदाहरण के लिए देखे कि आन्ध्र क्षेत्र में क्या हो रहा है?

राष्ट्रीय सक्रीयता का प्रमुख केन्द्र गुंटूर था और यह विशाल स्तर पर आरंभ हुआ जिसमें विद्यार्थी ही नहीं बल्कि गाँव के व्यापारी और किसानों ने भी भाग लिया। असहयोग आंदोलन का सबसे मुख्य आंदोलन चिराला-पेराला था। जब सरकार ने शहर को नगरपालिका बनाने का निश्चय किया और लोगों पर भारी कर लगाए तब लगभग 15000 लोगों के शहर में दुर्गीराला गोपाल कृष्णय्या ने कर देने से इंकार कर दिया और नए समझौते के अनुसार उन्हें रामनगर परिवर्तित किया और ग्यारह महीनों के लिए वही रहे। किसानों के द्वारा भूमि पर कर न देने वाला यह आंदोलन शक्तिशाली बना और समुह में ग्रामीण अधिकारियों ने त्यागपत्र दे दिया। लोगों ने कहा, “गांधीजी का स्वराज आएगा और हम सरकार को कर नहीं देंगे।”

एक और विशाल प्रगति वन सत्याग्रह गुंटूर जिले के पलनाती तालुका में और कड़प्पा के रायचेरी तालुका में आरम्भ हुआ। किसानों ने पशु समुह को घास चरने के लिए जंगलों में भेजना शुरू किया बिना वन विभाग का शुल्क दिए। पलनाडू के कई गाँवों में किसानों ने गाँधी राज की घोषणा कर दी और पुलिस दल पर हमला कर दिया। लोगों को यह बताया गया कि उपनिवेशी शासन समाप्त होगा और फिर से जंगल गाँव वालों के अधिकार में आ जाएँगे। विद्रोह के समय दो तालुका के जंगलों में प्रशासन में पतन आया।

उपरोक्त कथन से हम यह जान सकते हैं कि लोग गाँधीजी को अपना मसीहा समझते थे जो कि उनकी गरीबी और कष्ट को दूर करने में उनकी मदद करेंगे। गाँधीजी उच्च स्तर पर एकता चाहते थे न कि वर्ग मतभेद, किसान कल्पना करते थे कि जमींदारों के विरुद्ध लड़ने में गाँधीजी उनकी मदद करेंगे और किसानों को यह विश्वास था कि वे उन्हें भूमि दिलवायेंगे। साधारण लोगों ने अपनी उपलब्धियों का श्रेय गाँधीजी को दिया। इस आंदोलन के अन्त में प्रतापगढ़ ने किसानों ने इस मामले में संघीय राज्य (अब उत्तर प्रदेश) की स्थापना की और किरायेदार के नाजायज हस्तक्षेप को बंद किया। लेकिन उन्होंने यह अनुभव किया कि गाँधीजी ने ही उनकी मांगों को सफलता दिलाई है। कभी-कभी जनजाति और किसानों ने गाँधीजी का नाम लेकर कई कार्य किए जो कि गाँधीजी के आदर्श नहीं थे।

- चिराला-पेराला आंदोलन और वन सत्याग्रह के संदर्भ में अधिक जानकारी एकत्रित कीजिए और एक नाटक तैयार कीजिए तथा कक्षा में कीजिए।

1922-1929 की घटनाएँ

जैसा आप जानते हैं महात्मा गाँधीजी हिंसा के विरोध में आंदोलन किये थे। जब उन्होंने सहसा असहयोग आंदोलन को फरवरी 1922 में आरंभ किया था तो चौरा-चौरी के किसानों ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। बाईस पुलिसकर्मी मारे गए। पुलिस के शान्ति पूर्वक प्रदर्शन पर गोली चलाने पर किसान क्रोधित हो गए।


एक बार असहयोग आंदोलन के बंद होने के बाद गाँधीजी के अनुयायियों ने उन पर दबाव डाला कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में रचनात्मक कार्य करें। दूसरे दल के नेता जैसे सी.आर.दास और मोतीलाल नेहरू परिषदों के चुनावों में भाग लेने तथा उनमें प्रवेश कर कर सरकारी योजनाओं से अवगत होना चाहते थे। 1920 के वर्षों के मध्य में गाँवों में निश्चल सामाजिक कार्यों ने गाँधीवादियों को मौलिक स्तरीय सहयोग दिया। यह 1930 में अवज्ञा आंदोलन को आरंभ करने में महत्वपूर्ण उपयोगी रहा।

1920 के मध्य काल के दो महत्वपूर्ण विकास यह थे जैसे राष्ट्रीय स्वयं सेवक का निर्माण (RSS) एक हिन्दू सांस्कृतिक संस्था और साम्यवादी दल का निर्माण। इनके विचार में भारत एक विभिन्न प्रकार का था। अपनी अध्यापिका से उनके विचारों को जानिए। इस काल में क्रान्तिकारी भगतसिंह भी सक्रिय थे।

अवज्ञा आंदोलन- नमक सत्याग्रह (1930-32)

जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन हुआ। इस सभा में कांग्रेस ने यह घोषणा की कि पूर्ण स्वराज ही इसका प्रमुख उद्देश्य है और इसे पाने के लिए ही अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया गया। कांग्रेस के वामवादियों ने इसे राष्ट्रीय लक्ष्य और कार्यक्रम मानकर इसका नेतृत्व किया। कांग्रेस की कार्यकारी समिति ने उत्साहपूर्वक 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस निश्चित किया।

12 मार्च 1930 में अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में गाँधीजी ने गुजरात के समुद्री किनारे पर स्थित छोटे से गाँव (सरकार ने नमक निर्माण पर कर लगाया जो साधारण लोगों के लिए अधिक था) डाण्डी में नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ने का निर्णय लिया। दूसरे दिन सबेरे गाँधीजी 78 अनुयायियों के साथ 375 कि.मी. की दंडी यात्रा पर निकल पड़े जो 24 दिन में साबरमती आश्रम से डाण्डी पहुँचते थे। प्रतिदिन समाचार पत्रों में उनकी प्रगति, भाषणों और लोगों पर उसके प्रभाव को प्रकाशित किया। इस मार्ग में सैकड़ों ग्रामीण अधिकारियों ने नौकरियों से इस्तीफा दे दिया। 16 अप्रैल 1930 के दिन गाँधीजी दंडी पहुँचे और मुट्ठी



चित्र 11 B.1: स्वतंत्रता आंदोलन के समय दो चित्र चित्रित किये गये
1. गाँधीजी डाण्डी में नमक एकत्रित करते हुए 2. सरोजनी नायडू दर्शन नामक कारखाने के सामने पद त्याग करती हुई।

भर नमक उठाया और कानून को तोड़ दिया। इससे ज्ञात होता है कि लोग अंग्रेजी कानून तले जीने से इंकार करते हैं और अंग्रेजी शासन के अधीन भी नहीं रहना चाहते। उत्साही तरंग ने भारत को बुहार दिया।

देश के अनेक स्थानों में नमक कानून तोड़ा गया और अवज्ञा आंदोलन में कई महिलाओं ने भी भाग लिया। केवल दिल्ली में 1600 महिलाओं को

बंदी बनाया गया। यह आंदोलन केवल नमक सत्याग्रह तक सीमित नहीं रहा। विदेशी वस्त्रों की दुकाने और शराब की दुकानों पर पहरा लगा दिया गया और जला दिया गया। हाथ से कपड़ा बुनने का आंदोलन आरम्भ हुआ। अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय कालेज और सेवाएँ बहिष्कृत कर दिए गए विशाल स्तर पर लोगो ने इस आंदोलन में भाग लिया।

सरकार ने इसके बदले में कठोर दमन नीतियाँ लाठी चार्ज और असचेत महिलाओं और पुरुषों की भीड़ पर गोलियाँ चलाई गईं। लगभग 90,000 सत्याग्रही जिसमें गाँधीजी और अन्य कांग्रेसी नेताओं को बंदी बनाया गया। पुलिस की गोली बारी में 110 लोग मारे गये और लगभग 300 लोग घायल हुए। अंग्रेजों ने भारतीयों को विभाजित करने के लिए मुसलमानों, जमींदारों और अन्य अल्पसंख्यकों पर जीत पाने की कोशिश की। परन्तु नेताओं ने रचनात्मक कदम उठाए जैसे खदर

पहनना, सारे देश से अस्पृश्यता को दूर करना चाहा जिससे आंदोलन में सामाजिक संस्कृति लाई जा सके। गाँधीजी की पुकार पर असंख्य महिलाओं ने परदा छोड़कर आंदोलन में भाग लिया।

जब सरकार ने 1935 में भारतीय सरकार अधिनियम पारित किया तो भारत के सामुहिक संघर्ष कर्ताओं ने फल प्राप्त किए। सरकार ने प्रांतीय स्वशासन को घोषित किया और 1937 में प्रांतीय विधान परिषदों में चुनावों की घोषणा की। 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई। प्रांतों में कांग्रेस के दो वर्षों के शासन के बाद ही 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध फूट पड़ा। हिटलर, के आलोचक कांग्रेस के नेताओं ने अंग्रेजों के युद्ध प्रयास को सहयोग देना चाहा। इसके बदले में वे युद्ध के बाद भारत की स्वतंत्रता चाहते थे। अंग्रेजों ने माँग को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेसी मंत्रियों ने त्यागपत्र दे दिए।

भारत छोड़ो आंदोलन-1942 “करो या मरो”

इंग्लैंड द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों और भारत के धन का उपयोग करना चाहता था। कांग्रेस ने युद्ध में सहायता के बदले में स्वशासन चाहा परन्तु सरकार इस माँग को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थी। 8 अगस्त 1942 को मुंबई में कांग्रेस सक्रीय समिति मिली है और प्रस्ताव पारित किया और स्पष्ट रूप से कहा कि भारत में अंग्रेजी शासन शीघ्र समाप्त किया जाय। भारत छोड़ो प्रस्ताव के पारित किए जाने

द्वितीय विश्व युद्ध खख (1939-45)

जर्मनी में हिटलर और उसकी नाजी पार्टी सारे विश्व पर अधिकार करना चाहती थी और ब्रिटेन, फ्रान्स, सोवियत संघ रूस और अन्य देशों से युद्ध की घोषणा की (मित्र देश कहलाते थे) जापान और इटली ने जर्मनी की मदद की। मानव इतिहास में सबसे भयंकर युद्ध 1939 में आरंभ हुआ जो 1945 में समाप्त हुआ जब सोवियत संघ की सेना ने बर्लिन पर अधिकार कर लिया और और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने जापान और हिरोशिमा नागासाकी पर बम वर्षा की। जो व्यक्ति प्रजातंत्र के मूल्यों और स्वतंत्रता को संजो रखना चाहते थे। उन्होंने हिटलर का विरोध किया और युद्ध में मित्र देशों का साथ दिया। भारत में दुविधाजनक स्थिति बन गई क्योंकि उसी समय भारतीय अंग्रेजों से युद्ध कर रहे थे।

की संध्या बेला में गाँधीजी ने भारतीयों को यादगार शब्दों से संबोधित किया कि “इस आंदोलन द्वारा आप में से प्रत्येक स्त्री या पुरुष स्वयं को स्वतंत्र माने तथा उसी प्रकार कार्य करे.....मैं किसी भी तरह से आंशिक स्वतंत्रता से संतुष्ट नहीं होऊँगा। हम करेंगे या मरेंगे। हम भारत को स्वतंत्र कराएंगे या इसे पाने में मर जाएंगे।”

9 अगस्त 1942 को सबरे ही सरकार ने कई कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार किया जैसे गाँधीजी, पटेल, नेहरू, मौलाना, आजाद, आचार्य क्रिपलानी, राजेन्द्र प्रसाद और अन्य। लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन हड़ताल, स्ट्राइक जुलूस द्वारा सारे देश में किया। दुर्भाग्य से आंदोलन ने हिंसा का रूप ले लिया। कारखानों में मजदूरों ने काम करना बंद कर दिया और विद्यार्थियों ने पुलिस स्टेशन, डाक घर, रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक स्थलों पर आक्रमण किया। उन्होंने तारघर और टेलीफोन के तार तोड़ दिये, रेल लाईने उखाड़ दी। उन्होंने सरकारी इमारते, वाहन सेना, मालगाड़ी आदि को जला दिया। इसका अधिक प्रभाव मुंबई और मद्रास में हुआ। उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश में इसका प्रभाव अधिक हुआ। मिदनापूर में लोगों ने 1942-44 में समानांतर

सरकार की स्थापना की। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप लगभग 10 लाख पाउण्ड की जितनी संपत्ति नष्ट हुई। तीस व्यक्तिगत पुलिस और सैनिको ने अपनी जान गँवाई, कई लोग मारे गए, सरकारी जेलों में हजारों लोग बंदी बनाए गए। 1943 के अंत में 90,000 लोग बंदी बनाये गये। लगभग 1,000 लोग पुलिस गोलीबारी में मारे गए। कई

सुभाष चन्द्र बोस और (भा.रा.से)

सुभाष चन्द्र बोस स्वराजी और क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA) की स्थापना बर्मा और अंडमान में रास बिहारी बोस की सहायता से की। INA में ६० हजार से अधिक सिपाही थे। इस युद्ध में उन्होंने जापानियों की सहायता ली। 21 अक्टूबर 1943 में स्वतंत्र भारत में प्रान्तीय सरकार (आजाद हिन्द) की स्थापना सिंगापूर में की। 18 मार्च 1944 के दिन INA ने बर्मा की सरहद को पार कर दिल्ली चलो नारे के साथ भारत में प्रवेश किया।

1944 को कोहिमा में भारतीय झण्डा फहराया था। युद्ध में भाग्य परिवर्तन के कारण 1944-45 की शीत ऋतु में अंग्रेजों की प्रतिकारी दमन नीति के कारण द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार से INA आंदोलन खत्म हो गया। 23 अगस्त 1945 के दिन बेकांक से टोकियो जाते समय सुभाष चन्द्र बोस की मृत्यु हो गई।



चित्र 11 B.3: बाएँ-INA सैनिक (नीचे दाएँ) झाँसी के सिपाही सतर्क (दाएँ उपर) डाक चिह्न



सुभाष चन्द्र बोस



भगत सिंह



जे.बी. कृपलानी



अब्दुल कलाम आजाद


क्षेत्रों में भीड़ को तीतर-बीतर करने के लिए मशीनगन का उपयोग करने का आदेश दिया गया। अंत में क्रांतिकारियों ने शासन(राज) को अपने घुटनों में झुका दिया।

स्वतंत्रता की ओर और विभाजन

1940 के मध्य मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए देश के उत्तरी पश्चिमी और पूर्वी भागों में स्वतंत्र राज्य स्थापना की माँग का प्रस्ताव पारित किया। माँग की। लीग ने प्रायद्वीप के मुसलमानों का सशक्त समझौता क्यों चाहा? 1930 वर्षों के अंतिम काल में लीग मुसलमानों के लिए हिन्दुओं से अलग राष्ट्र चाहने लगा। 1920 और 1930 के वर्षों में हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच ऐतिहासिक तनाव उत्पन्न हुआ। सबसे महत्वपूर्ण था 1937 के प्रान्तीय चुनावों में लीग ने मुसलमानों को अल्पसंख्यक बताया और कहा कि प्रजातांत्रिक ढाँचे में उनका स्थान द्वितीय रहता

उग्रवादी संस्थाओं के वर्ष

1940 के बाद का काल गहन गतिविधियों का उग्रवादी संस्थाओं जैसे साम्यवादी दल, व्यापारिकसंघ, महिला संस्थाओं का माना जाता है। उन्होंने गरीबी और मध्यवर्गीय किसानों और श्रमिकों, जनजाति और दलित वर्गों में सैन्यीकरण स्थापित किया। केवल वे अंग्रेजों का विरोध करना ही उनका लक्ष्य नहीं था बल्कि स्थानीय शोषण कर्ता जैसे साहूकार, मिल मालिक और उच्च वर्गीय भूपतियों का विरोध करना भी था। वे नए स्वतंत्र भारत में अपनी रुचियों का बारिकी से ध्यान रखते थे और उनके लंबे समय का संघर्ष को समाप्त करना और उन्हें समान अधिकार और अवसर मिले। अब तक राष्ट्रीय आंदोलन उच्च वर्ग के अधीन था। उन्हें एक नया विस्तृत एवं शक्तिशाली उपाय मिला जिससे उन्हें अंग्रेजी शासन को निकाल फेंकने में सहायता मिली। विशेषतः गरीब, बाहरी जाति और पूर्वी भारत के श्रमिकों में सक्रिय भाग लिया। मलाबार के अधीन किरायेदार, तेभागा के किरायेदार, वेटी जाति और तेलंगाना के छोटे किसान इस आंदोलन के सक्रिय भागीदार थे। कांग्रेस इस आंदोलन को सक्रिय रूप से चलाने में असमर्थ थी क्योंकि वह पूरी तरह से स्वतंत्रता समझौता में डूबी हुई थी। खाद्यान्न अभाव और भूमि की माँग ने उन्हें फिर से द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व पहुँचा दिया। साम्यवादी जो अखिल भारत किसान सभा किसान मोर्चे और बुद्धिजीवियों में अखिल भारतीय जन नाटक संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी संघ के द्वारा सक्रिय थे, ने इसे परिप्रेक्ष्य से चलाया।



चित्र 11B.3 : स्वतंत्रता के बाद लाल किले से लोगों को संबोधित करते हुए
जवाहरलाल नेहरू

है। उन्हें भय था कि कहीं मुसलमानों का प्रतिनिधित्व ही समाप्त न हो जाए। 1937 में कांग्रेस लीग सरकार में संघों की एकता को कांग्रेस द्वारा तिरस्कृत किए जाने पर लीग क्रोधित हो गई।

कांग्रेस की असफलता का प्रमुख कारण था 1930 में मुसलमान समुह को लीग द्वारा सामाजिक सहयोग पाने में अनुमति देना। 1940 के आरंभिक काल में जब कांग्रेसी नेता जेल में थे तब इसे प्रचार का अवसर मिला। 1945 के अंतिम चरण में अंग्रेजों और लीग के समक्ष भारत की स्वतंत्रता के लिए आपसी वार्तालाप का उपाय रखा। यह वार्तालाप असफल रही क्योंकि लीग ने भारतीय मुसलमानों के लिए अकेले बातचीत की। कांग्रेस ने इस माँग को अस्वीकार किया जब तक कि अधिक संख्या में

मुसलमानों का सहयोग मिले। 1946 में अंग्रेजी मंत्रिमंडल ने तीन मंत्रियों का संघ (स्ट्राफ़ोर्ड, क्रिप्स, पेथिक लारेन्स, अलगजेंडर) ने इस माँग की जाँच करने और स्वतंत्र भारत के लिए उचित आकार बनाने के लिए दिल्ली भेजा। इस मिशन ने भारत की एकता का सुझाव रखा तथा जिस क्षेत्र में मुसलमान अधिक हैं, वहाँ अस्थाई राज्यों की स्थापना का सुझाव दिया। परन्तु कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को इस उपाय में कोई दिलचस्पी नहीं थी। विभाजन थोड़ा या ज्यादा अब आवश्यक बन गया। 1946 में अंग्रेज केबिनेट मिशन के अधिकारियों ने दीर्घकाल के लिए भारत में स्वतंत्र संघों की स्थापना का उपाय सुझाया वे संसक्त प्रान्तीय का साथ में विकास चाहते थे। यह उपाय भी असफल हुआ

और मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की माँग के लिए एक सामूहिक जुलूस निकालना चाहा। 16 अगस्त 1946 को इन्होंने प्रत्यक्ष क्रिया दिवस घोषित किया। इस दिन कलकत्ता में भीड़ का क्रोध भड़क उठा, जो कुछ दिन चला और इसका परिणाम हजारों व्यक्तियों की मृत्यु हुआ। मार्च 1947 तक भारत के उत्तरी भागों में भी यह फैल गया।

लार्ड माउन्ट बेटन जो 1947 में भारत में वायसराय के पद पर नियुक्त किए गए थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच के विचारों के भेद को मिटाने में असमर्थ रहे। अंत में उन्होंने पाकिस्तान को मुसलमानों के

अधिकार में तथा भारत को हिन्दुओं के अधीन दे दिया। भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र किया गया जबकि पाकिस्तान ने 14 अगस्त के दिन अपनी आजादी मनाई। विभाजन के बाद भी लाखों लोग मारे गए और महिलाओं को न बताने वाले दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने पर विवश किया गया। अपनी मातृभूमि को आँसुओं के साथ त्याग और उन्हें अन्य स्थलों में शरणार्थी माना गया। इस कारण हमारी स्वतंत्रता की प्रसन्नता हिंसा के कारण दर्द और खुशी का मिश्रित रूप बन गई।

मुख्य शब्द

- | | | | |
|----------------|------------------|------------------|---------------|
| 1. राष्ट्रीयता | 2. लौकिक | 3. आतंकवाद | 4. अतिवाद |
| 5. सत्याग्रह | 6. असहयोग आंदोलन | 7. अवज्ञा आंदोलन | 8. उपमहाद्वीप |

शिक्षा में सुधार

- तालिका बना कर उसमें राष्ट्रीय आंदोलन में विभिन्न प्रयासों को दर्शाए।

घटना	गांधीजी की भूमिका


- राष्ट्रीय आंदोलन ने अंग्रेजी सरकार के सभी प्रयासों को विफल कर प्रजातान्त्रिक स्वतंत्रता और लोगों के अधिकार के लिए संघर्ष किया। अधिकारों के कुछ उदाहरण दीजिए जिसमें सरकार को सीमित करने और उसके विरोध में आरम्भ किए गए आंदोलन।
- कहाँ तक नमक सत्याग्रह अपने उद्देश्यों को पाने में सफल रहा? अपना मूल्यांकन दीजिए।

4. निम्न में से कौन-सा राष्ट्रीय आंदोलन का भाग था ।
 - a. विदेशी वस्त्रों की दुकानों के बाहर पहरेदारी
 - b. कपड़ा बुनने के लिए हाथ से बना धागा
 - c. आयातित कपड़ों को जलाना ।
 - d. खद्दर पहनना
 - e. उपरोक्त सभी
5. कौन-कौन सी घटनाओं से देश का विभाजन हुआ ?
6. पहला अनुच्छेद पढ़िए जिसका शीर्षक है- '1922-1929' की घटनाएँ और इसका उत्तर दीजिए- हिंसा के बाद गाँधीजी ने आंदोलन वापस ले लिया। आप कैसे इसका समर्थन करेंगे ?
7. भारत छोड़ो आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए ।
8. 1885 से 1947 तक के स्वतंत्रता संघर्ष का समय चार्ट तैयार कीजिए ।
9. क्या स्वतंत्रता आंदोलन में महान नेताओं के बलिदान का फल हर मनुष्य तक पहुँचा है? इस पर अपने विचार साइना करें ?

हैदराबाद में स्वतंत्रता आंदोलन

Freedom Movement in Hyderabad

दक्षिण भारत में अंग्रजों की सर्वोच्च सत्ता में सबसे महत्वपूर्ण राजवंशी क्षेत्र हैदराबाद था। यहाँ निजाम का शासन था जो अंग्रेजी वायसराय से संबंधित था और उनकी योजनाओं का पालन करना अनिवार्य था।



मानचित्र में निजाम के दिवानी क्षेत्र तथा गैर दिवानी क्षेत्र

वायसराय ने राजवंशीय प्रान्तों में अपना निवास स्थापित किया जो उस प्रदेश की योजनाओं का निरीक्षण करते थे और समय-समय पर उनके प्रशासन में हस्तक्षेप करते थे। इस अध्याय में हम ब्रिटिश निजाम शासन में लोगों की स्थिति की जानकारी प्राप्त करेंगे और कैसे उन्होंने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। हैदराबाद राज्य में मराठी, कन्नड़, तेलुगु और दक्खिन उर्दू भाषी का समावेश था। इस अध्याय में हम मुख्य रूप से तेलुगू और उर्दू भाषी क्षेत्र पर ध्यान देंगे जिससे तेलंगाना जिले का निर्माण हुआ।

राष्ट्रीयता के आरंभिक वर्ष

1888 अक्टूबर में हैदराबाद प्रसिद्ध व्यक्तियों की लघु समिति ने बिल वितरित किए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रसिद्धि के लिए सभा आयोजन के सूचना पत्र वितरित किए। कई शिक्षित वर्गों के विशाल समूह को आकर्षित किया। हैदराबाद के मुल्ला अब्दुल खय्याम कांग्रेस में महावीर हुए। वे कांग्रेस सभाओं में उपस्थित रहे और मुसलमानों से सक्रिय भाग लेने के लिए प्रार्थना की। उन्होंने उच्च वर्ग पर आरोप लगाया और निजाम राज्य में उन्हें दी गई सुविधाओं का विरोध किया। वे अंजुमन-ए-मारिफ के निर्माण में उत्तरदायी रहे जिसका लोगों ने सामाजिक बुद्धिजीवियों और आर्थिक जीवन को विकसित करना था। विभिन्न समाचार पत्रों में राष्ट्रीय जागृति के विस्तार की झलक प्रकाशित की गई। हैदराबाद तारघर, दक्कन स्टैंडर्ड, मुस्लिम-आइ



मुल्ला अब्दुल
खय्याम

सफील आदि समाचार पत्रों द्वारा राष्ट्रीयता का प्रचार किया गया। इनमें से कई ने राष्ट्रीयता के कारणों को सहयोग दिया।

चादरघाट मेथडिस्ट एपिसकोपल चर्च के रेव गिल्डर आदि मिशनरियों ने कांग्रेस को समर्थन दिया। कांग्रेस ने हैदराबाद में जड़े जमा ली और लोगों में स्वतंत्रता के प्रश्न, विकास और प्रतिनिधित्व सरकार के आकार कार्य को प्रेरित किया।

1892 में हैदराबाद में आर्य समाज की स्थापना हुई। आर्य समाज ने मजदूरों के लिए प्रशिक्षण स्तर पर रचनात्मक क्रियाकलापों में सेवाएँ की तथा जन विचारों को उभारा तथा सामाजिक-धार्मिक जागरूकता को निर्मित किया। इससे हैदराबाद में राष्ट्रीय आंदोलन में नेताओं का संग्रह हुआ।

सामंती व्यवस्था

वास्तव में निजाम मुगल राजाओं के प्रान्तीय राज्यपाल थे। वे पैतृक जागीरदारों और अधीनस्थ राजाओं की मदद से शासन करते थे। तेलंगाना के मुख्य सामन्ती क्षेत्र है - वनपर्ती, गद्वाल, दोमाकोण्डा, सीनापल्ली, कोल्हापुर, पालवांचा, आत्माकुर और अल्लदुर्गम। जागीरदारों को दर्जनों नहीं सैंकड़ों गाँवों का नियंत्रण दिया गया। जिसपर उन्होंने शासन किया और वांछित रूप से लोगों से कर भी एकत्र किया। साम्राज्य का शेष भाग देशमुखों की सहायता से निजाम के शासन में थे। जिसके बारे में आपने पिछले अध्याय में पढ़ा है।

निजाम प्राचीन प्रथा ही चाहते थे, जिससे उच्चवर्ग सभी संसाधनों पर अधिकार रखते थे तथा अपनी इच्छानुसार शासन करते थे। वे किसी प्रजातांत्रिक प्रणाली का प्रवेश नहीं चाहते थे जिसमें स्थानीय संस्थाएँ या सभाएँ होती हैं। VII

निजाम मीर उस्मान अलीखान ने कांग्रेस के कई फरमान या राज्यादेश जो राज्य में राजनैतिक क्रियाओं को रूप वैसे देने वाले फरमान या राज्यादेश लागू किए। पुलिस और सिपाहियों के साथ उनका संबंध रहता था जो लोगों पर पैनी नजर रखते थे।

भाषा और धर्म

हैदराबाद राज्य के निजाम शासक मुसलमान थे जो दक्कनी उर्दू बोलते थे। उस राज्य में अधिक हिंदू थे जो तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषी थे। उर्दू कार्यालय की भाषा थी और 90% से अधिक उच्च अधिकारी मुसलमान थे। प्राथमिक स्तर से विश्वविद्यालय तक शिक्षा का माध्यम उर्दू था। यहाँ तक कि तकनीकी पुस्तकों का भी उर्दू में अनुवाद किया गया।

अपने साम्राज्य में विद्यालय स्थापना में निजाम बहुत धीमे थे। कई जागीरदारों ने अपने क्षेत्रों में विद्यालय खोलने की अनुमति नहीं दी। निजाम को भी सदैव संदेह रहता था कि निजी विद्यालयों में निजाम के विरोध में प्रचार किया जाएगा। उन्होंने निजी विद्यालयों को निरूत्साहित किया और उन

विद्यार्थियों को उस्मानिया विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाता था। इसी परिणामस्वरूप 1941 में भी केवल 9.3% लोग शिक्षित थे। (4.3% महिलाएँ शिक्षित थीं) इसके विपरित अन्य राजवंशीय प्रान्तों जैसे त्रिवेन्द्रम में 47.7% शिक्षित थे, बड़ौदा में 23% और मैसूर में 12.2% थे। जब बालगंगाधर तिलक के नेतृत्व में तीव्रवादी राष्ट्रवादी आंदोलन को एक नया रूप मिला जो हैदराबाद को भी प्रभावित किया। भाषा और धर्म मुख्य रूप से समस्या बन गई। उर्दू हैदराबाद राज्य की अधिकारी भाषा बन गई। तेलंगाणा राज्य के प्रजा के लिए तेलुगु भाषा आंदोलन एक प्रबल रूप लिया।

- क्या आप सोचते हैं कि हैदराबाद लोगों ने जो समस्याओं का सामना किया वह ब्रिटिश शासन के लोगों की समस्याओं से अलग थी?
- क्या अंग्रेज और निजाम के व्यवहारों में प्रजातंत्र के प्रति क्या भिन्नता थी?



Fig 12.1: Arts College, Osmania University

अन्तिम निजाम (1911-1948)

मीर उस्मान अली खान, हैदराबाद राज्य का अन्तिम शासक ने अंग्रेजों के प्रभाव के फलस्वरूप प्रशासनिक व्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए कोशिश की। औपनिवेशिक स्वामियों ने उपनिवेशों की जरूरतों के लिए कृषि और उद्योग को विकसित करने के लिये नियंत्रण का प्रयोग किया। बड़ी सिंचनी परियोजनाओं के लिए निजाम सागर, अली सागर जैसे जलाशयों का निर्माण किया गया जो प्रसिद्ध इंजीनियर सर.एम.विश्वेश्वरय्या द्वारा डिजाइन किए गए थे।

निजाम ने अलग रेलवे सड़क, वायुमार्ग और बिजली विभागों को शुरू किया। राज्य के औद्योगिक विकास के लिए एक करोड़ की पुंजी लगाकर एक औद्योगिक व्यास निधि बनायी गयी। निजाम काल के महत्वपूर्ण उद्योग सिंगरेनी कालेरीज, निजाम चीनी मिल, आजम जाही मिल्स, सिरपुर कागज मिल आदि। इन सभी उद्योगों ने राज्य की अर्थ व्यवस्था को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हैदराबाद राज्य के वासियों के लिए रोजगार का अवसर प्रदान करते हैं।

1941 में निजाम ने हैदराबाद स्टेट बैंक (अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया) की स्थापना राज्य के सेन्ट्रल बैंक के रूप में की। जो उस्मानिया सिक्का हैदराबाद की मुद्रा के रूप में चलाने थे। यह एक केवल राज्य था जो अपनी मुद्रा हैदराबादी रूपि के नाम से जाना जाता है जो भारत के शेष हिस्सों से अलग था।

महत्वपूर्ण सरकारी संस्थाएँ जैसे उस्मानिया जेनरल अस्पताल, उस्मानिया विश्व विद्यालय, उच्च न्यायालय, सेन्ट्रल राज्य पुस्तकालय, यूनानी

दवाखाना, जुबलीहाल टाउन हाल (जो वर्तमान में एसेम्बली हॉल) हैदराबाद संग्रहालय, जो वर्तमान में राज्य संग्रहालय, दिल्ली का हैदराबाद हाउस, उस अवधि में बनाए गए थे। ऐतिहासिक स्मारकों को रक्षा के लिए 1914 में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। सहसापेक्ष विकास औपनिवेशिक राजनैतिक स्थिति में जगह ले लिया था, लेकिन इससे मध्यम वर्ग हैदराबाद की वृद्धि और नए राजनैतिक विचारों को आरम्भ करने के लिए मदद मिली है।

मीर उस्मान अली खान महत्वाकांक्षी थे और अंग्रेजों के सन् 1947 के भारत छोड़ने के पश्चात भी वे हैदराबाद के स्वतंत्र राजा बनकर राज्य करना चाहते थे। राज्य की जनता की इच्छा इसके विरुद्ध थी वह स्वतंत्र भारत का अंग बनाना चाहती थी। आओं देखे किस प्रकार उनकी इच्छा की पूर्ति हुई।

आन्ध्र जन संघ (संग्रहालय आंदोलन)

20 वीं सदी के आरंभ में आन्ध्र क्षेत्र में असंख्य तेलुगु पुस्तकें छपी गईं और पुस्तकालयों में उसका वितरण किया गया। तेलंगाना के शहरों तथा नगरों में पुस्तकालय स्थापित किए गए। 1901 में कामराजू लक्ष्मण राव के साथ नयनी वेंकटरंगाराव और राविचेट्टुरंगाराव ने श्रीकृष्णदेव राय आन्ध्र भाषा निलयम की स्थापना की जो आज भी कार्यरत है। हैदराबाद राज्य में तेलुगु के साथ भेदभाव किया गया। 1921 में हैदराबाद में विवेक वर्धिनी कॉलेज में एक व्यक्ति को अपमानित किया गया क्योंकि उसने उर्दू या अंग्रेजी के स्थान पर तेलुगु में कानून रखा। इस घटना से तेलुगु भाषी बहुत दुखी हुए और तेलुगु को उचित स्थान दिलाने के लिए प्रोत्साहित हो गए।

1924 में माडपाटी हनुमन्त राव और अन्य ने मिलकर पुस्तकालय एवं वाचनालय की स्थापना के लिए आन्ध्र जन संघम की स्थापना की जिससे विद्वान एवं विद्यार्थियों को प्रोत्साहित कर तथा तेलुगु प्रतिलिपियों को प्राप्त कर तेलुगू साहित्य को विकसित किया जा सके। उन्होंने लघु पुस्तके प्रकाशित की और गाँवों में पुस्तकालयों की स्थापना के लिए सभाएँ आयोजित की। इन पुस्तकों में छोटे व्यापारियों, किसानों, मजदूरों और गरीब लोगों की समस्याओं को बताया गया। इन्होंने 4000 से अधिक विद्यालयों की स्थापना की जिसमें से कई सरकार के विरोध के कारण बंद कर दिए गए। होना हो आंदोलन में तीव्र प्रगति आई जब अधिक से अधिक लोग महिलाएँ, विद्यार्थी, गायक आदि ने इसमें भाग लिया।

- आपके क्षेत्र में कौन सी भाषाएँ बोली जाती है ?
- आज हमारे प्रदेश में किस माध्यमों से विद्यालयों और कॉलेजों में पढ़ाया जाता है ?
- क्या सभी शिक्षाएँ मातृ भाषा में दी जानी चाहिए, आप क्या सोचते हैं ?
- आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि मातृ भाषा में पुस्तकों का प्रशासन महत्वपूर्ण है ?

आन्ध्र महासभा

विभिन्न विभागों के नेताओं ने एकत्रित होकर विशाल संस्था में संगठित होना चाहा तथा इसीलिए 1930 में आन्ध्र महासभा की स्थापना की गई। माडपाटी हनुमन्त राव, रवि नारायण रेड्डी, आदि इसके निर्माता थे। इसका प्रमुख उद्देश्य था अधिक



चित्र 12.2: निजाम के उपनिवेशी अधिकारी और भारतीय अधिकारी आदिलाबाद के केसलापूर में लोगों से मिलते हुए।

शैक्षणिक सुविधाएँ उपलब्ध कराना। उन्होंने सरकार के सामने विद्यालयों की स्थापना के लिए और लोगों के दुखों को कम करने के लिए आवेदन एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए। 1935 के वार्षिक सम्मेलन में निम्न माँगे जानकारी में आई।

1. प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।
2. मातृ भाषा तेलुगु शिक्षा का माध्यम होना चाहिए।
3. लोगों के जागीर पर कानूनी अधिकार की सुरक्षा की जाए।
4. बाल-विवाह को प्रोत्साहन न दे।
5. स्थानीय स्व शासन सरकार को आरंभ किया जाए।
6. अस्पृश्यता को मिटाए और समाज में अछूतों को स्थान दिया जाय।

आपने देखा कि शैक्षणिक एवं सामाजिक आंदोलनों के उद्देश्यों को एक साथ मिला दिया गया। एम्स के कार्य तेजी से संपूर्ण तेलंगाना में फैल गया और पिछड़े क्षेत्रों में भी पुस्तकालय एवं सांस्कृतिक

केन्द्र स्थापित किए गए। किसान और मजदूर लोग समाचार पत्र पढ़ने और सुनने के लिए वर्तमान विषयों पर चर्चा करते तथा अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को निजाम सरकार और दोरा के साथ चर्चा करने आते थे। इन केन्द्रों में रात्रि कक्षाएँ और चर्चाएँ आयोजित की जाती थी। लोग समाज सुधारक जैसे विरेश लिंगम और राष्ट्रवादी गांधीजी और नेहरू जी आदि को पढ़ते थे। उन्होंने स्थानीय समस्याओं पर नई पुस्तकें भी लिखीं। गोलकोंडा पत्रिका के संपादक सुरावरम प्रतापरेड्डी लोगों की राष्ट्रीयता से प्रभावित हुए। कुछ पुस्तकालय के तेजस्वियों जैसे कालोजी नारायण राव, दाशरथी कृष्णमाचार्य, दसरथी रंगाचार्य ने हैदराबाद राज्य में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया।

अधिक से अधिक गरीब लोग आंदोलन से जुड़ने लगे। उन्हें आशा थी कि एम्स उनकी समस्याओं और शिक्षा की ओर ध्यान देगा। निजाम सरकार ने केन्द्रों पर कई अत्याचार किए क्योंकि ये उग्रवादी विचारों के केन्द्र बन रहे थे। 1940 तक कई साम्प्रदाय एम्स से जुड़ने लगे और वेद्वी की समाप्ति, भू सुधार, दोरा आदि की मांगों को मानने के लिए विवश किया। एम्स के प्राचीन नेता ने इसे अस्वीकृति दी और वे चाहते थे कि यह शैक्षणिक एवं साहित्यिक अधिकरण को अनवरत चलाना चाहिए।

- क्या आपके गाँव या मुहल्ले में कोई सार्वजनिक पुस्तकालय है?
- अगर सार्वजनिक पुस्तकालय है तो वहाँ के कार्यों के बारे में अपने सहपाठियों को बताएँ।
- आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि उस समय पुस्तकालय निजाम विरोधी और भू स्वामी विरोधी केन्द्र बन गए?

- आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि निजाम और जागीरदार तेलुगु माध्यम विद्यालय के पक्ष में नहीं थे ?

हैदराबाद राज्य कांग्रेस

अंग्रेजी शासन में केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यरत थी और वह प्रत्यक्ष रूप से किसी राजवंशीय प्रांत में कार्यरत नहीं थी। इस कारण राजवंशीय प्रदेशों की सामान्य जनता को अत्याचार और अन्याय का सामना करना पड़ा और वे अधिक से अधिक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। ऐसे राज्यों में प्रांतीय कांग्रेस का निर्माण किया गया जो प्रजातांत्रिक अधिकारों सुधारों, प्रतिनिधित्व सरकार आदि के लिए संघर्षरत थी। यह हैदराबाद में भी हुआ।

1938 में जब हैदराबाद में राष्ट्रीयता का ज्वार बढने लगा, निजाम ने प्रसिद्ध राष्ट्रीय गीत वंदेमातरम गाने पर रोक लगा दी। इसका सामुहिक प्रतिकार किया गया और स्कूल और कालेज के विद्यार्थियों ने इस गीत को गाकर विरोध में भाग लिया। फलस्वरूप निजाम ने महाविद्यालयों को बंद कर दिया तथा विद्यार्थियों को अन्य राज्यों में जाकर पढ़ाई पूरी करने के लिए विवश किया।

इसके प्रत्युत्तर में राज्य के युवा वर्ग हैदराबाद के राष्ट्रवादियों जो देश के कांग्रेस आंदोलनों से सहानुभूति रखते थे, ने 1938 में हैदराबाद राज्य



माडपाटी
हनुमन्त राव



स्वामी रामानंद
तिर्था

कांग्रेस की स्थापना की। इसके प्रमुख नेता स्वामी रामानंद तीर्थ और कई अन्य युवा नेता जैसे बी. रामकृष्णा राव, जमालपुरम, केशवराव, के.वी. रंगा रेड्डी, जे.वी. नरसिंहराव, आदि उच्च स्तरीय नेता थे। युवा कांग्रेस नेता जैसे एम.चेन्ना रेड्डी, जो बाद में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तथा पी.बी. नरसिंहा जो भारत के प्रधानमंत्री बने उन्होंने राज्य कांग्रेस के लोगों को मौलिक अधिकार दिए जाने, कानून एवं विनिमय की मांग की। वे चाहते थे कि भाषण, प्रेस, संगठन, धार्मिक जुलूस निकालने आदि पर लगाए गए प्रतिबंध को शीघ्र हटाएँ। उन्होंने यह भी मांग रखी कि प्रांत में कानून चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा बनाए जाए न कि निजाम द्वारा ।

1942 में राष्ट्रीय भारत छोड़ो आंदोलन की धुन में सत्याग्रह आरम्भ किया । इस पर रोक लगा दी तथा नेता बंदी बना लिए गए। 1946 में जब भारत की स्वतंत्रता निश्चित मानी गई तब हैदराबाद राज्य कांग्रेस निजाम के शासन का अंत और गणतंत्र भारत में हैदराबाद राज्य को संलग्न करने का प्रचार करने लगे ।

- वन्देमातरम गीत की अधिक जानकारी प्राप्त करें ।
- स्वामी रामानंद तीर्थ के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए ।

तेलंगाना सैनिक संघर्ष (1946-51)

दसवें अध्याय में आपने हैदराबाद राज्य के दौरा और जागीरदार के बारे में पढ़ा है। तेलंगाना

कोंडा लक्ष्मण बापूजी ग्रामीण जाति पक्षपात के विरुद्ध लड़ने वाले नेता के रूप में उभर कर प्रसिद्धि पायी। निजामाबाद के आरमूर तालुके के दास्यता शोषण ने सच्चाई की घोषणा जातिगत मजदूर दलो एवं सम्पूर्ण महत्वपूर्ण सामग्रियों की ओर उनका ध्यान केन्द्रित किया। निजाम शासन के सशस्त्र कार्यवाही के विरुद्ध प्रजा को बम बारी की कला में प्रशिक्षित कर बापूजी निजाम के शासन को हटाना चाहते थे। वे पेशेवर वकील थे। उन्होंने विसुनूरू रामचन्द्रारेड्डी के विरुद्ध पीड़ित व्यक्तियों के केसों का बचाव कर उन्हें न्याय दिलवाया। उनका जीवन प्रजातांत्रिक सह अस्तित्व के भिन्न राजनैतिक मुद्दों के समरूपता का संदेश था।



कोंडा लक्ष्मण
बापूजी

क्षेत्र के किसानों और श्रमिक वर्ग की समस्याओं का स्मरण कीजिए ।

1929 से नलगोंडा, पिल्लालमरी, करीमनगर आदि में रयन्त्र संगम की स्थापना पटेल, पटवारी, देशमुख, कर विभाग तथा पुलिस अधिकारियों के द्वारा किए गए शोषण के विरुद्ध लड़ने के लिए की गई । पुस्तकालय एवं रात्रि विद्यालय की स्थापना में एम्स भी क्रियाशील था । एम्स के साम्प्रदायकों ने जो एम्स और किसान सभा के लिए कार्य करते थे 1946 में एम्स पर जीत पा ली। उन्होंने वेदटी के विरोध में तीव्र कार्यक्रम प्रस्तुत किया तथा किसानों के लिए भूमि की मांग की। एम्स नलगोंडा, करीमनगर और वरंगल जिले में फैलने लगा। एम्स ने प्रान्तीय स्तर पर अपनी शाखाएँ निर्मित की जो संघम के नाम से जानी जाती है। साम्प्रदायिकों ने संघम को अपना सक्रिय योगदान दिया। किसानों की माँगों को सीमित किया गया जैसे गैर कानूनी सामंतवादी अधिकरण, कर लगाना, अत्यधिक किराए में वृद्धि, किराएदार का हस्तक्षेप और वेदटी को समाप्त करना।

इसका यह अर्थ हुआ कि ग्रामीण समाज के सभी वर्गों (छोटे भूपति, भूपति और श्रमिक वर्ग) को, दोरा और निजाम के विरुद्ध संघर्ष में खींच लिया।

कर वसूली का विरोध करने वापली लववासनुरु रामचंद्र रेड्डी के दुष्कर्म के बारे में आंध्र महासभा (AMS) ने सरकार के समक्ष याचिका प्रस्तुत की। जब अधिकारी जाँच के लिए आये तो, एक तरह का उपद्रव मच गया। रामचंद्र रेड्डी ने हिंसात्मक रुख अपनाने की कोशिश की ताकि कोई जाँच न हो और उसके द्वारा अनाज कर का जो दुरुपयोग हो रहा है वह अधिकारियों के नज़र में न आये। दोद्दी मल्लय्या के नेतृत्व में आंध्र महासभा के कार्यकर्ता, गढ़ी से गुजर रहे थे, उसी समय विसनुरु रामचंद्र रेड्डी के अनुयायी मिसकीन अली ने यह सोचकर दीवार की छेद से गोली चलाई कि वे लोग गढ़ी पर हमला कर रहे हैं। गोली दोद्दी कोमुरय्या को लगी और उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। इसके बदले में जमींदारों ने सादीवेन्दी गाँव में प्रदर्शन पर गोलियाँ चलाई और 1946 जुलाई में दोद्दी कोमुरय्या की हत्या कर दी गई। इसके बदले में जमींदारों ने सादीवेन्दी गाँव में प्रदर्शन पर गोलियाँ चलाई और 1946 जुलाई में दोद्दी कोमुरय्या की हत्या कर दी गई। इस घटना ने तेलंगाना सैनिक संघर्ष चिंगारी का काम किया। गाँव-गाँव में संघम स्थापित किए गए और दोद्दी कोमुरय्या के गीत गाते हुए जुलूस निकाले गये। उन्होंने वेद्वी को समाप्त किया तथा किसानों को उनकी भूमि से बेदखल किया। दोरा और निजाम ने आंदोलन छुड़ दबाना चाहा। सैनिक योद्धाओं की टुकड़ी बनाने पर संघम को विवश होना पड़ा। वे जमींदारों को भगाने लगे और ग्राम पंचायत की सहायता से अपना शासन स्थापित किया।



दोद्दी कोमुरय्या

गुरिल्ला सैनिक टुकड़ी गाँवों और ग्राम राज समिति जो ग्राम वासियों की समस्या दूर करने एवं सुरक्षा के लिए स्थापित की गई थी। संघर्ष के संदेश को देने के लिए सांस्कृतिक दल बुररा कथा गाते थे और वे गाँव-गाँव जाकर लोगों को जागृत करने लगे।

नल्ला नरसिंहलु ने मदद करने की भावना से पीपुलस मूवमेन्ट दस्तों का गठन किया। ज्यादातर लोग गुलाम दास्यता कार्यकर्ता थे। इन दस्तों के मार्गदर्शन संगम ने समानांतर सरकार और पीपुल्स कोर्टस की स्थापना की। इस प्रकार नलगोण्डा एवं वरंगल जिले निजाम के शासन से टूटकर उसके स्थान पर दास्यता की स्थापना हुई।



नल्ला नरसिंहलु

जहाँ-जहाँ संगम-शासन हुआ वेद्वी का समापन, किरायेदारों की बेदखली को कर दिया गया, किराए घटाए गए, मज़दूरों के वेतन बढ़ाये गये, जमींदारों की अतिरिक्त भूमि का पुनः वितरण भूमिहीनता को किया गया। सहकार एवं ग्रामीण अधिकारियों के दस्तावेजों को जलाकर जमींदारों एवं व्यापारियों जब्त किये हुये अनाज को वापस ले लिया गया।

1947-48 में यह आंदोलन विशाल स्तर पर स्वतंत्र भारत में सम्मिलित की माँग के साथ निजाम विरोधी और जमींदार विरोधी आंदोलन में परिवर्तित हो गया। लोगों ने साहूकारों और ग्रामीण अधिकारियों के खातों को जला दिया और भू स्वामियों एवं व्यापारियों के अनाज गोदामों पर ताले लगा दिए। आंदोलन के क्षेत्र का विस्तार करने के लिए विभिन्न वर्गों को एकीकृत कर तेलुगु भाषियों के तेलंगाना में मिलाकर एक विशाल आन्ध्रा बनाना चाहते थे।

कुछ जोशीले उत्साहित मुसलमानों ने हैदराबाद राज्य में निजाम शासन और मुसलमानों के प्राधान्य को बनाए रखने के लिए इत्तेहादूल मुस्लिमीन संस्था की स्थापना की। उन्होंने एक स्वयं सेवक दस्ते की रजाकार के नाम से स्थापना की। उन्होंने सबसे पहले बुद्धिजीवी मुसलमानों पर आक्रमण किया जो राज्य में प्रजातंत्र राजनीति स्थापित करना चाहते थे। प्रजातांत्रिक राजनैतिक दलों पर आक्रमण तथा साम्प्रदायिक आक्रमणों के लिए हथियार अपना लिए। उन्होंने तेलंगाना के किसान संघम और सांप्रदायिक सैनिकों से लड़ना आरम्भ किया। इसे देखकर भद्र लोगों और दोरा ने उन्हें सहयोग दिया। सांप्रदायिक किसानों और दोरा से सहयोग प्राप्त रजाकारों के बीच कटु संघर्ष हुआ।

निजाम ने इसमें हस्तक्षेप पर कोई बाधा नहीं पहुँचायी और केवल परिस्थिति का निरीक्षण किया 1948 में भारत सरकार ने एक्शन लेकर हैदराबाद को भारत में मिला लिया। भू-सुधार लागू करने तथा किसानों को दोरा से बचाने के लिए तेलंगाना सैन्य संघर्ष सम्मिलित होने के बाद भी चालू रहा। किसी भी तरह से भारतीय सेना द्वारा इसे दबा दिया गया और 1950 तक पूरी तरह समाप्त हो गया।

- आप क्या सोचते हैं कि तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष को बनाने में ए.एम.एस. की क्या भूमिका थी?



Ravi Narayana Reddy

रावि नारायण रेड्डी एक प्रसिद्ध नेता जिन्होंने निजाम के विरुद्ध आंदोलन में भाग लिया और संवैधानिक सुधारों को 1936 में प्रस्तावित किया उन्होंने आन्ध्र महासभा की दिशा को वाम राजनीति में मोड़ने में और तेलंगाना किसान संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तेलंगाना स्वतंत्रता संघर्ष और भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी के हैदराबाद भाग के संस्थापक कम्यूनिस्ट पार्टी के हैदराबाद भाग के संस्थापक सदस्य थे। निजाम सरकार को हटाने के लिए उन्होंने किसानों के संघर्ष को लोकतांत्रिक आंदोलन से जोड़ दिया।

मुकदुम मोहिनोद्दीन हैदराबाद शहर के बौद्धिक लोगों के महत्वपूर्ण अंग थे। वे उस्मानिया विश्वविद्यालय के शिक्षक एवं छात्रों द्वारा बनाये गये कोमरेड्स असोसिएशन के सदस्य थे। कम्यूनिस्ट पार्टी के हैदराबाद विभाग के वे सचिव भी रह चुके हैं, वे हैदराबाद नगरपालिका और प्रागा टूल्स (Praga tools) के साथ ग्रामीण संघर्षों से जुड़े थे।



Mukhdum Mohinuddin

देवुलपल्ली वेंकटेश्वर राव एक प्रसिद्ध कम्यूनिस्ट नेता थे। नलगोंडा जिले के सूर्यपेट तालुक के चन्दुपट्टला नामक गाँव में सन् 1917 में आप का जन्म हुआ। भारतीय राष्ट्रीयता के सम्पर्क में आकर आप सुधारवादी आन्दोलन से जुड़ गए। तेलंगाना में लोगों के गुप्त आन्दोलनों की संरचना में आप ने अग्रण्य भूमिका निभायी। ए.एम.एस. कार्यकर्ताओं को लेकर गाँवों में आपने कम्यूनिस्ट पार्टी की स्थापना की। उन्होंने दास्यता और दोरा के लोगों पर अत्याचारों के विषय पर कई पुस्तकों को छपवाया। आन्ध्र महा सभा के मध्य आक्रामक कदमों द्वारा सशस्त्र संघर्ष का मार्ग बनाया। सामन्ती दमन के विरुद्ध तेलंगाना के लोगों के आन्दोलन (Telangana people's movement) का प्रारम्भ सन् 1946 से पूर्व मानकर उसका मजबूत समर्थन किया।



देवुलपल्ली
वेंकटेश्वर राव

शेख बन्दगी संघर्ष लोगो में एक लहर की भाँति बज करता है। बन्दगी को उनके भाई अब्बास अली जो विसुनूरु रामचन्द्रा रेड्डी (विसुनूरु देशमुख) का अनुयायी ने भूमि के भाग के लिये चुनौती दी। जब यह मामला अदालत पहुँचा, बंदगी की जीत ही। ऐसा प्रतीत हुआ कि ये हार विसुनूरु देशमुख की हुई जिसने भाई अब्बास अली को भड़काया था। जिससे वह बेचैन हो गया, अपने पालतू गुंडो के हाथो उसने बंदगी की हत्या करवा दी। आसपास की ग्रामीण जनता में इस घटना से क्रोध बढ़ गया। ग्रामीण बंदगी की याद में स्मारक बनाकर उन्हें जनता के संघर्ष का चिह्न बना दिया और इस प्रकार गाँवों में लोगों के आंदोलन मजबूत होने चले गये।



Ilamma

उस समय भू स्वामी छोटे किसानों के मामले में हस्तक्षेप और उनकी भूमि को हड़प कर उन्हें उच्च किराए पर नए किरायेदारों को दे देते थे। संघम ने इसका विरोध सक्रियता से किया। अत्याचारी जमींदार विसनुरी रामचंद्र रेड्डी ने धोबन आइलम्मा की भूमि बलपूर्वक छीनने का प्रयास किया। संघ में इसका जोरदार विरोध किया।

अरूट्टला रामचन्द्र रेड्डी ने अपने छात्रावास्था में ही क्रान्तिकारी खैय्ये का रूप दिखा दिया। उस्मानिया विश्वविद्यालय के विद्यार्थी जीवन में ही उन्होंने आन्ध्र महासभा की राजनैतिक गतिविधियों में भाग लिया। (राज्य काँग्रेस और आर्य समाज) जब निजाम सरकार जबरन कर वसूलती और दोरा खेती जब्त करते थे उन्होंने उनका दट के सामना किया। उन्होंने भुवनगिरी, मुन्डराई, जनगाँव के चावल मिला पर धावा बोला और अनाज लूटकर उसे जरूरतमन्द में बाँट दिया। कदिवेन्दी और पालाकूर्ति के आसपास उन्होंने संघम का निर्माण करवाया।



आरूट्टला
रामचंद्र रेड्डी

बदम येल्लारेड्डी 1930 में नामक सत्याग्रह में भाग लेने वाले राष्ट्रीय नेता थे। हैदराबाद में उन्होंने हरिजन उत्थान कार्यक्रम अपने हाथ में लिया। बाद में वे कम्यूनिस्ट नेता बने और तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष के लिए काम किया। बीमीरेड्डी नरसिम्हा रेड्डी वापमंथी विचार धारा से प्रभावित होकर कम्यूनिस्ट बन गए। जमींदार एवं सरकारी अफसरों के विरुद्ध वेद्वी संघर्ष के लिए आवाज उठायी। वे निम्न स्तर के कार्यकर्ता से दलम के नेता नियुक्त हुए। बोम्मगानी धर्मभिक्षम विद्यार्थी जीवन में ही राजनैतिक गतिविधियों से जुड़ गए। निर्धन बच्चों के लिए उन्होंने सूर्यपेट में छात्रावास का निर्माण करवाया। बाद में नलगोण्डा जिला के वे प्रसिद्ध कम्यूनिस्ट नेता बन गए।

- किसानों की समस्याएँ तेलंगाना के सशस्त्र आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है और कुछ ?
- आप ऐसा सोचते हैं कि दोरास हिन्दू होकर भी रजाकार की सहायता क्यों करते थे ?

भारत में विलय (समवेश)

1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस्मान अली खाँ, निजाम हैदराबाद को स्वतंत्र राज्य रखना चाहते थे। भारत की सामान्य जनता स्वतंत्र भारत में समावेश होना चाहती थी और रामानंद तीर्थ के नेतृत्व में हैदराबाद राज्य कांग्रेस ने विशाल स्तर पर प्रदर्शन का आयोजन किया। रजाकारो ने उन पर भी आक्रमण किया। तब भारत सरकार ने इस निरंकुशता को समाप्त करने का निर्णय लिया और हैदराबाद में सैन्य बल को भेजा। उस समय गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद को भारतीय संघ में मिलाया। भारत सरकार ने निजाम से प्रजातंत्र प्राप्त किए जाने तक शासन



चित्र-12.3: उस्मान अली खाँ और सरदार वल्लभ भाई पटेल

करने के लिए कहा। जमींदारी प्रथा को समाप्त करने तथा निर्वाचन द्वारा प्रजातंत्र के लिए विवश किया। जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया तब से निजाम का शासन समाप्त हो गया। परन्तु उस्मान अली खाँ हैदराबाद के राजप्रमुख बने रहे। (राज्य का मुखिया) लेकिन उन्हें भारतीय सरकारी अधिकारियों के आदेशानुसार कार्य करना पड़ता था। 1952 में चुनाव आयोजित किए गए और हैदराबाद राज्य में चुनी हुई सरकार की स्थापना हुई। हैदराबाद राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बुरगुल्ला रामकृष्ण राव बने। 1956 तक निजाम राजप्रमुख के रूप में कार्य करते रहे। तेलंगाना नेताओं ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आन्ध्र और तेलंगाना क्षेत्र को मिलाने तक



Burgula
Ramakrishna
Rao

राजप्रमुख अब भारतीय राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होकर राज्यपाल बन गए। आंध्र तेलंगाना राज्य जेंटेलमेन अग्रिमेंट से मेंआंध्र प्रदेश राज्य का अवतरण हुआ। नयी सरकार बनने के बाद इस अग्रिमेंट का उल्लंघन किया गया जिससे तेलंगाना राज्य में असंतोषजनक स्थिति उत्पन्न हुई। पानी व सिंचाई, शिक्षा और नौकरी के विविध आयामों में सरकार द्वारा दिखाई गई असमनताओं को कारण तेलंगाना में प्रत्येक राज्य के अवतरण होने की आकांक्षाएँ बढ़ी। यह तेलंगाना आंदोलन कैसे बदला अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे।

- आप ऐसा क्यों सोचते हो कि समावेश के बाद भी निजाम को अधिकार दिए गए ?
- आप ऐसा क्यों सोचते है कि जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए आदेश पारित किए ?
- आप ऐसा क्यों सोचते है कि 26 जनवरी 1950 से निजाम का शासन समाप्त हो गया ?

तेलंगाणा संघर्ष में महिलाएँ

महिलाओं को निजाम और दोरा के शासन में कई समस्याएँ झेलनी पड़ी। वे निरंतर शोषित और अपमानित की गईं। वे केवल भूपतियों के लिए ही काम नहीं करती थी बल्कि अपने परिवार का पालन लघु या बिना संसाधनों के करती थी। कई महिलाएँ भूपतियों की गुलाम बनाई जाती थी और उन्हें



चित्र- 12.4: गुरिल्ला महिलाओं की टुकड़ी

महिला द्वारा

विवाह करने की अनुमति नहीं होती थी। ऐसी महिलाएँ आन्ध्र महा सभा की रात्रि स्कूल में प्रवेश लेकर और संघम और साम्प्रदायिक दल से जुड़ना चाहती थी। कुछ ने हथियार उठा लिए और रजाकार से युद्ध किया, कुछ ने गीत गाकर लोगों को प्रभावित किया, उनमें से कुछ ने डाक्टर और नर्स की पात्रता निभाई परन्तु आंदोलन की रक्षा के लिए उन्हें कई त्याग करने पड़े। एक दिए गए साक्षात्कार को पढ़िए।

मेरा नाम कमलम्मा है। मैं मनुकोटा तालुका के एक गाँव से आई हूँ। हमारा परिवार बन्धुआ मजदूर है। किसी भूपति के घर में मेरी माँ गुलाम थी....जब मैं पन्द्रह वर्ष की थी मेरे पिता का देहान्त हो गया। उस समय तेलंगाणा संघर्ष आरम्भ हो चुका था। दोरासानी मेरी एक बहन को अपनी बेटी की दासी बना कर भेजना चाहती थी.....दोरासानी मेरे पति को मारा करती थी। बन्धुआ मजदूर की यह जिंदगी होती है....भैंसों को चराना, गोबर जमा करना, अकेले को सब कुछ करना पड़ता था। वे उन्हें गुण्डा के रूप में भी प्रयुक्त करते थे। इन भूपतियों के घरों की समस्याएँ असहनीय हो जाने के कारण हम संघर्ष में शामिल हो गए.....

सबसे पहले मेरा भाई सेनापति बना.....मेरे पति और मैं भी साम्प्रदायिक दल में शामिल हो गईं। सांस्कृतिक टुकड़ी में मेरा काम था। मेरी आवाज अच्छी थी, मैं गाना गाया करती थी, अनेक स्थानों पर घुमती थी.....हमने जंगल में काम किया और कोया जनजाति महिलाओं की सहायता की...मैं अस्पताल केन्द्र में भी थी और प्राथमिक चिकित्सा करना सीख लिया तथा इन्जेक्शन भी देती थी.....जंगल में मेरे बेटे का जन्म हुआ तब मेरे साथी ने कहा, बच्चा रोएगा और हम सभी इस बच्चे के कारण पकड़े जाएंगे। तुम इसे किसी को दे दो या कहीं पर छोड़ दो...। परन्तु उसे किसी ने नहीं लिया। मैंने दो दिन तक चलकर एक कोयले की खान में काम करने वाले के पास छोड़ दिया.....उसके पश्चात मेरा शरीर या मस्तिष्क मेरे अंकुश में नहीं रहा। मेरी आँखों से धरती पर एक आँसू की बूंद गिरी।....

मुख्य शब्द

- | | | |
|-------------------|-----------------------|--------------------|
| 1. फरमान | 2. वेद्वी दास्यता | 3. सामंती प्रथा |
| 4. राजा के अधिकृत | 5. कानूनी अधिकार | 6. गुरिल्ला टुकड़ी |
| 7. जागीरदार | 8. प्रतिनिधित्व सरकार | |

अर्जित ज्ञान का विकास

1. आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि अन्य राजवंशीय प्रान्तों की अपेक्षा हैदराबाद राज्य में साक्षरता दर कम थी ?
2. शिक्षा के विकास के लिए आन्ध्र महा सभा के कार्यों का वर्णन कीजिए ।
3. हैदराबाद राज्य कांग्रेस की क्या मांगे थी और 1948 के बाद उनमें से कितनी पूरी की गई ?
4. क्या आप सोचते हैं कि तेलंगाणा सशस्त्र संघर्ष ने निजाम के शासन को समाप्त करने में सहयोग दिया था ?
5. निम्न शीर्षक के गद्यांश को पढ़िए - “राज्य में सामंती प्रथा” और निम्न का उत्तर दीजिए ।
क्या आप निजाम की सामंती प्रथा का समर्थन करते हैं या नहीं ? क्यों ?
6. अतीत में कई शासकों के विरुद्ध आंदोलन चलाए गए। वर्तमान में चलाए गए आप किसी आंदोलन को जानते हैं ? अगर हाँ तो वे कौन से हैं ?
7. आपने इलाक की लाइब्रेरी के बारे में जानकारी हेतु आप लाइब्रेरियन से क्या प्रश्न पूछेंगे ?
8. भारत के मानचित्र में निजाम शासन के निम्न स्थानों को सूचित कीजिए।
अ) औरंगाबाद आ) वरंगल इ) रायचूर ई) गुलबर्गा उ) हैदराबाद ऊ) खम्मम
9. तेलंगाणा सशस्त्र संघर्ष के नेताओं के चित्र एकत्र कीजिए।

भारतीय संविधान The Indian Constitution

कई सदियों तक हमारे देश में कई भाग राजा और रानी के शासन के अंतर्गत थे। किसी भी तरह से हमारे नेताओं ने अंग्रेजी उपनिवेशी शासन का संघर्ष किया, वे चाहते थे कि भारत में भविष्य में सरकार प्रजातांत्रिक हो न कि निरंकुशवादी। वे चाहते थे कि भारत स्वयं जनता द्वारा शासित हो जिसमें चुने हुए प्रतिनिधि उनकी सहायता करें।

- चर्चा कीजिए कि जिन नेताओं ने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई की थी वे क्यों नहीं चाहते थे कि राजा और रानी का शासन हो?

जब हमने उपनिवेशी शासन से स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, हमने निर्णय लिया कि जिन सिद्धांतों के लिए हम दृढ़ निश्चयी हैं और उन सिद्धांतों भारत के शासन की प्रक्रिया को एक साथ करना चाहिए। ये सभी एक किताब में लिखे गए जिसे हम “भारतीय संविधान” कहते हैं।

संविधान में सरकार को किस प्रकार चलाया जाय- कानून कैसे लागू किये जाए या परिवर्तित किए जाए, सरकार का निर्माण कैसे किया जाए, नागरिकों की क्या पात्रता हो, उनके क्या अधिकार हो, आदि होता है। इन सबसे उपर संविधान निर्माण प्रमुख देश के सामने लक्ष्य रखता है जिसे पाने के लिए संघर्ष किया गया था।

- अगर आप और आपके सहपाठियों से पाँच

लक्ष्य बनाने के लिए कहा जाय तो वे कौन से होंगे? उन्हें आप कैसे पूरा करेंगे? कक्षा में चर्चा कीजिए और अपने अध्यापक की सहायता से उस पर कार्य कीजिए।

भारतीय संविधान का निर्माण

कठिन परिस्थितियों में भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। लगभग 200 वर्षों तक देश अंग्रेजों के अधीन था और उनके स्वार्थ के अनुसार संस्थाओं को बनाया गया। साम्प्रदायिक

मतभेदों के कारण देश को विभाजित किया गया। देश का अधिक भाग राजवंशीय शासन के अधीन शासित था (जैसे हैदराबाद के निजाम) सामाजिक एवं संस्कृति के अतिरिक्त अमीर और गरीब, उच्च जाति और निम्न, स्त्री और पुरुष में अन्तर पाया गया था। नेताओं का प्रमुख विषय था देश को एकता में बाँधना और एकता को टूटने न देना। इसका यह अर्थ था कि सभी विभिन्न प्रकार के लोग यह अनुभव करें कि वे भी देश

को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन केवल विदेशी शासन के विरोध के लिए नहीं था। यह असमानता, शोषण और सामाजिक भेदभाव को भी समाप्त करना चाहता था। साक्षरता स्तर एवं शिक्षा निम्न थी। गरीबी बहुत थी और लाखों लोगों की मृत्यु अकाल



सत्यमेव जयते

और संक्रामक रोगों से हुई। देश अपनी मौलिक आवश्यकताएँ जैसे खाद्यान्न आदि के लिए भी विदेशों पर निर्भर था। इसीलिए यह अनिवार्य हो गया कि भविष्य में समाज की दिव्य दृष्टि तैयार की जाय और इसे प्राप्त करने के लिए एक आकार देना था।

- अपने दादा- दादी या पुराने पड़ोसियों जो स्वतंत्रता के समय थे उनसे पता कीजिए कि उस समय चीजे कैसी थी और देश के भविष्य के बारे में क्या सोचते थे।

राष्ट्रीय आंदोलन के समय नेताओं में तीव्र मदभेद उत्पन्न हुआ कि कैसे हम स्वतंत्रता के बाद अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं? अधिक नेताओं ने प्रजातांत्रिक सिद्धांतों को स्वतंत्र भारत शासन को समर्थन दिया। जैसे :

- i. न्याय के समक्ष प्रति व्यक्ति समान हो और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा दी जाय।
- ii. आम चुनाव द्वारा सरकार का निर्माण किया जाय जो व्यापक मताधिकार पर आधारित हो या सभी प्रौढ नागरिकों को जाति, धर्म, शिक्षा या संपत्ति को महत्व न देते हुए मत देने का अधिकार दिया जाय।

संविधान का आरंभिक प्रारूप

स्वतंत्रता से पहले 1928 में मोतीलाल नेहरू और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आठ सदस्यों ने

चित्र- 13.1: प्रति वर्ष भारत 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाता है। यह चित्र एन.सी.सी. केडेट्स का है जिसमें वे परेड कर रहे हैं।

मिलकर भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया। 1931में कराची सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्र भारत का संविधान कैसा होना चाहिए पर विचार विमर्श किया। सर्व व्यापक मताधिकार द्वारा स्वतंत्रता और समानता का अधिकार तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा करना दोनों दस्तावेजों को देना था।

- क्या आप कुछ असमानताओं, भेदभावों को बता सकते हैं जो स्वतंत्रता के समय हमारे समाज में थे।
 - यहाँ कुछ जोड़े में कथन प्रस्तुत किए गए हैं उसमें कुछ अशुद्ध सूचनाएँ हैं। क्या आप उसे शुद्ध कर सकते हैं ?
- a) आदर्श संविधान+ मोतीलाल नेहरू का प्रारूप तैयार कीजिए।
 - b) निरक्षर व्यक्ति को मत देने का अधिकार नहीं है का समर्थन नेताओं ने किया+ वयस्क मताधिकार।
 - c) प्रान्तीय परिषदों+ संविधान ने कुछ उपनिवेशी कानून को अपनाया।
 - d) विभाजन+ असंख्य लोग मारे गये और स्थानांतरण के लिए विवश किए गए।
 - e) मतदान में महिलाओं पर प्रतिबंद+भारत में सामाजिक सुधारों के प्रति बहता।





चित्र- 13.2: संविधान समिति के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद और संविधान प्रारूप समिति के सभाध्यक्ष डॉ. बी. आर. अम्बेडकर दोनों एक दूसरे को बधाई देते हुए।

- हमारे संविधान को आकार देने में किन माध्यमों और विचारों ने प्रोत्साहित किया।

सबसे प्रथम वे उन विभिन्न प्रकार के भारतीय लोगों से प्रभावित हुए जिन्होंने संघर्ष को झकझोर दिया और अच्छे विश्व में रहने की उनकी इच्छा करना उनका परम कर्तव्य है। जिसमें विभिन्न लोग अपनी तीव्र इच्छाओं को पहचाने। उन पर महात्मा गाँधी और अन्य राष्ट्रीय नेताओं का भी गहरा प्रभाव पड़ा।

दूसरे हमारे कई नेता फ्रान्सिसी क्रान्ति के विचारों से इंग्लैंड में संसदीय शासन प्रणाली तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अधिकारों के बिल सभी प्रभावित हुए। रशिया और चीन की सामाजिक क्रान्ति ने भी कई भारतीयों को प्रभावित किया, वे भी सामाजिक एवं आर्थिक समानता के आधार पर

आकार देना चाहते थे। इन सभी कारणों ने संविधान निर्माण कार्य को प्रभावित किया।

तीसरा, अंग्रेजों ने भी भारत को कुछ प्रजातांत्रिक शासन की कुछ मौलिक संस्थाओं से परिचित करवाया। अन्ततः कुछ स्तर के लोगों को ही चुनाव में मत देने का अधिकार था। अंग्रेजों ने अत्यधिक दुर्बल सभाओं का परिचय दिया। प्रान्तीय सभाओं और संपूर्ण अंग्रेजी भारत में मंत्रालय के लिए 1937 में चुनाव आयोजित किए गए। यह पूरी तरह से प्रजातांत्रिक सरकारी नहीं थे। लेकिन भारतीयों द्वारा प्राप्त

विधान परिषदों में कार्य करने का अनुभव देश में अपनी संस्थाओं को स्थापित करने और उसमें कार्य करने में उपयोगी रहा। इसीलिए भारतीय संविधान ने अनेक संस्थाओं की जानकारी और उपनिवेशी कानूनी प्रक्रिया को अपनाया।

संविधान परिषद

संविधान का प्रारूप चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा जो संवैधानिक परिषद कहलाती थी। तैयार किया गया। जुलाई 1946 में संविधान परिषद के चुनाव आयोजित किए गए। 1946 दिसम्बर में प्रथम सभा आयोजित की गई। अगस्त 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तो संविधान समिति भी भारत एवं पाकिस्तान में विभाजित की गई। भारतीय संविधान समिति में 299 सदस्य थे। 26 नवम्बर 1949 में तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू



सरोजिनी नायडू



दुर्गाबाई देशमुख



एन.जी. रंगा



टी. प्रकाशम

किया गया। इसी के स्मरण में प्रति वर्ष हमारे देश में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है।

संविधान परिषद के सदस्य मुख्य रूप से अंग्रेजी शासन काल में विधान परिषद में कार्यरत सदस्यों को नियुक्त किए गए। कुछ सदस्यों को देश के कुछ भागों में शासन करने वाले राजाओं द्वारा मनोनीत किया गया। इसके सदस्य देश के प्रत्येक क्षेत्र से आए थे। इस परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्राधान्य था और बहुत ही कम बी.आर. अम्बेडकर, जैसे अन्य दलों के थे। एक ही दल के अनेक सदस्य होने के पश्चात भी अधिक विषयों पर विचारों में भिन्नता थी। उस समय बहुत कम महिलाएँ लगभग पन्द्रह थीं। श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख उनमें से एक थीं।

- आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि संविधान समिति के सदस्यों का मनोनयन करने का अधिकार राजा को दिया गया है?
- आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि उस समय महिला सदस्यों की संख्या कम थी? यदि अधिक होती तो क्या स्थिति कुछ और होता?

सबसे पहले इसके मौलिक सिद्धांतों का निर्णय लिया गया और सहमति दी गई: भारत गणतंत्र राज्य हो: इसके विभिन्न राज्यों को सर्वोच्च शक्तिशाली बनाना, यह प्रजातांत्रिक होगा, सभी नागरिकों को, न्याय, समानता और स्वतन्त्रता, अल्पसंख्यकों की रुचि, जनजाति और दलित वर्ग की सुरक्षा और भारत विश्व शान्ति के लिए कार्य करेगा तथा सभी मानवों का कल्याण। इस प्रस्ताव के उद्देश्य कहते हैं और यह देश के प्रथम प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू के द्वारा चलाया गया। यह संविधान आलेखन के लिए मार्गदर्शक बन गया।

तब संविधान आलेखन डॉ. भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में चर्चा के लिए प्रस्तुत किया गया। आलेखन संविधान के प्रत्येक कानूनी दस्तावेजों पर अनेक बार चर्चा की गई। सभी महत्वपूर्ण कानूनी विषयों पर तीव्र वाद-विवाद किया गया। विभिन्न दृष्टियों से उनकी जाँच की गई और अंत में बहुमत द्वारा निर्णय लिया गया। संविधान समिति में दो हजार से अधिक संशोधन किये गये। सदस्यों ने 114 दिनों तक सोच विचार किया जो तीन वर्षों तक फैलाया। संविधान समिति के कहे गए प्रत्येक



चित्र 13.3 : सभी संविधान परिषद के सदस्य विस्तृत संविधान पर हस्ताक्षर करते हुए। यहाँ आप जवाहर लाल नेहरू को हस्ताक्षर करते हुए देख सकते हैं।

शब्द को रिकार्ड कर-कर सुरक्षित रखा गया। इसे संविधान समिति का वाद-विवाद कहते हैं।

- प्रस्ताव के उद्देश्य में कौन से सिद्धांत मार्गदर्शक बने, क्या आप सोचते हैं कि यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है? आपके कारण बताइए। क्या अन्य विद्यार्थियों का इस विषय में अलग मत है।

स्वप्न और प्रण

चलिए हम हमारे संविधान की इन सबसे उपर उन्नत ज्ञान की जानकारी प्राप्त करेंगे। हम इसे कुछ महत्वपूर्ण नेताओं के विचारों को पढ़कर जान सकते हैं। परन्तु यह भी समान रूप से महत्वपूर्ण है कि संविधान अपने स्वयं के दर्शन के बारे में क्या कहता है? संविधान का प्रारूप कैसे कार्य करता है?

आप कुछ लोगों ने इस बात पर ध्यान दिया होगा कि संविधान निर्माता में से एक नाम लुप्त

है- महात्मा गाँधी। वह संविधान समिति के सदस्य नहीं थे। परन्तु कई सदस्यों ने इनके विचारों का अनुकरण किया। कई वर्षों पहले 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में उन्होंने संविधान के कार्यों की जानकारी दी है :

मैं संविधान के लिए संघर्ष करूँगा जो कि भारत को दासता से मुक्त करे तथा संरक्षण देगा। मैं भारत के लिए काम करूँगा जिसमें गरीब व्यक्ति यह अनुभव करे कि यह उनका देश है जिसे बनाने में उनकी प्रभावशाली वाणी है, भारत में कोई भी व्यक्ति उच्च एवं निम्न वर्ग का नहीं होगा, सभी जाति के लोग सद्भावना के साथ रहेंगे। यहाँ अस्पृश्यता जैसे अभिशाप या शराब एवं व्यसन से बेसुध अवस्था को अभिशाप को कोई स्थान नहीं होता है। महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हो.....इनके बिना मुझे कोई संतुष्ट नहीं कर सकता ।

- महात्मा गाँधी

असमानता के बिना भारत के स्वप्न को डॉ भीमराव अम्बेडकर ने भी देखा, जिन्होंने संविधान निर्माण में मुख्य पात्रता निभाई थी परन्तु असमानता को दूर करने में उनकी समझ भिन्न थी। संविधान समिति के अंतिम समय के भाषण में उन्होंने अपनी जिज्ञासा को स्पष्ट किया ।

26 जनवरी 1950 को हम विरोधी दुनिया में जाएँगे। राजनीति में हम सभी को समानता प्राप्त है और सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में असमानता है। राजनीति में हम सभी का एक

व्यक्ति एक मत और एक मूल्य का सिद्धांत माननीय है। हमारे सामाजिक एवं आर्थिक ढाँचे के कारण एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत को अस्वीकार कर रहे हैं। हम कितने समय तक इस विसंगति का जीवन जी सकते हैं? कितने समय तक हम इस सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में समानता को अस्वीकार करेंगे। अगर हम अधिक समय तक अस्वीकार करेंगे तो हम हमारे राजनैतिक प्रजातंत्र को खतरे में डालेंगे।

-डॉ बी.आर. अम्बेडकर

अन्त में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि पर दिए गए संविधान समिति के प्रसिद्ध भाषण की ओर मुड़ेंगे।

भविष्य एक आरामदायकी या निश्चिन्त नहीं है बल्कि अनवरत संघर्ष है जिससे हम हमारे द्वारा की गई प्रतिज्ञाओं को पूरा कर सकते हैं और आज की प्रतिज्ञा को भी पूरा कर सकते हैं। भारत की सेवा का अर्थ है दरिद्रता का उन्मूलन और अज्ञानता और रोग और अवसरों में असमानता को समाप्त करना। हमारे पीढ़ी के महान व्यक्ति का लक्ष्य है प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक आँसू को पोंछना। यह हमारे सामर्थ्य के बाहर है, पर जब तक ये आँसू और दर्द है, तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा।

- जवाहरलाल नेहरू

उपरोक्त तीनों कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए।

- क्या आप कोई एक विचार ऐसा बता सकते हैं जो तीनों के लिए सामान्य हो?
- उस सामान्य विचार को प्रस्तुत करने में तीनों के विचारों में क्या अंतर है?

संविधान की प्रस्तावना

स्वतंत्रता संघर्ष को जिन मूल्यों ने प्रोत्साहन दिया और मार्गदर्शक बने, भारतीय प्रजातंत्र के लिए नींव डाली। भारतीय संविधान में इन मूल्यों

को गड़ा गया, इसके मौलिक सिद्धांतों और उद्देश्यों का कथन संक्षिप्त रूप में दिया गया है। भारतीय संविधान के सभी अभिपूरतियों का मार्गदर्शन किया।

चलिए हम ध्यानपूर्वक संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे और इसके प्रत्येक मुख्य शब्दार्थों को समझेंगे। विषय सूची में दिए गए प्रत्येक पद के लिए उदाहरण सोचिए।

यदि आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें एक मौलिक वाक्य मिलेगा।

“हम भारत वासी, भारत को एक गणतंत्र में गठन करने और संविधान में अपने नागरिकों को न्याय, स्वतन्त्रता, समानता और भाई चारे को स्वयं को देने के लिए, सभी को सुरक्षित करने के लिए स्वयं को यह संविधान देते हैं।”

- भारत के नागरिकों ने दो लक्ष्यों को पाने का संकल्प किया, वे क्या थे?
- उन लक्ष्यों को पाने के लिए उन्होंने क्या किया।

हम भारतवासी : संविधान को आकार दिया गया और अपने प्रतिनिधियों द्वारा लोगों ने कार्य किया और राजा या किसी विदेशी शक्ति की सहायता नहीं ली गई। यह एक हमारे गणतंत्र का प्रजातांत्रिक स्वभाव का अभिकथन है।

गणराज्य: देश का प्रमुख व्यक्ति चुना हुआ होता है और साम्राज्यों के समान उसका कोई पैतृक स्थान नहीं होता।

सर्व प्रभुत्व राष्ट्र : भारत को आंतरिक एवं बाह्य विषयों पर निर्णय लेने और स्वयं कानून बनाने का सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है। भारत के लिए कोई बाहरी शक्ति कानून नहीं बना सकती।

समाजवादी : संपत्ति को उनके कार्यों के अनुसार वितरित किया जाता है और सभी को

भारत का संविधान अभिमत

हम समस्त भारतवासी, शपथ लेकर निर्णय करते हैं कि हमने अपने लिए एक सर्व प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की संवैधानिक रचना कर ली है तथा समस्त नागरिकों के हित में समान रूप से यही स्वीकार्य है।

न्याय : सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक

स्वतंत्रता: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, श्रद्धा तथा कार्याचरण में।

समानता: पद तथा अवसरों की तथा इन सभी में परस्पर सद्भाव का विकास करते हैं। साथ-साथ राष्ट्र की एकता एवं संगठन की सुरक्षा को निश्चित करते हैं। हमारे संविधान परिषद में नवंबर 1949 के छब्बीसवें दिन इसे अपनाकर, आचरण कर लिया करने हेतु स्वयं को यह संविधान देते हैं।

Subs. by the constitution [Forty-second Amendment] Act, 1976, Sec.2, for "Sovereign Democratic Republic" (w.e.f. 3.1.1977)

Subs. by the constitution [Forty-second Amendment] Act, 1976, Sec.2, for "Unity of the Nation" (w.e.f. 3.1.1977)

समान भागीदारी दी जाती है। सभी प्रकार की असमानता को कम करने के लिए देश संघर्ष कर रहा है।

धर्म निरपेक्षता: किसी एक धर्म पर सरकार नहीं चलाई जा सकती। नागरिकों को पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह किसी भी धर्म का पालन करे या किसी भी धर्म को ना माने। सरकार किसी एक धर्म का पक्ष ना ले।

प्रजातंत्र : एक ऐसे प्रकार की सरकार जिसमें व्यक्ति को समानता के आधार पर राजनैतिक अधिकार प्राप्त होता है, कानून बनाने के लिए वे प्रतिनिधियों का चयन करते हैं और सरकार चलाते हैं तथा प्रतिनिधि उत्तरदायी होते हैं।

न्याय : सभी नागरिकों को उचित अवसर मिले यह निश्चय करना कि उन्हें क्या करना चाहिए। उनके जन्म (किसी विशेष जाति, जनजाति, सम्प्रदाय, लिंग) या विश्वास (धर्म, राजनैतिक विचार आदि) या सम्पत्ति (धनी या गरीब) स्तर पर किसी प्रकार का भेदभाव ना किया जाय। सरकार को उन लोगों के लिए विशेष सुरक्षा देना चाहिए जिनके साथ प्राचीन काल में गलत हुआ हो (जाति, लिंग या सम्प्रदाय के आधार पर भेद-भाव किया गया हो।)

समानता : संविधान सभी रूपों में समानता का संकल्प नहीं करता (जैसे आय या सम्पत्ति) परन्तु इस बात की गारंटी होनी चाहिए कि सभी व्यक्ति समान स्तर को प्राप्त करे-प्रत्येक एक

ही कानून द्वारा शासित हो। दूसरा यह अवसरों की समानता का वादा करता है। सभी के लिए सार्वजनिक कार्यालय सभी के लिए खुले हो। यदि कार्यालय विशेष योग्यता चाहते हैं तो इन योग्यताओं को पाने के लिए सभी को समान अवसर दिए जाए।

स्वतंत्रता : किसी भी नागरिक पर बिना कारण उनकी सोच, उनकी इच्छा के धर्म का पालन करना या नहीं करना, कैसे वे अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और उन्हें क्रियात्मक रूप प्रदान करे या एक समूह में मिलकर संस्था या दल का निर्माण करना, आदि पर प्रतिबंध न लगाया जाय।

परस्पर सद्भाव : सभी लोगों को एकता के सूत्र में बाँधना इसका अभिप्राय होता है। किसी भी व्यक्ति के साथ अपरिचित या निम्न स्तर का व्यवहार न किया जाय।

अभिमत के अतिरिक्त हमारे संविधान का एक और विभाग है जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहलाता है, जो भारत सरकार के समक्ष कुछ विशेष विषय प्रस्तुत करता है। जैसे उदाहरण के लिए सर्वव्यापक साक्षरता और शिक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, आय में असमानता को कम करना, आदि। यह कुछ सिद्धान्त है जो सरकार का मार्ग दर्शन करते हैं। हम न्यायालय में इस बात पर अभियोग नहीं चला सकते, जब सरकार उनका पालन नहीं कर रही हो।

यह आदर्श वास्तविक रूप से सभी लोगों के लिए हो, संविधान में एक अध्याय नागरिक के मौलिक अधिकारों, गारन्टी जिसके विषय में हम कक्षा नवमी में पढ़ेंगे। उसी प्रकार नीति निर्देशक सिद्धांत, नागरिक अपने अधिकारों के छीने जाने या अस्वीकार किये जाने पर अदालत में अभियोग चला सकता है।

सरकारी व्यवस्था

देश में शासन चलाने के लिए संविधान ने कुछ संस्थाएँ स्थापित की है जिसमें मूल्य और आदर्शों को अपनाया गया है।

इसके लिए संघीय सरकार को उपबन्धित किया गया। संसद-जनता के प्रतिनिधियों का सदन कानून बनाता है और संसद के सदस्यों द्वारा बनाई गई सरकार इन कानूनों को लागू करती है और संसद के लिए उत्तरदायी होती है। देश प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रीमंडल द्वारा चलाया जाता है और संपूर्ण सरकार राष्ट्रपति द्वारा चलित होती है। (अगले अध्याय में आप इसे विस्तार से पढ़ेंगे।)

- चुनी हुई संसद द्वारा ही कानून बनाया जाना क्यों आवश्यक है? वे शिक्षित वकील और न्यायमूर्ति द्वारा क्यों नहीं बनाए जा सकते?
- आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि प्रधान मंत्री और उनके मंत्रीमंडल द्वारा लिए गए निर्णय और कार्यों को संसद का अनुमोदन प्राप्त हो और संसद के सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर दें? क्या यह उचित होता कि वे इन प्रश्नों का उत्तर केवल राष्ट्रपति को देते?

दूसरा हमारे देश में संघीय शासन है। संपूर्ण देश छोटे राज्यों के समूह से बना है। सरकारी कार्यों को केन्द्रीय सरकार जो कि संसद के लिए उत्तरदायी होती है और प्रान्तीय सरकार जो प्रान्तीय सभाओं के लिए उत्तरदायी होती है में विभाजित किया जाता है। उदाहरण के लिए केन्द्रीय सरकार सेना पर अंकुश रखना, रेलमार्ग, सड़क यातायात, विद्यालय. आदि पर कानून बनाती है।

केन्द्रीय संसद में दो सदन-लोक सभा और राज्य सभा होते हैं। लोक सभा देश के सभी व्यक्तियों से चुनी जाती है, राज्य सभा के सदस्य

प्रान्तीय सभाओं द्वारा चुने जाते हैं। इस प्रकार प्रान्त केन्द्रीय सरकार में भी कानून बनाने में पात्रता निभाते हैं।

- कुछ देशों में दूसरा ढाँचा होता है, जिसमें केवल केन्द्रीय सरकार संपूर्ण देश के लिए कानून बनाती है और सभी प्रान्तों एवं क्षेत्रों पर शासन करती है। क्या आप सोचते हैं यह व्यवस्था भारत के लिए उचित है? कक्षा में चर्चा कीजिए।

तीसरा हमारे देश में त्रिस्तरीय प्रजातंत्र है- राष्ट्रीय स्तर पर संसद, प्रादेशिक स्तर पर विधान मंडल और जिला स्तर पर हमारे पास स्थानीय सरकार है जो पंचायत राज प्रणाली कहलाती है। यह आश्वासन पाने के लिए कि जनता को देश के सार्वजनिक विषयों के प्रबंध में भागीदारी पाने के अधिक अवसर मिले।

चौथा, संविधान कुछ स्वतंत्र संस्थाओं को संविधान की रक्षा की भी सुविधाएं देता है। यह न्यायपालिका से संलग्न होती है। (या कानूनी अदालतें) नियंत्रण कर्ता और लेखा परिक्षक जो

सरकारी व्यय का निरीक्षण करते हैं और चुनाव आयोग जो स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव आयोजित करते हैं। यह सरकार के कार्यों की स्वतंत्रता की आशा करते हैं।

- चर्चा कीजिए कि क्यों अदालतें और न्यायमूर्ति प्रदेश और केन्द्रीय सरकारी सत्ताओं से स्वतंत्र हो?
- क्यों चुनाव आयोग सर्वोच्च शक्तिशाली होना चाहिए?

अन्ततः संविधान एक जीवित और परिवर्तनशील दस्तावेज है। जिन्होंने भारतीय संविधान को बनाया उन्होंने भी अनुभव किया कि यह जनता की आशानुसार हो और समाज में परिवर्तन हो। वे यह नहीं देखते हैं कि यह एक पवित्र, स्थिर और अपरिवर्तन कानून है। इसीलिए इसमें समय-समय पर परिवर्तन की सुविधा भी दी गई है। इन परिवर्तनों को संवैधानिक संशोधन कहते हैं। संविधान में परिवर्तन एवं संशोधन की प्रक्रिया संविधान के लिए ही बताई गई है। 2011 तक हमारे संविधान में 97 बार संशोधन किए गए हैं।



चित्र- 13.5: चित्र में निम्न व्यक्तियों को दिखाया गया है (दायें से बाएँ): जयरामदास दौलतराम, खाद्य एवं कृषि मंत्री: राजकुमारी अमृत कौर, स्वास्थ्य मंत्री : डॉ. जॉन मथाई, वित्त मंत्री : सरदार वल्लभ भाई पटेल, उप प्रधान मंत्री और उनके पीछे जगजीवन राम, मजदूर मंत्री

मुख्य शब्द

- | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|
| 1. राजतंत्र | 2. प्रतिनिधि | 3. भेदभाव |
| 4. सर्वोच्च | 5. संविधान | 6. सर्व प्रभुत्व |
| 7. संघीय प्रणाली | 8. प्रान्तीय | 9. आलेख |
| 10. गणतंत्र | 11. धर्म निरपेक्ष | 12. परस्पर सद्भाव |
| 13. संशोधन | | |

सीखने में सुधार

1. 'दमनपुर' राजा के द्वारा शासित था जो कि पुजारियों द्वारा लिखे गए नियमों पर आधारित था। उसने अपने साम्राज्य को 16 प्रान्तों में विभाजित किया था जिसके लिए एक अधिकारी को राज्यपाल जैसा नियुक्त किया। क्या हम कह सकते हैं कि यह प्रजातंत्र देश है? क्या ये संवैधानिक देश है? आपके उत्तर के लिए कारण दीजिए।
2. नीचे दिए कथनों में से कौन-सा सही है?
 - a. संविधान जनता और सरकार के मध्य संबंधों का निर्धारण करता है।
 - b. प्रजातांत्रिक देश के पास एक संविधान होता है।
 - c. अनेकता वाले देश जैसे भारत में संविधान बनाना जैसे भारत में कोई आसान काम नहीं है।
 - d. सभी सही है।
3. नेहरू के भाषण को फिर से पढ़कर निम्न उत्तर दीजिए।
 - a. भारतीय संविधान निर्माता से वे कैसी प्रतिज्ञा करवाना चाहते थे ?
 - b. "हमारी पीढ़ी के महान व्यक्ति का लक्ष्य है प्रत्येक आँख से आँसू पोछना" यह किसे संबोधित करता है।
4. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन-से मूल्य (embedded) एम्बेडेड रहे हैं?
5. "कानून के समक्ष सब समान है" - उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए।
6. नीचे दिये गये कथनों में से कौन-सा सही है?
 - a. संविधान विधान सभा की शक्ति को परिभाषित करता है।
 - b. संविधान किसी भी रूप में परिवर्तित नहीं हो सकता।
 - c. संविधान की भूमिका में इसका आदर्श झलकता है।
 - d. संपूर्ण देश को केंद्र में रखते हुए इनमें नियम बनाये गये हैं।
7. समान न्याय किन असंदर्भों में दिखाई देता है। उदाहरण सहित लिखिए।

परियोजना

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, दक्षिण आफ्रिका और भारत के संविधान की प्रस्तावना की तुलना कीजिए।

- इनमें से तीन आदर्श तत्वों की सूची बनाइए। जो समान है।
- इनमें निहित कम से कम एक अंतर को बताइए।
- इनमें से कौन से तीन भाग हमारे अतीत को दर्शाते हैं।
- इनमें से किनमें ईश्वर की प्रार्थना निहित नहीं है।

संयुक्त राज्य अमेरिका योजना के संविधान की प्रस्तावना

हम संयुक्त राज्य एक अधिकाधिक संपूर्ण संघ की स्थापना करते हैं जिसमें न्याय, घरेलू शांति, निष्पक्षता, सबके लिए समान सुरक्षा, सबकी भलाई स्वयं की स्वतंत्रता और अपनी भावी पीढ़ियों की रुचि की व्यवस्था होगी और यह संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान होगा।

दक्षिण अफ्रीका के संविधान की प्रस्तावना

हम दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने अपने साथ अतीत में हुए अन्याय को पहचाना है; हम सबका सम्मान करते हैं जिन्होंने अन्याय तथा हमारी धरती के लिए संघर्ष किया है; और हम मानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका उन सबका है जो इसके क्षेत्र में निवास करते हैं तथा इसकी विविधता में एकता दर्शाते हैं। हम इस प्रकार, अपने द्वारा स्वेच्छा से चुने गये प्रतिनिधि को अपनायेंगे तथा गणतंत्र राज्य के अनुसार हमारा संविधान होगा- अतः हम अतीत के विभाजन को पाटते हुए, लोकतंत्रात्मक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मूल मानवाधिकार के आधार पर अपने समाज की स्थापना पर बल देते हैं। इस लोक तंत्रात्मक एवं मुक्त समाज में सरकार जनता की इच्छा से चुनी जायेगी और प्रत्येक नागरिक समान रूप से कानून का संरक्षण प्राप्त कर सकेगा। सभी नागरिकों को जीवन की गुणवत्ता के विकास और प्रत्येक व्यक्ति के अस्तित्व को महत्व होगा। दक्षिण अफ्रीका का सर्व प्रमुख गणराज्य राष्ट्र परिवारों में श्रेष्ठ स्थान होगा।

ईश्वर हमारे लोगों की रक्षा करें।

ईश्वर दक्षिण अफ्रीका का भला करें।

संसद और केन्द्र सरकार

Parliament and Central Government

भारतीय संविधान में देश के शासन के लिए संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है जो कानून बनाने की सबसे सर्वोच्च संस्था है। पिछले वर्ष हमने सीखा था कि राज्य स्तर पर कानून बनाने वाली संस्था कैसे कानून बनाती है? हमने यह देखा था कि प्रत्येक राज्य में विधानसभा के सदस्य अपने राज्य के लिए कानून बनाते हैं। प्रत्येक राज्य अपने कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्यों के आधार पर ही कानून बनाते हैं। राज्य स्तर पर कार्यपालिका होती है जो विधानसभा द्वारा बनाये गये कानूनों और नीतियों को राज्य में लागू करने का कार्य करती है। इस वर्ष हम संसद और इसके कार्यों के विषय में पढ़ेंगे राष्ट्रीय स्तर पर जिसका गठन किया गया है।

संसद की भूमिका

दूरदर्शन को बहुत से चैनल में से एक चैनल को आप देख सकते हैं, जिसे लोकसभा टी.वी. कहा जाता है। यह चैनल उन सभी आपसी बहस और कार्यवाहियों का प्रसारण करती है जो नई दिल्ली संसद भवन में आयोजित होती है। आप इस चैनल को देखिए जिससे आपको संसद की कार्यवाहियों

के विषय में जानकारी मिल सके ताकि आप अपने कुछ विचार व्यक्त कर सके। हमारी संसद कई महत्वपूर्ण कार्य करती है उनमें सबसे प्रमुख कार्य समस्त देश के लिए कानून बनाना है। यह समस्त देश के लिए नीतियों को बनाती है। जैसे हम अपने वनों का उपयोग किस प्रकार करें, प्राकृतिक साधन जैसे खदानों, शिक्षा के विषय में, दूसरे देशों के साथ हमारे संबंध तथा उद्योग और कृषि आदि। सरकार से यह आशा की जाती है कि सरकार उन सभी कार्यक्रमों को लागू करे जो संसद की नीतियों के अनुरूप हो। जैसे 1986 में संसद ने शिक्षा के लिए राष्ट्रीय नीति स्वीकृत की गई जो ऐसे कार्यक्रमों के विषय में दिशा-निर्देश प्रदान करते हैं, जिनका संबंध शिक्षा से है। संसद ने 2009 में एक नया अधिनियम लागू किया है जो सभी बच्चों को निःशुल्क और आवश्यक शिक्षा प्रदान करने से संबंधित है। इस कानून में यह आदेश दिया गया है कि सभी बच्चे सर्वोत्तम शिक्षा प्राप्त कर सके।

- भारतीय संसद के द्वारा बनाये गये कुछ प्रमुख कानून और नीतियों के विषय में जानकारी एकत्रित करक कक्षा में प्रस्तुत करें।



चित्र-14.1: संसद भवन नई दिल्ली

सरकार जो समस्त देश में शासन करती है वह संसद द्वारा बनाये गये कानूनों का लागू करती है जो विकास और कल्याण कार्यक्रमों से संबंधित होते हैं। सरकार को अपने सभी कार्यों के लिए संसद की स्वीकृति लेनी आवश्यक होती है। जिस समय संसद में चर्चा आयोजित होती है उस समय विषय पर जानकारी और स्पष्टीकरण के लिए संबंधित सदस्य से प्रश्न पूछ सकते हैं। सरकार के सदस्यों को उनका उत्तर देना आवश्यक होता है। इस तरह से सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। संसद सरकार के आय-व्यय के विवरण पर अपनी स्वीकृति प्रदान करती है। सरकार प्रत्येक वर्ष अपने वार्षिक बजट को संसद की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करती है।

- क्या आप समझते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली जिसमें सरकार के सदस्य संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं? वह लाभदायक है?
- क्या संसद को केवल कानून बनाना चाहिए और सरकार की कार्यवाहियों पर नियंत्रण नहीं रखना चाहिए? इस विषय पर अपनी कक्षा में विचार विमर्श कीजिए।
- विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियों के विषय में जानकारी एकत्रित करें जहाँ सरकार संसद के प्रति और व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती।

संसद का गठन

भारतीय संसद दो सदनों से मिलकर बनती है। लोक सभा (निम्न सदन) और राज्य सभा (उच्च सदन) लोकसभा के सदस्यों को जनता के द्वारा चुनाव चुना जाता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों को (अप्रत्यक्ष चुनाव) राज्य विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। राज्य सभा के सदस्यों की

अधिकतम संख्या 250 है। राज्य विधान सभा के सदस्य और संघ शासित प्रदेश राज्य सभा के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुन कर भेजते हैं। यह कानूनी प्रक्रियाओं के लिए केन्द्र और राज्यों के बीच एक माध्यम है। राज्यसभा के सदस्यों को छः वर्ष के लिये चुना जाता है। प्रत्येक दो वर्ष में एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त कर दिये जाते हैं और उनके स्थान पर नये सदस्यों को चुना जाता है।


सदन की शक्तियाँ

संविधान के अनुसार लोकसभा सभी विषयों पर सर्वोच्च शक्तियों का उपभोग करती है। जैसे -

1. प्रत्येक कानून को दोनो सदनों से पारित होना आवश्यक है। यदि किसी विषय पर दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न होता है तो दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन आमंत्रित होता है जिसमें अंतिम निर्णय के लिए दोनों सदनों के सदस्य सम्मिलित होते हैं। वैसे भी लोकसभा के पक्ष में निर्णय होता है क्योंकि लोकसभा में राज्यसभा की तुलना में सदस्य संख्या ज्यादा होता है।

2. वित्तीय विषयों में लोकसभा को अधिक शक्तियाँ प्रदान की गई है जैसे ही लोकसभा सरकार के बजट को पारित कर देती है उसके पश्चात न तो राज्यसभा और न ही वित्त व्यवस्था से संबंधित कोई कानून उसे अस्वीकृत कर सकता है।

3. लोकसभा मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियंत्रित करती है यह अपने आप में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति जिसे लोकसभाके सदस्यों का बहुमत या समर्थन प्राप्त हो उसे लोकसभा में प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। यदि लोकसभा के सदस्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों के प्रति अविश्वास प्रस्ताव राफिच गोचा गै मंत्रिपरिषद को अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। राज्यसभा के पास यह शक्ति नहीं है।



चित्र :

लोकसभा चुनाव क्षेत्र

सम्पूर्ण फुल क्षेत्र 543

सामान्य 423

आरक्षित (अनु. जाति) 79

आरक्षित (अनु. जनजाति) 41

राज्य	संख्या	राज्य	संख्या	राज्य	संख्या
Andhra Pradesh	25	Jammu & Kashmir	6	Odisha	21
Arunachal Pradesh	2	Jharkhand	14	Punjab	13
Assam	14	Karnataka	28	Rajasthan	25
Bihar	40	Kerala	20	Sikkim	1
Chhattisgarh	11	Madhya Pradesh	29	Tamilnadu	39
Goa	2	Maharashtra	48	Telangana	17
Gujarat	26	Manipur	2	Tripura	2
Haryana	10	Meghalaya	2	Uttarakhand	5
Himachal Pradesh	4	Mizoram	1	Uttar Pradesh	80
		Nagaland	1	West Bengal	42
Union Territories					
Andaman and Nicobar Islands	1	Daman and Diu	1	Delhi(the NCT of Delhi)	7
Chandigarh	1	Lakshadweep	1	Nominated by the president of India	2
Dadra and Nagar Haveli	1	Pondicherry	1	Anglo Indians	2

राज्य अनुसार लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की तालिका

- क्या आप लोक सभा और राज्य सभा के बीच मूलभूत अंतर को पहचान सकते हैं।
- अजहर का यह सोचना है कि राज्य सभा को अधिक शक्तियाँ देनी चाहिए क्योंकि इसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने आप में विद्वान होते हैं। मुमताज का यह कहना है कि राज्य सभा को अधिक शक्तियाँ नहीं देनी चाहिए क्योंकि इसके सदस्य जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने जाते। आप इन दोनों के विचारों के प्रति कैसा सोचते हैं?

लोकसभा के चुनाव

लोकसभा के निर्वाचन में विशेष स्थिति इसलिए प्रदान की गई है क्योंकि इसका चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अब यह देखना है कि यह कैसे होता है?

साधारण तौर पर प्रत्येक पाँच वर्ष में लोकसभा का चुनाव किया जाता है। सभी नागरिक जिनकी आयु 18 वर्ष की है (व्यस्क नागरिक) वे लोकसभा चुनाव में अपना मत दे सकते हैं। सभी मतदाताओं के नाम उस निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत अवश्य होना चाहिए जहाँ के वे निवासी हैं। कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 25 वर्ष की हो वह लोकसभा निर्वाचन में भाग लेकर लोकसभा सदस्य बन सकता है। कुल

सदस्यों की संख्या 545 है (2 मनोनित सदस्यों को मिलकर)। भारत के राज्य और संघ शासित प्रदेशों को विभिन्न निर्वाचक क्षेत्रों (सीटों) में विभाजित किया गया है। जहाँ से लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं। ऐसे राज्यों में निर्वाचन क्षेत्र अधिक होते हैं, जहाँ की जनसंख्या अधिक होती है। इसके विपरीत जहाँ की जनसंख्या कम होती है वहाँ पर निर्वाचक, क्षेत्र भी कम होते हैं। जैसे वहाँ पर निर्वाचक, क्षेत्र भी कम होते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में 80 निर्वाचक, क्षेत्र है वहीं मेघालय में केवल दो निर्वाचक क्षेत्र हैं। तेलंगाणा में 17 निर्वाचक क्षेत्र तथा संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ में केवल एक निर्वाचक क्षेत्र है।

- आपके प्रदेश और दो पड़ोसी राज्यों में कितने निर्वाचक क्षेत्र हैं ?
- कौन से राज्य में 30 से अधिक लोकसभा सीटें हैं ?
- कुछ राज्यों में लोकसभा निर्वाचक क्षेत्रों की संख्या क्यों अधिक होती है ?
- कुछ निर्वाचक क्षेत्र कुछ बड़े और कुछ छोटे क्या होते हैं ?
- क्या अनुसूचित जाति तथा जनजाति के सदस्यों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षण की सुविधा पूरे देश में है या कुछ क्षेत्रों में अधिक है ?



चित्र 14.2: क्या आप यह सोच सकते हैं कि इस चित्र में एक तरफ संसद भवन और दूसरी तरफ जनता क्यों है ?

प्रथम लोकसभा के चुनाव

वर्तमान राजनीतिक जीवन के लिए चुनाव एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन चुका है। इस अवसर पर हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। भारत जैसा विशाल देश जिसकी जनसंख्या अत्यधिक है वहाँ चुनाव करना अपने आपमें एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। आइए अब हम प्रथम लोकसभा चुनाव की समीक्षा करे जो 1951-52 में आयोजित किया गया था। इस चुनाव की सभी प्रक्रियाओं को पूरा होने में चार महीने का समय लगा था।

यद्यपि इस चुनाव के लिए सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार को आधार बनाया गया था। प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु इक्कीस वर्ष की या इससे अधिक हो वह अपना मत दे सकता था। उस समय 17,30,00,000 लाख से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। अधिकतर व्यक्तियों के लिए मत देने का यह प्रथम अवसर था। उस समय अधिकांश मतदाता ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी और अशिक्षित थे। यह एक मुख्य प्रश्न बन चुका था कि उस समय जनता ने इस अवसर के प्रति क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की थी ?

- यदि आप उस समय होती तो आप किस पक्ष से सहमत हाते? क्या आप ऐसे विचार को सही मानते हैं कि भारत के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार चुनाव के लिए उपयुक्त था? इसके कारण प्रस्तुत कीजिए।

भारत में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करवाने जाने के लिए एक चुनाव आयोग का गठन किया गया है। प्रथम लोकसभा चुनाव आयोजित करने के लिए समस्त आवश्यक प्रबंध करना चुनाव आयोग के लिए अपने आप में विस्तृत गंभीर और एक जटिल कार्य था। इस कार्य के लिए सबसे पहले घर-घर जाकर सर्वेक्षण किया गया और योग्य मतदाताओं के नाम एक रजिस्टर में लिखकर पंजीकृत किये गये।

इस चुनाव में जितने उम्मीदवारों ने भाग लिया था उनमें से अधिकतर किसी न किसी राजनैतिक दल से संबंधित थे। या स्वतंत्र उम्मीदार

थे। चुनाव आयोग ने सभी उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह (प्रतीक) आवंटित (प्रदान) किया था। सभी चुनाव चिन्हों को उन मतपेटियों पर अंकित किया गया था जिसमें मतदाता को अपने मतपत्रों को डालना था। मतदाता को अपने पसंद के उम्मीदवार की मतपेटी में अपना मतपत्र डालना था। गुप्त मतदान के लिए मतपेटियों को परदे में रखा जाता था।

पूरे देश में लगभग 2,24,000 मतदान केंद्रों की व्यवस्था की गई थी। लगभग 25,00,000 लोहे की मतपेटियों का उपयोग किया गया था। कम से कम 62,00,00,000 मत पत्रों को छपाया गया था। लगभग 10 लाख अधिकारियों का चुनावों के निरीक्षण के लिए नियुक्त किया गया था। पूरे देश में 17,500 उम्मीदवारों ने चुनाव में भाग लिया था अतः प्रथम लोकसभा चुनाव के लिए 489 उम्मीदवार चुने गये। यद्यपि इस चुनाव में छुटपूट हिंसात्मक घटनाएँ हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी प्रथम लोकसभा चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्षता के आधार पर व्यवस्थित तरीके से आयोजित किये गये थे।

इस नये अवसर का जनता ने बिना किसी भय के समर्थन किया। जनता ने मतदान में भाग लिया था क्योंकि वे यह जानते थे कि यह उनका स्वयं का महत्वपूर्ण अधिकार है। कुछ स्थानों पर कुछ व्यक्तियों ने कहा कि चुनाव केवल त्रयौहार मनाने का सार्वजनिक अवसर है। जनता ने इस अवसर पर नये कपड़े सिलवाये। देश की महिलाओं ने अपने-अपने चाँदी के आभूषण पहने। घर-घर जाकर राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न की गई जो लोग गरीब और अशिक्षित थे। इन लोगों को यह समझाया गया कि वे अपने मत का प्रयोग मत देते समय अत्यंत सावधानी के साथ करें।

प्रथम लोकसभा चुनाव में न केवल शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों की जनता ने बड़ी संख्या में भाग लिया। चुनाव में दलित और आदिवासियों ने भी अत्यधिक भाग लिया। इस चुनाव की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता महिलाओं की भागीदारी थी जो लगभग 40 प्रतिशत थी जो मतदान देने के लिए योग्य थी और मतदान में भाग

लिया। यह भी अपने आप में विचारणीय तथ्य है कि ऐसी महिलाओं ने भी मतदान में भाग लिया जो परदा प्रथा के कारण जनता के बीच नहीं आती थी।

प्रथम लोकसभा चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि किसी भी अन्य देश में ऐसी चुनाव आयोजित नहीं हुआ जिसमें गरीब नागरिकों के विशाल जनसमूह में महिलाएँ भी भाग नहीं लिया था। गरीब और अशिक्षित मतदाताओं को भी मताधिकार प्राप्त हुआ था। लगभग 46 प्रतिशत योग्य मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया।



Fig 14.3 : Electronic voting machine

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजन में चुनौतियाँ

प्रजातंत्र की आदर्श परिस्थिति के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक मतदाता विभिन्न उम्मीदवारों के विषय में जानकारी प्राप्त करे। विभिन्न मतदाताओं के लिए यह भी आवश्यक है कि वे अपने उम्मीदवारों की नीतियों को भलीभांति समझ सकें ताकि उन्हें यह विश्वास हो जाय कि कौन-सा उम्मीदवार उचित प्रकार उनके हितों का संसद में प्रतिनिधित्व कर सकता है। उसी के पश्चात् मतदाता को मतदान करना चाहिए। मतदाता पर किसी भी प्रकार का अनावश्यक दबाव भी नहीं डाला जाना चाहिए। जैसे वह महिला है अथवा पुरुष, धार्मिक समुदाय नेता या जाति विशेष समुदाय नेता हो अथवा धन देकर अपने पक्ष में मतदान देने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए। प्रत्येक मतदाता को अपने मताधिकार का निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

वास्तविकता यह है कि आज मतदान व्यवहार बहुत से तत्वों का प्रभावित करते हैं जैसे धर्म, राजनीति, धन, उपहार, इत्यादि। इसके अलावा शक्तिशाली नेता कई बार अपने उम्मीदवार को मत देने के लिए बाध्य करते हैं। कभी-कभी जो राजनीतिक दल सत्ता में रहता है वह सरकारी मशीनरी का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए करता है ताकि मतदाताओं को प्रभावित किया जा सके। वर्तमान समय में चुनाव आयोग ऐसे अवैध तरीकों को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठा रहा है। आप भी इस कार्य के लिए कुछ तरीकों का पता लगाईए।

- आपके क्षेत्र के लोकसभा सदस्य का नाम दीजिए तथा अपने पड़ोसी राज्यों के कुछ लोकसभा सदस्यों के नाम दीजिए।
- यह मालूम कीजिए कि ये सभी सदस्य कौन से दल के सदस्य हैं?
- निम्न शब्दों के अर्थ के लिए अपने शिक्षक से चर्चा करें।

उम्मीदवार	चुनाव क्षेत्र
मत पत्र	इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन
चुनाव प्रचार	चुनाव आयोग
मतदाता सूची	चुनाव में स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया

वर्तमान में विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा कौन-कौन से चुनाव चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है। उनके विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए।

- प्रथम लोकसभा चुनाव अपने आप में एक विस्तृत और जटिल कार्य क्यों था?
- आज चुनाव कैसे आयोजित होते हैं, इसके विषय में अपने शिक्षक और माता-पिता के साथ चर्चा कीजिए।
- वर्तमान चुनाव और प्रथम चुनाव के बीच कौन से महत्वपूर्ण अंतर हैं? इनके विषय में लिखिए। मत पत्र पेटी, शीट, मतदान की उम्र इनके विषय में लिखिए।
- गुप्त मतदान क्यों होना चाहिए?

प्रथम आम चुनाव के पश्चात कई चुनाव हो चुके हैं। नीचे दी गई तालिका में उन लोगों का प्रतिशत दिया गया जिन्होंने प्रत्येक चुनाव में मतदान दिया था। इस तालिका में दी गई जानकारी के अनुसार निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

- अब तक कितने लोकसभा चुनाव हुए हैं?
- आप क्या समझते हैं कि लोगों के मतदान प्रतिशत के बारे में जानना आवश्यक है, इससे हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है।
- चुनाव में कई योग्य मतदाताओं ने भाग नहीं लिया, इसके संभावित कारणों को समझाइए।
- प्रथम चुनाव के समय विभिन्न लोगो ने अपने - अपने कौन से विचार प्रकट किये।
- एक सर्वेक्षण के अनुसार 1996 चुनाव में गरीब और अशिक्षित मतदाताओं का दर 61% रहा। इसमें केवल 53% स्नातक सम्मिलित थे। इतने अधिक अंतर का क्या कारण है? चर्चा कीजिए।

तालिका: 1952 से 2009 तक के लोकसभा चुनाव में मतदाताओं का प्रतिशत

लोकसभा चुनाव का वर्ष	मतदाताओं का प्रतिशत
1952	46 %
1957	48 %
1962	55 %
1967	61 %
1971	55 %
1977	60 %
1980	57 %
1985	64 %
1989	62 %
1991	56 %
1996	58 %
1998	62 %
1999	59 %
2004	58 %
2009	58 %
2014	66.4%

2009 में लोकसभा चुनाव के कुछ रोचक तथ्य	
संसदीय चुनाव क्षेत्रों की संख्या	543
कुल मतदाता	83,41,01,479
उम्मीदवारों की संख्या जिन्होंने चुनाव में भाग लिया	8,251
पुरुष उम्मीदवारों की कुल संख्या	89%
महिला उम्मीदवारों की कुल संख्या	11%
चुनावी मतदान केन्द्रों की कुल संख्या	9,30,000 (के लगभग)
जमाराशि खोनेवाले उम्मीदवारों की संख्या	7,000
मतदान अधिकारी	1,00,00,000 (के लगभग)
चुवान लड़ने वाली कुल राजनैतिक पार्टियाँ	464

सभी कानून संसद नहीं बनाती है, यह निम्न विवरण से स्पष्ट होता है।

केन्द्रीय सूची: इस सूची के समस्त विषयों पर संसद के द्वारा कानून बनाया जाता है। संसद के द्वारा बनाये गये कानून समस्त देश में लागू किये जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हमारे देश की मुद्रा रूपया सभी के लिए एक समान है। इसीलिए वित्त और बैंकिंग से संबंधित सभी कानून केवल संसद के द्वारा बनाये गये हैं। इसी तरह डाक तार और टेलीफोन और दूरसंचार के लिए बनाये गये कानून समान रूप से लागू होते हैं। सुरक्षा विषय को भी संसद के नियंत्रण से अधीन रखा गया है। सैनिक सेवाओं के लिए तथा सुरक्षा विभाग के लिए केवल संसद के द्वारा कानून बनाये जाते हैं ।

राज्य सूची: राज्य सूची में ऐसे नियम सम्मिलित हैं जिन पर केवल राज्य विधानसभाएँ कानून बनाती हैं। यही कारण है कि इस सूची के विभिन्न विषयों पर प्रत्येक राज्य के अलग-अलग कानून हैं। उदाहरण के लिए राज्य किसी भी वस्तु की खरीदी और बिक्री पर बिक्री कर (सेल्स टैक्स) लगाया जाता है। जो कि राज्य सरकार के राजस्व (आय, आदमी) का एक प्रमुख आय का साधन है। प्रत्येक राज्य ऐसे टैक्स (कर) को एकत्रित करने के लिए कानून बनाता है।

प्रत्येक राज्य का उत्तरदायित्व है कि अपने राज्य की सीमाओं सड़कों और यातायात के सभी साधनों का उचित प्रबंध करे तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के अलावा सड़कों का निर्माण और उनके संरक्षण (रख-रखाव) का भी उचित प्रबंध करे। प्रत्येक राज्य में कृषि, सिंचाई, पुलिस स्वास्थ्य की देखभाल राज्य के सबसे महत्वपूर्ण विषय हैं। ये सभी विषय राज्य सूची में आते हैं और राज्यों की विधानसभाएँ इन विषयों पर कानून बना सकती हैं।

समवर्ती सूची: इस सूची के विषयों पर दोनों अर्थात् संसद तथा राज्य विधानसभाओं के द्वारा कानून बनाया जा सकता है।

कुछ ऐसे निश्चित विषय हैं जिन पर संसद और राज्य विधानसभाएँ दोनों कानून बना सकती हैं। जैसे शिक्षा नीति को बनाना, केन्द्र और राज्य सरकार दोनों का कर्तव्य है। प्रत्येक राज्य में आप ऐसे स्कूलों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिन्हें केन्द्रीय सरकार संचालित करती है तथा जिन्हें केन्द्रीय विद्यालय अथवा सेन्ट्रल स्कूल के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार राज्य सरकार विभिन्न स्कूलों को संचालित करती है जिनका प्रबंध और संरक्षण राज्य के शिक्षा विभाग के द्वारा किया जाता है।

अन्य कई महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बनाती हैं जैसे कारखाने और उद्योग बिजली श्रमिक वर्ग भी इसी श्रेणी में आते हैं। यदि केन्द्र और राज्य सरकार के द्वारा बनाये गये कानूनों में किसी भी प्रकार का अन्तर्विरोध उत्पन्न होता है तो संसद के द्वारा बनाये गये कानूनों को मान्य समझा जाता है।

- ऐसे कानूनों को याद कीजिए जिन्हें आपने पिछले वर्ष पढ़ा है। अब ऐसे कानूनों के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए जिन पर संसद और विधानसभा की पिछली बैठक में चर्चा की गई थी।

भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति

भारत के राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के सदस्य और राज्य विधानसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है। उपराष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के द्वारा चुना जाता है। उपराष्ट्रपति राज्य सभा के अध्यक्ष कहलाता है। उपराष्ट्रपति राज्य सभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता करता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। प्रत्येक कानून जिसे संसद के द्वारा पारित हो स्वीकृत किया जाता है व राष्ट्रपति के हस्ताक्षरों के पश्चात ही कानून के रूप में लागू किया जा सकता है।


● गलत वाक्यों को सही कीजिए

- 1 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में एक समान सदस्य होते हैं ।
- 2 भारत का प्रत्येक मतदाता राष्ट्रपति को चुनता है।
- 3 तेलंगाणा विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं ।
- 4 विधानसभाओं के सभी विधानसभा सदस्य और दिल्ली पांडिचेरी से भी संसद सदस्य (लोकसभा और राज्य सभा) राष्ट्रपति को चुनते हैं।




चित्र: 14.3: गणतंत्र दिवस की रात्रि पर राष्ट्रपति भवन का दृश्य


वर्तमान में कार्यरत प्रत्येक का चित्र निधारित जगह पर लगाइये ।



भारत के राष्ट्रपति



उप राष्ट्रपति



प्रधानमंत्री

भारत का प्रधानमंत्री और मंत्रीपरिषद

भारतीय प्रधानमंत्री और मंत्रीपरिषद के सदस्यों को लोकसभा और राज्य सभा के द्वारा चुना जाता है। संसद का कार्य केवल कानून बनाना ही नहीं है अपितु सरकार के सदस्योंको नियुक्त करना भी है। जो कानून के अनुसार शासन संचालित कर सके। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। इसलिए इसकी दोहरी भूमिका है , एक व्यवस्थापिका जो कानून बनाती है , दूसरी कार्यपालिका जो कानूनों को लागू करती है। कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति कहलाता है।

प्रधानमंत्री और मंत्रीपरिषद अपने आप में ऐसी विशाल संस्था है जिसके अधीन कई मंत्री और सरकारी कर्मचारी कार्य करते हैं। इस तरह से विशाल जनसमूह में से एक छोटा व्यक्तियों का समूह मंत्रियों के रूप में सरकार संचालन का कार्य करता है। आइए अब हम यह देखें कि यह कैसे किया जाता है?

सरकार के समस्त निर्णय राष्ट्रपति के नाम के लिये जाते हैं जो देश का औपचारिक प्रमुख होता है। इसीलिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रीपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है।

अब आप यह बतला सकते हैं कि विधानसभा सदस्य मुख्यमंत्री को चुनते हैं। उसी तरह प्रधानमंत्री

भी लोकसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति आमंत्रित करता है और प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री अपनी इच्छा से अन्य सदस्यों को मंत्रीपरिषद के गठन के लिए नामों की सूची राष्ट्रपति को प्रदान करता है। इस तरह से मंत्रीपरिषद का गठन होता है।

- वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम बताइये इसके पूर्व के कुछ प्रधानमंत्रियों के नाम दीजिए।
- अपने राज्य में से उन मंत्रियों के नाम दीजिए जो वर्तमान केन्द्रीय सरकार में है।
- केन्द्रीय सरकार के महत्वपूर्ण विभागों तथा उनके अध्यक्षों के नाम बताइये ।

मंत्रीमंडल सरकार का कार्यपालिका विभाग है, जिसका प्रमुख कार्य कानूनों को लागू करना तथा ऐसे कार्यक्रमों की योजना बनाना है तथा उन्हें लागू करना है जो विकास से लिए आवश्यक होता है। संसद कानूनों पर विचार विमर्श करती है तथा पुराने कानूनों और नीतियों पर विचार विमर्श के पश्चात संसद की स्वीकृति प्राप्त करती है। सरकारी कार्य के कई महत्वपूर्ण विभाग या क्षेत्र हैं, जैसे वित्त, विदेशी मामले, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य. इत्यादि। प्रत्येक विभाग का प्रमुख एक

अनुभवी और वरिष्ठ मंत्री होता है। प्रत्येक मंत्रालय में कई विभागीय कर्मचारी दैनिक कार्यों के लिए कार्य करते हैं। जैसे फाइल बनाना, विभिन्न मामलों के लिए प्रस्ताव तैयार करना ताकि मंत्री ऐसे कार्यों के लिए निर्णय ले सके तथा उन्हें सूचित कर सके। ऐसे निर्णयों को लागू करने का उत्तरदायित्व भी मंत्रालय के अधिकारियों का रहता है।

- निम्न में से कौनसा वाक्य सरकार के गठन के लिए सही है?
- दलीय समर्थन के आधार पर राष्ट्रपति सरकार का गठन करते हैं।
- एक दल अथवा संयुक्त दल में किसके पास सरकार बनाने के लिए अधिक संख्या में सीट है।
- एक राजनीतिक दल अथवा संयुक्त दलों में से किसके पास सरकार बनाने के लिए आधी से अधिक सीटें है?
- क्या चुनाव आयोग उस दल को चुनता है जो सरकार का गठन कर सके।
- ऐसा व्यक्ति जिसे लोकसभा चुनाव में सबसे

अधिक मत प्राप्त हुए हो वह प्रधानमंत्री बन सकता है।

- निम्नलिखित तालिका को देखते हुए यह बताइए कि प्रथम लोकसभा चुनाव में कौन सा राजनैतिक दल सरकार बना सकता है।

प्रथम लोकसभा चुनाव 1952	
दल का नाम	जीते गये स्थान
कांग्रेस	364
कम्यूनिस्ट और उनके सहयोगी	23
समाजवादी	12
किसान मजदूर प्रजा पार्टी	9
जन संघ	3
हिन्दू महासभा	4
राम राज्य परिषद	3
अन्य दल	30
स्वतंत्र उम्मीदवार	41
कुल	489

कुछ महत्वपूर्ण शब्द

1. विधान मंडल
2. लोक सभा
3. राज्य सभा
4. चुनाव आयोग
5. मंत्रीपरिषद
6. केन्द्रीय सूची
7. राज्य सूची
8. समवर्ती सूची


अधिक सीखने की कोशिश कीजिए

1. प्रथम आम चुनाव करवाना क्यों कठिन था? अपनी इच्छानुसार कारण बताइए?
2. आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए?
3. इनमें से कौन से विषयों पर संसद सदस्य विधान सभा सदस्य या दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं- कृषि, रेलवे, अस्पताल, पुलिस, डाक एवं तार विद्युत एवं कारखाने।
4. संसद के दोनो सदनों के नाम लिखिए। एक तालिका के माध्यम से निम्न प्रमुख आधारों पर दोनों सदनों के बीच समानताएँ और अंतर बतलाने का प्रयास कीजिए। जैसे- कार्यकाल, कुल सदस्य संख्या, कम या अधिक शक्तिशाली, चुनावी प्रक्रिया, राष्ट्रपति पद के लिए मतदान।
5. 2009 के संसदीय चुनाव में किसी भी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ? ऐसे समय में सरकार कैसे गठित की गई? अपने शिक्षक की सहायता से इस विषय पर एक पंक्ति लिखिए।
6. जो कानून पूरे देश में लागू होते हैं, उसके लिए कौन उत्तरदायी है?
7. नीचे दी गई तालिका में जितनी सूचना दी गई है उनमें कुछ कमी रह गई है। अपने शिक्षक के

साथ चर्चा करके उन सूचनाओं को एकत्रित करके रिक्त स्थान भरें।

पद का नाम	किसके द्वारा चुना गया	कार्यकाल की अवधि	योग्यताएँ निम्नतम उम्र निवास इत्यादि
विधानसभा सदस्य		5 वर्ष	
एम.पी. लोकसभा			न्यूनतम आयु 25 वर्ष
एम.पी.राज्यसभा			
मुख्यमंत्री	प्रत्येक राज्य के बहुमत दल के सदस्यों द्वारा		
प्रधानमंत्री			उसे संसद सदस्य होना
राष्ट्रपति			न्यूनतम आयु 35 वर्ष

- क्या आप को लगता है कि चुनावों में महिलाओं को अधिक प्रधानता दी जानी चाहिए।
- निम्न सर्वेक्षण के आंकड़े यह बतलाते हैं कि भारत तथा अन्य देशों के संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है?



उपरोक्त सूचनाओं के आधार पर निम्न पक्षों पर एक निबंध लिखिए।

- क्या महिलाओं को संसद के दोनों सदनों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त है?
- प्रजातांत्रिक आदर्शों के लिए प्रतिनिधित्व का विचार कैसा है?
- उपर्युक्त प्रश्नों द्वारा क्या समाधान निकला? संसद सदस्य होने के नान आप इस विषय को संसद में कैसे प्रस्तुत करेंगे? आप के विचार में अन्य देशों में महिलाओं का संसद में अधिक प्रतिनिधित्व है?

परियोजना - जिस समय संसद का अधिवेशन चल रहा हो उस समय रेडियो और टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले समाचार या समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाली प्रमुख घटनाओं की एक सूची बनाकर कक्षा में संसद भवन की तरह विचार-विमर्श कीजिए।

कानून और न्याय-एक केस अध्ययन

Law and Justice – A case Study

पिछले वर्ष हमने पढ़ा होगा कि कानून सरकार द्वारा बनाये जाते हैं। हमने कानून लागू करने में संसद के कार्य को भी देखा। लेकिन जब कानून का उल्लंघन होता है तब क्या होता है? इस अध्याय में हम इस बारे में पढ़ेंगे।

संपत्ति पर विवाद

रवि जमींदारी का काम करने वाला एक व्यापारी है। वह जमीन खरीदता है और उसके छोटे प्लॉट बनाकर फिर उसे बेचता है। वह प्लॉट के बारे में समाचार पत्रों में विज्ञापन देता है जो लोग प्लॉट खरीदते हैं उन्हें 5 वर्ष तक प्रति माह 5000 रुपये देने होते हैं।

सांबा एक सहकारी समिति में चपरासी है। उसने विज्ञापन देखा और प्लॉट खरीदने का निश्चय किया। उसने अपनी कमाई में से पैसे बचाये और 5 वर्ष तक सभी किश्तें चुकाईं। 5 वर्ष पश्चात सांबा ने उस प्लॉट पर घर बनाने की योजना बनायी। लेकिन तब उसे पता चला कि रवि ने वही प्लॉट कुछ समय पहले सुशील को बेच दिया था।

सांबा अपने बेटे क्रांति के साथ रवि के घर गया। सांबा ने रवि से प्लॉट के पैसे वापस करने की मांग की। दोनों में झगड़ा हो गया और वीरू ने सांबा को मारकर उसका हाथ तोड़ दिया। जैसे ही यह खबर फैली, एक बड़ी भीड़ जमा हो गयी। गाँव के बड़े लोग भी आ गये और सांबा और रवि को शांत करने की कोशिश की। कुछ समय बाद क्रांति सांबा को समीप के शहर में ले गया जो मंडल



का मुख्यालय (प्रधान कार्यालय) था। उन्होंने सांबा को डाक्टर को बताया और उसके हाथ पर प्लास्टर चढ़वाया। फिर डाक्टर के सर्टिफिकेट के साथ वे रिपोर्ट दर्ज करने पुलिस स्टेशन गये।

रिपोर्ट दर्ज करना

पुलिस स्टेशन में क्रांति ने वीरू के खिलाफ शिकायत की। शिकायत में निम्न विवरण होना आवश्यक है:

1. पुलिस स्टेशन के एसएचओ के नाम हो
2. शिकायती संबंधित जानकारी
3. दिनांक, समय और अपराध का स्थान
4. क्या हुआ था/केस
5. अपराधी का नाम, लिंग, जानकारी, पता आदि।



6. गवाहों के नाम (जिनके सामने अपराध हुआ था)
7. याचना (अपराधी को कानून और धारा के अंतर्गत अपराधी को सजा, यदि धारा नंबर पता हो तो वह भी दर्ज करना)
8. शिकायती के हस्ताक्षर, पता और विस्तृत जानकारी ।

लेखक शिकायत के आधार पर दी गयी जानकारी के आधार पर रिपोर्ट लिखता है। यह पहली जानकारी रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) कहलाती है। क्रांति रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करता और लेखक से कहता है कि- कृपया रिपोर्ट अपने रजिस्टर में दर्ज कर ले और हमें भी एक प्रति दे दीजिए। लिखने वाले ने कहा कि- मुझे रिपोर्ट दर्ज करने के लिए एसएचओ के आने तक इंतजार करना होगा। पुलिस स्टेशन का मुखिया स्टेशन हाऊस ऑफिसर के नाम से जाना जाता है। इस पुलिस स्टेशन में सब-इंस्पेक्टर (एसआई) है। इसीलिए क्रांति नें एसएचओ के आने के बाद रजिस्टर में रिपोर्ट दर्ज होने तक इंतजार किया ।

- उन्होंने एसएचओ/एसआई के आने का इंतजार क्यों किया? यदि आपको ऐसी रिपोर्ट दर्ज करवानी है तो आप उसमें क्या लिखोगे ।

- क्या आप उपरोक्त विवरण के आधार पर रवि और सांबा की काल्पनिक जान कारी लिख सकते हैं?
- एफआईआर दर्ज करवानेवाले व्यक्ति के लिए रिपोर्ट की एक प्रति लेना क्यों आवश्यक है?

- प्रत्येक पुलिस स्टेशन के अंतर्गत कुछ क्षेत्र आता है। पता कीजिए कि आपका घर किस पुलिस स्टेशन (अधिकार क्षेत्र) के अंतर्गत आता है?

प्रथम जानकारी रिपोर्ट (F.I.R.)

यदि आप पुलिस स्टेशन के पास शिकायत करना चाहते हो तो पुलिस स्टेशन में प्रथम जानकारी रिपोर्ट दर्ज करवाना आवश्यक है। प्रथम जानाकारी रिपोर्ट (F.I.R.) दर्ज करवाने के पश्चात यह पुलिस का कर्तव्य है कि छानबीन कर समस्या का हल करे ।

तब एसएचओ व्यक्ति का रिकार्ड किया गया कथन पढता है और स्वीकृति के बाद व्यक्ति उस पर हस्ताक्षर करता है। अपराध की जानकारी एफआईआर के आधार पर स्टेशन हाऊस रजिस्टर में दर्ज की जाती है और एफआई आर की प्रति निःशुल्क रूप से रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति को दी जाती है।

यदि एसएचओ रिपोर्ट दर्ज करने से इंकार करता है, तो व्यक्ति सीधे डीएसपी या मजिस्ट्रेट के पास जाकर रिपोर्ट दर्ज कर सकता है। रिपोर्ट डाक द्वारा भी भेजी जा सकती है।

जाँच पड़ताल में पुलिस की भूमिका और गिरफ्तारी

अपराध के बारे में कोई शिकायत हो तो उसकी जाँच-पड़ताल करना पुलिस का महत्वपूर्ण कार्य है। एक जाँच पड़ताल के अंतर्गत गवाहों के बयाना दर्ज करने और विभिन्न प्रकार के सबूत इकट्ठा करना शामिल होता है। जाँच पड़ताल के आधार पर पुलिस को एक राय बनाने की आवश्यकता होती है। यदि पुलिस को लगता है कि सबूत दोषी ठहराये गये व्यक्ति के अपराध की ओर इशारा करते हैं तब वे कोर्ट में एक चार्ज शीट दर्ज करते हैं। जज और न्यायपालिका यह निश्चित करती हैं कि दोषी ठहराया गया व्यक्ति दोषी है या नहीं और उसे क्या दंड दिया जाना चाहिए।

इस केस में एसआई गाँव जाता है और सांबा के घावों की परीक्षा करके अपनी जाँच पड़ताल आरंभ करता है। अस्पताल के डाक्टर की रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो जाता है कि घाव गंभीर है। फिर वह वीरू के पड़ोसियों से पूछताछ करता है। पड़ोसी उसे घटना की पूरी जानकारी देते हैं। इससे यह पता चल जाता है कि सांबा पर वीरू ने आक्रमण कर उसे जखमी किया।

तब एसआई रवि के घर जाकर उसे जानकारी देता है कि उसे दूसरे व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। वह वीरू को गिरफ्तार कर मंडल पुलिस स्टेशन ले गया और वहाँ उससे पूछताछ की। वीरू ने सांबा पर प्रहार करने की बात से साफ इंकार कर दिया। उन्होंने रवि से अपराध कबूल करवाने की कोशिश की लेकिन वह अपने झूठ पर अडिग रहा। रवि को पुलिस की कैद में रखा गया ताकि उसे दूसरे दिन मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।



- किसने अपराध की जाँच-पड़ताल की और कैसे ?
- एक दोषी से क्या तात्पर्य है? इस कहानी में कौन दोषी है?
- दोषी के विरुद्ध क्या चार्ज लगाये गये?
- सांबा ने सोचा कि एसएचओ ने वीरू को अपराध का दंड देने के लिए गिरफ्तार किया है? क्या वह सही था?

नागरिक और अपराधिक जुर्म

रवि ने एसआई से बातचीत की और कहा “मुझे यह सब खत्म करना है। सांबा द्वारा दिये प्लाट की रकम मैं वापस कर दूँगा फिर हम सब यह भूल जाएंगे कि ऐसा कभी हुआ था।”

एसआई ने जवाब दिया - “ तुम्हें वह रकम किसी भी प्रकार से चुकानी है। लेकिन अब तुम उसे मारने के जुर्म में गिरफ्तार किये जाते हो। अब

यह एक अपराधिक केस है। यदि तुमने सांबा पर प्रहार किया होता तो पुलिस इसमें शामिल नहीं होती और सांबा तुम्हारे खिलाफ प्लाट न देने के जुर्म में नागरिक मुकदमा दर्ज न करता। तब तुम उसे प्लाट वापस दे सकते थे और उसके द्वारा उठाये गये नुकसान की भरपाई कर सकते थे। तब तुम जेल नहीं भेजे जाते थे।

रवि और सांबा के मामले में दो प्रकार के झगड़े थे। पहला जिसमें रवि ने सांबा पर प्रहार किया था। यह अपराधिक अपराध है। चोरी, डकैती, मिलावट, घूसखोरी, नकली दवाएँ बनाना आदि कुछ दूसरे अपराधिक अपराध हैं। उन दोनों के बीच नागरिक अपराध भी हुआ है। रवि ने प्लाट या सांबा द्वारा दी गयी रकम वापस नहीं की।

नागरिक मामले लोगों के जमीन पर अधिकारों, संपत्ति, आय और लोगों के आपसी संबंधों से संबंधित होते हैं। अत्यधिक अपराधी मामले में लोगों को जेल की सजा दी जाती है। लेकिन

नागरिक मामलों में उन्हें जेल नहीं भेजा जा सकता है। एक अपराधिक मामला हमेशा अपराध भुगतने वाले व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि पुलिस द्वारा संभाला जाता है। दूसरी ओर नागरिक मामले हमेशा धोखेबाजी या समझौते के टूटने से पीड़ित व्यक्ति द्वारा दर्ज किये जाते हैं।

पुलिस अपराधिक मामलों की जिम्मेदारी लेती है क्योंकि यह सरकार द्वारा बनाये गये कानून का उल्लंघन है। नागरिक मामलों में दो व्यक्तियों के बीच समझौते का उल्लंघन होता है।

- जब रवि ने सांबा का प्लाट दूसरे व्यक्ति को बेच दिया तो यह.....अपराध था (अपराधिक या नागरिक)
- जब रवि ने सांबा को पीटा तो वह अपराध था (अपराधिक या नागरिक)

अपराधिक और नागरिक कानून के बीच अंतर को समझने के लिए निम्न तालिका को देखिए।

सं.	अपराधिक कानून	नागरिक कानून
1.	ऐसे बर्ताव या कार्य से संबंधित है जिसे कानून अपराध के रूप में परिभाषित करता है। उदाहरण के लिए चोरी, दहेज लेना, खून करना।	एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति द्वारा समझौते का उल्लंघन के कारण नुकसान पहुँचाने से संबंधित है। उदाहरण के लिए किराया, सामान की खरीदी, तलाक।
2.	यह साधारणतः एफआईआर दर्ज करने और पुलिस की जाँच पड़ताल से शुरू होता है और फिर मामला कोर्ट में दर्ज किया जाता है।	व्यक्ति जिसके साथ धोखा हुआ है उसके द्वारा कोर्ट के समक्ष याचिका प्रस्तुत करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए किराये के झगड़े में मकान मालिक या किरायेदार।
3.	अपराध सामने आने पर दोषी को जेल भेज दिया जाता है और जुर्माना भी लिया जाता है।	कोर्ट नुकसान होने वाले व्यक्ति को सहायता प्रदान करता है जैसे एक घर किरायेदार से खाली करवाया जा सकता है या दी गई रकम चुका दी जाती है।

अपराधिक और नागरिक कानून के बारे में आपने क्या समझा, इस आधार पर नीचे दी गयी तालिका भरो।

उल्लंघन का वर्णन	कानून की शाखा	अनुसरण की जाने वाली कार्यप्रणाली
पाठशाला जाते समय, लड़कियों के एकसमूह से लड़कों के समूह द्वारा छेड़छाड़ करना। एक किरायेदार द्वारा मकान मालिक के खिलाफ जबरदस्ती घर खाली करवाने का मामला कोर्ट में दर्ज करना।		

बेल

चूँकि रवि का केस अपराधिक मामला था, अपराध साबित होने पर रवि को कैद में रखा गया। लेकिन यह दंड नहीं था यह सिर्फ जाँच-पड़ताल में सहायता के साथ-साथ उसे सबूत मिताने या गवाह को धमकाने आदि से बचाने के लिए था। कुछ समय तक पुलिस की कैद में रहने के बाद उसका परिवार कोर्ट गया और उसके लिए बेल अर्जी दी। जो व्यक्ति खून, घूसखोरी, डकैती, आदि जैसे गंभीर अपराध करता है, उसे बेल नहीं मिल सकती। जमानत प्राप्त करने के लिए कोर्ट में कुछ जमानत देनी होती है। यह जमानत संपत्ति या एक व्यक्ति जो गारंटी देता है या फिर बाण्ड भी हो सकती हैं। बाण्ड एक शपथ होती है कि अपराधी जब भी कोर्ट बुलाएगा उसके उपस्थित होना पड़ेगा। कोर्ट का जज इस बात का निर्णय करता है कि बेल दी जाय या नहीं।

बेल अपराधी का अधिकार

बेल अपराधी का अधिकार है, यह अपराध की गंभीरता, गवाह को धमकाने की संभावना के आधार पर की जाती है। साथ ही कोर्ट इस बात का भी ध्यान रखता है कि अपराधी को छोड़ने से

समाज, गवाह या शिकायती को कोई नुकसान तो नहीं पहुँचता। बेल दिये जा सकने वाले अपराधों में केवल एचएसओ ही बेल दे सकता है। बेल ने मिलने वाले अपराधों के मामले में अपराधी को उचित कोर्ट में बेल के लिए याचिका देनी होती है।

कोर्ट में वकील रवि और सांभा के मामले पर बहस करते हैं। रवि को अपना वकील स्वयं ढूँढना होगा। लेकिन सांभा को सार्वजनिक अभियोजन या सरकारी वकील मिलेगा। कानूनी तरीके संगीन होते हैं और उन पर बहस के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है।

सरकारी वकील की भूमिका ?

एक अपराधिक अपराध सार्वजनिक अपराध के रूप में रजिस्टर किया जाता है। इसका यह अर्थ है कि अपराध न केवल पीड़ित व्यक्ति पर हुआ है बल्कि पूरे समाज पर हुआ है।

कोर्ट में सरकारी वकील राज्य की ओर से प्रतिनिधित्व करता है। पुलिस के जाँच-पड़ताल करने और कोर्ट में चार्ज शीट दर्ज करने के पश्चात सरकारी वकील का कार्य आरंभ होता है। जाँच-पड़ताल में सरकारी वकील का कोई कार्य नहीं होता। उसे राज्य के प्रतिनिधि के रूप में अभियोग चलाना होता है। उसका कर्तव्य है

कि कोर्ट के अफसर के रूप में भेदभाव के बिना कार्य करना और कोर्ट के समक्ष पूर्ण और वास्तविक गवाह और सबूत प्रस्तुत करना ताकि कोर्ट मामले को पूर्ण रूप से निश्चित कर सके ।

सही जाँच

सांबा और रवि के केस की सुनवाई न्यायालिक मजिस्ट्रेट के कोर्ट में होनी थी। कोर्ट और उसके आस-पास काले ड्रेस में वकील, जाँच का सामना करने वाले लोग और वे लोग जो दूसरे केसों की सुनवाई में सम्मिलित होने आये थे, सभी मौजूद थे।

कानून कहता है कि कानून के सामने सभी समान है। कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं यह निश्चित करने से पहले उसे बिना भेदभाव के जनता के समक्ष सुनवाई का अवसर दिया जाता है। अपराधिक मामले बेगुनाही की परिकल्पना के आधार पर शुरू किये जाते हैं और उचित संदेह से परे अपराध किया जाना चाहिए।

जज सीधे इस बात पर नहीं पहुँच सकता कि रवि अपराधी है क्योंकि सांबा घायल हुआ है। यह साबित होना आवश्यक है कि रवि ने सांबा को घायल किया है।

- सही जाँच का क्या अर्थ है ? क्या यह आवश्यक है ? क्यों ? चर्चा कीजिए ।

को बुलाया गया। यह न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने केस की प्रथम सुनवायी थी ।

एसआई ने रवि के वकील को एफआईआर और पुलिस रिपोर्ट की प्रति दी ताकि वह अपने मुवक्किल पर लगाये गये इल्जामों को जान सके। इन रिपोर्टों में रवि का वकील यह भी जान सकता है कि पुलिस ने रवि के खिलाफ कौन-कौन से सबूत इकट्ठा किये हैं। इस सभी जानकारी से उसे रवि को जो इस केस में दोषी है, बचाने की योजना बना सकता है।

प्रथम सुनवाई में न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि को सांबा को गंभीर रूप से घायल करने के जुर्म में दोषी ठहराता है। यह अपराध यदि साबित हो जाता है तो 4 वर्ष की जेल की सजा हो सकती है। रवि ने लगाये गये इल्जाम स्वीकार नहीं किये। इसीलिए मजिस्ट्रेट ने 15 दिन के बाद केस की दूसरी सुनवायी का आर्डर दिया ।

- रवि के केस की सुनवाई कौन से कोर्ट में हो रही थी ?
- प्रथम सुनवाई में क्या हुआ ?
- सरकार की ओर से केस संभालने वाले वकील को क्या कहा जाता है ?

प्रथम सुनवाई और वकील

रवि सांबा और उनका पुत्र क्रांति तथा एसआई न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में उपस्थित थे। रवि ने वकील रखा था। सरकार की ओर से असिस्टेंट सरकारी वकील यह केस संभाल रहा था ।

बहुत देर तक इंतजार करने के बाद सुनवाई के लिए रवि और सांबा



जज का क्या कार्य है?

जज एक खेल के अम्पायर की तरह होता है और खुले न्यायालय में बिना किसी भेदभाव के मामला चलाता है। जज सभी गवाहों को सुनता है और सरकारी और विरोधी वकील के सभी सबूत देखता है। प्रस्तुत किये गये सबूतों और कानून के आधार पर जज निर्णय करता है कि दोषी व्यक्ति अपराधी है या नहीं। यदि दोष सिद्ध हो जाता है तो जज सजा घोषित करता है। कानून के नियम के आधार पर जज उस व्यक्ति को जेल भेज सकता है या जुर्माना लगाता है या फिर दोनों।

शक्तियों और स्वतंत्रता का अलगाव

प्रारंभिक अध्याय में हमने भारतीय संविधान के रूप में पढा है। संविधान की एक मुख्य विशेषता है कार्यकारिणी न्यायपालिका और विधान सभा की शक्तियों को अलग करना। इसका अर्थ है कि कार्यकारिणी और विधानसभा न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। न्यायालय सरकार के दबाव में नहीं होती और सरकार के लिए कार्य नहीं करती।

पुलिस भी न्यायालय का भाग नहीं होता, वह कार्यकारिणी का भाग होती है। पिछले वर्ष तक प्रशासन के बारे में पढा था। क्षेत्रीय स्तर पर कलेक्टर के समान ही सरकारी पुलिस अफसर भी होता है जो क्षेत्र में कानून व व्यवस्था बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होता है। पुलिस विभाग राज्य सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है।

उपर्युक्त अलगाव अच्छी प्रकार से कार्य करने के लिए यह भी अत्यावश्यक है कि सुप्रीम

कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति सरकार के दूसरे विभागों के बहुत कम हस्तक्षेप से हो। एक बार इस दफ्तर में नियुक्त हो जाय तो फिर एक जज को पदच्युत करना बहुत मुश्किल है।

- क्या राजनैतिक शक्तियों के पास न्याय पर प्रभाव डालने के अवसर होते हैं? क्यों ?
- एक स्वतंत्र न्यायपालिका क्या है?
- कल्पना कीजिए कि एक कंपनी जंगल काट रही है और आदिवासी ईंधन के लिए लकड़ी काट रहा है। क्या निष्पक्षता ठीक है - विवाद किजिए।

गवाहों के सबूत

रवि ने अपने कुछ दोस्तों के नाम गवाहों के रूप में दिये। क्रांति ने भी जिसने सांबा के लिए एफआईआर दर्ज की थी कुछ लोगों के नाम गवाहों के रूप में दिये। जांच-पड़ताल करते समय एसआई ने सांबा के दो पड़ोसियों के नाम गवाहों के रूप में लिखे। इन सभी गवाहों को दी गयी तारीख पर केस की दूसरी सुनवाई के लिए उपस्थित होने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश जारी किए गए।

15 दिन पश्चात केस से संबंधित सभी लोग कोर्ट पहुँच गये। बहुत देर इंतजार करने के बाद केस शुरू हुआ। सबसे पहले एक महिला जो सरकार की ओर से गवाह थी उसे बुलाया गया। उसने अपराध वाले दिन की पूरी घटना सुनायी। सरकारी वकील और रवि ने वकील दोनों ने उससे कई प्रश्न पूछे। मजिस्ट्रेट ने 3 और गवाहों के बयान सुने और उसे रिकार्ड किया। शेष सुनवायी दूसरे दिन के लिए स्थगित कर दी गयी। इस प्रकार प्रत्येक सुनवायी के लिए एक या दो गवाहों के बयान सुने जाते और प्रश्न पूछे जाते हैं और अगली सुनवायी की तारीख घोषित कर दी जाती है।

सुनवायी कई महीनों तक चलती रही। रवि को अपने वकील को फीस देनी पड़ती थी। उसे कोर्ट जाने-आने के लिए भी रुपये खर्च करने पड़ते थे। उसकी बिक्री पर भी असर पड़ा। एक साल बीत गया। अंत में मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाया कि रवि दोषी है और उसे 4 वर्ष की सजा सुनाई गई।

- चर्चा कीजिए कि किसी भी केस में गवाहों के बयान सुनना क्यों आवश्यक है।


अपील पद्धति

रवि फैसले से खुश नहीं था। वह यह सोचकर बेचैन था कि जब वह जेल में होगा तो उसके परिवार का क्या होगा? यदि कोई व्यक्ति निचले स्तर की कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट है तब वह उच्च स्तरीय कोर्ट में अपील कर सकता है।

हमारे देश में तीन स्तरों के कोर्ट हैं। निचले स्तर पर कई अदालतें हैं। अदालत जिनसे सबसे

अधिक लोग पारस्परिक क्रिया करते हैं। अप्रधान या क्षेत्रीय कोर्ट कहलाते हैं। ये अधिकतर क्षेत्र या विभागीय स्तर या शहरों में होते हैं इनमें कई प्रकार के केसों की सुनवाई होती है। प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट होता है जो राज्य का उच्चतम न्यायालय होता है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है जो नई दिल्ली में स्थित है और भारत का प्रधान न्यायाधीश इसका सभापति होता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया फैसला भारत के सभी कोर्टों में मान्य होता है।

- अपने अध्यापक की सहायता से आपके क्षेत्र के इन कोर्टों का पता कीजिए।
- निम्न स्तर में उच्च स्तर के कोर्टों का स्तर एक (पिरामिड) की तरह होता है। आप इस चित्र में उनके बारे में जानकारी भर सकते हैं?



सेशन कोर्ट में अपील

रवि के वकील ने उसे जिला मुख्यालय के सेशन कोर्ट में अपील दर्ज करने का सुझाव दिया। तुम अपील करने का कार्य मुझ पर छोड़ सकते हो। हाँ लेकिन तुम्हें इसके लिए अतिरिक्त फीस देनी होगी। इस कोर्ट के पास निम्न कोर्ट के फैसले को बदलने की शक्ति है। उस कोर्ट के द्वारा उसकी सजा कम की जा सकती है।

रवि अब भी परेशान था। वह केस की लगातार सुनवायी के बारे में सोच रहा था। उसने कहा- जिला मुख्यालय काफी दूर है। सभी गवाहों के साथ वहाँ जाने आने में काफी काम होगा। मैं यह कैसे संभाल सकूँगा। वकील ने उसे आश्वासन दिया कि सेशन कोर्ट के केस में एक या दो सुनवायी से ज्यादा की आवश्यकता नहीं है जिसमें रवि को उपस्थित रहने की आवश्यकता है। शेष मामला केस के दर्ज होने के आधार पर आगे बढ़ता रहेगा।

रवि की ओर से रवि के वकील ने सेशन कोर्ट में अपील की। सेशन कोर्ट ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के फैसले पर रोक लगा दी। इसका अर्थ

यह हुआ कि रवि को तुरंत जेल जाने की आवश्यकता नहीं थी।

इस कोर्ट में रवि को केवल एक बार उपस्थित होने की आवश्यकता तथा साँबा और उसके गवाहों को उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं थी। शेष सुनवायी वकील ने संभाल ली। सेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाने में दो वर्ष लगा दिये। रवि दोषी ठहराया गया लेकिन उसकी सजा एक साल कम कर दी गयी।

- क्या आप कारण बता सकते हो कि क्यों सेशन कोर्ट ने रवि की सजा कम की होगी?

हाई कोर्ट

रवि सेशन कोर्ट के फैसले से भी खुश नहीं था। वकील ने उसे बताया कि निम्न न्यायालयों द्वारा दिये गये फैसलों को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, जो राज्य का उच्चतम न्यायालय है। हाई कोर्ट दोषी या गवाहों को प्रस्तुत करने के लिए नहीं कहता है। वह केवल केस के आधार पर निर्णय लेता है। वकील ने कहा- यदि तुम कोशिश करना चाहते हो और अपनी सजा



चित्र- 15.1 : तेलंगाना एवं आंध्र. हाई कोर्ट

कम करने के लिए हाई कोर्ट में अपील करना चाहते हो तो, हम यह कर सकते हैं ।

रवि ने अपने वकील को कुछ अधिक फीस दी और हाई कोर्ट में अपील करने के लिए कहा। अपील की गयी और कुछ महीनों के बाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले की घोषणा की जिसमें सेशन कोर्ट के फैसले का सम्मान किया अर्थात वह सेशन कोर्ट के फैसले से सहमत है। अतः रवि हाई कोर्ट में केस हार गया और उसे सेशन कोर्ट द्वारा लगाया गया जुर्माना भरना पड़ा। वह अब जेल की सजा से नहीं बच सकता था।

अब रवि के पास दो रास्ते हैं, पहला जेल जाना और दूसरा सुप्रीम कोर्ट में अपील करना। रवि अब तक की कार्यवाही से थक चुका था। इसीलिए रवि का केस हाई कोर्ट में समाप्त हो गया ।

- हाई कोर्ट ने दोषी और गवाहों को अपने सामने नहीं बुलवाया। क्यों ?
- क्रांति ने कहा कि -मेरे पिताजी को न्याय मिला लेकिन बहुत देर से। क्या आप उससे सहमत है ?

अब तक हम रवि और सांबा के बीच हुए झगड़े वे किस की सहायता लेकर न्याय हासिल करें, फरियाद करना, अपील करना, कार्यवाही करना आदि कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करे थे। बच्चों की रक्षा और वह किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं और उसका हल निकालना उसके लिए विशेष न्यायालय जो दूसरे न्यायालय जो दूसरे न्यायालय से भिन्न हैं।

भारत सरकार बच्चों की सुरक्षा व रुचियों के अनुसार एक कानून बनाया। बच्चों पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध कानून 2012 में (POCSO ACT 2012) बनाया गया। यह कानून बच्चों को यौन उत्पीड़न के विरुद्ध तथा अश्लील चलचित्र दिखाने का विरोध करता है। रुचि के अनुसार बच्चों के हर दिशा में बचाते हुए और उन्हें सौहार्दपूर्ण व्यवहार के लिए न्यायालय देखरेख करता है। इसलिए बच्चे निस्संकोच या भय के बिना अपनी समस्याओं को माता-पिता के बातचीत करें। माता-पिता या पुलिस (बाल अदालत विभाग के) (Special Juvenile Unit) किशोर विभाग या 1098 को समाचार देना चाहिए। विशेष बाल अपराधी जेल विभाग हर जिले में होते हैं। Act 2012 के अनुसार यौन उत्पीड़न के निर्मूलन के लिए विशेष न्यायालय होते हैं। इस कानून के अनुसार विशेष न्यायालय के जज पीड़ित बच्चों के विकास को अधिक मान्यता देते हैं।

मुख्य शब्द

- | | | | |
|-----------------|-----------|-----------------------|------------------|
| 1. दोषी | 2. एफआईआर | 3. अपराध | 4. जांच पड़ताल |
| 5. गिरफ्तारी | 6. सम्मन | 7. गवाह | 8. निष्पक्ष जांच |
| 9. फैसला | 10. अपील | 11. अनुबंध का उल्लंघन | 12. ग्राहक |
| 13. सरकारी गवाह | 14. बेल | 15. मजिस्ट्रेट | 16. पीड़ित |

अपना ज्ञान बढाइए

1. गलत कथन को सही कीजिए ।

- एफआईआर कोर्ट में दर्ज की जाती है।
- पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाना दंड पाने के समान है।

- बेल जमानत के आधार पर दी जाती है।
 - देश में सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय है।
2. वीरू के मामले में प्रथम सुनवायी से लेकर सेशन कोर्ट में क्या हुआ? तालिका में वर्णन कीजिए। (AS₁)

गवाह की भूमिका	दिया गया दंड	रवि की उपस्थिति की आवश्यकता

3. अपराधिक और नागरिक केस के अंतर के संबंध में (अ) दण्ड और जेल (आ) सरकारी वकील (इ) एफआईआर दर्ज करना प्रत्येक के बारे में एक वाक्य लिखिए ।
4. क्या सेशन कोर्ट या जिला कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को बदले जा सकते हैं? क्यों?
5. यदि कोई सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों असंतुष्ट है तो क्या हो सकता है?
6. एसएचओ और मजिस्ट्रेट की भूमिकाओं में क्या अंतर है?
7. आपके विचार में रवि के केस में क्या निर्णय होना चाहिए ?
8. एक व्यक्ति ने पुलिस स्टेशन में अपना अपराध स्वीकार कर लिया और पुलिस ने छः महीने के लिए जेल में बंद कर दिया । क्या यही सही तरीका है? अपना उत्तर समझाइए।
9. बच्चों के प्रति बड़ों का व्यवहार कैसा होना चाहिए। रक्षा के लिए कुछ सूचनाएँ दीजिए।
10. यदि आपको कोई सता रहा है तो आप इसके बारे में पुलिस अधिकारी को कैसे बतायेंगे।

चर्चा :

1. गाँव/परिवारों में मतभेद क्यों है। उसके कारण क्या है? इससे बचने के लिए व्यवहार में किस प्रकार के बदलाव की आवश्यकता है?
2. जेल अनुभवी अपराधियों के परिवारों की स्थितियों की चर्चा कीजिए। उन्हें बुलाकर जेल की जिन्दगी एवं आजादी के विषय पर बातचीत कीजिए।
3. अपने कक्षा-कक्ष में किसी एक पुलिस-अफिसर या वकील को आमंत्रित कर अपराध और उसकी सजाओं एवं उनसे बचाव के बारे में चर्चा कीजिए।

परियोजना:

शांतीनगर नामक शहर में फियस्ता फुटबाल टीम के समर्थकों को पता चला कि जुबली फुटबाल टीम

के समर्थकों ने पास के शहर में लगभग 40 कि.मी. दूर उस मैदान को क्षति पहुँचायी जहाँ अगले दिन दोनों टीमों के बीच निर्णयात्मक (फाइनल) मैच होने वाला था। फियस्ता टीम के प्रशंसकों ने घातक हथियारों के साथ शहर में जुबली फुटबाल टीम के समर्थकों पर आक्रमण किया। आक्रमण में 10 आदमी मारे गये 5 औरते गंभीर रूप से घायल हुई, कई घर नष्ट कर दिये गये और 50 से अधिक लोग घायल हुए ।

कल्पना कीजिए कि आप और आपके सहपाठी अब अपराधिक न्यायायिक प्रणाली के हिस्से हैं। पहले कक्षा को निम्न चार वर्गों में बाँटिए ।

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. पुलिस | 2. सरकारी वकील |
| 3. प्रतिवादी वकील | 4. जज |

प्रत्येक दल वह कार्य चुनेगा जिससे उन लोगों को न्याय दिलाने में सहायता मिलेगी जो फियस्ता प्रशंसकों की हिंसा के शिकार हुए हैं किस क्रम से इन कार्यों को किया जा सकता है?

- वैसी ही स्थिति लिजिए और एक विद्यार्थी जो फियस्ता क्लब का समर्थक है उसे उपर दी गयी सूची के अनुसार सभी कार्य करने के लिए कहिए। क्या आप सोचते हैं कि यदि केवल एक व्यक्ति अपराधिक न्याय प्रणाली के सभी कार्य करेगा तो मुसीबत में पड़े व्यक्ति को न्याय मिलेगा? क्यों नहीं?
- दो कारण बताइए कि आप यह विश्वास क्यों करते हैं कि न्याय प्रणाली में विभिन्न व्यक्तियों को विभिन्न भूमिका निभाने की आवश्यकता है।

जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन

Abolition of Zamindari System

स्वतंत्रता से समय ग्रामीण निर्धनता

जब भारत स्वतंत्र हुआ, देश ने तीव्र निर्धनता के सबसे बड़े चुनौती का सामना किया था, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। यह अनुमान लगाया गया है कि आधी से भी ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या 55% बहुत गरीब है। अर्थात् जनसंख्या 18.6 करोड़ जनता। भूमि जैसे संसाधनों की कोई उपलब्धता उनको नहीं है और न ही शिक्षा है जिससे लाभदायक रोजगार प्राप्त करने में सहायक हो। वास्तव में रोजगार के अवसर बहुत कम थे। उनके लिए केवल अत्यंत कम दर का कृषक मजदूरी का रोजगार खुला था। अत्यधिक अनुपात में किसान भूमिहीन थे। उनमें से कुछ लोग जमींदारों से पट्टे पर भूमि लेते उसके लिए उन्हें लगान देना पड़ता था और बेगार करनी पड़ती थी। निरंतर भूखमरी बारंबार विनाशक अकाल और महामारी उनका पीछा करती थी।

स्वतंत्रता के समय विस्तृत रूप से यह स्वीकार किया गया कि ग्रामीण निर्धनता को समाप्त करने के क्रम में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गरीबों को कृषि के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाय। भू-स्वामियों या जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने पर ही ऐसा किया जा सकता है।

ब्रिटिश शासन में हुए आंदोलनों ने किसानों की समस्याओं मांगें और उम्मीदों की ओर ध्यान केंद्रित किया। यह स्पष्ट है कि किसानों ने सरकार से मांग की है कि कर में कमी कर और साहूकारों के चंगुल से जमींदारों के आतंक से उन्हें आजाद करे। उन्होंने यह भी मांग की है कि भूमि उसी किसान को

मिलनी चाहिए जो वास्तव में जोत रहा है यह नारा था कि जोतने वाले को भूमि।

- क्या तुम समझते हो कि ग्रामीण गरीबों को लाभदायक रोजगार देने का कोई अन्य रास्ता है?
- आपके प्रांत में चार सदस्यों वाले परिवार के सभ्य जीवन यापन के लिए कितने हैक्टेर भूमि चाहिए? (सिंचित और असिंचित भूमि के अलग-अलग आंकड़े दें।)
- “जोतने वाले को भूमि” जबकि यह नारा का उद्देश्य है काश्तकार को भूमि मिलेगी, लेकिन जो दैनिक मजदूरी कर रहे भूमिहीन कृषि मजदूरों का क्या होगा?

जमींदारी और अन्य मध्यस्थ कार्यकालो का उन्मूलन

सभी राज्य सरकारों की ओर से 1950 में जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन का कानून पारित किया गया। उन्होंने मजबूर कर कार्य कराने वाले बेगार और वेट्टी जैसी पद्धतियों को समाप्त किया। ग्रामीण जनता की महत्वपूर्ण शिकायत का यह प्रभावशाली अंत हुआ।

भू स्वामियों के नियंत्रण को तीन तरह से पहचाना गया है : प्रथमतः राजस्व का संचय, दूसरा सिंचित भूमि पर नियंत्रण, इसका फिर से मान्यता प्राप्त काश्तकारों द्वारा सिंचित और वह भूमि जो सीधे

भूस्वामियों द्वारा सिंचाई की गई में उपविभाजन किया गया और तीसरा बंजर भूमि और वनों पर नियंत्रण। चलिए देखते हैं भूमि सुधार कानून इन समस्याओं को कैसे अभिभाषित करता है।

i. पहले पहल जमींदारों द्वारा राजस्व संचय व्यवस्था को समाप्त करने के लिए कानून पारित किया गया। अब ये सभी भूमि मालिक कर सीधे सरकार को अदा करेंगे। जमींदारों ने आय के इस आधार को खो दिया। जब सरकार ने एक मुश्त मुआवजा देने का निर्णय लिया। यह मुआवजा उनके वार्षिक आय के बीस से तीस गुना से भी ज्यादा था।

ii. जमींदारों की वह भूमि जो मान्यता प्राप्त काश्तकारों द्वारा सींची जाती थी उसको सरकार ने अपने अधीन लेकर उन काश्तकारों को उस भूमि के मालिक के रूप में घोषणा कर दी। अब वे सीधे सरकार को कर अदा करेंगे न कि किसी मध्यवर्ती के द्वारा जब सरकार ने यह जाना कि जमींदारों को मुआवजा देने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ रहा है तब यह नियम बनाया गया कि काश्तकारों को उनकी भूमि तभी दी जाएगी यदि वे उसके लिए कुछ दर अदा करते हैं। जो किसान अदा कर सकते थे वो अपनी भूमि के मालिक बन गए और भू स्वामी व्यवस्था के बोझ से मुक्त हो गए। लगभग 2 से 2.5 करोड़ काश्तकार लाभान्वित हुए और जो भूमि उनके पास थी उसके वे मालिक बन गये। फिर भी कई सौ हजारों गरीब किसान उसकी दर अदा नहीं कर सके अथवा काश्तकारी की उन्हें कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं थी। अतः वे पुनः भूमिहीन मजदूर बने रहे और जमींदारों के खेतों में काम करने के लिए रह गए।

iii. कानून यह भी कहता है कि जमींदार अपनी खुदकाश्त भूमि का मालिक होगा जिसको वह सीधे अथवा बटाईदार मजदूर के द्वारा सिंचाई करता था। वास्तव में इस प्रावधान ने बहुत सारे जमींदारों को बहुत सारी भूमि पर अपने नियंत्रण

को प्राप्त करने में समर्थ बना दिया जैसे कि उन्होंने अपने काश्तकारों को बटाईदार मजदूर घोषित किया। उन्होंने अपनी भूमि को स्वयं कृषि में लेने के लिए अधिक संख्या में काश्तकारों को निकाल भी दिया। अत्यधिक भूमि पर अपना नियंत्रण प्राप्त करने के लिए उन्होंने कानून में दी गई कमजोरियों का उपयोग किया। ऐसा क्यों हुआ? (क्योंकि) भूमि सुधार कानून ने यह सीमा निर्धारित नहीं की है कि एक व्यक्ति अपने पास कितनी भूमि रख सकता है।

iv. नये कानूनों के अनुसार सरकार ने जमींदारों की बंजर एवं वन्य भूमि को अपने अधीन कर लिया। उस समय जमींदारों ने सभी पेड़ों को काटकर बेचने का भरसक प्रयास किया। इस तरह बहुत सारा वन क्षेत्र विध्वंस हुआ। उसी तरह सरकार ने बहुत सारी अनुपयोगी (बंजर) भूमि पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया जिसका उपयोग विकास और जनता में पुनः वितरण के लिए किया जा सकता है।

- कुछ लोगों का मानना है कि भूमि सुधार कानून केवल भूस्वामियों की सहायता के लिए है। क्या आप उनसे सहमत हैं?
- कुछ लोगों का मानना है कि भूमि सुधार कानून केवल समृद्ध काश्तकार किसानों को भूमि और अधिकार के हस्तांतरण का प्रयत्न है। क्या आप उनसे सहमत हैं?
- कुछ दूसरों का मानना है कि कानून विभिन्न ग्रामीण वर्गों के हितों के बीच संतुलन बनाकर आंतरिक संघर्ष को कम करने का प्रयत्न है। क्या आप उससे सहमत हैं?
- किसे अधिक और किसे कुछ भी नहीं मिला। क्या आप को लगता है कि भूस्वामियों ने बहुत कुछ खोया?

तेलंगाना में जागीरदारी व्यवस्था का उन्मूलन

तेलंगाना प्रांत में जब निजाम राज्य भारत में विलीन हुआ तब किसानों का शक्तिशाली आंदोलन चल रहा था। स्वतंत्रता से पहले भी 1927 में (बेगार) बलपूर्वक मजदूरी अथवा वेट्टी को समाप्त किया गया। कैसे भी हो उन प्रांतों में जहाँ तेलंगाना सशस्त्र आंदोलन मजबूत था। यह प्रथा 1948 में समाप्त कर दी गई। 1945 में जब तेलंगाना आंदोलन शुरू हुआ। कारतकारों की इच्छा की सुरक्षा के लिए निजाम ने कानून बनाए। इसमें पंजीकरण और स्थायी रूप से सिंचाई के अधिकार का विधान है।

हैदराबाद राज्य के विलीन होने के तुरंत बाद निजाम ने जो हैदराबाद सरकार के भी प्रधान थे सर्फेखास निजाम की व्यक्तिगत जागीरदारी सभी तरह की बलात मजदूरी जैसे वेट्टी को समाप्त करते हुए एक फरमान (आदेश) जारी किया। १५ अगस्त १९४९ को अन्य फरमान के द्वारा जागीरे (संस्तान और मक्ता सहित) जो छोटे साम्राज्य की तरह थे उनको समाप्त कर दिया। इन जागीरों की भूमि पर सिंचाई करने वाली जातियों के प्रभावशाली वर्गों ने पट्टे का अधिकार प्राप्त किया। हैदराबाद जागीरदार उन्मूलन अधिनियम के अनुसार कुछ ही दिनों में कई जागीरों को सरकार ने अपने अधीन कर लिया। क्षतिपूर्ति के रूप में रु. 18 करोड़ भुगतान करने का निर्णय हुआ। इस अधिनियम के कारण 995 जागीरदार हटा दिए गए और सिंचाई कर रहे किसानों को उनकी भूमि दी गई। बाद में भूमि कर में कमी की गई।

नई सरकार ने वर्तमान व्यवस्था में भूमि केंद्रीकरण उत्पादन में वृद्धि के विषयों, किसानों और कारतकारों की आकांक्षाओं के अध्ययन से संबंधित प्रश्नों पर मूलभूत दृष्टि डालने के लिए


हैदराबाद कृषि भूमि संबंधी सुधार समिति की नियुक्ति की। समिति ने आचरणीय सुझाव दिए जैसे मध्यवर्ती व्यक्तियों की समाप्ति, भूमि के स्वामित्व पर सीमा निर्धारण। भू स्वामियों के पास शेष भूमि का ग्रहण कारतकारों की सहायता आदि। कुछ भी हो केवल इनमें से कुछ ही सुझाव लागू हुए।

प्रमुख हैदराबाद भूमि अधिकार अधिनियम सभी प्रकार के कारतकारों की सुरक्षा के लिए 1950 में पारित हुआ और मौरूसी कारतकार (जो भूस्वामी की इच्छा से जमीन से जिन्हें हटाया जा सकता है) संरक्षित कास्तकार जिनको बनाया गया। पूरे कारतकार जिन्होंने छ साल से निरंतर भूमि अधिकार बने है उन्हें संरक्षित कारतकार बनाया गया अथवा कुछ भुगतान के बाद पट्टादार बनाया गया। अब उनको आसानी से नहीं हटाया जा सकता था और वे पीढियों तक भूमि सिंचाई को जारी रख सकते हैं। वैसे ही हैदराबाद इनाम भूमि उन्मूलन अधिनियम का प्रवर्तन 1955 में हुआ था।

भूदान आंदोलन

तेलंगाना भूस्वामीवाद और किसानों का सशस्त्र आंदोलन देश की जनता के बीच संबंध का कारण बना। सर्वोदय नेता आचार्य विनोबा भावे ने भूमि केंद्रीकरण की समस्या को जिस शांतिपूर्वक ढंग से हल किया वही भूदान आंदोलन है। भूदान का अर्थ है भूमिहीन को भूमि दान देना। उन्होंने भूस्वामियों के पास से स्वैच्छिक भेंट के रूप में भूमि प्राप्त करके भूमिहीन को दान देना चाहा। 18 अप्रैल 1151 को विनोबा ने भूदान आंदोलन आरंभ किया। भूमि सुधार के इतिहास में मील के पत्थर की तरह इसको स्वीकार किया गया। सर्वोदय आंदोलन के अन्तर्गत हैदराबाद के निकट शिवरामपल्ली में विनोबाजी आए। उन्होंने नलगोंडा

जिले में पोचमपल्ली तक पैदल यात्रा की। तालाब के निकट जुब्बी पेड के नीचे एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया। इस सभा में अनुसूचित जातियों से संबंधित 40 परिवारों ने भूमि के लिए निवेदन किया। सभा के समय वेदिरे रामचंद्र रेड्डी ने अपने पिता की स्मृति में 250 एकड़ भूमि दान कर दी। भूमि ग्रहण (प्राप्त) करने वाला पहला व्यक्ति था मैसय्या। विनोबा जी द्वारा उठाए गए भूदान आंदोलन से प्रेरणा पाकर इसे बाद में ग्रामदान में परिवर्तित कर दिया। सारे देश में विनोबाजी ने 44 लाख एकड़ भूमि दान के रूप में स्वीकार की। कुछ भी हो इस आंदोलन ने देश में भूमि समस्या में कोई गंभीर अंतर लाने का कार्य नहीं किया। क्योंकि उपजाऊ भूमि पर भूस्वामियों का निरंतर अधिकार था।



चित्र 16.1 : विनोबा भावे, वेदिरे राम चंद्र रेड्डी और मैसय्या के चित्र

1950 में बना भू सुधार अधिनियम को 1954 में संशोधन पारित हुआ जिसने कास्तकारों के कुछ वर्गों के सुरक्षित कारस्तकारी अधिकार सर्वोत्तम नहीं हैं के कारण से अधिनियम ने यह सुझाव दिया कि क्षतिपूर्ति के रूप में करोड़ों रुपये भू स्वामियों को भुगतान करे। इस तरह स्वतंत्रदेश को सामंती व्यवस्था के स्वभाव का मूल्य चुकाना पड़ा। बड़े भवन, मवेशी गाह और कृषि कार्यक्रम पूर्व भूस्वामियों के स्वामित्व में रह गए। भू धारण की कोई सीमा नहीं थी। कुछ कारतकार भूमि के रूप में हजारों एकड़ उपजाऊ भूमि भी उनके पास बची हुई थी।

बहुत से कानून सुस्ती से लागू हुए कार्यान्वयन में विलंब का बहुत सारे भू स्वामियों ने लाभ उठाया। कारतकारी अधिनियम की कमियों का उपयोग करते हुए जमींदारों ने कारतकारों से भूमि पर पुनः कब्जा कर लिया। उन्मूलन के बाद भी जमींदार जमीन पर अपना स्वामित्व रखते हुए बड़े भू स्वामी बने रहे। इस भूमि को कारखानों के निर्माण में बदल दिया। उदाहरण स्वरूप चेर्लापल्ली जमींदार ने 2650 एकड़ भूमि को अपनी शक्कर कंपनी के लिए बताई। लेकिन परिणामस्वरूप वे आंध्र में उद्यमी के रूप में बदल गए। लेकिन तेलंगाना में इक्कीसवीं सदी तक भी उन्होंने अपना वर्चस्व बनाए रखा।

● विभिन्न प्रकार के सुधारों का तेलंगाना के किसानों के किन वर्गों ने लाभ उठाया? किस मार्ग से वे लाभान्वित हुए ?

- इन सुधारों से भूमिहीन सेवा करने वाली जातियों को किस स्तर तक लाभ हुआ?
- भू स्वामियों ने किस स्तर तक खोया और किस स्तर तक अपनी रुचि को बचाए रखा? अपने स्वार्थों की सुरक्षा का प्रबंध किया।

भू उच्चतम सीमा अधिनियम-1972-75

जमींदारी उन्मूलन भू-केंद्रीकरण की समस्या का परिष्कार नहीं कर सका। जैसा कि तुम सारिणी-1 में देखेंगे, 1955-56 में भूमि सुधार के बाद भी आधे से ज्यादा किसान परिवारों के पास 2 हेक्टर से भी कम भूमि है। राज्य में संपूर्ण कृषि

योग्य भूमि का लगभग 38% भाग अभी भी बड़े भूस्वामियों के नियंत्रण में है। अधिक संख्या में भूमिहीन दलित मजदूर भूमि के लिए आंदोलन कर रहे हैं। आगे और भूमि सुधार के लिए किसान सभाएँ सक्रिय आंदोलन में भाग ले रही हैं। इसका

उद्देश्य यही है कि सरकार को चाहिए कि अधिक भू-धारकों पर सीमा निर्धारित करें और अधिशेष भूमि को भूमिहीन मजदूरों और छोटे किसानों में वितरित कर दें।

सारिणी: 1 आंध्र प्रदेश में भूमि धारकों की संरचना और विभाजन 1956-2006

	1955-56		1980-81		2005-06	
	भू-धारकों की संख्या में भाग	कृषि योग्य भूमि में अंश	भू-धारकों की संख्या में भाग	कृषि योग्य भूमि में अंश	भू-धारकों की संख्या में अंश	कृषि योग्य भूमि में भाग
छोटे 0-2 हेक्टे.	58%	18%	73%	29%	83%	48%
2-10 हेक्टे.	32%	44%	25%	52%	16%	46%
बड़े 10 हेक्टे.के ऊपर	10%	38%	2%	19%	1%	6%
कुल	100%	100%	100%	100%	100%	100%

आधार: अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, हैदराबाद

सारिणी का अध्ययन: 1955-56 के आंकड़े को ध्यान से पढ़ें। यह हमें बताते हैं कि भू-सुधार कार्यान्वयन को बाद भी 60% किसान के पास 2 हेक्टर से भी कम भूमि है। किसानों के संपूर्ण भाग का आधे से ज्यादा होने पर भी उनके पास 20% से भी कम कृषि योग्य भूमि है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि बड़े किसान या भू स्वामी जो पूरे किसानों में केवल 10% के लगभग हैं, उनके पास 38% पूरी कृषि योग्य भूमि है।

1970 के दशक में भू-उच्चतम सीमा के लागू होने के बाद जो परिवर्तन आए हुए उन्हें देखें। छोटे किसानों की संख्यासे बढ़ी/घटी.....% & अब मझले किसान कम संख्या में हैं और उनके नियंत्रण में..... पहले से ज्यादा कम भूमि है। बड़े किसान 1% से भी कम हैं फिर भी.....% भूमि के मालिक हैं।

समूचे देश में लगभग परिस्थिति ऐसी ही थी। इसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने भूमिधारकों की सीमा निर्धारित करने और गरीबों में पुनः भू वितरण के लिए दूसरी बार भू सुधार का प्रयत्न किया। 1972 के बाद इस उद्देश्य के लिए अनेक राज्यों ने भू-उच्चतम सीमा अधिनियम पारित किया है। सितंबर 1972 में आंध्र प्रदेश विधान सभा और

विधान परिषद द्वारा भू उच्चतम सीमा अधिनियम पारित हुआ। जिसका क्रियान्वयन जनवरी 1975 में हुआ।

अधिनियम ने 5 सदस्यों वाली इकाई को परिवार कहा। पांच सदस्यों वाला एक परिवार अपने पास ज्यादा से ज्यादा 10 से 27 सिंचाई योग्य भूमि और 35 से 54 एकड़ शुष्क भूमि रख सकता है। इससे

ज्यादा भूमि को अधिशेषित घोषित किया गया जो कि सरकार ले लेगी। आंध्र प्रदेश में 8,00,000 एकड़ भूमि अधिशेषित घोषित की गई। इसमें से सरकार ने 6,41,000 एकड़ ले ली जिसमें से 5,82,000 एकड़ भूमि 5,40,000 भूमिहीन एवं गरीब किसान परिवारों में बाँट दी। वास्तव में जितना आवश्यक और जितना संभव है उससे यह बहुत कम है।

कई जमींदार कूट प्रबंध अधिनियम का कार्यान्वयन समुचित ढंग से नहीं कर सके और सरकार की ओर से समुचित राजनैतिक निर्णय की कमी के कारण अधिकारियों को गलत प्रमाण पत्र दिए और शेष भूमि को नहीं बताया। अधिनियम पूर्वाभास से कई जमींदारों ने अपने करीबी रिश्तेदारों, दोस्तों और खेत के सेवकों के नाम पर अपनी भूमि स्थानांतरित कर दी। कुछ ऐसे प्रमाण भी मिले हैं कि कानूनी अदालतों में पति और पत्नी को प्रत्येक परिवार बताने के लिए झूठी तलाक भी ले लिया। इस तरह वो किसान जिनके पास अधिनियम के अनुसार अधिशेषित भूमि थी वह बचा ली गयी और शेष भूमि नहीं बताई गई। थोड़ी बहुत जो शेष भूमि सरकार की ओर से ग्रहण की गई वह सिंचाई के योग्य नहीं थी। अगर तुम सारिणी- 1 को देखोगे तो उसमें 2005-06 के आंकड़ों को देख सकते हैं कि बहुत सारे किसान (84%) छोटे दर्जे के हैं उनके पास समूचे सिंचाई योग्य भूमि का आधा भाग है। दूसरी तरफ तुम यह भी देख सकते हो कि बड़े जमींदार 1% हैं और उनके पास 6% भूमि है। यह कुछ हद तक सत्य है कि वास्तव में बहुत सारे बड़े

जमींदारों ने अपने धारित भूमि को छोटे रूप में विभाजित कर दिया, रिश्तेदारों और सेवकों में कपटपूर्ण विभाजन कर दिया था। इस तरह की स्थिति कम या ज्यादा भारत के ज्यादातर राज्यों में थी।

इन राज्यों में एक पश्चिम बंगाल में भू-उच्चतम सीमा अधिनियम का प्रभावशाली कार्यान्वयन हुआ। पश्चिम बंगाल सरकार ने निश्चय से काम लिये और उसने भूमिहीन छोटे किसानों को भू सुधार कानूनों के कार्यान्वयन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। परिणाम स्वरूप लगभग 12,94,000 एकड़ भूमि का ग्रहण सरकार ने किया और 10,64,000 एकड़ भूमि 26,51,000 परिवारों में बाँट दी। यह हमें दर्शाता है कि गरीबों को भूमि संसाधनों के पहुँच के योग्य बनाने के लिए राजनीति के द्वारा प्रभावशाली मानदंड बनाए जा सकते हैं।

- भू-उच्चतम सीमा अधिनियम क्यों आवश्यक है?
- कुछ लोग सोचते हैं कि 1950 में इसका कार्यान्वयन होना चाहिए था जबकि दूसरे समझते हैं कि जबरदस्त विरोध के कारण यह मानदंड संभव नहीं हुआ। दोनों मतों पर कक्षा में चर्चा करे और तुम किस मत से सहमत हो?
- पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भू-उच्चतम सीमा अधिनियम के कार्यान्वयन की तुलना कीजिए और चर्चा करें कि अधिनियम को कैसे प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित किया जा सकता है?

मुख्य शब्द

भू-उच्चतम सीमा
काश्तकारी अधिनियम
मक्ता
मुआवजा (क्षतिपूर्ति)

जागीरदारी व्यवस्था
भूदान आंदोलन
भू-धारक
खुद काश्त

फरमान
सरफे खास
बेगार

1. जब विधान सभा द्वारा कानून पारित हो रहा था, विभिन्न दृष्टिकोण से बहुत कुछ चर्चा हुई। 1950 के भू-सुधार अधिनियम से संबंधित विभिन्न दृष्टिकोण क्या हो सकते हैं? कौन-सा दृष्टिकोण शक्तिशाली हो सकता है?
2. 1970 के भू-उच्चतम सीमा अधिनियम पारित करते समय क्या दृष्टिकोण था?
3. क्या तुम्हें लगता है कि इन सुधारों किसान महिलाओं को लाभ हुआ होगा? अपनी ओर से कारण बताइए।
4. वेद्री की समाप्ति सभी प्रकार के किसानों के लिए महत्वपूर्ण था? अपनी भूमि की सिंचाई के लिए अब जमींदारों ने क्या किया होगा ?
5. कल्पना कीजिए कि आप एक काश्तकार है जो भू सुधार अधिनियम के क्रियान्वयन के समय उस भूमि के मालिक बना दिए गए। आपकी भावनाएँ लिखिए।
6. कल्पना कीजिए कि भू सुधार अधिनियम के समय आप जमींदार थे। अपनी भावनाओं और उस समय की प्रतिक्रिया का वर्णन कीजिए।
7. बहुत सारे लोगों का मानना है कि वास्तव में भू सुधार से बहुसंख्यक की शक्ति इच्छा काश्तकारों को हानि हुई। इस विचार से आप सहमत हैं? कारण बताइए।
8. सरकार द्वारा प्रभावशाली कानून बनाने पर भी भू उच्चतम सीमा अधिनियम का कार्यान्वयन प्रभावशाली रूप से क्यों नहीं हुआ ?
9. तेलंगाणा के मानचित्र में नलगोंडा जिले में पोचमपल्ली ग्राम दर्शाइए।
10. “स्वतंत्रता के समय ग्रामीण निर्धनता” अनुच्छेद पढ़िए और निम्न उत्तर दीजिए।
क्या अब परिस्थितियाँ बेहतर हुई हैं? किस तरह?

परियोजना :- पाँच छात्रों का समूह बनाइए। आपके क्षेत्र के बुजुर्गों के अनुभवों की चर्चा कीजिए। क्या इस पाठ में उस गाँव की घटना का वर्णन है? एक रिपोर्ट तैयार कर-कर कक्षा में प्रस्तुत कीजिए।

ग्रामीण क्षेत्रों में कठिनाई

रामचारी नलगोंडा जिले के एक गाँव में बढई का काम करता था। गाँव में रहने वाले किसानों के उपयोग में आने वाले औजारों को बनाता था। उसके पास भूमि या मवेशी कुछ भी नहीं था। रामाचारी किसान नहीं था। वह गाँव के कृषक गतिविधियों पर पूर्णतः निर्भर था।

अभी से कुछ साल पहले रामाचारी के पास 40 ग्राहक रहे होंगे उनमें से ज्यादातर किसान थे। वह उनके कार्य के बदले धान देते थे। प्रत्येक को एक वर्ष में 70 किलोग्राम देता था जबकि वह इन सबसे 2800 किलोग्राम पाता था। जितना उसका परिवार को चाहिए उतना वह रखकर बाकी को बाजार में बेच देता था। उसके परिवार की जितनी आवश्यकता होती थी उससे बचे हुए से वह प्रतिवर्ष 8000 रुपये बना सकता था। इसके साथ ही वह अपने परिवार की देखभाल कर सकता था।



कठिनाइयाँ वहाँ से शुरू हुई जहाँ कृषि संबंधी क्रांति की वजह से परिवर्तन हुए। गाँव में 12 ट्रैक्टर आने की वजह से कार्य कुछ कम हो गए। उच्च एवं मध्यम श्रेणी के किसानों ने ट्रैक्टर ले लिए। जिसकी वजह से वे बैलों का प्रयोग कम करने लगे। जैसा कि पहले के अध्यायों में आपने पढा होगा। वही कुछ नहीं था। गाँव के छोटे-छोटे किसानों के लिए खेती का काम कठिन होता जा रहा था। नहरें सूख चुकी थी, उनमें पानी नहीं था सिंचाई के लिए। वोर-बेल खोदना, बीज खाद आदि खरीदने के लिए ऊँचे दर पर उन्हें ऋण लेना पड़ता था। ऐसे समय में जब पैदावार नहीं होता था तब ऋण को चुकाना कठिन होता था। रामाचारी के गाँव में तकरीबन 30 बैल दबाव में ग्रामीण बेच चुके थे। अर्थात् रामाचारी जो उनके इस्तेमाल से संबंधित वस्तुओं को बनाता था अब उसके पास कार्य बहुत कम रह गए थे। रामचारी के औजारों की मांग किसानों में अब नहीं रह गया था। उसके ग्राहकों की संख्या 40 से घटकर 3 और 4 प्रत्येक वर्ष रह गया था।

जैसे-जैसे गाँव में काम की कमी होती गई रामाचारी की पत्नी अरुणा ने हैदराबाद के एक चप्पल कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। वह बोली वहाँ कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उस काम को शुरू करने से पहले मैं प्रवासी कर्मचारी थी। लेकिन यहाँ काम का मौका नगण्य था। अपने पति और तीन बच्चों के साथ वह महीने में एक बार उस जगह को छोड़कर पलायन कर जाती थी। तकरीबन 250 से ज्यादा मजदूर अपने पीछे छोटे-बड़े बच्चों को छोड़कर काम की तलाश में गाँव छोड़ देते थे।

जब भी अरूणा शहर में काम करने के लिए गई बहुत बार ऐसा हुआ कि , उसके परिवार वाले भूखे रह गए। कभी-कभी रामाचारी पड़ोसियों से या टूटे चावल खरीदकर लाता था। रामाचारी कई बार खराब स्वास्थ्य की वजह से बीमार पड़ जाता था। पहले वाली क्षमता से वह कार्य नहीं कर पाता था।

- इस तरह से क्या रामाचारी का रहन-सहन गाँव की कृषि से संबंधित था ?
- क्या तुम सोचते हो कि जो कठिनाइयाँ वह परिवार झेल रहा था। उसका कारण था ?
(a) रामाचारी में जागरूकता एवं प्रयास का अभाव था
b) गाँव में रहन-सहन की स्थिति।
- आपके विचार में ऐसा क्या हो सकता है कि रामाचारी और उसके परिवार को दो वक्त की रोटी मिले।
- गाँव के किसान एवं रामाचारी के बीच वस्तु विनिमय को तुम किस तरह परिभाषित करोगे ?
- वर्ष भर में साधारणतया रामाचारी कितने किलोग्राम धान परिवार के लिए सुरक्षित रख लेगा।
- क्या हम इस पर विचार कर सकते हैं 8000 की राशि वर्ष भर में एक परिवार खर्च के लिए पर्याप्त होगा ?

चंद्रय्या एक हाथगाड़ी खींचनेवाला है। उसका परिवार गाँव में रहता है जबकि वह शहर में काम करता है और झुग्गी झोपड़ी में गंदी बस्ती में रहता है परंतु कई बार 100 रूपये पाता है परंतु की बार 40 रूपये से ज्यादा नहीं पाता है। यह हाथ गाड़ी के आने-जाने की संख्या पर निर्भर करता है। सुबह के समय ठेले से रोटी आर दाल खरीद कर खाता है।

वह रूपये बचाना चाहता है ताकि घर को भेज सके। वह ज्यादातर कम खाता है। अपने उस कठिन हस्तकार्य की तुलना में जो वह करता है। इस दशा में वह शाम तक थक जाता है। सभी हाथगाड़ी खींचनेवाले शाम को पैसे का हिसाब मिलाते हैं और बारी-बारी से खाना पकाते हैं। तकरीबन बीस वर्षों से वे इस तरह से रहते हुए काम करते हैं। बिना प्रचुर पोषण के चंद्रय्या की ऊर्जा सूख चुकी है और वह अपने उम्र से बड़ा दिखता है।

- विचार करो कि चंद्रय्या और रामाचारी के रहने में क्या समानता है ?



चित्र-17.1: विचार करो कि इस तस्वीर में झुग्गी झोपड़ी एवं नगरीय रहन-सहन में क्या अंतर है ?

गरीबी दीर्घकालीन भूख के रूप में

दीर्घकालीन भूख की परिस्थिति काफी विस्तृत है। रामाचारी व कालीचरण के जैसे की लोग स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त खाद्यान्न नह कर पाते हैं। वे बेघरों एवं राह पर बुजुर्गों जैसी लाचारी में न रहकर सामान्य दिखते हैं। पर ये भूख व थकावट से परेशान रहते है। उन्हें खाने के लिए पर्याप्त अन्न प्राप्त नहीं होता है। यह लोग ज्यादातर थके हुए कमजोर व बीमार रहते है।

हमें काम करने के लिए ताकत की जरूरत होती है जो कि हमें हमारे खाने से प्राप्त होता है। इसे किलो कैलरी में मापा जा सकता है। उदाहरण के लिए एक चम्मच चीनी 40 कैलोरिज और तेल 90 कैलोरिज देती है। अगर आप पैक किए गए खाद्यान्नों के पैकटों पर गौर करेंगे तो उनसे प्राप्त होने वाली कैलोरिज की जानकारी को देख सकते हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरिज राष्ट्रीय मानक है। औसतन स्वस्थ रहने के लिए एक आदमी को 2100 कैलोरिज की जरूरत होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ हाथ से किया गया कार्य ज्यादा है वहाँ यह 2400 कैलोरिज निर्धारित किया गया है।

क्या आप सोच सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में 80 प्रतिशत लोग इससे कम खाद्य का सेवन करते

है एवं शहरी इलाकों में 5 में से 3 लोग राष्ट्रीय मानकसे कम खाद्य को सेवन करते हैं।

1980 से तुलना करने पर हमारा देश तो समृद्ध हुआ है व बेहतर सुविधाएँ भी उपलब्ध हुई है पर गरीबों के लिए भूख बढी है। दरअसल आज वे 25 साल पहले जितना करते थे उससे कम कैलरी का सेवन कर रहे हैं।

- देश के एक चौथाई लोग कितने औसत कैलरी का सेवन करता है।
- नीचे तिमाही में व्यक्तियों की कैलोरी की मात्रा दैनिक कैलोरी मानक से कितने प्रतिशत कम गिरती है?
- आपके अनुसार लोगों का कैलेरी सेवन इतना कम क्यों है?


भूख केवल दर्द भरी नहीं अपितु विनाशकारी भी होती है। दीर्घकालीन भूख व कैलरी की कमी कुपोषण से संबंधित है। इस कुपोषण की वजह से वे लोग ढंग से पढाई, कार्य अथवा शारीरिक श्रम नहीं कर पाते हैं। कुपोषित बच्चे आप बच्चों की तरह जल्दी बढ नहीं पाते हैं एवं इनका मानसिक विकास बहुत धीरे-धीरे होता है। अविरत रक्षा तंत्र को कमजोर कर उन्हें बीमारियों के लिए सुभेद बना देता है। अविरत भूख से जूझ रही औरते कमजोर बच्चे को जन्म देती है।

खाद्य असमानता

जिस प्रकार वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में तथ्यों का निर्माण करते हैं उसी प्रकार सामाजिक वैज्ञानिक के लिए सर्वेक्षण तथ्यों को उजागर करने का अमूल्य आधार है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, भारत सरकार द्वारा हर 45 साल में आयोजित ऐसा ही एक सर्वेक्षण है। सर्वेक्षक देश भर में बड़ी संख्या में लोगों का साक्षात्कार लेते हैं एवं विविध धारणाओं पर बनी रिपोर्ट को संकलित करते हैं। इन आंकड़ों से शोधकर्ता देश में रोजगार, शिक्षा, पेय जल तक लोगों की पहुँच, स्वास्थ्य इत्यादि के बारे में जान पाते हैं। इन आंकड़ों से शोधकर्ता इत्यादि के बारे में जान पाते हैं। इन आंकड़ों से मुख्यतः यह पता चलता है कि सरकारी योजनाएँ सही दिशा में कार्यरत हैं या नहीं।

2004 राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आधार पर कैलरी सेवन पर ग्राफ-1 (आरेख) तैयार किया गया था। शोधकर्ताओं ने प्रति व्यक्ति कैलरी सेवन पर शोध किया एवं यह जाना कि गरीबों व अमीरों के बीच कैलरी सेवन में काफी फर्क है। जिनकी आय है वे औसतन केवल 1624 कैलरी का सेवन करते हैं। जैसे-जैसे आय में वृद्धि होती है वैसे-वैसे खर्च करने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। सबसे गरीब तबकों में कैलरी सेवन अमीर तबकों से काफी कम है, बावजूद इसके कि अधिक श्रम व हाथ के किए गए कामों की वजह से उन्हें ज्यादा कैलरी की जरूरत पड़ती है।

ज्यादातर लोगों के लिए उनका सेवन मानक से कम है। राष्ट्रीय मानक से कम सेवन करने वाले सभी लोगों को गरीब माना जा सकता है।



टिप्पणी

व्यय का अर्थ जहाँ खाद्य, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, किराए, जूतों जैसे घरेलू चीजों पर किये गए खर्च है। 2004 में निचले चौथाई में हर व्यक्ति प्रति व्यक्ति 340 ₹. प्रतिमाह खर्च करता था। अर्थात् इन घरेलू चीजों पर 12 ₹. दैनिक से भी कम। जैसे-जैसे हम एक्स ध्रु पर बढ़ते जाएंगे उसी प्रकार यहाँ खर्च करने की क्षमता में वृद्धि हो रही है।

गतिविधि

- हम ठीक से पोषित है या नहीं यह जानने के लिए जिसकी गुणना की जाती है उसे पोषण वैज्ञानिक बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। इसकी गणना आसानी से की जा सकती है। कक्षा के प्रत्येक बच्चे को अपना भार और लंबाई मालूम करने के लिए कहिए। छात्रों का भार कि.ग्रा. में लिजीए। दीवार पर स्केल उतार कर, सिर को बिलकुल सीधा रखकर लंबाई मापिए। से.मी. में दर्ज की गयी लंबाई को मीटर में परिवर्तित कीजिए। कि.ग्रा. के भार को लंबाई के वर्ग से विभाजित कीजिए। ज्ञात संख्या BMI होगी। अब BMI के लिए पुस्तक के अंतिम पृष्ठ पर दी गयी आयु तालिका को देखिए। उदाहरण के लिए यदि एक लड़की की आयु 14 वर्ष 8 माह है और उसका BMI 15.2 है तो वह कुपोषित है। सी प्रकार यदि 15 वर्ष 6 माह की आयु वाले बालक का BMI 28 है तो उसका वजन सामान्य से अधिक है। कक्षा में किसी को भी शर्मिदा महसूस करवाये बिना भोजन और व्यायाम की आदतों के बारे में सामान्य रूप से चर्चा कीजिए।



Fig 17.2: Body Mass Index

$$\text{BMI} = \text{शरीर का भार (कि.ग्रा. में)} \div \text{लंबाई} \times \text{लंबाई (मी.मे.)}$$

निर्धनता क्यों है? इसे किस तरह मिटा सकते हैं?

निर्धनता में सबसे महत्वपूर्ण कारण है रोजगार का अभाव। इसका अनुमान लगापाओगे। रोजगार के अभाव में व्यक्ति का आर्थिक शक्ति कम होती जाती है।

वह अपनी मूलभूत आवश्यकताओं का भी पूरा नहीं कर पाता है। दीर्घकालिक भूख का एकमात्र कारण है जो निम्नतम विक्रय शक्ति में घिरे रहना है।

कृषि अजीविका का आधार

भारत के 50 प्रतिशत लोग आज भी अपनी अजीविका के लिए कृषि कार्यों पर निर्भर है।

तथापि, देश की कुल आय में कृषि का योगदान केवल 1/6 है। उत्पादन और सेवाओं में सीमित रोजगार अवसर लोगों को कृषि पर निर्भर रहने के लिए विवश करते हैं। इनमें से अधिकतर छोटे किसान और कृषि मजदूर है। इसमें से बहुधा छोटे किसान और कृषि से संबंधित श्रमिक हैं जो कृषि अजीविका से जुड़े हैं। वैसे बढई रामाचारी। कुछ और कृषि श्रमिक जैसे बरतन बनाने वाला कुम्हार, चमड़े से जुड़ा श्रमिक गाँव में लघु उद्योग इकाई ये भी कृषि पर निर्भर होते हैं। हमने देखा कि कृषि में गतिरोध आ जाने पर रामाचारी और उसके परिवार मुश्किलों से गुजरते हैं। जो औजार वे बना सकते हैं उनका कोई मांग नहीं होता है।

रामाचारी के पास थोड़ा काम थे जिनसे मुश्किल से आय हो पाता था। अन्य गरीब लोगो की तरह उस परिवार के पास अपना जमीन या मवेशी नहीं था। उस गाँ में उस वर्ष काम का अवसर उपलब्ध नहीं कराया जा सका श्रमिकों, मजदूरों के लिए। यहाँ तक कि कोई गैर कृषि कार्य भी।

जीविकोपार्जन के लिए बहुत से लोग आज भी कृषि पर निर्भर है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि कृषि का विकास हो। जब कृषि कार्य तरक्की करेगा तो सामान्य रूप से रोजगार और आय के साधन ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के विकसित होंगे और जब कृषि उत्पादन बहुतायत मात्रा में ही होगा तो खाद्य वस्तुओं की कीमत अन्य वस्तुओं से सहज साध्य होगी लोगों के लिए।

कृषि में जुताई में अनेक तरह की कठिनाईया आती है। कृषि के ऊपर जो अध्याय आप पढ रहे हो वह हमारे समय में छठी कक्षा में था। छोटे-छोटे किसान किस तरह सिंचाई के लिए पानी के अभाव , न्यूनतम ब्याज पर लोन, बीज और खाद्य पैदावर के लिए इन अभावों से गुजरते हैं। वेंकटापुरम के छोटे किसान रवि और रामू केस का पुर्नअध्ययन कर सकते हैं। ऊँची कीमत, निम्न पैदावार और प्रचुर रूप से फसलो का फेल होना किसानों की तकलीफ को तीव्र करता है और तेलंगाणा में चार और पाँच किसान रवि और रामू की तरह है।

यहाँ सरकार को कुछ कदम कृषि के विकास एवं जो लोग कृषि पर आश्रित हैं उनके समर्थन में लेने होंगे। क्या तुम कुछ पंक्तियाँ उन पर लिख सकते हो। यह क्यों महत्वपूर्ण है आप इस उदाहरण से अपने संदर्भों, प्रसंगों से दे सकते हैं।

1. सरकार के द्वारा बीज,खाद, कीटनाशक आदि की उपलब्धता में किसान बिचोलियों पर निर्भर नहीं रहेंगे।यह आवश्यक है कि सरकार सुनिश्चित करे कि उत्पादन गुणवत्ता युक्त हो एवं उचित मूल्य पर हो।
2. सिंचाई की लघु परियोजना
3. समय पर बैंक से उचित ब्याज दर पर ऋण मिल जाए।
4. बाजार जहाँ उत्पादक को उचित मूल्य मिले
5. ग्रामीण क्षेत्र में सड़क, परिवहन आदि का विकास हो।
6. अगर पैदावार फेल हो जाता है तो किसानो की सहायता।

आजिविका के अन्य विकल्प

तेलंगाणा और आंध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग दो पंचम हिस्सा परिवार मुख्य रूप से कृषि श्रमिक है। उनमें से बहुत से परिवार भूमिहीन है एवं दूसरों छोटे-छोटे भूमि का हिस्सा जोतते हैं। कार्य के अवसर बेहद सीमित रहते है। कृषि श्रमिक वर्ष भर में 120-180 दिन ही कृषि कार्यों का प्रबंध कर पाते हैं।

वर्ष भर में जब कभी फसल नष्ट हुआ सूका, बाढ या किसी अन्य आपदा की वजह से कृषि कार्य और कम हो जातै है। यह वह समय है जब बड़े पैमाने पर पलायन होता है एवं देश में तीव्र विपत्ति, संकट एवं भूख हड़ताल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्या हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि इन परिस्थितियों में आजीविका किस तरह सुनिश्चित की जाए।

संविधान के जीविका अधिकार में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रोजगार दिलाना है। अनुच्छेद 41 के संविधान की निर्देशक नीतियों के अनुसार आर्थिक परिस्थिति, विकास के ललितए जीविका का अधिकार दिलाने के सरकार प्रयत्नशील है।

जनता कभी भी अपने अधिकारों का अभ्यास नहीं कर पाई। सरकार अपनी इच्छानुसार लोक/सार्वजनिक कार्य व श्रमिकों को काम पर लगाती। परंतु लोग अपनी जगह व जरूरत के अनुसार रोजगार की मांग नहीं कर सकते थे।

मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंजी धारा) MNREGA

बालेश्वर मेहता जिसका घर बिहार अररिया जिले में है। प्रत्येक वर्ष काम की तलाश में पंजाब जाता है। उसके योजना बनाया है इस वर्ष जून में जाने का। वह अपने ही गाँव में मनरेगा के अंतर्गत वह अपने गाँव में रोजगार पाता है और इसलिए गाँव में ही रुकने का निर्णय लेता है।

अररिया से लोग अधिकतम संख्या में कार्य तलाशने हेतु पंजाब, दिल्ली और गुजरात आते हैं। अररिया में रोजगार पाना कठिन है। जो विकल्प मौजूद है उनका वेतन काफी कम है जो कि कटाई के समय 40-60 रुपये दैनिक से अन्य समय में (25-50) दैनिक तक है। बालेश्वर इस तरह के कार्य तभी करता है जब उसे गाँव में रुकना पड़ता हो जैसे कि परिवार में किसी के बीमार पड़ने पर।

निःसंदेह शहरों में विस्थापित श्रमिकों को खेदजनक परिस्थितियों में रहना पड़ता है जहाँ सफाई, पेय-जल एवं शरणस्थल जैसी जरूरतों का भी प्रबंध नहीं होता है। महिलाएं व बच्चे जो कि पीछे रह जाते हैं वे असुरक्षा महसूस करते हैं व पारिवारिक संबंध भी प्रायः विघटित होते हैं।

बालेश्वर के लिए मनरेगा तिहरा बोनस है : स्थानीय रोजगार के साथ उसे अपने खेत संभालने हेतु व परिवार के लिए भी समय मिल जाता है।

मनरेगा के अनुसार कोई भी व्यस्क जो अकुशल श्रम करने के लिए तैयार हो उसे रोजगार दिया जाएगा। एक साल में एक ग्राणीण परिवार 100 दिन रोजगार जिसके लिए उसे न्यूनतम वेतन दिया जाएगा की मांग कर सकता है।

- ❖ जल संरक्षण एवं जल संचयन
- ❖ सूखा रोधन, वृक्षारोपण
- ❖ एससी एवं एसटी के लिए सिंचाई प्रबंधन
- ❖ पारंपरिक जल स्रोतों का नवीनीकरण।
- अपने शिक्षक की मदद से इन कार्यों का अर्थ पता कीजिए।
- अपने इलाके में ऐसे किसी स्थान का दौरा करे एवं अपने वार्तालाप को नोट करो।
- आपके हिसाब से मनरेगा एससी/एसटी के द्वारा स्वामित्व वाली जमीन के सिंचाई को प्राथमिकता क्यों देती है?
- ग्रामीण क्षेत्रों में जीविका सुरक्षित करने के लिए मनरेगा क्यों महत्वपूर्ण है?

कई सालों के संघर्ष के बाद 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी धारा MNERGA (2005) पास किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में जीविका सुरक्षित करने में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी।

सार्वजनिक अंकेक्षण रिपोर्ट

फरवरी 2009 में तेलंगाणा के निजामाबाद जिले कि ईशापल्ले में सार्वजनिक परीक्षण में पाया गया कि

- सही भुगतान किए गए थे
- क्षेत्रीय सहायकों ने कार्य भलीभाँति किया था।
- कार्यस्थल पर कोई ठेकेदार नहीं था।
- परंतु कार्य गुणवत्ता खराब थी। इसके अलावा यह पता चला कि जुताई वह रोपड़ के लिए इसके अलावा यह पता चला कि

जुताई व रोपण दर्शाए हुए 15 एकड़ की जगह मात्र 5.60 एकड़ में किया गया था। इसका निष्कर्ष यह हुआ कि 9.04 एकड़ के लिए अतिरिक्त धन प्रदान किया गया था। पुराणा तकनीकी सहायक राममोहन इसके लिए जिम्मेदार था।

सिंदीकेत नगर की रमादेवी को 6 दिन की मेड़ बाँधने के लिए ₹. 400 का भुगतान किया गया। परंतु उसे अभी तक भुगतान नहीं किया गया है।

सार्वजनिक अंकेक्षण, जवाबदेही और पारदर्शिता के लिए समाज ग्रामीण विकास, विभाग, तेलंगाणा सरकार के वेबसाइट से आप अपने ग्राम के सार्वजनिक अंकेक्षण के आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं।

www.socialaudit.telangana.gov.in

सामर्थ्यनुसार खाद्य तक पहुँच

“अपने अनाजघर से राजा को आधे हिस्से को विपत्ति के लिए बचाकर रखना चाहिए वे आधे का इस्तेमाल करना चाहिए। पुराने माल की जगह नए माल को स्थापन करना चाहिए।”

अर्थशास्त्र (2.15.22-23)

कौटिल्य 4 शताब्दी बीसी

रोजगार के साथ सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि खाद्यान्न लोगों की पहुँच में हो। अगर जरूरत की चीजों के मूल्य ज्यादा हो ता रोजगार से कुछ नहीं हो सकता। सही मूल्यों पर राशन की दुकानों पर खाद्यान्न उपलब्ध करा कर यह सुनिश्चित किया जा सकता है। सरकार खाद्यान्नों को किसानों से खरीदकर इन दुकानों पर पहुँचाती है। इन दुकानों पर चीनी, दाल, केरोसिन जैसी जरूरी चीजे प्राप्त होती हैं जो कि मार्केट में इनके मूल्यों से कम मूल्य पर बेची जाती है।

इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहा जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्वतंत्रता के समय से ही भारत में अस्तित्व में है।

इस प्रणाली ने ग्रामीण व शहरीय इलाकों में खाद्यान्न मुहैया कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। इसमें भी कामकाज की समस्याएँ थी।

सा.वि.प्र. की दिक्कत को बेहतर लागू करने के जरूरत थी। क्योंकि केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु जैसे दक्षिण के राज्यों में वह सफल थी। इसलिए यह मुमकिन था कि अगर प्रयास किया जाए तो इसे सुधारा जा सके।

तेलंगाणा में सामाजिक अकेक्षण

सरकारी रोजगार के बारे में एक सामान्य शिकायत जो बार-बार होता है। वह है भ्रष्टाचार। कहा जाता है कि इस योजना का फायदा उन लोगों को पहुँचता है जो शक्तिशाली ठेकेदार है। सरकारी दावों के अनुसार गरीबों को जितना मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पाता है। भ्रष्टाचार को कम करने के लिए मनरेगा (महात्मा गांधी रोजगार गारंटी धारा - MNERGA) ने अकेक्षण लागू किया।

सामाजिक अकेक्षण वह प्रक्रिया है जिसे द्वारा जन समुदाय योजनाओं एवं उसके लागू होने को सत्यापित करती है एवं यह जानने की कोशिश करती है कि जिन लोगों के लिए यह योजना है उन तक इसके लाभ पहुँच पा रहे या नहीं। इस विषय में आंध्र प्रदेश में प्राप्त अनुभव उल्लेखनीय है। नगरीय समाज में इस प्रस्तावना के समर्थन सरकार की सक्रिय भूमिका रही है।



1. कुछ उर्जावान शिक्षित युवा जो उस परिवार से संबद्ध है जिन्हें मनरेगा MNERGA के लिए सामाजिक अकेक्षण प्रक्रिया के तहत प्रशिक्षित किया गया।



2. युवा अपनी टीम बनाते हैं और प्रत्येक दरवाजे पर जाकर हाजिरी पुस्तिका सत्यापित करते हैं, कार्य स्थलों पर जाकर। श्रमिकों के लिखित वक्तव्य रिकार्ड करते हैं एवं हर गाँव में बैठकों का आयोजन करते हैं।



3. अगला विशाल जनसभा हो जो मंडल हेडक्वार्टर में आयोजित होता है। प्रत्येक गाँव के लोग उनके निर्वाचित प्रतिनिधि, मीडिया, मनरेगा कार्य से संबद्ध और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी उपस्थित है।



4. इस सभा में ग्रामीण गाँवों के अनुसार सामाजिक अकेक्षण के निष्कर्ष पढ़े जाते हैं। श्रमिक इसे सत्यापित करते हैं एवं संबंधित अधिकारी उठाए गए मुद्दों पर लिए गए कदमों की व्याख्या करते हैं।



5. अधिकारियों को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि कितने समय में और क्या कार्यवाही कर सकते हैं।

6. जन बैठक के बाद सामाजिक अकेक्षण टीम हर 15 पर गाँव में जाकर देखता है कि जो निर्णय लिए गये थे वे लागू हुए अथवा नहीं।

सरकारी निधि का बेईमानी से हड़पी हुई बड़ी रकम सामाजिक/सार्वजनिक अकेक्षण द्वारा की अवसरों पर पुनः प्राप्त कर लिए गए। कई बार ऐसा हुआ कि गलती करने वाले अधिकारियों ने स्वेच्छा से पैसे लौटा दिये। इस प्रक्रिया में श्रमिकों के बीच मनरेगा के प्रावधानों में जागरूकता करिश्माई रूप से वही है।

परंतु भारत सरकार के कुछ और ही विचार थे। 1997 के आसपास यह निर्णय लिया गया कि राशन की दुकाने केवल गरीबों की सेवा में ही होंगे व अन्य बाहरी बाजार से ऊँचे मूल्य पर चीजें खरीदेंगे।

इस नयी योजना को लागू करने के लिए सरकार को गरीबों को पहचानना था। इसलिए पंचायतों को गरीबी रेखा से नीचे सर्वेक्षण के लिए कहा गया। इन सर्वेक्षणों में परिवार की आय, जीविकोपार्जन के साधन, कपड़े, आवास, कर्ज विस्थापन की जानकारी ली जाती थी। इन सर्वेक्षणों के आधार पर तीन तरह के अंत्योदय कार्ड जारी किये गये।

सबसे गरीब तबके के लिए कार्ड, थोड़े अच्छे तबके के लिए गरीबी रेखा से उपर (एपीएल) कार्ड व शेष के लिए गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) कार्ड जारी किये गये।

अलग-अलग तबको के कार्डधारकों के लिए अलग-अलग मूल्य व मात्रा निर्धारित की गई। उदाहरण अंत्योदय कार्डधारको को प्रतिमाह 35 किलो खाद्यान्न चावल और गेहूँ के हकदार है। तेलंगाणा में बीपीएल कार्ड धारक प्रति व्यक्ति 6 किलों खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं वही अन्नापूर्णा

कार्डधारकों और गरीब व वरिष्ठ नागरिकों को १० किलो चावल मुफ्त में दिया जाता है।

- क्या आपको लगता है कि इस नीति के साथ अब बेहतर कार्य किया जाएगा। अपने स्तर के पक्ष में कारण प्रदान करें।
- क्या आप सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के कुछ और तरीक सुझा सकते हैं।

जीवन के अधिकार के लिए संघर्ष

सा.वि.प्र. की नई नीति काफी बहस का केन्द्र बनी है। हमें पता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पाँच में से चार आदमी न्यूनतम जरूरत से कम कैलोरी का सेवन करते हैं। 2004 के राष्ट्रीय सर्वेक्षणनुसार 10 में से 3 परिवारों के पार ही बीपीएल व अंत्योदय, अन्नपूर्णा कार्ड थे। तथापि ज्यादातर लोग जो पहले पीडीएस का लाभ उठातेथे अब नहीं उठा पा रहे हैं। कई मजदूरों के पास बीपीएल कार्ड नहीं है, वही कई अच्छी परिस्थिति वाले परिवारों के पास बीपीएल कार्ड हो की खबरे सामने आई।

सा.वि.प्र. की नई नीति खंडनशील है। कई बार भारत सरकार के पास खाद्यान्नों का विशाल संचय होता है जो कि कभी-कभी सड़ जाता है या चूहों को भोजन बन जाता है। क्योंकि राशन की दुकान अब केवल बीपीएल धारकों को ही चीजे मिला करती है। इसलिए अब दुकानो पर भी अबिक्रित



चित्र- 17.3: स्कूलों में दोपहर का भोजन ग्रहण करते हुए बच्चे

वस्तुओं का ढेर हो जाता है। इसके बावजूद कई लोग आज भी भूखे सोते हैं व कुपोषण से पीड़ित हैं।

यह संविधान के अनुच्छेद २१ के स्थापित जीवन के अधिकार का साफ उल्लंघन है। खाद्यान्नों के बिना जीवन कैसे मुमकिन है? सरकार जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती? क्या सड़ने की जगह खाद्यान्नों को लोगों में बाँटना बेहतर होगा? लोगों में ऐसे प्रश्नों ने जोर पकड़ा। कुछ समय अंतराल पर खाद्य के अधिकार पर जन आंदोलन शुरू हुआ। लोगों ने कानूनी कारवाई की। सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जीवन के अधिकार के उल्लंघनों के लिए याचिका दर्ज की गई। इसके अनुसार खाद्य का अधिकार जीवन के अधिकार का ही एक भाग है। हर परिवार को उचित मूल्यों पर खाद्यान्न मिलने चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाईयों ने आम जनता के दबाव ने छोटे पर महत्वपूर्ण बदलाव लाए। पर अभी बहुत कुछ बदला जाना बाकी है।

- राशन की दुकानों को उचित मूल्य की दुकान भी कहा जाता है क्यों? आप सोच सकते हैं?

इस पाठ से हमने भूख के विषय में रोजगार/ काम अधिकार व खाद्य का अधिकार के बारे में पढ़ा है। दोनों ही गरीबी के चंगुल से निकलने के लिए जरूरी है। गरीबी से छुटकारे का मतलब अपितु स्वास्थ्य, शिक्षा, पहनावा, सफाई, सुरक्षा, लोकतांत्रिक भागीदारी इत्यादि है। यह सामाजिक व आर्थिक अधिकार भी जीवन के अधिकार का ही एक अंग है। समाज को इसी विस्तृत सोच को समझने की जरूरत है।

महत्वपूर्ण शब्द

- | | | |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. कुपोषण | 2. कृषि विकास | 3. निर्देशक नीतियाँ |
| 4. सार्वजनिक कार्य | 5. सार्वजनिक अंकेक्षण | 6. गरीबी रेखा से नीचे |
| 7. सार्वजनिक वितरण प्रणाली | | |

सीखने में सुधार

1. गरीबी व दीर्घकालिक भूख के उपलक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन से वाक्य सही है।
 - a. दिन में एक ही बार आहार ग्रहण करना।
 - b. जरूरत से कम कैलरी का सेवन
 - c. जुताई व कटाई करने वालों व्यक्तियों की कैलरी की जरूरत बराबर है।
 - d. जुताई करने व्यक्ति को दुकानदार से ज्यादा कैलरी की जरूरत है।
 - e. भूख व्यक्ति के असंक्राम्य तंत्र पर असर करती है।
2. पाठ में दिये गये गरीबी के मुख्य कारणों का पता लगाइए।
3. मनरेगा (MNERGA) व सा.वि.प्र. की मुख्य विशेषताएँ क्या है? गरीबी के किस पहलू को वे संबोधित करती है? राशन की दुकाने क्यों जरूरी है?
4. पृष्ठ संख्या 203 में जीवन के लिए संघर्ष के दो अनुच्छेद पढ़कर अपने विचार लिखिए।
6. अपने गाँव में चल रहे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्यक्रम की कार्य प्रणाली पर जिला कलेक्टर को एक पत्र लिखिए।

परियोजना

अपने आस-पास में राशन की दुकान का दौरा करे व निम्नलिखित पता करें।

- राशन की दूकान कब खुलती है?
- राशन की दूकान पर किन चीजों की बिक्री होती है?
- भिन्न कार्ड धारक प्रणाली का पता कीजिए।
- राशन की दुकान के चावर और चीनी के मूल्यों को अपने पास की दुकान के मूल्यों से तुलना कीजिए। (किराने की दुकान पर भी साधारण मूल्यों का पता लगाइए)

मानवाधिकार की आवधारणा

प्रजातंत्र की अवधारणा की तरह ही मानवाधिकार की अवधारणा ने भी पिछले 300 वर्षों में दुनिया में अपनी जगह अर्जित की। यह मानवीय भावों पर आधारित है बिना इस पर विचार किए कि वे कौन हैं? उनकी जाति, लिंग, धर्म एवं राष्ट्र क्या है आदि। गरीबी की परिभाषा एवं उसकी स्थिति के अनुसार इनमें से दो अधिकार महत्वपूर्ण हैं- सम्मानपूर्ण जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन का अधिकार का अर्थ है सभी व्यक्ति को जीवन का अधिकार है। इसका एक रास्ता यह है कि व्यक्ति अपनी मानवीय प्रतिष्ठा एवं महत्व से समझौता न करे। स्वच्छंद एवं स्वतंत्रता के अधिकार का अर्थ यह है कि व्यक्ति स्वच्छंद रूप से अपना विचार प्रकट कर सकता है बगैर किसी भय के और वे अपनी इच्छा से अनुरूप अपना जीवन जी सके।



Fig 18.1: "The Monsoon Failed this Year"
photograph from 1946

पवन 13 वर्ष का एक लड़का है जो अपनी माँ के साथ रहता है। उस शहर में काफी संख्या में तीर्थ यात्री आते हैं। पवन मंदिरके बाहर खड़ा रहता है और श्रद्धालुओं के पैर पर पकड़कर खाना मांगता है। कभी-कभी वे उसे टिफिन बॉक्स का अतिरिक्त खाना दे देते हैं। कभी-कभी वो उनके भारी बैग उठा देता है जिसके बदले में वे उसे पैसे दे देते हैं।

उसकी माँ एक घर में प्रत्येक दिन वो लहभग बारह घंटे काम करती है। उसके मालिक हमेशा कोई न कोई आज्ञा देते रहते हैं, यहाँ तक कि मालिक के छोटे बच्चे भी। उसे बचा-खुचा खाना खाने को दिया जाता है। उसे अपने नियुक्ताओं के सामने बैठने तक नहीं दिया जाता। उसे उसकी छोटी-छोटी गलतियों के लिए झिड़क दिया जाता है। वह चुपचाप अपने आंसुओं एवं गुस्से को काम से निकाले जाने के डर से दबा लेती है।

ऊपर दिये गये उदाहरणों में क्या तुम सोचते हो कि अप्पू और उसकी माँ सम्मानपूर्वक रहने में सक्षम है।?

- उपर्युक्त उदाहरण में पवन और उसकी माँ गरिमा पूर्वक जीवन जी सकेंगे ?
- क्या उन्हें गरिमा के साथ जीवन देना होगा ?
- क्या पवन एवं उसकी माँ इच्छित कार्य करने के लिए स्वतंत्र है ?
- पवन और उसकी माँ जिस तरह की जीवन जीते हैं, उसके लिए किसे समझा जाएगा। क्या अपनी इस स्थिति के लिए वे खुद जिम्मेदार हैं ?
- यह किसका कर्तव्य है कि वह यह सुरक्षित करे कि अप्पू और उसकी माँ स्वतंत्र एवं गरिमा जीवन जिये।

हमने पूर्व के अध्यायों में निर्धनता के कुछ पक्षों के देखा। यह केवल भूखे रहने की बात नहीं है। यह जीवन जीने के लिए जीवन की कुछ बुनियादी आवश्यकताएं जैसे स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, खाद्यान्न आदि के अभाव को दिखाता है। उनकी आवाजें सुनाई नहीं देती हैं। सरकारी योजनाओं के कार्यान्वित होने ने उनका कोई प्रभाव नहीं होता है।

लोग गरीबी से कैसे उपर उठ सकते हैं। गरीबी से मुक्त होने के लिए वे किस तरह से साधन जुटा सकते हैं?

यह तभी संभव हो सकता है जब सरकार उनकी तरफ से कार्य करे। प्रायः यह सोचा जाता है कि गरीबों के कल्याण पर खर्च किया जाने वाला धन, दान है और इसके संसाधन सरकार के लिए भार है। जब हमें ये आभास होता है कि ये लोगों का मूलभूत अधिकार है, तब इन्हें सुरक्षित करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य हो जाता है। इन पर खर्च किये गये साधनों को अनुकंपा न समझकर भविष्य के लिए जरूरी निवेश के रूप में देखा जाएगा। इन्हीं कारणों से यह आवश्यक है कि लोगों के आर्थिक एवं कल्याणकारी अधिकार के लिए कानून पारित हो।

1945 में एक बार प्रत्येक राष्ट्र इस पर सहमत हुए कि दोनो प्रकार के अधिकार अपरिहार्य हो। जब हम खाद्यान्न, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार आदि जो व्यक्ति के अधिकार है इसका क्या अर्थ है? हम ऐसा सोचते हैं कि जो लोग देश में रहते हैं उन्हें यह सब उपलब्ध करवाना सरकार

का कर्तव्य है। सरकार इन चीजों को सुनिश्चित करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हो। अगर ये बातें सुनिश्चित नहीं है तो लोग न्यायालय में जाकर अपने अधिकारों के लिए दबाव डाल सकते हैं। अप्पू जैसे लोगों को अपनी जरूरतों को दान प्राप्त व्यक्ति की तरह न मानते हुए मूलभूत अधिकार की तरह देखने की जरूरत है। खाद्यान्न, शिक्षा, आवास, चिकित्सा आदि की मांग अपने अधिकार की तरह कर सकते हैं। यह तभी मुमकिन है जब कानून इस सोच के अनुसार हो।

पिछले कुछ सालों में भारत सरकार ने कई ऐसे कानून बनाए हैं जैसे कि शिक्षा का अधिकार, रोजगार, सूचना आदि का अधिकार। सभी के लिए खाद्यान्न उपलब्ध करना यह नया कानून अभी निर्माणाधीन है। इन कानूनों के बारे में विस्तारित रूप से पढा जाए।

भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए सूचना की जरूरत

सरकारी व्यवस्था बहुत बड़ी एवं जटिल है। योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लागू करना बेहद मुश्किल है। गरीबों को लाभान्वित करने एवं गरीबी मिटाने हेतु जो कार्यक्रम बनाए जाते हैं उनकी राशियाँ, सुविधाएँ गरीबों तक नहीं पहुँच पाती हैं। इसका मुख्य कारण है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के बढ़ने का मुख्य कारण यह है कि लोगों में इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन संबंधी जानकारी का अभाव। लोगों के पास इन जानकारियों का अभाव था।

नगरपालिका एवं पंचायत में किसे अनुबंध दिया एवं गुणवत्ता वस्तुओं का प्रयोग किया एवं

कार्य कब तक हुए यह जानना सरल नहीं था। राशि को किस प्रकार खर्च किया जा रहा है। क्योंकि यह जानकारी सबको नहीं दी जाती थी। फिर भी लोकतंत्र जनता का ही पैसा है जो उनके कल्याण के लिए प्रयोग किये जाते हैं। इसलिए जनता को इस बारे में जानने का अधिकार है। पहले यह माना जाता था कि चुने हुए प्रतिनिधि ही इसके बारे में पूछताछ कर सकते थे और भ्रष्टाचार को काबू में कर सकते थे।

- विचार कीजिए कि कांटेक्टर आवास एवं सड़क निर्माण से संबंधित सूचना को किस तरह नियंत्रित करते हैं।
- तुम्हें क्यों लगता है कि इस जानकारी की जाँच से जवाबदेही में सुधार करने में मदद कर सकते हैं?

आंदोलन का प्रारंभ कैसे हुआ

राजस्थान में लोगों के दिल ने खुद को मजदूर किसान शक्ति संगठन (एमकेएसएस) के रूप में नियोजित किया एवं जानकारू एवं सूचना की मांग की। सरकार से जानकारी लेने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं था। शुरुआती दौर में इस जानकारी को पदाधिकारियों के मदद से जमा किया गया एवं जनसभाओं द्वारा निरीक्षित किया गया जल्द ही पदाधिकारी जानकारी देने से मना करने लगे। इसने एक जनआंदोलन की शुरुआत की जो कि अगले तीन साल तक रैलियों एवं मार्चों के रूप में चला।

लोगों की मांग थी सूचना उनकी कल्याण के लिए महत्वपूर्ण था। उन्होने यह युक्ति दी कि -

- सूचना मानव विकास एवं लोकतांत्रित अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण है। लोग सरकार में तभी भागीदार बन सकते हैं जब उनके पास सरकारी दस्तावेजों के रूप में जानकारी हो।
- सूचना सरकार को जवाबदेह बनाएगी। इससे भ्रष्ट प्रथाओं को नियंत्रित करने की संभावनाएं हो सकती हैं।
- उन परिस्थितियों में जहाँ सूचना सार्वजनिक की जाती है, पदाधिकारियों एवं निर्वाचित पदाधिकारियों के स्वेच्छादारी निर्णयों को नियंत्रित किया जा सकता है।

- कई सालों के संघर्ष के बाद 1995 में राजस्थान में सरकारी जानकारी को देने के लिए नया कानून बना। अगले कुछ सालों में कई राज्यों ने इसे अपनाया, 2005 में सूचना का अधिकार पास हुआ। आज के संविधान में जीवन के अधिकार व फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेसन के अंतर्गत है।

सूचना के अधिकार के प्रावधान (RTI)

चलिए आरटीआई के प्रावधानों को पढ़ें। कानून के मुताबिक कोई भी व्यक्ति सरकारी आदेश, पत्रों, सुझावों की जानकारी प्राप्त कर सकता है। जिस व्यक्ति को भी इस जानकारी की जरूरत है वह इसे एकछोटी रकम जो कि दस्तावेजों की प्रतिलिपि बनाने का व्यय है देकर प्राप्त कर

जन सुनवाई - एमकेएसएस जज सुनवाई नाम से बैठक/सभाएँ आयोजित किया करता था। यह सच है कि कई लोग सरकारी दस्तावेदों को खुद पढ़ नहीं पाते थे। गाँव का हर आदमी दस्तावेजों के बारे में जानना चाहता था इसलिए इन्हें पढ़कर समझाया जाता था। हाजिरी पुस्तिका के अनुसार हैंड पंप बनाये जाने वाले लोगों को भुगतान किया जाता था। ग्रामीण इसमें उपस्थित नामों की पहचान कर यह सुनिश्चित कर सकते थे कि जिन्हें भुगतान मिला है वे कार्य के लिए उपस्थित थे या नहीं। इस तरह से भ्रष्टाचार को उजागर किया जा सकता था। इन घटनाओं के आधार पर लोग जरूरी कार्यवाही करते थे। पदाधिकारियों को उनके बचाव का अवसर दिया जाता था। जिला प्रशासन एवं पंचायत भी इन बैठक/सभाओं में भाग लेती थी। जब भ्रष्टाचार पहचान लिया जाता था तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ अपराधिक मुकद्दमा दर्ज कराया जाता था।



चित्र- 18.2: औरतें एमकेएसएस मीटिंग में भाग लेते हुए

सकता है। परंतु वह व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे हो दो उसे यह रकम देने की जरूरत नहीं।

कानून के मुताबिक हर सरकारी कार्यालय में इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एक अफसर नियुक्त होगा। इस अफसर को सूचना अफसर कहा जाएगा। सूचना अफसर के अलावा एक और अफसर

होगा जो कि निश्चित कार्यवाही को सुनिश्चित करेगा। केंद्र एवं राज्य स्तर पर सूचना आयोग होगी। कानून यह भी निर्धारित करता है कि आवेदनार्थ जानकारी कितने समय में मुहैया कराई जानी चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी विभाग लंबे अंतराल तक जानकारी को अटका

कर ना रखे। अगर निर्धारित समय में जानकारी ने मिले तो व्यक्ति राज्य व केन्द्र आयोग मे केस दर्ज करा सकता है।

RIGHT TO INFORMATION ACT – 2005.				
S.No	INFORMATION OFFICER	NAME	DESIGNATION	PHONE NO
1	Public Information OFFICER	Sri. M. Nara Simha Reddy	Head Master	9580458271
2	Asst. Public Information OFFICER	Sri. P.D. Rama narayanaiah	School First Asst	7704518704
3	First Appellate OFFICER	Sri. T. Anjiah	D.E.O.	9346769971

Fig 18.3: Wall writing about the Right To Information Act-2005.

- शिक्षक की मदद से पिछले एक साल में उन्हें मिले रिपोर्टों, आदेशों, सुझावों का जाँच बनाये। स्कूल इस जानकारी को शिक्षा विभाग को देने हेतु किन दस्तावेजों को संभालता होगा। मध्याह्न भोजन संबंधी दस्तावेज कैसे बनायें?
- आपको क्यों लगता है कि राज्य सूचना आयोग के संदर्भ में महत्वपूर्ण शब्द स्वतंत्र है।
- क्या आप कुछ ऐसे प्रश्नों की सूची बना सकते है जो कि आप स्वास्थ्य विभाग के सूचना अधिकारी से पूछना चाहेंगे। (९ वाँ अध्याय पढ़ें)

आरटीआई के अंतर्गत सरकारी कार्यालयों को बिना आवेदन के भी कुछ जानकारी को सार्वजनिक करना होगा। आप इन्हें इन कार्यालयों की दीवारों पर देख सकते हैं। अगर आपके इंटरनेट की सुविधा है तो आप सरकारी विभागों के वेबसाइट

पर भी आरटीआई के अंतर्गत उनके विभागों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से किसी भी कार्यालय व वेबसाइट का दौरा करें एवं इन जानकारी को नोट कीजिए।

जीवन शैली को सुधारने का सही रास्ता

पिछले पाठ में हमने रोजगार एवं खाद्यान्न का अधिकार के बारे में पढ़ा। इन्हें पाने के लिए कई जन संघर्ष हुए है। अधिकारो के पक्ष में लोगों का कहना है कि लोगों की प्रतिष्ठा के साथ जीने में सहायक हैं। यह सरकार का गरीबों के प्रति दयाशील होने की बात तो नहीं है अपितु उन्हें रोजगार व खाद्यान्न प्रदान कर जीवन शैली को बेहतर बनाया जा सकता है। यह पूरे समाज के लिए कल्याणकारी है। यह भी सत्य है कि जनता को भी सक्रिय रूप से सरकार के प्रदर्शन को प्रशिक्षण करना होगा जैसा कि हमने मनरेगा के लेखा केस में देखा।

मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार - अधिनियम 2009

आपने स्वतंत्रता संग्राम एवं गोखले के बारे में पढ़ा है। गोखले ने 1911 में अंग्रेज शासन से मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए कानून बनाने की मांग की अंग्रेज शासन ने इसे नहीं माना। आजादी के बाद भी ऐसा कानून नहीं बना। आखिरकार 2002 में संसद ने शिक्षा को मूलाधिकार माना। संविधान का 86 वां संशोधन शिक्षा को मूलाधिकार मानता है एवं 2002 में पास किया गया था। 86वां संशोधन के अनुसार राज्य 6 से 14 साल के हर बच्चे को मुफ्त

एवं अनिवार्य शिक्षा मुहैया करवाएगी। यह कानून आखिरकार 2009 में पास हुआ एवं मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का बालाधिकार 2009 के नाम से जाना जाता है।

आरटीआई हर बच्चे के शिक्षा के अधिकार को घोषित करता है एवं राज्यों को पर्याप्त विद्यालयों के बनाए जाने प्रशिक्षित शिक्षकों के नियुक्ति एवं

बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम-2009

आरटीई विधेयक का उद्देश्य है 6-14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाना। 1 अप्रैल 2010 से अमल में आया है।

महत्वपूर्ण अनुबंध आरटीआई अधिनियम के

- उनके घर के पास स्कूल उपलब्ध है या नहीं सुनिश्चित करे।
- विद्यालयी संरचना की उपलब्धता की वृद्धि।
- उम्र के अनुकूल कक्षा में उनका नामांकन हो।
- बच्चों को यह अधिकार है कि वे विशिष्ट प्रशिक्षण पाएं और अन्य बच्चों के बराबर आएं।
- विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए अनुकूल सुविधा प्रदान की जाए।
- बच्चों के नामांकन हेतु टेस्ट नहीं लिए जाएंगे किसी भी तरह का शुल्क, खर्च आदि भी नहीं भरे जिसकी वजह से उनकी आगे की पढ़ाई प्रभावित हो।
- विद्यालय से नाम नहीं काटे जाए और एक ही कक्षा में उन्हें बार-बार न रखा जाए।
- किसी भी कक्षा में उन्हें रोका नहीं जाएगा न ही विद्यालय से तब तक निकाला जाएगा जब तक वे अपनी बुनियादी शिक्षा खत्म न कर ले।
- किसी बच्चे को शारीरिक दंड एवं मानसिक उत्पीड़न नहीं दिया जाएगा।
- समय पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र या अन्य प्रमाण नहीं उपलब्ध हो तो नामांकन नहीं रोके जाएंगे।
- योग्य उम्मीदवारों को ही शिक्षक के तौर पर नियुक्त किया जाए।
- शिक्षण, सीखने की प्रक्रिया एवं मूल्यांकन प्रक्रियाएं उचित उपलब्धियों को पाने की उचित क्षमता को विकसित करेगी।
- बुनियादी शिक्षा जब तक खत्म नहीं हो तब तक बोर्ड की परीक्षा नहीं लिए जाए।
- बुनियादी शिक्षा के समापन हेतु बच्चे 14 साल की उम्र को बाद भी स्कूल में शिक्षा जारी रख सकते हैं।
- पिछड़े वर्गों के बच्चों के प्रति कोई भेद-भाव नहीं किया जाएगा।
- पाठ्यचर्या एवं मूल्यांकन प्रक्रियाएं संविधान में स्थापित मूल्यों के प्रमाणीकरण पर होगी एवं बच्चों को भयमुक्त बनाएंगी जो बच्चों को भयमुक्त हो व्यक्त करने देगी।

जरूरी प्रावधानों के प्रति निर्देश प्रदान करता है एवं बच्चों के पूर्ण रूप से विकास हेतु खोज, जांच पड़ताल व बाल सुलभ तरीकों के इस्तेमाल के निर्देश जारी करता है। इसके अनुसार बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा एवं उनसे डर दूर किया जाएगा जिससे वे अपने भावनाओं को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त कर सकें।

अगर आस-पास में विद्यालय उपलब्ध नहीं हो और विद्यालय में पढ़ाने के लिए शिक्षकों की उचित संख्या नहीं हो तो शिक्षण एवं सीखने के साधन भी संतोषप्रद नहीं हैं। बच्चे भी आतंकित किए जाते हैं और अध्ययन के लिए अनुचित दबाव हो तो बच्चे प्रबंधन के खिलाफ न्यायालय में शिकायत कर सकते हैं।

- क्या आप यह सोचते हैं कि आपका विद्यालय इन सिद्धांतों, नियमों के अनुरूप करता है?
- यह ज्ञात करने की कोशिश कीजिए कि जरूरत पड़ने पर आप विद्यालय की गतिविधि के बारे में कहाँ शिकायत कर सकते हैं ?

मुख्य शब्द

1. मानवाधिकार
2. आर.टी.आई.
3. आर.टी.ई.
4. स्वतंत्रता

सीखने में सुधार

- 1) अशुद्ध कथन को शुद्ध कीजिए :
 - a) सरकार के कल्याणकारी योजनाओं का विश्लेषण होना चाहिए।
 - b) जनता को सिर्फ चुने हुए प्रतिनिधियों को ही योजनाओं के लागूकरण की जानकारी को संचालित करने देना चाहिए।
 - c) सूचनाधिकारी जानकारी को अनिश्चित काल तक अपने पास रख सकते हैं।
 - d) अलग-अलग दस्तावेजों से यह पता किया जा सकता है कि योजनाएँ सुचारू रूप से लागू की गई हैं।
- 2) 'भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए सूचना की जरूरत' शीर्षक को पढ़कर उत्तर दीजिए।
किसी भी सरकारी योजना का अवलोकन कीजिए एवं उसके लागूकरण पर रिपोर्ट बनाए।
- 3) सूचना के अधिकार से जुड़े कुछ सफल गाथाओं को एकत्रित करें एवं कक्षा में सुनाए।
- 4) शिक्षा का अधिकार बच्चों के लिए वरदान है। व्याख्या कीजिए।
- 5) क्या आप को अन्य अधिकारों की आवश्यकता है? क्यों?
- 6) सूचना के अधिकार अधिनियम के आधार पर आप अपने प्रधान अध्यापक से कौन सी सूचना लेना चाहेंगे?
- 7) आप किस प्रकार कह सकते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम भ्रष्टाचार का सामना करने में हमारी सहायता करेंगे।

चर्चा :

हाल ही में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा भ्रष्ट अफसरों पर छापा मारे गए समाचार पत्रों के कतरन को एकत्र कर कक्षा में चर्चा कीजिए।

सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन

सामाजिक सुधार के साधनों के माध्यम से भारतीय कट्टरपंथियों को सही करने इतिहास भर में उनके बोधगम्य दुनिया का अध्ययन करने के लिए किया गया है। वे भारत आए और उन्हें अपने सांस्कृतिक श्रृंगार और समाज की स्थापना की हिस्सा बना दिया जो विभिन्न विचारों और व्यवहारों से ज्ञान के नए रूपों को आत्मसात करने के लिए जारी है।


क्या आप सातवीं कक्षा में पढ़े हुए भक्ति आंदोलन को याद कर सकते हैं आप को याद होगा कि भक्ति आंदोलन के संतों ने हिन्दू और मुस्लिम धर्म में जो रूढ़िवादिता थी उसकी आलोचना की थी और साथ में ही कट्टरपंती और एकेश्वरवाद मानवों में एकता की बात की थी। ये विचार 18वीं और 19वीं शताब्दी में और मजबूत हो गए।

ईसाई मिशनरियाँ और पूर्वी विद्वान

भारत में कई ईसाई मिशनरियाँ आईं जिन्होंने यहाँ अपना धर्म स्थापित किया। उन्होंने भारतीय धर्मों की आलोचना की और जनता को ईसाई धर्म अपनाने की सीख दी। इसी समय में उन्होंने कई शिक्षा संस्थाएँ, अस्पताल और गरीबों की सहायता करनेवाली संस्थाएँ स्थापित कीं। इस प्रकार की सहायता ने लोगों में नए विचारों को फैलाया।

बहुत ही जल्द हिन्दू और मुस्लिम धर्म के नेताओं ने अपने धर्मों को बचाने के लिये कार्य शुरू किये। इस प्रकार की विभिन्न धर्म सभाओं ने जनता को धर्म की गहराइयों को समझने का मौका दिया। ऐसी बहस लोगों को एक दूसरे के विचारों को समझने के लिए न केवल मदद की बल्कि उनके खुद के धर्म के मूल और बुनियादी सिद्धांतों में

पूछताछ करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। कुछ यूरोपियन व्यापारियों ने भारत का प्राचीन साहित्य पढ़ा और उसे अनुवादित करके उसे पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। (जब तक कि पूर्वी देशों की पुस्तकों को पढ़ते, और उनसे प्रभावित होते इसलिए उन्हें 'प्राच्यविद' की संज्ञा दी गई है।



विलियम जोन्स



मैक्स मुलर

विलियम जोन्स, मैक्स मुलर प्राच्य विद्या विशारद थे, जिन्होंने संस्कृत कृतियों का अंग्रेजी में अनुवाद किया है।

संस्कृत, तमिल, तेलुगु, पर्शियन और अरबि पुस्तकें यूरोपियन भाषाओं में अनुवादित हुईं, जिससे भारत का भव्य और विशाल सांस्कृतिक इतिहास विश्व के समक्ष आया। इन नये विचारों से मदद से लोगों ने अपने धर्म की बेहतर ढंग से पुनः व्याख्या की।

यूरोपियनों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। जिसने यहाँ कई समाचारपत्रों और पत्रिकाओं को प्रकाशित होने का मौका दिया। कई भारतीय भाषाओं में पुस्तकें प्रकाशित हुईं। जिसे कम से कम दामों में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाया जाने लगा। अब लोग इस समाचारपत्रों, पत्रिकाओं और पुस्तकों के माध्यम से सभायें और चर्चाएँ करने लगे।

ब्रह्मसमाज और बंगाल के धार्मिक आंदोलन

राजा राममोहन राय का 1972 में बंगाल में जन्म हुआ। वह संस्कृत, पर्शिया, अंग्रेजी, अरबी, लेटिन और ग्रीक भाषा के अच्छे जानकार थे।

उन्होंने हिन्दु, इस्लाम, इसाई और सुफीयत के तापज्ञान का अभ्यास किया। विभिन्न धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने के बाद उन्हें विश्वास हुआ की ईश्वर एक है और मूर्तिपूजा अर्थहीन है। उनका मानना था कि सभी महान धर्मों के सिद्धांत एक है। इसलिए उन्हें अलग-अलग मान कर उनकी आलोचना करना गलत है। उनका मानना था कि धर्म लोगों की सहायता के लिये बनाया गया है। वह धर्मगुरुओं की सत्ता को अमान्य समझते थे और लोगों को उपदेश देते थे कि वह स्वयं धर्म पुस्तकों का अध्ययन करे। उन्होंने अपने विचार पत्रिका और पुस्तकों के द्वारा लोगों तक पहुँचा कर नयी तकनीकी और छपाकर उसका उपयोग किया।

1828 में राम मोहन राय ने ब्रह्मसमाज की स्थापना की जो कि एक सभा जहाँ एक सार्वभौमिक धर्म में विश्वास और एक परमात्मा के प्राचार्य पर आधारित थी। 1833 में राजा राममोहन राय की मृत्यु के बाद देवेन्द्रनाथ टागोर और केशवचंद्र सेन ने ब्रह्मसमाज को संभाला। भारत के विभिन्न भागों में अपने भाषणों द्वारा विचारों को लोकप्रिय बनाया।

केशवसेन की महाराष्ट्र यात्रा सन् 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की नींव का कारण बनी। ब्रह्मसमाज के सिद्धांतों को लेकर आर.जी. भंडारकर और एम.जी. रानडे के भी समान विचार थे।



राजा राममोहन राय

दक्षिण भारत के कन्दुकुरी विरेशलिंगम पर भी इसका प्रभाव पड़ा। दक्षिण भारत में ब्रह्मसमाज की स्थापना विरेशलिंगम ने की। उन्होंने अपने सभी प्रयास एवं ऊर्जा द्वारा विधवा पुनर्विवाह और बालविवाह जैसे मुद्दों का उन्मुलन करने में ध्यान केंद्रित किया। उन दिनों महिला शिक्षा पर जो पाबंदी थी उसके ये घोर विरोधी थे।



कन्दुकुरी विरेशलिंगम



रामकृष्ण

ब्रह्मसमाज के सदस्यों में मतभेद होने के कारण ये संस्था के कई टुकड़े हो गये और वह लोग अंदर ही अंदर आपसी मत भेद करने लगे।

केशव सेन रामकृष्ण परमहंस से प्रभावित होकर उनके शिष्य बने जो काली माता के उपासक थे।

स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण के परमभक्त थे और उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उन्होंने ये संस्था को दो उद्देश्यों से स्थापित किया था- हिन्दु धर्म को फिर से स्थापित किया और राष्ट्र की उन्नति के लिये समाज सेवा में व्यस्त रहना।



स्वामी विवेकानंद

उनका मानना था कि हिन्दु धर्म अन्य धर्मों से महान है। उन्होंने उपनिषद के अध्ययन पर जोर दिया और उसे अनुवादित करके उसको बड़ी संख्या

में प्रकाशित किया। उन्होंने हिन्दु धर्मियों को रूढ़िवादिता और अंधविश्वास से बाहर निकलने का आदेश दिया और उन्हें पाश्चात्य संस्कृति के सकारात्मक पहलु को अपनाने की बात कही जैसे की स्वतंत्रता, स्त्रीओं का सम्मान, कार्यकुशलता, तकनीकी आदि। उन्होंने ऐसी संस्था स्थापित की जिसने अस्पतालों, शालाओं, अनाथाश्रम और प्राकृतिक आपदाओं के समय राहतकार्य कर सके।

- क्या आप सोचते हैं कि पूर्वी सुधार आंदोलन पर यूरोपियन संस्कृति और इसाई धर्म का प्रभाव था ?
- नये विचारों को फैलाने में मुद्रण ने अपनी क्या भूमिका निभायी ?

पंजाब में आर्यसमाज

स्वामी दयानंद सरस्वती (1824-1883) एक समाज सुधारक थे जिन्होंने रूढ़िवादी हिन्दु परंपराओं का विरोध किया और संन्यास धारण किया।

उन्होंने वेदों का अभ्यास किया और उन्होंने हिन्दु धर्म के मूल सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, साथ ही हिन्दु धर्म के बहुदेववाद, मूर्ति और मंदिर का तथा ब्राह्मणों के आडंबरों को मानने से इंकार कर दिया।

उन्होंने एकेश्वरवाद और वेदों के मंत्रों में विश्वास किया। उन्होंने अन्य धर्मों की समर्थता को नकार दिया और जो हिन्दु धर्म छोड़कर अन्य धर्मों का स्वीकार करने लगे हैं वैसे हिन्दुओं को वेदों की



स्वामी दयानंद
सरस्वती

तरफ वापिस खींचने के लिये उन्होंने प्रयास किये। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की और सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। यह पुस्तक अधिक संख्या में छापी गई और बहुसंख्यक लोग इस पढ़े।

उनकी मृत्यु के बाद 1883 में उनके अनुयायीओं ने पंजाब में दयानंद एंग्लो वैदिक (DAV) पाठशाला स्थापित की जो विद्यार्थियों को आधुनिक विषयों की शिक्षा देगी और साथ ही उन्हें उनके धर्म और संस्कृति के बारे में जानकारी देगी। कुछ साल बाद आर्य समाज के आंदोलन में कुछ भिन्नता आयी। कुछ लोगों का मानना था कि वो वैदिक धर्म की शिक्षा पर ध्यान दें ना कि आधुनिक विषयों पर, उन्होंने गुरुकुल कांगरी युनिवर्सिटी हरिद्वार में स्थापित की।

- राममोहन राय, विवेकानंद और दयानंद के धार्मिक विचारों का मूल्यांकन कीजिये और जिसमें से उनकी समानता और भिन्नता बताइये।
- यदि आपको डी.ए.वी. पाठशाला, गुरुकुल या सरकारी पाठशाला के मध्य भर्ती का चयन करना है तो आप किसका चयन करेंगे और क्यों ?

मुस्लिमों में सुधार और शिक्षा

सिर्फ हिन्दु ही नहीं मुस्लिम जनता भी अपने धर्म की रूढ़िवादिता का विशेष कर रही थी। 1857 के विद्रोह कुचले जाने पर मुस्लिम और ब्रिटिश के बीच हुआ ज्यादातर मुस्लिम मौलवी अंग्रेजी शिक्षा का विरोध करते थे उनका मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा आधुनिक विज्ञान और तत्वज्ञान इस्लामी ।

कई मुस्लिमों में सर सैयद अहमद खान ने (1817-1898) ये माना कि मुस्लिमों और अंग्रेजों के बीच की घृणा का अंत हो जाये। मुस्लिमों की विकास के लिये जरूरी है कि वे सरकार के भाग ले और सरकारी नौकरियों में अपने हिस्सा लें।

ये सिर्फ आधुनिक शिक्षा से ही हो सकता था। उन्होंने मुस्लिम समाज को आधुनिक बनाने की कोशिश की और अपने विचारों को पत्रिका के माध्यम से फैलाया।



सर सैयद अहमद खान

मुस्लिमों में आधुनिक शिक्षा और सामाजिक सुधार करने के लिये उन्होंने अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया। वे स्त्री शिक्षा के हिमायती थे और परदा के विरोधी थे। वे चाहते थे कि इस्लाम का विश्लेषण हो और वे आधुनिक विज्ञान तथा तापज्ञान और इस्लाम के बीच एक कड़ी बने। 1864 में सर सैयद ने वैज्ञानिक समाज दाखिल किया जो कई वैज्ञानिक कार्यों का उर्दू में अनुवाद करके उसे प्रकाशित करते थे। उनकी सबसे बड़ी सफलता थी कि उन्होंने 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मद ऐंग्लो ओरियेन्टल (MAO) कॉलेज स्थापित किया। ये अंग्रेजी और विज्ञान की शिक्षा देते थे परंतु इस्लामिक वातावरण में। भारतीय मुस्लिमों के लिये ये शिक्षा संस्था सबसे महत्वपूर्ण बन गयी। बाद में उसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में विकसित किया गया। DAV, MAO संस्थाओं से आधुनिक परिस्थितियों के अनुसार अपने धर्म के अनुसार ज्ञान व सुधार कर समाज को आधुनिक बनाया गया।

- आपने ये देखा होगा कि प्राचीन धार्मिक पुस्तकों को पुनः लिखा गया। उदाहरण स्वरूप अधिकतर समाज सुधारकों एवं उनके कार्य को देखिये।
- आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि 1857 के विद्रोह के बाद मुस्लिमों और अंग्रेजों के बीच कड़वाहट आ गई।
- क्या आप डी.ए.वी पाठशाला और एम.ए.ओ. कॉलेज के बीच असमानता देखते हैं?
- क्या आपने उपर्युक्त समाज सुधारक जिन्होंने भक्ति आंदोलन में भाग नहीं लिया है उनके धार्मिक विचारों की खोज कीजिए।

सामाजिक सुधार और स्त्री

आजकल मध्यम वर्ग की कन्याएँ शालाओं में लड़कों के साथ पढती हैं। बड़े होने के बाद उनमें से कई कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाती हैं और नौकरियाँ करती हैं। आदमियों की तरह महिलाएँ भी विभिन्न प्रकार व्यवसाय कर सकती हैं। वे दूर की जगह में जाकर अपना कार्य कर सकती हैं।

कानून के अनुसार वे बालिक होने के बाद वे चाहे उस जाति या धर्म के आदमी से शादी कर सकती है या कुंवारी रह सकती है और विधवाएँ भी फिर से शादी कर सकती हैं। सभी महिलाएँ, सभी आदमियों की तरह मत दे सकती हैं और चुनावों में खड़ी भी रह सकती हैं और प्रजाजीवन में भाग ले सकती हैं।

दो हजार साल पहले चीजें अलग थी। ज्यादातर पाँच या छः साल की उम्र में बच्चे शादी कर लेते थे। हिन्दु और मुस्लिम आदमी एक से अधिक औरतों से शादी कर सकते थे। देश के कुछ भागों में उच्च वर्ग

की महिलाएँ अपने पति की मृत्यु के बाद उनके शव के साथ जलाई जाती थी। जिसे सती कहा जाता था। विधवाएँ जो सभी नहीं बनती थीं उनकी दशा दयनीय होती थी। क्योंकि लोग समझते थे कि वे अशुभ मानी जाती थी और असुरक्षित थी। उन्हें सफेद साड़ी पहननी पड़ती थी और मुंडन करवाना पड़ता था तथा किसी भी अच्छे मौकों पर उन्हें नहीं बुलाया जाता था। मिलकत में स्त्री को अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि ज्यादातर महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी। देश के कई भागों में ये माना जाता था कि अगर महिलाएँ पढी-लिखी हैं, तो वे अपने पति के और ससुराल के बस में नहीं रहती।

परंतु ऐसा हर जाति में नहीं था। कुछ रिवाज उच्च जाति में समान थे जबकि मजदूर वर्ग और पिछड़ी हुई जातियों में वो अलग थे।

शादी की न्यूनतम उम्र:-

1846 में कानून के तहत लड़की की शादी की उम्र 10 साल कम की नहीं मानी जाती थी। 1891 में उम्र बढ़ाकर 12 साल कर दी गई। 1829 में शारदा कानून से शादी की कम से कम उम्र 14 साल मानी गई। 1978 में लड़की के लिये उम्र को 18 साल और लड़के के लिये 21 साल रखी गई।

समाज सुधारक राममोहन राँय ने घरेलु कामों में महिलाओं पर अत्याचार, घर की चार दिवारी और बच्चे संभालना, और बाहर जाकर शिक्षा प्राप्त करने की मनाई पर लिखा था। उन्होंने सभी प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया था और विधवाओं की स्थिति का विरोध करते हुए प्राचीन ग्रंथों में उनकी इस अवस्था के लिये कोई नियम नहीं है - ये जताया। 19 वीं शताब्दी के आरंभ में कई ब्रिटिश

अधिकारियों ने भी भारतीय परंपराओं और रीति-रिवाजों की निंदा की। उन्होंने राममोहन की बिनतीयाँ सुनी और 1829 को सती प्रथा को प्रतिबंधित किया। दूसरे बंगाल के सुधारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने एक विधवा से विवाह किया, जो की बाल विधवा थी। 1855 में विधवा पुर्नविवाह के लिये एक कानून पारित किया गया। विद्यासागर ने बाल विवाह का विरोध किया, जहाँ आदमी छोटी लड़कियों से शादी करते थे। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिये आंदोलन चलाया और उनके लिये कन्या शालाएँ स्थापित की।

1856 में कलकत्ता में हुए प्रथम विधवा पुर्नविवाह के प्रेक्षक ने उसका वर्णन कुछ इस प्रकार किया है।

“मैं वह दिन कभी नहीं भूल सकता। जब विद्यासागर अपने मित्रों के साथ, वधु के साथ..... देखनेवाले बड़ी संख्या में थे वहाँ पर एक इंच जगह नहीं थी..... शादी हो जाने के बाद सब के लिये ये ही चर्चा का विषय था - बाजारों में, दुकानों में, गली-मोहल्लों में, विद्यार्थीओं में, चित्रशालाओं में और दूर-दूर के गाँवों में और घरों में तथा महिलाओं की चर्चा में भी यही विषय बात का कारण था।”

विधवा पुर्नविवाह के पक्षी और विरोधियों के बीच की बातचीत लिखिये?

- आप क्या सोचते हैं कि सामाजिक सुधार के लिये सरकारी कानून पारित करना आवश्यक है ?

निजाम के स्वतंत्र उपनिवेशों में सुधारवादी आन्दोलन

ब्रिटिश परम सत्ता के अन्तर्गत शाही राज्य के दर्जे में रहने के बावजूद निजाम के स्वतंत्र उपनिवेश उस समय देश में चल रहे सुधारवादी आन्दोलनों द्वारा प्रभावित हुए। मोहिब हुसैन जैसे समाज

सुधारक ने नारी मुद्दों पर मुस्लीम-ए-नीस्वान नाम की पत्रिका निकाली। उन्होंने स्त्री शिक्षा एवं परम्परा के विरुद्ध खड़े होकर उसका घोर समर्थन किया। वे परदा प्रथा के लिए चिन्तित थे जो पहले शाही घरानों तक सीमित थी परन्तु बाद में छोटी मुस्लिम जातियों में फैल गई। उनके दोहे इस परम्परा के समीक्षात्मक एवं सुधारवादी जोश से परिपूर्ण थे।

“हमारा देश अधिक अनुदारवादी एवं स्वभाव से कठोर है। वे प्राचीन प्रथा और आदतों से चिपक जाते हैं।” उन्होंने सूफी परम्परा की एकता का समर्थन किया।

“ओ मोहिब, वे लोग हैं जो हिन्दु-मुसलमान में अनबन लाने का कार्य करते हैं। वे जहरीले साँप से भी अधिक खतरनाक हैं।”

उपर्युक्त वर्णनों में आपने ध्यान दिया होगा कि अधिकतर महिलाओं के लिये लड़ाई लड़ने वाले पुरुष थे। क्योंकि उस समय कम महिलाएँ शिक्षित थी और वह इस स्थिति में नहीं थी कि वह सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग ले सके। अब हम कुछ महत्वपूर्ण, साहसी महिलाओं के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने ऐसी स्थितियों में भी स्त्रियों के अधिकारों के लिए लड़ा।

महिला सुधारक

सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले (1831-1897)

महाराष्ट्र में महिलाओं के अधिकारों के लिये सावित्रीबाई फुले ने अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

जब ज्योतिबा फुले ने 1848 में ‘पिछड़ी’ हुई जातियों की कन्याओं के लिये शाला स्थापित की तब उन्होंने सावित्रीबाई को प्रथम महिला शिक्षक के रूप में तैयार किया।



सावित्रीबाई फूले

सावित्रीबाई ने पिछड़ी जातियों की कन्याओं को पढ़ाना शुरू किया। ज्योतिबा फूले की मृत्यु के बाद सत्य शोधक समाज की सारी जिम्मेदारी सावित्रीबाई ने उठाई। वो अपने अनुयायियों को मार्गदर्शन देती थी। वो जब गरीब बच्चों के लिये शिविर आयोजित करती थी तब वह मन लगाकर कार्य करती थी। वह हर रोज दो हजार बच्चों का पालन करती थी।

आप की तरह क्या महिलाओं का जीवन उसे भी प्रिय नहीं होगा? स्त्री का पति मरते ही - उसके लिए क्या रखा है - आपकी आँखों को ठंडक पहुँचाने के लिए एक नाई आएगा और उसका सिर मूँद देगा। सुहागन स्त्रियों की भ्राँति क्या उसे शादी-ब्याह, पूजा-पाठ, दावतों में जाने की पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाएगा। यह प्रतिबन्ध क्यों? क्यों कि उसका पति मर गया है यह उसका दुर्भाग्य है, उसके भाग्य में यही लिखा था। उसका चेहरा देखने योग्य नहीं है, वह अपशकुनी है।

- तारा बाई शिन्दे, स्त्री पुरुष तुलना 1882 (तारा बाई, सावित्री बाई फुले की सहयोगी थी)

पंडिता रमाबाई सरस्वती (1858-1922)

रमाबाई का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता ने उन्हें संस्कृत साहित्य की शिक्षा दी क्योंकि वह रुढ़िवादी विचारों का सामना कर पाये। उनके पिता की मृत्यु के बाद रमाबाई और उनका भाई



पंडिता रमाबाई सरस्वती

के साथ बंगाल में कोलकता के साथ-साथ पूरे भारत में घूमते रहे। उन्हें उनकी शिक्षा के कारण पंडिता के नाम से जाना गया।

“पुरुष स्त्रियों के साथ जानवर जैसा व्यवहार करते हैं। जब हम हमारी स्थिति को सुधारने का प्रयास करते हैं तब हम पुरुष के विरुद्ध हो जाते हैं। और ये पाप है, यहाँ तक सबसे बड़ा पाप ये है कि हम उनका विरोध कर रहे हैं। हमें विरोध नहीं करना चाहिये।” - रमाबाई सरस्वती

रमाबाई ने अपनी पूरी जिंदगी महिलाओं और विधवा की सहायता करने में बिताई। उन्होंने इंग्लैंड और अमेरिका की यात्रा की और वहाँ महिला संस्थाओं के बारे में जाना। भारत वापिस आकर उन्होंने एक आश्रम स्थापित किया और विधवाओं की शिक्षा के लिये मुम्बई में शारदा सदन पाठशाला की स्थापना की। यहाँ उन्हें विशेष प्रकार की शिक्षा दी जाती थी जिसमें व्यवसाय संबंधी शिक्षा देकर उन्हें आर्थिक रूप से स्वायत्त बनाया जाता था। जरूरत मंदों को अनाथों और विधवाओं को ये आश्रम घर, शिक्षा, व्यवसायी तालिम और स्वास्थ्य संबंधी सेवाएँ देता था। उनका मानना था कि महिलाएँ सब कुछ इसलिये सहन करती हैं क्योंकि वे पुरुषों पर निर्भर होती हैं। पुरुषों को ये अधिकार नहीं हैं कि वे उन्हें अपने पर निर्भर रखें।

मुस्लिम महिलाओं में शिक्षा:-

20वीं शताब्दी में मुस्लिम महिलाओं में भोपाल की बेगम ने स्त्री-शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। पटना और कोलकता में बेगम रुकैया शेखावत हुसैन ने मुस्लिम कन्याओं के लिए पाठशाला शुरू की। रूढ़ीवादी धार्मिक नेताओं के साथ वह नीड़रता से रूढ़ीवादी विचारों की आलोचना करती थी।

इस प्रकार की सामाजिक सुधारणा से ये परिणाम निकला कि कन्याओं के लिए शालाएँ और

कॉलेजों की स्थापना हुई और उनमें से कई लड़कियाँ डॉक्टर और शिक्षक बनीं। फिर भी कई लोग ऐसे थे जो स्त्री-शिक्षा के विरुद्ध थे। उनका मानना था कि अगर लड़कियाँ शिक्षित हो गईं तो वह उनके पति के नियंत्रण में नहीं रहेगी और घर की जिम्मेदारी भी नहीं निभा पायेंगी। जो माता-पिता अपनी बेटियों को शिक्षा लेने भेजते थे, वह समाज द्वारा तिरस्कृत होते थे। पर फिर भी कई परिवारों ने सामाजिक सुधार को अपनाया और धीरे-धीरे लड़कियाँ पाठशाला और कॉलेजों में आने लगीं।

- क्या आप को लगता है आज लड़कियों की शिक्षा के लिए समान महत्व दिया जा रहा है या लड़कियाँ अभी भी भेदभाव का सामना कर रही हैं ?
- कौन-सी समस्याएँ लड़कियाँ पढ़ते समय उठाती हैं और लड़के नहीं उठाते ?
- किस हद तक विधवाओं के प्रतिव्यवहार बदल गया है ?
- क्या आज भी दलित और मुस्लिम वर्ग की कन्याएँ शिक्षा लेने में समस्याओं का सामना करती हैं ?

समाज सुधार और जातिप्रथा:-

इससे पहले आपने जाति भेदभाव के बारे में पढ़ा है। उच्च वर्ग के लोग जैसे कि ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग मजदूर वर्ग और निम्न वर्ग के समाज को शूद्र कहते थे और उन्हें छूना भी पाप मानते थे। उन्हें मंदिरों में जाना मना था, उच्च वर्ग के लोगों के लिये रखे गये कुएँ में से पानी निकालना मना था, पढ़ना, लिखना और शिक्षा प्राप्त करना भी मना था। वह सिर्फ उच्च वर्ग की सेवा के लिये बने हैं - ऐसा ही उनके साथ व्यवहार किया जाता था। कुछ शासक भी ऐसे थे जो उनके राज्य में इस प्रकार की जातिप्रथा का पालन न करने वालों को सज़ा देते थे।

भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद इस स्थिति में सुधार आना शुरू हुआ। ब्रिटिश अदालत ने सबके लिये समान कानून बनाया। इसाई मिशनरी और सरकारी शालाएँ सभी बच्चों को उनकी जाति के बिना ही प्रवेश देते थे। ये मिशनरी निम्न वर्ग के बच्चों को शिक्षा देते थे जिन्हें पहले शिक्षा लेना ही मना था। सरकारी सेवाओं में खास कर के सेना में सबी के लिये दरवाजे खोल दिये गए। कई लोग नये शहरों में जाकर रोजीरोटी ढूँढने निकल पड़े। ये सभी परिवर्तन निम्न जातियों में बदलाव लाने के लिए हुए। चलिये देखते हैं कि ये बदलाव कैसे हुआ। जिन्होंने समानता के लिये और जातिप्रथा पर निषेध के लिये ये आंदोलन किया।


कक्षाकक्ष में जगह नहीं:-

मुम्बई प्रेसिडेन्सी, 1829 में कहा गया कि कुछ लोग अछूत हैं और जो सरकारी शालाओं में भी नहीं जा पायेंगे। जिनमें से कुछ लोगों ने अपने अधिकारों के लिये आवाज़ उठाई सो उन्हें वर्ग के बाहर बरामदे में बिठाते थे और पाठ को सुनो जिससे वर्ग को प्रदूषित किये बिने पढ़ सकते हैं और जहाँ उच्च वर्ग के विद्यार्थी पढ़ते हैं।

1. कल्पना करो कि आप पाठशाला के बरामदे में बैठ कर पाठ को सुन रहे हो। आप के मस्तिष्क में किस प्रकार का प्रश्न उठेगा ?
2. कुछ लोग मानते थे कि ये स्थिति फिर भी बिलकुल अज्ञान से तो अच्छी ही थी। क्या आप इससे सहमत हैं ?

ज्योतिबा फूले (1827-1890) सत्यशोधक समाज

ज्योतिबा फूले का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था और वह इसाई मिशनरी में पढ़े थे।



ज्योतिबा फूले

ज्योतिबा के जीवन में परिवर्तन का केन्द्र बिंदु तब शुरू हुआ जब वह उनके ब्राह्मण मित्र की शादी में शामिल हुए और उनके परिवार द्वारा अपमानित हुए। बड़े होने के बाद उनके स्वयं के विचारों का विकास हुआ जो जातिय समाज के लिये थे और उन्होंने इस प्रकार के समाज के लिये ब्राह्मणों पर प्रहार किया क्योंकि वह दूसरों से उच्च बनना चाहते थे। उन्होंने शुद्र (मजदूर वर्ग) और अति शुद्र (अछूतों) लोगों को एक किया जिससे जाति प्रथा का विरोध कर सके।

ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना सत्य और समानता के आधार पर की थी। उन्होंने और उनकी पत्नी ने लड़कियों के लिये एक पाठशाला शुरू की थी जो महर और मांग जाति की लड़कियों के लिये की गई थी।


फूले ने काफी किताबें लिखी, जिसमें “गुलामगिरी” - जिसमें उन्होंने जातिप्रथा को गुलामी बताया था। फूले और सत्यशोधक समाज ने खास प्रकार की शालाएँ और कॉलेज और हॉस्टल में रहते हुए छात्रों के लिये कार्यक्रम किया था। जिसमें शिक्षकों को पछात जाति से बुलवाया गया था। उन्होंने निबंध स्पर्धा, चर्चा सभा और सार्वजनिक भाषण जैसी स्पर्धाओं का आयोजन किया था। ये सभी की वजह से छात्रों का विश्वास और आत्मसम्मान बढ़ गया। उन्होंने पिछड़ी हुई जाति के लोगों को शादी (विवाह), मृत्यु - औपचारिकता विधी के लिये बुलाया था और इन सबमें ब्राह्मण समाज की आवश्यकता नहीं बताई गई।

- क्या आप को लगता है कि यह सब मांगे आज भी जरूरी हैं ?
- आपके विचार में श्रीमान फूले ने पिछड़ी जाति के बच्चों को पढ़ाने के लिए 'पिछड़ी' जाति के अध्यापकों पर ही क्यों जोर दिया?

नारायण गुरु (1856-1928)

नारायण गुरु एक धार्मिक नेता थे। जिन्होंने एक जाति, एक ईश्वर और एक धर्म का नारा जगाया था।

उनके पिता एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। और बच्चों के लिये पाठशाला चलाते थे। जिसमें नारायण ने अपनी पढ़ाई की थी।



नारायण गुरु

नारायण गुरुने इजहावा को रीति-रिवाज जैसे की दारु बनाना, देवी की पूजा और जानवरों को मारने जैसे आदि छोड़ देने के लिये कहा। उन्होंने कई मंदिर बनवाये, जिसमें जातिवाद को प्रवेश करने नहीं दिया, और काफी सामान्य रीति-रिवाज को मंजूरी दी गई, जिसमें ग्रामीण-पंडित को भी शामिल नहीं किया गया। उन्होंने ये भी बताया की शालाएँ स्थापित करना मंदिर बनाने से ज्यादा जरूरी है। बहुत ही जल्द उनके अनुयायीओं की संख्या बढ़ने लगी जो कि अलग-अलग जाति के थे। और उनकी धार्मिकता और शिष्यवृत्ति से प्रभावित हुए थे। नारायण गुरु ने जाति-प्रथा का उग्र विरोध किया और सभी तरह की जाति-प्रथा का अंत किया।

- ज्योतिबा फूले और नारायण गुरु के प्रयत्नों की तुलना कीजिए। आपको उनमें क्या समानता और असमानता दिखाई पड़ती है?

डॉ.बी.आर. अम्बेडकर (1891-1956)

अम्बेडकर का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता जो सेना में थे, बच्चों को पाठशाला में

जाने के लिये प्रोत्साहित करते थे।

जब वह छोटे थे तब से वह जाति-प्रथा के आक्रमण को हररोज के जीवन में अनुभव करते थे। स्कूल में अम्बेडकर और दूसरे पिछड़ी जाति



डॉ.बी.आर. अम्बेडकर

के बच्चों को अलग बिठाया जाता और शिक्षक उनमें कम ध्यान देते थे। उनको कक्षा में बैठने की मंजूरी नहीं थी। यहाँ तक की उनको अगर पानी पिना होता थी तो ऊँची जाति का कोई छात्र ऊपर से पानी पिलाता था ताकि उनको पानी के बर्तन को छूना नहीं पड़ता था। सामाजिक और आर्थिक परेशानियों से प्रोत्साहित हुए अम्बेडकर पहले दलित थे जिन्होंने कॉलेज की पढ़ाई की।

वह इंग्लैण्ड और अमेरिका उच्च शिक्षा के लिए गए। भारत आने के बाद उन्होंने वकिल और अध्यापक के रूप में कार्य किया। 1927 में उन्होंने सार्वजनिक आंदोलन दलितों के लिये शुरू किया, जिसमें दलितों के अधिकार जैसे कि सार्वजनिक जल स्रोतों का उपयोग, मंदिर में प्रवेश। उनके ऐसे प्रयत्नों के कारण 1932 में सरकार ने भारत के राजनैतिक भविष्य पर चर्चा करने के लिये आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि संविधान में दलितों के लिये दलित वर्ग ही मत देगा। इस बात को ब्रिटिश सरकार ने भी मान्य किया परंतु गाँधीजी ने इसका विरोध किया। अंत में एक करार किया गया जिसके अनुसार कुछ बैठके दलितों के लिये आरक्षित रखी जायेगी।

उन्होंने दलितों के लिये एक स्वतंत्र मजदूर संघ की स्थापना की।

1932 में गांधीजी ने छूत-अछूत के विरुद्ध आंदोलन किया। उन्होंने अछूत लोगों को 'हरिजन' या 'भगवान के जन' नाम दिया। वह चाहते थे कि उन्हें एक समझ कर मंदिरों में प्रवेश, जल स्रोतों का उपयोग और शालाओं में समानता मिले। कांग्रेस ने इस कार्यक्रम को बढ़ाया और राष्ट्रीय आंदोलन में लाखों दलितों की सहायता ली।

1947 में स्वतंत्रता के बाद अम्बेडकर को राष्ट्र के प्रथम कानून मंत्री के रूप में आमंत्रित किया गया। संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष अम्बेडकर बनाये गये, जिन्होंने भारत का प्रथम नया संविधान बनाया। अम्बेडकर ने संविधान में नागरिकों को सुरक्षा प्रदान की, धार्मिक स्वतंत्रता दी, अछूतप्रथा का नाश किया।

अम्बेडकर ने महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के लिये दलितों की। साथ-साथ उन्होंने संसद में आरक्षण की नयी नीति जो दलित वर्गों को नौकरियों में, शालाओं और कॉलेजों में प्रवेश के लिये थी वो भी पारित करवाई। उनकी मृत्यु तक उन्हें ये अहसास हुआ की दलित वर्ग हिन्दु धर्म में रह कर एक गर्वपूर्ण जीवन नहीं जी सकते, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वे लोग समान स्तर पाने के लिये बौद्ध धर्म का स्वीकार करले।

- गांधीजी और अम्बेडकर का दलितों के प्रति दृष्टिकोण में समानता और भिन्नता क्या है?
- आप मानते है कि आज दलितों को समान रूप से मंदिरों में प्रवेश, जल स्रोत का उपयोग और पाठशालाओं में प्रवेश दिया जा रहा है ? आज भी वे किन-किन समस्याओं का सामना कर रहे है ?

भाग्यरेड्डी वर्मा (1888-1939)

तेलंगाना के दलित नेताओं को भाग्यरेड्डी वर्मा। जिन का मूल नाम माडेरी बागय्या था। दलितों के अधिकारों के लिये अथक परिश्रम किया जो दलितों को उनकी दुर्दशा से अवगत कराकर उन्हें उनके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया।



भाग्यरेड्डी वर्मा

दलित नेता यह मानते थे कि जो जमीन ऊँची जाति के लोगों ने अपने कब्जे में रखी है वह सही में दलितों की है। यही वजह से उन्होंने दलितों को "आदि हिंदु" का नाम दिया। 1906 में भाग्य रेड्डी ने दलितों में जागृति लाने के लिये लोक कला की सहायता से "जगनमित्र मंडली" की स्थापना की। उन लोगों ने पाठशालाएँ प्रारंभ की और निजाम को दलितों की शिक्षा के लिए विशेष प्रकार की धनराशि के लिए भी मनाए। उन्होंने लड़कियों को देवदासी या जोगीन बनाने, वैश्या बनाने के विरुद्ध सफलतापूर्वक धरने किये। हिन्दु जाति व्यवस्था से लड़ने के लिए उन्होंने एक अभियान के रूप में बौद्ध शिक्षाओं में गहरी रुचि दिखायी और दलितों द्वारा बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए बढ़ावा दिया।

अरिगे रामस्वामी

अरिगे रामस्वामी हैदराबाद राज्य के प्रमुख दलित नेता थे। वे अचल सिद्धान्त एवं ब्रह्मसमाज के अनुयायी थे। सुनीता बाल समाज की स्थापना कर



अरिगे रामस्वामी

सिकन्द्राबाद में दलितों के लिए समाज सुधारक गतिविधियाँ चलाई। आपने आदि हिन्दु जाति उन्नति सभा की स्थापना की। अन्य की भाँति समाज में सम्मान पाने हेतु इन्होंने दलितों में मदिरा सेवन की रोकथाम करने का प्रयास किया। उन्होंने जोगिनी प्रथा के निवारण और बाल विवाह एवं पशुबली के विरोध का प्रचार किया।

- बुद्ध के जातिवाद विरोधी शिक्षाओं को स्मरण कीजिए।
- दलित ही तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश के मूल निवासी है - इस भाव ने उनमें आत्मविश्वास को बढ़ाने में कहाँ तक सहायता की।

स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं एवं दलितों का योगदान:-

गाँधीजी ने महिलाओं को असहयोग आंदोलन और सत्याग्रह में भाग लेने के लिये प्रोत्साहित किया था। उन्होंने महिलाओं को नमक-सत्याग्रह अछूत-विरोधी और किसान आंदोलन में अपना योगदान देने के लिये प्रोत्साहित किया जिसके द्वारा महिलाओं का भारतीय सार्वजनिक जीवन में आत्मगौरव एवं गरीमा बढ़ी। महिलाओं ने बड़ी मात्रा में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। उनकी आशा थी कि स्वतंत्रता के पश्चात उन्हें भी पुरुषों की भाँति समान अधिकार प्राप्त होंगे।

ईश्वरी बाई

स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं के योगदान में हैदराबाद पीछे नहीं रहा। ईश्वरी बाई उनमें से एक थी। ईश्वरी बाई ने अनुसूचित जाति एवं जनजातियों की दलित नेता बनकर उनका समर्थन किया। उत्साहपूर्वक उन्होंने डॉ.बी.आर.अम्बेडकर का अनुसरण किया। उन्होंने



ईश्वरी बाई

भारतीय रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सेवाएँ प्रदान की। 1950 में वह सिकन्द्राबाद नगर पालिका की सभासद के रूप में निर्वाचित हुई। उसी सन् में उन्होंने महिलाओं के लिए व्यवसायिक केन्द्र की स्थापना करके सिलाई, कताई, बुनाई, एवं अन्य शिल्पकलाओं में निपुण बनाया। स्वयं के धन द्वारा चिन्ताबाई चिल्कलगुडा में स्कूल का निर्माण करवाकर सरकार को दान किया। समाज कल्याण के भारतीय सम्मेलन के सचिव के रूप में भी सेवाएँ दी। रेड क्रॉस सोसायटी की अध्यक्ष रही। महिला एवं बाल कल्याण की अध्यक्षा के रूप में लड़कियों को उच्च शिक्षा तक निःशुल्क शिक्षा का कानून लाने में सहायक बनी। उन्होंने विधायक के रूप में अपने कार्य काल के दौरान सामाजिक बुराईयों अत्याचार, महिलाओं एवं दलितों के अन्याय के विरुद्ध, भूमिहीन, निर्धनों के लिए भूमि वितरण के विरुद्ध, तेलंगाना के लिए अलग राज्य दर्जे के लिए लड़ाई लड़ी।

टी.एन.सदालक्ष्मी

टी.एन सदालक्ष्मी तेलंगाना की प्रसिद्ध दलित राजनैतिक नेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता थी। वह आर्य समाज की सदस्य थी और उन्होंने दलित समुदायों के सामाजिक सुधार आन्दोलनों में सक्रिय भाग लिया। वह विधान सभा के लिए चुनी गई और मंत्री, डिप्टी स्पीकर के रूप में कार्य किया। अपने अरिगे रामस्वामी के साथ मिलकर दलितसमुदाय के शैक्षिक और आर्थिक उत्थान के लिए काम किया। वह तेलंगाना के दलित सशक्तिकरण की अग्रणी नेता एवं तेलंगाना प्रजा समिति की उपाध्यक्ष भी थी।



टी.एन. सदालक्ष्मी

- कल्पना दत्त, अरुणा असीफ अली, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, सरोजिनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय जैसी महिला नेताओं के बारे में पता लगाइये।
- क्या सभी महिलाओं को स्वतंत्र भारत में मतदान का अधिकार मिला ?

कुंजी शब्द

1. सुधार
2. सती
3. परदा
4. विधवा पुनर्विवाह
5. अछूत

सीखने में सुधार

1. इस विधान की उदाहरण के साथ तुलना करो।
“भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन पर पाश्चात्य शिक्षा और इसाई मिशनरियों का प्रभाव था।”
2. सुधार आंदोलन के विकास में मुद्रणालय (Printing Press) का क्या महत्व था ?
3. धार्मिक सुधार के पीछे मुख्य विचार जटिल अनुष्ठान, कई देवताओं की पूजा और मूर्तिपूजा का समापन था। क्या आपको लगता है कि लोगों ने इस सुधार को अपनाया - समझाए।
4. क्या आपको लगता है कि रमाबाई जैसे लोगों का विधवाओं की दशा पर विशेष ध्यान केंद्रित था ?
5. 19वीं शताब्दी के भारत के समाजसुधारक के रूप में राजा राममोहन राय का योगदान बताइये।
6. अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने में सर सैय्यद अहमद खान की प्रमुख चिंता क्या थी ?
7. विभिन्न नेताओं का विभिन्न रूप से ‘अछूत’ जाति को सभी प्रकार से समानता दिलाने में सोच थी। नेता जैसे फूले, भाग्य रेड्डी वर्मा, नारायण गुरु, अम्बेडकर और गांधीजी के सोचों कि तालिका बनाकर अपने सुझाव दीजिए।
8. आज जातिवाद बहुत बड़ा विवादास्पद मुद्दा क्यों बन गया है ? आप का क्या मानना है कि औपनिवेशिक समय में सबसे महत्वपूर्ण जाति विरोधी आंदोलन कौन-सा था ?
9. मंदिर प्रवेश आंदोलन द्वारा अम्बेडकर क्या हासिल करना चाहते थे ?
10. भारतीय समाज से सामाजिक दोषों को मुक्त कराने के लिए कौन से समाज सुधार आंदोलन थे ? वर्तमान में सामाजिक बुराईयाँ क्या हैं ? इनका सामना करने के लिए कौन-से सुधार आंदोलन की आवश्यकता है ?
11. कन्या शिक्षा की आवश्यकता पर करपत्र बनाइए।
12. समाज सुधारकों के आपको कौन-से गुण पसंद आये ? क्यों ?

धर्म निरपेक्षता की समझना

कल्पना कीजिए आप एक हिन्दु या मुसलमान हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक हिस्से में रहते हैं जहाँ ईसाई कट्टरवाद बहुत शक्तिशाली है। अमेरिकी नागरिक होने पर भी कोई आप को रहने के लिए घर किराए पर देने को तैयार नहीं है। ये व्यवहार आपको कैसा लगता होगा? इससे आपको आक्रोश महसूस नहीं होता? आपने इस भेदभाव के विरुद्ध शिकायत करने का फैसला किया और यदि आपको भारत वापस जाने के लिए कहा गया तो क्या होगा? इससे आपको क्रोध आएगा? आपका क्रोध दो रूपों में हो सकता है? सबसे पहले आप की प्रतिक्रिया हो सकती है ईसाईयों के साथ उसी प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए जहाँ हिन्दु एवं मुसलमानों का बहुमत है। यह प्रतिशोध का एक रूप है या आप का मानना हो सकता है कि सभी को न्याय मिलना चाहिए। आप चाहेंगे कि उनके धार्मिक विश्वासों और मान्यताओं के आधार पर व्यक्तियों से भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यह धारणा इस विचार पर आधारित है कि धार्मिक वर्चस्व के सभी रूपों को समाप्त करना चाहिए। यह धर्मनिरपेक्षता का सार है। इस अध्याय में आप भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता के अर्थ के बारे में अधिक पढ़ेंगे।

- इस अनुच्छेद को पुनः पढ़िये आपको क्यों लगता है कि प्रतिशोध इस समस्या की उचित प्रतिक्रिया नहीं है? क्या होगा अगर अलग-अलग समूह इस मार्ग का पालन करेंगे?

इतिहास में धर्म के आधार पर भेदभाव, बहिष्कार और उत्पीड़न के कई उदाहरण मिलते हैं। आपने पढ़ा होगा कैसे हिटलर की जर्मनी में,

यहूदियों को सताया गया था और कैसे कई लाख यहूदी मारे गए। अब यहूदी राज्य इजराइल अपने स्वयं के मुस्लिम और ईसाई अल्पसंख्यकों से काफी बुरी तरह से व्यवहार करता है। सऊदी अरब में गैर मुसलमानों के लिए एक मंदिर, चर्च आदि के निर्माण की अनुमति नहीं है और न ही वे प्रार्थना के लिए एक सार्वजनिक स्थान पर इकट्ठा हो सकते हैं।

ऊपर के उदाहरणों में एक धार्मिक समुदाय के सदस्य अन्य धार्मिक समुदायों के सदस्यों को सताते हैं या उनसे भेदभाव करते हैं। भेदभाव के ये कृत्य और अधिक आसान हो जाते हैं जब एक धर्म को अन्य धर्मों की कीमत पर राज्य द्वारा सरकारी मान्यता दी जाती है। निःसंदेह कोई भी उनके धर्म की वजह से भेदभाव नहीं चाहता है और न ही किसी अन्य धर्म का प्रभुत्व चाहता है। क्या भारत में सरकार धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव कर सकती है।

धर्म निरपेक्षता क्या है?

पिछले अध्याय में आपने पढ़ा है कि भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकार किस तरह से बहुमतों के अत्याचारों और राज्य सत्ता से हमारी सुरक्षा करते हैं। भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों को अपनी इच्छानुसार अपने धार्मिक विश्वासों तथा मान्यताओं को मानते हुए जीने की स्वतंत्रता देता है। सभी के लिए धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारत ने धर्म और राज्य को पृथक रखने की नीति अपनाई है। धर्मनिरपेक्षता, राज्य और धर्म के बीच के इस अलगाव को दर्शाता है।

राज्य का धर्म से अलगाव क्यों महत्वपूर्ण है?

जैसा कि ऊपर चर्चा की, धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू धर्म को राज्य सत्ता से पृथक रखना है। यह किसी भी देश को लोकतांत्रिक ढंग से कार्य करने के लिए महत्वपूर्ण है। दुनिया के लगभग सभी देशों में एक से अधिक धार्मिक समूह रहते हैं। इन धार्मिक समूहों में एक समूह के बहुमत में होने की संभावना है। यदि इस बहुमत वाले धार्मिक समूह की राज्य सत्ता में पहुँच है तो यह समूह काफी आसानी से इस शक्ति और वित्तीय संसाधनों का उपयोग अन्य धर्मों के लोगों के सताने और उनसे भेदभाव रखने में कर सकता है। बहुमत का यह अत्याचार भेदभाव, बलपूर्वक अधीनता और कभी धार्मिक अल्पसंख्यकों की हत्या का कारण बन सकता है। बहुमत समूह काफी आसानी से अल्पसंख्यकों को उनके धर्मों को मानने से रोक सकता है। धर्म का किसी भी प्रकार में वर्चस्व उन अधिकारों का उल्लंघन करता है जो एक लोकतांत्रिक समाज के प्रत्येक नागरिक को उसके धर्म का विचार किये बिना देना सुनिश्चित है। इसलिए बहुमत के अत्याचारों और मौलिक अधिकारों के उल्लंघनों की संभावना के कारण ही लोकतांत्रिक समाज में राज्य और धर्म को अलग रखना चाहिए।

धर्म को राज्य (राजनीति) से अलग रखने का एक और महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम प्रजातांत्रिक समाज में रहते हैं जहाँ हमें मनुष्यों की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। व्यक्ति चाहे तो किसी भी धर्म को छोड़ सकता है या किसी धर्म को अपना सकता है या किसी अन्य धर्म तथा धार्मिक मान्यताओं की व्याख्या कर सकता है।

- कक्षा में चर्चा कीजिए- क्या एक ही धर्म के प्रति कई विचार हो सकते हैं।



भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है?

भारतीय संविधान यह घोषित करता है कि भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है। संविधान के अनुसार केवल एक धर्म निरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों के प्रति आश्वस्त कर सकता है जैसे -

1. एक धार्मिक समुदाय को दूसरे धार्मिक समुदाय में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
2. एक ही धार्मिक समुदाय के कुछ लोगों को उसी धर्म के अन्य सदस्यों पर दबाव नहीं डालना चाहिए।
3. राज्य के द्वारा किसी भी धर्म को अपनाने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए और न ही धार्मिक स्वतंत्रता को छीनना चाहिए।

भारतीय राज्य उपर्युक्त धार्मिक वर्चस्वों से बचने के लिए कई प्रकार से प्रयास कर रहा है। सबसे प्रथम एक ऐसी नीति अपनाता है जिसमें धर्म को राजनीति से अलग रखा जाना चाहिए। भारतीय राज्य किसी भी धार्मिक समुदाय को शासन का अधिकार नहीं देता है और न ही किसी भी धर्म का समर्थन करता है। इसे रोकने के लिए कई प्रबंध किये जा सकते हैं। जैसे न्यायालय, पुलिस स्टेशन, सरकारी स्कूल और सरकारी कार्यालयों द्वारा न तो

धार्मिक शिक्षा देनी चाहिए और न ही इसके विकास में अपना योगदान देना चाहिए।

उपर्युक्त दबावों को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षवाद के द्वारा अपनाया गया दूसरा तरीका निरहस्तक्षेप की रणनीति है। इसका यह अर्थ है कि सभी धर्मों की भावनाओं का आदर करने और धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप न करने के लिए, राज्य विशेष धार्मिक समुदायों के लिए कुछ अपवाद बनाये।

धर्मनिरपेक्षतावाद को प्रोत्साहित करने का तीसरा तरीका धर्म आधारित निषेधों को परिवर्तित करने और निम्न जाति के भेदभावों पर रोक के लिए भारतीय संविधान ने अस्पृश्यता पर प्रतिबंध लगा दिया। इस मामले में, भेदभाव और निषेधों में विश्वास करने वाली सामाजिक प्रथाओं को समाप्त करने के लिए राज्य धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है। ये सामाजिक प्रथाएँ उन 'निम्न जातियों' के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं जो इस देश के नागरिक हैं।

राज्य सरकार सहायता प्रदान करके भी हस्तक्षेप कर सकती है। भारतीय संविधान, धार्मिक समुदायों को अपने विद्यालय और कॉलेजों को खोलने का अधिकार देता है। तथा सरकार बिना किसी वरीयता क्रम के आधार पर आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है।

- भारत की धर्म निरपेक्षता अन्य प्रजातांत्रिक देशों की धर्म निरपेक्षता से किस प्रकार भिन्न है?

जबकि भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य में राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। आपने यह पढ़ा है कि छुआछूत की समाप्ति के लिए भारतीय संविधान ने किस प्रकार हिंदू धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप किया है। यद्यपि भारत में राज्य तथा धर्म में कठोर

पृथक्करण नहीं लेकिन धर्म और राजनीति के बीच स्पष्ट अंतर को बनाये रखा है। इसका यह अर्थ है कि राज्य का धर्म में हस्तक्षेप किया जाना संविधान के आदर्शों पर आधारित है। उन आदर्शों के आधार पर हम यह समझ सकते हैं कि भारतीय राज्य धर्म निरपेक्षता के सिद्धांतों के अनुसार कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं।

भारतीय संविधान अपने आप में धर्म निरपेक्ष तथा कई तरीकों से धार्मिक वर्चस्व को सुरक्षित रखने का कार्य कर रहा है। भारतीय संविधान में दिये गया मौलिक अधिकार जो नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं वे भी धर्म निरपेक्षता के सिद्धांतों पर आधारित हैं। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि भारतीय समाज में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। यदि इनका उल्लंघन लगातार किया जाता है तो संविधान के द्वारा कई प्रकार के उपाय हैं जिनके उपयोग से इन्हें रोका जा सकता है। यदि हमें इस प्रकार के अधिकारों के उल्लंघन की घटनाएँ देखने को मिलती हैं तो इनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अवश्य की जानी चाहिए।

- क्या आप वर्तमान समय की घटित हुई ऐसी घटना के विषय में जानते हैं (भारत या किसी भाग में) जहाँ पर संविधान के धर्म निरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है तथा इसमें लोगों को धार्मिक आधार पर मारा गया हो।

सन् 2004 फरवरी में फ्रांस ने छात्रों पर किसी भी विशिष्ट धार्मिक या राजनैतिक संकेतों या प्रतीकों जैसे इस्लामी या राजनैतिक संकेत या प्रतीको जैसे, इस्लामी स्कार्फ, यहूदी स्कल केप या बड़े क्रिश्चियन क्रॉसों को पहनने पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून पारित कर दिया। इस कानून का प्रतिरोध मुख्य रूप से अप्रवासीयों ने जो किया पूर्व फ्रेंच कालोनियों अलजीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को से प्रवासित थे। 1960 में फ्रांस में श्रमिकों की कमी ने अप्रवासियों को वीसा की उपलब्धि करवाकर काम करने के अपने देश को आमंत्रित किया। स्कूल जाते समय अक्सर अप्रवासियों की बेटियाँ, सिर को स्कार्फ से ढकती है। इस नए कानून के पारित होने से उन्हें सिर के स्कार्फ पहनने पर स्कूल से निकाल दिया गया।

मुख्य शब्द

- | | | | |
|-----------------|-----------------------|--------------|--------------------|
| 1. मौलिक अधिकार | 2. प्रजातंत्र | 3. उत्पीड़न | 4. व्यक्तिगत कानून |
| 5. दबाव | 6. व्याख्या का अधिकार | 7. हस्तक्षेप | |

सीखने में सुधार

1. ऐसे सभी धार्मिक आयोजनों की सूची बनाइए जो आपके पड़ोस में होते रहते हैं। इनमें विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाएं, देवी देवताओं की पूजा, पवित्र स्थान, धार्मिक संगीत और गानों को सम्मिलित किया जा सकता है, क्या ये धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता को व्यक्त करते हैं?
2. यदि तो कोई धार्मिक समुदाय यह कहता है कि शिशु हत्या करने के लिए उनका धर्म इजाजत देता है ऐसे समय में क्या सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। इसके लिए आप क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे? अपने उत्तर को कारणों सहित समझाइए।
3. एक ही धर्म के लोगों के विभिन्न विचारों को जानने का प्रयास कीजिए।
4. भारतीय राज्य जहाँ एक तरफ धर्म और राजनीति को अलग रखता है वही दूसरी तरफ धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। आपकी दृष्टि में क्या ये दोनों विचार भ्रम उत्पन्न नहीं कर रहे हैं? इसके विषय में अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए तथा अध्याय में दिये गये उदाहरणों का प्रयोग अपने उत्तर की पुष्टि के लिए कीजिए।
5. धर्म निरपेक्षता क्या है ? इस शीर्षक के अंतर्गत दिये गये अनुच्छेद को पढ़िए और अपना टिप्पणी लिखिए।

आधुनिक युग की अभिनय कला व कलाकार



- ऊपर दी गई कलाओं के चित्रों में से कितनी कलाओं को आप पहचान सकते हो? प्रत्येक चित्र के नीचे उसका नाम लिखो।
- क्या आपने कभी इनमें से किसी कला का प्रदर्शन अपने गांव में देखा है? कक्षा में अपने अनुभव का विवरण दो।

प्रस्तुत पाठ में हम बीसवीं सदी को कलाकारों के बारे में पढ़ेंगे। अभिनय कलाकार वे होते हैं जो नृत्य, गायन तथा नाटक इत्यादि की प्रस्तुती करते हैं। वे चित्रकार शिल्पकार तथा लेखकों से अलग होते हैं क्योंकि उनके कार्य को सुरक्षित करके नहीं रखा जा सकता है उन्हें हमेशा नया प्रदर्शन करना पड़ता है।

बहुत सी लोक कलाएँ स्वयं लोगों द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं। देहाती एवं जनजातियों की स्त्रियाँ अपने खाली समय में तथा त्योहारों पर गाती हैं और नृत्य करती हैं। चुटटुकामुडु तेलंगाना क्षेत्र की एक ऐसी ही कला है जो उनकी दिनचर्या का अंग है उनके काम के गीतों को ही नृत्य गीतों के रूप में

ढाल लिया गया है। सामान्यतः चुटटुकामुडु चांदनी रात में स्त्रियों द्वारा तालियाँ बजाते हुए नृत्य व गीत रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसी प्रकार गांव की युवतियाँ पेड़ों पर झूला डालकर पाटलु अर्थात् झूले के गीत गाती हैं जिनमें मां महालक्ष्मी तथा गौरी की धार्मिक कक्षाओं का चित्रण होता है। कुछ विशेष व्यक्तियों द्वारा अन्य कई कलाएं प्रस्तुत की जाती हैं।

- अपने माता-पिता व दाद -दादी से अपने उन पारिवारिक गीतों व नृत्य के बारे में जानकारी लो जो विशेष अवसरों पर प्रस्तुत किए जाते हैं। एक तालिका बनाकर उसमें विभिन्न अवसरों पर गाए जाने वाले गीतों के उदाहरण दो। क्या आजकल इन प्रस्तुत कलाओं में कोई परिवर्तन हुआ है? अपना निष्कर्ष कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को भी बताओ।
- अगर आप में से किसी को इन गीतों या नृत्य की जानकारी हो तो उन्हें कक्षा में प्रस्तुत करो।

विभिन्न प्रकार के नृत्य

यक्षगानम् :

यक्षगानम् या जक्कुला भागवतम् या वीधि भागवतम् तेलुगु की एक प्रसिद्ध लोक कला है। कलाकारों के तालपूर्वक नृत्य के कारण इसे “चिन्दू भागवतम्” भी कहा जाता है। पंडिताराध्य चरित्र और बासव पुराण के अनुसार तेरहवीं शताब्दी से इसे प्रसिद्धी मिली। इस रंगमंच का आयोजन सार्वजनिक स्थानों में किया जाता है। प्रारंभकाल में एक ही पात्र द्वारा विभिन्न पात्रों का अभिनय नाचते हुए गाकर किया जाता था। वर्तमान समय में हर पात्र के लिए भिन्न-भिन्न कलाकार होते हैं। उनके अभिनय की महत्ता नहीं अपितु उनके कथावाचन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह गीत, बातचीत एवं कविताओं का मिश्रण है। रंगमंच कलाकारों के साथ तबला, हारमोनियम और गायन समूह होता है। पात्राभिनय एवं उसके महत्व अनुसार कलाकार हाथों एवं पैरों को हिलाकर भिन्न भाव प्रदर्शित करता है। रंगमंच पर विभिन्न कलाकारों द्वारा निभाई गई भूमिका की पहचान, उनकी वेशभूषा, सामग्री एवं हथियारों से की जाती है। हर कहानी में भिन्न पात्राभिनय होता है जैसे देवता, राजा, मंत्री, सिपाही, ब्राह्मण, किसान, साधारण मनुष्य, जोकर आदि।

कुछ सुनाई गई कहानियाँ हैं - सुग्रीव विजय, बाल नागम्मा कथा, रंभा रामपाला, चित्रागंद का विलास और कृष्णार्जुन युद्ध। चिन्दोलु जाति के लोग परम्परागत रूप में इसका प्रदर्शन करते हैं। वर्तमान समय में अधिक लोग, किसी भी जाति के क्यों न हो आगे बढ़कर इस कला के प्रदर्शन को सीख रहे हैं।

गुसाड़ी :

आदिलबाद की राज गोंड जनजाति के व्यक्ति दीपावली बहुत धूमधाम से मनाते हैं। वे हिरण के सींगों और रंग बिरंगों मोरपंखों से स्वयं को सजाते हैं। वे डप्पू तुडुमु, विपरि तथा कालिकोम जैसे वाद्य-यंत्र भी साथ रखते हैं।

सदिर नाट्यमः

यह ऐसा एकल नृत्य है जो सदियों से दक्षिण भारत विशेषकर तमिलनाडु के मंदिरों एवं राजदरबारों में देवेदासियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता था।

लम्बाड़ी :

लम्बाड़ी तेलंगाणा की अर्ध-बंजारा जनजाति है जिसके नृत्य रोजभार कार्यों जैसे कटाई, बुनाई व रोपाई से संबंधित गतिविधियों पर आधारित हैं। इनकी सुन्दर पोशाकें कांच के मोतियों व चमकते शीशों से युक्त होती हैं। जब ये लोग दशहरा, दीपावली और होली जैसे त्योहारों पर प्रदर्शन करते हैं तो लोग उन्हें पैसे देते हैं।

कुरवंची :

यह स्त्रियों का सामूहिक नृत्य है जिसे विशेष रूप से काव्यात्मक रूप में समझाया जाता है इसकी विषय वस्तु एक युवती के अपने प्रियतम के प्रति प्रेम पर आधारित होती है।

कुचिपुड़ि :

आंध्र-प्रदेश के कुचिपुड़ि गांव का सामूहिक नृत्य जिसमें सभी भूमिकाएँ पुरुषों द्वारा अभिनीत की जाती है, इसकी कथावस्तु पौराणिक होती है।



Fig 21.1: यक्ष गान

बहुत समय से, नर्तक, कथावाचक, गायक नाटक अभिनेता इत्यादि ने न केवल लोगों का मनोरंजन किया और सौंदर्यानुभूति प्रधान की। वे अध्यात्मिक संदेश भी देते थे और समाज में व्याप्त बुराइयों की निंदा का उसे बचने का मार्ग भी बताया। कलाकार मुख्य सामाजिक विषयों के बारे में लोगों को संघटित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फकीर के गाने, बैरागी के गाने, दंडगान व लटकोरूसाब इत्यादि ऐसे गीत हैं जो विचरने वाले फकीर और बैरागियों द्वारा गाये जाते थे। ये गीत तेलुगु, दक्खिनी उर्दू तथा मिश्रित भाषा में होते थे।

अन्य कला जैसे बुराकथा एवं गोला-सुदुलु के लिए बड़ी मंडली की आवश्यकता होती थी कहा जाता है कि प्रारम्भ से ही कलाएँ भिन्न स्थान के

प्रवासी गडरियों द्वारा प्रारम्भ की गई, जिनमें से कुछ वीर शैव नामक धार्मिक समूह से जुड़े थे।

- क्या आपने इन विचरण करने वाले कलाकारों का ऐसा कोई प्रदर्शन देखा है? अपने साथी छात्रों को उनके बारे में बताए कि वे कौन थे, उन्होंने कौन सा गीत गाया तथा दर्शकों ने क्या प्रतिक्रिया दी ?
- यदि आपके आस-पास कोई ऐसे कलाकार रहते हैं तो उनसे मिलकर उनकी जीवन शैली एवं कला के बारे में जानकारी लें।

अभिनय कलाकार अपनी जीविका कैसे कमाते थे कई कलाकार एक स्थान से दूसरे स्थान को जाकर अपनी कला का प्रदर्शन करते थे, उन्हें गाँव के मुखिया, जमींदार एवं ग्रामीणों से संरक्षण मिलता था। वे उनसे अनाज भी लेते थे। उन्हें ग्रामीणों द्वारा बहुत आदर प्राप्त होता था। मंदिर के उत्सवों और गाँव के वार्षिक समारोहों में मनोरंजन करने हेतु उन्हें निमंत्रित किया जाता था। वे उनके अभिन्न अंग थे। ग्रामीणों का यह विश्वास था कि वर्षा का आगमन और दुष्ट शक्तियों को भगाने में ये लोग सहायक हैं। इसलिए इनके प्रदर्शनों का विशेष आयोजन भी किया जाता था।

इनमें से कई कलाकार भ्रमण नहीं करते थे बल्कि सम्राटों, राजाओं या जमींदारों के संरक्षण में



Fig 21.2: Gusadi Dance

रहते थे। वे अपना अधिकांश समय दरबार एवं महलों के संरक्षकों को शिक्षा देने में व्यतीत करते थे।

सर्व प्रथम हम बुराकथा एवं तोलुबोम्मलाटा के कलाकारों के बारे में पढ़ेंगे।

बुरा कथा

बुराकथा तेलुगु की कथावाचन कला है। बुराकथा की उत्पत्ति 12 वीं और 13 वीं शती के वीरशैव आंदोलन से संबद्ध है।

बुरा शब्द तार वाले वाद्य तंबूरा से संबंधित है जिसे मुख्य कलाकार अपने सीधे कंधे पर पहनता है। साधारणतः यह कला एक विशेष जाति परिवार के दो या तीन लोगों द्वारा प्रस्तुत की जाती है जैसे पिच्छुगुण्टला या जंगालु। इस कला में कथावाचन में कथावाचक तंबूरा बजाकर घुंघरू पहनकर नाचते हुए कथा सुनाता है। कलाकार सीधे हाथ के अंगूठे में अंगूठी और हथेली में एक मंजीरा पकड़े रहते हैं जिससे वे गीत को ताल देते रहते हैं। मुख्य कथावाचक का साथ दो या तीन सहयोगी देते हैं जो ढक्की या बुड़िके नामक वाद्य रखते हैं। दाहिनी ओर का



चित्र 21.3: बुराकथा कलाकार

वाद्यकार यदि आध्यात्मिक कथा हो तो भी सामाजिक विषयों पर टिप्पणी करते रहता है और बांयी ओर वाला कलाकार हास्य व्यंग्य प्रस्तुत करता है।

विनरा भारत वीर कुमारा, विजयम मनदेरा, “तंदाना ताना” यह बुराकथा का प्रचलित टेक है। सायंकाल विभिन्न देवों की स्तुति द्वारा इसका प्रारम्भ होता है। इसके बाद कथावाचक कथा का स्थान, समय व प्रसंग बताता है, जबकि सहयोगी कथा के टेक को दोहराते रहते हैं।

बुराकथा अधिकतर दशहरा या संक्राति जैसे त्योहारों पर प्रदर्शित की जाती है। अधिकतर रामायण व महाभारत जैसे पौराणिक कथाओं और राजाओं जैसे कंभोजराजु की कथा, बोब्वली कथा, पलनाटी कथा व काटमराजु कथा इत्यादि की प्रस्तुति होती है।

तेलंगाणा आंदोलन के समय नाजर ने अनेक बुराकथाओं का प्रदर्शन किया। तेलंगाणा के कलाकार भी उनके आंदोलन के लिए नई बुराकथाओं की रचना करने लगे। जिनमें टी. रामान्जनेय की तेलंगाणा

वीरयोद्दालु अदूरी अयोध्या राम की ‘नैजाम विप्लवम’ ‘एस.के.चौधरी की कासिम रज्जी’ तथा ‘एस. सत्यनारायण की कष्टजीवि’ सबसे प्रसिद्ध है। इन बुराकथाओं में आंदोलन के लीडरों के साहसिक कार्यों तथा सामाजिक आर्थिक समस्याओं पर ध्यान दिया गया है। उदाहरणार्थ सुंकारा सत्यानारायण की

तेलंगाणा जो 1944 में लिखी गई, उसमें शेख बंदगी नामक एक मुस्लिम देहाती की वीरता का चित्रण है जो अपने सामंती जमींदार देशमुख वे अत्याचोर के विरुद्ध लड़ा था।

आजकल सरकार बुराकथा मंडलियों को विभिन्न सामाजिक विषयों जैसे साक्षरता एड्स इत्यादि को जागरूकता फैलाने के लिए संरक्षित कर रही है। टी.वी.पर भी बुराकथा का प्रदर्शन किया जाता है। लेकिन अन्य मनोरंजन के साधनों के आजाने के कारण पारंपरिक बुराकथा कलाकार इस कला को त्याग चुके हैं।

तोलुबोम्मलाटा

यह प्रवासी कलाकारों द्वारा दिखाया जाने वाला छाया पुतली का खेल है। यह पुतलियाँ जानवरों के खाल से बनाई जाती है। इनके चमड़े को साफ करके विभिन्न आकारों में काटते हैं। पुतलियों का कद उनकी आयु और पात्र के अनुसार एक से छः फीट तक होता है। रंगबिरंगी प्रतालियों के कंधों, कोहनियो व कूल्हो में जोड़ होते हैं, सभी का संचालन एक धागे से होता है।

प्रदर्शन

पारंपरिक छाया नाट्य में कथा को काव्यात्मक



चित्र 21.4: तोलुबोम्मलाटा

रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कथावाचक और गायक दर्शकों को दिखाई नहीं देते। अभिनेता पुतलियों को विभिन्न प्रकार के उतार-चढाव के द्वारा कथावाचक अपनी आवाज़ में प्रस्तुत करता है।

प्रदर्शन रात को नौ बजे प्रारम्भ होकर सारी रात चलता है। छाया पुतलियों की मंडली में आठ से बारह कलाकार होते हैं जिनमें स्त्री पात्रों के सैवादो को बोलने व गाने के लिए कम से कम दो स्त्रियाँ होती है दो पुरुष, पुरुष पात्रों के लिए तीन बाध बजाने वाले लोग तथा एक सहायक होता है।

वे खुले मैदान में चार बाँस गाड़कर उस पर एक कपड़ा बांध देते हैं। विवरणकार पर्दे के पीछे होता है और वहाँ बत्तियों की कतारे होती है जो पर्दे पर परछाई डालती है। .

नाटकों की विषयवस्तु

रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों से ली गई कथावस्तु में सामाजिक घटनाओं से संबंधित गम्भीर हास्य व व्यंग्य भी रहता है। महाकाव्यों के क्षेत्रीय संस्करण से कथावस्तु ली जाती है। नई कथावस्तु बहुत कम लिखी जाती है कलाकार अचिकांश रूप से घुमक्कड़ मण्डली में होते हैं जो साल के नौ महीने गाँव-गाँव घूमकर कला का प्रदर्शन करके उसके बदले में रुपये व अनाज पाते हैं।

फिल्म और टी.वी. जैसे सूचना व मनोरंजन के आधुनिक साधनों के आने के कारण लोग अभिनय कला से दूर होते जा रहे हैं। जमींदार और मुखिया भी पहले की तरह कलाकारों को संरक्षण नहीं देते।

इसके कारण लोक कलाकारों को जीविकोपार्जन के संकट का सामना

करना पड़ रहा है। क्योंकि वे लोग घुमकड़ होते हैं इसलिए आधुनिक शिक्षा का भी उनमें अभाव होता है और वे एक अकुशल मजदूर की तरह छोटे-छोटे काम करते हैं।

सरकार ने इनमें से कई कलाओं का प्रयोग सरकारी कार्यक्रमों के प्रचार के लिए करना प्रारम्भ किया है। कई परंपरागत मंडलियाँ आजकल स्वच्छता, स्वास्थ्य, स्त्री-शिक्षा, परिवार -नियोजन और पर्यावरण जैसे विषयों पर नाटक प्रस्तुत कर रही हैं। ऐसे विषय सरकार द्वारा दिए जाते हैं जो इनका प्रयोजन भी करती हैं।

तोलुबोम्मलाटा कलाकारों के कई परिवारों ने जीविकोपार्जन के लिए चमड़े के सजावटी कंदील और वाल हैंगिंग बनाना प्रारम्भ कर दिया है।

- क्या आपको लगता है कि टी.वी और फिल्मों के बढ़ते हुए प्रचार के इस समय में लोक कला की परंपरा का संरक्षण की आवश्यकता है ?
- राष्ट्रीय आंदोलन से लेकर अब तक कलाकारों की परिस्थिति और उनके प्रदर्शन में क्या परिवर्तन आया है?
- आपको ऐसा क्यों लगता है कि राष्ट्रवादियों और कम्यूनिस्टों ने लोक कला को पुनर्जीवित कर नवीनीकृत करने का प्रयास किया ?

भरतनाट्यम का हास और पुनरुत्थान

बहुत से शास्त्रीय नृत्यों की उत्पत्ति भरतमुनि की पुस्तक नाट्यशास्त्र से मानी जाती हैं। फिर भी आज भरतनाट्यम केवल तमिलनाडु के एक विशेष नृत्य को कहा जाता है। हालांकि लगभग सौ वर्षों पहले तक भरतनाट्यम नाम का प्रयोग नहीं होता था।



Mogulaiah Playing Kinnera Instrument

आज का भरतनाट्यम सदिर नाट्यम से उत्पन्न हुआ है। वास्तव में ये नृत्य मंदिरों में देवदासियों द्वारा पूजा के रूप में समर्पित किया जाता था।

जिसका अर्थ ईश्वर की दासी होता है मंदिर की सेवा को समर्पित होती थी। उसका नृत्य मंदिर के संस्कारों व भक्ति को समर्पित होता था। छोटी लड़कियाँ अपने माता-पिता द्वारा भगवान के चढ़ावे के रूप में मंदिर को समर्पित कर दी जाती थीं। उनका विवाह नहीं होता था और मंदिर के पुजारियों तथा प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा शोषित की जाती थीं। उनकी संताने भी उन्हीं की तरह जीवन बिताती थीं। देवदासी परिवारों को गायन व नृत्य में निपुणता प्राप्त होती थी। उनके पुत्र जिन्हें नट्टवानर कहते हैं जो नृत्य में कुशल होते थे, उनके द्वारा कई पीढ़ियों तक इस परम्परा का निर्वाह हुआ।

मुम्बई और मद्रास में 1934 और 1947 के बीच देवदासी प्रथा की समाप्ति के लिए एक कानून बनाया गया। भाग्य रेड्डी वर्मा ने हैदराबाद में इस प्रथा के विरुद्ध अभियान को प्रारम्भ किया और निजाम को इस प्रथा के उन्मूलन के लिए समझाया।

- एक छोटी देवदासी लड़की की कल्पना करें जो देवदासी बनकर नहीं जीना चाहती।

एक काल्पनिक पत्र में जो उसके द्वारा अपना सहेली को लिखा गया हो, उसकी भावनाओं का चित्रण करें।

पुनरुत्थान

ई. कृष्ण अय्यर एक स्वतंत्रता सेनानी व एक वकील थे जिन्होंने भरतनाट्यम भी सीखा था। वे सि कला पर लगे दाग को मिटाने के लिए और लोगों में इसके प्रति रुचि जगाने के लिए नारी वेशभूषा में अभिनय किया करते थे। चेन्नई की संगीत अकादमी की स्थापना में इनका सहयोग था, इन्होंने इसका प्रयोग देवदासियों द्वारा भरतनाट्यम के प्रदर्शन के लिए किया।

आजकल भरतनाट्यम सम्मानजनिक परिवारों के बच्चों को आकर्षित कर रहा है। उनके सहयोग ने जनता की विचारधारा को कला के पुनरुत्थान की तरफ मोड़ दिया। इसी समय पश्चिमी कलाकार जैसे बैलेरिना अन्ना पावलोगवा भारत की कलात्मक विरासत में रुचि ले रही थी, जबकि भारत की आध्यात्मिक विरासत ब्रह्मविद्या आंदोलन को अन्य पश्चिमी लोगों ने बढ़ावा दिया।



चित्र 21.5: “इंडियन नाच” टाइम्स का एक चित्र 1858.

रुक्मिणी देवी ने अन्ना पावलोगवा के शिष्यत्व में बैलेड (नृत्य नाटक) की शिक्षा ली, पर पावलोगवा ने रुक्मिणी देवी को भारतीय शास्त्रीय नृत्य सीखने की सलाह दी। ब्रह्मविधावदी परिवार में पली बड़ी



चित्र 21.6: रुक्मिणी देवी

रुक्मिणी देवी की अनूठी पृष्ठ भूमि में उन्हें प्रचलित भरतनाट्यम को सुधारने में मदद दी।

देवदासियों का एक संगठन भरतनाट्यम को पुनर्जीवित करने के प्रयत्न में जुट गया। शिक्षक के रूप में अपने खेमे में रुक्मिणी की अलावा बंगलूर नागरत्नम्मा और पौराणिक नर्तकी बालसरस्वती

जैसे कलाकार भी शामिल थे। उन्होंने इस परंपरा को बनाए रखने व उसे देवदासियों के हाथ में ही रहने देने के लिए समर्थन किया। उनका कहना था कि अगर यह कला देवदासी समुदाय से किसी अन्य के हाथ चली जाएगी तो नष्ट हो जाएगी। जबकि कुछ शिक्षित लोगों का तर्क था कि इस कला को बचाना है तो इसे सम्माननीय

हाथों को सौंप देना चाहिए। अन्त में दोनों समुदायों ने नृत्य को जारी रखा। आखिरकार देवदासी और नट्टवनरस ने दूसरी जातियों के नर्तकों को प्रशिक्षण दिया।

रुक्मिणी देवी का पहला प्रदर्शन 1935 में हुआ जो मील का पत्थर साबित हुआ। मद्रास के दाकियानूसी समुदाय को इनके प्रयासों ने जीत लिया। उन्होंने वेशभूषा, मंच-समायोजन रंग पटल, संगीत-संगत और विषमनस्व में बदलाव लाकर इस धारणा को बदल दिया कि भरतनाट्यम् अश्लील था। उन्होंने कलाक्षेत्र संस्था की स्थापना की जिसके द्वारा उन्होंने कई महान कलाकारों को संगीतकारों को आकर्षित किया और जिनकी मदद से कई पीढ़ियों तक उन्होंने प्रशिक्षण दिया। कलाक्षेत्र ऐसी आधुनिक संस्था है। जो कलाकारों को प्रशिक्षण देती है प्रदर्शन का आयोजन करती है और डिग्री और सर्टिफिकेट कोर्स देकर कक्षाएं लेती है वहाँ कोई भी व्यक्ति नृत्य सीख सकता है।

बालसरस्वती ने देवदासियों की परंपरागत कला



चित्र 21.7: बालसरस्वती

का विकास किया। देवदासी वंश के प्रति निष्ठावान रहते हुए अपने श्रेष्ठता के कारण उसे बहुत प्रसिद्धी मिली।

भारतीय समाज में भरतनाट्यम् के बारे में बदलती हुई विचार धारा के कारण कई नट्टवनर अपने शिक्षण को बनाए रख सके। पंडनल्लूर, वाजुवूर और तंजाउर जैसी विभिन्न नृत्य शैलियाँ प्रसिद्ध हुईं। भरतनाट्यम् सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्रचलित शास्त्रीय नृत्य बन गया।

- नृत्य का अन्य जातियों द्वारा अपनाया जाना इसके पुनरुत्थान के लिए क्यों आवश्यक था?
- नृत्य को सम्माननीय बनाने के लिए उन्होंने कौन से परिवर्तन किये होंगे?
- एक ओर पारंपरिक संरक्षकों को नृत्य करने से रोकना व दूसरी ओर दूसरी जातियों द्वारा नृत्य को अपना लेना, क्या आपको लगता है इस विकास में कुछ अन्याय हुआ है?

आज भरतनाट्यम्

पुनरुत्थान के बाद के दशकों में भरतनाट्यम् ने 20वीं शती के अन्त तक इतना सम्मान प्राप्त कर लिया कि नृत्य सीखने की मांग बहुत बढ़ गई, स्तर को बनाए रखने व कला को विकसित करने के लिए इसमें परिवर्तन किया गया। आज दर्शकों से भी अधिक सीखने वालों की संख्या बढ़ी है जो भरतनाट्यम् को फैलाने में सहायक है।

नट्टवनरस के बजाए नर्तक इस कला के संरक्षक बन गए। नट्टवनरों की जिस

पीढ़ी ने पुनरुत्थान के समय नर्तकों को प्रशिक्षण दिया था वह अन्तिम पीढ़ी थी। महत्वाकांक्षी नर्तकों की कमी के कारण नट्टवनरस ही एक मात्र प्रशिक्षक नहीं रह गये। कलाक्षेत्र जैसी संस्था में अनुभवी नर्तकों को नई संस्था में अनुभवी नर्तकों को नई पीढ़ी किया गया। परन्तु आजकल अधिकांश लोग व्यक्तिगत रूप में नृत्य की शिक्षा लेते हैं। नट्टवनर का स्थान विशेष शिक्षण के बाद अन्य नर्तकों व संगीतज्ञों ने ले लिया।

खर्च को कम करने के लिए बहुत से व्यक्तियों को रिकार्ड किए हुए संगीत पर नृत्य करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आजकल वर्तक केवल नृत्य के बल पर जीविका नहीं चला सकते। भरतनाट्यम् आजकल दूसरे दर्जे का व्यवसाय बन गया है। बहुत कम कलाकार अपने जीवन को इस नृत्य का प्रशिक्षण देने व इसका विकास करने के लिए समर्पित कर सकते हैं। धनार्जन के लिए बहुत से कलाकार अपने कैरियर के प्रारम्भ में ही नृत्य सिखाना प्रारम्भ कर देते हैं, इससे उनेक प्रशिक्षण और नृत्य की उत्कृष्टता पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

अधिक लोगों के प्रशिक्षक बनने और नट्टवनरस के ना रहने से नृत्य की अटूट वंशावली जिसने नृत्य की एकता को बनाए रखा था वह नष्ट हो गई। प्रशिक्षकों को कमी और बढ़ते हुए नर्तकों के कारण भरतनाट्यम् में अगणित नवीन रचनाएं हो रही हैं।

केवल भरतनाट्यम् में ही नहीं, कथकली, यक्षगान, ओडिसी, मनिपुरी और कथक जैसे नृत्य भी इस संघर्ष से गुजरे हैं। उनेक बारे में भी जानकारी लेने का प्रयत्न करें।

- नट्टवानर की विशेष भूमिका क्या थी? अगर उन्हे नर्तकों के बदले में रखा जाए तो उससे नृत्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
- भरतनाट्यम् की प्रसिद्धी ने किस रूप में इसका सहारा दिया और क्या इसने कुछ समस्याएँ भी उत्पन्न की?

पेरिनी नृत्यम् - युद्ध भूमि के प्रस्थान के पूर्व वीरों के प्रोत्साहित करने हेतु भगवान विश्व के पूजन स्वरूप नटराज के मूर्ति के समक्ष यह नृत्य किया जाता था। यह नृत्य उत्साह पूर्वक साँस लेकर केवल पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। इस नृत्य का प्रचलन १३ वीं शताब्दी से प्रचलन में है। पेरिनी नृत्य का विस्तृत वर्णन काकतीय राजा गणपति देव के हाथी सैनिक दल के कर्नल जयपा सेनानी द्वारा लिखा गया है। एक प्रसिद्ध नर्तक रामकृष्ण ने इस नृत्य को अपने शिष्यों द्वारा प्रस्तुत कर चर्चा में लाया और विश्व भर में इसे प्रसिद्धि दिलवाई।



डप्पु नृत्यम् - वाद्य यंत्र डप्पु जिसे बकरी की त्वचा द्वारा बनाया जाता है और लोगों को नचाने हेतु दो बारीक बेटों से बजाया जाता है। उत्सवों एवं शोभा यात्रा (जुलुसो) में पैरों में घुंघरू बाँध कर १५-२० नर्तकों के समूह द्वारा डप्पु को बजाकर नृत्य किया जाता है।



Dappu Natyam

महत्वपूर्ण शब्द

- | | | |
|---------|----------|-------------|
| 1. झांझ | 2. पायल | 3. भिक्षा |
| 4. मूक | 5. तरंगम | 6. नट्टवानर |

ज्ञान में वृद्धि

1. गलत कथन को सही करें-
 - a. सभी नृत्य भक्ति से उत्पन्न हुए हैं।
 - b. प्राचीन काल में कलाकारों को जमींदारों का सहारा मिलता था।
 - c. लोगों को संघटित करने के लिए बुराकथा का प्रयोग होता था।
 - d. आज भरतनाट्यम् मुख्य रूप से नट्टवनरस द्वारा सिखाया जाता है।
2. पिछले 50 वर्षों में लोककलाकारों के जीवन में आए परिवर्तनों पर चर्चा करें।
3. लोक कलाओं के घटने से हमारी संस्कृति पर क्या असर पड़ सकता है ?
4. क्या लोक कलाओं को आधुनिक जीवन शैली के अनुकूल बनाकर पुनर्जीवित किया जा सकता है?
5. सादिर के समय से अब तक भरतनाट्यम् में कौन से मुख्य परिवर्तन हुए हैं?
6. निम्नलिखित में से किसने देवदासी प्रथा का समर्थन किया, किसने विरोध एवं किसने पुनर्जीवित करने का प्रयत्न किया।
बालसरस्वती, रुक्मिणी देवी, वीरेशलिंगम, भाग्य रेड्डी वर्मा, कृष्णा अय्यर व बैंगलौर नागरत्नम्मा।
7. इस कला को व्यवसाय के रूप में अपनाना क्यों कठिन था ?
8. अपने क्षेत्र के लोक कला एवं नाटकों की सूचना एकत्रित कर एक तालिका बनाइए।

साक्षात्कार :

किसी स्थानीय कलाकार को अपनी कक्षा कक्ष में आमंत्रित कर विभिन्न लोक कलाओं एवं उसके भविष्य, विषय पर साक्षात्कार कीजिए।

सिनेमा और प्रिंट मीडिया

लता गर्मी की छुट्टियों में अपने पितामह के नगर गई। वो अपने पितामह रंगय्या के साथ सब से हाल का सिनेमा देखना चाहती थी। जबकि रंगय्या अस्वस्थ होते हुए भी अपने बचपन के दिनों के बारे में बात कर रहे थे। लता यह जानकर आश्चर्य चकित हुई कि उसके पितामह के बचपन में सिनेमा नहीं था। इस समय नाटक और कलाकार विभिन्न कलारूपों जैसे हरिकथा, बूर कथा और कठपुतली (तोलुबोम्मल्लाटा) का प्रदर्शन करते थे। दोनों तरह के नाटक दीर्घ राग युक्त प्रमुख पदों के साथ पद्य नाटक आर गद्य नाटक प्रदर्शित होते थे। सत्य हरिश्चंद्र देखकर आने के अपने अनुभव को रंगय्या ने स्मरण किया। भुवन विजयम कन्याशुल्कम, बोब्बिली युद्धम, वर विक्रयम जैसे दूसरे नाटकों को उन्होंने याद किया। विद्यालय के वार्षिकोत्सव के लिए बनाए गए नाटक में लता अभिनय कर चुकी थी और मंच पर दिया गया प्रदर्शन भी देख चुकी थी और मंच पर दिया गया प्रदर्शन भी देख चुकी थी। लेकिन वह यह जानकर आश्चर्य चकित हुई कि ये सब एक समय में मनोरंजन के साधन थे।

सिनेमा का जन्म

भारत में सिनेमा के जन्म का श्रेय 7 जूलाई 1896 को मुंबई की वाटसन होटल में लूमियर ब्रदर के प्रथम सार्वजनिक प्रदर्शन को जाता है। 1887 में इंग्लैंड के फ्रीस ग्रीन ने कैमरे का अविष्कार किया जो छिद्रित कोशिकीय फिल्म का उपयोग करते हुए एक सेकेंड में दस चित्र निकालने में समर्थ था (चित्र 22.1) 1895 में वुडविल लाथम ने सिनेमा प्रोजेक्टर का अविष्कार किया जो बिना किसी रूकावट के लंबी फिल्म रील के प्रदर्शन में समर्थ है।

- अपने माता-पिता उनके बाल्यकाल में देखे गए नाटकों के बारे में पूछिए।
- समयानुसार नाटकों में क्या परिवर्तन आया?



चित्र- 22.1: कैमरा



प्रोजेक्टर

सिनेमा का विकास क्रम

जबकि नाटक का संगीत के सभी वाद्य यंत्रों के साथ जीवंत प्रदर्शन होता था। प्रोद्योगिकी विकास ने सिनेमा की शूटिंग में और एकही समय में विभिन्न स्थलों पर बार-बार के प्रदर्शन में सहायता की है। तत्पश्चात एक समय सीमा में सिनेमा के चित्र लेना मिश्रण और फूटपाथ का संपादन ने संपूर्ण नए प्रभाव को

उत्पन्न कर सकता है। जार्ज बेरनार्ड शॉ और शेक्सपियर के नाटकों को कैमरा द्वारा दृश्यदर्शी बनाकर सिनेमा के रूप में पर्दे पर प्रदर्शित किया गया। उसी तरह तेलुगू के प्रसिद्ध नाटक जैसे वर विक्रयम, सत्य हरिश्चंद्र, कन्याशुलकम के सिनेमा बनाए गए। सिनेमाओं में मौका पाने के लिए रंगमंच के कलाकारों ने स्टूडियों की ओर कतार लगा दी। नाटकों की प्रसिद्धी ने को फिल्मों भी महत्व प्रदान किया। कुछ भी हो रंगमंच के अभी भी कार्य करने वाले की फिल्म कलाकार प्रसिद्ध हुए जैसे गोल्लपूड़ी मारुती राव, नसीरुद्दीन शाह।



चित्र- 22.2: शेक्सपीयर के नाटक का एक दृश्य

- एक मंचीय नाटक और फिल्म में क्या-क्या अंतर है ? तुलनात्मक सारणी बनाइए ।
- अपने अध्यापक की सहायता से नाटक से फिल्मों तक के आजीविका के अवसरों में बदलाव की चर्चा कीजिए।

लता को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि आरंभ में सिनेमा (मूक) ध्वनि नहीं थी। लाईव संगीतकारों के साथ और कभी-कभी प्रदर्शनकर्ताओं की व्याख्या के साथ प्रदर्शन होता था। बाद में कई तकनीकी उपलब्धियों के बाद सिनेमा में ध्वनि व्यवस्था विकसित हुई वह टाल्कीस (अवाक) कही जाने लगी बातचीत कर सकती थी।

तेलुगू की सर्वप्रथम मूक सिनेमा भीष्म प्रतीज्ञा थी और प्रथम सवाक फिल्म भक्त प्रहलाद जो 1931 में प्रदर्शित हुई इसके निर्माता हेच.एम रेड्डी थे।

- पाँच मिनट का मूक अभिनय और पाँच मिनट का नाटक प्रदर्शन करें। अदाकारी कि तुलना करके उसके उद्देश्य का संदेश दर्शकों को समझाइए।

पहली सवाक फिल्म आलम आरा का प्रदर्शन 1931 में हुआ यह अर्देशर ईरानी द्वारा बनाई गई थी। रघुपति वेंकय्या तेलुगू फिल्म उद्योग के जनक है। वे बंदर में पैदा हुए और फोटोग्राफर के रूप में मद्रास में बस गए। उन्होंने गैती नाम से



चित्र- 22.3: आलम आरा को पोस्टर

मद्रास में एक फिल्म स्टूडियों का निर्माण किया। सिनेमा स्टूडियों और सिनेमाघरों के मालिक, सिनेमाओ के निर्माता के रूप में उन्होंने तेलुगू फिल्म उद्योग को अपनी अमूल्य सेवाएँ प्रदान की। अतः उस समय की



रघुपति वेंकय्या

आंध्र प्रदेश सरकार तेलुगू फिल्म उद्योग के लिए योगदान देने वालों को हर साल नंदी पुरस्कार के साथ रघुपति वेंकय्या पुरस्कार देती आ रही है।



चित्र- 22.4: नंदी पुरस्कार

सिनेमा - मनोरंजन का एक माध्यम

सिनेमा के आगमन से पूर्व मनोरंजन के अनेक साधन थे जैसे लोक कला, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, संगीत, नाटक आदि। क्रमशः धीरे-धीरे सिनेमा मनोरंजन का प्रमुख साधन बन गया। सिनेमाओं के गीतों की अपने आप में एक प्रसिद्धि है। पहले रेडियो और आज टेलिविज़न सिनेमा के इन गीतों का प्रसारित करता है। अभिनेताओं के कई दर्शक प्रशंसक हैं एवं प्रशंसक समूहों का घटन होने लगा है। प्रसिद्ध फिल्मी संवाद जीवन का एक अंग बन गए हैं। आम लोगों द्वारा अभिनेता एवं अभिनेत्रियों के पहनावे और शैलियों की नकल की जा रही है। दूरदर्शन के आविष्कार के पश्चात् सिनेमा देखने के लिए लोगों को सिनेमा घरों की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। दूरदर्शन/टेलिविज़न के विभिन्न चैनलों और फिल्म उद्योग से जुड़े, फिल्मों, गीतों, समाचार के प्रसारण की समय अवधि का निश्चित समय निर्धारित है।

- तुम्हारे गाँव या नगर में उपलब्ध मनोरंजन के साधनों की सूची बनाईए। आप उनकी लोकप्रियता का निर्धारण कैसे करेंगे। समयानुसार उनमें क्या बदलाव आ रहा है।

सिनेमा और स्वतंत्रता आंदोलन

रंगय्या देखने में अभी भी उत्तेजित नजर आते हैं जब वो 1938 और 1939 में प्रदर्शित **माला पिल्ला** और **रैतु बिड्डा** फिल्मों के बारे में बात करते हैं। अस्पृश्यता एवं मंदिरों में दलितों के प्रवेश की फिल्म **माला पिल्ला** है। उसके एक प्रमुख पात्र गाँधीवादी चौदरय्या ने अग्रवाणों को उपदेश दिया कि वो अपने व्यवहार में सुधार लाए और उन्हें प्रेरित किया कि दलितों को पीने का पानी और शिक्षा दी जाए। पुरोहित का पुत्र दलित कन्या से प्रेम करने लगता है। पुरोहित की पत्नी को जब आग लग जाती है तब एक दलित उसे बचाता है, जब पुरोहित ने इस वास्तविकता को स्वीकार

कर लिया कि कोई अस्पृश्यता नहीं होनी चाहिए। दलितों को मंदिर में प्रवेश दिया गया और पुरोहित के पुत्र भी दलित कन्या से विवाह कर आर्शीवाद दिया गया।

रैतु बिड्डा जमींदारी व्यवस्था की जानकारी है, जिसमें मेहनती किसानों की दुर्दशा बताई गई है। एक किसान जो जमींदार से ऋण लेता है पर चुनावों में किसान दल को मत देता है। इस लिए उस पर अत्याचार किया जाता है और विपरीत परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाती हैं। जमींदार के पुत्र को उसका अपना सगा भाई अगुवा कर लेता है, जिससे जमींदार के मन में बदलाव आता है। गाँधीवाद संरक्षण की विचारधारा में विश्वास करते हुए भूमि जोतने वालों को भूमि का अधिकार दे दिया।

लता ने रंगय्या से कहा कि उनके पाठशाला में फिल्म **गाँधी** दिखाई गयी। उसने लता से कहा कि 1982 में यह फिल्म रिचर्ड अटैनबोरो द्वारा अंग्रेजी में बनाई गई। अपने जो फिल्म देखी तेलुगू में अनुवादित फिल्म थी। इस फिल्म का हिंदी और अनेक प्रांतीय भाषाओं में भी अनुभव किया गया।

बाद में स्वतंत्रता आंदोलन पर अनेक फिल्में बनीं। तेलुगू में आदिवासी जनता के संघर्ष से जुड़ी। माँ भूमि, कोमरम भीम जैसे फिल्में चित्रित हुईं।

माँ भूमि जिसका निर्देशन नरसिंगा राव ने किया, उसमें तेलंगाणा के किसानों के विद्रोह को चित्रित किया गया। जमींदार के पास 50 हजार एकड़ भूमि थी। फिल्म का मुख्य पात्र रामय्या उस जमींदार का मजदूर था। रामय्या गाँव छोड़ हैदराबाद में बसता है और फैक्टरी में भती हो जाता है। कम्यूनिस्ट नेताओं से बातचीत कर उनसे मित्रता बढ़ाता है। राशिया में विद्रोह आन्दोलन द्वारा आए परिवर्तन की जानकारी हासिल करता है। सामंतवाद के विरुद्ध लड़ने के लिए वह पून गाँव लौटने का निर्णय करता है। इस सशक्त संघर्ष द्वारा निजाम के शासन का अंत हुआ। हैदराबाद के विलय के पश्चात् भारतीय सेना ने सशक्त संघर्ष का अन्त किया, इसी अवधि में रामय्या का देहान्त हो गया। **बन्देनाक बड़ी कट्टी और पल्लेट्टरी पिल्लगाडा, पशुलागाचे, मोनगाडा** आदि गीत लोगों में प्रसिद्ध

हुए और आज भी प्रसिद्ध है। अभिनेता और अभिनेत्रीयों के प्रशंसकों की भीड़ लगी होती है और कई प्रशंसक समूह हैं। जो अन्य किसी पेश या खेल जगत के खिलाड़ियों के भी न होते हो।

कोमुरम भीम पर भी चलचित्र बनाई गई और वह इसके निर्माण के 20 वर्ष बाद जूलाई 2010 में मुकुदामगरी भूपाल रेड्डी ने प्रधान पात्र की भूमिका निभाई। फिल्म निदेशक अत्लसानि श्रीधर ने प्रथम उत्तम फिल्म निदेशक का पुरस्कार प्राप्त किया। इस फिल्म ने राष्ट्रीय एकता के लिए उत्तम फीचर फिल्म और अनेक राज्य स्तरीय फीचर फिल्म और अनेक राज्य स्तरीय नंदी पुरस्कार भी प्राप्त किए। कोमुरम भीम का संबंध आदिलाबाद के गोंड जनजाति से है। अशिक्षित होते हुए भी निजाम सरकार द्वारा आदिवासियों के शोषण के विरुद्ध उसने संघर्ष किया। उसने न्यायिक एवं सशस्त्र दोनों संघर्षों से लड़ा। निजाम सरकार से लड़ते हुए बाबेझारी स्थान पर 27 अक्टूबर 1940 को कोमुरम भीम मारा गया। इसके अलावा तेलुगु के चलचित्र राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित थे, इसी तरह अनेक देशभक्ति गीत भी बनाए गए।

सहसा, रंगय्या ने 1949 में बनी *मन देशम* सिनेमा का गाना गाया वेडलिपो तेल्ल दोरा वेडलिपो.....) सफेद शासक चले जाओ, चले जाओ)। लता जी ने भले ताता मन बापूजी.....गाया जिसे राष्ट्रीय त्यौहार एवं गांधी जयंती के दिन उनकी पाठशाला में क्रमशः गाया जाता था। अपने पितामह से यह जानकर उसे आश्चर्य हुआ कि यह गीत 1955 में बनी दोंग रामुडु फिल्म गीत है।

- स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी कम से कम और दो फिल्मों की सूची बनाईए।

- तेलुगु फिल्मों से देशभक्ति गीतों इकट्ठा को कीजिए।

समाज पर सिनेमा का प्रभाव

जबकि समाज कला और फिल्मों को प्रभावित करता है यह भी सत्य है कि फिल्में समाज को प्रभावित करती हैं। नूतन प्रसिद्ध फिल्मों की केश एवं वेश भूषा शैली का अनुकरण होता है। संभाषण, गाने और व्यवहार शैली भी नकल कर अनुकरण करते हैं।

- दो दल बनाकर प्रशंसक मंडलियों के पक्ष-विपक्ष में (वाद-विवाद) करे।

फिल्में समाज में व्यक्तियों के धारणाओं और विचारों को प्रभावित कर सकती है। देशभक्ति, भूमि के लिए जन संघर्ष, धैर्यशाली कार्य करने वाले निज जीवन के नायक, भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष आदि का चित्रण करते हुए तेलुगू में कई फिल्में हैं। यह सब ऐसा रहने पर भी फिल्मों के कई दुष्प्रभाव भी होते हैं। फिल्मों में स्त्री को दयनीय स्थिति को दर्शाया जाता है जिससे समाज में लिंग-भेदभाव को बढ़ावा मिल रहा है। कभी-कभी धूम्रपान एवं मदिरापान के दृश्य भी फिल्मों में चित्रित है जिससे बड़े और नेताओं की तरह कार्य करने का युवकों के मस्तिष्क पर प्रभावशाली असर हो रहा है। कई फिल्में अश्लील और अधिक हिंसात्मक चित्रित हो रही हैं। डकैती एवं हिंसा के कार्यों में पकड़े गए किशोरों का कहना है कि उनको यह विचार उस तरह के फिल्में देखने से आया है। बहुत ज्यादा हिंसा के प्रदर्शन के कारण बच्चे हिंसा के विरोधी बन जाते हैं या स्वयं हिंसक बन जाते हैं।

दूसरी ओर समाज में घटने वाली सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाक्रम पर भी फिल्में बनाई जा रही हैं। इन्हें दस्तावेजी फिल्म कहा जाता है।

- तुमने जो नयी फिल्म देखी है उसका विश्लेषण करे, कि उस फिल्म का विषय तुम जैसे बच्चों पर क्या प्रभाव डालता है।
- इस महीने में विभिन्न छात्रों द्वारा देखी गई फिल्मों की सूची बनाइए। एक सूची परि हिंसा के लिए 0-5 श्रेणीबद्ध करे जिसमें बिल्कुल हिंसा नहीं है वह - ५ और जिसमें सबसे ज्यादा हिंसा है वह 0 में दर्शाएं।

सिनेमा- एक उद्योग

तेलुगू फिल्म उद्योग ने डब फिल्मों सहित एक साल में औसतन 200 फिल्मों का निर्माण के कीर्तिमान को दर्ज किया। तेलुगू फिल्म उद्योग प्रारंभ में चेन्नई में स्थित थी। सरकार के प्रोत्साहन के कारण हैदराबाद को स्थानांतरित हुआ। प्रत्येक फिल्म के निर्माण का खर्च लगभग रु. 5 से 50 करोड़ के बीच होता है। राज्य में 2000 से भी ज्यादा सिनेमा घर है। फिल्म उद्योग प्रत्यक्ष रूप से निर्माण में और अप्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शन में हजारों लोगों को रोजगार प्रदान करता है।

मुद्रण माध्यम

इससे पहली कक्षाओं में तुमने महान ग्रंथों के बारे में सीखा। पहले लोग विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ जैसे ताल पत्र, लकड़ी और कपड़े पर लिखते थे। 11 वीं शताब्दी में कागज के उत्पादन से और 15 वीं शदी के मध्य में गुटेनबर्ग द्वारा छापा यंत्र के अविष्कार से परिस्थिति बदल गई। जबकि पढना और लिखना कुछ वर्गों तक ही सीमित था।



सामान्य जनता तक साक्षरता को पहुँचाने में मुद्रण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

मुद्रण के प्रवेश से विभिन्न प्रकार के पुस्तकें बनाना आसन हो गया था। इनके अतिरिक्त दैनिक समाचार पत्र साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक अंतर से प्रकाशित होने वाली पत्रिकाओं की संस्कृति का आरंभ हुआ।

- विभिन्न उद्देश्यों की अनेक पत्रिकाएँ हैं। तुम्हारे गाँव/नगर में उपलब्ध विभिन्न पुराने पत्रिकाओं के आवरण पृष्ठ इकट्ठा करो और उनका विषयानुसार विभाजन करो। इन पत्रिकाओं के वर्गीकरण का और और दूसरा तरीका है।

प्रिंट मीडिया में दैनिक समाचार पत्र, साप्ताहिक समाचार पत्र, और मासिक पत्रिकाएँ सम्मिलित है। समाचार और ज्ञान उपलब्ध कराने में प्रिंट मीडिया का उल्लेखनीय योगदान है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के आगमन के बाद भी प्रिंट मीडिया का महत्व कम नहीं हुआ है।

अपने दैनिक जीवन में समाचार पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। चीन से प्रकाशित **द पेकिंग गजेट** को अनेक अनुसंधाता प्रथम समाचार पत्र मानते हैं। इसका प्रकाशन सन् 1618 में हुआ था। प्रारंभिक स्तर में यह समाचार पत्र हाथ से लिखा जाता था। बाद में यह मुद्रित होकर वितरित होने लगा। आधुनिक दृष्टिकोण से पहला समाचार पत्र 1655 में आक्सफोर्ड से लंदन में प्रकाशित हुआ। इसका नाम आक्सफोर्ड गजेट था। यू एस ए में पहला समाचार पत्र **पब्लिक अकुरेन्सेस** है जिसकी शुरुआत 1690 में हुई। भारत में पहला समाचार पत्र कलकत्ता से 1780 में प्रकाशित हुआ। इसका नाम **बेंगाल गजेट**

था। भारत के दूसरे, तीसरे और चौथे समाचार पत्र इंडियन गजेट **दि कलकत्ता गजेट** बेंगल जर्नल्स भी कलकत्ता से शुरू हुए। मुटनूरि कृष्णाराव के संपादन में निकलने वाला **कृष्णा पत्रिका** तेलुगू का प्रथम समाचार पत्र था।

प्राद्योगिक क्रांति के कारण प्रिंट मीडिया का आधुनिकीकरण हुआ। बहुत समय तक समाचार पत्रों का उत्पादन हाथ से लिखकर किया जाता था। बाद में मोनोटाइप और लिनोटाइप में बदल दिया गया। इस प्रक्रिया में अक्षरों को जोड़ने (कंपोजिंग करने) वाली मशीन चालित एक कुंजी पटल का प्रयोग होने लगा। ये भी अनुपयोगी हो गए, इनके स्थान पर अब टंकण कंप्यूटरों, आफसेट और लेजर प्रिंट का उपयोग हो रहा है। शुरू में समाचार पत्र केवल श्वेत-श्याम छापे जाते थे। लेकिन अब लगभग सभी समाचार पत्र रंगीन छापे जा रहे हैं।

समाचार पत्र समसामयिक घटनाक्रम/विभिन्न स्तर की राजनीति, व्यापार, खेल, सिनेमा आदि के बारे में सूचना देते हैं।

- तुम्हारे प्रांत में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के समाचार पत्र कक्षा में ले आओ। कई दल बनाइए। समाचार पत्र संगठन को जानकर विश्लेषण कीजिए।
- एक सप्ताह के सभी समाचार पत्र इकट्ठा करो। उपरोक्त दलों से एक सूची बनाइए कि किस दिन कौन-सा विशेषांक आता है। यह कक्षा में उपस्थित करें। समाचार पत्रों में विशेष लेख क्यों छापे जाते हैं। अपनी ओर से कारण बताइए।



गोलकोंडा समाचार पत्र - 1938 कतरन

सांस्कृतिक जागरण और स्वतंत्रता आंदोलन में समाचार पत्रों की भूमिका

ब्रिटिश काल में समाज में मूलभूत परिवर्तन लाने के लिए समाज सुधारकों ने सक्रिय आंदोलन शुरू किया। सती प्रथा का उन्मूलन और विधवा पुनर्विवाह का प्रोत्साहन जैसे प्रमुख सुधारों के द्वारा हिंदू धर्म में सुधार का प्रयत्न किया। इन महान सुधारकों की प्रेरणा से देश के विभिन्न प्रांतों में समाचार पत्र शुरू किए गए।

भारतीय स्वतंत्रता के कई सेनानी समाचार पत्रों के संपादक थे। **अमृत बाजार पत्रिका** (1868 में शुरूआत) के संपादक शिशिर कुमार घोष थे। **बंगाली** (1833 में शुरूआत) के संपादक सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। **दि हिंदू** (1878 में शुरूआत) के संपादक जी. सुब्रमण्यम अय्यर थे। **केसरी** (1881 में शुरू हुआ) के संपादक बालगंगाधर तिलक थे। इन पत्रों के संपादक अपने विचारों को समाचार पत्रों में व्यक्त करते थे। भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जगाने में इन पत्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे पहले के अध्याय में मुटनूरि कृष्णा राव द्वारा संपादित **कृष्णा पत्रिका** के बारे में संक्षेप में पढ़ चुके हैं।

आन्ध्र महासभा ने एक करदीपिका शीर्षक था **वेटीचाकरी रट्टु** (बन्दवा मजदूरी का उन्मूलन) को निजाम के जमींदार एवं जागीरदारों के अन्तर्गत हैदराबाद राज्य के नागरिक समस्याओं को संवेदनशील बनाने के लिए छापा तेलंगाणा के कुछ महत्वपूर्ण प्रकाशन एवं पत्रिकाएं हैं - जैसे - निलगिरि



పత్రికా जिसका संपादन नलगोंडा के शब्दविशु वेंकटराम नरसिंहा राव ने किया, तेलुगु पत्रिका वरंगल के इनुगूर्ती वडिड्राजु भाईयों, गोलकोंडा जिसका सम्पादन सुरावरम् प्रताप रेड्डी का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रवादी भावना उजागर करना था। मन्दुमूला नरसिंग राव ने उर्दू पत्रिका रय्यात का सम्पादन किसानों की

समस्याओं को उजागर करने में किया। शोयबुला खान ने इमरोज में अपने लेखों द्वारा निजाम के तानाशाही शासन और जमींदारों की गुडगदी की आलोचना की। जिसके कारण वश रजाकरों ने उनके हाथ कटवाकर हत्या कर दी।

महात्मा गाँधी बहुत प्रचुरता से लिखते थे। इन्होंने 1918 में यंग इंडियन निकाला, गुजराती में और एक नवजीवन पत्रिका शुरू की। इन्होंने महादेव देसाई के संपातकत्व में हरिजन में विस्तृत रूप में लिखा।

मुख्य शब्द

1. प्रोजेक्टर
2. कॉमेंटरी
3. कंपोज (अक्षर जोड़ना)
4. गजेट
5. प्रकाशन

सीखने में सुधार

1. नाटक और सिनेमा के बीच तीन भिन्नताओं को लिखिए।
2. क्या तुम समझते हो अपनी भाषा की पुस्तक की कोई कहानी या कविता की छोटी फिल्म बनाई जा सकती है? उसके आधार पर फिल्म बनाने के लिए क्या तुम समझते हो कि तुम्हें कई प्रकार के लोग चाहिए।
3. कुछ लोग तर्क देते हैं कि “सिनेमा समाज को बदलने का शक्तिशाली साधन है” दूसरों का तर्क है “इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है”. किनके तर्क/ विचार से आप सहमत हैं और क्यों ?
4. प्रारंभिक सिनेमाओं को कौन से मुख्य विषय की चर्चा हुई ? तुम्हारे द्वारा देखे गए सिनेमाओं से किस तरह उसमें समानताएँ और असमानताएँ हैं।
5. स्वतंत्रता आंदोलन में समाचार पत्रों ने किस तरह प्रधान भूमिका निभाई है?
6. आजकल नाटकों के लोप के कारण क्या है?

वाद विवाद - सिनेमा ज्ञान दे रही हैं या जीवन खराब कर रही है? वाद विवाद का संचालन कीजिए।
परियोजना

1. समाचार पत्र को देखकर वर्गीकृत करें कि किस प्रकार पृष्ठों का आयोजन किया गया है? किस प्रकार की छवियों और फोटोग्राफों का प्रयोग किया गया है? विज्ञापनों को कितना स्थान दिया गया है? संपादकीय में किन मुद्दों को शामिल किया गया है?
2. कुछ प्रसिद्ध टी.वी. चैनलों का चलन करें। ४ से ५ बच्चों का समूह बनाइए। प्रत्येक टीम में विभिन्न विषयों के चैनलों द्वारा आवांठित समय के अनुपात का आकलन करें जैसे - धर्म, समाचार, फिल्में, धारावाहिक आदि। कक्षा में अन्यटीमों के साथ अपने निष्कर्षों को बाँटिए।

राष्ट्रीयता, वाणिज्य और खेल-कूद

- क्या तुम्हें खेलना पसंद है?
- तुम कौन सा खेल खेलते हो?
- कौन सा खेल तुम्हें सबसे अच्छा लगता है?
- ऐसे खेलों के बारे में बताओ जो केवल लड़के या लड़कियाँ ही खेलती हैं?
- क्या कई खेल केवल गाँव में खेलने वाले होते हैं ?।
- क्या कई खेल केवल अमीर लोगों के द्वारा खेलने वाले होते हैं?

आप क्यों खेलते हैं ?

सूचना : अगर आप सहमत हैं तो(✓) का चिन्ह लगायें । असहमत हैं तो (×) का चिन्ह लगायें। अगर आपको कोई अन्य कारण ज्ञात हो तो सूची में शामिल करें ।

खेलना आसान है।	
खेलने में आनंद आता है।	
माता-पिता, अध्यापकगण व मित्र तारीफ करते हैं ।	
खेल चुनौतीपूर्ण होते हैं।	
खेल शरीर को स्वस्थ रखता है।	
अपने प्रिय खिलाड़ियों जैसे सचिन, सानिया की नकल करने के लिए ।	
खेल पढाई से आसान है।	
टेलीविजन पर दिखाई देते हैं।	
खेल में लिखित परीक्षा नहीं होती है।	
अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने के लिए ।	
देश का गौरव बढ़ाने के लिए ।	
नाम, रूपया और कीर्ति बढ़ाने के लिए ।	

कक्षा के विद्यार्थियों की राय लेकर जानिए कि कौन सा कारण सबसे महत्वपूर्ण माना गया है।

खेल कई कारणों से खेले जाते हैं, मगर समाज में खेले जाने वाले खेलों का प्रभाव हम पर पड़ता है। उदाहरणार्थ क्रिकेट ऐसा खेल था जो कबड्डी की तरह इंग्लैंड के ग्रामीणों द्वारा खुले मैदानों में खेला जाता है। फिर भी यह पूरे भारत में गाँवों और

कस्बों में खेला जाता है। विशेषकर युवाओं में इस खेल के प्रति सनक और श्रद्धा बढ़ गई है। लोग अपने महत्वपूर्ण समय को टी.वी. पर मैच देखने में खर्च करते हैं। कुछ लोग तो अपनी प्रिय टीम को जीतने के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। क्रिकेट ने प्रसिद्धि

पा ली है कि अन्य खेल जैसे हाकी, फुटबाल, कबड्डी व खो-खो को समर्थन प्रोत्साहन मिलना ही बंद हो गया है। इसका क्या कारण हो सकता है? इंग्लैंड के गाँवों में खेले जाने वाले इस खेल को हमारे देश में इतनी प्रसिद्धि कैसे मिली, आईए इसका कारण जानने का प्रयत्न करते हैं।

इंग्लैंड में आविष्कृत यह खेल 19 वीं शदी के अंत तक अमीर जमींदारों जिन्हें सज्जन कहा जाता था उनका खेल बन गया। यह खेल अंग्रेजी मूल्यों निष्पक्षता, अनुशासन व सज्जनता को प्रकट करता था। इसे विद्यार्थियों को आदर्श नागरिक बनाने के लिए शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत स्कूलों में सिखाया जाने लगा। यह खेल केवल लड़कों के लिए था। इंग्लैंड के अन्य खेलों फुटबाल व हाकी से हटकर जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए, यह केवल उन देशों में प्रसिद्ध हुआ जहाँ अंग्रेजों ने राज्य किया था। इन बस्तियों में क्रिकेट गोरे उपनिवेशियों (जैसे साउथ अफ्रीका, जिम्बाम्बे, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्टइंडीज, केनिया में) या उन लोगों द्वारा जो अपने उपनिवेशी मालिकों की आदतों की नकल करना चाहते थे जैसे भारत में।

- अपने मानचित्र में क्रिकेट खेलने वाले देशों को ढूँढें।
- क्या आपको पता है कि वेस्टइंडीज के नाम के कोई एक देश नहीं है। इन द्वीपों में एक ऐसे द्वीप को पहचाने जहाँ दौड़ के सर्वश्रेष्ठ एथलीट रहते हैं _____

भारत में क्रिकेट

क्रिकेट के प्रशंसक जानते हैं कि एक मैच देखने में पक्ष लेना सम्मिलित होता है। रणजी ट्राफी में जब दिल्ली मुंबई के बीच मैच होता है तो दर्शकों की निष्ठा इस पर निर्भर होती है कि वे कौन से शहर के हैं। जब भारत आस्ट्रेलिया के बीच मैच होता है तो हैदराबाद व चेन्नई में टी.वी. पर देखने वाले अपने आपको भारतीय समझकर राष्ट्रीयता के प्रति निष्ठा दिखाते हैं। भारतीय फर्स्ट क्लास क्रिकेट की शुरुआत में टीमों को भौगोलिक नियमों के अनुसार नहीं चुना जाता था और 1932 तक टेस्ट मैच खेलने के लिए भारतीय टीम को अधिकार ही नहीं दिया गया। टीमों कैसे चुनी जाती थी और प्रादेशिक या राष्ट्रीय टीमों के अभाव में क्रिकेट के प्रशंसक किसका पक्ष लेते थे? यह जानने के लिए हम इतिहास की तरफ जाएंगे कि भारत में क्रिकेट का विकास कैसे हुआ और राज के दिनों में समर्थन की समझ नें भारतीयों को एकजुट और विभाजित कैसे किया।

भारतीय क्रिकेट की शुरुआत मुंबई में पारसियों द्वारा हुई। इनकी व्यापार में और पाश्चात्य सभ्यता में रूचि के कारण ये अंग्रेजों के करीब हो गये। पारसियों ने 1848 में पहले भारतीय क्रिकेट क्लब की स्थापना मुंबई में की। जिसे ओरियन्टल क्रिकेट क्लब कहा गया। पारसी व्यापारियों जैसे टाटा और वाडिया जैसे लोगों ने इस क्लब की सहायता धन देकर की। इन्होंने इसका प्रायोजन भी किया। उत्साही पारसियों को संभ्रांत उच्चवर्गीय खेलने वाले व्यक्तियों से कोई मदद नहीं मिली। बल्कि बाम्बे जिमखाना जो केवल गोरों का क्लब था और पारसी खिलाड़ियों के बीच एक सार्वजनिक पार्क को लकर झगड़ा हो भी हो गया।

जब यह बात सामने आयी कि उपनिवेशक प्राधिकारी अंग्रेजों का पक्ष लेकर पक्षपात कर रहे हैं। तो पारसियों ने अपना स्वयं का जिमखाना क्रिकेट खेलने के लिए बना लिया। इन दोनों क्लबों की प्रतिद्वंद्विता का अन्त सुखान्त रहा। एक पारसी टीम ने 1889 में बाम्बे जिमखाना को हरा दिया। यह घटना 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के केवल चार वर्षों बाद घटी।

पारसी जिमखाना की स्थापना दूसरे भारतीयों के लिए उदाहरण बन गयी थी जिन्होंने धार्मिकता के आधार पर क्लबों की स्थापना की। 1890 तक हिन्दू लीग हिन्दू जिमखाना व मुस्लिम लोग मुस्लिम

जिमखाना स्थापना में लग गए। इसके कारण जिमखाना क्रिकेट साम्प्रदायिक और जातीय आधारों पर खेला जाने लगा। जो उपनिवेशी भारत की सबसे प्रसिद्ध व प्रथम श्रेणी की टीम थी के रणजी ट्राफी जैसी क्षेत्रों में पर आधारित टीमों का प्रतिनिधित्व करती थी। बल्कि धार्मिक संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करती थी। इस खेल प्रतियोगिता को पंचभूजी कहा जाता था क्योंकि यह यूरोपीय, पारसी, हिन्दू, मुस्लिम और अन्य कुल मिलाकर पाँच टीमों द्वारा खेला जाती थी। 1930 के अंत और 1940 के प्रारंभ तक पत्रकारों, क्रिकेट खेलने वालों और राजनेताओं द्वारा पंचमुखी प्रतियोगिता

महात्मा गाँधी और उपनिवेशी खेल

महात्मा गाँधी का विश्वास था कि शरीर और मन के संतुलन के लिए एक खेल खेलना आवश्यक है फिर भी वह जोर देते थे कि क्रिकेट और हाकी जैसे खेल अंग्रेजों द्वारा लाए गए और वे भारत के पारंपरिक खेलों का स्थान लेते जा रहे हैं। वे उपनिवेशी मानसिकता को दिखाते थे और खेलों में काम करने वालों के सरल व्यायाम से कम प्रभावशाली थे।

‘मुझे बहुत दुख भरा आश्चर्य होगा अगर मुझसे कहा जाए कि तुम्हारे बच्चे सारे खेलों से बाहर कर दिए गए हैं। अगर तुम्हारे पास राष्ट्रीय खेल है तो मैं तुम्हें जोर देकर कहूँगा कि तुम्हारी संस्था का पुराने खेलों को इसे पुनर्जीवित करने में आगे आना चाहिए। मैं जानता हूँ कि भारत में बहुत से ऐसे उत्कृष्ट देशी खेल हैं जो कम खर्चीले तथा बहुत ही रोचक भी हैं। वास्तव में उनकी लागत नगण्य है’

24 नवंबर 1927 को महिन्द्रा कालेज में दिया गया द क्लेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गाँधी का भाषण।

‘एक मजबूत शरीर सदा अपनी इच्छानुसार काम के लिए तैयार रहता है। मेरे विचार में ऐसे शरीर फूटबाल के मैदान में नहीं बनते। वे मकई के खेलों में बनते हैं। मैं चाहता हूँ तुम इस पर विचार करो तुम्हें मेरी बात को सिद्ध करने वाले असंख्य उदाहरण मिलेंगे। उपनिवेशी संस्कृति में उत्पन्न हमारे बहुत से भारतीय इस फूटबाल और क्रिकेट की सनक से प्रभावित हैं। इन खेलों को विशेष परिस्थितियों में एक स्थान प्राप्त हो सकता है। हम इस सीधी बात पर विचार क्यों नहीं करते कि अधिकांश लोग जो शरीर और मन से ऊर्जावान हैं वे सीधे-साधे किसान हैं और इन खेलों से अपरिचित हैं।

लेजारस को 17 अप्रैल 1915 का पत्र, द क्लेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गाँधी वाल्यूम 14

का जातीय व साम्प्रदायिकता संबन्धन नीति की आलाचना करने लगे थे।

- क्रिकेट और पाश्चात्य सभ्यता के विकास के बीच कैसा संबंध होगा ?

आधुनिक क्रिकेट में राष्ट्रीय टीमों के बीच यह टेस्ट मैच और एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय मैच का



खेल के अनेक उपकरणों को आप यहाँ देख सकते हैं । ये हमारे स्थानीय बाजारों विभिन्न गुणवत्ता वाले उपकरण उपलब्ध है। क्या आपको लगता है कि जिन उपकरणों से पेशेवर वयस्क जो पैसा बनाने के लिए खेलते है उसकी तुलना बच्चों के मनोरंजन के लिए खोलने योग्य है।

अधिपत्य है। जो खिलाड़ी राष्ट्र के लिए खेलते हैं केवल वही क्रिकेट प्रेमियों के मन में रहते हैं और प्रसिद्धि पाते हैं। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के डेढ़ दशक पहले 1932 में टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत की। टेस्ट क्रिकेट का प्रारम्भ 1877 में शासित साम्राज्यों के विभिन्न भागों के बीच प्रतियोगिता के रूप में हुआ। क्रिकेट के खेल के द्वारा उपनिवेशी शासकों को चुनौती देकर समानता स्थापित करना संभव हुआ।

क्रिकेट में परिवर्तन

1970 में क्रिकेट में परिवर्तन आया । जब बदलते हुए विश्व में पारंपरिक खेल ने खुद को विकसित किया। 1970 में अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट में साउथ अफ्रिका का बहिष्कार एक उल्लेखनीय घटना थी तो 1971 की प्रसिद्ध घटना इंग्लैंड और आस्ट्रेलिया के बीच मेलबोर्न में खेला गया पहला अन्तर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच था। खेल के इस छोटे रूप की अत्यधिक प्रसिद्धि ने 1975 के पहले विश्व कप को प्रारम्भ करने में मदद की फिर 1977 में टेस्ट मैचों का 100 वें वर्ष में खेलकूद शाश्वत परिवर्तन कैरी पैकर नामक व्यवसायी के द्वारा हुआ जो आस्ट्रेलिया टेलीविजन का शक्तिशाली उद्योगपति था। इसने क्रिकेट परिषद की अनुमति के बिना विश्व के 51 प्रमुख खिलाड़ियों को साइन कर लिया क्योंकि टेलीविजन पर क्रिकेट की धन कमाने की क्षमता का अन्दाजा पहले ही लगा लिया गया था । लगभग दो साल तक अवधिकृत

टेस्ट और एक दिवसीय मैचों का आयोजन इसने वर्ल्ड सीरिज क्रिकेट के अन्तर्गत किया। पैकर की सरकस कहलाने वाली श्रृंखला दो सालों में ही समाप्त हो गई पर इसके द्वारा किए गये परिवर्तनों ने खेल को पूरी तरह से बदल दिया और टी.वी. दर्शकों के लिए अधिक रोचक बना दिया।

रंगीन वेशभूषा, हेलमेट, रात के प्रकाश में खेलना, ये सब पैकर के बाद खेल का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। मुख्य रूप से पैकर ने यह साबित कर दिया कि क्रिकेट ऐसा खेल है जिसके द्वारा बहुत सा धन कमाया जा सकता है। टेलीविजन कंपनियों को प्रसार के अधिकार बेचकर क्रिकेट बोर्ड धनवान हो गया। टेलीविजन चैनलों ने भी विज्ञापनों के लिए उन कंपनियों समय देकर खूब धन कमाया, जो अपने उत्पादों का टी.वी. पर विज्ञापन देना चाहती थी। लगातार टी.वी. पर क्रिकेट खिलाड़ियों के आने से वे सब लोकप्रिय हो गए और क्रिकेट बोर्ड द्वारा दिए गए रूपयों से अधिक रूपये विभिन्न प्रकार के विज्ञापनों द्वारा कमाने लगे। टेलीविजन पर क्रिकेट के प्रसार ने इस खेल को बदल दिया। छोटे कस्बों और गाँवों में भी क्रिकेट के दर्शक बढ़ गये। इसने क्रिकेट का सामाजिक स्वरूप भी परिवर्तित कर दिया। बड़े शहरों वाले बच्चों को भी अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट देखने और अपने नायकों को देखकर सीखने का अवसर मिलने लगा। सेटेलाइट टेलीविजन कंपनियों की विश्व भर में पहुँच ने क्रिकेट के लिए विश्व बाजार को निर्माण किया।

- टेस्ट क्रिकेट के प्रभाव की कमी के कारणों की सूची बनाए।

वाणिज्य प्रसार माध्यम और आज का क्रिकेट

सिडनी में खेले जाने वाले मैच आज सूरत में सीधे देखे जा सकते हैं, इस छोटे से परिवर्तन के कारण ब्रिटिश साम्राज्य टूट गया और क्रिकेट का वैश्वीकरण हुआ क्योंकि भारत में क्रिकेट खेलने वाले सभी देशों से अधिक दर्शक हैं और क्रिकेट का सबसे बड़ा बाजार भी यही है इसलिए खेल की धूरी दक्षिण एशिया में स्थापित हो गई। आई.सी.सी. का मुख्यालय लंदन से कर मुक्त दुबई में स्थापित होना इसका सूचक है।

एंग्लो -आस्ट्रेलियन धूरी के बदल जाने की मुख्य सूचना भारत पाकिस्तान व श्रीलंका देशों की टीमों के खेलने में मिल रही है। पाकिस्तान ने बौलिंग में दो नई तकनीकों दूसरा तथा रिवर्स स्विंग को शुरू किया। दोनों गुण उपमहाद्वीप की परिस्थितियों की प्रतिक्रिया में विकसित किए गए। दूसरी तकनीक भारी बैट वाले आक्रामक बल्लेबाज के विरुद्ध प्रयोग किया जाता है जो फिंगर स्विंग को बेकार कर देता है और रिवर्स स्विंग साफ मौसम में धूल भरे व उदासीन विकेट में बाल का गतिशील बनाने के लिए प्रयोग करते थे। प्रारम्भ में दोनों नई तकनीकों को ब्रिटेन और आस्ट्रेलिया जैसे देशों द्वारा अविश्वास से देखा गया जो उन्हें कपटपूर्ण क्रिकेट के नियमों के विरुद्ध मानते थे। समय के साथ यह स्वीकार कर लिया गया कि क्रिकेट के नियम में केवल ब्रिटिश और आस्ट्रेलिया की परिस्थितियों पर आधारित है, जारी नहीं रह सकते। और इसलिए वे तकनीक सभी गेंदबाजों द्वारा विश्व भर में अपना ली गई।

150 साल पहले प्रथम भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों पारसियों को खेलने के लिए मैदान ढूँढने में भी संघर्ष करना पड़ा था। आज वैश्विक बाजार ने भारतीय खिलाड़ियों को सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा रूपये पाने वाले खिलाड़ी बना दिया है। छोटे-छोटे कई परिवर्तनों जैसे शौकिया तौर पर खेलने के बदले पेशेवर खिलाड़ी बन जाना।

एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय खेल द्वारा टेस मैट को फीका कर देना और विश्व वाणिज्य व तकनीक के क्षेत्र में असाधारण परिवर्तन इत्यादि के बाद यह कायापलट हुई है। समयानुसार परिवर्तन होना ही

इतिहास है। इस पाठ में हमने एक उपनिवेशी खेल का इतिहास जाना और समझने का प्रयत्न किया कि उपनिवेशी संस्कृति के बाद विश्व ने इसे किस तरह से अपनाया ।

- क्रिकेट के बारे में सोचते हुए विनायक ने उन शब्दों की सूची बनाई है जो केवल अंग्रेजी में ही है- बाउंड्री,ओवर, विकेट इत्यादि। क्या आप बता सकते हैं कि इन शब्दों के लिए तेलुगू भाषा में शब्द क्यों नहीं हैं।

भूतपूर्व आंध्र प्रदेश के अंडर 19 विश्व कप के खिलाड़ी जी.एच. विहारी से साक्षात्कार

प्र. अपने उस अनुभव के बारे में बताओं जब विश्व कप के फाइनल में हमारी टीम ने आस्ट्रेलिया को हराया था?

उ. (मुस्कराते हुए) हमारा प्रदर्शन शानदार था, बहुत रोमांचक भी.....कंगारुओं को उन्हीं की भूमि पर हराना चुनौतीपूर्ण था। यह जीत हमारी बड़ी उपलब्धि थी ।

प्र. क्रिकेट भारत में क्यों महत्वपूर्ण होता जा रहा है ?

उ. हमारे देश में बहुत सारे अवसर हैं, आप बच्चों को गली में खेलता हुआ देख सकते हैं। यह एक व्यवहारिकता का खेल है। लोग अपने खिलाड़ियों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देखना चाहते हैं। वर्ल्ड कप 1983 के बाद से ही खिलाड़ियों के प्रदर्शन में अनुरूपता है.....अब हमने 2011 विश्व कप और अंडर 19 विश्व कप जीत लिये हैं निकट भविष्य में ऐसी कई विजय प्राप्त होगी जिससे.....ऐसे उत्कृष्ट प्रदर्शन आगे भी होंगे।

प्र. क्रिकेट, कबड्डी, खो-खो और हाकी जैसे खेलों को पीछे छोड़ता जा रहा है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं ?

उ. हाँ कुछ हद तक, मगर दूसरे खेलों को भी प्रोत्साहन देना चाहिए। हाकी में धन की कमी देखकर मुझे दुख होता है....प्रायोजकों को आगे आना चाहिए , सरकार और लोगों को अभी इस पर ध्यान देना चाहिए।

प्र. खेल किस प्रकार राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाते हैं?

उ. मेरे अनुसार खेल और राष्ट्रीयता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। खेल तभी पनपते हैं जब दर्शकों द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है। इसका मुख्य सिद्धांत.....एकता और परिश्रम है।

खेल एकता की भावना का विकास करते हैं जो राष्ट्र के निर्माण के लिए आवश्यक है। देश का प्रतिनिधित्व करना राष्ट्रीय भावना का प्रतीक है।

प्र. क्रिकेट को अन्य खेलों की अपेक्षा अधिक व्यावसायिक पोषण क्यों मिलता है?

उ. टेलीविजन, प्रसार माध्यम और प्रायोजक इसके मुख्य कारण हैं। दूसरे खेलों में भी प्रचार और उत्साहवर्धन किया जाना चाहिए।

प्र. यह खेल आप केवल मनोरंजन के लिए खेलते हो या इसे जीविका व्यवसाय की तरह समझते हो?

उ. स्कूल में मैं केवल आनंद के लिए खेलता था। अब मैं इसे जीविका की तरह देखता हूँ। इसके द्वारा मैं अपने देश के लिए पुरस्कार जीतना चाहता हूँ।

प्र. क्या क्रिकेट दूसरे खेलों के महत्व को कम कर दे रहा है?

उ. बहुत से लोगों का विचार है कि क्रिकेट को हमारे देश में कुछ ज्यादा ही महत्व दिया जा रहा है। कंपनियाँ खेल को प्रायोजित करती हैं और खेल चैनल मैचों का सीधा प्रसारण करते हैं। मगर ऐसा दूसरे खेलों के साथ नहीं हो रहा है। परिणामस्वरूप पारंपरिक खेल जैसे कबड्डी, खो-खो, शतरंज जैसे खेल अपनी प्रसिद्धि खो रहे हैं। ऐसे खेलों में आगे बढ़ने के लिए खिलाड़ियों में लगन, समर्पण और कठिन परिश्रम का गुण होना चाहिए। यहाँ कोई चमत्कार नहीं होता केवल लगन से ही सफलता मिलती है।

अन्य लोकप्रिय खेल और उनकी स्थिति

हाकी भारत का एक लोकप्रिय खेल है। उपनिवेशी शासन के अधीन रहकर भी कई प्रतियोगिताओं में विजय प्राप्त की। 1980 तक भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय हाकी में अपना प्रभुत्व बनाए रखा। फिर भी अंतिम दशक से इसमें कमी आयी है। क्रिकेट की तरह हाकी को मीडिया और व्यावसायिक सहायता नहीं मिली। कबड्डी भारत का एक अन्य पारंपरिक खेल है। फिर भी यह केवल 10 वर्षों से ही अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला जाना शुरू हुआ है। भारत को इसमें सफलता मिली है। कई अन्य खेलों जैसे धनुर्विद्या, बैडमिन्टन, बॉक्सिंग खिलाड़ियों ने अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अनेक पदक प्राप्त किए हैं।

फिर भी हम एथलीट में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय खेलों जैसे फुटबाल, वॉलीबाल और बास्केटबाल के समान रूप सफल नहीं हुए हैं। ना ही प्रस्तुत चित्र में दिखाए खेल हमारे यहाँ व्यस्कों द्वारा खेले जाते हैं। क्या आप इन खेलों को खेल



चुके हैं। क्या आप इन खेलों के नियम बता सकते हैं? व्यस्क इन खेलों को क्यों नहीं खेलते।

खेल हमारा मानसिक एवं शारीरिक रूप में विकास करते हैं। सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के द्वारा पाठशाला स्तर पर बच्चों की प्रतिभा और रुचि की पहचान कर उन्हें प्रोत्साहित करती है। खेलों के विकास हेतु सरकार कोचिंग कक्षाएँ चलाती है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अन्तर्गत, खेल विभाग बच्चों को अन्तर्राष्ट्रीय मंच

पर प्रदर्शन करने हेतु विभिन्न रकेलों में प्रशिक्षित करती है। खेल परिषदों द्वारा कुशल बच्चों का चयन कर उन्हें विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। सरकार मंडल, संभाग, जिला, राज्य, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन करती है। विजेताओं को समानित किया जाता है और उन्हें सशक्त करने हेतु विशेष कोचों की नियुक्ति की जाती है। इस खेलों का आयोजन वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाता है। खेल के प्रति पंथ के विकास के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय समझ, सांस्कृतिक विकास एवं विश्व बंधुत्व के लिए किया जाता है। खेल भारत में राष्ट्रीय एकता का बढ़ावा देते हैं। क्योंकि भारत एक बहु सांस्कृतिक देश है।



मुख्य शब्द

1. उपनिवेशी
2. विश्व-वाणिज्य
3. राष्ट्रीयता
4. प्रायोजक

सीखने में सुधार

1. गलत वाक्यों को सही करें :
 - उपनिवेशी शासकों ने खेल को उन राष्ट्रों में प्रचार किया जो उनके शासन के अंतर्गत आते थे।
 - लोगों ने पश्चिमीकरण के लिए इस खेल को अपनाया ।
 - भारतीय किसान क्रिकेट खेलते थे।
 - शिष्टाचार की शिक्षा देने के लिए खेल को स्कूलों में शामिल किया गया।
2. क्रिकेट तथा अन्य खेलों के बारे में गाँधीजी के विचारों पर टिप्पणी कीजिए।
3. निम्नलिखित के बारे में संक्षिप्त जानकारी दें :
 - पारसी जिन्होंने भारत का पहला क्रिकेट क्लब स्थापित किया।
 - आई.सी.सी. के मुख्यालय का लंदन से दुबई में स्थानांतरित करने का महत्व ।
4. किसी स्थानीय खेल का इतिहास जाना। माता-पिता व दादा-दादी से पूछे कि वे इस खेल को अपने बचपन में कैसे खेलते थे? क्या ये आज भी वैसे ही खेला जाता है? परिवर्तन के ऐतिहासिक कारणों का पता लगाने का प्रयत्न करें ।
5. प्रोद्योगिकी क्षेत्र की प्रगति विशेषकर आधुनिक टेलीविजन तकनीक तत्कालीन क्रिकेट को कैसे प्रभावित किया ?
6. क्रिकेट के व्यवसायीकरण के परिणामों पर एक पैंपलेट (करपत्र) तैयार करें ।
7. विश्व के मानचित्र में किन्हीं पाँच क्रिकेट खेलने वाले देशों को पहचानिए।

वाद विवाद - क्या देशों की प्रतिष्ठा केवल खेलों से ही सकती है? वाद-विवाद का संचालन कीजिए।

परियोजना - किसी एक खेल की जानकारी एकत्र कीजिए उस खेल के इतिहास को एक रिपोर्ट के रूप में लिखिए।

प्राकृतिक आपदा प्रबंधन

भारत अपनी विशाल जनसंख्या एवं विभिन्न भौगोलिक विशेषताओं के कारण विश्व में सबसे अधिक विपत्ति प्रवृत्ति वाला देश कहा जाता है। प्राकृतिक दुर्घटनाएँ जैसे भूकंप, सूखा, बाढ़, तूफान एवं भू-स्खलन देश के विभिन्न भागों में घटते रहती हैं। भारत का पूर्वी एवं दक्षिणी भाग अधिकतर तूफान की चपेट में आते रहते हैं। हिमालय के पठार के भीतरी भाग में, भूकंप, ब्रह्मपुत्र एवं गंगा के मैदानों में बाढ़ एक साधारण बात है। राजस्थान एवं रायलसीमा अधिकतर भयंकर सूखे का अनुभव करते हैं। जैसे दक्षिण के कुछ भाग भी सूखाग्रस्त क्षेत्रों में आते हैं। इसका यह अर्थ है कि हम सब के लिए विभिन्न अनुपात में उन प्राकृतिक विनाशों से घिरे रहना सहज है। उदाहरण के लिए तटीय सीमाओं पर रहने वाले व्यक्ति अधिकतर बाढ़ एवं तूफान से पीड़ित रहते हैं जबकि वे भूकंप क्षेत्र में आते हैं। ऐसे क्षेत्र बहु विनाशक क्षेत्र कहलाते हैं।

विनाश के कारण होने वाली क्षति की संख्या तब अधिक हो जाती है जब वहाँ के लोग उस विपत्ति का सामना करने के लिए ठीक से तैयार नहीं रहते। उदाहरण के लिए बाढ़ एक प्राकृतिक विपत्ति है। अगर हम उसका सामना करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं तब उसके कारण लोग घर, पशु एवं कीमती सामान सब पानी में बह जाता है। तब बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा बन जाती है।

विभिन्न प्रकार के विनाश

विनाश कई प्रकार के होते हैं। उन्हें उनकी गति, मूल एवं उद्देश्य के आधार पर विभाजित किया जाता है।

अ. गति के आधार पर विनाश धीमा या तेज हो सकता है।

धीमी गति की आपदा : एक प्राकृतिक आपदा जो कई दिन, महीने या वर्षों तक चलता है जैसे भूखा, पर्यावरण स्तर में पतन, कीट संक्रामक, भूखा इत्यादि धीमी गति से होने वाले प्राकृतिक आपदा हैं।

तेज गति की आपदा : एक क्षण में होने वाला विनाश झटका देता है। इसका असर कुछ क्षणों के लिए या लम्बे समय तक होता है। भूकंप, तूफान, ज्वालामुखी आदि तेज गति से होने वाले कुछ अप्राकृतिक आपदाएँ हैं।

ब. उद्देश्य के आधार पर विनाश प्राकृतिक भी होता है मानव द्वारा निर्मित भी।

प्राकृतिक आपदा : ये एक ऐसी घटना हो जो प्राकृति के कारण घटती है जिससे प्राण हानि, वस्तु हानि, आर्थिक हानि, एवं प्राकृतिक हानि होती है। प्राकृतिक आपदाओं के उदाहरण हैं :

- | | |
|---------------|----------|
| अ. भूकंप | आ. तूफान |
| इ. बाढ़ | ई. सूखा |
| उ. सुनामी | |
| ऊ. भू-स्खलन | |
| ए. ज्वालामुखी | |


आपने कक्षा 7 में तूफान एवं बाढ़ का पाठ पढ़ा होगा तथा उनमें कैसे कमी लाई जा सकती है यह भी पढ़ा होगा। कक्षा 8 के विज्ञान की पुस्तक से आप भूकंप एवं उसके प्रभाव के विषय में पढ़ेंगे।

मानव द्वारा निर्मित आपदाएँ : सामान्य जीवन का गंभीर विध्वंस मानव द्वारा निर्मित

आपदाओं के प्रकार भी होते हैं जैसे आर्थिक हानि, पर्यावरणीय हानि, वस्तु हानि इत्यादि। उदाहरण के लिए 1984 में होने वाली भोपाल गैस दुर्घटना, 1997 में दिल्ली के उपहार सिनेमा घर में होने वाली दुर्घटना और 2002 में होने वाली राजधानी रेल दुर्घटना 2003 में कुम्बाकोनम के पाठशाला में होने वाली आग दुर्घटना, 2008 में जयपुर में होने वाली बम-विस्फोट दुर्घटना इत्यादि।

आपदा प्रबन्धन क्या है?

आपदा प्रबंधन ऐसी गतिविधियों का प्रबंध है जिससे विनाश/आपत्ति स्थिति में लोगों की सहायता की जा सके। ताकि वे विनाश को या तो रोक सके या कम कर सके या उसका सामना कर उससे बाहर आ सके। ये गतिविधियाँ है तैयारी, रोक-ताम, सहायता एवं रिकवरी



(दुबारा निर्माण एवं दुबारा बसाना) यह सभी गतिविधियाँ आपदा के पहले, आपदा के समय या आपदा के बाद की जा सकती है।

अध्यापक एवं छात्र सभी सुधाय के अभिन्न अंग हैं एवं उन्हें इन आपदाओं का सामना करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। छात्र अपने माता-पिता एवं समाज के लिए इस शिक्षा का संदेश देखकर सहायता कर सकते हैं। अध्यापकों का उत्तर दायित्व छात्रों को इस दिशा में प्रेरित करना है।


सुनामी

- क्या आपको पता है कि सुनामा क्या होता है? उनका निर्माण कैसे होता है। उनकी सूचना पहले के कैसे दी जा सकती है। अगर आप एक तटीय क्षेत्र के जिले में रहते हैं तो आप सुनामी से अपनी रक्षा कैसे कर सकते हैं?

सुनामी शब्द एक जापानी शब्द से बना है। सु का अर्थ है बंदरगाह और नेम का अर्थ है लहरे। सुनामी बहुत ही बड़ी लहरे होती हैं जिनका निर्माण भूकंप, ज्वालामुखी, समुद्र के भीतर के पास

में होने वाले भूकंप के कारण लहरे तेजी से मिनटों में किनारों पर पहुँच जाती हैं। जब यह लहरे जल के उपरी स्तर पर पहुँचती है तब ये कई फीट ऊँची जाती है। कई बार ये दस फीट ऊँची उठती है तथा तट पर तबाही मचाती है। भूकंप के कई घंटों बाद तक भी सुनामी का खतरा कई घंटों तक लहराता है।

- सुनामी से जुड़े चित्र एवं जानकारी इकट्ठा करें। चर्चा करे और इन चित्रों का सूचना पट्ट पर लगाइए।



चित्र 24.2: सुनामी लहरों का आलेखीय निरूपण

क्या आपको पता है ?

- A. सुनामी में क्रमांक से लहरे उठती है एवं पहली लहर ही सबसे बड़ी लहर नहीं हो सकती। पहली लहर आने के बाद भी सुनामी का खतरा की घंटों तक लगा रहता है।
- B. सुनामी प्रति घंटा 50 कि.मी. तक बढ़ती है। एक आदमी से भी अधिक तेज।
- C. सुनामी कभी भी दिन या रात में आ सकती है।

सुनामी आने से पहले आप क्या करते हैं :

1. यह पता कीजिए कि क्या आपका घर, पाठशाला या दूसरे स्थान जहाँ आप अधिकतर जाते हैं। सुनामी क्षेत्र में आते हैं।
2. घर से पाठशाला एवं कार्य क्षेत्र में सुनामी से बच निकलने का रास्ता तैयार कीजिए।
3. इन रास्तों से जो आप बच निकलने के लिए बनाये हैं प्रतिदिन आने जाने का आदत डालिए।
4. विनाश से बचने का सामान अपने पास रखिय।
5. अपने परिवार वालों के साथ सुनामी पर बातचीत कीजिए।

सुनामी का पता लगाना :

उपग्रह तकनीक के प्रयोग के कारण आज आगामी सुनामी की सूचना तुरंत दी जा सकती है। विपत्ति की सूचना का समय तट से सुनामी केन्द्र की दूरी पर निर्भर करता है। इस सूचना में सुनामी अधिकतर किस समय पर आ सकती है और कौन तटीय प्रदेश में कितने घंटों में आ सकते हैं बताया जाता है।

तटीय ज्वरीय गेज तट के समीप सुनामी को रोक सकते हैं। किन्तु गहरे समुद्र में वे बेकार हैं। सुनामी सूचकांक जो पृथ्वी को पनडुब्बी केबल से जोड़ते हैं लगभग 50 कि.मी. तक समुद्र पर फैले होते हैं। सुनामी दूरी से समुद्री तल पर तैरने वाले यत्र लगा देते हैं जो खतरे की सूचना उपग्रह तक पहुँचा देते हैं।

सुनामी के समय आप की क्या करना है :

- ▶ अगर आप घर पर बैठे हैं और सुनामी की चेतावनी सुनते हैं, आप तुरंत ही इसकी सूचना अपने परिवार के सारे सदस्यों को दे दीजिए। अगर आप सुनामी वाले क्षेत्र में हो तुरंत ही अपना घर छोड़ दें। सुनामी की सूचना की प्रतीक्षा न करें उन नदी एवं नहरों से दूर रहे जो समुद्र की ओर बहती हैं।
- ▶ अपने साथ विपत्ति में काम आने वाला सामान ले जाये जिससे आपका घर खाली करने पर भी समस्या न हो।
- ▶ घर छोड़ते समय अपने पशु भी साथ ले जायें।
- ▶ अगर आप समुद्र तट पर हैं और भूकंप

का आभास हो तब आप तुरंत ही किसी ऊँचे स्थान पर चले जाएं।

- ▶ ऊँची इमारतें एवं होटल जो निचले तटीय क्षेत्र में स्थित हैं उनको ऊपरी मंजिल सुरक्षित स्थान है।
- ▶ समुद्र के पास वाली चट्टानें एवं उथल स्थान सुनामी की तेज लहरों को तोड़ने में सहायक हो सकते हैं। किन्तु बड़ी खतरनाक लहरे तटीय क्षेत्र के रहने वाले लोगों के लिए विनाशकारी हो सकते हैं। सुनामी की सूचना मिलने के बाद ऐसे क्षेत्र से दूर रहने में ही समझदारी है।
- ▶ रेडियो और टी.वी. पर समाचार देखते रहे और सुनामी की चेतावनी पर ध्यान दें।

सुनामी के उपरांत क्या करें :

- ▶ रेडियो और टी.वी. पर निरंतर समाचार सुनते रहे तथा सुनामी की आपातकालीन सूचना सुने। सुनामी के कारण सड़क, पुल इत्यादि टूट जाते हैं और यात्रा के लिए सुरक्षित नहीं होते।
- ▶ अपने शरीर पर लगने वाली चोटों पर ध्यान दीजिए एवं उनका उपचार कीजिए। इसके उपरांत दूसरे घायलों की सेवा कीजिए और किसी सुरक्षित स्थान पर शांति से चले जाएं।
- ▶ ऐसे लोगों की सहायता कीजिए जिन्हें आवश्यकता है। जैसे कि छोटे बच्चे, बूढ़े लोग जिनके पास यातायात का साधन न हो, बड़े परिवार जिन्हें सहायता की आवश्यकता

हो तथा अपंग लोगों की सहायता करें।

- ▶ विपत्ति वाले क्षेत्र में न जाएँ। आपकी उपस्थिति के कारण बचाव कार्य में बाधा आ सकती है या फिर आप दूषित जल, टूटी सड़के, भू-स्खलन, मिट्टी के बहाव आदि की चपेट में आ सकते हैं।
- ▶ अपने टेलीफोन का उपयोग केवल आपात के समय ही करें। विनाश के समय टेलीफोन के लाइने भी सारी व्यस्त हो जाती है या ठीकसे काम नहीं करती। यह लाइने आपात के घंटी उठाने के लिए साफ होनी चाहिए।
- ▶ ऐसी इमारतों से दूर रहें जिनके चारों ओर पानी हो। सुनामी का जल बाढ़ के जल के समान ही इमारत की नींव को खोखला कर सकता है जिसके कारण इमारत ढह जाती है, जमीन तड़क जाती है और दीवारें गिर जाती हैं।
- ▶ अपने घर वापस जाने पर सावधानी से भीतर जाएँ। सुनामी की बाढ़ का जल आपकी



चित्र 24.3: सुनामी से क्षतिग्रस्त नावें

इमारत को क्षति पहुँचा सकता है। अपना हर कदम सावधानी से उठाए।

- ▶ लंबी आस्तीन वाला शर्ट पहने। लंबी पैट तथा जूते भी। विनाश के समय सबसे आम दुर्घटना पैर कटने की हो सकती है।
- ▶ अपने घर की जाँच करते समय बैटरी वाली टार्च या कंदील का उपयोग करें। यह सबसे सुरक्षित एवं आसान है और इससे आग दुर्घटना से भी बच सकते हैं। मोमबत्ती का उपयोग बिल्कुल ही न करें।
- ▶ दीवारें, फर्श, दरवाजे, सीढियाँ तथा खिड़कियों की जाँच करें यह जानने के लिए कि इमारत ढह जाने का खतरा न हो।
- ▶ नींव की अच्छी तरह जाँच कर ले और देखें कि उसमें कहीं दरारे न पड़ गई हो। नींव में अगर दरारे पड़ गई तो वह इमारत मनुष्य के रहने लायक नहीं है।
- ▶ आसानी से होने वाली दुर्घटनाओं की जाँच करें। गैस की लाइने टूटी हुई या उसमें छेद

के कारण गैस रिसती होगी उनकी जाँच करें। विजली की वायरिंग एवं बिजली के यंत्रों की भी जाँच करें। बाढ़ के तुरंत बाद होने वाली दुर्घटनाओं में आग की दुर्घटना अधिकतर होती है।


▶ जंगली जानवर या जहरीले सांप बाढ़ के जल के साथ घर के भीतर घुस सकते हैं। लकड़ी से गिरे हुए मलबे की अच्छी तरह से जाँच करें।

सुनामी के बाढ़ का जल इन जीव-जन्तुओं को उनके घर से बेघर कर देता है।

- ▶ सूखी हुई दीवारे, ढीले पालस्तर एवं छत की अच्छी तरह से जाँच करे ताकि वे गिरे नहीं।

▶ घर की खिड़कियाँ एवं दरवाजे खुले रखे ताकि इमारत सूख जाएं।

- ▶ बाढ़ के साथ आए हुए कीचड़ को सूखने से पहले साफ कर लें।



सूखा

वर्षा की कमी के कारण सूखा पड़ जाता है जो कि एक विनाश की स्थिति है। किसी वर्ष वर्षा ठीक होती है या फिर दो या तीन वर्ष तक निरंतर वर्षा नहीं होती जिसके परिणामस्वरूप फसले नहीं होती और इसे कृषि के क्षेत्र में सूखा कहा जाता है। इसीलिए ने केवल वर्षा का वितरण बल्कि उसका सही मात्रा में आना भी महत्वपूर्ण है।

अधिक मात्रा में या कम मात्रा में वर्षा का निश्चय औसत वार्षिक वर्षा (70-100 वर्ष) के प्रतिशत से लिया जाता है:

- अधिक वर्षा +20 प्रतिशत या सामान्य वर्षा से अधिक
- सामान्य वर्षा +19 प्रतिशत
- 19 प्रतिशत तक

न्यूनतम वर्षा -20 प्रतिशत से-59 प्रतिशत
अपर्याप्त वर्षा -60 प्रतिशत या सामान्य वर्षा से
कम

कुछ क्षेत्र अपने भौगोलिक स्थिति के कारण कम वर्षा पाते हैं। इन क्षेत्रों को सूखाग्रस्त क्षेत्र कहते हैं। उदाहरण के लिए रायलसीमा और तेलंगाना क्षेत्रों में प्रति पाँच वर्ष में दो बार सूखा पड़ सकता है।

सूखे के परिणाम

सूखे के परिणाम अनुक्रमिक होते हैं :

- ▶ पेय जल की कमी
- ▶ कृषि की उपज में कमी।
- ▶ कृषि क्रियाओं की धीमी गति के कारण कृषि उद्योग में गिरावट
- ▶ कृषि में कार्यरत व्यक्तियों के खरीददारी की परिस्थिति में गिरावट।
- ▶ खाद्य पदार्थों में कमी।
- ▶ चारे में कमी ।
- ▶ पशुओं की कमी
- ▶ बच्चों में पोषक पदार्थ की कमी।
- ▶ बीमारियाँ जैसे कालरा, हैजा, अतिसार एवं दस्त, भूख से होनी वाली बीमारी।
- ▶ लोग परेशानी में अपनी जमीन गिरवी रख देते हैं या बेच देते हैं, अपने जेवर एवं निजी संपत्ति भी गिरवी रख देते हैं।
- ▶ लोग नौकरी की खोज में गाँव छोड़कर चले जाते हैं ।

सूखे का सामना कैसे करें :

सूखा एक धीमी गति से आने वाली विपत्ति है जो हमें इसका सामना करने का या स्थान बदलने का काफी समय देता है। जो कि दूसरे विपत्तियों में नहीं मिलता। इसकी चेतावनी देने से एवं पूर्व सूचना देने से निर्णय करने वालों को कोई ठोस

कदम उठाने का सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं स्थानीय अधिकारी एवं अन्य मुख्य लोगों ने जनता में जल संरक्षण की भावना फैलाने का बीड़ा उठाया है।

बरसाती पानी का संचय एवं पुनः उपयोग

शहरों में वर्षा का जल जो घर की छतों पर गिरता है उसका संरक्षण करना चाहिए। सबसे आसान उपाय है कि उन्हें पहले से तैयार किए गए गड्ढों में भर लिया जाए ताकि इसका उपयोग दुबारा हो सके। इसके टैंक एवं सम्प में भी भर सकते हैं। कुछ स्थानों पर वर्षा के जल को छान कर उसे पिया जाता है।

जल विभाजक विकास (Integrated Watershed Management Programme)

सरकार ने एक नई योजना लागू की है यानि इन्टीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट योजना (IWMP) जो सूखाग्रस्त क्षेत्र में सूखा पड़ने पर नियंत्रण लगा सकती है। इसका मुख्य उद्देश्य है समाज को मजबूत बनाना और उनमें प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करने की समझ पैदा करना। भूमि एवं जल का सही उपयोग किया जाए। इसके मुख्य क्रियाएं हैं खेतों में बरसाती जल इकट्ठा करना, वनों की कटाई पर रोक, कृषि की फसलों में प्रगति, ऐसे पेड़ लगाना जिन्हें कम पानी की आवश्यकता हो। ऐसी जीविकाएँ जिस पर सूखे का असर कम हो।

क्या आप जल के संरक्षक हैं या जल का व्यय करने वाले

नीचे दी गयी तालिका से पता कीजिए की आप जल संरक्षक हैं या जल को व्यय करने वाले। पता कीजिए की आप कितना जल संचय कर सकते हैं। क्या आप जल के नायक हैं या खलनायक।

क्रिया	उपभोक्ता1 (लीटर)	उपभोक्ता 2 (लीटर)	स्वयं उपयोग(लीटर)
दाँत साफ करना	पानी का बहना(19)	ब्रश गीला करना, पानी बंद करना (2)	
सब्जियाँ साफ करना	पानी का बहना(11)	बर्तन में सब्जियाँ धोने पानी इकट्ठा करना (2)	
बर्तन धोना	पानी का बहना(114)	किसी बड़े बर्तन में बर्तन माँझ कर धोना (19)	
शौचालय जाने के बाद	टैंक के आकार पर (20) निर्भर	पन्द्रह बोटलों को पानी टैंक में डालना	
दाढी बनाना	पानी का बहना (18)	दाढी के लिए एक मग(0.5)	
पानी नहाना	पानी का बहना(95)	पहले शरीर भिगोना फिर साबुन से धोना (15)	
कार, मोटरसाईकिल या साईकिल धोना	पाईप से पानी का बहना (400/50/20)	बाल्टी (40/20/10)	
कपड़े धोना (मशीन द्वारा)	पूरी मशीन में पानी भरना (227)	छोटी साईकिल वाली मशीन (102)	
फर्श धोना	पाईप का पानी 5 मि.तक(200)	बाल्टी(40)	
हाथ एवं चेहरा धोना	पानी का बहना(8)	पानी का उपयोग (4)	
योग	-	-	

आपके द्वारा खर्च किए गए जल का योग कीजिए एवं अपनी श्रेणी ज्ञात कीजिए।

- पर्यावरण के : <200 .,
- जल संरक्षक: 201 – 400 lt.,
- जल व्यय करने वाले: 400 – 600 lt.,
- जल खलनायक: >601 lt.

मुख्य शब्द

1. अनेक आपदाओं के क्षेत्र
2. मानव द्वारा निर्मित आपदा
3. अकाल
4. कीट संक्रमण
5. पर्यावरण पतन
6. सूखा

सीखने में सुधार

1. अपने आस-पास में कोई विनाशकारी घटना देखी हो या टीवी पर देखी हो तो उसका विवरण। उस घटना का सामना कैसे किया गया?
2. इन विपत्तियों को हम कैसे रोक सकते हैं या इनका सामना कर सकते हैं ?
3. अपने घर के बुजुर्गों से ऐसी विनाशकारी घटनाओं पर बातचीत करें और उन्होंने उसका सामना कैसे किया इसका अनुभव प्राप्त कर लिखिए ।
4. आपदाओं का सामना करने के लिए आप लोगों के कोई पूर्वोपाय बताइए?
5. सूखे के प्रभावों की जानकारी दीजिए।
6. जहाँ जल की बर्बादी अधिक होती है उन अवसरों को दर्शाए और उसकी रोकथाम को सुजाइए।
7. एक एल्बम का निर्माण कर प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित चित्र लगाइए?

WORLD HEALTH ORGANIZATION
BMI CHART for age 14 and 15 – BOYS AND GIRLS

Years	Months	Malnourished (Underweight) Less than		Normal		Malnourished (Obesity) More than	
		GIRLS	BOYS	GIRLS	BOYS	GIRLS	BOYS
14	0	15.4	15.5	15.4 - 27.3	15.5 - 25.9	27.3	25.9
14	1	15.5	15.5	15.5 - 27.4	15.5 - 26.0	27.4	26.0
14	2	15.5	15.6	15.5 - 27.5	15.6 - 26.1	27.5	26.1
14	3	15.6	15.6	15.6 - 27.6	15.6 - 26.2	27.6	26.2
14	4	15.6	15.7	15.6 - 27.7	15.7 - 26.3	26.3	26.3
14	5	15.6	15.7	15.6 - 27.7	15.7 - 26.4	27.7	26.4
14	6	15.7	15.7	15.7 - 27.8	15.7 - 26.5	27.8	26.5
14	7	15.7	15.8	15.7 - 27.9	15.8 - 26.5	27.9	26.5
14	8	15.7	15.8	15.7 - 28.0	15.8 - 26.6	28.0	26.6
14	9	15.8	15.9	15.8 - 28.0	15.9 - 26.7	28.0	26.7
14	10	15.8	15.9	15.8 - 28.1	15.9 - 26.8	28.1	26.8
14	11	15.8	16.0	15.8 - 28.2	16.0 - 26.9	28.2	26.9
15	0	15.9	16.0	15.9 - 28.2	16.0 - 27.0	28.2	27.0
15	1	15.9	16.1	15.9 - 28.3	16.1 - 27.1	28.3	27.1
15	2	15.9	16.1	15.9 - 28.4	16.1 - 27.1	28.4	27.1
15	3	16.0	16.1	16.0 - 28.4	16.1 - 27.2	28.4	27.2
15	4	16.0	16.2	16.0 - 28.5	16.2 - 27.3	28.5	27.3
15	5	16.0	16.2	16.0 - 28.6	16.2 - 27.4	28.5	27.4
15	6	16.0	16.3	16.0 - 28.6	16.3 - 27.4	28.6	27.4
15	7	16.1	16.3	16.1 - 28.7	16.3 - 27.5	28.6	27.5
15	8	16.1	16.3	16.1 - 28.7	16.3 - 27.6	28.7	27.6
15	9	16.1	16.4	16.1 - 28.7	16.4 - 27.7	28.7	27.7
15	10	16.1	16.4	16.1 - 28.8	16.4 - 27.7	28.8	27.7
15	11	16.2	16.5	16.2 - 28.8	16.5 - 27.8	28.8	27.8

शैक्षणिक मापदंड (AS)

इस बात पर समय दीजिए कि छात्र दिए गए पाठ का ठीक से समाविष्ट कर सके। पाठ के मध्य आने वाले प्रश्न इसके लिए उपयोगी है। ये प्रश्न विभिन्न प्रकार के हैं जो छात्रों को सही ढंग से सोचने, तक-वितर्क करने, कारण जानने उसका असर जानने, न्याय करने, बुद्धि परीक्षण, विचारों का चित्रण, ध्यान विश्लेषण, सोचनी की कल्पना शक्ति, व्याख्या शक्ति चिंतन आदि है। मूल विचारों का हर पाठ में उदाहरण के साथ पुनः विचार किया गया है और उन्हें मुख्य शब्दों के रूप में दिया गया है।

- 1) **संकल्पना पर आधारित ग्रहण शक्ति (AS1):** पाठ के मौलिक सार का विकास, जांच द्वारा, विचार विमर्श द्वारा, व्याख्या द्वारा चिंतन शक्ति द्वारा, ध्यान द्वारा किया जाए।
- 2) **पाठ को पढ़ाना, समझना एवं उसकी व्याख्या (AS2):** पाठ में कभी-कभी कृषकों के विषय में कारखानों के श्रमिकों के विषय में या चित्र होते हैं जो सीधी तरह से उस विचार या धारणा का नहीं पहुँचाती। छात्रों के पाठ के मुख्य विचार को समझने एवं चित्रों की व्याख्या करने का समय देना चाहिए।
- 3) **सूचनात्मक कौशल (AS3):** केवल पाठ्य पुस्तक सामाजिक अध्ययन के विभिन्न कार्य विधियों को पूरी तरह के प्राप्त नहीं कर सकती। उदाहरण के लिए शहर में रहने वाले बच्चे अपने क्षेत्र के निर्वाचित सदस्यों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वही गाँव में रहने वाले बच्चे उनके क्षेत्र में उनको लुप्त होने वाली सिंचाई, टैंक आदि सुविधाओं के विषय में बता सकते हैं। यह सूचनाएँ पाठ की सूचना से एकदम मेल न खाती होगी और उनका खुलासा करना पड़ता है। छात्रों ने प्रोजेक्ट के द्वारा जो सूचना प्राप्त की हो वह भी काफी उपयोगी है। उदाहरण के लिए यदि छात्र किसी टैंक के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं तो वे लिखने के साथ-साथ उसका चित्र भी उतार सकते हैं या उन्होंने जो सूचना प्राप्त की है उसके दृश्य भी उतार सकते हैं। सूचना कौशल द्वारा हम सूचना तालिका निर्माण कर सकते हैं। उसके रिकार्ड एवं विश्लेषण इकट्ठा कर सकते हैं।
- 4) **समकालीन विषयों पर प्रतिबंध एवं प्रश्न (AS4):** छात्रों को प्रेरित करें कि वे अपना जीवन स्तर की तुलना दूसरे क्षेत्रों में रहने वाले या प्राचीन समय में रहने वाले लोगों से करें। इन तुलनात्मक स्थिति के लिए हमें कोई भी उत्तर नहीं प्राप्त होगा। कुछ घटनाओं के कारण सूचना का न्यायबद्धता एवं चिंतन आदि।
- 5) **मानचित्र कौशल (AS5):** पुस्तक में विभिन्न प्रकार के मानचित्र एवं चित्र दिए गए हैं। मानचित्र उतारने की क्षमता का विकास करे। इसके लिए विभिन्न स्तर हैं जैसे सबसे पहले कक्षा का मानचित्र बनाना जिसकी ऊँचाई एवं दूरी भी दी गई है। पुस्तक में दृश्य, पोस्टर्स, फोटो इत्यादि भी दिए गए हैं जो पाठ से संबंधित होते हैं न सिर्फ देखने के लिए। कभी-कभी कुछ क्रियाएँ भी होती हैं जैसे शीर्षक लिखना या वास्तुकला से संबंधित चित्र पढ़ना।
- 6) **मानचित्र सराहना एवं संवेदनशीलता (AS6):** हमारे देश में कई विभिन्नताएँ हैं जो कि भाषा के आधार पर सरकरा, जाति, धर्म, लिंग आदि हैं। सामाजिक अध्ययन इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए छात्रों को उनके प्रति संवेदनशील रहने को प्रोत्साहन देता है।


Appendix

This additional information and the maps are to be used wherever necessary.


World Political Map




India Map Showing places related to Freedom struggle




World Outline Map



India Political Map



Telangana Political Map



European Period in India - Timeline

1500-1700	European trading companies establish bases in India: the Portuguese in Panaji in 1510; the Dutch in Masulipatnam, 1605; the British in Madras in 1639, in Bombay in 1661, and in Calcutta in 1690; the French in Pondicherry in 1673
1757	Decisive victory of the British in the Battle of Plassey; the British become rulers of Bengal
1773	Supreme Court set up in Calcutta by the East India Company
1803	Lord Wellesley's Minute on Calcutta town improvement
1818	British takeover of the Deccan; Bombay becomes the capital of the new province
1853	Railway from Bombay to Thane
1857	First spinning and weaving mill in Bombay
1857	Universities in Bombay, Madras and Calcutta
1870s	Beginning of elected representatives in municipalities
1881	Madras harbour completed
1896	First screening of a film at Watson's Hotel, Bombay
1896	Plague starts spreading to major cities
1911	Transfer of capital from Calcutta to Delhi

National Movement - Timeline

1915	Mahatma Gandhi returns from South Africa
1917	Champaran movement
1918	Peasant movements in Kheda (Gujarat), and workers' movement in Ahmedabad
1919	Rowlatt Satyagraha (March-April)
1919	Jallianwala Bagh massacre (April)
1921	Non-cooperation and Khilafat Movements
1924	Peasant movement in Bardoli
1929	"Purna Swaraj" accepted as Congress goal at the Lahore Congress (December)
1930	Civil Disobedience Movement begins; Dandi March (March-April)
1931	Gandhi-Irwin Pact (March); Second Round Table Conference (December)
1935	Government of India Act promises some form of representative government
1939	Congress ministries resign
1942	Quit India Movement begins (August)
1946	Mahatma Gandhi visits Noakhali and other riot-torn areas to stop communal violence
14-15 August 1947	Pakistan is formed; India gains independence. Mahatma Gandhi tours Noakhali in East Bengal to restore communal harmony

Members of the Drafting Committee of the Constitution

The Drafting Committee for framing the constitution was appointed on 29 August 1947. The committee comprised of a chairman and six other members. In addition a constitutional advisor was also appointed.

The committee members were:

Dr B. R. Ambedkar - Chairman

K M Munshi (Ex- Home Minister, Bombay)

Alladi Krishnaswamy Iyer (Ex- Advocate General, Madras State)

N Gopalaswami Ayengar (Ex-Prime Minister, J&K, member of Nehru Cabinet)

B L Mitter (Ex-Advocate General, India)

Md. Saadullah (Ex- Chief Minister of Assam, Muslim League member)

D P Khaitan (lawyer).

Sir Benegal Narsing Rao was appointed as the constitutional advisor. He later became First Indian Judge in International Court of Justice in 1950.

Other Committee members:

B L Mitter resigned from the committee. He was replaced by **Madhav Rao** (Legal Advisor of Maharaja of Vadodara).

D P Khaitan passed away and was replaced by **T T Krishnamachari**.

Socio - Religious Movements

Sl. No.	Organisation	Founder	Year of Foundation	Purpose
1.	Brahma Samaj	Raja Rammohan Roy	1828	The aim of these organisations (1&2) was to attack evils in Hinduism
2.	Prarthana Samaj	Dr. Atma Ram Pandurang	1867	and purify Hinduism, social and economic reforms, inter caste marriages, western education, women education, widow remarriage.
3.	Satya Shodhak Samaj	Jyotiba Phule	1873	Upliftment of lower to reform and protected orthodoxy.
4.	Mohammedan Literacy Society	Nawab Abdul Latif	1863	Spread of education, among Muslims.
5.	Arya Samaj	Swami Dayanand Saraswati	1875	Religious and social reforms, Vedic philosophy.
6.	Theosophical Society	Madam Blavatsky, Henry Olcott	1882	Revival of Vedic philosophy.
7.	Ramakrishna Mission	Swami Vivekananda	1887	Propagate teaching of Rama krishna and to do social work.
8.	Harijan Sewak Sangha	Mahatma Gandhi	1932	Upliftment of backward classes and provide education to them.

तेलंगाणा राज्य के दर्शनीय स्थल

जिला	दर्शनीय स्थल
हैदराबाद जिला	गोलकोंडा किला, चारमीनार, हुसैनसागर, बिरला मंदिर, बिरला साईंस म्यूजियम, बिरला प्लानिटोरियम, पब्लिक गार्डन्स, असेंबली, हाईटेक सिटी, शिल्पारामम, ओशियन पार्क, नेहरू जुवाजिकल पार्क, कुतुबशाही गुंबज, इंदिरा पार्क, लुंबिनी पार्क, रवींद्र भारती, सालारजंग म्यूजियम।
जोगुलांबा जिला	जोगुलांबा मंदिर, पाँचवा मंदिर, अठारहवाँ शक्तिपीठ, गद्राल एस्टेट, आंजनेय मंदिर बिचपल्ली, नेटमपाडु जुराला प्राजेक्ट (जलाशय)।
नागार्कनूल जिला	नागार्जुन सागर, टाईगर सेंचुरी, कलवकुर्ती लिफ्ट इरीगेशन, श्रीशैलम बाया कैनल सुरंग, नल्लामल्ला सेंचुरी, उमामहेश्वरी मंदिर, वट्टेम वेंकटेश्वरस्वामी मंदिर, सोमेश्वर मंदिर, सोमशिला मल्लेलतीर्थम जलप्रपात।
कामारेड्डी जिला	सिद्दारामेश्वर मंदिर बिकनूर, कालभैरव मंदिर, लक्ष्मीनरसिंहा स्वामी मंदिर, बुग्गा रामेश्वर मंदिर, निजामसागर, पोचारम, कौलासानला प्रोजेक्ट, दोमकोंडा इस्टेट्स, पोचारम प्रोजेक्ट (जलाशय), पोचारम सेंचुरी, गायत्री, मगी शक्कर (Sugar Mill)
वनपर्ति जिला	श्री रंगानायक मंदिर श्रीरंगपुरम, रामन्नापाडु Balancing रिजर्वायर, वनपर्ति इस्टेट।
महबूबनगर जिला	पिल्लमर्ति, श्री वेंकटेश्वर मंदिर मन्नेमकोंडा।
निजामाबाद जिला	श्रीरामसागर जलाशय, निजाम शक्कर (Mill) बोधन, बड़ापहाड़ दर्गा, Prison of Quila, कृषि अनुसंधान केंद्र रुदूर, सिरनपल्ली की घड़ी, सारंगपुर, हनुमान मंदिर, डिचपल्ली किला राम मंदिर, देवल मस्जिद, कंदुकुर्ति त्रिवेणी संगम, रामडुगु जलाशय, गुन्प प्राजेक्ट, अलीसागर, अशोक सागर, जानकम पेट, अष्टमुखी कोनेरु, भीमुनिगुड्लु।
खम्मम जिला	स्तंभाद्री लक्ष्मी नरसिंहा स्वामी, नेलकोंड पल्लि बौध स्तूप, सत्तुपल्लि कोयला खान, भक्त रामदास का निवास स्थल, खम्मम जिला।
मेदक जिला	एडुपायल वन दुर्गा जातरा, मेदक चर्च, मेदक किला, कोल्चारम जैन मंदिर, नरसापूर वन, पोचाराम अभयारण्य।
रंगारेड्डी जिला	अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चिल्कुरु बालाजी मंदिर, नर्कुडा का अम्मापल्लि, हिमायतसागर, उस्मान सागर (गंडीपेट) NRSL शादनगर, स्वयंभू रामलिंगेश्वर मंदिर।
सिद्धिपेट जिला	कोमरवेल्ली मल्लन्ना मंदिर, वर्गल सरस्वति मंदिर, नाचारम लक्ष्मीनरसिंहा स्वामी मंदिर, जगदेवपूर वरदराजु स्वामी, कोंड पोचम्म, पांडुरंगाश्रम, कर्कपट्टला औद्योगिक पार्क, कोटि लिंगेश्वर मंदिर, कोमटि चेरुवु।

Telangana State - Places to Visit

जिला	दर्शनीय स्थल
जगित्याल जिला	लक्ष्मीनारायणस्वामी मंदिर धर्मपुरी, कोंडागट्टु, आंजनेयस्वामी।
विकाराबाद	जिला अनंतगिरि की पहाड़ियाँ, पद्मनाभस्वामी मंदिर, बुग्गा रामेश्वरम, भूकैलास, एकांबरशवरम, जनटुपल्ली रामुडु, कोंडगल वेंकटेश्वरस्वामी, कोटीपल्ली के प्रोजेक्ट, लखनपुर, सरपनपल्ली, जनटुपल्ली।
राजन्ना जिला	राजेश्वर स्वामी मंदिर वेमुलवाड़ा, अपर मानेरु लेक।
मेडचल जिला	श्री रामलिंगेश्वरस्वामी मंदिर कीसरगुट्टा, जैन बुद्ध सेंटर।
भद्राद्रि जिला	श्री सीतारामस्वामी मंदिर भद्रकाली, भोक्ता वाटर फाल्स, पर्णशाला, पेद्दावागु वाटरफाल्स, मुखमामिडि, किन्नरसानी पालेमवागु, <i>KPTS, GENCO, Power plants, National Mining Development Organisation</i>
पेद्दापल्ली जिला	येल्लमपल्ली, येल्लमडुगु लेक्स, रामगिरि किला, सबितम जल प्रपात।
संगारेड्डी जिला	<i>ICRISAT, BHEL</i> , सिंगुरु लेक, जारसंगम, केतकी संगमेश्वर मंदिर, यद्दुमैलारम आरिडेन्स फैक्टरी।
करीमनगर जिला	येलागनुडुला पुराना नाम, लोवर मानेरु लेक, विश्वप्रसिद्ध सिल्वर फिलिगिरि एक्ट।

बच्चे...

- तेलंगाणा के मानचित्र में कोयला और अन्य खनिजों के खनन क्षेत्रों तथा वनों के विस्तार को दर्शाते हैं।
- महिलाओं, सामाजिक सुधारों, बाल-विवाह और जात-पाँत संबंधी मुद्दों का विश्लेषण करता है।
- भारत में राष्ट्रीय आंदोलन होने वाले स्थानों को दर्शाते हैं।
- पुलिस शिकायत करने के लिए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और भारत में न्यायपालिका की कार्यप्रणाली की व्याख्या करते हैं।
- मानचित्र के उपयोगों की व्याख्या करते हैं।
- ग्लोबल वार्मिंग के कारणों की व्याख्या करते हैं।
- ऋतुओं में परिवर्तन की प्रक्रिया की व्याख्या करते हैं।
- ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन यापन और उनके खानपान, पहनावे, परिवहन तथा निवास स्थानों की व्याख्या करते हैं।
- बैंक सेवाओं, विभिन्न क्रियाकलापों और विभिन्न खातों का विश्लेषण करते हैं।
- कृषि क्षेत्र में तकनीक में परिवर्तनों के प्रभाव का विश्लेषण करते हैं।
- जन स्वास्थ्य से संबंधित सरकारी क्रियाकलापों पर कर पत्र का सृजन करते हैं।
- स्थायी बंदोबस्त (पर्मानेंट सेटलमेंट एक्ट) तथा रय्यतवाड़ी प्रणाली में अंतर बताते हैं।
- भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की उग्र और मध्यम अवस्थाओं में अंतर करते हैं।
- राष्ट्रीय आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होने से पहले से महात्मा गांधी द्वारा चलाये गये आंदोलनों की व्याख्या करते हैं।
- विभिन्न कलाओं और कला के प्रकारों को दर्शाती तालिका तैयार करते हैं।
- समाज पर सिनेमा के प्रभाव की व्याख्या करते हैं।
- विश्व के मानचित्र पर क्रिकेट खेलने वाले देशों को दर्शाते हैं।

